FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D...57...
Date...19/9/2001...

(खण्ड 13 में अंक 21 से 25 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 13, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)
अंक 23, बुधवार, 20 दिसम्बर, 2000/29 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 441 से 443	2-72
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 444 से 460	72-93
अतारांकित प्रश्न संख्या 4784 से 5013	93-363
जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों में अनुसंधान के बारे में दिनांक 6 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	363-364
सभा पटल पर रखे गए पत्र	364-385
राज्य सभा से संदेश	385-386
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	386
लोक लेखा समिति	
सोलहवां प्रतिवेदन .	387
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन .	387
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
विवरण . .	387
पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति	
ग्यारहवां प्रतिवेदन . .	387
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
पहला प्रतिवेदन .	388
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	
जम्मू कश्मीर में सरकार के शांति प्रयास	388-389

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय — कॉलम

समिति के लिए निर्वाचन

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 390

जनगणना प्रपत्र में अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में अलग से सूचना एकत्र करने की आवश्यकता के बारे में 393-415

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक—पुरःस्थापित 415-417

नियम 377 के अधीन मामले 417-424

(एक) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत गुजरात के अहमदनगर में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों के लिए प्रतिवर्ष दस हजार मकान आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी 417

(दो) गुजरात के भरुच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए जिन लोगों की जमीन अधिग्रहीत की गई है उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 418

(तीन) राजस्थान के चुरु जिले में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए यमुना जल समझौते के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 418

(चार) उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए मसान बांध परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

डा. मदन प्रसाद जायसवाल 419

(पांच) पश्चिम रेलवे की इन्दौर—दाहोद—गोधरा लाइन पर कार्य शीघ्र आरम्भ करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत 419

(छह) निजामुद्दीन और तिरुअनन्तपुरम के बीच चलने वाली तिरुअनन्तपुरम राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नितला 419-420

(सात) नागालैंड में कोहिमा में एक आधुनिक विज्ञान केन्द्र और तारामंडल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. ए. सांगतम 420

(आठ) केरल में तेनी—त्रिवेन्द्रम राजमार्ग बारास्ता कोट्टायम, कोट्टाराकारा को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश 420-421

(नौ) केरल में त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ यथाशीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. एस. शिवकुमार 421

(दस) हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लि. की दुर्गापुर इकाई का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 421-422

(ग्यारह) विशाखापत्तनम हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति 422

(बारह) बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बनियापुर में एक पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह 422-423

(तेरह) तमिलनाडु के विभिन्न भागों में विदेशी सहायता प्राप्त वृक्षारोपण योजना का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री टी. टी. वी. दिनाकरन 423

(चौदह) कटक में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जन्म स्थल जानकीनाथ भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 424

(पन्द्रह) तमिलनाडु में पुडेकोट्टई औद्योगिक परिसर में कृषि और कयर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री तिरूनावकरसू 424

नियम 193 के अधीन चर्चा 425-488

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति 425-430

श्री रामजीलाल सुमन 430-433

श्री राजीव प्रताप रूडी 433-440

श्री पूर्णो ए. संगमा 440-446

श्री पी. एच. पांडियन 446-449

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय 449-452

श्री राशिद अलवी 452-458

श्री मणि शंकर अय्यर 458-467

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल 467-470

विषय कॉलम

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 470-472

प्रो. ए. के. प्रेमाजम 472-474

श्री अरूण शौरी 474-488

रेल अभिसमय समिति के पहले प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)–2000-2001 489-657

कुमारी ममता बनर्जी 489-492, 647-657

श्री के. एच. मुनियप्पा 492-499

श्री थावरचन्द गेहलोत 499-504

श्री बसुदेव आचार्य 504-510

श्री प्रदीप रावत 511-513

डा. जगन्नाथ मन्दा 513-515

कुंवर अखिलेश सिंह 515-519

श्री चन्द्रकांत खैरे 519-522

श्री तरूण गोगोई 522-526

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 526-529

श्री चन्द्र विजय सिंह 529-530

** श्री आदि शंकर 530-532

श्री टी. एम. सेल्वागनपति 532-538

** श्री अनादि साहू 538-539

** श्री पी. एस. गढ़वी 539-540

श्री वी. वेत्रिसेलवन 540-543

** श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह 543-544

** श्री भान सिंह भौरा 544-545

श्री राशिद अलवी 545-548

**भाषण का कुछ अंश सभा पटल पर रखा गया।

विषय	कॉलम
** श्री श्रीनिवास पाटील	548-549
श्री माणिकराव होडल्या गावित	549
श्री सुकदेव पासवान	549-553
** श्री भर्तृहरि महताब	553-561
* श्री विक्रम केशरी देव	561-563
* श्री एम. मुरूगेसन	563-564
श्री अधीर चौधरी	564-566
* श्री हरिभाई चौधरी	566-568
श्री रामपाल सिंह	568-569
* श्री कांतिलाल भूरिया	569-572
प्रो. ए. के. प्रेमाजम	572-576
श्री पवन कुमार बंसल	576-581
श्री रघुनाथ झा	582-584
श्री रनेन बर्मन	584-586
श्री छत्रपाल सिंह	586-588
* श्री किशन लाल दिलेर	588-589
* श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	590
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	590-592
** डा. संजय पासवान	592-595
श्री कोडीकुनील सुरेश	595-596
* श्री चन्द्र प्रताप सिंह	596-597
* श्री लाल बिहारी तिवारी	597-599
* श्री श्याम बिहारी मिश्र	599-601
* श्री रामनरेश त्रिपाठी	601-603
* श्री सुबोध राय	603-604

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

**भाषण का कुछ अंश सभा पटल पर रखा गया।

विषय	कॉलम
* श्री विजय कुमार खंडेलवाल	604-606
* श्री बहादुर सिंह	606-607
योगी आदित्यनाथ	607-609
श्री के. के. कलिअप्पन	609-611
श्रीमती जयश्री बैनर्जी	611-613
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	613-615
डा. सी. कृष्णन	615
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल	616
श्री सी. पी. राधाकृष्णन	616-618
श्री हरिभाऊ शंकर महाले	618-619
श्री रूपचन्द मुर्मू	619-621
** डा. रामकृष्ण कुसमरिया	621-625
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	625-626
** श्री रामेश्वर डूडी	626-631
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	632-634
* श्री गिरधारी लाल भार्गव	634-638
श्री रामदास आठवले	638-639
श्री सुरेश चन्देल	639-640
* श्री वीरेन्द्र कुमार	640-641
* श्री दलपत सिंह परस्ते	641-642
* डा. एन. वेंकटस्वामी	642-644
* प्रो. रासा सिंह रावत	644-647
विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक—पुरःस्थापित	657-658
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
कुमारी ममता बनर्जी	657-658
खण्ड 2, 3 और 1 पर विचार	

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

**भाषण का कुछ अंश सभा पटल पर रखा गया।

लोक सभा

बुधवार, 20 दिसम्बर, 2000/29 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को हमारे एक भूतपूर्व सहयोगी श्री सचिन्द्रलाल सिंह के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री सचिन्द्रलाल सिंह 1977–1979 के दौरान छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने त्रिपुरा पश्चिम संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सिंह त्रिपुरा के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वह एक कुशल प्रशासक भी थे। विभिन्न संगठनों से जुड़े रहने के अतिरिक्त वह त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद के सभापति भी थे।

वह एक सक्रिय सांसद थे तथा 1977 से 1979 तक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के भी सदस्य थे।

श्री सिंह एक जाने–माने सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने त्रिपुरा राज्य गण परिषद् का गठन किया था। उन्होंने किसानों तथा दलितों के उत्थान के लिए निरन्तर कार्य किए। वे त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में सूखा राहत से संबंधित कार्यों से भी जुड़े रहे। त्रिपुरा के विकास तथा राज्य में रेलवे के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

एक दृढ़ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने त्रिपुरा में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध संघर्ष किया। वह चटगांव आर्मरी रेडर्स से भी जुड़े थे। उन्होंने 14 वर्ष कारावास में भी व्यतीत किए।

उनका निधन 93 वर्ष की आयु में 8 दिसम्बर, 2000 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हैं तथा सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.01½ बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 441

11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

राज्यों के जल संसाधनों में वृद्धि

+

*441. **श्री रामजी लाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्षा जल संग्रहण प्रणाली सहित जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की सहायतार्थ देश में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आज तक प्रत्येक राज्य को योजना–वार कितनी धनराशि का नियतन किया गया और कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ग) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के कार्य में प्रत्येक राज्य ने क्या उपलब्धियां प्राप्त कीं?

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्षा जल संचयन सहित जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता के वास्ते देश में ग्यारह केन्द्र प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। ये स्कीमें इस प्रकार हैं–

केन्द्र प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा मंत्रालय	*चल रही स्कीमें*
1. जल संसाधन मंत्रालय*	(i) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम
	(ii) लघु सिंचाई आंकड़ों का युक्तिकरण
2. कृषि मंत्रालय	(iii) नदी–घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण

(iv) बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण

(v) वर्षापोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय (vi) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम**

(vii) मिलियन वेल्स स्कीम**

(viii) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

(ix) गंगा कल्याण योजना**

(x) स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

(xi) रोजगार आश्वासन स्कीम

*सतलुज–यमुना सम्पर्क नहर की एक स्कीम वर्ष 1990 तक गैर–योजना के तहत केन्द्र द्वारा पूर्णतः वित्तपोषण स्कीम के रूप में कार्यान्वित थी। इस स्कीम का कार्य 1990 के बाद से रुक गया है और यह मामला न्यायाधीन है।

(xii) **इन स्कीमों का कार्य 1.4.1999 से बन्द हो गया है और उस तारीख से स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से एक नया स्वतःरोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया है।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता अनुमोदित वित्त पद्धति, राज्य क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों द्वारा किया गया बजट प्रावधान, अनुमोदित मानदण्डों और सम्बन्धित स्कीमों के तहत हुए कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रदान की जाती है। विभिन्न स्कीमों के तहत दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों (1997–98 से 1999–2000) के दौरान जारी की गई निधियों और प्राप्त उपलब्धियों की राज्य–वार स्थिति अनुबन्ध–1 (क) से (ट) में दी गई है।

अनुबन्ध-I(क)

वर्ष 1997–98 से 1999–2000 की अवधि के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई केन्द्रीय सहायता वर्ष 1997-98	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000	कुल
1	2	3	4	5	6
	राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	3839.57	0.00	0.00	3839.57
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	10.00	10.00
3.	असम	124.00	0.00	0.00	124.00
4.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	20.00	0.00	0.00	20.00
6.	गुजरात	97.11	324.19	650.00	1071.30
7.	हरियाणा	1116.85	1294.63	841.74	3253.22
8.	हिमाचल प्रदेश	73.07	52.90	15.81	141.78
9.	जम्मू व कश्मीर	189.90	233.99	248.99	672.88
10.	कर्नाटक	437.87	668.00	885.37	1991.24
11.	केरल	200.00	806.04	788.11	1794.15
12.	मध्य प्रदेश	6.25	245.99	167.20	419.44
13.	महाराष्ट्र	298.30	1719.15	660.60	2678.05
14.	मणिपुर	86.91	132.33	128.05	347.29
15.	मेघालय	0.00	0.00	18.40	18.40
16.	नागालैंड	0.00	6.43	15.00	21.43
17.	उड़ीसा	231.47	774.40	365.28	1371.15
18.	पंजाब	0.00	500.00	3352.06	3852.06
19.	राजस्थान	2226.65	3834.87	2700.00	8761.52
20.	तमिलनाडु	552.46	2507.27	2336.74	5396.47
21.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	3057.83	3959.24	2804.92	9821.99
23.	पश्चिम बंगाल	90.00	275.00	306.73	671.73
	कुल	12648.24	17334.43	16295.00	46277.67
	*संघ राज्य क्षेत्र				
1.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	12648.24	17334.43	16295.00	46277.67

*दमन गंगा परियोजना गुजरात एवं संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली तक फैली हुई है। एक बार इसे गुजरात में गिन लिया गया है।

अनुबन्ध-I(क)

केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 1997–98 से 1999–2000 की अवधि के लिए खेत संबंधी विकास कार्यों के संबंध में राज्यवार वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फील्ड चैनल				वाराबन्दी				भूमि समतलन				खेत नालियां			
		1997-98	1998-99	1999-2000	कुल	1997-98	1998 99	1999-2000	कुल	1997-98	1998-99	1999-2000	कुल	1997-98	1998-99	1999-2000	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	राज्य																
1.	आंध्र प्रदेश	2.15	3.34	5.54	11.03	4.80	10.24	6.18	21.22	3.89	4.30	5.00	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15
3.	असम	0.44	0.83	0.00	1.27	0.86	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52
4.	बिहार	0.00	0.54	0.47	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	1.50	2.94	0.01	0.04	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	7.24	20.60	5.73	33.57	5.87	8.38	3.34	17.59	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
7.	हरियाणा	28.21	23.65	25.11	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1.41	0.00	0.30	1.71	2.38	0.00	0.25	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.15	0.58
9.	जम्मू व कश्मीर	6.97	5.39	3.35	15.71	45.64	90.69	37.34	173.67	2.27	1.26	0.26	3.79	2.27	2.45	0.96	5.68
10.	कर्नाटक	11.03	10.35	13.04	34.42	16.29	8.20	8.43	32.92	0.00	5.41	15.43	20.84	0.25	2.82	3.04	6.11
11.	केरल	7.89	7.12	2.59	17.6	9.11	20.28	5.74	35.13	0.23	0.12	0.08	0.43	16.37	32.54	21.23	70.14
12.	मध्य प्रदेश	4.23	10.86	10.84	25.93	0.17	1.18	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	महाराष्ट्र	25.23	27.67	27.27	80.17	21.24	8.69	0.25	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27	27.27	40.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14.	मणिपुर	3.33	4.48	2.87	10.68	0.57	0.16	1.05	1.78	0.35	0.15	0.00	0.50	0.07	0.08	0.57	0.72
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	नागालैंड	0.00	0.05	0.16	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.12	0.18
17.	उड़ीसा	7.00	12.89	9.11	29	15.00	13.40	6.83	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	3.96	1.74	10.76
18.	पंजाब	0.00	0.00	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान	54.25	65.95	49.09	169.29	54.25	0.00	0.00	54.25	3.98	11.28	1.81	17.07	2.78	9.76	1.81	14.35
20.	तमिलनाडु	46.61	53.82	53.89	154.32	75.91	81.82	75.65	233.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	112.20	71.54	115.49	299.23	176.26	89.29	121.58	387.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.14	13.14
23.	पश्चिम बंगाल	0.82	3.36	4.57	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल राज्य	319.01	322.44	369.87	1011.32	428.35	333.77	268.14	1030.26	11.23	22.56	22.58	56.37	27.75	64.96	70.18	162.89
	*संघ शासित क्षेत्र																
1.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल संघ शासित क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	319.01	322.44	369.87	1011.32	428.35	333.77	268.14	1030.26	11.23	22.56	22.58	56.37	27.75	64.96	70.18	162.89

*दमन गंगा परियोजना गुजरात और दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली तक फैली हुई है। इसकी गणना गुजरात के तहत एक बार की गई है।

अनुबन्ध-I(ख)

वर्ष 1997–98 से 1999–2000 की अवधि के दौरान लघु सिंचाई आंकड़ों के युक्तिकरण की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत जारी की गई केन्द्रीय राशि (सांख्यिकी सेलों पर व्यय) का राज्यवार ब्यौरा

(इकाई = लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई केन्द्रीय सहायता			कुल
		1997-98	1998-99	1999-2000	
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1.	आंध्र प्रदेश	10.00	15.22	14.07	39.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	5.08	5.57	7.46	18.11
4.	बिहार	0.00	6.22	0.00	6.22
5.	गोवा	0.00	0.00	3.92	3.92
6.	गुजरात	12.91	24.33	18.29	55.53
7.	हरियाणा	0.00	15.84	7.77	23.61
8.	हिमाचल प्रदेश	5.20	13.01	7.76	25.97
9.	जम्मू व कश्मीर	7.66	9.53	10.01	27.20
10.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	केरल	0.00	0.00	34.64	34.64
12.	मध्य प्रदेश	9.94	11.64	0.00	21.58
13.	महाराष्ट्र	0.00	21.93	20.97	42.90
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	नागालैंड	0.00	0.00	11.20	11.20
18.	उड़ीसा	8.48	9.17	12.45	30.10
19.	पंजाब	9.27	9.33	5.38	23.98
20.	राजस्थान	3.65	1.78	0.00	5.43

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	0.00	4.33	1.01	5.34
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	1.61	1.61
23.	त्रिपुरा	0.00	6.46	6.44	12.90
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	9.38	10.29	13.75	33.42
	कुल राज्य	81.57	164.65	176.73	422.95
	संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान एवं निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	दादरा एवं नगर हवेली	1.87	2.01	0.00	3.88
3.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	1.87	2.01	0.00	3.88
	कुल योग	83.44	166.66	176.73	426.83

लघु सिंचाई आंकड़ों संबंधी सूचना एकत्र करने के लिए राज्य में इन सेलों का गठन किया गया है।

अनुबंध-I(ग)

वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के दौरान नदी–घाटी परियोजनाओं के आयाह क्षेत्र में मृदा संरक्षण की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत किया गया निधि आबंटन, केन्द्रीय सहायता की जारी धनराशि तथा उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	किया गया आबंटन (रु. लाख में)				जारी की गई राशि (रु. लाख में)				उपलब्धि हजार हेक्टेयर में			
		1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	668.00	600.00	780.00	2048.00	668.00	651.50	765.00	2084.50	14.79	12.44	14.43	41.66
2.	असम	20.00	50.00	20.00	90.00	20.00	10.00	0.00	30.00	2.78	0.54	0.28	3.60
3.	बिहार	50.00	100.00	100.00	250.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.10	0.00	0	0.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	गुजरात	266.00	403.00	500.00	1169.00	266.00	433.00	480.00	1179.00	5.02	6.57	7.99	19.58
5.	हिमाचल प्रदेश	400.00	500.00	500.00	1400.00	400.00	520.00	340.00	1260.00	5.99	7.75	4.74	18.48
6.	जम्मू और कश्मीर	458.00	550.00	600.00	1608.00	458.00	599.00	650.00	1707.00	7.10	7.88	9.5	24.48
7.	कर्नाटक	950.00	1000.00	1500.00	3450.00	950.00	1115.00	1500.00	3565.00	40.26	23.35	40.72	104.33
8.	केरल	0.00	50.00	100.00	150.00	0.00	68.88	40.00	108.88	0.53	0.00	0.2	0.73
9.	(क) मध्य प्रदेश	900.00	1050.00	900.00	2850.00	700.00	1032.72	800.00	2532.72	13.67	26.62	19.46	59.75
	(ख) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	600.00	600.00	200.00	559.86	500.00	1259.86	0.00	0.00	13.26	13.26
10.	महाराष्ट्र	820.00	1000.00	1000.00	2820.00	820.00	1300.00	700.00	2820.00	29.63	10.31	23.71	63.65
11.	उड़ीसा	100.00	250.00	300.00	650.00	100.00	112.39	300.00	512.39	3.62	7.22	1.56	12.40
12.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
13.	राजस्थान	870.00	1100.00	960.00	2930.00	870.00	879.00	900.00	2649.00	16.37	17.29	18.5	52.16
14.	सिक्किम	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
15.	तमिलनाडु	600.00	500.00	400.00	1500.00	600.00	580.00	375.00	1555.00	8.52	7.43	6.08	22.03
16.	त्रिपुरा	31.00	50.00	50.00	131.00	31.00	30.00	51.00	112.00	0.16	0.35	0.67	1.18
17.	उत्तर प्रदेश	100.00	220.00	200.00	520.00	100.00	254.72	186.90	541.62	2.47	3.96	2.55	8.98
18.	पश्चिम बंगाल	100.00	250.00	200.00	550.00	100.00	0.00	0.00	100.00	1.01	17.72	0.14	18.87
19.	दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.)	400.00	400.00	500.00	1300.00	400.00	400.00	500.00	1300.00	0.00	0.00	24.9	24.90
	कुल	6733.00	8123.00	9260.00	24116.00	6733.00	8546.07	8087.90	23386.97	152.02	149.43	188.69	490.14

अनुबंध-I(घ)

वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के दौरान बाढ़ प्रवण नदी स्कीमों के आवाह क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित मृदा संरक्षण के तहत केन्द्रीय सहायता की आबंटित तथा जारी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	निम्न अवधियों में आबंटन (रु. लाख में)				निम्न अवधि में जारी धनराशि (रु. लाख में)				उपलब्धि (हजार हेक्टेयर में)			
		1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	असम	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	बिहार	48.00	100.00	100.00	248.00	48.00	0.00	0.00	48.00	1.10	0.00	0.00	1.10
3.	हरियाणा	90.00	160.00	250.00	500.00	90.00	218.00	80.00	388.00	3.15	3.25	4.80	11.20
4.	हिमाचल प्रदेश	250.00	300.00	400.00	950.00	250.00	373.20	222.88	846.08	3.12	4.13	3.92	11.17
5.	मध्य प्रदेश	694.00	800.00	900.00	2394.00	694.00	812.01	800.97	2306.98	12.04	15.34	18.34	45.72
6.	मिजोरम	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	पंजाब	30.00	80.00	50.00	160.00	30.00	51.00	20.00	101.00	2.90	0.60	0.00	3.50
8.	राजस्थान	747.00	1000.00	1000.00	2747.00	747.00	680.00	530.00	1957.00	17.38	9.21	18.96	45.55
9.	उत्तर प्रदेश	2000.00	2240.00	2250.00	6490.00	2000.00	2179.72	1801.13	5980.85	50.96	50.05	67.78	168.79
10.	प. बंगाल	0.00	100.00	150.00	250.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.62	0.00	0.75	1.37
11.	मुख्यालय	0.00	0.00	40.00	40.00	19.00	20.00	36.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	3859.00	4780.00	5240.00	13879.00	3878.00	4353.93	3490.98	11722.91	91.27	82.58	114.55	288.40

अनुबंध-I(ङ)

वर्ष 1997–98 से 1999–2000 की अवधि के दौरान वर्षापोषित क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल विभाजक विकास परियोजना की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यवार आबंटन और जारी की गई राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अवधि के दौरान किया गया आबंटन (लाख रु.)				जारी की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रु.)				उपचारित क्षेत्र हेक्टेयर में			
		1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य													
1.	आंध्र प्रदेश	700.00	900.00	900.00	2500.00	700.00	900.00	900.00	2500.00	29037	36728	37484	103249
2.	अरुणाचल प्रदेश	10.00	31.00	17.00	58.00	10.00	31.00	17.00	58.00	200	830	0	1030
3.	असम	15.00	125.00	0.00	140.00	0.00	125.00	0.00	125.00	17597	1715	0	19312
4.	बिहार	15.00	125.00	0.00	140.00	0.00	125.00	0.00	125.00	7976	990	1925	10891
5.	गोवा	5.00	8.00	3.00	16.00	0.00	8.00	3.00	11.00	400	1000	1000	2400
6.	गुजरात	700.00	2000.00	2000.00	4700.00	700.00	2000.00	2000.00	4700.00	17901	61780	91187	170868
7.	हरियाणा	80.00	220.00	35.00	335.00	80.00	220.00	35.00	335.00	3337	6544	5367	15248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	हिमाचल प्रदेश	120.00	175.00	200.00	495.00	120.00	175.00	200.00	495.00	587	2600	5915	9102
9.	जम्मू व कश्मीर	108.00	38.00	15.00	161.00	108.00	38.00	15.00	161.00	52	0	167	219
10.	कर्नाटक	2100.00	2000.00	1700.00	5800.00	2100.00	2000.00	1700.00	5800.00	54768	92300	48372	195440
11.	केरल	500.00	1434.00	350.00	2284.00	500.00	1434.00	350.00	2284.00	0	0	18480	18480
12.	मध्य प्रदेश	1750.00	1609.00	2650.00	6009.00	1434.00	1609.00	2650.00	5693.00	16955	90230	90082	197267
13.	महाराष्ट्र	2500.00	3060.00	800.00	6360.00	2500.00	3060.00	800.00	6360.00	58036	71675	46660	176371
14.	मणिपुर	250.00	200.00	300.00	750.00	250.00	200.00	300.00	750.00	0	250	8900	9150
15.	मेघालय	15.00	200.00	250.00	465.00	0.00	200.00	250.00	450.00	1233	3552	0	4785
16.	मिजोरम	225.00	700.00	466.00	1391.00	225.00	700.00	466.00	1391.00	2820	11233	12500	26553
17.	नागालैंड	160.00	500.00	500.00	1160.00	160.00	500.00	500.00	1160.00	0	11149	11103	22252
18.	उड़ीसा	1200.00	550.00	200.00	1950.00	1200.00	550.00	200.00	1950.00	28000	13623	9815	51438
19.	पंजाब	40.00	45.00	8.00	93.00	40.00	45.00	8.00	93.00	632	1125	0	1757
20.	राजस्थान	2850.00	4000.00	3700.00	10550.00	2581.00	4000.00	3700.00	10281.00	75950	89459	85167	250576
21.	सिक्किम	90.00	150.00	200.00	440.00	90.00	150.00	200.00	440.00	2000	4500	4370	10870
22.	तमिलनाडु	900.00	1650.00	1700.00	4250.00	900.00	1650.00	1700.00	4250.00	25145	50567	48899	124611
23.	त्रिपुरा	130.00	300.00	350.00	780.00	130.00	300.00	350.00	780.00	1403	6412	10450	18265
24.	उत्तर प्रदेश	1000.00	1750.00	1512.00	4262.00	1000.00	1750.00	1512.00	4262.00	20311	69947	80556	170814
25.	पश्चिम बंगाल	10.00	0.00	750.00	1360.00	10.00	600.00	750.00	1360.00	13176	22408	19897	55481
	कुल राज्य	15473.00	22370.00	18606.00	56449.00	14838.00	22370.00	18606.00	55814.00	377516	650617	638296	1666429
	संघ राज्य क्षेत्र												
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	25.00	65.00	34.00	124.00	25.00	65.00	34.00	124.00	517	972	920	2409
2.	दादरा व नगर हवेली	2.00	5.00	1.00	8.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	27.00	70.00	35.00	132.00	26.00	66.00	34.00	126.00	517	972	920	2409
	कुल जोड़	15500.00	22440.00	18641.00	56581.00	14864.00	22436.00	18640.00	55940.00	378033	651589	639216	1668838

अनुबंध-I(च)

वर्ष 1997–98 से 1998–99 की अवधि के दौरान स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत किए गए राज्यवार आबंटन एवं सहायता राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	के दौरान किया गया आबंटन (लाख रु.)				जारी की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रु.)			
		1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	8612.22	7734.30	*	16346.52	9634.21	3870.32	*	13504.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	644.06	403.82		1047.88	651.30	202.78		854.08
3.	असम	2834.24	10492.72		13326.96	2038.38	5246.36		7284.74
4.	बिहार	16754.80	25336.66		42091.46	9090.27	6608.31		15698.58
5.	गोवा	146.58	17.82		164.4	120.89	24.43		145.32
6.	गुजरात	3160.44	2911.34		6071.78	3850.61	1455.67		5306.28
7.	हरियाणा	759.66	1712.78		2472.44	938.04	692.00		1630.04
8.	हिमाचल प्रदेश	247.72	721.32		969.04	386.04	323.26		709.30
9.	जम्मू व कश्मीर	1032.16	892.74		1924.9	777.17	319.20		1096.37
10.	कर्नाटक	5780.00	580.48		6360.48	4695.63	2439.51		7135.14
11.	केरल	2103.50	2620.60		4724.1	2226.81	1346.69		3573.50
12.	मध्य प्रदेश	10914.94	12842.50		23757.44	9328.36	6421.25		15749.61
13.	महाराष्ट्र	9388.40	11542.22		20930.62	8541.07	5772.63		14313.70
14.	मणिपुर	464.48	703.42		1167.9	235.15	87.76		322.91
15.	मेघालय	493.36	788.10		1281.46	323.10	144.49		467.59
16.	मिजोरम	208.50	182.36		390.86	240.56	104.25		344.81
17.	नागालैंड	346.80	540.60		887.4	208.71	86.70		295.41
18.	उड़ीसा	6987.62	8846.44		15834.06	6178.52	4384.65		10563.17
19.	पंजाब	538.78	832.40		1371.18	716.18	416.18		1132.49
20.	राजस्थान	4533.18	4434.88		8968.06	3743.08	2084.45		5827.53
21.	सिक्किम	57.80	201.90		259.7	126.92	90.57		217.49
22.	तमिलनाडु	7786.50	6838.82		14625.32	6981.61	3463.58		10445.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	त्रिपुरा	662.64	1270.06		1932.7	779.58	635.03		1414.61
24.	उत्तर प्रदेश	20988.66	27883.22		48871.88	18884.17	13889.50		32773.67
25.	पश्चिम बंगाल	7719.42	9831.06		17550.48	4525.15	2321.76		6846.91
	कुल राज्य	113166.46	140162.56		253329.02	95221.64	62431.33		157652.97
	संघ राज्य क्षेत्र								
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	73.29	69.58		142.87	41.70	63.00		104.70
2.	दादरा व नगर हवेली	15.29	41.53		56.82	31.13	21.88		53.01
3.	दमन व दीव	28.9	27.43		56.33	28.91	13.72		42.63
4.	लक्षद्वीप	7.22	6.85		14.07	17.78	3.43		21.21
5.	पांडिचेरी	59.87	56.83		116.7	83.52	29.93		113.45
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	184.57	202.22		386.79	203.04	131.96		335.00
	कुल जोड़	113351.03	140364.78		253715.81	95424.68	62563.29		157987.97

*1.4.99 से यह स्कीम बंद है।

अनुबंध-I(छ)

वर्ष 1997–98 से 1998–99 के दौरान मिलियन वेल्स स्कीम के तहत किए गए आबंटन और जारी की गई राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अवधि के दौरान किया गया आबंटन* (लाख रु.)				जारी की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रु.)				कुओं की उपलब्ध (सं.)			
		1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य													
1.	आंध्र प्रदेश	4342.14	3165.49	**	7507.63	4280.93	3163.08	**	7444.01	7952	7110	**	15062
2.	अरुणाचल प्रदेश	44.58	69.60		114.18	28.61	102.99		131.60	19	80		99
3.	असम	1429.41	1808.38		3237.79	1512.78	3772.99		5290.77	993	2954		3947
4.	बिहार	8516.94	10369.79		18886.73	5836.15	7753.78		13589.93	23307	15766		39073
5.	गोवा	48.16	7.30		55.46	13.13	3.65		16.78	16	51		67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	गुजरात	1593.91	1191.55		2785.46	1216.18	1191.54		2407.72	2773	2498		5271
7.	हरियाणा	382.88	701.01		1083.89	225.79	473.00		698.79	483	643		1126
8.	हिमाचल प्रदेश	153.04	295.23		448.27	120.43	203.49		323.92	602	531		1133
9.	जम्मू व कश्मीर	310.99	365.38		676.37	241.18	319.71		560.89	1182	1628		2810
10.	कर्नाटक	2915.55	2390.40		5305.95	2550.56	2390.40		4940.96	3096	2106		5202
11.	केरल	1060.71	1072.56		2133.27	1029.53	1055.09		2084.62	3976	4070		8046
12.	मध्य प्रदेश	5502.11	5256.18		10758.29	4221.40	4401.39		8622.79	15296	17584		32880
13.	महाराष्ट्र	4733.53	4725.23		9458.76	4096.46	4725.23		8821.69	8324	8243		16567
14.	मणिपुर	57.14	121.24		178.38	33.76	118.94		152.70	218	465		683
15.	मेघालय	66.85	135.83		202.68	42.10	274.79		316.89	468	809		1277
16.	मिजोरम	28.16	31.43		59.59	28.19	70.00		98.19	325	865		1190
17.	नागालैंड	71.66	93.16		164.82	71.66	104.36		176.02	608	256		864
18.	उड़ीसा	3522.49	3620.68		7143.17	3581.61	3620.68		7202.29	15798	11124		26922
19.	पंजाब	272.28	340.69		612.97	107.71	0.00		107.71	0	0		0
20.	राजस्थान	2285.93	1815.11		4101.04	1630.98	463.06		2094.04	2128	2838		4966
21.	सिक्किम	26.09	34.80		60.89	26.09	77.50		103.59	89	47		136
22.	तमिलनाडु	3925.23	2798.99		6724.22	3925.23	2798.99		6724.22	3626	5048		8674
23.	त्रिपुरा	74.21	218.89		293.1	74.21	488.16		560.37	801	3870		4671
24.	उत्तर प्रदेश	10581.64	11412.05		21993.69	9669.41	7446.38		17115.79	44	396		440
25.	पश्चिम बंगाल	3891.19	4023.65		7914.84	2170.89	1769.75		3940.64	403	6154		6557
	कुल राज्य	55836.82	56064.62		111901.4	46734.97	46791.95		93526.92	92527	95136		187663
संघ राज्य क्षेत्र													
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	21.11	13.47		34.58	0.00	0.00		0.00	4	6		10
2.	दादरा व नगर हवेली	11.46	13.47		24.93	5.73	13.47		19.20	16	22		38
3.	दमन व दीव	8.76	0.45		7.21	0.00	0.00		0.00	2	0		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	लक्षद्वीप	10.58	0.90		11.48	5.29	0.00		5.29	140	0		140
5.	पांडिचेरी	20.66	17.06		37.72	0.00	0.00		0.00	0	0		0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	70.57	45.35		115.92	11.02	13.47		24.49	162	28		190
	कुल जोड़	55907.39	56109.97		112017.36	46745.99	46805.42		93551.41	92689	95164		187893

*केन्द्र+राज्य आबंटन

**स्कीम 1.4.1999 से बंद है।

अनुबंध-I(ज)

वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत किए गए आबंटन और जारी की गई राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	इस अवधि के दौरान किया गया आबंटन (करोड़ रु. में)				केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु. में)				शामिल जनसंख्या (लाख में)			
		1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राज्य													
1.	आंध्र प्रदेश	79.640	99.914	92.83	272.384	88.068	99.914	125.34	187.982	32.260	27.570	49.60	109.430
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.440	36.230	21.76	72.430	24.760	21.638	19.80	46.398	0.490	0.180	0.83	1.500
3.	असम	24.380	61.200	41.8	127.280	23.765	64.170	20.90	87.935	4.850	8.330	26.27	39.450
4.	बिहार	93.800	117.685	93.8	305.285	0.000	0.000	46.90	0.000	30.330	14.710	2.37	47.410
5.	गोवा	2.270	2.837	3.52	8.627	1.985	0.000	0.000	1.965	0.030	0.230	0.20	0.460
6.	गुजरात	49.870	58.605	64.28	172.755	58.866	69.513	78.44	128.379	10.140	19.890	25.28	55.310
7.	हरियाणा	27.360	21.909	33.34	82.609	32.592	20.250	38.57	52.842	16.940	12.820	28.66	58.420
8.	हिमाचल प्रदेश	15.960	19.671	23.16	58.791	17.090	29.133	31.07	46.223	1.520	1.450	2.95	5.920
9.	जम्मू व कश्मीर	44.310	55.146	64.34	163.796	46.940	46.594	31.90	93.534	0.000	1.700	0.45	2.150
10.	कर्नाटक	73.250	91.774	93.59	258.614	99.377	100.706	114.09	200.083	30.700	21.240	25.3	77.240
11.	केरल	37.240	46.735	43.07	127.045	35.647	46.735	34.46	82.382	4.260	5.780	4.67	14.710
12.	मध्य प्रदेश	88.170	110.631	94.44	293.241	83.457	110.611	123.30	194.068	44.490	36.680	24.13	105.300

.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	महाराष्ट्र	106.020	133.015	136.14	375.175	120.872	163.845	173.02	284.717	33.950	56.860	51.81	142.620
14.	मणिपुर	5.290	13.300	9.07	27.660	9.070	6.667	0.00	15.737	1.320	0.000	0.94	2.260
15.	मेघालय	5.680	14.250	9.74	29.670	7.432	17.090	7.79	24.522	0.550	0.570	1.57	2.690
16.	मिजोरम	4.060	10.180	6.96	21.200	5.836	10.177	6.96	16.013	0.320	1.040	1.73	3.090
17.	नागालैंड	4.220	10.580	7.24	22.040	2.110	7.969	5.79	10.079	0.040	0.600	0.19	0.830
18.	उड़ीसा	41.730	52.365	48.74	142.835	50.384	47.937	48.48	98.321	8.240	6.970	10.39	25.600
19.	पंजाब	13.300	16.686	17.2	47.186	17.140	22.053	23.21	39.193	2.030	1.240	3.12	6.390
20.	राजस्थान	118.630	109.545	172.41	400.585	137.832	119.416	158.54	257.248	7.110	3.710	35.44	46.260
21.	सिक्किम	3.720	4.340	4.6	12.660	4.356	14.011	10.48	18.367	0.090	0.230	0.49	0.810
22.	तमिलनाडु	63.140	79.225	65.35	207.715	58.344	105.275	89.58	163.619	29.590	41.710	66.87	138.170
23.	त्रिपुरा	5.030	12.620	8.62	26.270	7.620	21.289	11.62	28.909	0.950	1.070	0.55	2.570
24.	उत्तर प्रदेश	147.750	185.379	147.75	480.879	151.827	162.971	148.25	314.798	94.110	54.890	33	182.000
25.	पश्चिम बंगाल	57.040	71.696	70.08	198.816	44.115	64.269	56.06	108.384	12.400	20.330	43.06	75.790
	कुल राज्य	1126.300	1435.518	1373.83	3935.648	1129.465	1372.233	1402.53	2501.698	366.710	339.800	439.87	1146.380
संघ राज्य क्षेत्र													
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.125	0.125	0.13	0.380	0.000	0.000	0.00	0.000	0.070	0.020	0.25	0.340
2.	दादरा व नगर हवेली	0.125	0.125	0.13	0.380	0.000	0.000	0.00	0.000	0.040	0.060	0.14	0.240
3.	दमन व दीव	0.050	0.125	0.13	0.305	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	1.23	1.230
4.	दिल्ली	0.125	0.050	0	0.175	0.000	0.000	0.00		0.000	1.240	0	1.240
5.	लक्षद्वीप	0.050	0.125	0.13	0.305	0.000	0.000	0.00	0.000	0.030	0.000	0	0.030
6.	पांडिचेरी	0.125	0.050	0.05	0.225	0.100	0.000	0.00	0.100	0.090	0.150	0.57	0.810
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.600	0.600	0.57	1.770	0.100	0.000	0.00	0.100	0.230	1.470	2.19	3.890
	कुल जोड़	1126.900	1436.118	1374.4	3937.418	1129.565	1372.233	1402.53	2501.798	366.940	341.270	442.06	1150.270

अनुबंध-I(क्ष)

वर्ष 1997–98 से 1998–99 के दौरान गंगा कल्याण योजना के तहत किए गए आबंटन और जारी की गई राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल आबंटन	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में)				विभिन्न परियोजनाएं (संख्या)				परियोजनाओं का समूह (संख्या)			
			1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
राज्य														
1.	आंध्र प्रदेश	929.50	780.62	0.00	*	780.62	0	0	*	0	0	0	*	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	89.41	56.67	0.00		56.67	0	0		0	0	0		0
3.	असम	306.19	426.22	0.00		426.22	0	0		0	0	0		0
4.	बिहार	1807.34	1531.15	0.00		1531.15	0	0		0	0	0		0
5.	गोवा	16.29	12.89	0.00		12.89	0	0		0	0	0		0
6.	गुजरात	341.54	286.59	0.00		286.59	0	0		0	0	0		0
7.	हरियाणा	81.68	68.85	0.00		68.85	22	0		22	0	0		0
8.	हिमाचल प्रदेश	27.18	22.49	0.00		22.49	0	0		0	0	0		0
9.	जम्मू व कश्मीर	102.50	90.82	0.00		90.82	0	0		0	0	0		0
10.	कर्नाटक	623.33	524.11	0.00		524.11	0	0		0	0	0		0
11.	केरल	227.25	190.66	0.00		190.66	0	0		0	0	0		0
12.	मध्य प्रदेश	1177.24	989.16	0.00		989.16	0	0		0	0	0		0
13.	महाराष्ट्र	1012.56	850.96	0.00		850.96	21	0		21	0	0		0
14.	मणिपुर	50.33	40.87	0.00		40.87	4	0		4	0	0		0
15.	मेघालय	53.09	43.41	0.00		43.41	0	0		0	0	0		0
16.	मिजोरम	0.00	18.35	0.00		18.35	194	0		194	0	0		0
17.	नागालैंड	36.79	30.52	0.00		30.52	138	0		138	0	0		0
18.	उड़ीसा	753.95	633.23	0.00		633.23	0	0		0	0	0		0
19.	पंजाब	58.49	48.96	0.00		48.96	135	0		135	0	0		0
20.	राजस्थान	488.61	410.98	0.00		410.99	0	0		0	0	0		0
21.	सिक्किम	6.83	5.09	0.00		5.09	0	0		0	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22.	तमिलनाडु	0.00	257.95	0.00		257.95	0	0		0	0	0		0
23.	त्रिपुरा	87.50	112.98	0.00		112.98	1160	0		1160	0	0		0
24.	उत्तर प्रदेश	2262.06	1846.79	0.00		1846.79	0	0		0	0	0		0
25.	पश्चिम बंगाल	832.88	699.58	0.00		699.58	0	0		0	0	0		0
	कुल राज्य	11352.54	9979.91	0.00		9979.91	1674	0		1674	0	0		0
संघ राज्य क्षेत्र														
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0		0	0	0		0
2.	दादरा व नगर हवेली	0.00	2.73	0.00		2.73	0	0		0	0	0		0
3.	दमन व दीव	0.00	5.09	0.00		5.09	0	0		0	0	0		0
4.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00		0.00	0	0		0	0	0		0
5.	लक्षद्वीप	0.00	1.27	0.00		1.27	0	0		0	0	0		0
6.	पांडिचेरी	0.00	10.55	0.00		10.55	0	0		0	0	0		0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	0.00	19.64	0.00		19.64	0	0		0	0	0		0
	कुल जोड़	11352.54	9999.55	0.00		9999.55	1674	0		1674	0	0		0

*यह स्कीम 1.4.1999 से बंद कर दी गई है।

अनुबंध-I(अ)

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) 1999–2000 के तहत जारी धनराशि का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय धनराशि 1999–2000
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	8372.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	92.14
3.	असम	3606.83
4.	बिहार	11918.05
5.	गोवा	59.78
6.	गुजरात	2903.06
7.	हरियाणा	1784.18
8.	हिमाचल प्रदेश	719.74
9.	जम्मू व कश्मीर	411.69
10.	कर्नाटक	2348.33
11.	केरल	2083.35
12.	मध्य प्रदेश	10857.33
13.	महाराष्ट्र	9284.11
14.	मणिपुर	119.10

1	2	3
15.	मेघालय	131.52
16.	मिजोरम	58.15
17.	नागालैंड	102.09
18.	उड़ीसा	7222.67
19.	पंजाब	664.98
20.	राजस्थान	3566.34
21.	सिक्किम	68.38
22.	तमिलनाडु	7548.46
23.	त्रिपुरा	488.12
24.	उत्तर प्रदेश	14509.84
25.	पश्चिम बंगाल	3952.84
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	29.90
27.	दादरा व नगर हवेली	29.89
28.	दमन व दीव	29.89
29.	लक्षद्वीप	29.89
30.	पांडिचेरी	29.89
	कुल	93023.34

नोट : स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) 1.4.1999 से लागू की गई। इसके साथ ही पूर्व कार्यक्रम–त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.), स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवा प्रशिक्षण (टी.आर.वाई.एस.ई.एम.), ग्रामीण आर्टीशन को उपकरणों की आपूर्ति (एस.आई.टी.आर.ए.), गंगा कल्याण योजना (जी.के.वाई) तथा मिलियन्स वेल्स स्कीम (एम.डब्ल्यू.एस.) का कार्यान्वयन रोक दिया गया है।

अनुबंध-I(ट)

वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के दौरान रोजगार आश्वासन स्कीम के तहत जारी की गई निधियां एवं पूरे किए कार्यों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्तीय प्रगति जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रु.)				वास्तविक प्रगति पूरा किया गया कार्य (सं.)			
		1997–98	1998–99	1999–2000	कुल	1997–98	1998–99	1999–2000	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	16740.00	16740.00	10288.76	43768.76	30557	22030	17716	70303
2.	अरुणाचल प्रदेश	1890.00	2140.00	719.27	4749.27	1688	1653	2841	6182
3.	असम	8592.00	11018.00	4701.11	24311.11	9772	5720	6046	21538
4.	बिहार	18234.00	18596.00	25388.02	62218.02	12030	12826	10228	35084
5.	गोवा	140.00	180.00	55.00	375.00	41	81	58	180
6.	गुजरात	4320.00	4410.00	4301.49	13031.49	2662	2209	3934	8805
7.	हरियाणा	2670.00	1660.00	1981.53	6311.53	2265	1436	2749	6450
8.	हिमाचल प्रदेश	2550.00	2050.00	945.06	5545.06	3604	6708	5537	15849
9.	जम्मू व कश्मीर	4760.00	4760.00	2755.00	12275.00	21550	14136	7171	42857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	कर्नाटक	10800.00	10350.00	6670.05	27620.05	21596	22802	15396	59794
11.	केरल	3989.00	3861.00	3486.12	11336.12	2326	2605	2834	7765
12.	मध्य प्रदेश	21507.85	22033.00	17464.11	61004.96	9266	17729	9302	36297
13.	महाराष्ट्र	11334.51	8167.17	11002.98	30504.66	11661	8306	15591	35558
14.	मणिपुर	810.00	890.00	307.87	2007.87	1563	1105	1465	4133
15.	मेघालय	220.00	610.00	220.74	1050.74	502	854	492	1848
16.	मिजोरम	800.00	800.00	402.16	2002.16	2100	1639	1436	5175
17.	नागालैंड	2100.00	2100.00	276.09	4476.09	298	263	2896	3457
18.	उड़ीसा	14721.58	12752.00	17621.12	45094.70	14052	15830	15424	45306
19.	पंजाब	1840.00	2720.00	813.98	5373.98	61	1236	1119	2416
20.	राजस्थान	9265.00	8935.00	6888.13	25088.13	5595	6168	4028	15791
21.	सिक्किम	220.00	320.00	313.10	853.10	530	760	730	2020
22.	तमिलनाडु	18720.00	18720.00	10597.49	48037.49	17589	22369	5165	45123
23.	त्रिपुरा	1440.00	1440.00	711.46	3591.46	4492	0	1766	6258
24.	उत्तर प्रदेश	31448.06	35153.85	36155.49	102757.20	प्राप्त नहीं	19060	14572	33632
25.	पश्चिम बंगाल	7790.00	8270.00	9483.71	25543.71	8834	8993	7956	25783
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	80.00	40.00	27.36	147.36	5	7	2	14
27.	दादरा व नगर हवेली	30.00	30.00	27.36	87.36	24	0	12	36
28.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.91	0.91	5	0	0	5
29.	लक्षद्वीप	0.00	100.00	1.82	101.82	18	13	16	47
30.	पांडिचेरी	60.00	0.00	34.66	94.66	13	51	58	122
	कुल	196872.00	198845.82	173641.95	569359.77	184699	196589	156540	537828

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, जलसंचय की समस्या देश की गम्भीर समस्याओं में से एक है। हमारा देश ऐसा है, जहां कुछ इलाके सूखे से प्रभावित होते हैं और कुछ इलाकों में ज्यादा पानी रहता है। अगर देश में संतुलन नहीं होगा तो उसके परिणाम बड़े भयावह होंगे। चेरापूंजी में सबसे अधिक 1100 मिलियन मीटर वर्षा होती है, लेकिन कुछ समय बाद चेरापूंजी में पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि सतलुज यमुना सम्पर्क नहर की स्कीम वर्ष 1990 तक एक कार्ययोजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित के रूप में क्रियान्वित थी। इस स्कीम का काम 1990 में रुक गया और तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह इतना महत्वपूर्ण मामला

है और 10 साल इस मामले को न्यायालय में हो गये। मैं जानना चाहूंगा कि इन दस वर्षों से यह मामला न्यायालय में क्यों लटका रहा, इसके लिए भारत सरकार ने क्या सार्थक प्रयास किये हैं?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : यह प्रश्न पूछते समय माननीय सदस्य ने स्वयं ही इस बात का उल्लेख किया है कि यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है। जब तक अदालत इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लेती तब तक इस संबंध में यह कहना कि किस समय तक इसका समाधान किया जा सकता है अथवा इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार ने क्या किया। दस साल से कोर्ट में मामला लंबित है और भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अदालत के मामले में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार क्या कर रही है?

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, हम अदालत के मामले में तेजी लाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। जब तक अदालत निर्णय नहीं दे देती तब तक मेरी तरफ से यह कहा जाना बहुत मुश्किल है कि इसे कब तक हासिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : सरकार ने क्या पैरवी की, मैं यह जानना चाहता हूं? न्यायालय में मामला विचाराधीन है, दस वर्ष हो गए हैं। इस तरह तो 50 वर्ष और लग जाएंगे और सरकार इसी तरह जवाब देती रहेगी। मेरे सवाल का पोजीटिव जवाब दें कि इन वर्षों में सरकार की तरफ से क्या सार्थक प्रयास हुए? इतना गम्भीर सवाल है, इस देश में पानी की विकट समस्या है। कहीं पर सूखा है तो कहीं बाढ़ है। इतने महत्वपूर्ण मामले पर सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप इसका जवाब दिलाएं कि सरकार ने इन दस वर्षों में इस विवाद की समाप्ति के लिए क्या प्रयास किया है और क्या पैरवी की है?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा यहां व्यक्त की गई चिंता का समर्थन करता हूं। वह मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। हमारी तरफ से जो भी सम्भव होगा, हम करेंगे; हम इस मामले में तेजी ला सकते हैं। मैं इससे आगे और कुछ नहीं कह सकता ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : यह कोई जवाब नहीं है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, आप समझ जायेंगे कि चूंकि यह मामला विचाराधीन है तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार अदालत में इस न्यायिक न्याय निर्णयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने अथवा इसमें तेजी लाने के सिवाय क्या कर सकती है। हम अपने स्रोतों से इसमें तेजी ला सकते हैं और इसे आगे बढ़ा सकते हैं ताकि इसका समय पर निपटारा किया जा सके...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : स्टे आर्डर क्या है?

श्री रामजीलाल सुमन : प्रधान मंत्री जी, कुछ शऊर के लोगों को मंत्री बनाएं, जिनको कुछ पता हो।...*(व्यवधान)* इस देश में 29 प्रतिशत जमीन अनुपयोगी है। एक हेक्टेयर जमीन में 50,000 लीटर पानी संचय किया जा सकता है। देश में कितना जल संचय के लिए उपलब्ध है और क्या देश के सभी राज्यों में इसको चिन्हित किया गया है?...*(व्यवधान)* क्या विभिन्न राज्यों में सरकार ने अपनी टीम भेजकर या किसी माध्यम से पता लगाया है कि कितने जल संचय की व्यवस्था हुई है और कितना जल उपलब्ध है?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मामला न्यायालय के विचारा–धीन है...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां तक यमुना–सतलुज नहर का सम्बन्ध है, भारत सरकार इस कार्य को निष्पादित करने के लिए पहले ही 499.10 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, किसी सवाल का सही जवाब नहीं मिल रहा है।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : मुझे अपनी बात कहने दें उसके बाद मैं यह बता सकता हूं कि यह सही है अथवा नहीं।

महोदय, आप सभा की कार्यवाही को चलाने के लिए हैं। जब तक मैं कुछ नहीं कहता तो वे कैसे कह सकते हैं?... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री, अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, उन्होंने पूछा है कि यमुना–सतलुज नहर प्रणाली की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है, मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए, हम कुछ नहीं कर सकते। तथापि, सरकार पहले ही 499.10 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। हरियाणा और पंजाब सरकारों के दृष्टिकोण अलग–अलग हैं। वे इस मामले पर आगे विचार नहीं कर सकते अथवा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। एक सरकार अदालत में चली गई, तो अब यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, हम पहले ही 499.10 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। सरकार के लाभ के लिए परियोजना को पूरा करने हेतु हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं और सरकार वचनबद्ध है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कोई स्थगन आदेश नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे दूसरे भाग का भी उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, माननीय सदस्य को सुनने का धैर्य रखना चाहिए, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि सिंचाई प्रयोजन के लिए जल संचयन के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और देश में सिंचाई की प्रतिशतता किस तरह बढ़ाई जाएगी इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है, यह सर्वविदित तथ्य है कि हमारे देश में हमारी नदियों में 1869 मिलियन क्यूबिक मीटर जल है। इसमें से केवल 619 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपयोग योग्य है। इसके अतिरिक्त आज 432 बी.सी.एम. भूजल का उपयोग किया जा रहा है, राज्यवार ब्यौरे का भी आकलन किया गया है और मुख्य प्रश्न के उत्तर के साथ प्रकाशित किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : महोदय, जल संचयन और जल संसाधन के विषय पर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है। मैं बिहार से आता हूं, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिए गए उत्तर के अनुलग्नक–1(क), पृष्ठ–1 की ओर दिलाना चाहता हूं। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर में दिया गया है, बिहार राज्य को 1997–98, 1998–99, 1999–2000, तीनों वर्षों में जीरो राशि दी गई है। तीनों वर्षों में एक भी पैसा नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से लघु सिंचाई योजना के लिए बिहार राज्य को 1997–98 में शून्य, 1998–99 में 6.22 लाख रुपये और 1999–2000 में शून्य राशि दिखाई गई है। नदी घाटी परियोजना में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राय, आपने अनुपूरक प्रश्न पूछा है और मंत्री का उत्तर न पढ़ें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : महोदय, यह प्रश्न की भूमिका है। हम आपके सामने फीगर्स रखकर बताना चाहते हैं कि बिहार के साथ किस प्रकार से नाइंसाफी होती है। नदी घाटी परियोजना में तीन वर्षों में 250 लाख रुपये एलोकेट किया गया है, लेकिन जारी किया गया है, मात्र 50 लाख। इसी प्रकार बाढ़ प्रोन एरिया में 248 लाख रुपये एलोकेट किया गया है, लेकिन तीन वर्षों में मात्र 48 लाख रुपये दिया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न के क–भाग में मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या यह बात सही है कि बिहार के साथ इस प्रकार से राशि जारी करने और कागज में शून्य दिखाकर नाइंसाफी की जाती है? मेरे प्रश्न का ख–भाग है–बिहार के 24 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए, या बैठ जाइए।

श्री नवल किशोर राय : महोदय, मैं सीतामढ़ी से आता हूं। यह क्षेत्र बागमती, अधवाड़ा समूह, कमला बालान और कोसी नदियों में बाढ़ की वजह से तबाह रहता है। इस दिशा में आपके हस्तक्षेप और हम लोगों के प्रयास से प्रधान मंत्री जी ने नेपाल से वार्ता करके इसका स्थायी समाधान करने की शुरूआत की थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या नेपाल की वार्ता में कमला–बालान में सीसापानी, अधवाडा समूह में रामनगर रमैया, वागमती नदी में तुमघर में, कोसी में सप्तकोसी नदियों पर डैम बनाने से नेपाल ने इंकार कर दिया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि

बाढ़ के स्थायी निदान के लिए सरकार क्या करना चाहती है? बिहार के 24 जिलों में बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ के स्थायी निदान के बारे में मैं मंत्री जी से साफ–साफ जानना चाहता हूं। मंत्री जी का ध्यान हम आपके माध्यम से खींचना चाहते हैं कि उत्तर बिहार में क्या बाढ़ का स्थायी निदान करायेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुपूरक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि उत्तर बिहार के बारे में नेपाल से क्या वार्ता हुई? इस विषय पर बिहार बाढ़ संघर्ष आदि समितियां आन्दोलन पर हैं। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उत्तर बिहार की बाढ़ की समस्या का निदान होगा या नहीं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए हाऊस में कोई नियम नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप केवल बिहार के संबंध में ही उत्तर दे सकते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : हां श्रीमान! यह प्रश्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से संबंधित है। जल संसाधन मंत्रालय में तीन योजनाएं हैं सी.ए.डी. योजना, लघु सिंचाई आंकड़ों को युक्तिसंगत बनाना और विभिन्न राज्यों में भू–जल की खोज। सी.ए.डी. योजना के अंतर्गत पिछले वर्षों से हमने बिहार को 109.18 करोड़ रुपये दिये हैं। बिहार सरकार को पैसा नहीं मिला क्योंकि उन्होंने इसके अनुरूप अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया। सी.ए.डी. योजना में धन उपलब्ध कराने का ढांचा पचास–पचास के अनुपात का है। जब तक राज्य सरकार इसके अनुरूप धन का 50 प्रतिशत हिस्सा नहीं प्रदान करती और केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए पैसे का उपयोग नहीं करती और जब तक वे उपयोग प्रमाण–पत्र नहीं देते तब तक राज्य योजना के अंतर्गत धन प्राप्त करने के पात्र नहीं होते। बिहार के मामले में यही सच्चाई है और इसीलिए उन्हें मुख्य प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित वर्षों के दौरान पैसा नहीं मिला...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इस पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर दो या तीन अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अनादि साहू : उड़ीसा के गजपति जिले में चेलीगढ़ में गजपति जिले और बरहामपुर शहर में जल की आपूर्ति के लिए जल संचयन की एक योजना है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : इसमें बिहार की जनता का क्या दोष है?...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आधे घण्टे की चर्चा के लिए बोल दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। कृपया बैठ जाइए।

श्री अनादि साहू : मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे यह बतायें कि इस कार्य को प्रारम्भ करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाये हैं।

श्री अर्जुन सेठी : माननीय सदस्य ने ऐसा प्रश्न पूछा है जो मुख्य प्रश्न से भिन्न है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका जवाब दे सकता हूं। उन्होंने एक विशेष परियोजना की चर्चा की है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह मुख्य प्रश्न से संबंधित है?

श्री अर्जुन सेठी : नहीं श्रीमान, यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है परन्तु मैं इसका उत्तर दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसका उत्तर न दें।

श्री के. येरननायडू : सूखा एक प्राकृतिक विपदा है। क्या सरकार विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार करेगी यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न जल संसाधनों में वृद्धि करने से संबंधित है।

श्री के. येरननायडू : हम जल संसाधन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने सभा में बताया था कि नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य सरकार की प्राथमिकता सूची में है। मैं उसका ब्यौरा जानना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अन्य सदस्यों के साथ–साथ जो भी मामला श्री येरननायडू ने सभा में उठाया है सरकार का इसका उत्तर देने का विशेष दायित्व है।

श्री अर्जुन सेठी : मैं यह कह सकता हूं कि यह सरकार नदियों को आपस में जोड़ने के पक्ष में है परन्तु यदि राज्य सरकारें केन्द्र को अतिरिक्त जल में हिस्सेदारी नहीं देती हैं और नदी जल की भागीदारी पर आम सहमति नहीं व्यक्त करती हैं तो हमारे लिए इस कार्यक्रम को लागू करना बहुत कठिन होगा। हम ऐसा करने को उत्सुक हैं। परन्तु देश में ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जो अतिरिक्त जल में भागीदारी नहीं करना चाहतीं और इसीलिए यह परियोजना रुक गई थी।

श्री वरकला राधाकृष्णन : हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भी एक विनिर्णय दिया है कि पेय जल उपलब्ध कराना एक मौलिक अधिकार है। पूरे देश में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। स्थिति यह है कि शताब्दी के अंत तक हमें पीने का पानी नहीं मिलेगा। कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एक परियोजना है। वे उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? इसके अतिरिक्त हमारे पास भू–जल भी है। सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख कुएं बनवाने का प्रस्ताव है परन्तु भू–जल उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय का ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात गांवों में एक लाख कुएं बनवाने का एक प्रस्ताव है।

परन्तु भू–जल उपलब्ध नहीं है। इसलिए कमान क्षेत्र योजनाओं तथा ग्रामीण क्षेत्र जल योजना में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी की है कि पेय–जल प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। हम उच्चतम न्यायालय से पूरी तरह सहमत हैं। सरकार लोगों को पेय–जल उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है, इसीलिए इसके बहुत से कार्यक्रम हैं। महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं बहुत सी योजनाओं के बारे में बता सकता हूं; जो शुरू की गई हैं।

जहां तक केन्दीय भू–जल बोर्ड का प्रश्न है; हम यह पता लगाने के लिए कि क्या पानी उपलब्ध है; और यदि उपलब्ध है तो कितनी गहराई में है; और क्या पानी पीने के लिए उपयुक्त है, सम्पूर्ण देश में पानी का पता लगाने के लिए हम परीक्षण नलकूप लगा रहे हैं। हम केरल सहित पूरे देश में पानी की खोज के लिए कुओं की खुदाई कर रहे हैं। जहां तक देश के नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का संबंध है तो हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं। हमने इसके लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस संबंध में अलग कार्यक्रम हैं। मैं माननीय सदस्य को निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि जहां कहीं भी कमियां हैं अथवा पानी मिलने में कठिनाई है हम उन आवासीय स्थानों तथा गांवों को भी पानी उपलब्ध करायेंगे।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, मैं तटवर्ती क्षेत्र से हूं और आम धारणा यह है कि तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा के कारण पीने के पानी की समस्या नहीं होती। परन्तु वास्तविकता यह है कि एक मौसम में हमारे यहां भारी वर्षा होती है परन्तु समुद्र के निकट होने के कारण पीने का पानी नमकीन हो जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में हमारे यहां पीने के पानी की विकट समस्या होती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या उन्होंने इस संबंध में किसी योजना पर विचार किया है। हम पहले ही ऐसी कुछ योजनाएं सफलतापूर्वक चला रहे हैं। परन्तु वे पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण काफी नहीं हैं।

प्राकृतिक जल बेसिनों का पता लगाया जाना चाहिए और गांवों द्वारा स्वयं संचालित वर्षा जल संचयन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए ताकि वर्षा का जल, जो कतिपय मौसमों के दौरान समुद्र में चला जाता है, उसे प्राकृतिक जल बेसिनों में बहाया जा सके। ऐसी योजनाओं ने विश्व के बहुत से भागों में तथा हमारे देश के भी कुछ भागों में सफलतापूर्वक कार्य किया है। परन्तु तटवर्ती क्षेत्रों को कोई धन नहीं मिलता क्योंकि दिल्ली में यह धारणा है कि तटवर्ती क्षेत्रों में भरपूर पानी है इसलिए

उन्हें किसी विशेष योजना की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या इस समस्या पर ध्यान दिया जा सकता है और लघु धाराओं को समुद्र में जाने से रोकने के लिए और मीठे पानी तथा नमकीन पानी के मिलने को रोकने के लिए वर्षा जल संचयन तथा तटबंधों के लिए विशेष आबंटन किया जा सकता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि यदि वे इस बारे में कुछ कर सकते हैं तो कृपया हमें अवश्य बतायें।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, केन्द्र सरकार जल संसाधन मंत्रालय के माध्यम से समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ परस्पर विचार-विमर्श करती है। राज्य सरकारें जिन परियोजनाओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं, उनकी जांच हम निश्चित रूप से करते हैं। हमारे पास इन परियोजनाओं को शुरू करने अथवा कार्यान्वित करने का सुझाव देने वाली प्रायोगिक परियोजनाएं भी हैं।

जहां तक राष्ट्रीय पेयजल नीति का संबंध है, हमने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्षा जल संग्रहण और पनधारा विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों में सफल रहे हैं।

जहां तक खारेपन के प्रवेश का संबंध है, यह सरकार के लिए चिंता का विषय रहा है। समय-समय पर हम राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार और परस्पर विचार विमर्श करते रहे हैं। उनके द्वारा जो भी प्रस्ताव या परियोजनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, हम उनकी जांच करते हैं और उनको स्वीकृति प्रदान करते हैं। कुछ हद तक, हम उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने का भी प्रयास करते हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अनेक्श्चर (1) में महाराष्ट्र के संबंध में जो जानकारी दी है उसमें 1997-98 में 298 लाख रुपये रिलीज किए गए हैं, 1998-99 में वह राशि कम होकर 1719 लाख रुपये हो गयी तथा 1999-2000 में घटाकर केवल 660 लाख रुपये एरिया डैवलेपमेंट प्रोग्राम में रिलीज किए गये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन तीन सालों में जो रुपया रिलीज किया गया है उसके कम होने का, नीचे आने का कारण क्या है?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, जैसा मैंने पहले कहा है कि जब राज्य सरकार 50 प्रतिशत धन उपलब्ध कराती है तो उसकी तुलना में केन्द्र उन्हें धन उपलब्ध कराती है। इस विशेष मामले में, जैसाकि उन्होंने वर्णन किया है कि वर्ष 1997-98 में महाराष्ट्र सरकार ने जरूर पर्याप्त धन उपलब्ध कराया है, इसी वजह से आंकड़े अधिक हैं। उसके बाद, तुल्य अंश अवश्य ही कम है, इसी वजह से आंकड़ों में गिरावट आई है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग

+

***442. श्री रामदास आठवले :**
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों की कुल जनसंख्या में से आधे लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, जैसा कि दिनांक 1 अक्तूबर, 2000 को नई दिल्ली से प्रकाशित 'नवभारत टाइम्स' में 'गरीब राज्यों की दरिद्रता और बढ़ रही है : योजना आयोग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के लागों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने हेतु क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष, और नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान इसके लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) दिनांक 1.10.2000 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित समाचार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों में गरीबी के होने से संबंधित है। योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में क्रमशः अनुसूचित जाति के संबंध में वर्ष 1983-84 में 51.60 प्रतिशत से घटकर 1993-94 में 48.37 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के संबंध में वर्ष 1983-84 में 63.14 प्रतिशत से घटकर 1993-94 में 51.14 प्रतिशत हो गया है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण सरकार के लिए एक प्राथमिकता का मामला रहा है। केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों

की स्थिति में सुधार करने के लिए विशेष पहलकदमियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:–

* अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास पर अधिक बल देने के उद्देश्य से राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से विशेष योजनाएं अर्थात अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है। इस कार्य–नीति के अंतर्गत अनन्य रूप से अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण पर खर्च करने के लिए राज्यों/मंत्रालयों की योजना निधि का निश्चित प्रतिशत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया जा रहा है।

* राज्यों की आदिवासी उपयोजना और विशेष संघटक योजना के एक योगज के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

* अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

* राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रहा है।

* सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक अधिकारिता के लिए तथा शैक्षिक और सामाजिक अधिकारिता के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अनेक विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं।

राज्य सरकारों द्वारा विशेष योजनाओं के अंतर्गत किए गए प्रावधान तथा राज्य सरकारों को प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण–I और विवरण–II में हैं।

वर्तमान वर्ष 2000–2001 के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रावधान विवरण–III पर हैं। वर्ष 2001–2002 के लिए वार्षिक योजना आबंटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। विगत वर्षों में प्रदान की गई राशि का उपयोग प्रमाणपत्र तथा राज्य के अपेक्षित सूचना के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर दिशानिर्देशों के अनुसार इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों के लिए निधियां मंजूर की जाती हैं।

विवरण-I(क)

अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप योजना की प्रवाह के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 टीएसपी	1998-99 टीएसपी	1999-2000 टीएसपी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	191.93	158.09	152.59
2.	असम	132.65	108.66	126.35
3.	बिहार		726.76	1044.53
4.	गुजरात	489.06	666.72	853.08
5.	हिमाचल प्रदेश	90.72	122.67	135.00
6.	जम्मू व कश्मीर	231.12		56.94
7.	कर्नाटक	84.98	76.18	88.25
8.	केरल	19.42	61.17	60.11
9.	मध्य प्रदेश	590.64	634.32	847.27
10.	महाराष्ट्र	550.00	564.00	580.59
11.	मणिपुर	160.77		
12.	उड़ीसा	576.62	643.85	627.88
13.	राजस्थान	390.17	384.55	427.31
14.	सिक्किम	11.56	14.24	25.01
15.	तमिलनाडु		46.24	58.49
16.	त्रिपुरा	125.94	120.51	
17.	उत्तर प्रदेश	32	40.10	42.45
18.	प. बंगाल	102.79	70.92	424.24
19.	अंडमान निकोबार	25.52	41.22	62.50
20.	दमन व दीव	2.73	8.40	2.71
	कुल	3808.62	4499.60	5615.30

विवरण-I(ख)

वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997–98 एससीपी परिव्यय	1998–99 एससीपी परिव्यय	1999–2000 एससीपी परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	339.72	573.46	544.27
2.	असम	88.63	93.50	84.42
3.	बिहार	354.79	627.97	594.36
4.	गुजरात	171.52	199.55	260.82
5.	गोवा	2.19	1.84	2.65
6.	हरियाणा	202.65	365.37	407.47
7.	हिमाचल प्रदेश	124.62	172.81	190.09
8.	जम्मू व कश्मीर	155.40	103.00	12.97
9.	कर्नाटक	385.10	400.50	442.77
10.	केरल	310.23	304.01	301.46
11.	मध्य प्रदेश	307.30	315.79	214.42
12.	महाराष्ट्र	600.00	608.00	640.00
13.	मणिपुर	4.13	22.00	7.04
14.	उड़ीसा	282.04	322.15	347.78
15.	पंजाब	210.00	220.00	242.00
16.	राजस्थान	660.01	688.74	797.41
17.	सिक्किम	4.22	0.36	0.52
18.	तमिलनाडु	752.23	825.53	997.41
19.	त्रिपुरा	40.58	40.88	49.48
20.	उत्तर प्रदेश	1484.00	2159.81	2394.00
21.	प. बंगाल	300.38	235.30	1414.14
22.	चंडीगढ़	10.21	12.87	14.19
23.	दिल्ली	205.01	205.46	245.30
24.	पांडिचेरी	35.47	32.68	53.53
	कुल	7026.92	8531.58	10412.20

विवरण-II(क)

वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98 निर्मुक्त	1998-99 निर्मुक्त	1999-2000 निर्मुक्त
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2680.13	3388.78	4134.94
2.	असम	142.18	596.66	695.31
3.	बिहार	2808.20	3620.07	3471.49
4.	गुजरात	1659.99	371.40	682.27
5.	गोवा	3.83	2.72	5.49
6.	हरियाणा	546.41	741.77	840.36
7.	हिमाचल प्रदेश	256.91	259.56	298.18
8.	जम्मू व कश्मीर	73.87	132.80	183.44
9.	कर्नाटक	1389.35	1820.07	2097.36
10.	केरल	645.94	724.54	813.24
11.	मध्य प्रदेश	1945.24	2237.08	3303.27
12.	'महाराष्ट्र	1922.45	1673.92	2067.30
13.	मणिपुर	6.58	10.62	12.54
14.	उड़ीसा	1925.47	2281.57	1907.72
15.	पंजाब	0	1119.74	1280.29
16.	राजस्थान	2279.81	2575.48	2792.68
17.	सिक्किम	4.44	4.03	22.37

1	2	3	4	5
18.	तमिलनाडु	1756.90	3236.93	4036.92
19.	त्रिपुरा	106.28	108.72	159.14
20.	उत्तर प्रदेश	7646.66	7518.15	9728.65
21.	प. बंगाल	2848.78	3378.39	4962.00
22.	चण्डीगढ़	18.16	22.00	25.00
23.	दिल्ली	135.43	201.71	149.91
24.	पाण्डिचेरी	23.99	73.29	30.13
	कुल	30827.00	36100.00	43700.00

विवरण-II(ख)

वर्ष 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के दौरान जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2581.54	2728.47	2182.94
2.	असम	1460.00	2069.56	2443.50
3.	बिहार	–	–	4779.13
4.	गुजरात	2632.77	3689.70	3139.98
5.	हिमाचल प्रदेश	521.89	689.44	514.05
6.	जम्मू व कश्मीर	521.80	739.22	776.38
7.	कर्नाटक	500.00	686.64	616.13
8.	केरल	196.12	408.17	218.63
9.	मध्य प्रदेश	9207.83	9476.17	9797.15
10.	महाराष्ट्र	3400.89	3532.21	2974.57
11.	मणिपुर	950.00	779.52	608.65
12.	उड़ीसा	5576.27	5911.86	5698.28
13.	राजस्थान	2341.13	3475.72	2915.24
14.	सिक्किम	60.00	60.00	86.28
15.	तमिलनाडु	243.71	295.91	258.27
16.	त्रिपुरा	885.00	977.77	831.57
17.	उत्तर प्रदेश	112.91	57.54	99.85
18.	प. बंगाल	1600.39	2222.10	1759.40
19.	अंडमान व निकोबार	118.00	133.90	255.40
20.	दमन व दीव	50.75	66.10	44.60
	कुल	32961.00	38000.00	40000.00

विवरण-II(ग)

पिछले तीन वर्षों के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	453.50	607.00	613.86
2.	असम	305.00	210.00	420.17
3.	बिहार	641.75	483.50	967.23
4.	गुजरात	625.00	450.00	900.70
5.	हिमाचल प्रदेश	108.00	16.00	31.92
6.	जम्मू व कश्मीर	131.75	63.50	124.12
7.	कर्नाटक	270.00	140.00	280.03
8.	केरल	111.75	123.50	46.92
9.	मध्य प्रदेश	1262.50	2125.00	2250.96
10.	महाराष्ट्र	667.25	534.50	1069.75
11.	मणिपुर	123.00	69.00	92.41
12.	उड़ीसा	657.00	514.00	1027.93
13.	राजस्थान	600.00	700.00	800.29
14.	सिक्किम	103.25	9.75	13.29
15.	तमिलनाडु	121.00	42.00	83.93

1	2	3	4	5
16.	त्रिपुरा	231.25	162.50	124.74
17.	उत्तर प्रदेश	110.50	21.00	42.08
18.	प. बंगाल	339.25	578.50	556.75
19.	अरुणाचल प्रदेश	120.00	60.00	80.45
20.	मेघालय	255.50	166.50	221.88
21.	मिजोरम	124.00	107.50	95.53
22.	नागालैंड	138.75	316.25	155.06
	कुल	7500.00	7500.00	10000.00

विवरण-II(घ)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम दिनांक 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार संघयी मंजूरियां और संवितरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	योजनाओं की सं.	परियोजना लागत	एनएसएफडीसी शेयर	लाभार्थियों की सं.	संवितरित सकल निधियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	131	18485.60	11520.99	96823	10185.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	137.98	100.90	52	102.18
3.	असम	76	2524.16	2047.94	2416	1877.66
4.	बिहार	55	5885.19	4391.35	8065	3096.64
5.	चंडीगढ़	25	625.63	446.11	400	429.67
6.	दादरा और नगर हवेली	14	235.25	194.50	97	165.90
7.	दिल्ली	50	2092.82	1186.60	1463	952.88
8.	गोवा	22	254.80	194.77	105	160.48
9.	गुजरात	103	9080.65	6079.72	10616	6046.36
10.	हरियाणा	30	2664.34	1851.04	1366	1490.57
11.	हिमाचल प्रदेश	81	2351.14	1544.52	927	1552.26
12.	जम्मू व कश्मीर	21	1207.52	855.09	625	750.17
13.	कर्नाटक	207	9301.14	5426.78	21432	5104.93
14.	केरल	112	4263.91	2872.60	5565	2402.68
15.	लक्षद्वीप	18	105.17	84.30	23	80.56
16.	मध्य प्रदेश	126	16690.61	11181.81	20545	10258.89
17.	महाराष्ट्र	170	9987.23	6559.91	9297	5887.22

1	2	3	4	5	6	7
18.	मणिपुर	64	1044.84	726.30	917	576.18
19.	मेघालय	0	0.00	0.00	0	0.00
20.	मिजोरम	120	1314.08	965.04	1917	875.22
21.	नागालैंड	146	1306.35	913.41	1082	913.11
22.	उड़ीसा	77	4171.76	3618.73	2335	2407.01
23.	पांडिचेरी	48	473.29	354.52	275	327.45
24.	पंजाब	24	2970.48	1925.85	1680	2138.78
25.	राजस्थान	55	2873.67	2188.17	2925	1211.03
26.	सिक्किम	33	655.60	551.42	549	474.64
27.	तमिलनाडु	97	6087.67	3337.83	7449	3831.63
28.	त्रिपुरा	64	1845.47	1492.68	1720	1259.81
29.	उत्तर प्रदेश	47	10230.35	6455.94	34822	4546.89
30.	पश्चिम बंगाल	114	5973.55	4457.23	12944	2870.95
	कुल	2178	124778.25	83522.95	248437	71976.53

विवरण-III (क)

अनुसूचित जाति विकास योजनाओं के लिए परिव्यय

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	2000–01 बजट अनुमान
1	2	3
1.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (सीएसएस)	135.00
2.	पीसीआर और अत्याचार (सीएसएस)	30.00
3.	अ.ज. लड़के और लड़कियों के होस्टल (सीएसएस)	22.00
4.	रा. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (सीएसएस)	35.00
5.	अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (सीएसएस)	25.00
6.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (सीएसएस)	22.00
7.	पुस्तक बैंक (सीएसएस)	3.00
8.	सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास (सीएसएस)	75.00
9.	मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति (सीएसएस)	10.00
10.	कोचिंग एवं सम्बद्ध (सीएसएस)	3.00
11.	अनुसूचित जातियों की अखिल भारतीय स्वरूप की अखिल भारतीय सहायक परियोजना (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) (सीएसएस)	0.50
12.	अनु.जा./अ.ज. जाति छात्रों की योग्यता का उन्नयन (सीएसएस)	1.00
13.	गैर सरकारी संगठनों को सहायता	30.00

1	2	3
14.	एससीपी को विशेष केन्द्रीय सहायता (सीएस)	470.00
15.	विशेष शैक्षिक कार्यक्रम (सीएस)	2.00
16.	अम्बेडकर प्रतिष्ठान (सीएस)	1.00
	एससीडी के लिए कुल योग	864.50

विवरण-III(ख)

जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के लिए वार्षिक योजना 2000–2001 हेतु परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	2000–2001
1	2	3
1.	आदिवासी उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	400.00
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	200.00
3.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	13.00
4.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	12.00
5.	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आश्रम स्कूल	15.00
6.	स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान	30.00
7.	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	8.00
8.	ट्राइपेड में निवेश	1.00
9.	ट्राईफेड को मूल्य समर्थन	4.00
10.	राज्य टीडीसीसी को सहायता अनुदान	15.00
11.	न्यून साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	6.00
12.	व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	12.00
13.	ग्रामीण अन्न बैंक	2.00
14.	आदिम जनजाति समूहों का विकास	14.00
15.	अ.ज. जाति के छात्रों के लिए पुस्तक बैंक	1.00
16.	कोचिंग तथा संबद्ध	1.50
17.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	70.00
18.	अ.ज. जाति के छात्रों का कौशल उन्नयन	0.50
19.	अ.ज. जाति वित्त निगम को सहायता अनुदान	2.60
	कुल	810.00

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदया यहां आंकड़े बता रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा दलित और आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए पैसा दिया जाता है। सन 1983–84 में बीपीएल के नीचे 51.60 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के थे जो 1993–94 में 48.37 प्रतिशत रह गये। इसी तरह 1983–84 में अनुसूचित जनजाति के 63.14 प्रतिशत और 1993–94 में 51.14 प्रतिशत लोग बीपीएल थे। इनकी संख्या दिन–प्रतिदिन कम होनी चाहिए थी लेकिन बजट में ठीक ढंग से प्रावधान नहीं किया जाता है। अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या 1950 में 22.50 प्रतिशत थी लेकिन आज अगर हम जनगणना करते हैं तो यह संख्या 27–28 प्रतिशत से ज्यादा है। भारत सरकार की गाइड--लाइन्स भी है।

इस वर्ग को अगर नीचे से ऊपर उठाना है तो स्पेशल कम्पोनैंट प्लान के अन्तर्गत हरेक डिपार्टमैंट के बजट में, जितनी पापुलेशन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, उसके हिसाब से प्रावधान होना चाहिए लेकिन इस तरह से नहीं होता है। हर साल केवल आंकडे दिखाने का काम होता है। हम आंकडे देख कर परेशान हो गये हैं। हम इसमें आपका संरक्षण चाहते हैं। यदि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को सही मायने में ऊपर उठाना है तो ऐसा प्रावधान करना होगा। यदि आप उन्हें ऊपर नहीं उठाएंगे तो यह वर्ग चुनाव के समय आपको नीचे ले जाएगा। इस वर्ग के सहयोग से आप सत्ता में आए हैं चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों। इनकी पापुलेशन बहुत अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप सप्लीमैंट्री क्वश्चन पूछिए।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमैंटरी क्वश्चन का सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि इस वर्ग को ऊपर उठाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं। अभी उनकी स्थिति अच्छी है। अभी उनको यह प्राब्लम नहीं है। राज्य सभा में प्राब्लम है, लेकिन यहां नहीं है। मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस वर्ग के इकोनोमिक डेवलपमैंट के लिए एक स्पेशल पंचवर्षीय योजना बनाने की आवश्यकता है। क्या नई

पंचवर्षीय योजना बनाने के बारे में आपकी सरकार सोच रही है या नहीं? यदि सोच रही है तो आप यह निर्णय कब लेने वाले हैं? मैं इसका रिप्लाई प्रधान मंत्री जी से चाहता हूं।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस समय मेरी स्थिति कुछ अच्छी है। उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। हमने परिगणित जातियों और परिगणित जनजातियों के विकास की कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन वे संख्या के अनुपात से कम हैं। दूसरी कठिनाई उन योजनाओं के कार्यान्वयन की है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि धन का अभाव नहीं है लेकिन जिनके लिए धन रखा जाता है, वह धन उन तक पहुंचता नहीं है। उससे उनको लाभ नहीं मिलता है। हम कार्यान्वयन पर भी जोर दे रहे हैं। अगर इसमें जनता, संसद सदस्यों और विधायकों का सहयोग मिलेगा तो जो योजनाएं बनी हैं, उनका ठीक लाभ जो उनको मिलना चाहिए, मिल सकता है।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टूडैंट्स को जो स्कॉलरशिप दिया जाता है, वह महंगाई के हिसाब से दो साल के बाद बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे इसके बारे में मंत्री महोदय का रिप्लाई चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। हमने छात्रवृत्ति की रकम में बढ़ोत्तरी की है। हम इसे समय-समय पर बढ़ाते रहेंगे क्योंकि यह पूर्ण सत्य है कि जब मैंने कार्यभार संभाला तब यह बहुत ही पुरानी हो चुकी थी और किसी भी व्यक्ति के लिए इतनी छोटी रकम के साथ जीवन यापन करना असंभव था।

पिछले प्रश्न के संबंध में कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या किया जा रहा है तो इस बारे में मेरा कहना है कि इससे संबंधित विभिन्न योजनाएं हैं। 13 मंत्रालयों के पास एस सी ए योजना है। इसके अलावा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना है। इन योजनाओं में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक कोई व्यक्ति इन परियोजनाओं से अवगत नहीं होता उसके लिए इसे कार्यान्वित करना कठिन है। अपने मंत्रालय में, मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं के बारे में हम यह करते हैं कि सर्वप्रथम हमने कागजी कार्य को काफी सरलीकृत किया है। हमने उन्हें इन परियोजनाओं से अवगत कराने हेतु रेडियो और दूरदर्शन का उपयोग करना शुरू किया है। हमने अपने जिला कार्यालयों को गहन रूप से उपयोग करना आरम्भ किया है ताकि फार्म आसानी से प्राप्त हो सकें। हमने पिछले वर्ष सभी संसद सदस्यों को परियोजनाओं संबंधित एक बड़ी पुस्तिका भेजी थी ताकि वे हमें सुझाव दे सकें। हमने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के संसद सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की। उन्होंने हमें 20 सुझाव दिए और इन सुझावों में से कई को कार्यान्वित किया गया है। हम अगले सत्र के आरम्भ में अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक अन्य बैठक का आयोजन कर रहे हैं। हमने अपने निगम के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु एक नई परियोजना आरम्भ की है। वे लघु वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। हम राज्य प्रणालिका अभिकरणों को आरंभ कर रहे हैं और जब भी कोई व्यक्ति किसी नवीन परियोजना के साथ सामने आता है और यदि वह परियोजना कार्यान्वयन के योग्य होती है। हम उसे स्वीकृति दे रहे हैं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, आज के प्रश्न के उत्तर में हम लोग उम्मीद करते थे कि सरकार की तरफ से हमें कोई जवाब मिलेगा, जिससे हम लोगों को बता सकें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए पांच वर्षीय योजना में आदरणीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने स्पेशल कम्पोनैंट प्लान और ट्राइबल सब-प्लान बनाय था, उसका सदुपयोग करके इन लोगों की आर्थिक अवस्था सुधारी जा चुकी है। परन्तु बड़ा दुख होता है जब नवभारत टाइम्स में एक बहुत लंबा लेख छपा और जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस.सी., एस.टी. ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि स्पेशल कम्पोनैंट प्लान और ट्राइबल सब-प्लान का पैसा बहुत सी राज्य सरकारों ने डाइवर्ट करके एस.सी, एस.टी. के लिए इस्तेमाल न करके, अपने दूसरे कामों में इस्तेमाल किया। माननीय प्रधान मंत्री जी ने आज प्रवचन कर दिया, बड़ा अच्छा आशीर्वाद दे दिया। मगर प्रधान मंत्री जी इस प्रवचन से कुछ सुधार होने वाला नहीं है, आपकी बात कोई मानने वाला नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि सातवीं, आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना में कितना रुपया स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और ट्राइबल सब-प्लान में रखा गया था और उसका किस-किस राज्य ने कैसे-कैसे इस्तेमाल किया। किन राज्यों ने इसे डाइवर्ट किया और जिन राज्यों ने इसे डाइवर्ट किया, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, मैं यह सूचना एकत्र करूंगी कि इसे कैसे खर्च किया जा रहा है। उनको दिए गए धन की राशि के संबंध में यदि आप मुझे मात्र एक मिनट दें तो मैं अपने कागजातों में से जवाब ढूंढ़ निकालूंगी।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आप क्वैश्चन देखें तो इसके पार्ट-सी में स्पेसिफिकली पूछा गया है। लेकिन अन-

कोरचुनेटली मंत्री महोदया तैयार होकर नहीं आई हैं। उनके पास कोई सूचना नहीं है। अभी–अभी कहा गया कि आर्टीकल 275 के अंतर्गत भी पैसा दिया जाता है। भारत सरकार की तरफ से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेन्स कारपोरेशन बनाया गया है। मगर आर्टीकल 338 राष्ट्रपति जी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महादेया को जवाब देने दीजिए वह जवाब दे रही हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह देश के करोड़ों देशवासियों से संबंधित है। मैं बिल्कुल रेलेवेन्ट क्वैश्चन पूछ रहा हूं। मैं कोई इररेलेवेन्ट क्वैश्चन नहीं पूछ रहा हूं। कृपया हमें इसका जवाब दिलवाइये कि किन राज्यों ने वह पैसा डाइवर्ट किया। उसका भारत सरकार ने क्या नोटिस लिया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह जी, कृपया यह समझने की कोशिश कीजिए कि यह प्रश्न काल है।

(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, वर्ष 1997–98 में अनुसूचित जनजातियों हेतु जनजातीय उप योजना के लिए 3.80 करोड़ रुपए दिया गया था और आज यह 5.61 करोड़ रुपए है।...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : महोदय, कृपया मेरी सहायता कीजिए। *(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी : आप मुझसे पूछिए कि धन की राशि कितनी थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा कोई राज्य है जिसने इस धन को किसी अन्य प्रयोजन में लगाया है?

श्रीमती मेनका गांधी : हम सतत् रूप से इस पर नजर रख रहे हैं। कोई राज्य खुले रूप से यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसने धन का उपयोग कहीं और किया है।

सरदार बूटा सिंह : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति ने संसद के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। योजना आयोग ने भी अपने उत्तर के एक भाग में यह कहा है। महोदय, वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में कुछ नहीं जानतीं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह उचित नहीं है।

श्रीमती मेनका गांधी : धन को अन्यत्र लगाए जाने के बारे में एक सामान्य प्रतिवेदन है क्योंकि आप देखेंगे कि गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले लोगों का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। अतः स्पष्ट रूप से किसी न किसी रूप में धन का अन्यत्र प्रयोग हो रहा है।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, वह उत्तर टाल रही हैं।

श्रीमती मेनका गांधी : मैं उत्तर टाल नहीं रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उनका उत्तर पूरा करने दें।

श्रीमती मेनका गांधी : तथापि धन को अन्यत्र लगाए जाने से संबंधित विशिष्ट तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। मुझे उन्हें संग्रह कर उन्हें बाद में माननीय सदस्य को भेजने में प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री थावरचन्द गेहलोत जी।

सरदार बूटा सिंह : वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। भारत सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री थावरचन्द गेहलोत को बुलाया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कहा है कि वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। वह इसे बाद में भेजेंगी।

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, प्रत्येक मंत्रालय द्वारा धन के उपयोग के तौर तरीके की सूक्ष्मता से रिकार्ड रखने की अपेक्षा की जाती है। उक्त विवरण उनके पास होना चाहिए। उनके पास इसका कोई ब्यौरा नहीं है कि धन का किस प्रकार उपयोग किया जाता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह माननीय सदस्य को इसकी सूचना भेजने वाली हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महादेय : अब, श्री थावरचन्द गेहलोत जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझने की कोशिश करें कि वह पहले ही जवाब दे चुकी हैं। वह माननीय सदस्य को सूचना देने जा रही हैं।

(व्यवधान) –

श्री माधवराव सिंधिया : सूचना उपलब्ध कराइये।

अध्यक्ष महोदय : वह वही करने जा रही हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री थावरचन्द गेहलोत जी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री कृपलानी जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं। यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीचन्द कृपलानी जी, मंत्री जी को जवाब देना है। यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री शिवरंजन दासमुंशी : मंत्री जी को कहने दें।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही यह कह चुकी हैं।

सरदार बूटा सिंह : उन्होंने जवाब नहीं दिया है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह कृपया बैठ जाइए। आप प्रश्न काल को इस तरह कैसे बाधित कर सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह जी, पहले आप बैठ जाइए। आप अध्यक्षपीठ की बात नहीं सुन रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए प्लीज।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, क्या आप जवाब देने जा रही हैं?

श्रीमती मेनका गांधी : जी हां महोदय, मैं जवाब देना चाहूंगी। धन को अन्यत्र लगाए जाने की किसी विशिष्ट घटना की जानकारी राज्यों द्वारा हमें नहीं दी जा रही है। तथापि, मुझे स्पष्ट करने दीजिए। यदि माननीय सदस्यों के पास विशिष्ट सूचना है तो मुझे अवगत कराएं।

मुझे योजना आयोग का प्रतिवेदन पढ़ने दें क्योंकि माननीय सदस्यों ने कहा है कि योजना आयोग ने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है। मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे इसे सुनें। इसके अनुसार "योजना की ऐतिहासिक प्रक्रिया की ओर मुड़कर देखने पर हम पाते हैं कि अनुसूचित जातियों के विकास पर अनुसूचित जनजातियों से कम ध्यान दिया गया। उदाहरणस्वरूप, 50 के दशक के विशेष बहुद्देश्यीय ब्लाकों और 60 के दशक के जनजातीय विकास ब्लाकों की तरह कोई नए प्रशासनिक ढांचागत समायोजन नहीं किए गये। शायद धारणा यह थी कि अनुसूचित जातियों के लोगों को हिस्सा मिल जाएगा ..." ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को भी उत्तर नहीं देने दे रहे। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैडम, कृपया अपना उत्तर पूरा कर लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना उत्तर पूरा कर लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूड़ी, मंत्री जी को उत्तर देना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को उत्तर देना है। यह क्या है?

(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी : क्या मैं उत्तर दूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह, उन्हें बात पूरी कर लेने दीजिए। यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न काल के दौरान व्यवहार करने का यही सलीका है? कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइए। यह क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, प्लीज।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैडम, कृपया अपनी बात पूरी कर लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आप अपना जवाब पूरा करेंगी या नहीं?

(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी : कृपया मुझे बोलने दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राजीव प्रताप रूडी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैडम, कृपया अपना उत्तर पूरा कीजिए!

(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि अगर माननीय सदस्यों के पास धनराशि के अन्यत्र उपयोग के बारे में कोई विशिष्ट ब्यौरे हों तो मैं मामला की जांच करूंगी।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री थावरचन्द गेहलोत।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरदार बूटा सिंह, यह क्या है? आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको आदिवासी और दलितों की रक्षा करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा गया है,...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : उसका जवाब नहीं आ रहा है।... *(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसका जवाब मिल रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर एक और सवाल पूछना चाहते हैं, जिसके बारे में मंत्री महोदया ने आपसे कहा है कि उसका उत्तर उनके पास तुरन्त अभी नहीं है। उसकी सूचना आपको भिजवा दी जाएगी। वह कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका उत्तर नहीं हो या सरकार उत्तर न देना चाहे।...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार समय ले ले।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वही तो ये कह रही हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में जो जानकारी दी है उससे ऐसा लगता है कि देश के सभी राज्यों की जानकारी उन्होंने अपने उत्तर में नहीं दी है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

संबंधी वे योजना सभी राज्यों में लागू नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना के प्रवाह का ब्यौरा केवल 20 राज्यों का दिया है, तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अधीन पिछले तीन वर्षों के धन का जो विवरण दिया है उसमें सिर्फ 22 राज्यों का विवरण दिया है। इसी प्रकार जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा भी केवल 20 राज्यों का दिया है। यदि ये योजनाएं सभी राज्यों में लागू नहीं हैं, तो उसके क्या कारण हैं और यदि सभी राज्यों में वे योजनाएं लागू हैं, तो क्या जिन राज्यों का उल्लेख मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में नहीं किया है वे उन राज्यों की जानकारी देने की कृपा करें। जो 19 योजनाएं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए संचालित की जा रही हैं उनका पूरा ब्यौरा क्या है तथा "अन्नपूर्णा योजना" जो सारे देश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए हितकारी योजना है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, वे इसकी भी जानकारी देने की कृपा करें?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर सहायता दी जाती है। कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियां नहीं हैं। तथापि, यदि आप चाहें तो मैं अन्य सूचना उपलब्ध करा दूंगी। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें उन राज्यों के नाम चाहिए जिनमें, एस.सी. एवं एस.टी. की पोपुलेशन नहीं है। *[अनुवाद]...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री डी.वी.जी. शंकर राव बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने श्री डी.वी.जी. शंकर राव का नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो वह उनका भाषण समाप्त होने के बाद ही मिल सकता है।

(व्यवधान)

श्री डी. वी. जी. शंकर राव : महोदय, हमारी सरकार देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कितने पद भरे जाने बाकी हैं और इन रिक्तियों को भरने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम है या नहीं है?

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, यह प्रश्न मेरे मंत्रालय की बजाय कार्मिक विभाग से सम्बद्ध है।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े असमंजस में हूं, आप कल पीठासीन थे। कल माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर और माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का आज का उत्तर दुविधापूर्ण है, पता नहीं सही क्या है, इसलिए मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कल माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के आंकड़े बतलाते हुए स्पष्टतया कहा था कि 'एन एस एस ओ' उपभोक्ता आंकड़े पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग से उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पास उपलब्ध है, यह कैसे हो सकता है? एक मंत्री कह रहे हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, दूसरे मंत्री बोल रहे हैं कि यह उपलब्ध है, यह कैसे सम्भव हो सकता है? इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से पूछना चाहूंगा--प्रधानमंत्री महोदय, कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिए --कृपया यह बताइए कि कौन मंत्री सही हैं और क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजना आयोग का आंकड़ा उपलब्ध है या नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका पूरक प्रश्न क्या है?

श्री अमर राय प्रधान : मैं माननीय प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि कौन से मंत्री जी सही हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है, आपका पूरक प्रश्न क्या है?

श्री अमर राय प्रधान : मेरा पूरक प्रश्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत से संबंधित है। मुझे प्रतिशत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कल माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अमर राय प्रधान, यह प्रश्न गरीबी

रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, आपका पूरक प्रश्न क्या है?

श्री अमर राय प्रधान : मेरा पूरक प्रश्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। यहां यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि योजना आयोग के अनुसार पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लिए एन. एस. एस. ओ. का उपभोक्ता व्यय आंकड़ा उपलब्ध नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अमर राय प्रधान, कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछें। आपका पूरक प्रश्न क्या है?

श्री अमर राय प्रधान : मेरा पूरक प्रश्न यह है कि ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि योजना आयोग के पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहां माननीय मंत्री महादेया कह रही हैं कि उनके पास योजना आयोग का आंकड़ा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि कौन–सी बात सही है। क्या योजना आयोग के पास आदिवासियों और अनुसूचित जाति के लोगों का आंकड़ा उपलब्ध है या नहीं? महोदय, यही मेरा प्रश्न है।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपभोक्ता व्यय आंकड़ा तो उपलब्ध है पर आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित नहीं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं और साथ ही मुझसे यह भी कह रहे हैं कि प्रश्न को स्थगित कर दें। देखिए, आप सभा में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न सं. 443 ।

[अनुवाद]

आर्थिक प्रतिबंध

***443. श्री सुशील कुमार शिंदे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के शिखर सम्मेलन में बड़ी शक्तियों ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने के बारे में भारत को कोई आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने लोक सभा और राज्य सभा में दिनांक 1.3.2000, 27.7.2000 और 3.8.2000 के अतारांकित प्रश्नों का उत्तर देखा है। सदस्यों ने आपसे पूछा है कि प्रतिबंध का क्या प्रभाव पड़ेगा और आपने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। मैं नहीं जानता कि कैसे इस प्रश्न का उत्तर यहां नहीं दिया गया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई प्रतिबंध नहीं है अथवा वह विशेष मामला अब समाप्त हो गया है। मैं इसे माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में ला रहा हूं।

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार इसका उत्तर देने में क्यों हिचकिचा रही है। इस वर्ष मार्च और जुलाई के महीने में उन्होंने कहा था कि 200 संगठनों में से 51 संगठनों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। आप प्रतिबंधों को हटाने के बारे में कुछ कहने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि इस पर सरकार कुछ छिपाना चाहती है। मैं इस पर विशेष रूप से स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

दूसरी बात, हम लोगों को खुशी है कि भारत के माननीय प्रधान मंत्री स्वयं संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुए और उस महासभा में उन्हें विश्व के बड़े नेताओं से मिलने और उनके समक्ष भारत की स्थिति को रखने का भरपूर अवसर मिला एक बार जब देश में आर्थिक सुधार शुरू हो गया है तो पुनः प्रतिबंध लगा दिए गए जिससे भारत को नुकसान हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिंदे, और भी सदस्य हैं जो पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : जी हां, महोदय, मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछूंगा। जब आप संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल हुए थे तो आपने क्या प्रयास किये?

श्री जसवंत सिंह : महोदय, प्रश्न की भाषा कहती है कि क्या सहस्राब्दि सम्मेलन के दौरान प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में बड़ी शक्तियों ने भारत को कोई आश्वासन दिया था, इसीलिए इसका उत्तर दिया जाना है। हमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन अभी पर्याप्त समय नहीं है।

महोदय, मई, 1998 के परीक्षण के बाद संयुक्त राष्ट्र अमरीका, जापान, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, डेनमार्क, स्वीटज़रलैंड और आस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा भारत पर प्रतिबंध मैं उन्हें प्रतिबंधित आर्थिक उपाय कहूंगा–लगा दिए गए।

अभी जापान के अतिरिक्त उन देशों ने या तो अपने प्रति–बंधित आर्थिक उपायों के कार्यक्रम को या तो परिवर्तित किया

है या उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। उदाहरणस्वरूप, स्वीडन और नार्वे जैसे कुछ नार्दिक देशों ने अपने कार्यक्रमों को पूरी तरह से बदल दिया है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने अपने कार्यक्रमों में भारी परिवर्तन किया है और वास्तव में नवम्बर महीने में अमरीकी राष्ट्रपति ने प्रतिबंध हटाने का कार्यकारी प्राधिकारी भी दिया है।

माननीय सदस्य का यह सोचना कि हम लोग सभा से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं उचित नहीं है। आप कृपया निश्चिंत रहें कि हम लोग कुछ भी इस सभा से छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। समय की कमी के कारण मैं इसका उत्तर उनकी संतुष्टता की अपेक्षानुसार देने में असमर्थ हूं। यदि माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो उन्हें जानकारी उपलब्ध कराने में मुझे खुशी होगी।

जहां तक प्रधान मंत्री का सहस्राब्दि शिखर वार्ता में भाग लेने का संबंध है तो मैं माननीय सदस्य महोदय को यह सूचित करना चाहूंगा कि 8 सितम्बर, 2000 को माननीय प्रधानमंत्री सहस्राब्दि शिखर वार्ता को संबोधित कर रहे थे तो अन्य पहलुओं के अलावा उन्होंने वैश्वीकरण का लाभ पाने में विकसित और विकासशील देशों के बीच मौजूद असमानता को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया और गरीबी के विरुद्ध नई वैश्विक रणनीति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निवेदन किया। माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त वैश्विक कार्रवाई होनी चाहिए और आतंकवाद को शीघ्र समाप्त करने हेतु इसके विरुद्ध व्यापक सम्मेलन होना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विस्तारित सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत स्वाभाविक रूप से दावेदार है।

शिखर वार्ता के दौरान द्विपक्षीय बैठकों में और वाशिंगटन में भी प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत पर प्रतिबंधित आर्थिक उपाय लगाने के सम्पूर्ण आधार अनुचित और प्रतिउत्पादक दोनों हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे : महोदय, माननीय प्रधानमंत्री और श्री बिल क्लिंटन व्हाइट हाउस में मिले थे। आम लोगों से मिलने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ एक निजी बैठक हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिंदे, समय बहुत कम है, आप सटीक प्रश्न कीजिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री सुशील कुमार शिन्दे : प्रतिबंध हटाने के लिए क्या प्राथमिकताएं तय की गई थीं? मार्च और सितम्बर के बीच कुछ नहीं हुआ। सितम्बर में प्रधानमंत्री द्वारा बिल क्लिंटन से मिलने के बाद से अब तक सरकार ने इस संबंध में क्या किया है? मैं चाहूंगा कि मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि इसके बाद कौन–कौन से विशेष प्रतिबंध हटाए गए हैं।

श्री जसवंत सिंह : माननीय मंत्री ने 51 इकाइयों पर से प्रतिबंधित आर्थिक उपाय, प्रतिबंध हटाने का उल्लेख किया है। वे प्रतिबंध राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा अपने भारत दौरे से पूर्व हटाए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री के अमरीका दौरे के बाद वहां चुनाव का माहौल बन गया। इसके बाद वहां चुनाव का समय आ गया, जो अभी–अभी खत्म हुआ है। जहां तक राष्ट्रपति के कार्यकारी प्राधिकार...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे : व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति क्लिंटन और प्रधानमंत्री वाजपेयी के बीच कोई चर्चा नहीं हुई थी।

श्री जसवंत सिंह : निश्चित रूप से, दोनों देशों के प्रधानों के बीच आमने–सामने की बातचीत हुई थी। सरकार प्रमुखों के बीच आमने–सामने की बैठकों में हुई चर्चा गोपनीय होती है और इसे गोपनीय रहना चाहिए, इस बात को आप स्वीकार करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्ति

***444. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य–वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि उक्त योजना के अंतर्गत आवेदकों को ऋण प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इस योजना के अंतर्गत आसानी से ऋण उपलब्ध कराने हेतु नियमों में संशोधन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुंधरा राजे) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 के लिए जिन व्यक्तियों को ऋण संवितरित किए गए, उनकी संख्या विवरण में है।

(ख) और (ग) वर्ष 1994–95 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के मूल्यांकन अध्ययन से पता चला है कि लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो कि आम किस्म की हैं अर्थात संवितरण में प्रक्रियात्मक कठिनाइयां और अनुचित देरी, बैंकों से कम वित्त मिलना, बैंकों से ऋण फार्म प्राप्त करने में कठिनाइयां इत्यादि।

(घ) और (ङ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नियमों/पैरामीटर्स में संशोधन, एक सतत प्रक्रिया है जो कार्यान्वयन अभिकरणों अर्थात बैंकों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त फीड बैक पर आधारित होती है।

विवरण

निर्धारित लक्ष्य और प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों अर्थात 1997–98, 1998–99, 1999–2000 के लिए

क्र.सं.	राज्य/संघ का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट अनुसार							
		योजना/ लक्ष्य संख्या	बैंकों द्वारा संवितरण संख्या	योजना/ लक्ष्य संख्या	बैंकों द्वारा संवितरण संख्या	योजना/ लक्ष्य संख्या	बैंकों द्वारा संवितरण संख्या	योजना/ लक्ष्य संख्या	बैंकों द्वारा संवितरण संख्या
		1997-98		1998-99		1999-2000		कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	उत्तरी क्षेत्र								
1.	हरियाणा	4200	4925	4150	5736	4150	3854	12500	14515
2.	हिमाचल प्रदेश	2300	2009	2300	1917	2450	1690	7050	5616
3.	जम्मू व कश्मीर	1300	1969	1300	835	1300	747	3900	3551
4.	पंजाब	4500	7934	4500	8068	4250	6749	13250	22751
5.	राजस्थान	8200	9681	8150	10026	8050	7617	24400	27324
6.	चंडीगढ़	600	114	100	75	500	42	1200	231
7.	दिल्ली	4700	755	4700	506	4850	510	14250	1771
	उ.पू. क्षेत्र								
8.	आसाम	6700	7437	6700	5425	6400	2991	19800	15853
9.	मणिपुर	1000	658	1000	393	1000	158	3000	1209
10.	मेघालय	300	377	300	201	300	287	900	865
11.	नागालैंड	250	335	250	39	200	42	700	416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	त्रिपुरा	650	211	650	105	560	162	1860	478
13.	अरुणाचल प्रदेश	150	178	125	166	100	105	375	449
14.	मिजोरम	200	334	200	34	200	31	600	399
15.	सिक्किम	100	58	100	45	100	40	300	143
	पूर्वी क्षेत्र								
16.	बिहार	21500	12139	20500	8205	21800	5392	63800	25736
17.	उड़ीसा	6800	4903	6700	2906	7100	680	20600	8489
18.	प. बंगाल	23000	4017	23000	2615	22800	1982	68800	8614
19.	अंड.–निको.	100	61	100	76	75	94	275	231
	सेन्ट्रल क्षेत्र								
20.	मध्य प्रदेश	15400	22231	15400	19054	15800	11234	46600	52519
21.	उत्तर प्रदेश	25800	31476	25800	34830	26000	29583	77600	95889
	पश्चिमी क्षेत्र								
22.	गुजरात	8400	7110	8300	10607	8300	9620	25000	27337
23.	महाराष्ट्र	21300	30514	21250	26352	21800	20238	64350	77104
24.	दमन–दीव	50	23	25	21	25	16	100	60
25.	गोवा	600	251	600	301	500	380	1700	932
26.	दा.न. हवेली	50	67	25	28	50	25	125	120
	दक्षिणी क्षेत्र								
27.	आन्ध्र प्रदेश	17100	20556	17100	15092	16800	10448	51000	46096
28.	कर्नाटक	11000	14021	10950	12791	11100	8306	33050	35118
29.	केरल	16000	11542	16000	11756	16000	10291	48000	33589
30.	तमिलनाडु	18500	12745	18400	11289	17000	9183	53900	33217
31.	लक्षद्वीप	50	40	50	31	20	19	120	90
32.	पांडिचेरी	500	308	500	319	500	207	1500	834
	नॉट स्पेसीफाइड				6				6
	ऑल इंडिया	221300	208979	219225	189850	220080	142723	660605	541552

खाड़ी देशों को प्रवास

*445. **श्री उत्तम राव पाटील** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों के प्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रतिबंध के कब तक समाप्त कर दिये जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) सरकार ने केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां कर्मकारों के उत्पीड़न, उनकी मजदूरी का भुगतान न होने/विलम्ब से होने आदि की शिकायतें ध्यान में आई हैं, खाड़ी देशों में कहीं भी ठेकागत नियोजन के लिये भारतीय श्रमिकों के जाने पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई है।

(ग) सरकार जब इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि नियुक्ति रोजगार की शर्तों के अनुसार होगी, तो इन पाबंदियों में ढील दे दी जाती है।

मंडल आयोग

*446. **श्री राम टहल चौधरी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने मंडल आयोग की सिफारिशें अभी तक कार्यान्वित नहीं की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार को इस मामले में किस हद तक सफलता मिली है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मंडल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है। तथापि, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप ने मंडल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है क्योंकि ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से जनजातीय बहुल हैं तथा इन्होंने किसी पिछड़ी जाति/समुदाय की पहचान नहीं की है। गोवा तथा मणिपुर राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मंडल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में हैं। त्रिपुरा राज्य सरकार ने अभी तक अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान नहीं किया है क्योंकि इस राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए 51 प्रतिशत आरक्षण पहले ही है।

(ग) और (घ) जी, हां। उच्चतम न्यायालय ने इन्दिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य मामले में, जो "मंडल मामले" के नाम से विख्यात है, भारत सरकार तथा राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनेक निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार ने भी दिनांक 15.11.1993 को भारत सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों में आरक्षण के उद्देश्य से अन्य पिछड़े वर्गों में मलाईदार तबके (क्रीमी लेयर) को शामिल नहीं करने के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किये हैं।

जहां तक केन्द्र सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का संबंध है, केन्द्र सरकार ने 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची को अधिसूचित कर दिया है और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन इन्दिरा साहनी तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कर रही है। तथापि, राज्यों में मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों पर है।

रियायती दरों पर आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराना

*447. **डा. जसवंत सिंह यादव :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गरीब लोगों को आयोडीन युक्त नमक रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नमक आयोग ने इस योजना का प्रारम्भिक आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (घ) सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को रियायती दर पर आयोडीकृत नमक उपलब्ध कराने संबंधी सुझाव पर विचार

किया। इस विचार पर नमक आयुक्त सहित सभी संबंधितों से चर्चा की गई, लेकिन निम्नलिखित कारणों से यह संभव नहीं पाया गया :

1. कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अपनी पूरी आबादी या इसके कुछ भाग को कवर करते हुए आयोडीकृत नमक की आपूर्ति पहले से ही कर रहे हैं।

2. खुले आयोडीकृत नमक के मूल्य और गैर–आयोडीकृत नमक के मूल्य के बीच का अन्तर नगण्य है।

3. आर्थिक सहायता के बगैर ही देश भर में आयोडीकृत नमक की कवरेज पहले ही 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

यह भी महसूस किया गया कि मानव स्वास्थ्य पर आयोडीकृत नमक के लाभकारी प्रभाव के बारे में जानकारी के अभाव के मुख्य कारण कुछ क्षेत्रों में इसका उपभोग लोकप्रिय नहीं था। इसलिए, आयोडीकृत नमक का उपभोग करने के तुलनात्मक लाभ और इसकी अपेक्षाकृत वहनीयता के बारे में विशेषकर ग्रामीण, दूर–दराज एवं आदिवासी क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों में जन–जागरूकता पैदा करने का निर्णय लिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और भारत द्वारा स्वच्छता और पेयजल संबंधी योजना

*448. **श्री धावरचन्द गेहलोत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा हाल ही में जारी एक प्रकाशन में भारत में स्वच्छता की खराब स्थिति और स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता का उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या योजना आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के आंकड़े इस संबंध में एक समान हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने स्वच्छता पेयजल की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाओं और पक्की सड़कों के निर्माण आदि के बारे में कोई योजना संयुक्त रूप से तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गयी मानव विकास रिपोर्ट–2000 दर्शाती है कि 71 प्रतिशत जनसंख्या के पास समुचित स्वच्छता सुविधाएं नहीं हैं जबकि 19 प्रतिशत को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। हम यह समझते हैं कि उपर्युक्त रिपोर्ट में प्रयुक्त आंकड़े यूनीसैफ के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किए गये हैं और यूनीसैफ ने प्राथमिक रूप से सरकार के 1996 के आंकड़ों का उपयोग किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें अन्य स्रोतों से भी पूरा किया गया है। केन्द्र सरकार के आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर आधारित होते हैं और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी किए जाते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, 75 प्रतिशत जनसंख्या के पास समुचित स्वच्छता और 19 प्रतिशत जनसंख्या के पास स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं नहीं हैं। ये आंकड़ों के दोनों सैट मोटे तौर पर मिलते–जुलते हैं।

(घ) और (ङ) संघ सरकार और यूंएनडीपी ने कंट्री कोआपरेशन फ्रेमवर्क–1 (सीसीएफ–1) के अंतर्गत संयुक्त रूप से परियोजनाओं को तैयार किया है। पेयजल, स्वच्छता और चिकित्सा सुविधा संबंधी परियोजनाओं के विवरण संलग्न हैं।

विवरण

पेयजल और स्वच्छता संबंधी सीसीएफ–I परियोजनाओं का विवरण

परियोजना सं.	अवस्थिति	कार्यकारी एजेंसी	कार्यान्वयन एजेंसी
1	2	3	4
आईएनडी–97–411	छत्तीसगढ़	ग्रामीण विकास मंत्रालय	सीईओ जेडपी, रायगढ़
आईएनडी–97–411	गुजरात	ग्रामीण विकास मंत्रालय	बनासकांठा, डीडब्ल्यूसीआरए (डवकरा) महिला सेवा संघ
आईएनडी–97–445	राजस्थान	ग्रामीण विकास मंत्रालय	तरुण भारत संघ
आईएनडी–97–447	उड़ीसा	ग्रामीण विकास मंत्रालय	लोक दृष्टि (एनजीओ)

1	2	3	4
आईएनडी–97–452	राजस्थान	ग्रामीण विकास मंत्रालय	ग्रामीण विकास विज्ञान समिति (एनजीओ)
आईएनडी–97–454	तमिलनाडु	ग्रामीण विकास मंत्रालय	एमएसएसआरएफ
आईएनडी–97–945	नई दिल्ली	शहरी विकास विभाग	एशियाई संगठन और विकास केन्द्र
आईएनडी–97–946	अखिल भारत	वन एवं पर्यावरण मंत्रालय	विश्व बैंक पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रम

स्वास्थ्य संबंधी स्कीमें :

समुदाय के लिए एक यूएनडीपी से सहायताप्राप्त प्रायोगिक स्कीम है, जिसे स्वास्थ्य के तीन क्षेत्रों, अर्थात (1) पंचायत और स्थानीय समुदायों के माध्यम से बहु–क्षेत्रकीय दृष्टिकोण (2) स्कूल स्वास्थ्य, और (3) वित्तपोषण करने वाला समुदाय में शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सहित जिला ब्लॉक और ग्राम पंचायत की क्षमता को बढ़ाना, स्वास्थ्य देखभाल को बहु–क्षेत्रकीय दृष्टिकोण के लिए ग्राम स्वास्थ्य समुदायों को सहायता प्रदान करना, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए समुदायों, स्थानीय निकायों और स्वास्थ्य पद्धतियों के बीच सतत् एवं प्रभावकारी साझेदारी प्रदर्शित करना और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वालों के साथ भागीदारी स्थापित करके उनके स्वास्थ्य देखभाल के बेहतर प्रबंधन के लिए समुदायों को अधिकार देना और इसके द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले व्यय–भार को कम करना।

एच. आई. वी. रोगियों का बीमा

***449. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 2C में कुछ बीमा कम्पनियों के साथ कोई बैठक एच.आई.वी./एड्स संक्रमित व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (ग)

* अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार की अध्यक्षता में 19.4.2000 को एक बैठक हुई जिसमें एच. आई. वी./एड्स से पीड़ित लोगों की बीमा सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

* विभिन्न बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम की पालिसियों में किसी बीमारी के आधार पर किसी आवेदन पर विचार करने पर रोक नहीं है। तथापि, पालिसी प्रदान करते समय चयन इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि क्या प्रस्ताव मानक दरों पर अथवा अतिरिक्त प्रीमियम के साथ स्वीकार किये जाने हैं अथवा अस्वीकार किए जाने हैं जो आवेदकों के परिवार और वैयक्तिक पूर्ववृत्त तथा उनकी चिकित्सा और विशेष चिकित्सा रिपोर्टों से प्रकट होने वाली स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के आधार पर होता है।

* भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधि द्वारा यह भी कहा गया कि पालिसी लागू होने के बाद पालिसी धारक को एच.आई.वी./एड्स सहित किसी भी रोग हो जाने के कारण पालिसी रद्द नहीं की जाती है, बशर्ते कि प्रस्ताव करते समय इस बारे में पूरा–पूरा खुलासा कर दिया गया हो।

* तथापि, मेडी–क्लेम पालिसी के अंतर्गत यह पाया गया कि एच.आई.वी./एड्स को दावों की प्रतिपूर्ति के लिए शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने बीमा विभाग, वित्त मंत्रालय से 28 अप्रैल, 2000 को इस मामले को देखने को कहा है ताकि मेडी–क्लेम पालिसी के अंतर्गत एच.आई.वी. से जुड़ी बीमारियों वाले व्यक्तियों को इन स्कीमों के लाभ प्रदान किये जा सकें।

बाल श्रमिक

***450. श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल श्रमिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने हेतु एक विधेयक लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उन्हें अनिवार्य शिक्षा देने हेतु उपबंध बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) आज की तारीख के अनुसार किन-किन राज्यों को बाल श्रमिकों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करने हेतु मंजूरी दे दी गई है; और

(ज) इन स्कूलों से कितने बाल श्रमिकों के लाभान्वित होने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) देश में बाल श्रम के बारे में प्रामाणिक आंकड़े दसवर्षीय जनगणना के आधार पर तैयार किये जाते हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार, कामकाजी बच्चों की अनुमानित संख्या 13.6 मिलियन थी जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार देश में कामकाजी बच्चों की संख्या 11.28 मिलियन थी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कामकाजी बच्चों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रावधान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की परिधि में पहले से ही है।

(ङ) और (च) सरकार इस संबंध में राज्य सभा में 28 जुलाई, 1997 को एक विधेयक प्रस्तुत करके पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुकी है।

(छ) और (ज) इस समय कार्य से हटाये गए लगभग 2.00 लाख बच्चों के पुनर्वास के लिए 13 श्रम बहुल राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में 93 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं चलायी जा रही हैं। इन बच्चों को राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत विशेष स्कूलों में शैक्षिक सहायता प्रदान की जा रही है।

परमाणु अपशिष्ट का निपटान

***451. श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोखरन परमाणु विस्फोटों के बाद उत्पन्न निम्नस्तरीय रेडियोधर्मी परमाणु अपशिष्ट को राजस्थान के पोखरन में ही छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु अपशिष्ट समूचे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में निम्नस्तरीय रेडियो-धर्मी परमाणु अपशिष्ट के निपटान हेतु कोई आधुनिक तकनीक विकसित की है अथवा दीर्घकालीन योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या निम्नस्तरीय रेडियोधर्मी परमाणु अपशिष्ट के निपटान हेतु किसी अन्य देश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) राजस्थान में पोखरण में किसी भी विकिरणसक्रिय अपशिष्ट-पदार्थ का ढेर नहीं लगाया गया है। वास्तव में, यह सर्वविदित है कि हमारे नाभिकीय परीक्षणों की वजह से पर्यावरण में कोई विकिरणसक्रिय संदूषण नहीं हुआ था और हमारे नाभिकीय परीक्षण पूर्णतः नियंत्रित थे।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भारत पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से विकिरणसक्रिय अपशिष्ट पदार्थों के सबसे सुरक्षित प्रबंधन की पद्धति अपनाता आ रहा है और देश में काम में लाई जा रही प्रौद्योगिकियां 'आधुनिकतम' हैं तथा इनकी तुलना विश्व की श्रेष्ठतम प्रौद्योगिकियों से की जा सकती है।

(च) जी, नहीं।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भू-जल

***452. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अनेक भागों में विशेषकर आंध्र प्रदेश में जल स्तर चिन्ताजनक ढंग से घट रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भू–जल के स्तर की निगरानी करने हेतु राज्यों में विशेषकर आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जल विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) क्या केन्द्रीय भू–जल प्राधिकरण (सी.जी.डब्ल्यू.ए.) ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किये गये दीर्घकालीन प्रेक्षणों से पता चला है कि देश के विभिन्न भागों में भूजल के स्तर में गिरावट आई है। उन राज्यों/जिलों के नाम जहां भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक (1980–99) की गिरवट वाले स्थान हैं, विवरण में दिखाये गये हैं। आन्ध्र प्रदेश राज्य में (1980–99) के दौरान मानसून से पूर्व की अवधि में 0.40 से 2.32 मीटर की गिरावट पाई गई है और मानसून से बाद की अवधि में 0.05 से 4.0 मीटर की गिरावट पाई गई है।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल स्तर की मानीटरी के लिए विभिन्न राज्यों में 14,981 राष्ट्रीय जल–वैज्ञानिक मानीटरी केन्द्रों की स्थापना की है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वास आन्ध्र प्रदेश में स्थापित राष्ट्रीय जल–वैज्ञानिक मानीटरी केन्द्रों की संख्या 1100 है, जबकि राज्य भूजल संगठन ने आन्ध्र प्रदेश में 3611 मानीटरी केन्द्रों की स्थापना की है।

जल–वैज्ञानिक मानीटरी केन्द्रों द्वारा दिए गये जल स्तरों संबंधी आंकड़ों से रिपोर्टें तैयार करने का कार्य केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का नहीं है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन, भूजल प्रबन्धन और विकास के विनियमन और नियन्त्रण के प्रायोजन से किया गया है।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड वर्ष में चार बार राष्ट्रीय जल–वैज्ञानिक मानीटरी केन्द्रों से लिए गये माप के आधार पर जल स्तर सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करता है और वर्ष के अन्त में एक "ईयर बुक" तैयार करता है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, भूजल स्तर में गिरावट के रुख को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपाय किए जाने हैं। भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मई, 2000 से नीरू–मीरू कार्यक्रम के तहत पुनर्भरण उपाय किए हैं। इस कार्यक्रम का पहला चरण पूरा हो गया है। राज्य सरकार भी विभिन्न जल–विभाजक विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत आन्ध्रप्रदेश राज्य में पांच कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें स्वीकृत की है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण ने भूजल की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता के सम्बन्ध में नालगोंडा और महबूबनगर जिलों में जन–जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये हैं।

भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गये अन्य उपायों में शामिल हैं:–

(i) भूजल के प्रबन्धन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन।

(ii) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को माडल बिल परिचालित करना ताकि वे भूजल विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त कानून लागू कर सकें।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण सम्बन्धी मैनुअल परिचालित करना ताकि वे क्षेत्र विशिष्ट कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार कर सकें जिससे भूजल स्तर में गिरावट के रुख को रोका जा सके।

(iv) देश के कुछ "अतिदोहित" और "डार्क" ब्लाकों में भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययनों संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम कार्यान्वित करना।

विवरण

जिन राज्यों/जिलों में भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट (1980–99) वाले स्थान हैं उनके नाम

क्र.सं.	राज्य	जिले
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम, चित्तूर।
2.	बिहार	पूर्वी सिंहभूम, रांची, समस्तीपुर, छपरा, दरभंगा।
3.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र, कैथल, महेन्द्रगढ़, जीन्द।
4.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, बंगलौर, मैसूर, गुलबर्गा।
5.	मध्य प्रदेश	उज्जैन, देवास, शाहजहांपुर, धार, सागर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, गुना, नरसिंहपुर।
6.	महाराष्ट्र	अकोला, नागपुर, जलगांव, उस्मानाबाद, सतारा, औरंगाबाद, सांगली, बुलधाना, अमरावती।

1	2	3
7.	उड़ीसा	कोरपुट, मयूरभंज।
8.	पंजाब	अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, फरीदकोट, फतेहगढ़।
9.	राजस्थान	नागौर, बीकानेर, जयपुर।
10.	तमिलनाडु	सलेम, दक्षिण अर्काट, कोयम्बत्तूर, मदुरै, तंजावूर, पद्दुकोट्टई, कामराजार, थिरूनागनार।
11.	उत्तर प्रदेश	गोंडा, फर्रूखाबाद, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बांदा, नैनीताल।
12.	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया, मिदनापुर।

अन्तर-राज्यीय जल विवाद

***453. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी :**
श्री सदाशिवराव दादोपा मंडलिक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से विभिन्न राज्यों के बीच अन्तर-राज्यीय जल विवाद है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लम्बे समय से लंबित इन विवादों को हल करने हेतु कार्यविधिया तैयार करने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे न्यायाधिकरण की स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) और (ख) रावी और व्यास जल विवाद तथा कावेरी जल विवाद अन्तर्राज्यीय जल-विवाद (आई. एस. डब्ल्यू. डी.) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निर्णय के लिए इन अधिकरणों को क्रमशः अप्रैल 1986 तथा जून, 1990 में भेजे गये थे। रावी और व्यास अधिकरण ने अपनी रिपोर्ट 30.1.1987 का प्रस्तुत की। केन्द्र सरकार के साथ-साथ पक्षकार राज्य राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब ने अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के तहत इस अधिकरण से कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण तथा दिशा-निर्देश मांगे हैं। कावेरी जल विवाद अधिकरण ने तमिलनाडु तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी को कुछ राहत देते हुए 25 जून, 1991 में एक अंतरिम आदेश पारित किया । केन्द्र सरकार ने इस अंतरिम आदेश को आंतरिक तथा विवाद से जुड़े पक्षकार राज्यों पर बाध्यकारी बनाते हुए शासकीय राजपत्र में 10.12.91 को प्रकाशित किया।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

***454. श्री राजो सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है, जिनकी सिंचाई परियोजना में भागीदारी का मुद्दा केन्द्र सरकार के विचारधीन है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को ऐसे प्रस्ताव अनुमोदन हेतु भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं द्वारा कुल कितनी भूमि की सिंचाई किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) से (घ) किसी भी राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। इसलिए, ऐसा कोई भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

पोलियो उन्मूलन

***455. श्री नरेश पुगलिया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व भर से पोलियो उन्मूलन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत द्वारा उक्त समय-सीमा तक उक्त लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से उक्त समय–सीमा बढ़ाने हेतु अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2005 तक पोलियो के उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रमाणन की समय–सीमा निर्धारित की है। यह विश्व के सभी देशों के लिए वर्ष 2005 के 3 वर्ष पूर्व पोलियो की "शून्य घटना" हासिल करने और वर्ष 2005 तक शून्य घटना की स्थिति को बरकरार रखने का लक्ष्य निर्धारित करता है।

(ग) भारत द्वारा इस समय–सीमा के अन्दर लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

सरस्वती नदी का पुनः प्रकट होना

*456. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू–वैज्ञानिक सरस्वती नदी को खोजने के कार्य में लगे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन पेय जल आपूर्ति विभाग ने 47.30 लाख रुपए की लागत से "पश्चिमी राजस्थान में पुरा–जल निकास नेटवर्क के पुनर्निर्माण" नामक एक आर. एण्ड डी. परियोजना वर्ष 1998–99 में स्वीकृत की है। यह तीन वर्षीय परियोजना है। इसका कार्यान्वयन अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एस. ए. सी.), अहमदाबाद, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जयपुर तथा क्षेत्रीय दूर–संवेदी सेवा केन्द्र, मुम्बई के सहयोग से भूमि जल विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बहु–विषयी अध्ययन करके नदी–मार्ग का उचित निर्माण कर, सरस्वती नदी के पुरा–मार्गों में भू–जल के क्षमता–स्थलों का पता लगाना है।

पल्स पोलियो टीकाकरण

*457. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी** :
श्री गंता श्रीनिवास राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी भाग के लोगों, विशेषकर देश के आदिवासी और दूर–दराज के क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए बच्चों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस तरह की रिपोर्ट मिली है कि देश के आदिवासी–बहुल क्षेत्रों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन–सी उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में देश के आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित जनसंख्या के सभी खंडों को कवर किया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत दौरवार कवरेज के दौरों के विवरण इस प्रकार हैं–

दौर	कवर किए गए बच्चे (करोड़ में)
07 दिसम्बर, 1997	12.73
18 जनवरी, 1998	13.41
06 दिसम्बर, 1998	13.36
17 जनवरी, 1999	13.63
24 अक्तूबर, 1999	14.15
21 नवम्बर, 1999	14.23
19 दिसम्बर, 1999	14.7
23 जनवरी, 2000	15.06

(ग) और (घ) जी, नहीं।

निधियों के आबंटन हेतु मानदंड

*458. **श्री उत्तम राव ढिकले** :
श्री जी. पुट्टा स्वामी गौड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख ग्रामीण गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के आबंटन हेतु मानदंड संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति का गठन 31 मार्च, 1999 को किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने वर्ष 1987–88 (लाकड़ावाला–पूर्व) वाले तरीके को अपनाने का अनुरोध किया है ताकि वे राज्य सरकारें जो गरीबों के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चला रही हैं, दंडित न हों; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की सिफारिश इस प्रकार है :

राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन हेतु विभिन्न मानदंडों पर चर्चा की। वर्तमान में प्रयुक्त किए जा रहे मानदंड अर्थात, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई योजना आयोग की पूर्ण बैठक में यथा अनुमोदित 15 प्रतिशत समायोजित अंशों को जारी रखने पर सभी एक मत थे और इस बारे में सहमति थी। यह आबंटन मानदंड एक समायोजन फार्मूले पर आधारित है जिसके अनुसार कार्यबल पद्धति 1993–94 के आधार पर उनकी अपेक्षित हकदारी के 15 प्रतिशत से अधिक के घाटे को विशेषज्ञ दल अनुमानों के अंतर्गत निहित नहीं किया जा सकता। उन राज्यों के लिए जहां घाटा 15 प्रतिशत से कम है, विशेषज्ञ दल अनुमानों को बनाए रखा गया। शेष राज्यों के लिए सुनिश्चित किया गया कि उन्हें 1993–94 के कार्यबल अनुमानों तथा 1993–94 के विशेषज्ञ दल अनुमानों के आधार पर गणित दो अंशों से कम प्राप्त न हो। तथापि, कुछ राज्यों का मत था कि उन राज्यों को, जिन्होंने गरीबी में कमी लाने की दृष्टि से अच्छा कार्य किया है, कुछ प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। यह भी देखा गया कि कुछ राज्यों में कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं एवं घोर निराशाजनक पहलू हैं और इन मुद्दों का भी समाधान करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने उनकी चिंता की सराहना की तथा इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऐसे मुद्दों पर दसवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय विचार किया जा सकता है।

राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की उपर्युक्त सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

(ग) योजना आयोग को तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से 1987–88 की कार्यबल पद्धति की ओर लौटने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) परिणामस्वरूप, प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन हेतु एक मानदंड के निर्धारण के इस मुद्दे को, 19.2.1999 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की पिछली बैठक में रखा गया था। प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आबंटन हेतु मानदंड के निर्धारण के लिए बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में उपाध्यक्ष, योजना आयोग के नेतृत्व में 31.3.1999 को राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की एक समिति का गठन किया गया, जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों दोनों से ही सदस्य थे। राष्ट्रीय विकास परिषद समिति की सिफारिश ऊपर भाग (ख) में दी गई है।

अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा फेलोशिप

***459. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा उच्च शिक्षा के लिए विदेशी फेलोशिप दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विषय में दी गई फेलोशिप का राज्य–वार ब्यौरा क्या है और फेलोशिप प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ग) फेलोशिप प्राप्त करने वालों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं;

(घ) क्या फेलोशिप प्राप्त करने वालों के चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित करने तथा परिणाम घोषित करने में असाधारण विलम्ब होता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण

***460. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार, संघ राज्य क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकारण से देश के लोगों को द्रुत और प्रभावी उपचार सुनिश्चित हो सकेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस सेवा के वाणिज्यिक स्वरूप, उपचार की लागत और प्राइवेट अस्पतालों की अवस्थिति में शहरी और अर्धशहरी के पूर्वाग्रह के मद्देनजर ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश निर्धन लोगों की ऐसी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच नहीं होगी।

नाभिकीय अपशिष्ट

4784. श्री बसुदेव आचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी देश अपने–अपने देशों में नाभिकीय अपशिष्ट को डम्प करने में गोपनीयता बरत रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत भी ऐसी ही गोपनीयता बरत रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस अपशिष्ट को देश में सर्वाधिक सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र में डम्प किया जा रहा है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं, सिविलियन कार्यक्रमों से उत्पन्न विकिरणसक्रिय अपशिष्ट–पदार्थों के निपटान की बात गुप्त नहीं रखी जाती।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सभी विकिरणसक्रिय अपशिष्ट–पदार्थों को उनका परिमाण कम करने के लिए संसाधित किया जाता है और उन्हें अभियांत्रिकृत सुविधाओं में लम्बे समय तक के लिए भंडारित करने हेतु उपयुक्त आधानों में आबद्ध कर दिया जाता है, और बहुत ही निम्न स्तर की विकिरणसक्रियता वाले द्रव तथा गैसीय अपशिष्ट–पदार्थों को उपयुक्त संसाधन तथा तनुकरण के बाद, संबंधित राष्ट्रीय नियामक निकायों द्वारा निर्धारित परिमेय सीमाओं के भीतर उत्सर्जित किए जाने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

कृषि आधारित वानिकी और बागवानी को प्रोत्साहन

4785. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कृषि आधारित वानिकी और बागवानी को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) कृषि आधारित उद्योगों सहित ग्रामोद्योगों के विकास के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई मार्जिन मनी योजना महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 10 लाख रु. तक परियोजना लागत के 25 प्रतिशत पर तथा 10 लाख रु. से 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत मार्जिन मनी प्रदान की जाती है। कमजोर श्रेणियों के लिए 10 लाख रु. तक परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर पर मार्जिन मनी दी जाती है तथा शेष राशि (25 लाख रु. तक) के लिए यह दर 10 प्रतिशत है।

[अनुवाद]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का निजीकरण

4786. श्री सुनील खां : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और मैरिन संस्थान, कलकत्ता का निजीकरण होने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) खड़गपुर अथवा मैरिन इंजीनियरी एवं अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यक्तिगत सामान की सुपुर्दगी

4787. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 में विदेशों में जिन भारतीयों की मृत्यु हुई उनके व्यक्तिगत सामान की सुपुर्दगी के लिए उनके मंत्रालय को कितने आवेदन किए गए;

(ख) मृतक व्यक्तियों और दावेदारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने दावे कुवैत से संबंधित हैं;

(घ) क्या कुवैत में जिन भारतीयों की मृत्यु हुई उनके कतिपय सामान मई, 1995 में उनके मंत्रालय को भेज दिए गये थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उपर्युक्त (घ) में उल्लिखित सामान की सुपुर्दगी उनके दावेदारों को अभी तक नहीं की गई है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस सामान की सुपुर्दगी उनके दावेदारों को कब तक दिए जाने की सम्भावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) विदेश में मृत भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति को सामान्यतः विदेश मंत्रालय के पास नहीं भेजा जाता है किन्तु सीधे निकट संबंधी/विधिक उत्तराधिकारी के पास भेजा जाता है। 1995 में केवल दो ऐसे मामले थे जिनमें मृत व्यक्ति का सामान सीधा विदेश मंत्रालय को भेजा गया था।

(ख) और (ङ)

मृतक का नाम	वैयक्तिक सामान का दावेदार
1. श्री तोतीकोंडा थोथाद्री	श्री जे. कन्नान
2. श्री राजिन्द्रन लक्ष्मण गदाला	श्री नारायण गदाला

(ग) दो।

(घ) जी, हां।

(च) और (छ) स्वर्गीय श्री तोजीकोण्डा थोथाद्री के सामान का मार्ग में गुम होना प्रतीत होता है।

(ज) स्वर्गीय तोतीकोण्डा थोथाद्री के विधिक उत्तराधिकारियों को कुवैत स्थित निर्वासित भारतीय कल्याण निधि से गुमशुदा सामान का अनुमानित उचित मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

सीमा क्षेत्र विकास कोष

4788. श्री रामचन्द्र बैंदा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्यों के लिए सीमा क्षेत्र विकास कोष का गठन किया है जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से लगी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक सीमावर्ती राज्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम उन सत्रह राज्यों के सीमा ब्लॉकों में चालू है जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिनमें वे राज्य नामतः गुजरात, जम्मू व कश्मीर, पंजाब और राजस्थान भी शामिल हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से सटी हुई है।

(ग) प्रत्येक सीमा राज्य के लिए आबंटित राशि को संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम : नौवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य–वार आबंटन

(करोड़ रु.)

राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5
असम	4.12	4.27	7.20	7.20

1	2	3	4	5
गुजरात	8.58	8.88	9.87	9.87
जम्मु एवं कश्मीर	20.88	31.38	33.52	33.52
मेघालय	3.95	4.11	4.52	4.52
मिजोरम	6.73	6.82	8.00	8.00
पंजाब	8.54	8.82	9.70	9.70
राजस्थान	85.63	56.52	37.17	29.17
त्रिपुरा	10.96	11.34	12.47	12.47
पश्चिम बंगाल	30.81	31.86	38.05	38.05
अरुणाचल प्रदेश	4.00	11.00	13.00	13.00
मणिपुर	4.00	4.00	4.00	4.00
नागालैंड	4.00	4.00	4.00	4.00
हिमाचल प्रदेश	–	4.00	4.00	4.00
सिक्किम	–	4.00	5.50	5.50
उत्तर प्रदेश	–	4.00	12.00	12.00
बिहार	–	–	7.00	7.00
कुल	192.00	195.00	210.00	202.00

टिप्पणी : वर्ष 1998-99 में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का विस्तार चीन और भूटान से सटे सीमावर्ती ब्लाकों तक और वर्ष 1999-2000 में नेपाल से सटे सीमावर्ती ब्लॉकों तक किया गया था।

विश्व बैंक सहायता

4789. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण के लिए विश्व बैंक सहायता दिए जाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे को विश्व बैंक के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो नवीनतम स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा विश्व बैंक से ऋण देने के लिए कब तक आग्रह किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) जी हां, अन्य राज्य सरकारों सहित कर्नाटक सरकार ने विश्व बैंक सहायता से एक प्रस्तावित क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी औषध परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहायता हेतु अपना प्रस्ताव भेजा था।

क्षमता निर्माण के समग्र प्रस्ताव को विश्व बैंक के साथ उनके विचारार्थ उठाया जायेगा। अतः कोई समय–सीमा नहीं बताई जा सकती है।

द्विपक्षीय समझौते

4790. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में किन–किन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) इन समझौतों के मुख्य प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) महोदय, सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं

4791. श्री जय प्रकाश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आशुलिपिक, श्रेणी 'ग' की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में से वर्ष–वार कितने अभ्यर्थियों ने हिन्दी को परीक्षा के माध्यम के रूप में चुना है;

(ख) क्या सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) वर्ष, 1997 और 1998 के दौरान यह परीक्षा आयोजित नहीं की गई। ग्रेड 'ग' के आशुलिपिकों की भर्ती, वर्ष 1999 में संयुक्त मैट्रिक स्तर–परीक्षा में शामिल कर दी गई, जिसका अंतिम परिणाम अभी घोषित किया जाना है। कर्मचारी–चयन–आयोग द्वारा की गई पिछली तीन भर्तियों के संबंध में संगत जानकारी निम्नानुसार दर्शाई जा रही है :

	ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों की भर्ती–परीक्षा का वर्ष		
	1994	1995	1996
(i) नियुक्ति हेतु संस्तुत किए गए सफल उम्मीदवारों की कुल संख्या	50	270	158
(ii) चुन लिए गए उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने हिन्दी आशुलिपि का विकल्प दिया।	शून्य (क्योंकि कोई भी रिक्ति सूचित नहीं की गई)	08	03

(ख) से (घ) उपर्युक्त पदों पर भर्ती करने वाले संगठन के रूप में कर्मचारी–चयन–आयोग, उपर्युक्त पदों की रिक्ति सूचित करने वाले मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को उपर्युक्त परीक्षा में सफल रहे उम्मीदवारों के डोज़ियर भेजता है। उपर्युक्त पदों पर हेतु संस्तुत उम्मीदवारों की मांग करने वाला मंत्रालय/विभाग, संगत नियमों/प्रक्रियाओं के अनुसार, डॉक्टरी परीक्षण और चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन आदि जैसी, नियुक्ति से पहले की, औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश करता है/नियुक्ति पत्र भेजता है।

(अनुवाद)

नारियल जटा उत्पादों पर छूट

4792. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष 90 दिनों तक नारियल जटा उत्पादों की बिक्री पर 20 प्रतिशत की छूट की अनुमति देती रही है;

(ख) क्या केरल सरकार का इस योजना के तहत पात्र केन्द्रीय सहायता की प्रतिपूर्ति से संबंधित दावा लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिपूर्ति से संबंधित केरल के लम्बित दावे को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या केरल सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2000–2001 के दौरान नारियल के धागे और नारियल जटा उत्पादों के लिए 90 दिन की छूट योजना को जारी रखने के लिए औपचारिक मंजूरी देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) वर्ष 1999–2000 तक सरकार प्रति वर्ष 90 दिनों की अवधि हेतु कयर उत्पादों की बिक्री पर 20 प्रतिशत की छूट अनुमेय करती थी। योजना आयोग की सिफारिशें स्वीकारते हुए यह निर्णय लिया गया है कि कॅयर यार्न और कॅयर उत्पादों की बिक्री संबंधी मौजूदा छूट स्कीम के स्थान पर वर्ष 2000–2001 से कॅयर सेक्टर में विपणन विकास सहायता स्कीम (एम.डी.ए.) शुरू की जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षय रोग के संबंध में सर्वेक्षण

4793. श्री के. येरननायडू : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोग चिंताजनक अनुपात में बढ़ रहा है;

(ख) क्या इस रोग के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन और केन्द्र सरकार ने हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो नवीनतम सर्वेक्षण कब किया गया और इसके प्रमुख क्या रहे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित किए गए क्षय रोगियों की संख्या पिछले 5 वर्षों के दौरान कमोबेश वही रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) देश में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 1955–58 में क्षयरोग समस्या की व्यापकता पर केवल एक देशव्यापी आधार पर प्रामाणिक सर्वेक्षण किया था।

देश के विभिन्न भागों में क्षयरोग संक्रमण (तीव्र श्वसनीय संक्रमण, ए.आर.आई.) के वार्षिक जोखिम का अनुमान लगाने के लिए जनवरी, 2000 से क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, चेन्नई, महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, वर्धा और नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र के सहयोग से राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान, बंगलौर एक अध्ययन कर रहा है और यह लगभग 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा।

श्रम कानूनों का उल्लंघन

4794. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में विशेषकर हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, कोक इंडिया लिमिटेड और पेप्सी इंडिया लिमिटेड में श्रम कानूनों के गम्भीर उल्लंघन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है कि विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रबंधन विभिन्न श्रम कानूनों का उल्लंघन न करें?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम

4795. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम की स्थापना 1994 में 500 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी से उन अल्पसंख्यकों के लिए स्व–रोजगार संबंधी उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण देने के लिए की गई थी जो गरीबी की रेखा से अत्यधिक नीचे थे यानि उस समय जिनकी वार्षिक आय 22000 रुपये थी;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रति व्यक्ति आय और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के मद्देनजर उक्त निगम की अंश पूजी बढ़ाई गई है;

(ग) इस निगम से कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार हेतु कुल कितना ऋण प्रदान किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम को और प्रभावी और कारगर बनाने के लिए आगे क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की स्थापना सितम्बर, 1994 में 500 करोड़ रुपये की प्राधिकृत शेयर पूंजी से अल्पसंख्यक समुदायों के गरीबी की रेखा से दोगुना नीचे रह रहे व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके लिए केन्द्र सरकार प्रत्येक वर्ष शेयर पूंजी का अंशदान कर रही है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों से भी अंशदान करने के लिए अनुरोध किया जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के पास 212.22 करोड़ रुपये की प्रदत्त शेयर पूंजी है।

(ग) संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की योजनाओं के प्रभाव कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) अल्पसंख्यक समुदायों को सहायता करने के लिए राज्य माध्यम एजेंसियों के अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त पोषण का विस्तार शुरू किया गया है।

(2) अधिकाधिक लाभार्थियों की सहायता के लिए अतिरिक्त माध्यम एजेंसियों की नियुक्ति, नाबार्ड तथा राष्ट्रीय महिला कोष के साथ संबंध।

(3) कार्य निष्पादन की समीक्षा करने तथा नई योजनाओं/कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक।

(4) राज्य माध्यम एजेंसियों को अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करने के लिए संशोधित ऋण नीति लागू करना।

(5) राज्य माध्यम एजेंसियों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना को लागू करना।

विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या और ऋण की राशि

(लाभार्थियों की संख्या और राशि रु. लाख में)

वर्ष	सावधि ऋण योजना के अंतर्गत		सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत*	
	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1997–1998	2341.26	4932	शून्य	शून्य
1998–1999	5938.99	14333	43.08	3281
1999–2000	6077.82	22510	52.41	7359

*माइक्रो वित्त योजना 1998-99 से आरम्भ की गई।

कृषि उत्पाद

4796. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपने कृषि उत्पादों की बिक्री को अन्य राज्यों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया है;

(ख) कतिपय कृषि उत्पादों की खरीद पर एकाधिकार रखने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिनके निर्यात की मात्रा पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

वीजा शुल्क की कम वसूली

4797. श्री रघुनाथ झा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप और सी.आई.एस. देशों से वीजा शुल्क की वसूली में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी हां।

(ख) कुछ मिशनों ने जब वीजा शुल्क को संशोधित किया था, तब जारी निर्देशों के कुछ हिस्सों के पालन करने में असावधानी दिखाई थी जिसके परिणामस्वरूप कुछ यूरोपीय और सी आई एस देशों में वीजा शुल्क की वसूली में कमी आई। इसमें शामिल राशि लगभग 2.5 करोड़ रु. है।

(ग) वीजा शुल्क की वसूली में कमी चूक या निर्देशों के गलत समझने के कारण हुई। यूरोप और सी आई एस के देशों के मिशनों में, जहां इस तरह की घटना अनभिप्रेत चूकों के कारण हुई है अभी हाल में खुले हैं।

(घ) ऐसे दृष्टांतों की पुनरावृत्ति को रोकने के क्रम में, विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों/केन्द्रों को वीजा जारी करने के लिए शुल्क प्राप्त करने और सम्बद्ध सेवाओं से सम्बद्ध सभी अद्यतन निर्देशों वाला एक परिपत्र जारी किया गया है। इन निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में सभी मिशनों और केन्द्रों से पुष्टियां प्राप्त हो गई हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

4798. श्रीमती निवेदिता माने : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न बीमारियों के उत्पन्न होने के मद्देनजर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की कोई समीक्षा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "एड्स" को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शामिल किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा शुरू किए गए/प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) शीर्ष परामर्शी निकाय केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद 8 से 10 अप्रैल, 1999 तक नई दिल्ली में आयोजित छठे सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ एड्स सहित सभी संचारी और गैर-संचारी रोगों पर केन्द्रित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रारूप पर चर्चा की गई। परिषद ने, राज्य स्तर पर जन स्वास्थ्य ढांचे के सुदृढ़ीकरण के कार्यकलापों, चिकित्सा शिक्षा, अन्तरक्षेत्रीय समन्वय तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति और आधुनिक चिकित्सा आदि में तालमेल सहित मानव स्रोत विकास की कार्यनीति की गहरी जांच के सुझाव दिए। तदनुसार, विभिन्न सुझावों को समाहित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति प्रारूप को उपयुक्त तौर पर पुनः तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

प्रशासन के निचले स्तर पर भ्रष्टाचार

4799. श्री राजेश वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य राज्यों की तुलना में प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान की स्थिति क्या है;

(ख) गुजरात और राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए तहसील-स्तर पर क्या प्रबंध किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पटवारी और तहसीलदार ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की ऐसी शुरूआती इकाई हैं जो अनुचित तरीके से निरक्षर ग्रामीण जनता का शोषण कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र-सरकार और राजस्थान-सरकार द्वारा ग्रामीण लोगों को इस शोषण से बचाने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) राजस्थान और गुजरात राज्यों में प्रशासन में भ्रष्टाचार के उन्मूलन से संबंधित मसला, संबंधित राज्य-सरकारों के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत ही आता है। फिर भी, जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, सरकार लोक-सेवाओं के सभी स्तरों पर निष्कलुष प्रशासन मुहैया करवाए जाने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्रालय/विभाग/सरकारी क्षेत्रों के उपक्रम, अपने-अपने संगठनों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के उत्तरदायी हैं। इस बारे में सरकार द्वारा निगरानी, निवारण तथा दण्डात्मक/निवारण कार्रवाई की त्रि-सूत्रीय रणनीति अपनाई जाती है। यह मानते हुए कि निवारक सतर्कता का एक महत्वपूर्ण पहलू, लोक-प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, नागरिक चार्टरों का चलन आरम्भ किए जाने और सुविधा-केन्द्र स्थापित किए जाने जैसे कुछ प्रशासनिक सुधार के उपाय किए जाने आरम्भ किए गए हैं। विधियों, नियमों तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा उनकी समीक्षा का कार्य भी आरम्भ किया गया है। भ्रष्टाचार-निवारण-अधिनियम, 1988 के अनुसार और लोक-सेवाओं को नियंत्रित करने वाली विभिन्न नियमावलियों के सम्यक् समर्थन से की जा रही दण्डात्मक कार्रवाई भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निवारक का कार्य करती है। अनुशासनिक मामलों का शीघ्रता से निबटाया जाना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, संबंधित मंत्रालयों/विभागों का होता है। फिर भी, प्रशासन में कदाचार को रोकने की दृष्टि से, लोक-सेवाओं में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान, एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इस बारे में तैयार की गई नीतियों को, बदलते परिवेश के प्रति अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी तथा सवंदेनशील बनाने की दृष्टि से, समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात अधिकारियों के लिए स्थानान्तरण-नीति

4800. श्री भेरूलाल मीणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों के लिए कोई ऐसा नियम है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों और संस्थाओं में तैनात कर्मचारियों को वहां तैनाती की अवधि के पूरा हो जाने के बाद उन्हें उनके इच्छित स्थानों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के कुछ कार्यालय/संस्थाएं उक्त स्थानान्तरण नियमों का अनुसरण नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं कि उक्त स्थानान्तरण आदेशों का उचित अनुपालन हो?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) इस विभाग ने ऐसा कोई भी अनुदेश जारी नहीं किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात, केन्द्र–सरकार के कर्मचारियों का नियत कार्यकाल पूरा हो जाने पर, उन्हें उनके पसन्दीदा स्थान पर तैनात किया जाएगा। फिर भी, इस आशय के अनुदेश हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी तैनाती के दौरान, अपने कर्त्तव्यों का संतोषप्रद निर्वाह करने वाले, ऐसे कर्मचारियों को, केन्द्रीय कार्यकाल से संबद्ध पदों पर प्रतिनियुक्ति में तरजीह दी जाएगी। सरकार के विभिन्न विभागों ने जन–शक्ति की उपलब्धता, कार्यात्मक आवश्यकताएं, वित्तीय बाध्यकारिताएं, पदों की संवेदनशीलता इत्यादि ध्यान में रखते हुए, विभिन्न सिविल सेवाओं/पदों के संबंध में पद का कार्यकाल और स्टेशन विशेष पर रहने का कार्यकाल विहित करके, अपने–अपने विभाग की विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं।

इन आदेशों को लागू करना और लोक–हित में अथवा अनुकम्पा के आधार पर, किसी स्टेशन विशेष पर रहने का कार्यकाल/पद का कार्यकाल बढ़ाना, अलग–अलग विभागों का सरोकार है। उपर्युक्त मामले में कोई भी शिकायत होने पर, कर्मचारियों को भी, अपनी शिकायत के निवारण की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी को अपना अभिवेदन भेजने का अधिकार है।

[अनुवाद]

वेतनमानों को बढ़ाना

4801. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डॉ. राममनोहर अस्पताल, नई दिल्ली में कार्यरत नान–रेजिडेन्ट नर्सें अपने मौजूदा वेतनमान में वित्तीय बढ़ोत्तरी की मांग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नर्सों और नॉन–रेजिडेंट नर्सों के वेतनमानों में भारी विसंगतियों के कारण उनमें असंतोष व्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो नॉन–रेजिडेंट नर्सों को अस्पतालों की नर्सों के बराबर वेतनमान देने हेतु कब तक सुधारात्मक कदम उठाया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) गत, हाल ही में वित्तीय उन्नयन का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। परिसर में न रहने वाली नर्सों (नॉन–रेजिडेंट) का कॉडर चरणबद्ध किया जा रहा है। पांचवें वेतन आयोग ने अप्रवासी नर्सों के दरों के उन्नयन की सिफारिश नहीं की है। तथापि, उन्हें आश्वस्त पदोन्नति योजना (ए.सी.पी.) के लाभ मिल रहे होंगे। उल्लेखनीय है कि अप्रवासी नर्सों की तैनाती केवल बहिरंग रोगी विभाग में होती है और वे दिन में ड्यूटी करती हैं जबकि स्टाफ–नर्सों की ड्यूटी बारी (शिफ्ट) के आधार पर चौबीसों घंटे होती है और तद्नुसार इन दोनों वर्गों के वेतनमान में अन्तर है।

कृषि ऋण

4802. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कृषि ऋण के संबंध में एक पैनल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पैनल के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इस पैनल ने कृषि ऋण सहकारी और फसल बीमा के क्षेत्र में दसवीं योजना हेतु महत्वपूर्ण रणनीति तैयार करनी है;

(घ) क्या विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (घ) जी, हां। योजना आयोग ने, कृषि क्षेत्रक में ऋण के प्रवाह की समीक्षा करने, सहकारिताओं एवं फसल बीमा की स्थिति के विकास और दसवीं योजना हेतु कार्यनीतियों का सुझाव देने के उद्देश्य से दसवीं योजना के लिए कृषि ऋण, सहकारिता तथा फसल बीमा संबंधी एक कार्यदल का गठन किया है।

(ङ) कार्यदल के विचारार्थ विषय विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

कृषि, सहकारिता और फसल बीमा संबंधी कार्यदल के विचारार्थ विषय

I. कृषि ऋण :

1. दसवीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्रक में ऋण के प्रवाह

की समीक्षा करना, कृषि ऋण के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान तथा कृषि समुदाय की निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण के प्रवाह को तीव्र करने हेतु कार्यनीतिक सुझाव देना।

2. कृषि समुदाय के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के किसानों की ऋण आवश्यकताओं की समीक्षा करना, इन श्रेणियों के किसानों के लिए ऋण के प्रवाह में आने वाली समस्याओं और प्रतिबंधों की पहचान करना तथा कृषि उत्पादन एवं अन्य कृषि कार्यकलापों के लिए उन तक ऋण की सहज उपलब्धता हेतु उपायों को सुझाना।

3. कृषि उत्पादन हेतु अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक ऋण आवश्यकताओं और दसवीं योजना हेतु लक्ष्यों का आकलन करना।

4. कृषि ऋणभार की मात्रा और अतिदेय की स्थिति/प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस) की वित्तीय स्थिति एवं भूमि विकास बैंक की भी समीक्षा करना, सहकारी ऋण सोसाइटियों की वित्तीय स्थिति और कार्य–कुशलता को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करना तथा सहकारी ऋण सोसाइटियों को और अधिक कार्य–कुशल, प्रतियोगी एवं बैंकिंग क्षेत्रक के उदारीकरण के परिणामस्वरूप लागत प्रभावी बनाने के लिए उपाय और संस्थागत रूपरेखा का सुझाव देना।

5. सहकारी क्रेडिट ढांचे पर हुए आर्थिक सुधारों के अल्पकालिक ऊ दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन करना।

6. सहकारी ऋण ढांचों के नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण का अध्ययन करना ताकि कृषि क्षेत्रक के विकास को तीव्र करने के लिए निवेश आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

7. पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि ऋण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना, इस क्षेत्र के किसानों के कृषि ऋण के प्रवाह में आने वाले प्रतिबंधों/अड़चनों की पहचान करना तथा क्षेत्र में कृषि उत्पादन एवं अन्य कृषि कार्यकलापों हेतु बैंक ऋण के अधिकतम प्रवाह को बढ़ाने के लिए ठोस उपाय सुझाना।

8. कृषि एवं सहकारिता विभाग, (ए एंड सी), आरबीआई, नाबार्ड और बैंकिंग विभाग (वित्त मंत्रालय) की चालू स्कीमों के निष्पादन की महत्वपूर्ण रूप से समीक्षा करना तथा वांछित लक्ष्य को पूरा करने के लिए किन्हीं सुधारों/स्कीमों को बंद करने अथवा किन्हीं नई स्कीमों को शुरू किए जाने का सुझाव देना।

II. सहकारिता :

9. सहकारिता आन्दोलन की स्थिति तथा देश के आर्थिक विकास में सामान्य रूप से एवं देश की कृषि अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से इसकी भूमिका की समीक्षा करना और वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहकारिता आन्दोलन की कमियों की पहचान करना।

10. सहकारिताओं की भूमिका और भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप पूरा की जाने वाली चुनौतियों तथा सहकारिताओं की प्रतियोगी कार्यकुशलता से संबंधित मुद्दों, प्रतिबंधों एवं आधुनिकीकरण, विविधीकरण प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, विपणनता एवं निर्यात संवर्धन इत्यादि के संबंध में सहकारिताओं की वाणिज्यिक और आर्थिक व्यवहार्यता सुधारने के लिए सुधारात्मक उपायों का विशेष अध्ययन करना।

11. आत्मविश्वास, निर्यात संवर्धन, क्षेत्रीय असंतुलनों के निराकरण, ग्रामीण गरीबी में कमी, अधिक रोजगार अवसरों का सृजन तथा ग्रामीण समुदाय के कमजोर वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार की ओर सम्यक ध्यान देते हुए सहकारिताओं के विकास हेतु, नीतियां, लक्ष्य, कार्यनीतिक लक्ष्यों, कार्यक्रमों को निर्देशित करते हुए दसवीं योजना के लिए उपयुक्त कार्यक्रम और स्कीमें तैयार करना।

12. सहकारिताओं के विकास में क्षेत्रीय असमानताओं का अध्ययन करना, राज्यों में सहकारिताओं के विकास में बाधक कारकों की पहचान करना और सहकारिता की दृष्टि से अल्पविकसित राज्यों में सहकारिताओं को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों का सुझाव देना।

13. सहकारिताओं में मानव संसाधन विकास हेतु उपाय सुझाना।

14. उपभोक्ता सहकारिताओं की भूमिका और उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करना तथा उनमें सुधार के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना।

III. बीमा :

15. राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (संशोधित व्यापक फसल बीमा स्कीम) की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और स्कीम को और अधिक लागत प्रभावी तथा कृषि समुदाय के लिए लाभदायक बनाने के लिए उपाय सुझाना।

निःशक्तों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में कार्यशाला

4803. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 नवम्बर, 2000 को निःशक्त लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्वकार्यशाला आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला में सरकारी क्षेत्र की कितनी इकाइयों ने हिस्सा लिया;

(ग) निःशक्त लोगों को रोजगार देने के मामले पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की क्या प्रतिक्रिया थी;

(घ) क्या उन्होंने ज्यादा से ज्यादा निःशक्त लोगों को रोजगार देने के संबंध में कोई आश्वासन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो पूरे देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रनों द्वारा ऐसे लोगों को नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिनांक 15 नवम्बर, 2000 को निःशक्त व्यक्तियों को रोजगार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें लगभग 48 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों ने भाग लिया।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिक्रिया काफी उत्साहजनक थी। चर्चा के दौरान आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रकट की गई शंकाओं का निवारण किया गया तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जब कभी भर्ती किया जाए विकलांग व्यक्तियों के लिए पीछे से चली आ रही रिक्तियों सहित पहचान की गई रिक्तियों को भरने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया जिससे कि 3 प्रतिशत कोटे के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

मानव विकास सूचकांक

4804. चौधरी तेजवीर सिंह :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानव संसाधन विकास संबंधित और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में भारत का स्थान विश्व में निम्नतम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का भारत को विश्व स्तर पर लाने के लिए क्या रणनीति अपनाने का विचार है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन. डी.पी.) की मानव विकास रिपोर्ट 2000 में भारत को मध्यम मानव विकास देशों के समूह में रखा गया है जिसका स्थान कुल 174 देशों में 128 के स्तर पर है।

(ग) मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए जिन पैरामीटरों का प्रयोग किया गया है, वे हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता दर, शिक्षा के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तरों के संयुक्त नामांकन अनुपात और अमरीकी डालर की समतुल्यता में विद्युत खरीदने में समायोजित प्रति व्यक्ति आय।

पिछले 50 वर्षों में जीवन प्रत्याशा 37 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष हो गयी है। हमारी जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और कार्मिक में सुधार, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रावधान, परिवार नियोजन सेवाओं का प्रावधन, विशेष रूप से गर्भ–निरोधकों की अपूरित आवश्यकता को पूरा करना, वर्ष 2010 तक शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 पर 30 प्रतिशत से कम करना और मातृत्व मृत्यु दर कम करना, सभी बच्चों का टीकाकरण कराना और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम करना और नियंत्रण रखना शामिल है।

जहां पिछले 50 वर्षों में साक्षरता में काफी अधिक वृद्धि हुई है, वहीं वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार यह अभी भी

52 प्रतिशत से कम थी। एनएसएसओ के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1997 तक साक्षरता में 62 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के साथ निरक्षरता का उन्मूलन करने को प्राथमिकता दी गयी है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां उपलब्धियों में अंतर है, भौतिक आधारिक संरचना में सुधार करने, अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करने और शिक्षण/अधिगम सामग्री का प्रावधान करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों में, सार्वजनिक निवेश में काफी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए केन्द्रीय परिव्यय में वर्ष 1996–97 के 1535 करोड़ रुपये से वर्ष 2000–01 में 3520 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्राथमिक शिक्षा पर केन्द्रीय व्यय 4006 करोड़ रुपये था। नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्राथमिक शिक्षा के लिए केन्द्रीय परिव्यय को बढ़ाकर 16370 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों में भारत ने लगभग 6 प्रतिशत विकास दर को प्राप्त कर लिया है। विकास दर को और अधिक बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं।

रॉकेट प्रौद्योगिकी पर भारत-रूस समझौता

4805. श्री ए. नरेन्द्र :
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस का विचार रॉकेट प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के संबंध में भारत के साथ हुए समझौते के क्रियान्वयन को रोक लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी.एस.एल.वी. के लिए क्रायोजेनिक चरण हेतु प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने के उद्देश्य से 1991 में हस्ताक्षरित करार को 1994 में आपूर्ति ठेके के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इस ठेके के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले सात क्रायोजेनिक चरणों में से, चार चरण भारत में पहले ही प्राप्त हो गए हैं।

(ख) सरकार ने 1994 में, स्वदेशी क्रायोजेनिक ऊपरी चरण का विकास करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।

[अनुवाद]

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं हेतु आबंटन

4806. श्री विजय कुमार सोराके : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के अधीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को चलाने हेतु वार्षिक आबंटन कितना है;

(ख) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने कितने पेटेन्टों को अपने नाम दर्ज कराया है और उनका वाणिज्यिक रूप से दोहन किया गया है तथा इससे कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है;

(ग) क्या उक्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं/अनुसंधान संस्थाएं अपने प्रयासों से उद्योग को लाभ पहुंचा रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन अनुसंधान संस्थानों/प्रयोगशालाओं पर कड़ाई से वित्तीय अनुशासन लागू करने का है जिन्होंने पर्याप्त परिणाम नहीं दिखाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक आबंटन निम्न प्रकार है :

(रुपये लाख में)

शीर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000
गैर–योजना	3759.82	5301.46	6237.47
योजना	3611.67	4999.77	5925.00

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार उन्हें लगभग 25 पेटेंट प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इन पेटेंटों से कोई आर्थिक आय नहीं है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रयोगशाला और अनुसंधान संस्थाएं निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूरत का पासपोर्ट कार्यालय

4807. श्री मानसिंह पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत स्थित पासपोर्ट कार्यालय ने पूर्ण रूप से कार्य करना आरम्भ नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सूरत स्थित पासपोर्ट कार्यालय का कार्य पूर्ण रूप से शुरू करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) सूरत में कोई पासपोर्ट कार्यालय नहीं है। सूरत में एक पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र है जो सुचारु रूप से कार्य कर रहा है।

(ख) विदेश मंत्रालय से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नए पासपोर्ट कार्यालय खोले जाते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ मानदण्डों में व्यवस्था है कि पिछले तीन वर्षों में किसी क्षेत्र विशेष से कम से कम 50,000 पासपोर्ट आवेदन प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं तथा उस क्षेत्र में कितने अन्य कार्यालय हैं। सूरत स्थित पासपोर्ट संग्रहण केन्द्र इस मानदण्ड को पूरा नहीं करता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वस्थाने पदोन्नतियां

4808. श्री टी. गोविन्दन :
श्री सुरेश कुरूप :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा में स्वस्थाने आधार पर 900 अनुभाग अधिकारियों और 200 अवर सचिवों को उच्च पदों पर पदोन्नति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो सहायकों और उच्च श्रेणी लिपिकों, जो उसी पद पर लम्बे समय से कार्य कर रहे हैं, को पदोन्नति न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायकों और उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति-संभावनाओं को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सीधी भर्ती से नियुक्त हुए अनुभाग अधिकारियों और पदोन्नति से नियुक्त हुए अनुभाग अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता के निर्धारण के बारे में, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और उच्चतम न्यायालय में चली लम्बी मुकदमेबाजी के कारण, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिव के स्तर के पदों पर पदोन्नति के पैनल, 1986 के बाद और उपर्युक्त सेवा के अवर सचिवों की उप सचिव के स्तर के पदों पर पदोन्नति के पैनल, 1993 के बाद, तैयार नहीं किए जा सके। इसके परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अनुभाग अधिकारी और अवर सचिव के ग्रेड़ों में विकट गतिरोध उत्पन्न हो गया। उच्चतम न्यायालय के दिनांक मई 09, 1997 के आदेश का अनुसरण करके दिनांक 03.12.1997 को अनुभाग अधिकारियों की सामान्य वरिष्ठता सूची (सी.एस.एल.) जारी कर दी गई। बाद में, उप सचिव और अवर सचिव के पद पर वैयक्तिक/स्वस्थानें आधार पर पदोन्नति के पात्र अवर सचिवों और अनुभाग अधिकारियों को वैयक्तिक/स्वस्थानें आधार पर पदोन्नति (अपग्रेडेशन) देने की दृष्टि से, अवर सचिव-ग्रेड के 256 पद, उप सचिव के ग्रेड में और अनुभाग अधिकारी-ग्रेड के 900 पद, अवर सचिव ग्रेड में अस्थायी रूप से पदोन्नत (अपग्रेड) किए जाने के आदेश, क्रमशः सितम्बर, 1998 और अगस्त, 1999 में जारी कर दिए गए।

फिर भी, सहायकों और उच्च श्रेणी-लिपिकों की क्रमशः अनुभाग अधिकारी/सहायक के उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति की दृष्टि से, प्रवर सूचियां, वार्षिक आधार पर, नियमित रूप से जारी की जा रही थीं/रही हैं। इसी बीच, अगस्त, 1999 में केन्द्रीय सरकार के समूह 'ख', 'ग' और 'घ' कर्मचारियों के संबंध में सुनिश्चित कॅरिअर-प्रोन्नयन की योजना शुरू कर दी गई जो समूह 'ख' सहायकों और समूह 'ग' उच्च श्रेणी लिपिकों पर भी लागू है इस तरह, सहायक और उच्च श्रेणी-लिपिक, अनुभाग अधिकारियों और अवर सचिवों से भिन्न स्थिति में हैं। उन्हें, वर्ष, 1998 और

वर्ष, 1999 में जारी किए गए, उपर्युक्त आदेशों के अनुरूप, वैयक्तिक/स्वस्थाने आधार पर पदोन्नति (अपग्रेडेशन) दिए जाने के उनके मामले में दम नहीं है।

कार्य-संस्कृति में प्रभावोत्पादकता/सुधार

4809. श्री राजैया मल्याला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय उद्योग–परिसंघ (सी.आई.आई.) की सक्रिय भागीदारी से प्रायोगिक आधार पर सरकार में पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणाओं को शुरू करने हेतु कोई कार्यक्रम आयोजित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का कार्य–संस्कृति में प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने और सुधार करने हेतु चरणबद्ध रूप में सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) वर्ष, 1996–97 में केन्द्रीय सरकार और राज्य–सरकार की चुनिंदा प्रशिक्षण–संस्थाओं के संकाय–सदस्यों को समग्र गुणवत्ता–प्रबंधन की प्रणालियों में प्रशिक्षित किए जाने की दृष्टि से एक प्रमुख परियोजना, ब्रिटेन–सरकार के अन्तरराष्ट्रीय विकास–विभाग (डी.एफ.आई.डी.) द्वारा वित्त–पोषित की गई। बाद में, अन्तर्राष्ट्रीय विकास–विभाग (डी. एफ.आई.डी.) द्वारा, वर्ष 1998– 99 से वर्ष, 2000–2001 तक की अवधि में, 30 अधिकारियों/ संकाय–सदस्यों को प्रशिक्षित किए जाने की एक 3 वर्षीय परियोजना वित्त–पोषित की गई। भारतीय उद्योग–संघ (सी.आई.आई.) को इस परियोजना में परामर्शदाता के रूप में सहयोजित किया गया है। उपर्युक्त 3 वर्षीय परियोजना के अन्तर्गत, 22 अधिकारी/संकाय–सदस्य पहले ही प्रशिक्षण ले चुके हैं और इस परियोजना के अंतिम वर्ष अर्थात् 2000–2001 में 8 और अधिकारियों/संकाय–सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।

(ग) चूंकि वर्ष, 2000–2001 के दौरान समाप्त होने वाली वर्तमान परियोजना, प्राथमिकतः प्रशिक्षण–संस्थाओं के लिए अभिप्रेत है, अतः इसे मंत्रालयों/विभागों के संबंध में लागू किए जाने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी, मंत्रालय/विभाग अपनी कार्य–कुशलता बढ़ाने और कामकाज की संस्कृति में बेहतरी लाने की दृष्टि से, गुणवत्ता से जुड़ी पहलकदमी करने को स्वतंत्र हैं।

ई एस आई एस बोर्ड

4810. श्री किरीट सोमैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना बोर्ड ई एस आई एस बोर्ड के विचाराधीन चिकित्सा उपचार हेतु हेपेटाइटिस "बी" के टीके को लगाने के अभियान को शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सदस्यों, श्रमिकों को विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित कर्मचारी राज्य बीमा योजना की वर्तमान प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अस्पतालों के पास हेपेटाइटिस "बी" और एड्स बीमारियों के पीड़ित रोगियों के उपचार हेतु प्रबंध, सुविधाएं उपलब्ध हैं और इनकी भर्ती और उनके उपचार के संबंध में कोई प्रणाली है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) जब कभी अपेक्षित हो और डाक्टरों द्वारा सिफारिश की गयी हो तब कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा के लाभानुभोगियों और उनके बच्चों को हेपेटाइटिस बी के टीके उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। डाक्टरों की सिफारिश पर यह उन व्यक्तियों को भी दिया जा रहा है जिन्हें हेपेटाइटिस बी हो जाने का खतरा अधिक हो। तथापि, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी का प्रतिरक्षण शिशुओं/बच्चों के लिए निर्धारित टीकाकरण की सूची में शामिल नहीं है। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी, एमएमआर, डीटी, मीज़ल्स और टीटी शामिल हैं।

(ङ) जी, हां।

वीजा के लिए अमेरिकी शर्तें

4811. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा अब लागू की जा रही वीजा की शर्तें भारतीयों के लिए पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) बीजा नीति और उसका प्रशासन मेजबान देश का संप्रभु अधिकार और विशेषाधिकार है। सरकार को अमरीका की उस बीजा नीति की जानकारी नहीं है जिसमें विशेषरूप से भारतीय राष्ट्रिकों को निशाना बनाया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल की सिफारिशें

4812. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल की सिफारिशों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्वीकार नहीं की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) सरकार ने कंप्यूटरीकरण के लिये दिसम्बर, 1996 में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था। इस दल ने जुलाई, 1997 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दल की प्रमुख सिफारिशों में मंत्रालयों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक पंचवर्षीय योजना तैयार किया जाना, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी का विस्तार करना, कंप्यूटरों की उपलब्धता में वृद्धि करना, भर्ती योग्यताओं में परिवर्तन करना, कंप्यूटरों का प्रशिक्षण देना, कंप्यूटरीकरण, साइबर कानूनों, सरकारी सेवाओं की सुपुर्दगी एवं कंप्यूटरों की नेटवर्किंग के लिए दिशा-निर्देश जारी करना तथा मानक निर्धारित करना और मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करना आदि शामिल है। इस दल की सिफारिशों पर विभिन्न मंचों में विचार-विमर्श किया गया था और इनमें से अधिकांश पर कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, उक्त उच्च अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयों पर अनुवर्त्ती कार्रवाई करने के लिये अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की अध्यक्षता में उपर्युक्त समिति की एक कार्यकारी समिति गठित की गई है। इन समितियों के निदेश/मार्गदर्शन के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधक के रूप में पदनामित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ई-गवर्नेंस के लिये एक न्यूनतम एजेन्डा तैयार किया गया है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के योजना बजट की 2-3 प्रतिशत राशि हार्डवेयर/साफ्टवेयर की खरीद करने सहित सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन के लिए निर्दिष्ट की गई है।

परमाणु ऊर्जा का उपयोग

4813. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में किन-किन स्थानों पर शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु देश में नए क्षेत्रों का पता लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए अनुप्रयोग, परमाणु विद्युत के अलावा उद्योग, चिकित्सा तथा कृषि के क्षेत्रों में किया जाता रहा है और यह स्थल विशिष्ट नहीं है।

(ख) से (घ) विद्युत उत्पादन के लिए अतिरिक्त परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के अलावा, परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए करने हेतु नए अनुप्रयोगों का पता लगाने के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रयास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

वीजा कानूनों में ढील

4814. डा. अशोक पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस का वीसा कानूनों में ढील देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अफगानिस्तान में सिख और हिन्दू परिवारों का भविष्य

4815. श्री बी. वेंकटेस्वरलु :
श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 18 अक्तूबर, 2000 के 'द एशियन एज' में प्रकाशित समाचार के अनुसार अफगानिस्तान के कांधार शहर में सिख और हिन्दू परिवारों का भविष्य अधर में है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) सरकार को द एशियन एज में 18 अक्तूबर, 2000 को छपे समाचार की जानकारी है। जबकि भारत का अफगानिस्तान में कोई सरकारी प्रतिनिधि मौजूद नहीं है, सरकार को सामान्य रूप से इस बात की जानकारी है कि तालिबान जो दकियानूसी विचार–धाराओं का समर्थन करता है, धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कड़े भेदभाव की नीति का अनुपालन करता है। सरकार ने इन भेदकारी नीतियों की ओर अपने विदेशी वार्ताकारों का ध्यान आकर्षित किया है।

भारतीय डॉक्टरों का उत्पीड़न

4816. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया में चिकित्सा कर रहे भारतीय डॉक्टरों ने तथाकथित उत्पीड़न और नस्लवाद के आधार पर उनसे भेदभाव किये जाने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) क्वींसलैण्ड, आस्ट्रेलिया में प्रैक्टिसरत भारतीय डॉक्टर ने तथाकथित उत्पीड़न तथा नस्लवाद संबंधी कृत्यों का आरोप लगाया है। आस्ट्रेलिया में किसी अन्य भारतीय डॉक्टर ने हमसे कोई शिकायत नहीं कही है।

(ख) ये शिकायतें (1) डॉक्टर के आस्ट्रेलियाई नियोक्ता द्वारा मनःप्रभावी पदार्थ देकर पागलपन के झूठे प्रमाणपत्र बनवाने जैसे अनैतिक कृत्य करने के लिए दबाव डालने के आरोप; (2) किसी अन्य नियोक्ता से अपेक्षित प्रायोजन पत्र होने के बावजूद क्वींसलैण्ड के मैडिकल बोर्ड द्वारा पंजीकरण से इंकार; और (3) आस्ट्रेलियाई उच्चायोग द्वारा आस्ट्रेलिया लौटने के लिए 'ब्रिजिंग वीसा' देने से इंकार के रूप में थीं।

(ग) इससे पूर्व विदेश मंत्रालय ने यह मामला दिल्ली स्थित आस्ट्रेलियाई उच्चायोग के समक्ष उठाया, उन्होंने खेद जताया कि आस्ट्रेलिया के बाहर से ब्रिजिंग वीसा की अनुमति देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। हाल ही में केनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग ने तंग करने की डॉक्टर की शिकायत के संदर्भ में क्वींसलैण्ड स्थित आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों से सम्पर्क किया है।

सीबीआई हेडक्वार्टर्स सिटिंग ऑन टिन्डर बॉक्स

4817. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 नवम्बर, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'सीबीआई हेडक्वार्टर्स सिटिंग ऑन टिन्डर बॉक्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) परिसर में जमा विस्फोटकों को हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) यह रिपोर्ट किया गया कि 14.10..2000 को 15 विस्फोटकों (डिटोनेटरों) और 6 समयमापक यंत्रों (टाइमर) के अलावा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जब्त, लगभग 30 किलोग्राम आर.डी.एक्स., उपर्युक्त ब्यूरो के नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय के मालखाने में रखा गया था और उपर्युक्त ब्यूरो के पास उपर्युक्त आर.डी.एक्स. संभालने–उसका रख–रखाव करने की न तो विशेषज्ञता है और न ही इस दृष्टि से अपेक्षित सुविधाएं।

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्य सामान के साथ, जब्त किया गया आर.डी.एक्स., मामले की संपत्ति के रूप में, उपर्युक्त मालखाने में पूर्णतः सुरक्षित हालत में रखा गया। फिर भी, न्यायालय की अनुमति से, उपर्युक्त आर.डी.एक्स., 05.12.2000 को राष्ट्रीय सुरक्षा–गार्ड (एन.एस.जी.) मुख्यालय, मानेसर में सुरक्षित रखे जाने हेतु जमा करवा दिया गया है।

नेरादी बैराज

4818. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बौसाधरा नदी पर नेरादी बैराज बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चलने वाली इस परियोजना से होने वाले लाभों का समुचित मूल्याकंन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो दोनों ही राज्यों में कुल कितने भूमि क्षेत्र के जलप्लावन होने की संभावना है और इससे कुल कितने ग्राम/शहरी क्षेत्र तथा आबादी प्रभावित होगी;

(घ) इस बैराज के बन जाने के बाद, दोनों राज्यों में राज्यवार कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई–सुविधा का लाभ प्राप्त होगा;

(ङ) क्या उड़ीसा में कुछ लोग लम्बे समय से इस मामले को रोक कर आंदोलन कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1983 के दौरान वम्सधारा चरण–II की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की है। इस परियोजना प्रस्ताव में आन्ध्र प्रदेश में 59986 हेक्टेयर क्षेत्र को स्थायीकरण प्रदान करने के अलावा 43415 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए वम्सधारा नदी पर नेरादी बैराज के निर्माण की योजना है। इस परियोजना प्रस्ताव में उड़ीसा राज्य में सिंचाई की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, उड़ीसा की भावी मांग को पूरा करने के लिए एक मुख्य कपाट का प्रावधान किया गया है। नेरादी बैराज से उड़ीसा में 106 एकड़ भूमि जलमग्न होगी। तथापि, कोई भी गाँव प्रभावित नहीं हुआ है।

(ङ) जी, हां।

(च) इस परियोजना की स्वीकृति आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय मुद्दों के समाधान पर निर्भर करती है।

भारत-रूसी परिसंघ संबंध

4819. श्री जी. जे. जावीया : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रूसी परिसंघ के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं योजनावधि के दौरान द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए जो नवीन नीतिगत तथा प्रशासकीय कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का प्रस्ताव है, उसका ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) अक्तूबर, 2000 में रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमिर पुतिन की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच चर्चाओं में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों की समीक्षा की गयी। पाया गया कि हमारे व्यापार और आर्थिक सहयोग का स्तर इनकी क्षमताओं के अनुरूप नहीं है। नेताओं ने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग (आई आर आई जी सी) से संबद्ध भारत–रूस अन्तर–सरकारी आयोग को निर्देश दिया कि यह द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और विविध बनाने के लिए नये दृष्टिकोण और विचारों का सुझाव दे। जनवरी, 2001 में आयोजित होने वाली आई आर आई जी सी के सातवें सत्र में भारत और रूसी परिसंघ के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के संपूर्ण ढाँचे पर व्यापक विचार किया जाएगा।

वी.एच.पी. को परामर्शदाता का दर्जा

4820. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

ट्रैवल फैडरेशन आफ इंडिया (टी.ए.एफ.आई) के सदस्य हैं और इन्टरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन (आई.ए.टी.ए.) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा, वे सभी एजेन्ट जो जुलाई, 1992 से पहले इस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जब मान्यता की व्यवस्था में छूट थी, पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।

नर्मदा बचाओ आन्दोलन

4823. श्री दिलीप संघाणी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्रीमती जयश्री बैनर्जी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण के संबंध में उच्चतम न्यायालय के फैसले का तुरन्त अनुपालन करने के लिए "नर्मदा बचाओ आन्दोलन" के नेतृत्वकर्ताओं के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस आशय की रिपोर्ट से अवगत है, जिनमें इस आंदोलनकारी संगठन को कुछ देशों और भारतीय नागरिकों द्वारा कथित रूप से सहायता दिए जाने की बात की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई प्रस्तावित कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18.10.2000 के अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया है कि बांध का निर्माण नर्मदा जल विवाद अधिकरण के निर्णय के अनुसार जारी रहेगा और बांध का निर्माण तत्काल 90 मीटर तक करने की अनुमति भी दी है। निर्णय के अनुसार, नर्मदा बांध पर निर्माण कार्य 31.10.2000 से शुरू हो चुका है। नर्मदा बचाओ आन्दोलन के नेताओं के विरुद्ध कोई कानूनी कर्रावाई करने का विचार नहीं है।

(घ) सामान्यतः तथाकथित सहायता राशि प्राप्त करने सम्बन्धी समाचार पत्रों और इलैक्ट्रानिक मीडिया में कुछ रिपोर्टें देखने में आई हैं।

(ङ) विशिष्ट दृष्टान्त सरकार के ध्यान में आने के बाद ही उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है।

सरदार सरोवर बांध

4824. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री दिन्शा पटेल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर बांध परियोजना के संबंध में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले के मद्देनज़र, केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना के चारों लाभार्थी राज्यों, अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बैठक बुलाने के लिए क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं;

(ख) गुजरात के सूखा-प्रवण क्षेत्रों, विशेषकर मेहसाना, पाटन, सुरेन्द्र नगर, भावनगर, राजकोट, जामनगर, कच्छ-भुज, अमरेली, बडोदरा तथा सौराष्ट्र जिलों में नर्मदा-नदी का जल पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को, इस वर्ष मानसून के फलप्रद न रहने से, गुजरात के आधे हिस्से में लगातार सूखे की स्थिति बने रहने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल की आपूर्ति करने तथा मवेशियों को पशुचारा उपलब्ध कराने की गंभीर समस्यापूर्ण स्थिति से निपटने के लिए राज्य को कितनी सहायता दी गई है; और

(ङ) इन जल-अभावग्रस्त जिलों में नर्मदा पर बने बांध से मिलने वाला जल कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ङ) उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.10.2000 के निर्णय का अनुपालन करते हुए, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 17.11.2000 को 61वीं बैठक की। इस बैठक में चार पक्षकार राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में नर्मदा बांध की ऊंचाई 90 मीटर से ऊपर उठाने के साथ-साथ निर्माण की प्रत्येक अवस्था में पर्यावरण तथा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना कार्यों की स्वीकृति पर विचार किया गया तथा निम्न कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया :

बांध की ऊंचाई	भूमि आबंटन तथा परियोजना प्रभावित लोगों को आवास	निर्माण पूरा करने का कार्यक्रम
100 मी.	दिसम्बर 2001	जून 2002
110 मी.	दिसम्बर 2002	जून 2003
121 मी.	दिसम्बर 2003	जून 2004
138 मी.	दिसम्बर 2004	जून 2005

गुजरात सरकार ने गुजरात के सूखा प्रवण क्षेत्रों को नर्मदा ; जल की आपूर्ति करने के वास्ते नर्मदा मुख्य नहर के साथ–साथ च्छ एवं सौराष्ट्र शाखा नहर का निर्माण कार्य शुरू किया है। ारत सरकार नहरों के निर्माण के लिए त्वरित सिंचाई लाभ ार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया करा रही है तथा भी तक गुजरात को 300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मुख्य हर तथा उपरोक्त दोनों शाखाओं को पूर्ण करने संबंधी कार्यक्रम स प्रकार है :

नहर घटक	पूरा करने का कार्यक्रम
र्मदा मुख्य नहर	
क) सौराष्ट्र शाखा निकास स्थल तक	दिसम्बर, 2001
ख) कच्छ शाखा निकास स्थल तक	दिसम्बर, 2003
ाराष्ट्र शाखा एवं इसकी उप–शाखाएं	दिसम्बर, 2004
च्छ शाखा	2001 से 2002 तक कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार को गुजरात के सूखे की स्थिति की जानकारी तथापि, प्राकृतिक आपदाओं में राहत उपाय करने का दायित्व ातः राज्य सरकार का है। फिर भी, भारत सरकार, राज्य सरकार प्रयासों में सहायता करती है। वर्ष 2000–01 के लिए राहत पदा निधि (सीआरएफ) का 131.14 करोड़ का केन्द्रीय हिस्सा काल राहत उपाय करने के लिए राज्य सरकार को पहले ही ारी किया गया है।

न्दी]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग में अनियमितताएं

4825. श्री धर्मराज सिंह पटेल : क्या लघु उद्योग, कृषि र ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग में अनियमितताओं से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी और किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ग) क्या इन शिकायतों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। समय–समय पर शिकायती आरोप प्राप्त हो रहे हैं जिन पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने अनियमितताओं/शिकायतों की जांच–पड़ताल करने के लिए के.वी.आई.सी. में एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की है।

[अनुवाद]

धर्म के आधार पर भेदभाव

4826. श्री पी. सी. थामस : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव करने की भावना बढ़ रही है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति मूल के ईसाईयों को अनुसूचित जातियों को मिलने वाले लाभों से वंचित रखा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त समुदाय के लोगों द्वारा ईसाईयत छोड़ देने के बाद ही, उन्हें अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित अधिकार प्रदान किए जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या दलितों, ईसाईयों और दलित ईसाईयों के अनेक संगठनों ने यह मांग की है कि दलित ईसाईयों को भी अनुसूचित जातियों को मिलने वाले अधिकार प्रदान किए जाएं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए, 1996 में लोकसभा में एक विधेयक लाने की बात की थी, और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और ऐसा विधान कब तक लाया जाएगा?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) संविधान के अंतर्गत की गई व्यवस्था और उसके आधीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित की जा चुकी है। इन आदेशों के अंतर्गत किसी व्यक्ति को, जो हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न किसी धर्म को मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य होना नहीं माना जाता है।

जहां कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिन्दू या सिख या बौद्ध धर्म से भिन्न किसी धर्म में परिवर्तित होता है और फिर स्वयं को वापस हिन्दू, सिख या बौद्ध धर्म में पुनः परिवर्तित कर लेता है तो उसे अपने मूल अनुसूचित जाति में परिवर्तित मान लिया जाएगा यदि उसे उस खास जाति के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।

(च) से (झ) अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार यह मामला विचाराधीन रहा है। तथापि, कोई समय–सीमा नियत नहीं की जा सकती है क्योंकि इसके लिए विभिन्न एजेंसियों से परामर्श अपेक्षित है।

[हिन्दी]

विशेष श्रेणी का दर्जा

4827. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
मोहम्मद अनवारुल हक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) किन–किन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ग) क्या वर्तमान बिहार राज्य विशेष श्रेणी का दर्जा पाने की सारी शर्तों को पूरा करता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वर्तमान बिहार के आय और व्यय की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, सरकार का इसे विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने का विचार है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) योजना वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य से, विशेष श्रेणी राज्यों में वे राज्य शामिल हैं जिनकी पड़ोसी देशों की सीमा पर सामरिक महत्व की स्थिति है और विशाल जनजातीय जनसंख्या वाले पर्वतीय राज्य हैं और/अथवा जिनका विकास आवश्यकताओं की तुलना में सीमित और कमजोर संसाधन के कारण पूर्व के संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों में से गठन किया गया है।

(ख) वर्तमान में, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया है।

(ग) बिहार राज्य विशेष श्रेणी दर्जा प्राप्त करने के मानदण्ड को पूरा नहीं करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के अधिकारी

4828. श्री राम सजीवन :
श्री राजेश वर्मा :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री चिंतामन वनगा :
श्री जय प्रकाश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 नवम्बर, 2000 के 'दि पायनियर' समाचार–पत्र में 'नो एंड टु वोज़ ऑफ सी.एस.

एस. ऑफिसर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रिपोर्ट किए गए तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का केन्द्रीय सचिवालय–सेवा (सी.एस.एस.) में प्रगतिरोध को हटाने और इसकी प्रत्येक श्रेणी के वेतनमानों में असमानता को दूर करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) प्रश्न के भाग (क) में संदर्भित, समाचार में उल्लिखित मुद्दे तथा उनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया–परक स्थिति निम्नानुसार दर्शाई जा रही है :

क्रमांक	मुद्दा	स्थिति
(i)	केन्द्रीय सचिवालय–सेवा (सी.एस.एस.) के अनुभाग अधिकारियों का वेतनमान संशोधित करके, 6500–10500 रु. से बढ़ाकर 8000–13500 रु. कर दिया जाना।	केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के अनुभाग अधिकारियों को, पांचवें केन्द्रीय वेतन–आयोग की सिफ़ारिश पर, 01.01.96 से 6500–10500 रु. का वेतनमान पहले ही दे दिया गया है और उन्हें उच्चतर वेतनमान दिए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।
(ii)	केन्द्रीय सचिवालय में उप सचिवों/अवर सचिवों के स्तर के सभी पदों का केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के अधिकारियों से भरा जाना।	केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के नियमों के अनुसार, केन्दीय सचिवालय–सेवा के अधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले अवर सचिवों और उप सचिवों के पदों के सिवाय, अवर सचिवों और उससे ऊपर के स्तर के अन्य सभी पद, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत भरे जाते हैं। केन्द्रीय सचिवालय–सेवा द्वारा की गई, अवर सचिवों और उप सचिवों के सभी पदों को केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित किए जाने की मांग स्वीकार कर लिए जाने से, अखिल भारतीय सेवाओं और समूह 'क' केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी, 14 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने तक और निदेशक के स्तर के पद पर नियुक्ति के पात्र हो जाने तक, भारत–सरकार के अंतर्गत नियुक्तियों के पात्र नहीं रहेंगे। अतः ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाना संभव नहीं पाया गया है।
(iii)	समूह 'ख' सहायकों को खुले पास दिए जाने के चलन की बहाली।	कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग की विभागीय परिषद (जे.सी.एम.) में कर्मचारी–पक्ष ने यह मांग उठाई थी, परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके प्रति सहमति नहीं दी जा सकी।
(iv)	गृह–मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के अनुभाग अधिकारियों को समूह 'क' का दर्जा दिया जाए और अनुभाग अधिकारी के पद को भारत सरकार के सहायक सचिव के रूप में पुनः पदनामित किया जाए।	इस बारे में गृह–मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश पर विचार किया गया परंतु इसे स्वीकार कर लिया जाना व्यवहार्य नहीं पाया गया। फिर भी, उपर्युक्त पहलू की, पहले दिसम्बर, 1991 में श्री ए. आर. बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता में गठित, उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा जांच–पड़ताल की गई थी। उपर्युक्त समिति ने यह टिप्पणी की थी कि अनुभाग अधिकारियों को समूह 'क' का दर्जा दिए जाने की सिफारिश करना व्यवहार्य नहीं था और उपर्युक्त समिति ने यह सुझाया था कि उपर्युक्त मसला अगले वेतन–आयोग के समक्ष रखा जाए। पांचवें वेतन–आयोग ने भी उपर्युक्त मुद्दे पर विचार किया और उसने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों को समूह 'क' का दर्जा दिए जाने की सिफारिश नहीं की।

(ग) और (घ) इस तथ्य के मद्देनज़र कि सरकार ने समूह ख, ग और घ पदों और केन्द्रीय सरकार के सभी श्रेणियों के अलग–थलग पदों के संबंध में, अगस्त 09, 1999 को सुनिश्चित कॅरिअर–प्रोन्नयन की योजना (ए.सी.पी.) पहले ही घोषित कर दी है, इस बारे में अब कोई और लाभ दिए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

सर्कस में काम करने वाले जानवरों के लिए उद्धारगृह

4829. श्री कोलुर बसवनागौड : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने सर्कस में काम करने वाले जानवरों को पुनगर्ठित करने के लिए बंगलौर के निकट बान्नेरघाट्टा राष्ट्रीय उद्यान में एक उद्धारगृह बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार ने कितनी राशि जारी की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का प्रत्येक राज्य में इस प्रकार उद्धारगृह बनाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने बाघों, शेरों, भालुओं, चीतों तथा बंदरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध के फलस्वरूप सरकार को सर्कसों से वापस मिलने वाले जानवरों को आश्रय प्रदान करने के लिए 5 उद्धारगृहों की स्थापना करने का निर्णय किया है।

(ग) और (घ) इस समय सभी राज्यों में सर्कस के पशुओं के पुनर्वास के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि, गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की निर्मुक्ति के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना को विश्व बैंक सहायता

4830. प्रो. दुर्गा भगत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार की सुवर्ण रेखा बहु–उद्देश्यीय सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत विश्व बैंक सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार को क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) विश्व बैंक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत कोई सहायता प्रदान नहीं करता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग

4831. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की खादी और ग्रामोद्योग ऋणों को राज्य सरकार की गारण्टी से वि–संयोजित करने और उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के आमूल सुधार तथा आधुनिकीकरण के लिए एकमुश्त सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) इस प्रयोजनार्थ अपनाए गए ऋण नियमों में रखी गई शर्तों के अनुसार राज्य/संघ राज्य के.वी.आई. बोर्डों को अनुदान एवं ऋण प्रदान करता है। ये ऋण नियम सभी राज्य/संघ राज्य के.वी.आई. बोर्ड एवं अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों पर समान रूप से लागू होते हैं। के.वी.आई.सी. द्वारा प्रदान की जा रही निधियों की सुरक्षा के मद्देनजर, मालबंधक/बंधक एवं सरकारी गारंटी (क्रमशः संस्थानों एवं राज्य के.वी.आई.बोर्डों से) के रूप में कुछ उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता

4832. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक, पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई;

(ख) क्या सरकार को इस वित्तीय सहायता के दुरूपयोग से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में एक मॉनीटरिंग दल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरन पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना के अंतर्गत सरकर द्वारा प्रदान की गई राज्य–वार वित्तीय सहायता निम्नानुसार है :

(रुपये लाख में)

राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000
उत्तर प्रदेश	13.98	37.46	–
मध्य प्रदेश	2.39	0.08	0.06
तमिलनाडु	27.34	29.92	0.42
आन्ध्र प्रदेश	42.46	38.86	–
उड़ीसा	35.73	11.73	–
असम	16.12	9.19	0.85

(ख) से (ङ) आन्ध्र प्रदेश राज्य, जहां भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो (एसीबी) वर्ष 1997–98 के दौरान निधियों के दुरूपयोग की जांच कर रहा है, के अलावा किसी राज्य से वित्तीय सहायता के दुरूपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय चिकित्सा परिषद संबंधी समिति

4833. योगी आदित्यनाथ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा परिषद के कार्यकरण में कुछ अनियमितताएं होने की बात सरकार की जानकारी में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा परिषद के कार्यकरण की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 की धारा 54 के अंतर्गत भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के विभिन्न मामलों की जांच करने हेतु एक जांच आयोग गठित किया है।

इसके अतिरिक्त जांच आयोग के ध्यान में लाई गई अन्य अनियमितता के मामलों की जांच भी यह कर सकता है और सरसरी तौर से छानबीन करके उपयुक्त और आवश्यक उपायों की अनुशंसा कर सकता है।

आयोग द्वारा 2.5.1998 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। चूंकि आयोग ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है इसलिए आयोग का कार्यकाल 23.10.2000 को अगले 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

परखनली प्रौद्योगिकी

4834. डा. संजय पासवान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परखनली प्रौद्योगिकी (आई.वी.एफ.) से संबंधित नई प्रौद्योगिकी सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में आम जनता को उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) दिल्ली में केन्द्र सरकार के अस्पतालों अर्थात डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पताल में टेस्ट ट्यूब तकनीक (आई.वी.एफ.) सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारतीय संविधान के तहत् "स्वास्थ्य" राज्य का एक विषय होने के कारण प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने नियंत्रणाधीन अस्पतालों में टेस्ट ट्यूब तकनीक सुविधा उपलब्ध कराएं।

(ग) लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सम्बद्ध अस्पताल, नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान विभाग के उन्नयन का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव में इस सुविधा को शामिल करने का विचार है।

[अनुवाद]

सांख्यिकीय जानकारी का प्रसार

4835. डॉ. ए. डी. के. जयशीलन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांख्यिकीय जानकारी के प्रसार के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्यमंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रसार संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा सरकार द्वारा 6 जनवरी, 1999 को की गई।

(ख) इस नीति के अनुसार, सभी मंत्रालय/विभाग बिना शिनाख्त ब्यौरों के इकाई स्तर के आंकड़ों सहित, जो संवेदनशील प्रकृति के नहीं हैं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित वैध आंकड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार उपलबध कराए गए आंकड़ों के मूल्य में स्टेशनरी लागत, संगणक उपभोज्य तथा सूचना छंटाई हेतु संगणक समय शामिल होगा परन्तु एकत्र करने तथा वैधीकरण की लागत शामिल नहीं होगी।

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र

4836. श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में तारापुर परमाणु विद्युत स्टेशन दोनों रिएक्टरों के लिए ईंधन की अत्यधिक कमी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस उक्त संयंत्र के लिए निम्न गुणवत्ता वाले यूरेनियम की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो निम्न गुणवत्ता वाले यूरेनियम ईंधन की आपूर्ति संबंधी नियम और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तारापुर परमाणु संयंत्र की मांग को किस सीमा तक पूरा कर दिया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए ईंधन की आपूर्ति कायम रखने के लिए, रूस कम समृद्ध यूरेनियम ईंधन की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है। इस आपूर्ति के लिए शर्तें, विगत में ऐसी आपूर्तियों के लिए निर्धारित की गई शर्तों जैसी ही हैं।

मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह

4837. श्री चन्द्र भूषण सिंह :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई.एस.आर.ओ.) एक पृथक मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह (मेटसैट) का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह (मेटसैट) का कब तक प्रक्षेपण किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या प्रत्येक वी.एच.आर.आर.एस. (वेरी हाई रेसोल्यूशन रेडियोमिटर्स) जिन्हें स्वदेश निर्मित इन्सैट–2ए, 2बी और 2ई के साथ भेजा गया था, में कोई न कोई समस्या है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई.एस.आर.ओ.) ने इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक

और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी हां।

(ख) मेटसैट उपग्रह में अति उच्च विभेदन रेडियोमीटर (वी.एच.आर.आर.) और आंकड़ा रिले प्रेषानुकर जैसे नीतभार होंगे।

(ग) मेटसैट को सन् 2001 के अंत तक प्रमोचित किया जाएगा।

(घ) इन्सैट–2ए और इन्सैट–2बी में दृश्यक चित्रों के संग्रहण के लिए नीतभार कार्यशील हैं। इन्सैट–2ए और 2बी उपग्रहों में लगभग एक वर्ष तक प्रचालित होने के बाद अवरक्त आंकड़ा संग्रहण हेतु नीतभार असफल हो गया। सर्वो नियंत्रण की समस्या के कारण इन्सैट–2ई का वी.एच.आर.आर. प्रचालनात्मक नहीं है। इन्सैट–2ई का चार्ज्ड युग्मित घटक नीतभार प्रचालन में है।

(ङ) एक राष्ट्रीय स्तर की समिति ने, विशेष रूप में, पिछली कक्षीय विसंगतियों के दृष्टिकोण से मेटसैट उपग्रह के संरूपण का अध्ययन किया है। मेटसैट के संरूपण में समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

भारत-पाक वार्ता

4838. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान के कुछ संगठित समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीकी सरकार ने भारत के इस दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन किया है कि इन संगठित समूहों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अमरीका पाकिस्तान को अपने दृष्टिकोण पर विचार करने और भारत–पाक वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की बात मनवाने में सफल हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो अमरीका इस संबंध में किस सीमा तक सफल हुआ है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) अमरीका ने हरकत उल–मुजाहिदीन को विदेशी आतंकवादी संगठनों की सूची में रखा है। अमरीकी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अमरीका इस बात की जांच कर रहा है कि क्या लश्कर–ए–तोयबा जैसे अन्य आतंकवादी संगठनों को भी इस सूची में रखा जाना चाहिए।

(ख) और (ग) अमरीका ने सार्वभौम आतंकवाद के पैटर्नों पर अपनी वार्षिक रिपोर्टों सहित अनेक अवसरों पर स्वीकार किया है कि विभिन्न आतंकवादी संगठन पाकिस्तान को अपने कार्यों के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग में लाते हैं। 12 जुलाई, 2000 को अमरीकी कांग्रेस की हाउस इण्टरनेशनल रिलेशन्स कमेटी की सुनवाई में आतंकवाद का सामना करने से सम्बद्ध अमरीका के स्टेट डिपार्टमेण्ट के समन्वयक ने कहा था कि "पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में आतंकवादियों का रहना और स्वतन्त्रतापूर्वक उनका घूमना–फिरना सहन किया है। अनेक कश्मीर अलगाववादी ग्रुप और साम्प्रदायिक ग्रुप, जो कि आतंकवाद में लगे हुए हैं, पाकिस्तान को अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते हैं।...हम मौजूदा गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और सहयोग सुधारने की दिशा में पाकिस्तान से निरन्तर गहन बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रपति क्लिंटन और अभी हाल ही में अण्डर सेक्रेटरी पिकरिंग दोनों ने पाकिस्तान की यात्रा की ताकि उसे आतंकवाद और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर बड़े संदेश दिए जा सकें।

(घ) और (ङ) अमरीका ने पाकिस्तान को अनेक अवसरों पर, जिसमें राष्ट्रपति क्लिंटन की अमरीका यात्रा शामिल है, आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही करने और भारत के साथ यथार्थपूर्ण वार्ता के लिए समुचित परिस्थितियां बनाने के लिए कदम उठाने को कहा है। 15 सितम्बर, 2000 को प्रधान मंत्री और अमरीका के राष्ट्रपति की बैठक के पश्चात् प्रैस को दी गई जानकारी में अमरीका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि अमरीका ने जम्मू और कश्मीर में हिंसा में पर्याप्त कमी नहीं देखी है।

भारतीय मूल के अफगानी नागरिकों को वीजा

4839. श्री सिमरनजीत सिंह मान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय मूल के अफगानी नागरिकों (ए.एन.आई.ओ.) को वीजा जारी करने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) 1980 के बाद से अफगानिस्तान में लगातार युद्ध

और जातीय संघर्ष के कारण अफगान राष्ट्रिक अफगानी और भारतीय मूल दोनों भारत में वापिस आए हैं। वर्तमान नीति के अनुसार, जो अफगान राष्ट्रिक वैध यात्रा दस्तावेज/पासपोर्ट लेकर भारत आए हैं उन्हें देश में रुकने के लिए छह माह का अधिक समय दिया जा रहा है। इस समय बढ़ाया गया समय 31 दिसम्बर, 2000 तक वैध है।

बिहार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वित्तीय सहायता

4840. श्री अरुण कुमार : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के ग्रामीण उद्योगों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रदत्त की गयी धनराशि अपर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्य को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा बिहार राज्य में खादी और ग्रामोद्योग को किया गया संवितरण निम्नोक्त है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	अनुदान	ऋण
1997–98	752.45	30.31
1998–99	1230.49	60.85
1999–2000	349.84	26.37

(ख) जी, नहीं

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

औषध प्राधिकरण/औषध नियंत्रक

4841. डॉ. बलिराम :
श्री पुन्नू लाल मोहले :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औषधियों की मंजूरी का निर्णय करने के लिए राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण भारत के औषध नियंत्रक को मंजूरी प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने सदस्य हैं तथा इसके चयन का क्या मानदण्ड है और इन प्राधिकारियों का सेवा काल कितना होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) भारत के औषध नियंत्रक पद पहले से ही है जो केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन के प्रमुख हैं और यह देश में निर्मित और विपणन किए जा रहे औषधों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं जिसमें नई औषधों को स्वीकृति प्रदान करना भी शामिल है।

(ख) औषध नियंत्रक (भारत) के पद का चयन इस पद के लिए स्वीकृत भर्ती नियमों के अनुसार किया जाता है।

क्षेत्रीय रोजगार केन्द्र

4842. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर संसद सदस्य मंच द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार के रोजगार की यथानुपात भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी केन्द्रीय, अर्ध–केन्द्रीय और कार्पोरेट घरानों में उक्त क्षेत्र के उम्मीदवारों को प्रायोजित करने के लिए एक क्षेत्रीय रोजगार केन्द्र की स्थापना करने और क्षेत्र में एक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई की है/आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों/मंत्रालयों से टिप्पणियां मांगी हैं।

भारत-पाक वार्ता

4843. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस सरकार ने पाकिस्तान से कश्मीर में लड़ रहे आतंकवादियों पर नियन्त्रण रखने और कश्मीर समस्या का समाधान करने के लिए भारत के साथ वार्ता के लिए अनुकूल सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने का निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो यूरोपीय संघ और एशियाई देशों सहित उन बड़ी शक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक फ्रांस के इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) एक देश के रूप में और साथ ही यूरोपीय संघ, जिसका वर्तमान अध्यक्ष फ्रांस है, की ओर से फ्रांस की सरकार द्वारा वक्तव्यों में आतंकवादी हमलों की भर्त्सना की गयी है और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने, विश्वास और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले उपायों को क्रियान्वित करने तथा पुनः शांतिपूर्ण स्थानीय वातावरण बनाने और "लाहौर घोषणा" की भावना में पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत सुनिश्चित करने, ताकि नियंत्रण रेखा का कड़ाई से सम्मान सुनिश्चित किया जाए, का आह्वान किया है। सरकार के युद्ध-विराम प्रस्ताव के संदर्भ में यूरोपीय संघ के अध्यक्ष फ्रांस ने 8 दिसम्बर, 2000 को एक वक्तव्य जारी किया जिसमें युद्ध-विराम का स्वागत किया गया। इसमें आगे कहा गया है कि "यूरोपीय संघ इस बात के प्रति आश्वस्त है कि यदि शांतिपूर्ण समाधान पाना है तो आतंकवादी कृत्यों पर रोक लगायी जानी चाहिए, नियन्त्रण रेखा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और लाहौर घोषणा की भावना के अनुरूप बातचीत पुनः आरम्भ किये जाने के लिए विश्वास और सुरक्षा बढ़ाने संबंधी उपायों को अवश्य ही क्रियान्वित किया जाना चाहिए।"

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद पर उत्तरोत्तर चिंता व्यक्त कर रहा है। यह चिंता पाकिस्तान से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज और यूरोपीय संघ सहित अन्य कई सरकारों के आधिकारिक प्रवक्ताओं के वक्तव्यों में झलकती है। अब सरकार के इस विचार को बेहतर ढंग से स्वीकार किया जा रहा है कि पाकिस्तान को सीमा-पार आतंकवाद और हिंसा बंद करना चाहिए, नियंत्रण रेखा का सम्मान करना चाहिए और जेहाद का अपना आह्वान समाप्त करना चाहिए ताकि पुनः वार्ता आरम्भ करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया जा सके।

तालिबान समस्या से निपटना

4844. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस, अमरीका, ब्रिटेन और अन्य देश अफगानिस्तान, भारत, रूस और अमरीका में तालिबान आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए एकजुट होकर कार्य करने पर सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त रूप से इस स्थिति से निपटने के लिए इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन सभी देशों ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) भारत और रूस ने 2-5 अक्तूबर, 2000 तक रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री ब्लादीमीर पुतिन की भारत की यात्रा के दौरान अफगानिस्तान से संबद्ध एक संयुक्त कार्यदल का गठन करने का फैसला किया था। इस दल की पहली बैठक 20-21 नवम्बर, 2000 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुई थी जिसमें दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान की स्थिति की इसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की और वे इस संबंध में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर अपने सहयोग को जारी रखने के लिए सहमत हुए।

सितम्बर, 2000 में प्रधान मंत्री की अमरीका की यात्रा के दौरान, दोनों पक्ष अफगानिस्तान से संबंधित परस्पर हित-चिन्ता के मसलों पर द्विपक्षीय संवाद की एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए सहमत हुए। दोनों देश इस समय इस द्विपक्षीय संवाद की संरचना और क्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं।

(घ) से (ङ) कतिपय देशों ने संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में अपनी हित-चिन्ता को व्यक्त किया है। अक्तूबर, 1999 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने तालिबान के विरुद्ध प्रतिबंध लगाते हुए एक संकल्प पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी तालिबान की निन्दा के संकल्प पारित किए हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम पर बकाया राशि

4845. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषज्ञों द्वारा उपचार के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भेजे गये रोगियों के मेडिकल बिल/शुल्क के भुगतान के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम हैदराबाद द्वारा कितनी धनराशि देय है;

(ख) निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को उक्त धनराशि का भुगतान कब तक कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार मासिक आधार पर बिलों का निपटान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) आन्ध्र प्रदेश में क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख–रेख की व्यवस्था आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। क.रा.बी. प्राधिकारी अपने रोगियों को विशिष्ट उपचार के लिए निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भेजते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार विशिष्ट उपचार के लिए भेजे गए रोगियों से संबंधित चिकित्सा बिलों/प्रभारों के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की 6,19,54,397/– रु. की राशि देय है।

(ख) से (ङ) चिकित्सा संस्थानों के बिलों का आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निधियों की उपलब्धता के अनुसार तिमाही आधार पर भुगतान किया जाता है। 2000–2001 की प्रथम तिमाही के दौरान संस्थान को 45,99,751/– रु. की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाते ही संस्थान को क.रा.बी. योजना के अंतर्गत अनुमेय शेष राशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

छात्रवृत्ति

4846. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति को बढ़ाने का निवदेन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि इस योजना के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते की दरों को संशोधित करके "वर्तमान दरों से दुगुना" किया जाए।

(ग) इस योजना के अंतर्गत वित्तीय आवश्यकता का आकलन करते समय महाराष्ट्र राज्य सरकार के सुझाव को अन्य राज्यों से प्राप्त सुझावों के साथ विचार किया गया है।

सिख तीर्थयात्रियों को अनुमति प्रदान न किया जाना

4847. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान जाने वाले लगभग 2500 सिख तीर्थयत्रियों के पास मान्य वीजा पत्र होने के बावजूद उन्हें यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गयी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में पाकिस्तान के अधिकारियों से संपर्क किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

होम्योपैथिक फार्मेसी परिषद का विस्तार/विकास

4848. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यताप्राप्त सरकारी संस्थाओं के माध्यम से होम्योपैथी फार्मेसी शिक्षा के विस्तार और विकास संबंधी तथा होम्योपैथी फार्मेसिस्ट के लिए देश में एक होम्योपैथिक फार्मेसी परिषद गठित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश के होम्योपैथिक कालेजों में होम्योपैथिक चिकित्सकों के मेडिकल डिप्लोमा, डिग्री शिक्षा, प्रशिक्षण, विभिन्न संगठनों में उनकी सेवाओं और इस चिकित्सा प्रणाली को प्रयोग में लाए जाने पर बल दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) इस विभाग ने होम्योपैथी में फार्मेसी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। संस्तुति करते समय इस समिति ने होम्योपैथी में तीन वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम और एक वर्ष के दवा वितरक (डिस्पेन्सर्स) पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या का प्रारूप भी प्रस्तुत किया था। इस विभाग ने फार्मेसी शिक्षा विनियमित करने के लिए उसे सभी राज्य सरकारों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए भेजा है। पृथक रूप से भी सरकार केन्द्रीय रूप से देश में होम्योपैथिक फार्मेसी शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए विभिन्न तंत्र प्रणालियों का पता लगा रही है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद होम्योपैथी में शिक्षा और प्रशिक्षण को विनियमित करती है। होम्योपैथी के लगभग 150 चिकित्सा कालेज हैं जो प्रतिवर्ष 7000 छात्रों को स्नातक–पूर्व (अण्डर ग्रजुएट) पाठ्यक्रम में प्रवेश दे रहे हैं। मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं के धारक कार्य–चिकित्सक केन्द्र और राज्य सरकारों, निजी अस्पतालों में नौकरियां कर सकते हैं अथवा अपनी स्वयं की प्रैक्टिस स्थापित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

पेस मैकर बैंक्स

4849. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "पेस मैकर बैंक्स" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दूसरे चरण के सुधार

4850. डॉ. एस वेणुगोपाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दूसरे चरण के सुधार आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) आर्थिक सुधार, नीतियों और प्रतिक्रियाओं के व्यापक क्षेत्र में परिवर्तनों सहित, एक सतत् प्रक्रिया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों के मध्यावधि मूल्यांकन में सुधारों के व्यापक निदेशों की रूपरेखा दी गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना, जिस पर अभी कार्य शुरू हुआ है, में और अधिक निदेशों का प्रावधान किया जाएगा। आवश्यक होने पर, प्रत्येक क्षेत्रक के संबंध में विस्तृत सुधारों की घोषणा की जा रही है।

[हिन्दी]

भाषा संबंधी कार्यक्रम

4851. श्री नागमणि : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों में अंग्रेजी भाषा के स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) परिवार कल्याण विभाग, परिवार कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार करते समय क्षेत्रीय भाषाओं पर वांछित ध्यान दे रहा है। विभाग अंग्रेजी के अलावा हिन्दी, असमिया और उड़िया भाषा में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य समाचार पत्र निकाल रहा है। यह समय–समय पर क्षेत्रीय भाषाओं में कई मुद्रित सॉफ्टवेयर भी प्रकाशित कर रहा है। आकाशवाणी द्वारा परिवार

कल्याण कार्यक्रमों व क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण भी होता है। विभाग ने कितानुसार वीडियो स्पोटों की डबिंग भी क्षेत्रीय भा । हाल ही में अपनाई राष्ट्रीय जनसख्या नीति, 20(भी संबंधित राज्यों के उपयोग हेतु सभी क्षेत्रीय भाष किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अतर्गत राष्ट्रीय क कार्यक्रम के एक भाग के रूप में क्षयरोग के विषय चाहिए" और "क्या नहीं करना चाहिए" तथा अन्य र मय–समय पर जनजागरण के लिए राष्ट्रीय दैनिकों मान्यर पत्रों में प्रकाशित किया जाता है।

राष्ट्रीय एड्स क्रम से संबंधित सूचना, शिक्षा और सचार गतिविधि भाषाओं पर वांछित बल दिया जाता है। टेलीविजन प्रिन्ट मीडिया के जरिए राष्ट्र स्तरीय संचार माध्य लाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय मलेरिर म के तहत डाक लेखन सामग्री पर क्षेत्रीय भाषाओं जा रहे हैं।

भारतीय चिकि ार होम्योपैथी विभाग ने राज्य सरकारों से प्रचार त्रीय भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध कराने का अनुरोध

[अनुवाद]

थैलेसिमि स्त नवजात शिशु

4852. श्री ए. : क्या **स्वास्थ्य और परिवार** कल्याण मंत्री यह ा करेंगे कि :

(क) क्या सर देश में थैलेसिमिया रोग से ग्रस्त शिशुओं के ज त करने का है; और

(ख) यदि हां, लेसिमिया रोग से ग्रस्त बच्चों के जन्म को नियंत्रि ए क्या कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं?

स्वास्थ्य और ाण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क रोग से ग्रस्त शिशुओं के जन्म को केवल आनुवंशिक परामर्श द्वारा और गर्भावस्था के दौरान इससे प्रभावित भ्रूण का निवारक निदान करके एवं इसे समाप्त करके नियंत्रित किया जा

(ख) देश में शिशुओं के जन्म को रोकने के लिए भारतीय परिषद ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। अनुसंधान परिषद ने "थैलेसिमिया रोग के लक्षणों का सामुदायिक नियंत्रण–जागरूकता, जांच, आनुवांशिक परामर्श एवं निवारण" नामक एक अनुसंधान परियोजना भी शुरू की है।

लम्बी दूरी की संचार सेवा

4853. श्री समीक लाहिड़ी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने अन्य बातों के अलावा नौवीं मध्यावधि समीक्षा पर दूरसंचार के प्रतिस्पर्द्धाओं में आने के लिए लम्बी दूरी की सेवा शुरू करने के संबंध में नीतिगत मुद्दों पर भी कतिपय टिप्पणियां की हैं;

(ख) क्या इसी बीच प्रतिस्पर्द्धा के लिए लम्बी दूरी की सेवा शुरू करने को लेकर नीतिगत मुद्दों पर की गई कतिपय टिप्पणियों के संबंध में संचार मंत्रालय की ओर से भी टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम रूप से स्वीकृत दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) नौवीं योजना मध्यावधि समीक्षा के दूर संचार संबंधी मसौदा अध्याय में योजना आयोग ने, अन्य बातों के साथ–साथ प्रतिस्पर्द्धा हेतु लम्बी दूरी की संचार सेवाओं को खोलने के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं :

(i) प्रारम्भ से ही खुली एवं प्रतिस्पर्द्धा की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि कोई भी बनावटी बाधाए जैसे, न्यूनतम नियत कीमत के आधार पर प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली लगाना एवं प्रारम्भ में प्रतिस्पर्धियों की संख्या को सीमित रखना, न लगाई जाएं।

(ii) एक बार में ही प्रवेश शुल्क लेने एव प्रचालकों की अच्छी वित्तीय स्थिति एवं साख पात्रता के अलावा कोई प्रवेश प्रतिबंध नहीं लगाये जाने चाहिए। यदि ट्राई द्वारा अनुशंसित प्रवेश शुल्क गैर गंभीर प्रचालकों को आने से रोकने के लिए अपर्याप्त प्रतीत होता हो, तो प्रवेश शुल्क बढाया जा सकता है।

(iii) उपभोक्ता के लिए लंबी दूरी सेवा के प्रचालकों में से चयन हेतु स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इन्ट्रा सर्किल लंबी दूरी के संचार परिवहन को अनुमति दी जानी है। उभरते हुए नवीन प्रौद्योगीकीय आविष्कारों के समक्ष इन्ट्रा सर्किल एवं इंटर सर्किल लंबी दूरी की संचार संपर्कता के मध्य बनावटी भेद अनावश्यक हो जाएगा। तेजी से ग्राहक आधार बढ़ाने तथा इन्ट्रा सर्किल स्तर एवं इंटरनेट टेलीफोनी के क्षेत्र में उपभोक्ता हेतु लागत कम करने के लिए आईएसपी के मध्य अवाधित प्रतियोगिता से इस एप्रोच के लाभ पहले ही प्रकट हो चुके हैं जिसमें इन्ट्रा सर्किल स्तर पर खुली प्रतियोगिता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय से कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं। तथापि, राष्ट्रीय लंबी दूरी संचार सेवाओं को अगस्त 2000 से प्रतिस्पर्द्धा हेतु खोल दिया गया है। प्रवेश पर सभी अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर खुली एवं पूर्ण प्रतिस्पर्द्धा को सुनिश्चित कर दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय लंबी दूरी की संचार सेवा हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित अंतिम दिशा–निर्देश दूर संचार विभाग की वेबसाइट http://www.dotindia.com पर उपलब्ध है।

श्रमिक बल का आकलन

4854. श्री तिरूनावक्करसू : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था में अदत्त कार्यों के परिमाण का पता लगाने और श्रमिक बलों का वैकल्पिक आकलन तैयार करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) चुने हुए परिवारों में 6 वर्ष आयु तथा इससे ऊपर के व्यक्तियों को शामिल करते हुए छः चुने हुए राज्यों अर्थात् हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु और मेघालय में एक प्रायोगिक समय प्रयोग सर्वेक्षण संचालित किया गया था। 24 घंटों के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों पर व्यतीत किए गए समय पर सूचना एकत्र करने के लिए एक विस्तृत कार्यकलाप वर्गीकरण तैयार किया गया। कार्यकलाप वर्गीकरण में शामिल किए गए सभी कार्यकलापों को तीन समूहों अर्थात (i) राष्ट्रीय लेखा प्रणाली संबंधी कार्यकलाप (ii) विस्तारित राष्ट्रीय लेखा प्रणाली और (iii) गैर–राष्ट्रीय लेखा प्रणाली कार्यकलाप में वर्गीकृत किया गया। समय प्रयोग सर्वेक्षण में शामिल किए गए जिलों में विद्यमान मजदूरी दरें भी एकत्र की गई थीं। विस्तारित राष्ट्रीय लेखा प्रणाली श्रेणी में शामिल किए गए कार्यकलापों पर व्यतीत किए गए समय संबंधी आंकड़ों का प्रयोग करते हुए अदत्त कार्य का मूल्यांकन और मजदूरी दरों के लिए उपयुक्त रीतिविधान का विकास इस समय केवल एक अनुसंधान प्रक्रिया है। इसी प्रकार, कार्यबल अनुमानों पर राष्ट्रीय लेखा प्रणाली कार्यकलापों में लगे समय के बारे में आंकड़ों की विसंगतियों को समझना भी अनुसंधान प्रक्रिया का एक भाग है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

4855. डॉ. मन्दा जगन्नाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार पर धन खर्च किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी दिशानिर्देश क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार के साथ–साथ इसे लोकप्रिय बनाने में योगदान देने वाले छात्रों व शिक्षकों को पुरस्कार देने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के विस्तार हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत, सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों को, स्थानीय लोगों द्वारा महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, जिलाध्यक्षों द्वारा कराया जा सकता है। जैसा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा–निर्देशों में प्रावधान है, विद्यालयों, छात्रावासों तथा पुस्तकालयों के भवनों एवं सरकारी अथवा स्थानीय निकायों, संस्थाओं, गैर सहायता प्राप्त परन्तु मान्यता प्राप्त संस्थाओं से संबंधित शैक्षिक संस्थाओं, जो

कम से कम दो वर्ष से अस्तित्व में हों, के अन्य भवनों का निर्माण कराया जा सकता है। इसलिए, केवल प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण की अनुमति है।

[हिन्दी]

गहरे नलकूपों का लगाया जाना

4856. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्री जय प्रकाश :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ हिस्सों में विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, भूमिगत जल का स्तर तेजी से गिरता जा रहा है और इस कारण किसानों को उथले/गहरे नल कूप लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे नलकूप लगाने हेतु किसानों को राजसहायता देने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त धन मुहैया कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कब तक यह सहायता राशि जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घावधि प्रेक्षणों से देश के विभिन्न भागों में भूजल के स्तर में गिरावट की स्थिति का पता चलता है। उत्तर प्रदेश और बिहार सहित उन राज्यों/जिलों जहां भूजल स्तर में 4 मीटर (1980–99) से अधिक की गिरावट वाले स्थान पाए गए हैं के नाम संलग्न विवरण–I में दर्शाए गए हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को निधियां आबंटित कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ नलकूपों की स्थापना करना भी शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक इन कार्यक्रमों के तहत आबंटित निधियों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के आनुसार विभिन्न क्षेत्रों के लिए निधियों का आबंटन और विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाता है।

विवरण-I

भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट (1980–99) वाले स्थानों के राज्य/जिलों के नाम

क्र.सं.	राज्य	जिले
1.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम, चित्तूर।
2.	बिहार	पूर्वी सिंहभूम, रांची, समस्तीपुर, छपरा, दरभंगा।
3.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र, कैथल, महेन्द्रगढ़, जीन्द।
4.	कर्नाटक	बीजापुर, बेलगाम, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा, बंगलौर, मैसूर, गुलबर्गा।
5.	मध्य प्रदेश	उज्जैन, देवास, शाजापुर, धार, सागर, बिलासपुर, रायपुर, सरगुजा, गुना, नरसिंहपुर।
6.	महाराष्ट्र	अकोला, नागपुर, जलगांव, उस्मानाबाद, सतारा, औरंगाबाद, सांगली, बुलधाना, अमरावती।
7.	उड़ीसा	कोरापुट, मयूरभंज।
8.	पंजाब	अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, फरीदकोट, फतेहगढ़।
9.	राजस्थान	नागौर, बीकानेर, जयपुर।
10.	तमिलनाडु	सलेम, दक्षिण आर्कट, कोयम्बतूर, मदुरै, तंजावुर, पड्डुकोट्टै, कामराजार, थिरूनागनार।
11.	उत्तर प्रदेश	गोंडा, फर्रुखाबाद, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बांदा, नैनीताल।
12.	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया, मिदनापुर।

विवरण-II

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1998–99	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7444.35	6219.55	3419.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	311.95	136.74	188.3
3.	असम	8110.29	3553.09	4892.72

1	2	3	4	5
4.	बिहार	24387.31	20374.58	11202.96
5.	गोवा	17.21	59.78	50.00
.	गुजरात	2802.24	2341.15	1287.29
.	हरियाणा	1648.58	1377.38	757.33
.	हिमाचल प्रदेश	894.21	580.08	318.94
.	जम्मू व कश्मीर	859.33	717.90	394.74
.	कर्नाटक	5621.88	4696.65	2582.45
.	केरल	2522.35	2107.37	1158.74
.	मध्य प्रदेश	12361.47	10327.33	5678.49
.	महाराष्ट्र	11112.51	9284.11	5104.88
.	मणिपुर	543.83	238.19	328.00
.	मेघालय	809.08	286.87	367.49
.	मिजोरम	140.79	61.75	85.04
		417.92	183.06	252.08
.	उड़ीसा	8514.81	7113.90	3911.58
.	पंजाब	801.21	669.38	368.06
.	राजस्थान	4268.72	3566.34	1960.94
.	सिक्किम	156.37	68.38	94.15
.	तमिलनाडु	6582.53	5499.44	3023.88
.	त्रिपुरा	981.79	430.08	592.23
.	उत्तर प्रदेश	26837.94	22422.38	12328.96
.	पश्चिम बंगाल	9462.70	7905.88	4346.94

काका साहेब गाडगिल सागर परियोजना के लिए "ओपेक" से सहायता

4857. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के नीमच जिले में चन्दु तालाब परियोजना "काका साहेब गाडगिल सागर परियोजना" हेतु "ओपेक" से सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय में इस प्रस्ताव की जांच की गई है और राज्य सरकार को संशोधित परियोजना प्रलेख भेजने की सलाह दी गई है।

बार्गी डैम

4858. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने जबलपुर, मध्य प्रदेश में बार्गी डैम के निरीक्षण के लिए तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय जल आयोग और मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा 24.5.1997 को संयुक्त रूप से बारगी बांध का निरीक्षण किया गया था और उस दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

भारत-अमरीकी सहयोग

4859. श्री पी. आर. चुंटे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अमरीकी सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय भारत-अमरीकी सहयोग के अन्य क्षेत्र क्या हैं;

(घ) इस संबंध में किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) भारत–अमरीकी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) मार्च, 2000 में अमरीका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय सहयोग और सरकारों के बीच वार्ता और तेज करने और इन क्षेत्रों में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को सहयोग और प्रोत्साहन देने के लिए साफ ऊर्जा और पर्यावरण पर एक संयुक्त परामर्शदाता ग्रुप के गठन पर सहमत हुए थे। संयुक्त परामर्शदाता ग्रुप की पहली बैठक वाशिंगटन में 26–28 जुलाई, 2000 तक हुई थी।

इस ग्रुप ने भारत में साफ ऊर्जा के लिए द्विपक्षीय ऊर्जा परामर्श को पुनः सक्रिय बनाने और प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के संवर्धन का निर्णय लिया था। यह ग्रुप पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा जारी रखने, जिसमें वर्तमान बहुपक्षीय बातचीत के संदर्भ में मुद्दे शामिल हैं, और अमरीका तथा भारतीय ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी प्रयोगशालाओं के बीच सहयोगी संबंध स्थापित करने के लिए काम करने पर भी सहमत हुआ।

सितम्बर, 2000 में वाशिंगटन में प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय ऊर्जा परामर्शों पर एक समझौता ज्ञापन तथा क्षमता निर्माण अभिप्राय और समेकित गैसीकरण संयुक्त चक्र परियोजना से सम्बद्ध दो प्रोटोकोलों पर हस्ताक्षर किए।

(ग) और (घ) भारत और अमरीका अनेक अन्य क्षेत्रों में बातचीत और सहयोग में लगे हुए हैं जिनमे अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक और सुरक्षा मामले, आर्थिक और वाणिज्यिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, आतंकवाद–रोधी और संयुक्त राष्ट्र शांति कार्य शामिल हैं। इस समय दोनों पक्ष अफगानिस्तान पर द्विपक्षीय वार्ता की रूप–रेखा और कार्यक्षेत्र पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर दोनों पक्षों के बीच सितम्बर, 2000 में प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान सहमति बनी थी।

इन क्षेत्रों में सहयोग उन द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से किया जा रहा है जिन्हें दोनों पक्षों ने प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति क्लिंटन द्वारा सहमत वार्ता रूप–रेखा के अंग के रूप में मार्च, 2000 में उनके द्वारा व्यक्त नए संबंधों की कल्पना, जिसकी प्रधान मंत्री की अमरीका की यात्रा के दौरान पुष्टि की गई थी, के अनुसरण में बनाया है।

(ङ) दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और नए बेहतर संबंधों की दिशा में कार्य करने पर सहमत हुए हैं। इस दिशा में दोनों पक्ष आपसी हित–चिन्ता के द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर नियमित और व्यापक चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत का उद्देश्य अनेक प्रकार के क्षेत्रों में आपसी समझबूझ को सुदृढ़ करना और आपसी लाभप्रद सहयोग को तेज करना है। दोनों पक्ष इस पर सहमत हैं कि मार्च में राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा और दिसम्बर में प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा ने इस लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दिया है।

भूक्षरण

4880. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री ए. ब्रह्मनैया :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नदियों के तटों पर बड़े पैमाने पर हो रहे भूक्षरण को रोकने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या पर रोक लगाने हेतु प्रत्येक राज्य को कितना धन मुहैया कराया गया है;

(ग) क्या सरकार को गोदावरी नदी से बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में हो रहे भूक्षरण की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को इस समस्या के संबंध में अध्ययन करने के लिए निदेश दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में, नदी से हो रहे भूक्षरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय है। इसलिए कटावरोधी उपायों सहित बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण और क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार तकनीकी, उत्प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक स्वरूप की सहायता प्रदान करती है।

केन्द्र सरकार वर्ष 1974–75 से ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की सहायता कर रही है। ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिनों में तट–कटाव रोकने के लिए असम राज्य सरकार को 31.3.2000 तक 390.94 करोड़ रुपये केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में और 10.09 करोड़ रुपये अनुदान के रूप

प्रदान किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी गंगा नदी से होने तट कटाव को रोकने के लिए वर्ष 1998–99 के दौरान .00 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को केन्द्रीय [illegible] के रूप में प्रदान किए हैं।

विभिन्न राज्यों में नदी कटाव को रोकने के लिए बहुत–सी प्रायोजित स्कीमें भी तैयार की गई हैं

(I) उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए 159.53 करोड़ रुपये की लागत से गंगा बेसिन राज्यों में गम्भीर कटावरोधी कार्य तथा कोसी और गण्डक नदियों पर विद्यमान तटबंधों को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ करना। यह स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है।

(II) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 50.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में बाढ़ नियंत्रण स्कीमें।

(III) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और पांडिचेरी राज्यों में 39.93 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के तटीय और गंगा बेसिन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में गम्भीर कटावरोधी कार्य।

उपर्युक्त (II) और (III) पर दी गई स्कीमें व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय जल आयोग, गोदावरी बेसिन में तलछट लोड का प्रेक्षण करता है और ससपेंडिड सेडिमेन्ट ईयर बुक–गोदावरी नामक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 24.33 करोड़ रुपये की लागत के 36 कटावरोधी कार्य शुरू किए हैं और विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के तहत गोदावरी बाढ़ तटों के कटाव को रोकने के लिए 30.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 19 और कटाव–रोधी कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।

(अनुवाद)

न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए सुरक्षा उपाय

4961. श्री पी. डी. एलानगोवन :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने सुझाव दिए हैं कि देश में एक ऐसी तकनीक विकसित करने की जरूरत है जो न्यूक्लियर रिएक्टर सुरक्षित किए जाने के साथ–साथ आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्द्धी होने में भी सहायक हो सके;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सुझावों को किस सीमा तक स्वीकृत किया गया है;

(ग) क्या हेवी वाटर रिएक्टर में सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो न्यूक्लियर संयंत्र को स्थापित करने में सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित अन्य सुरक्षा संयंत्र और पर्यावरण के अनुकूल उपाय क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के कलपाक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट के विविधीकरण और विकसित करने का है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है और गत पांच वर्षों के दौरान इस संयंत्र के लिए कितना धन मुहैया कराया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में, नाभिकीय रिएक्टरों की सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए, नई प्रौद्योगिकियां विकसित करना, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उपर्युक्त उद्देश्यों वाले विभिन्न प्रस्तावों से युक्त परियोजनाओं को सरकार ने नौवीं योजना के अंतर्गत संस्वीकृति दे दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उपायों को काम में लाना/सुझाना भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ ऐसे क्षेत्र जिनमें ये उपाय किए गए हैं, वे हैं, रिएक्टर संरोधक प्रणाली, द्रव विष अन्तःक्षेपण प्रणाली (एलपीआईएस) संशोधित शीतलक चैनल सामग्री तथा डिजायन, सेवा–कालीन निरीक्षण प्रणालियां, बेहतर भूकम्पीय प्रतिरोधकता आदि।

इस संबंध में प्रगत रिएक्टर प्रणालियों में काम में लाए जा रहे कुछ अन्य प्रगत सुरक्षा तथा पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उपाय हैं; प्राथमिक शीतलक का प्राकृतिक परिसंचरण, ऋणात्मक

रिक्ति गुणांक अथवा अपक्रांतिकता, निष्क्रिय संरोधक पृथक्करण, निष्क्रिय संरोधक शीतलन, क्रोड निमज्जन, निष्क्रिय क्रोड क्षय ऊष्मा निष्कासन और गुरुत्वाकर्षण चालित जल–कुण्ड।

(ङ) और (च) कलपाक्कम में मद्रास परमाणु बिजलीघर के मौजूदा 2x170 मेगावाट क्षमता वाले दो यूनिटों (एमएपीएस–1 एवं एमएपीएस–2) के अलावा, नौवीं पंचवर्षीय योजना में, तमिलनाडु में कलपाक्कम में परमाणु विद्युत के विकास संबंधी प्रस्तावों में, नौवीं योजना के अंत तक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) (1x500 मेगावाट) के संबंध में प्रारंभिक कार्य शुरू किया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सेवा–कालीन निरीक्षण के आधार पर, मद्रास परमाणु बिजलीघर–1 रिएक्टर के शीतलक चैनलों को अगले कुछ वर्षों में बदला जाना अपेक्षित है ताकि रिएक्टर के जीवन–काल को बीस वर्ष और बढ़ाया जा सके। ऐसी ही कार्रवाई मद्रास परमाणु बिजलीघर–2 के संबंध में भी उस समय की जाएगी जब उसके रिएक्टरों के शीतलक चैनलों को बदलना अपेक्षित हो जाएगा।

जच्चा-बच्चा मृत्यु दर

4862. श्रीमती खुनुदिनी पटनायक : क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में जच्चा–बच्चा मृत्यु दर सबसे अधिक है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1999 में आए महाचक्रवात और 2000 में गंभीर सूखे की स्थिति के बाद उड़ीसा के घोर वित्तीय संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य में शिशु एवं मातृत्व देखभाल कार्यक्रम (चाइल्ड एवं मैटरनिटी केयर प्रोगैस) की देखभाल के लिए उड़ीसा को कोई पैकेज देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चक्रवात प्रभावति राज्यों में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा वर्ष 1999 के लिए शिशु मृत्यु दर के संबंध में किए गए अनन्तिम अनुमान के अनुसार उड़ीसा में शिशु मृत्यु सर्वाधिक है। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार वर्ष 1998 में उड़ीसा की अनुमानित मातृ मृत्यु दर असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कम है।

(ख) से (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उड़ीसा सहित सभी राज्यों के लिए जनसंख्या स्थिरीकरण हेतु मातृ एवं बाल स्वास्थ्य और प्रजननता विनियमन सेवाओं के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

माता के लिए :

मातृ स्वास्थ्य के लिए उपायों में प्रसव–पूर्व एवं प्रसवोत्तर जांच, सुरक्षित प्रसव के लिए सेवाएं, पोषणिक रक्ताल्पता की रोकथाम और उपचार, टेटनस के प्रति प्रतिरक्षण और आपाती प्रसूति परिचर्या का प्रावधान शामिल है।

बच्चों के लिए :

वैक्सीन से रोके जा सकने वाले छह रोगों के लिए प्रतिरक्षण, अतिसार एवं तीव्र श्वसनीय संक्रमणों से होने वाली मौतों पर नियंत्रण, विटामिन ए और आयरन की कमी से होने वाली रक्ताल्पता के लिए बच्चों को रोग–निरोधक प्रदान किए जाते हैं तथा अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या प्रदान की जाती है।

प्रजननता विनियमन के लिए :

परिवार को सीमित रखने और जन्मों में अन्तर रखने के प्रयोजन से परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(क) स्थायी तरीके

I. वेसेक्टॉमी

II. ट्यूबेकटॉमी

(ख) जन्मों में अंतर रखने के तरीके

I. अन्तर्गर्भाशय युक्ति

II. मुख सेव्य गर्भ निरोधक गोलियां

III. कण्डोम

उपायों की प्रभावकारिता को बढ़ाने और चुनिंदा जिलों में लोगों के लिए सेवाओं को और अधिक सुलभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मातृ एवं शिशु मृत्यु दरों की शीघ्रता से कम करने के लिए उड़ीसा के 3 जिलों सहित 16 राज्यों के 47 जिलों में बार्डर क्लस्टर कार्य नीति कार्यान्वित की जा रही है। प्रतिरक्षण और अन्य मातृ एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए उड़ीसा के 5 जिलों में एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। उड़ीसा के 14 जिलों सहित 142 जिलों में दाइयों के प्रशिक्षण के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है जहां सुरक्षित प्रसव दर 30 प्रतिशत से कम है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कैम्प

आयोजित करने के लिए उड़ीसा के 7 जिलों सहित 102 जिलों की पहचान की गई है।

पेंशन का भुगतान

4863. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के कई महीने बाद भी अपनी पेंशन नहीं पा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवानिवृत्ति के ठीक अगले महीने से पेंशन का भुगतान मिलने लगे, सरकारी विभागों को दिशा-निदेश जारी करने का है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) पेंशन की मंजूरी और उसके भुगतान से सम्बद्ध कार्य, एक विकेन्द्रीकृत कार्य है। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 56 से 74 तक तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों, सशस्त्र बलों के कार्मिकों एवं रेल-कर्मचारियों पर लागू उनके अनुरूपी नियमों में, उपर्युक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को देय सेवानिवृत्ति से जुड़ी प्रसुविधाओं का परिकलन और उन्हें पेंशन-भुगतान-आदेश का समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, देर से देर, उनकी सेवा-निवृत्ति की तारीख से एक माह पहले ही, कार्यालय-अध्यक्ष और लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों द्वारा किए जाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई की अनुसूची विशेष विहित है। विभागों/कार्यालयों के अध्यक्ष, इन प्रक्रियाओं का निर्वाह किया जाना और पेंशन का समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने के जवाबदेह हैं।

लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा

4864. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर उड़ीसा में, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना धन आबंटित किया गया?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, चालू योजनाओं/कार्यक्रमों के अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन हेतु सरकार ने 30.8.2000 को एक व्यापक नीतिगत पैकेज की घोषणा की जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बढ़ी हुई वित्तीय तथा ऋण सहायता, बेहतर आधारभूत तथा विपणन सुविधाएं तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन शामिल हैं। एक ऋण गारन्टी निधि न्यास की स्थापना की गई है जो बिना संपार्श्विक प्रतिभूत के 25.00 लाख रु. तक ऋण उपलब्ध कराता है। लघु उद्योग इकाइयों द्वारा विनिर्दिष्ट परियोजनाओं/उपक्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजनाओं पर 12 प्रतिशत बैक एन्डिड कैपिटल सब्सिडी प्रदान की योजना बनाई जा रही है। योजनाएं राज्य-वार नहीं बनाई गई हैं तथा यह पूरे देश में एक समान रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं। कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प के विकास हेतु योजनाओं में विद्यमान/नए क्राफ्ट व्यक्तियों की दक्षता के उन्नयन के लिए प्रशिक्षण, डिजाइन और प्रौद्योगिकी विकास, क्राफ्ट विकास केन्द्रों की स्थापना, विनिर्दिष्ट क्राफ्ट पाकेट्स में सामान्य सुविधा सेवा केन्द्र, प्रदर्शनी तथा प्रचार, कमजोर क्राफ्ट का पुररुत्थान, हस्त-शिल्प पर वैब आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा अरबन हट की स्थापना शामिल हैं।

(ख) लघु उद्यागों के संवर्धन हेतु योजनाएं/कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू हैं तथा निधियों का कोई विनिर्दिष्ट राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है। पिछले 3 वर्षों (1997-98 से 1999-2000 तक) के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन हेतु 3011.85 करोड़ रु. की राशि तथा कुटीर उद्योगों व हस्त-शिल्प के विकास हेतु 152.53 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी।

बीजा हॉल का नवीकरण

4865. श्री राधा मोहन सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक कम्प्यूटर सलाहकार को नियुक्त करने और अपने बीजा हॉल के नवीकरण में अनधिकृत रूप से क्रमशः 32 लाख और 59 लाख रुपये खर्च किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग में विदेश मंत्रालय के अनुमोदन से वीसा हाल के नवीकरण तथा कॉसली कार्य प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना शुरू की थी। तथापि, नवीकरण कार्य के दौरान कुछ परिवर्तनों तथा परिवर्धन के कारण भारतीय उच्चायोग ने कुछ अतिरिक्त धन व्यय किया। इसी प्रकार उच्चायोग की कम्प्यूटरीकरण परियोजना में अपेक्षित सलाह के लिए कम्प्यूटर परामर्शकर्ता की सेवाएं किराए पर लेने के लिए कुछ अतिरिक्त धन व्यय किया था।

(ग) इस प्रकार किया व्यय जो मूल अनुमोदित राशि से अधिक था, मंत्रालय द्वारा अधिकृत कर दिया गया। मिशन ने उपर्युक्त के संदर्भ में संगत विवरण मंत्रालय को उपलब्ध कराए हैं।

केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला में वित्तीय अनियमितताएं

4866. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला (सी.एस.एम.आर.एस.) के अध्यक्ष सह–निदेशक द्वारा कोई वित्तीय अनियमितता की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निहित स्वार्थ के लिए कितने पैसे लिए गए और अध्यक्ष के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सी.एस.एम.आर.एस.) नई दिल्ली के निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और पक्षपात के आरोपों सम्बन्धी दिनांक 26.6.1998 को एक शिकायत प्राप्त हुई थी और उसकी जांच की गई। जांच के बाद यह पाया गया कि उनके विरुद्ध लगाये गए आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। इसके पश्चात् केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श के बाद यह मामला बन्द कर दिया गया।

हज विधेयक

4867. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हज विधेयक पेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या किसी संगठन ने इस विधेयक को शीघ्र पारित कराने की मांग की है;

(ङ) यदि हां, तो संगठनों के नाम क्या हैं और इनके प्रतिनिधि कौन हैं;

(च) इसे कब तक पारित कराए जाने की संभावना है;

(छ) क्या मक्का और मदीना में बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो हज सीजन 2001 के दौरान प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) हज समिति बिल, 2000 को 15.12.2000 को राज्य सभा में लाया गया।

(ख) और (ग) बिल की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला उद्देश्यों और कारणों से संबंधित वक्तव्य विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी हां। अनेक व्यक्तियों, संगठनों, संसद सदस्यों, समुदाय के प्रतिनिधियों और सर्वोच्च न्यायालय ने बिल को शीघ्र पारित करने का अनुरोध किया है।

(च) समय सीमा संसद द्वारा नियत की जाएगी।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उद्देश्यों और प्रयोजनों से संबंधित वक्तव्य

हज समिति अधिनियम, 1959 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) ने पोर्ट हज अधिनियम, 1932 का स्थान लिया। इस अधिनियम में बम्बई को महत्वपूर्ण स्थान तथा इसके गठन और इसे अपेक्षाकृत सीमित शक्तियां प्रदान की गयीं जिसका उद्देश्य

हज यात्रियों के चयन तथा जहाजों के जरिये मुंबई से जद्दा के लिए उनका सुरक्षित आवागमन नियमित करना था। अतः उक्त अधिनियम से भारतीय केन्द्रों और जद्दा के बीच समुद्री और बाद में हवाई यात्रा को नियमित करने के लिए एक केन्द्रीय कार्यकारी प्राधिकरण की स्थापना की गयी। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास जद्दा, जिसका स्थान 1984 से भारतीय प्रधान कौंसलावास ने ले लिया, हज प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं की जिम्मेदारी लेता रहा। परिणामस्वरूप विदेश मंत्रालय के जरिए भारत सरकार, भारत और सऊदी अरब में हज से संबंधित सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार थी।

1960 के मध्य तक सभी भारतीय हज यात्री मुंबई बंदरगाह से समुद्री यात्रा करते थे। उसके बाद हवाई यात्रा करने वाले हजयात्रियों की संख्या धीरे–धीरे बढ़ी और 1995 में हजयात्रियों की समुद्री यात्रा रोक दी गयी तथा सभी हजयात्रियों ने वायुयान अथवा चार्टर्ड जहाजों से जाना आरम्भ कर दिया। वर्ष 1999 के दौरान मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई और बंगलौर जैसे जांच केन्द्रों से उड़ानें आरम्भ हुईं तथा उस समय यह प्रयास किये गये कि जैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों से संबंधित प्रबंध करने की सुविधा उपलब्ध होती है अन्य केन्द्रों को भी इनमें शामिल किया जाए। इसलिए हज–2000 के लिए कोचीन और अहमदाबाद को हज यात्रियों के लिए आरम्भिक उड़ान केन्द्रों में शामिल किया गया।

वर्ष 1981 तक हज की इच्छा रखने वाले सभी व्यक्तियों को अपना आवेदन हज समिति, मुंबई को भेजना पड़ता था जो कुर्रा नामक लाटरी से हाजियों का चयन करते थे। तत्पश्चात् इस चयन को विकेन्द्रित किया गया और हज समितियों को अलग–अलग कुर्रा संचालित करने के लिए कहा गया। उन्हें हज आरम्भ करने से पूर्व की व्यवस्थाओं, आरम्भिक केन्द्रों तक ले जाने तथा इन केन्द्रों पर शिविर सुविधाओं की व्यवस्था जैसे हज प्रबंधन के क्षेत्रों में उत्तरोत्तर भागीदारी प्रदान की गयी। इसलिए वर्ष 2000 से हजयात्रियों के प्रशिक्षण एवं अनुकूलन की आरम्भिक जिम्मेदारी भी राज्य हज समितियों को सौंप दी गयी है।

चूंकि हज समिति अधिनियम, 1959 चालीस वर्ष से भी पुराना है तथा हज से संबंधित उपर्युक्त सहित अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण यह अधिनियम पुराना हो गया है, यह वर्तमान अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। इस संबंध में कुछ अतिरिक्ति और महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं :

(i) समिति के जरिए हज करने वालों की संख्या वर्ष 1992 में 24,000 थी जो वर्ष 2000 में 72000 हो गयी। इससे हज समिति के समक्ष प्रबंधन की नयी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं;

(ii) अधिनियम के अनुसार हज समिति की संरचना का स्वरूप व्यापक है। यह हज प्रबंधन के क्षेत्र में महाराष्ट्र, विशेषकर मुम्बई को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान देता है; अब यह युक्तिसंगत नहीं है। हज यात्रियों को ले जाने वाले जहाजों की आवृत्ति 1984 में तीन हो गयी और 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। अब सभी हज यात्रियों की यात्रा भारत के विभिन्न केन्द्रों से हवाई जहाज द्वारा ही होती है;

(iii) पिछले चालीस वर्षों के दौरान, समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों से केन्द्र और राज्य सरकारों तथा हज समिति की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रश्न उठाये गये हैं। पुनः पिछले कुछ वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार को हज समिति द्वारा वित्त के कुप्रबंधन से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन घटनाओं से यह सुनिश्चित करने, कि हज से संबंधित नया विधान हज नीति और प्रबंधन के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से केन्द्र और राज्य सरकारों के प्राधिकार को निर्धारित करे और वित्तीय उपयुक्तता सुनिश्चित करने तथा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार से संबंधित अस्पष्टता को दूर करने के लिए एक प्रभावी क्रियाविधि वाले संशोधित और प्रतिनिधिक हज समिति बनाये जाने के महत्व को बल मिला।

इस बिल में हज समिति अधिनियम, 1959 को निरस्त करने और नया अधिनियम बनाने का प्रावधान है ताकि उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

केरल में एच आई वी के मामले

4868. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नैको) पब्लिकेशन कन्ट्री सिनेरियो में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक इस तथ्य के मद्देनजर कि गत चार वर्षों (अर्थात 1996 से 2000 के बीच) में केरल राज्य में एच आई वी संक्रमण का एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया है, केरल को एच आई वी संक्रमण से शत–प्रतिशत मुक्त घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी नहीं। एच. आई. वी. प्रहरी

निगरानी आंकड़ों के अनुसार केरल राज्य में वर्ष 1998 के मध्य में एच.आई.वी. संक्रमण के मामलों की अनुमानित संख्या 1,69,340 है।

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का लगाया जाना

4869. डा. सी. कृष्णन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु अनुसंधान के लिए तमिलनाडु के इंदिरा गांधी सेन्टर, कलपाक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड आदि से सांविधिक मंजूरी ले ली गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रिएक्टर लगाने का काम कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) 500 मेगावाट क्षमता वाला एक पूल किस्म का सोडियम शीतित रिएक्टर है। "नाभिकीय वाष्प आपूर्ति प्रणालियों" और "ईंधन हस्तन प्रणाली" के लिए भी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन कार्य पूरा होने की प्रगत अवस्था में है। मुख्य संघटकों के लिए सामग्री संबंधी विशिष्टताएं, आरेख और विनिर्माण संबंधी विनिर्देशन तैयार किये जा रहे हैं। ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए सिस्टम इंजीनियरिंग और शेष संयंत्र के लिए प्लांट ले–आउट संबंधी कार्यों के लिए परामर्शी अभियंता नियुक्त किए गए हैं। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट को वित्तीय संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए जून, 2001 के अंत तक प्रस्तुत किया जाना है।

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के डिजाइन के मान्यीकरण से संबंधित अनुसंधान तथा विकास कार्य, इन–हाउस, तथा विभिन्न अनुसंधान और विकास संगठनों तथा उद्योगों दोनों के सहयोग से किए जा रहे हैं।

समस्याओं को पहले से ही सुलझा लेने के लिए और निर्माण–कार्य में लगने वाले समय को कम करने के लिए, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के प्रमुख क्रांतिक उपस्करों हेतु, भारतीय उद्योगों की सक्रिय सहभागिता के साथ, विनिर्माण संबंधी प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है।

(ग) और (घ) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने कलपाक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की स्थापना के लिए स्थल अनुमोदित कर दिया है। "प्रारंभिक सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट" का मूल्यांकन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा गठित "परियोजना डिजाइन सुरक्षा समिति" द्वारा किया जा रहा है और उसके मार्च, 2001 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है। परामर्शदाता मेसर्स "मीकॉन" द्वारा तैयार की गई "पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट" तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार है।

(ङ) प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण–कार्य वर्ष 2001 के अंत तक शुरू किए जाने की आशा है।

सेवा में रोस्टर प्रणाली

4870. श्री अशोक अर्गल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला अन्य पिछड़ी जातियों के व्यक्ति के मामले में दिया गया था परन्तु कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग ने फैसले की गलत व्याख्या करते हुए इसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर लागू कर दिया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की नीति में सरोकार रखने वाले प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, समय–समय पर कुछ निर्णय दिए हैं। इस बारे में कोई निर्णय विशेष उद्धृत नहीं किए जाने के कारण अपेक्षित ब्यौरा दर्शा पाना संभव नहीं है।

अपोलो अस्पताल की कार्यप्रणाली

4871. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 58 संसद सदस्यों ने अपोलो अस्पताल की कार्यप्रणाली में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच किए जाने की मांग की है;

(ख) क्या अपोलो अस्पताल समझौता ज्ञापन तथा विशेषकर निर्धनों को मुक्त चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने संबंधी महत्वपूर्ण खण्ड का अनुपालन करने में असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई उच्चस्तरीय जांच की गई है;

(घ) उक्त जांच समिति द्वारा की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस पर सरकार का क्या निर्णय है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और अपोलो अस्पताल के बीच समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन से संबंधित विवाद इस समय दिल्ली उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

आयोडीन की कमी के संबंध में सर्वेक्षण

4872. श्री जय प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमालय के तलहटी क्षेत्रों से शुरू करके समूचे देश में आयोडीन की कमी पाए जाने के संबंध में कोई महत्वाकांक्षी प्रतिदर्श सर्वेक्षण योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अगस्त, 2000 में आयोडीन की अनिवार्यता विषय पर आयोजित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में कोई सहमति हो गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस आधार पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) आयोडीन अल्पताजन्य विकार सर्वेक्षण, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताजन्य विकार नियंत्रण कार्यक्रम, जो पहले राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम (1962) के नाम से जाना जाता था, का एक महत्वपूर्ण संघटक है। अब तक 25 राज्यों और 5 संघ राज्यों को कवर करते हुए 282 जिलों का सर्वेक्षण किया गया है और 241 जिलों को आयोडीन अल्पताजन्य विकार/घेंघा स्थानिक मारी क्षेत्र पाया गया है जहां इनकी व्यापतता दर 10 प्रतिशत से अधिक है।

(ग) आयोडीन अल्पताजन्य विकार की समस्या पर काबू पाने के लिए लगभग सभी राज्यों ने आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

(घ) सरकार ने आयोडीन युक्त नमक के उपयोग को बढ़ाने के लिए गीत और नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, विज्ञापन एवं दृश्य–प्रचार निदेशालय दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियों को तीव्र किया है। इसके अलावा राज्यों/संघ राज्यों को स्वास्थ्य शिक्षा और प्रचार के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम और बहुक्षेत्रक विकास योजनाएं

4873. श्री राजो सिंह : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम और बहुक्षेत्रक विकास योजनाओं से लाभान्वित होने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि संस्वीकृत और जारी की गई;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इन योजनाओं का लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्यवार, विशेषकर बिहार के लिए सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(घ) इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को वर्ष 1994 में निगमित किया गया था। बिहार में आठवीं तथा नौवीं योजना के दौरान सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थियों के साथ–साथ धनराशि की स्वीकृति तथा निर्मुक्ति के ब्यौरे विवरण–I पर हैं।

बहु क्षेत्रीय विकास प्लान योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल जिलों में परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता दी जाती है। इनमें बिहार के पूर्णिया, दरभंगा तथा कटिहार जिले शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत बिहार को योजनाएं तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की

गई है। बिहार सरकार से, चल रही योजनाओं के साथ समन्वय द्वारा योजनाओं की कार्यान्वयन करने के लिए अनुरोध किया गया है। एन.एम.डी.एफ.सी. से इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

एन.एम.डी.एफ.सी. वर्ष में प्रत्येक राज्य के लिए आबंटन निर्धारित करता है। वर्ष 1997–98 से वर्ष 2000–2001 के दौरान स्वीकृत राशि विवरण–II में दी गई है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम की योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) अल्पसंख्यक समुदायों को सहायता करने के लिए राज्य माध्यम एजेंसियों के अतिरिक्त, गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से सूक्ष्म वित्तपोषण का विस्तार शुरू किया गया है।

(2) अधिकाधिक लाभार्थियों की सहायता के लिए अतिरिक्त माध्यम एजेंसियों की नियुक्ति, नाबार्ड तथा राष्ट्रीय महिला कोष के साथ संबंध।

(3) कार्य निष्पादन की समीक्षा करने तथा नई योजनाओं/कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए राज्य सरकारों और गैर–सरकारी संगठनों के साथ बैठक।

(4) राज्य माध्यम एजेंसियों को अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करने के लिए संशोधित ऋण नीति लागू करना।

(5) राज्य माध्यम एजेंसियों की अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ करने की योजना को लागू करना।

विवरण-I

बिहार में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम द्वारा निधियों की स्वीकृति और निर्मुक्ति

(लाभार्थियों की संख्या और राशि रु. लाख रुपये में)

वर्ष	स्वीकृति		वितरण	
	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5
8वीं योजना				
1994–95	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1995–96	940.95	1550	शून्य	शून्य
1996–97	76.50	100	शून्य	शून्य
नौवीं योजना				
1997–98	355.51	875	128.96	229
1998–99	233.70	550	242.55	644
1999–2000	326.00	652	शून्य	शून्य
2000–01	326.00	640	शून्य	शून्य
कुल	2258.66	4367	371.51	873

विवरण-II

स्वीकृति संबंधी राज्यवार/वर्षवार रिपोर्ट

(एन.एम.डी.एफ.सी.)
(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	एस.सी.ए. कोड	1997-98		1998-99		1999-00		2000-01		कुल	
			राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अंडमान और निकोबार	एएनआईडीसी	0.00	0	8.50	20	0.00	0	0.00	0	8.50	20
2.	आन्ध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी	214.95	992	217.57	2011	589.00	11592	589.00	5800	1816.65	22620
3.	मिजोरम	एएमडीएफसी	0.00	0	127.50	300	143.00	174	143.00	355	519.58	1004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	बिहार	बीएसएमएफसी	355.51	875	233.70	550	326.00	652	326.00	640	2258.66	4367
5.	चंडीगढ़	सीएचएफडीसीएल	36.92	50	12.14	22	25.00	53	25.22	43	119.68	233
6.	दिल्ली	डीएफसी	0.00	0	42.50	100	0.00	0	0.00	0	42.50	100
7.	दादरा और नगर हवेली	ओएनएचडीडीएस एफडीसी	0.00	0	8.50	20	0.00	0	0.00	0	8.50	20
8.	गुजरात	जीबीसीडीसी	101.58	400	527.10	1210	147.03	276	0.00	0	1361.24	2892
		जीएमओसी	0.00	0	0.00	0	578.97	1200	126.00	1927	1304.97	3127
9.	हिमाचल प्रदेश	एचपीएमडीसी	73.61	177	61.56	138	95.00	215	87.00	114	336.24	711
10.	हरियाणा	एचबीसीकेएन	18.32	138	134.44	290	225.00	528	281.00	661	848.83	2147
11.	जम्मू व कश्मीर	जेकेएससीएसटीडीसी	115.43	380	375.40	420	0.00	0	371.40	400	1161.86	1760
		जेकेडब्ल्यूडीसी	0.00	0	21.25	50	95.00	142	126.74	276	329.24	618
12.	केरल	केबीसीडीसी	493.94	1300	298.82	550	612.00	3170	665.00	1845	2565.46	7975
		केएससीएफएफडीसी	64.06	102	88.25	168	157.00	265	157.00	286	466.31	821
		केएसडब्ल्यूडीसी	159.16	317	260.13	427	259.00	571	259.00	616	1403.62	3694
13.	कर्नाटक	केएमडीसी	725.05	1450	492.53	550	632.00	1115	1013.38	2500	3587.05	11585
14.	लक्षद्वीप	डीसी	0.00	0	8.50	20	0.00	0	0.00	0	8.50	20
15.	मेघालय	एमआईडीसी	0.00	0	21.20	50	0.00	0	0.00	0	30.83	71
16.	महाराष्ट्र	एमएचपीबीसीडीसी	0.00	0	233.70	550	0.00	0	70.00	140	1261.84	2090
17.	मणिपुर	एमआईडीसी	85.60	230	55.46	90	92.00	129	92.00	129	390.09	718
18.	मध्य प्रदेश	एमपीबीसीएमएफडीसी	140.68	440	68.00	160	204.00	525	204.00	517	1358.45	5412
		एमपीएचडीसी	0.00	0	17.91	100	71.00	1010	71.00	300	159.91	1410
19.	मिजोरम	एमसीएबी	29.75	250	21.20	50	54.00	145	200.00	460	341.55	1027
		जेडआईडीसीओ	0.00	0	79.23	145	190.62	502	300.00	423	589.22	1118
20.	नागालैंड	एनआईडीसी	38.44	60	62.52	114	124.00	298	200.00	320	424.96	792
21.	उड़ीसा	ओआरएससीएसटीएफडीसी	0.00	0	199.70	960	300.00	900	300.00	1066	799.70	2926
22.	पांडिचेरी	पीओबीसीएमडीसी	0.00	0	8.50	20	0.00	0	46.08	61	54.58	81
23.	पंजाब	बीएसीएफआईएनसीओ	355.34	700	580.76	821	494.00	952	850.00	1728	3129.11	5371
24.	राजस्थान	आरएससीएसटीएफडीसीजी	99.53	170	144.62	295	139.00	295	102.00	220	515.75	1040

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	सिक्किम	एसकेएससीएसटीओबीडीसी	0.00	0	8.50	20	0.00	0	0.00	0	8.50	20
26.	तमिलनाडु	टीबीसीईडीसीओ	25.50	30	147.50	350	181.00	325	0.00	0	818.00	1705
		टीएएमसीओ	0.00	0	0.00	0	0.00	0	181.00	325	181.00	325
27.	त्रिपुरा	टीएससीडीसी	55.61	115	21.20	50	36.00	84	36.00	92	152.21	351
28.	उत्तर प्रदेश	यूपीएमडीएफसी	2315.36	3540	855.68	2451	1030.00	3000	1500.00	3000	10828.65	24499
29.	प. बंगाल	डब्ल्यूएमडीएफसी	417.14	780	643.28	1090	641.00	950	1200.00	5000	3901.87	9257
	कुल		5921.48	12496	6142.95	14162	7440.62	29066	10121.82	29244	43093.61	49093

जर्मनी द्वारा फिर से सहायता दिया जाना

4874. डॉ. जसवंत सिंह यादव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी भारत को द्विपक्षीय सहायता फिर देने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय नाभिकीय परीक्षणों के पश्चात् जर्मनी की तत्कालीन सरकार ने मई 1998 में बोन में होने वाली द्वार्षिक विकास सहयोग वार्ताओं को रद्द कर दिया था। इस घोषणा के परिणामस्वरूप भारत को नई परियोजनाओं के लिए नए आबंटन प्रदान नहीं किए गए यद्यपि चालू परियोजना इससे प्रभावित नहीं हुई थी।

22 सितम्बर, 2000 को जर्मनी के आर्थिक सहयोग मंत्री ने यह घोषणा की कि "सहयोग को धीरे-धीरे सामान्य करने की दृष्टि से भारत और पाकिस्तान को अगले वर्ष तक सहायता के नए वचन देने की योजना है"। इस निर्णय की पुष्टि जर्मनी के विदेश मंत्री श्री जशिला फिशर ने 30 सितम्बर, 2000 को नई दिल्ली में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान कर दी थी।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ी जातियों के लोग

4875. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधान मंत्री 10 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6874 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना के कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस बारे में जानकारी, सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जानी अपेक्षित थी। चौदह मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस बारे में जानकारी अभी प्रस्तुत की जानी है। उपर्युक्त मंत्रालयों/विभागों को, इस बारे में जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने की याद दिलवाने की दृष्टि से, आवधिक रूप से, अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

[अनुवाद]

खादी को अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करना

4876. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी को एक अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करने हेतु एक विश्वव्यापी अभियान छेड़ने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अभियान पर होने वाला अनुमानित व्यय कितना है; और

(ग) देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर खादी बिक्री केन्द्रों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी और इसके उत्पादों का संवर्धन एक गहन विज्ञापन अभियान के माध्यम से कर रहा है। चूंकि विज्ञापन एक सतत प्रक्रिया है, कोई समय फ्रेम नियत नहीं किया गया है और व्यय आवश्यकता आधारित होगा।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दुकानें स्थापित करने संबंधी मामला इस समय विचार–विमर्श अवस्था में है, कोई समय फ्रेम नियत नहीं किया जा सकता है।

पारपत्र आवेदनों का प्रस्तुत किया जाना

4877. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय ने दिनांक 13 सितंबर, 2000 से आईएटीए एवं टीएएआई जैसी संस्थाओं के सदस्य अभिकर्ताओं के अलावा अन्य पारपत्र अभिकर्ताओं से पारपत्र आवेदनों को स्वीकार करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्व में जारी प्रक्रिया को प्रत्यावर्तित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) 1.8.2000 से सरकार ने उन ट्रेवल एजेंटों को पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट आवेदन फार्म जमा कराने के लिए प्राधिकृत कर दिया है जो ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई) तथा ट्रेवल एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएएफआई) और इंटरनेशनल एअर ट्रेवल एसोसिएशन (आईएटीए) द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त वे सभी ट्रेवल एजेंट जिन्हें जुलाई, 1992 में जब मान्यता प्रदान करने की प्रणाली में छूट थी, से पहले मंत्रालय द्वारा मान्यता दी गई थी, पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा कराने के पात्र हैं।

(ख) हमारे पासपोर्ट कार्यालयों से ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, जहां ट्रेवल एजेंट अप्राधिकृत व्यक्तियों के झूठे दस्तावेज जमा कराते हैं जिससे अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट की प्राप्ति हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय की स्थापना

4878. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास संसद विहार, वेस्ट इन्क्लेव, सरस्वती विहार और पश्चिम विहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसद विहार, वेस्ट इन्क्लेव और सरस्वती विहार में रहने वाले लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के शकूरवस्ती औषधालय से संबद्ध किया गया है। जहां तक पश्चिम विहार का संबंध है उस क्षेत्र में पहले से ही औषधालय सं. 80 कार्य कर रहा है।

कोरी पारपत्र पुस्तिकाओं की चोरी

4879. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न पारपत्र कार्यालयों से कोरी पारपत्र पुस्तिकाओं की चोरी के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से बरामद कर ली गई कोरी पारपत्र पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है;

(ग) इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) क्या चोरी के इन मामलों में पारपत्र कार्यालयों के कुछ अधिकारी भी लिप्त पाए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो किन मामलों में विभागीय जांच की गई और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(च) उक्त मामलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) 1998 में पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद में 1000 खाली पासपोर्ट पुस्तिकाओं की चोरी का एक मामला दर्ज कराया गया था।

(ख) इनमें से 972 पुस्तिकाएं मिल गई थीं।

(ग) इस संबंध में तीन गैर सरकारी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।

(घ) पासपोर्ट कार्यालय, गाजियाबाद के किसी कर्मचारी की इसमें सहापराधिता सिद्ध नहीं हुई है।

(ङ) विभागीय जांच के आधार पर एक कर्मचारी के विरुद्ध आधारिक सुरक्षा चेतावनियों का पालन न कर पाने और स्ट्रांग रूम की चाबियां ठीक ढंग से न रखने के कारण कार्यवाही आरंभ की गई थी।

मई 1999 में उस कर्मचारी पर हल्का दण्ड लगाया गया था।

(च) सरकार खाली पासपोर्ट पुस्तिकाओं की अभिरक्षा की सुरक्षा के लिए सचेत है। पासपोर्ट कार्यालयों को स्ट्रांग रूम दिए गए हैं और इनकी नियमित जांच की जाती है तथा इन्हें किसी अधिकारी के पर्यपेक्षण में रखा जाता है।

पाकिस्तान द्वारा चलाया जा रहा मिथ्यापवाद अभियान

4880. श्रीमती निवेदिता माने : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा जम्मू एवं कश्मीर मुद्दे पर चलाए जा रहे गलत सूचना देने और मिथ्यापवाद अभियान को जारी रखे जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इससे निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) पाकिस्तान नियमित आधार पर भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहा है। इस दुष्प्रचार का महत्वपूर्ण भाग जम्मू और कश्मीर में व्याप्त स्थिति को गलत तरीके से पेश करना और गलत जानकारी फैलाना है। पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार भारत के विरुद्ध उसकी बाध्यकारी आक्रामक कार्रवाई की एकमात्र अभिव्यक्ति है। यह जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को उसके आधिकारिक समर्थन और ऐसे उग्रवादी समूहों को, जो रूढ़िवादी और हिंसात्मक विचारधाराओं का समर्थन करते हैं, दिए जा रहे अपने समर्थन के प्रति बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान को कम करने का असफल प्रयास भी है।

शांति और लोकतंत्र के प्रति भारत की विश्वसनीयता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की अत्यधिक प्रशंसा और भारत में जम्मू और कश्मीर में तथा अन्य भागों में सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के प्रति अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की स्वीकारोक्ति, पाकिस्तान के भारत विरोधी प्रचार की असफलता का स्पष्ट प्रमाण है।

दलितों के पास कभी न पहुंचने वाली वस्तुएं

4881. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 30 नवम्बर, 2000 के पॉयनियर में "रूपीज 200 करोड़स वर्थ सोपस् नेवर रीच दलितस्" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या मामले की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और धनराशि की पुनर्प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस संबंध में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1997–98, 1998–99 और 1999–2000 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की छात्रवृत्ति पर क्रमशः 318.44 करोड़ रु., 353.94 करोड़ रु. और 358.69 करोड़ रु. का व्यय हुआ। राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्ति की राशि के दुरुपयोग की रिपोर्टों को गम्भीरता से लिया है और सभी आयुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों को ऐसे सभी मामलों की जांच पड़ताल करने और अपराधियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए बार–बार अनुदेश जारी किए हैं। राज्य स्तरीय

अभियानों के फलस्वरूप, 416 संस्थाओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई है। जिला पुलिस अधीक्षकों को इन मामलों की शीघ्रता से जांच करने के लिए अनुदेश भी जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने आगे अवगत कराया है कि डिरेगुलेशन कमेटी द्वारा दिए गए सुझाव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि समिति द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है और इसलिए इसका कोई अनुमान नहीं है कि शामिल की गई राशि 200 करोड़ रु. है।

अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारी

4882. श्री कालवा श्रीनिवासुलु :
श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था के मद्देनज़र बंद हो चुके स्वायत्त निकायों के तकनीकी कर्मचारियों को दूसरी निकायों में समाहित करने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां तो इन दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र-सरकार द्वारा राज्यों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अधिशेष कर्मचारियों की फिर से तैनाती) नियम, 1990 में केन्द्र-सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों के अधिशेष कर्मचारियों की फिर से तैनाती किए जाने के बारे में प्रावधान हैं। स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी उपर्युक्त योजना के अंतर्गत नहीं आते।

(ख) बंद कर दिए गए स्वायत्त निकायों के अधिशेष तकनीकी कर्मचारियों के बारे में इस मंत्रालय द्वारा कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिजाल सिंचाई से विस्थापित हुए लोग

4883. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गजपति जिलों में बिजाल सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्यान्वयन से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) उड़ीसा सरकार ने बीजल सिंचाई परियोजना की परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार

4884. श्री सुन्दर लाल तिवारी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री दिनांक 16.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3745 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार से सूचना एकत्रित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली की संचिका सं. 8/99/ए पी सी आर से संबंधित मामले लंबे समय से लंबित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) राजस्थान राज्य सरकार से अभी भी सूचना की प्रतीक्षा है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने सूचित किया है कि श्री कृष्ण लाल, पुत्र श्री नारायण बालई, निवासी ग्राम सिंगपुर, जिला सीकर, राजस्थान की शिकायत को जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक,

जिला सीकर को जांच–पड़ताल और रिपोर्ट के लिए भेजा गया। पुलिस अधीक्षक तथा जिला कलेक्टर, सीकर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि शिकायतकर्ता से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा इसकी सूचना उन्हें दी जा चुकी है।

परमाणु परीक्षणों से संबंधित आंकड़े

4885. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1998 में किए गए परमाणु परीक्षणों से संबंधित कुछ आंकड़े संगृहित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत के सुरक्षा हितों के संरक्षण के संबंध में ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। मई, 1998 में किए गए पांच परीक्षणों से सरकार को, एक विश्वसनीय न्यूनतम नाभिकीय अपरोधक आधार तैयार करने के लिए आवश्यक प्रकार के अस्त्रों का डिजायन तैयार करने के वास्ते पर्याप्त वैज्ञानिक आंकड़े प्राप्त हुए हैं। भारतीय विश्वसनीय न्यूनतम नाभिकीय अपरोधक, इस समय, निम्न उत्पादों से लेकर 200 किलोटन तक की रेंज की संभव अस्त्र प्रणालियों पर आधारित है जिनमें विखण्डन, अभिवर्धित विखण्डन और द्वि–चरणीय तापनाभिकीय डिजायन शामिल हैं।

रैबीज नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहायता देना

4886. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान देश में रैबीज से होने वाली मौतों की राज्यवार औसत संख्या कितनी है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में रैबीज नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता और तकनीक देने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी जाने वाली सहायता का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 1996, 1997 और 1998 में रैबीज/कुत्ते के काटने के मामले और इनसे हुई मौतों की सूचित संख्या का विवरण संग्लन है। रैबीज मूलतः पशुओं का रोग है। मनुष्य संयोग से इसका शिकार हो जाते हैं। सरकार पशुओं के काटने पर प्रभावन के उपरान्त (पोस्ट एक्सपोजर) चिकित्सा के रूप में निःशुल्क रैबीज प्रतिरक्षण उपलब्ध कराती है। जब कभी आवश्यकता होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता ली जाती है। रैबीज को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है।

विवरण

भारत में मुख्य संचारी रोगों के सूचित रोगी और इनसे हुई मौतें–1996

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रैबीज/कुत्ते का काटना	
		रोगी	मौत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	161	0
4.	बिहार		
5.	गोवा	12	6
6.	गुजरात	4	2
7.	हरियाणा	8	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	985	0
10.	कर्नाटक	4663	61
11.	केरल	130	16
12.	मध्य प्रदेश	869	5
13.	महाराष्ट्र	71	71
14.	मणिपुर	0	0
15.	मेघालय	279	0

1	2	3	4
16.	मिजोरम	0	0
17.	नागालैंड	56	0
18.	उड़ीसा	101	14
19.	पंजाब	25	0
20.	राजस्थान	308	2
21.	सिक्किम	0	0
22.	तमिलनाडु	20	9
23.	त्रिपुरा	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	105	0
25.	पश्चिम बंगाल	324	324
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0
27.	चंडीगढ़	1	0
28.	दादरा व नगर हवेली	4	0
29.	दमन व दीव	0	0
30.	दिल्ली	346	27
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	7	0
	कुल (सम्पूर्ण भारत)	8564	622

. प्राप्त नहीं

ांकड़ा अनंतिम है और कवरेज के सही ढंग से परिभाषित नहीं होने के ारण तुलना के योग्य नहीं है।

ोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट (स्वास्थ्य सेवा निदेशालय)।

विवरण—*जारी*

भारत में मुख्य संचारी रोगों के सूचित रोगी और इनसे हुई मौतें—1997

.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रेबीज/कुत्ते का काटना	
		रोगी	मौत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	375	78
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	148	4
4.	बिहार		
5.	गोवा	1	2
6.	गुजरात	31	2
7.	हरियाणा	3	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	79	0
10.	कर्नाटक	7125	34
11.	केरल	62	5
12.	मध्य प्रदेश	596	4
13.	महाराष्ट्र	130	130
14.	मणिपुर	0	0
15.	मेघालय	264	0
16.	मिजोरम	0	0
17.	नागालैंड	66	0
18.	उड़ीसा	160	8
19.	पंजाब		
20.	राजस्थान	1953	5
21.	सिक्किम	0	0
22.	तमिलनाडु	111	6
23.	त्रिपुरा	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	95	93
25.	पश्चिम बंगाल	262	262
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0
27.	चंडीगढ़	1	0
28.	दादरा व नगर हवेली	0	0
29.	दमन व द्वीप	0	0

1	2	3	4
30.	दिल्ली	198	18
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	11	5
	कुल (सम्पूर्ण भारत)	12071	655

● आंकड़े की सूचना नहीं। .. आंकड़ा प्राप्त नहीं।

आंकड़ा अनंतिम है और कवरेज के सही ढंग से परिभाषित नहीं होने के कारण तुलना के योग्य नहीं है।

स्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट (स्वास्थ्य सेवा निदेशालय)।

विवरण—*जारी*

भारत में मुख्य संचारी रोगों के सूचित रोगी और इनसे हुई मौतें—1998

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रेबीज/कुत्ते का काटना	
		रोगी	मौत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	377	104
2.	अरुणाचल प्रदेश		
3.	असम	36	0
4.	बिहार		
5.	गोवा	0	7
6.	गुजरात	5	1
7.	हरियाणा	1	0
8.	हिमाचल प्रदेश	2	1
9.	जम्मू व कश्मीर*	142	●
10.	कर्नाटक	9205	36
11.	केरल	106	16
12.	मध्य प्रदेश$	423	0
13.	महाराष्ट्र	69	69
14.	मणिपुर	0	0
15.	मेघालय	398	0
16.	मिजोरम	1	0
17.	नागालैंड	210	2
18.	उड़ीसा	159	9
19.	पंजाब	0	0
20.	राजस्थान	722	3
21.	सिक्किम	50	0
22.	तमिलनाडु	70	13
23.	त्रिपुरा	21	2
24.	उत्तर प्रदेश	245	91
25.	पश्चिम बंगाल	188	188
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0
27.	चंडीगढ़	"	"
28.	दादरा व नगर हवेली	1	0
29.	दमन व द्वीव	0	0
30.	दिल्ली	138	18
31.	लक्षद्वीप	0	0
32.	पांडिचेरी	6	6
	कुल (सम्पूर्ण भारत)	12575	566

● आंकड़े की सूचना नहीं । .. आंकड़े प्राप्त नहीं।

आंकड़ा अनंतिम है और कवरेज के सही ढंग से परिभाषित नहीं होने के कारण तुलना के योग्य नहीं है।

*केवल कश्मीर प्रभाग " अगस्त 1998 के आंकड़े प्राप्त नहीं।

$अक्तूबर, 1998 के आंकड़े प्राप्त नहीं।

$$जुलाई और अगस्त 1998 का आंकड़ा प्राप्त नहीं।

स्रोत : राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की मासिक स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट (स्वास्थ्य सेवा निदेशालय)।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत धन

4887. श्री रघुनाथ झा : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जरूरतमंद और सुपात्र लोगों को धन

नहीं मिलता जबकि अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उक्त कार्यक्रम के तहत कितने सुपात्र लोगों को अनुदानों से वंचित रखा गया; और

(ग) योजना को सफल बनाने और योजना की सफलता में बाधक दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 से 1999–2000 के बीच 13.60 लाख के लक्ष्य की तुलना में 15.66 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण स्वीकार किए गए। योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों तथा संबंधित बैंकों के माध्यम से इन शिकायतों को दूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर समितियां योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करती हैं।

भारत-थाईलैंड द्वारा आतंकवाद का मुकाबला

*988. **श्री जी. एस. बसवराज :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और थाईलैंड ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एक–दूसरे को सहयोग करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने थाईलैंड के विदेश मंत्री के साथ हाल ही में इस मुद्दे पर बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) थाईलैंड सरकार मामला दर मामला पारपरिकता के आश्वासन के आधार पर उग्रवादी दलों और अपराधियों से निपटने के लिए भारत सरकार को सहयोग प्रदान कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मामले में थाईलैंड के निरंतर सहयोग को सुनिश्चित किया गया।

ईश्वरी प्रसाद समिति

4889. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईश्वरी प्रसाद समिति की सिफारिशों के आधार पर गठित अन्तर–विभागीय उच्च–शक्ति प्राप्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिफारिशों की मुख्य बातें क्या–क्या हैं; और

(घ) इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (घ) बछावत वेतन बोर्ड द्वारा समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के श्रमजीवी पत्रकारों और गैर–पत्रकार कर्मचारियों से संबंधित रिपोर्ट 31.5.89 को सौंपे जाने तथा उसे 31.8.89 को स्वीकृति दिए जाने के बाद, समाचार पत्र और समाचार एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, सफाई के साथ–साथ चिकित्सा भत्ते, छुट्टी यात्रा रियायत तथा समयोपरि भत्ते आदि के मुद्दों पर विचार करने तथा इस संबंध में सरकार से उपयुक्त अनुशंसाएं करने के लिए श्री ईश्वरी प्रसाद की अध्यक्षता में 7.11.89 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। तत्पश्चात, विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने के लिए श्रम मंत्रालय में, फरवरी, 1991 में, एक अधिकारप्राप्त अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया था। अधिकारप्राप्त समिति ने 20.7.1992 को अपना कार्य पूरा कर लिया और (1) समयोपरि भत्ते (2) छुट्टी यात्रा रियायत (3) चिकित्सा देख–भाल तथा (4) सुरक्षा, स्वास्थ्य व सफाई के संबंध में निर्णय लिये।

अधिकारप्राप्त समिति ने पाया कि श्रमजीवी पत्रकार किसी प्रकार के समयोपरि भत्ता के हकदार नहीं थे और उन्हें इसके एवज में केवल उतने घंटे का विश्राम दिया जाता था जितने घंटे उन्होंने समयोपरि के तौर पर कार्य किया था। चूंकि श्रमजीवी पत्रकारों को सप्ताहांत छुट्टी की सुविधा उपलब्ध थी इसलिए अधिकारप्राप्त समिति ने इस संबंध में किसी प्रकार की अनुशंसा न करने का निर्णय लिया। छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में अधिकारप्राप्त समिति ने पाया कि बछावत वेतन बोर्ड ने किसी प्रकार की छुट्टी यात्रा रियायत की अनुशंसा नहीं की थी और यह भी कि समाचार पत्र कर्मचारियों से संबंधित विशेषज्ञ समिति को, छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में भुगतान करने की अनुशंसा करने की, अधिनियम के तहत कोई सांविधिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। चिकित्सा देख–भाल के संबंध में अधिकारप्राप्त समिति ने निर्णय लिया कि नियोक्ताओं के और कर्मचारियों के संगठन सी जी एच, पी टी आई तथा यू एन आई,

बीमा योजनाओं में से जो उनके लिए लाभकारी हो, उस पर आपस में सहमति बनायें। चिकित्सा देख–भाल संबंधी निर्णय, आपसी सहमति के आधार पर निपटान हेतु, नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के परिसंघों को भेजा गया था।

सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के संबंध में विशेषज्ञ समिति की राय थी कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ट) के उपखंड (iv) में उपयुक्त संशोधन करना वांछनीय है ताकि समाचार पत्र प्रतिष्ठान के कारखाना क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को भी कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के दायरे में लाया जा सके। अधिकारप्राप्त समिति का मानना था कि कारखाना सलाह सेवा महानिदेशक तथा श्रम संस्थान (डी जी फसली) को, कारखाना अधिनियम में संशोधन के संबंध में, समाचार पत्र कर्मचारियों से संबंधित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं की जांच करनी चाहिए। डी जी फसली कारखाना अधिनियम के तहत, समाचार पत्र प्रतिष्ठनों के लिए मॉडल नियम भी तैयार करे ताकि सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के संबंध में विशेषज्ञ समिति की विभिन्न अनुशंसाओं को इसके दायरे में लाया जा सके। अधिकारप्राप्त समिति ने ऑउटडोर ड्यूटी वाले पत्रकारों की सुरक्षा संबंधी अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने ऑउटडोर ड्यूटी वाले पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये। श्रम मंत्रालय ने भी सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में निदेश दिये कि ऑउटडोर ड्यूटी वाले समाचारपत्र कर्मचारियों के व्यवसाय को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की अनुसूची–1 में शामिल किया जाये ताकि वे अधिनियम के तहत क्षति के पात्र बन सकें। भारतीय मानक ब्यूरो ने वीडियो डिसप्ले टर्मिनलों के लिये मानक निर्धारित किये। श्रम मंत्रालय ने भी सभी राज्यों के सचिवों को अनुदेश जारी कर अनुरोध किया कि वे मुख्य कारखाना निरीक्षकों को, समाचार पत्र कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से छपाई प्रक्रिया का आद्योपांत निरीक्षण सुनिश्चित करने की सलाह दें–खासकर परम्परागत प्रेसों का।

पत्रकारों और गैर–पत्रकार समाचार पत्र और समाचार एजेंसी कर्मचारियों के लिये 2.9.1994 को गठित मनीसाना वेतन बोर्ड ने अपनी अंतिम सिफारिशें 25.7.2000 को प्रस्तुत कीं। वेतन बोर्ड ने समाचार पत्र कर्मचारियों, पत्रकारों सहित, के लिये छुट्टी यात्रा तथा चिकित्सा भत्ते के संबंध में अनुशंसाएं कीं और इन्हें आंशिक संशोधन के साथ सरकार ने मान लिया है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

4890. श्री किरीट सोमैया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय जिलाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले समय और तत्संबंधी खामियों को दूर कर दिया है;

(ख) क्या स्थानीय प्रशासन स्थानीय संसद सदस्य द्वारा संस्तुत आबंटन और योजनाओं को लागू करने में कई महीने लगा देता है;

(ग) क्या मुंबई के जिलाधीशों ने स्थानीय संसद सदस्यों द्वारा व्यायामशालाओं में कम्प्यूटर और उपकरण उपलब्ध कराने हेतु संस्तुत सुझावों को अभी तक लागू नहीं किया है;

(घ) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में पासबुक लागू नहीं किया जाता है और पासबुक में नियमित रूप से प्रविष्टियां नहीं की जातीं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने और योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारत सरकार द्वारा सभी संबंधितों को योजना के कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने के लिए निर्देश जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। कुछ समय पूर्व, सभी जिलों को, सांसदों द्वारा उनकी पात्रता की सीमा तक अनुशंसित कार्यों को सरकार से निधियां प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सभी राज्य सरकारों से योजना के कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने एवं समस्याओं के समाधान के लिए माननीय अध्यक्ष तथा साथ ही राज्य मंत्री (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन) की अध्यक्षता में आवधिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं।

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों में अनुबंधित है कि, जहां तक संभव हो, जिला कलेक्टर संबद्ध सांसदों से अनुशंसाएं प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के अंदर कार्यों के लिए संस्वीकृति जारी करें।

(ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के वर्तमान दिशा निर्देशों के अंतर्गत, सरकारी विद्यालयों/कालेजों तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के लिए भी शैक्षिक प्रयोजन से कम्प्यूटर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। वस्तु सूची मद होने के कारण व्यायामशालाओं के लिए उपस्कर उपलब्ध कराना सांसद स्थानीय

क्षेत्र विकास योजना के वर्तमान दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमेय नहीं है।

(घ) और (ङ) दिशा निर्देशों में संशोधन किए गए हैं तथा सभी जिला कलेक्टरों को सुझाव दिया गया है कि वे प्रत्येक एकांतर माह की 10 तारीख तक संबंधित सांसदों को अद्यतन पासबुकों की फोटो प्रतियां जारी करें।

[हिन्दी]

गुजरात और बिहार में मेडिकल कालेजों की स्थापना

4891. श्री मानसिंह पटेल :
प्रो. दुखा भगत :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात और बिहार में माडवी और लोहारदग्गा में मेडिकल कोलजों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के विचार से प्रश्न नहीं उठते।

कम्प्यूटर संस्थान

4892. श्री नवल किशोर राय :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकार बहुत से कम्प्यूटर संस्थान चला रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय चलाए जा रहे ऐसे संस्थान कौन–कौन से हैं और मार्च, 2000 तक प्रत्येक संस्थान में कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया तथा गत वर्ष के दौरान प्रत्येक संस्थान ने कितनी राशि का लाभ अर्जित किया;

(ग) क्या इन संस्थानों ने उक्त अवधि के दौरान लाभ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/प्रभावित हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) सरकारी सहायता प्राप्त लगभग 235 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनमें से अधिकांश सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रम चला रहे हैं। सरकार ने हाल ही में दो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना ग्वालियर और इलाहाबाद में की है, जो मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन संस्थानों पर अब तक किया गया पूंजीगत व्यय बहुत अधिक नहीं है क्योंकि परिसर के निर्माण का कार्य इसी वर्ष के दौरान शुरू हुआ है। इन संस्थानों की स्थापना लाभ के लिए नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

विदेश नीति

4893. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हमारी विदेश नीति में क्या परिवर्तन किए गए हैं; और

(ख) इसका, विशेषतः हमारे पड़ोसी देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) विदेश नीति एक गतिशील सतत प्रक्रिया है जो राजनीतिक युक्तियों तथा हमारे इर्द–गिर्द के सामाजिक आर्थिक परिवेश के वास्तविक एवं व्यावहारिक आकलन पर आधारित है। यद्यपि हमारी विदेश नीति के मूल भूत सिद्धांतों और लक्ष्यों में स्थिरता बनी रहती है, तथापि हमारी नीति की प्राथमिकताओं और केन्द्र बिन्दु को नई चुनौतियों और समूचे विश्व तथा हमारे पड़ोस में घट रही घटनाओं के प्रत्युत्तर में परिवर्तन से भी गुजरना पड़ता है। हाल ही में पिछले तीन वर्षों में हमारे पड़ोसियों ने हमारी नीतियों के परिवर्तन से हुए प्रभावों को अधिक समझ–बूझ एवं सराहना के साथ अपना सहयोग दिया है और हम विश्व की प्रमुख शक्तियों के साथ गुणात्मक नया संबंध जोड़ पाए हैं।

सीएमसी के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

4894. श्री राम टहल चौधरी : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान संसद सदस्यों से "कम्प्यूटर मेन्टेनेन्स कोर्पोरेशन" के अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) इन शिकायतों में, एक वरिष्ठ अधिकारी की भर्ती के मामले में भर्ती नियमों के उल्लंघन, कंपनी की प्रस्तावित साम्या पूंजी इश्यू के लिए समुचित सरकारी अनुमोदन के बिना मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति, बीआरआई (यूरोप) की वित्तीय अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जा रही जांच के बावजूद सीएमसी का लंदन में कार्यालय खोलने, आदि के बारे में अभियोग हैं।

(ग) प्रारम्भिक जांच के बाद, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास उनके परामर्श के लिए भेज दिया गया है।

श्रम कानूनों में संशोधन

4895. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश की खानों और खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए श्रम कानूनों में किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1998–99 और 2000 के दौरान श्रम कानूनों में उल्लिखित सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई; और

(ग) सरकार द्वारा उन खानों/कारखाना मालिकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त अवधि के दौरान ऐसी दुर्घटनाएं हुई थीं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

पिछड़े राज्यों को प्रोत्साहन

4896. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के कालाहांडी–बालंगीर–कोरापुर जैसे पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं जैसे एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजना (आई.आई.डी.), ग्रोथ सेंटर स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि के अंतर्गत उड़ीसा सहित देश के पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन देती है। इसके साथ–साथ सरकार ने देश के पिछड़े जिलों में उद्योगों के विकास हेतु विद्यमान योजनाओं और चल रहे कार्यक्रमों को जारी रखने और सुदृढ़ करके तथा आवश्यकता आधारित नयी योजना तैयार करने की रणनीति बनाई है। इनका संबंध ऋण की अधिक आपूर्ति, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधारभूत संरचना विकास, बाजार विकास, उद्यमिता विकास इत्यादि से है। उड़ीसा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर खुर्दा, रायगढ़ और जगतसिंहपुर जिलों में तीन आई.आई.डी. केन्द्रों और छत्तरपुर (गंजम), कलिंगनगर–डुबरी (कटक), झारसुगुडा (झारसुगुडा) और केसिंगा (कालाहांडी) में चार वृद्धि केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों नामतः फूलबनी, कालाहांडी (श्रेणी ए) और बोलांगिर, मयूरगंज, बालासोर ओर गंजम (श्रेणी बी) में स्थापित नए उद्यमों हेतु पांच वर्षीय टैक्स होली–डे और अगले 5 वर्षों के लिए लाभों और प्राप्तियों से 25 प्रतिशत कटौती (कम्पनियों के मामलों में 30 प्रतिशत) के रूप में राजस्व प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता देने संबंधी दिशानिर्देश

4897. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गैर–सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करने संबंधी दिशा–निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संगठनों का कार्यकरण कैसा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। दिशा–निर्देशों की मुख्य योजनाएं इस प्रकार हैं :

* अब तक सेवा से वंचित क्षेत्रों में कार्यरत अच्छे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करना तथा उन क्षेत्रों में स्वस्थ क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य से हस्तक्षेप का विस्तार करना जहां अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

* यह सुनिश्चित करना कि सहायता का विस्तार उपलब्ध सीमित संसाधनों को ध्यान में रखकर समानता पूर्वक किया जाए, स्वैच्छिक संगठनों को अपने कार्यकलाप जारी रखने के लिए अपनी वित्तीय सहायता प्रणाली को गतिशील बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसका मूल उद्देश्य यह है कि स्वैच्छिक संगठनों को केवल सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

* इसलिए स्वैच्छिक संगठनों के लिए अपेक्षित उद्देश्य केवल अपने कार्यकलापों को वित्तीय रूप से जारी रखना ही नहीं है अपितु सामुदायिक समर्थन तथा उनकी भागीदारी सहित उनके पास उपलब्ध सभी संसाधनों को शामिल करना भी है।

* स्वैच्छिक संगठन लाभग्राहियों से श्रेणीकृत पैमाने पर प्रयोक्ता शुल्क वसूल करने का प्रयास करेंगे जो आय से संबंधित होंगे।

* दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि वित्त पोषण की पद्धति घटते हुए आधार पर होगी। उन स्वैच्छिक संगठनों, जिन्हें पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की गई है, का वित्त पोषण टेपरिंग पैमाने पर इस प्रकार किया जाएगा कि दस वर्षों की अवधि से अधिक होने पर इस मंत्रालय से सहायतानुदान समाप्त हो जाएगा।

* इन दिशानिर्देशों में मानीटरिंग तथा मूल्यांकन तंत्र संबंधी सुधार की परिकल्पना की गई है। केवल राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों पर निर्भर नहीं रहते हुए गहन मानीटरिंग का सुझाव दिया गया है।

* स्वैच्छिक कार्यकलाप के संबंध में एक डाटाबेस तैयार करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों के संबंध में एक अनन्य डाटाबेस का रखरखाव करने संबंधी इस मंत्रालय के अभिप्राय का उल्लेख किया गया है जो स्वैच्छिक संगठनों की क्षमता, पहुंच, विशेषज्ञता के क्षेत्र तथा भागीदारी और उनकी क्षमता एवं समर्थन के बारे में एक बहुमूल्य सूचना के रूप में कार्य करेगा।

* सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के कार्य निष्पादन की मानीटरिंग और मूल्यांकन राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, नोडल एजेंसियों तथा मंत्रालय के अपने अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। इस प्रक्रिया में आगे सुधार करने के उद्देश्य से स्वयं गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्टिंग से संबंधित प्रपत्र तथा निरीक्षणों के लिए प्रोफार्मा को डाटा संबंधी गुणवत्ता के उद्देश्य से संशोधित किया गया है जिससे निधियों के गबन की संभावनाएं कम होती हैं। अपनाए जा रहे अन्य उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ की गई निर्भुक्तियों के प्रचार को बेहतर बनाना शामिल है ताकि इन गैर–सरकारी संगठनों के कार्य को जनता की सूक्ष्म जांच के अधीन लाया जा सके जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही में सुधार हो सके, प्रभावी मानीटरिंग आदि के लिए जांचों की बारम्बारता में वृद्धि हो सके।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियों पर भारत-चीन समझौता

4898. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन भारत को जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में इस संबंध में चीन के साथ नई दिल्ली में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कार्यशील पूंजी

4899. श्री बसुदेव आचार्य :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1998–99 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधीन इकाइयों की कार्यशील पूंजी को कम कर देने के परिणामस्वरूप उत्पादन में भारी गिरावट आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार खादी और ग्रामोद्योगों में पूंजी निवेश का वर्तमान प्रमात्रा की सीमा बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सरकार ने इस क्षेत्र की इकाइयों में पूंजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की;

(ङ) क्या मौजूदा इकाइयों की पूंजीगत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राथगिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण सीमा को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारत सरकार ने दिनांक 27.10. 1994 की अधिसूचना द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति शिल्पी/कामगार की नियत पूंजी निवेश सीमा को रु. 15000/– से बढ़ाकर रु. 50,000/– कर दिया है।

(ङ) पर्याप्त क्रेडिट की उपलब्धता का सुनिश्चय बैंकों में मार्जिन मनी स्कीम का निरन्तर मोनीटर किए जाने के माध्यम से किया जाता है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

कम्प्यूटर हार्ड डिस्क

4900. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री ए. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 22 नवम्बर, 2000 को "स्टेट्समैन" में यथा प्रकाशित समाचार के अनुसार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के परिसर से महत्वपूर्ण अनुसंधान सामग्री से युक्त कम्प्यूटर हार्ड डिस्कें चोरी हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/ प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि 11 नवम्बर, 2000 को पूर्वाह्न में यह पाया गया कि परिषद के मुख्य भवन की दूसरी मंजिल के सात कमरों के दरवाजों को तोड़कर खोला गया था और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिटों के नौ कम्प्यूटरों के पुर्जों को अलग–अलग करके हार्ड डिस्क और अन्य हार्डवेअर की चोरी की गई थी। तथापि, चोरी किए गए आंकड़े संवेदनशील प्रकार के नहीं हैं। और प्रकाशित न की गई रिपोर्टों के नहीं हैं। इस प्रकार आई.पी.आर. अथवा इससे जुड़े विषयों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने डिफेंस कालोनी पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में 11.11.2000 को इसकी शिकायत की है और इसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और जांच कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त विभागीय जांच का भी आदेश दिया गया है और परिषद में सुरक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ कर दी गई है।

वक्फ बोर्ड

4901. श्री जी.एम. बनातवाला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन–कौन से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अभी वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत अभी तक (1) राज्य वक्फ बोर्ड और (2) वक्फ अधिकरणों का गठन करना है;

(ख) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने वक्फ सर्वेक्षण किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने कितने वक्फ अधिकरणों का गठन किया है और उनमें से प्रत्येक के समक्ष कितने–कितने मामले लम्बित हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अधिकरणों की उपयुक्त संख्या और राज्यों के विभिन्न भागों में आवश्यकतानुसार उनकी स्थापना के प्रश्न को उठाया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) वक्फ अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के बाद, केन्द्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड का गठन, सर्वेक्षण आयुक्तों की नियुक्ति, वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण तथा न्यायाधिकरणों की स्थापना सहित वक्फ अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है। इस मामले को समय–समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य वक्फ बोर्डों के गठन के बारे में सूचना दी है।

कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ने क्रमशः 4, 3 और 23 न्यायाधिकरणों के गठन के बारे में सूचित किया है। उत्तर प्रदेश ने सभी जिलों में न्यायाधिकरणों का गठन किया है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, दिल्ली और लक्षद्वीप ने भी न्यायाधिकरणों के गठन की सूचना दी है।

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, प. बंगाल, दादरा और नगर हवेली तथा दिल्ली राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विभिन्न चरणों में वक्फ सम्पत्तियों के सर्वेक्षण के बारे में सूचित किया है।

प्रत्येक न्यायाधिकरण के समक्ष लम्बित मामलों की संख्या के ब्यौरे राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रखे जाते हैं।

भारत-अमरीकी वार्ता

4902. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय हेतु भारतीय प्रस्ताव पर समूह–8 राष्ट्रों के पूर्ण समर्थन का वचन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका का विदेश विभाग भी हमारे पड़ोसी देशों, विशेषतः अफगानिस्तान में नशीली दवाओं के आवागमन में वृद्धि के प्रति भारत की चिंताओं से सहमत था;

(ग) यदि हां, तो क्या अमरीका, विदेश सचिव स्तर की तीसरे दौर की भारत–अमरीकी वार्ता के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन वार्ताओं के कब तक होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) फरवरी, 2000 में आतंकवाद उन्मूलन संबंधी भारत अमरीका संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक के दौरान, दोनों पक्ष भारत द्वारा प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद अभिसमय पर चर्चा करने के लिए एक दूसरे के विधिक विशेषज्ञों की एक बैठक आयोजित करने के लिए सहमत हुए थे। दोनों पक्षों के बीच चर्चा के पश्चात्, अमरीका ने जी–8 में भारत के प्रस्ताव के लिए समर्थन दिया था। सितंबर में संयुक्त कार्य दल की दूसरी बैठक के दौरान, संयुक्त कार्य दल ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध एक संयुक्त राष्ट्र व्यापक अभिसमय संबंधी भारत के प्रस्ताव के लिए समर्थन भी व्यक्त किया और इस प्रयोजन के लिए कार्य करने पर सहमति हुई।

(ख) दोनों पक्षों ने भारत के पड़ोस में स्वापकों की अवैध व्यापारिक वृद्धि के बारे में चिंताओं से पूर्ण सहमति व्यक्त की। स्वापक नियंत्रण में अपने बीच जारी सहयोग के अतिरिक्त दोनों पक्षों ने स्वापकों के अवैध व्यापार और आतंकवाद के साथ उसके संपर्कों को आतंकवाद उन्मूलन से सम्बद्ध संयुक्त कार्य दल के अधिदेश में शामिल करने का भी फैसला किया है। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान, दोनों पक्ष अफगानिस्तान पर परस्पर हित चिंताओं की चर्चा करने के लिए द्विपक्षीय संवाद की एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए सहमत हुए।

(ग) और (घ) मार्च 2000 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्लिंटन के बीच सहमत संस्थागत संवाद की संरचना के एक भाग के रूप में नए संबंध दृष्टिकोण पत्र को क्रियान्वित करने जिसे उन्होंने रेखांकित किया था, दोनों पक्ष विदेश सचिव और राजनैतिक मामलों के अमरीकी अण्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट के स्तर पर नियमित विदेश कार्यालय परामर्श और एशियाई सुरक्षा संवाद आयोजित करने के लिए सहमत हुए हैं। इन परामर्शों के दो दौर 24–25 मई तक और 31 अगस्त–सितंबर, 2000 तक संपन्न हो गए हैं।

आगामी बैठक परस्पर सहमत तारीख को जनवरी 2001 में नए अमरीकी प्रशासन के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् संपन्न होगी।

हैपेटाइटिस-सी

4903. श्री नरेश पुगलिया :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन थैलेसेमिया रोग से पीड़ित बच्चों को सुरक्षित रूप से खून चढ़ाने को सुनिश्चित करने के लिए "ब्लड बैंकों" में हैपेटाइटिस–सी के लिए खून की जांच को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में थैलेसेमिया रोग से पीड़ित बच्चों के जन्म को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने थैलेसेमिया रोग से पीड़ित बच्चों समेत सभी के लिए सुरक्षित रक्ताधान सुनिश्चित करने के लिए देश के सभी रक्त बैंकों में यकृतशोध–सी विषाणु (एच.सी.वी.) की जांच अनिवार्य बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। एच.सी.वी. परीक्षण में सरकारी और धर्मार्थ क्षेत्र के रक्त बैंकों के चिकित्साधिकारियों और प्रयोगशाला तकनीशियनों का राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। रक्त बैंकों के लिए एच.सी.वी. परीक्षण को अनिवार्य बनाने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों में संशोधन किया जा रहा है। एच.सी.वी. परीक्षण किटों का अधिप्रापण किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जहानाबाद नहर परियोजना का पुनरुद्धार

4904. श्री अरुण कुमार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जहानाबाद नहर परियोजना लम्बी और सतत उपेक्षा के कारण अपनी उपयोगिता खो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) जहानाबाद नहर परियोजना नामक कोई परियोजना नहीं है। तथापि, बिहार सरकार ने सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना फेज–I का प्रस्ताव किया है, जिससे जहानाबाद जिला को भी लाभ होगा। इस प्रायोगिक परियोजना में वितरणियों, माइनरों और खेत चैनलों संबंधी आधुनिकीकरण कार्य में निम्नलिखित नहर प्रणालियां शामिल होंगी :

(i) पटना नहर

(ii) आरा नहर

(iii) बक्सर नहर

(iv) गारा चौबे शाखा नहर

इस परियोजना को जुलाई, 1998 के दौरान योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान की गई है।

लघु उद्योगों को बंद किया जाना

4905. श्री सुबोध खां : क्या लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में उच्च प्रशुल्क दर के कारण भारी संख्या में लघु उद्योग बंद हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-ईरान संबंध

4906. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईरानी कच्चे तेल के बदले खाद्यान्न विनिमय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नारियल विकास बोर्ड

4907. श्री पी. सी. थामस : क्या लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल और नारियल पेड़ के भागों के उपयोग के लिए उद्योगों को दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान किए जाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना के अनुसार वर्तमान में कितनी इकाइयां काम कर रही हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) बोर्ड द्वारा पहचान किए गए नारियल आधारित उद्योग निम्नलिखित हैं :

(1) केःनल आधारित उद्योग,

(2) नारियल पानी आधारित उद्योग,

(3) नारियल छिलका आधारित उद्योग,

(4) हॅस्क (भूसी) आधारित उद्योग।

(ख) जी, हां

(ग) और (घ) बोर्ड द्वारा उद्यमियों की सहायता के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाएं निम्नलिखित हैं :

1. नारियल आधारित उद्योगों को भवन/संयंत्र/मशीनरी की लागत के 25 प्रतिशत की दर पर अथवा 2.5 लाख रु. इसमें से जो भी कम हो, की वित्तीय सहायता।
2. नारियल संसाधन इकाइयों में एगमार्क/आई एस ओ मानकों को लागू करने के लिए प्रयोगशाला उपकरणों की लागत के 25 प्रतिशत की दर पर अथवा 1 लाख रु. इसमें से जो भी कम हो, की वित्तीय सहयता।

बोर्ड के मुख्यालय कोच्ची में एक परामर्शी सेवा प्रकोष्ठ है, जो उद्यमियों/उद्योगों की उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने, परियोजना संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करने तथा नारियल आधारित परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में सहायता देता है। बोर्ड की तकनीकी सहायता से देश के विभिन्न भागों में 17 इकाईयों की स्थापना की गई है।

टीकाकरण कार्यक्रम

4908. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एड्स की तरह फैलने वाले और बड़े पैमाने पर मौत और अस्वस्थता के लिए विश्व भर में जिम्मेवार रोग हैपेटाइटिस की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कितने भारतीय लोग हैपेटाइटिस विषाणु से बाधित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) हैपेटाइटिस–बी वैक्सीन को बाह्य अभिकरणों की वित्तीय सहायता से चुने हुए शहरों और जिलों में प्रायोगिक आधार पर शामिल करने का एक प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

विभिन्न अध्ययनों से देश में 2 से 8.5 प्रतिशत की व्याप्तता दर का पता लगता है।

पारागोडू सिंचाई परियोजना

4909. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारागोडू सिंचाई परियोजना पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जल आयोग ने आंध्र प्रदेश को परियोजना की परियोजना रिपोर्ट ब्यौरा भेजने के लिए कर्नाटक सरकार को निर्देश दिये हैं;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने आंध्र प्रदेश को रिपोर्ट भेज दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कर्नाटक सरकार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे कर्नाटक सरकार को प्रस्तावित पारागोदु सिंचाई परियोजना का निर्माण शुरू न करने और आंध्र प्रदेश को परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति शीघ्र प्रस्तुत करने तथा 1892 के समझौते के अनुसार आन्ध्र प्रदेश की पूर्व सहमति प्राप्त करने से पहले नदी पर किसी कार्य का निर्माण शुरू न करने की सलाह दें। केन्द्रीय जल आयोग ने 03.04.2000, 11.08.2000 और 10.10.2000 को 1892 के समझौते के अनुसार कर्नाटक राज्य सरकार से आंध्र प्रदेश को परियोजना के ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

कामकाजी महिला संबंधी कृतक बल

4910. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्थित मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग में कार्यरत महिलाओं के कार्य और जीवन स्तर संबंधी स्थिति के अध्ययन हेतु कोई कृतक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन, कार्यकरण और कार्यकाल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृतक बल द्वारा अब तक क्या उपलब्धि हासिल हुई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) जी हां। कृतक बल का संघटन निम्न प्रकार है :

(1) संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय (अध्यक्ष)

(2) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) (सदस्य)

(3) संयुक्त सचिव, पशुपालन मंत्रालय (सदस्य)

(4) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (सदस्य)

(5) संयुक्त निदेशक, एम.पी.ई.डी.ए., वाणिज्य मंत्रालय, कोचीन (सदस्य)

(6) महानिदेशक, श्रम कल्याण, श्रम मंत्रालय (सदस्य–संयोजक)

कृतक बल ने क्षेत्र अध्ययन दलों का गठन किया है जिसने तटवर्ती राज्यों में मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग में कार्यरत महिला कामगारों के जीवन स्तर और कार्य दशाओं के संबंध में जांच की है।

कृतक बल का कार्यकाल 31.01.2001 तक बढ़ा दिया गया है।

स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल/औषधालय

4911. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों/औषधालयों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान उक्त उल्लिखित क्षेत्र में इसके लिए वर्षवार कितना बजट आबंटित किया गया और उन स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों की स्थापना के लिए अब तक किन–किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है। अस्पतालों, औषधालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और उनका रख–रखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता 1318 होने का अनुमान है। इस समय राज्य में 1410 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं। तमिलनाडु में 2000–2002 के वर्षों के दौरान और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय और अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) लागू नहीं होता।

चिकित्सा सुविधाएं

4912. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई योजना लागू की है जिसके तहत सुदूर गांवों के ग्रामीणों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सरकार ने ग्रामीण और दूर–दराज के क्षेत्रों में उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की एक त्रिस्तरीय पद्धति स्थापित की है जिसके अधीन लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य परिचर्या/चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। देश के दूरस्थ क्षेत्रों में मुफ्त चिकित्सीय सुविधाओं की आउटरोच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत ढांचे की स्थापना करने हेतु मानदण्डों में ढील दी है जो इस प्रकार है :

आधारभूत ढांचा	जनसंख्या मानदण्ड	
	मैदानी क्षेत्र	जनजातीय पर्वतीय क्षेत्र
उप केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000

स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्य का एक विषय है, जबकि केन्द्र कुछ गर्भ निरोधकों, कुछ बुनियादी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या औषध (मेडिकेशन) तथा देशी चिकित्सा पद्धति के कुछ उत्पादों की मुफ्त आपूर्ति करता है।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड

4913. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एच.एल.एल.) अपने उत्पादों में विविधता लाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है और इसके लाभ तथा हानि क्या हैं;

(ग) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने विभिन्न चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण उत्पादों में विविधता लाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की क्या विस्तार योजनाएं हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड स्वास्थ्य परिचर्या उत्पाद जैसे कि सिरिंज, सीवन, सेनिटरी नैपकिन, टिशू एक्सपैंडर इत्यादि बनाकर अपने उत्पादों में विविधता लाने की योजना बना रहा है।

पिछले तीन वर्षों के लिए हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की वित्तीय रूपरेखा निम्नलिखित है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	टर्न ओवर	शुद्ध लाभ
1997–98	6606.43	78.40
1998–99	8724.20	257.74
1999–2000	10255.04	739.03

(ग) और (घ) जी, हां। हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड पहले ही ब्लड बैग तथा हाइड्रोसेफलस शंट बनाकर अपने उत्पादों में विविधता ला चुका है। ये उत्पाद 1995 से अक्कुलम कारखाना, तिरुवनंतपुरम में विनिर्मित किए जा रहे हैं।

(ङ) जैसा कि ऊपर (ख) में बतलाया गया है।

उपरि कृष्णा सिंचाई परियोजना

4914. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में उपरि कृष्णा सिंचाई परियोजना से संबंधित अब तक पूरा हुए कार्यों का प्रतिशत क्या है; और

(ख) परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) सितम्बर, 2000 को अपर कृष्णा परियोजना की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

नागपुर बांध	—	100%
नारायणपुर बायां तट नहर	—	100%
शाहपुर शाखा नहर	—	100%
इन्डी शाखा नहर (0–64 कि.मी.)	—	100%
इन्डी शाखा नहर (64–172 कि.मी.)	—	37%
मुदबल शाखा नहर	—	100%
जेवारगी शाखा नहर	—	70%

अलमट्टी बायां तट नहर (77.647 कि.मी. तक)	—	50%
अलमट्टी बांध	—	100%

(ख) इस परियोजना को नौवीं योजना के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशन के कार्य भार

4915. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री पी. आर. खूंटे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशन के कार्य भार में कई गुना वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पर्याप्त कर्मचारी और अन्य सुविधाएं देकर इन मिशनों को मजबूती प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार रियाद और जेद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावासों में भारी कार्य भार के मद्देनजर दमन में एक अतिरिक्त वाणिज्य दूतावास खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां। खाड़ी के देशों में कार्यरत भारतीय समुदाय की संख्या में संवर्धन द्विपक्षीय व्यापार सेवाओं और बेहतर राजनैतिक सम्पर्कों के कारण पिछले वर्षों के दौरान वहां स्थित हमारे मिशनों पर कार्य भार बढ़ा है।

(ख) और (ग) विदेश स्थित हमारे सभी मिशनों में कर्मचारियों की संख्या की निरंतर समीक्षा की जाती है; इसका मूल्यांकन व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है।

(घ) और (ङ) सऊदी अरब की सरकार ने अभी तक दम्मान में कोंसलावास खोले जाने पर सहमति प्रदान नहीं की है। तथापि उस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को पासपोर्ट और कोंसली सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रियाद स्थित हमारा मिशन प्रत्येक सप्ताह कोंसली दल भेजता है।

[अनुवाद]

विदेश नीति में परिवर्तन

4916. श्री विनय कुमार सोराके : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इजराइल से अपने संबंधों के संबंध में अपनी विदेश नीति में काफी परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह इस्लामिक देशों के साथ हमारे संबंधों के सन्दर्भ में नुकसानदेह साबित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस्लामी देशों के संगठन ने हाल ही में दोहा में सम्पन्न अपने शिखर सम्मेलन के लिए तालिबान को आमंत्रित किया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इस्लामी देश पश्चिमी एशिया की समस्याओं पर भारत के रवैये की प्रशंसा करते हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) इजराइल के साथ हमारी नीति हमारे राष्ट्रीय हितों द्वारा अधिदेशित होती रहेगी। हमारी नीति का मुख्य आकर्षण कृषि, पर्यटन, संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार निवेश और संचार जैसे विविध क्षेत्रों में इजराइल के साथ सहयोग बढ़ाना है। भारत समान रूप से, इस्लामी देशों के साथ अपने बहुआयामी संबंधों का अनुसरण जारी रखेगा और परस्पर लाभकारी सहयोग को मजबूती और विविधता प्रदान करता रहेगा।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) से (झ) अरब और इस्लामी विश्व के देश फिलीस्तीनी समस्या के लिए भारत के सतत और स्थायी समर्थन को मानते हैं और उसकी सराहना करते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रावास

4917. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों के केन्द्र प्रायोजित योजना "छात्रावासों का निर्माण" के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए निर्माण किए जाने वाले भवनों की लागत का 50 प्रतिशत धनराशि प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1995–96, 1997–98 और 1998–99 के दौरान भवन निर्माण के संबंध में 8 सितम्बर, 1999 और 14 सितम्बर, 1999 को कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकार को केन्द्र का हिस्सा न जारी किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) आवश्यक धनराशि को कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, हां। कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने दिनांक 8 सितम्बर, 1999 के पत्र के तहत 320.00 लाख रुपये की लागत से अनुसूचित जाति लड़कियों के 16 छात्रावासों के निर्माण का एक प्रस्ताव भेजा था। केन्द्रीय अंश 50 प्रतिशत के लिए 160.00 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं जिसके प्रति 70,88,500 रुपये उपयोग न की गई राशि को समायोजित करने के बाद निर्मुक्त किए गए हैं।

कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने दिनांक 14 सितम्बर, 1999 के पत्र में 29.641 लाख रुपये के लिए 1995–96 में, 693.899 लाख रुपये के लिए 1997–98 में, 313.822 लाख रुपये के लिए 1998–99 में तथा 340.00 लाख रुपये के लिए 1999–2000 में भेजे गए लड़कों के छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रस्तावों का उल्लेख किया है।

(ङ) वर्ष 1995–96 तथा 1997–98 के दौरान छात्रावास निर्माण के लिए प्रस्तावों पर विचार किया गया परन्तु पूर्ववर्ती वर्षों में निर्मुक्त निधियों का उपयोग नहीं किए जाने के कारण मंजूर नहीं किए जा सके। वर्ष 1998–99 के दौरान 700.00 लाख रुपये की लागत पर अनुसूचित जाति के लड़कों के 35 छात्रावासों के निर्माण को अनुमोदित किया गया और केन्द्रीय अंश के लिए 350.00 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए। वर्ष 1999–2000 के दौरान, 680 लाख रुपये की लागत पर अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए 34 छात्रावासों के निर्माण को अनुमोदित किया गया है और केन्द्रीय अंश के रूप में दिनांक 24.2.2000 तथा 23.6.2000 को 340.00 लाख रुपये निर्मुक्त किए गए।

अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार

4918. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के पास अत्याचार से संबंधित कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) क्या ऊंची जातियों के लोगों ने कोरापुट, रायगाड़ा और मल्कानगिरी जिलों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों की कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो आयोग द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या उड़ीसा के घोषित अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के नाम से भूमि बेचने/खरीदने पर आम प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो आयोग द्वारा इस संबंध में न्याय देने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने सूचित किया है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचारों से संबंधित मामले दर्ज नहीं करते हैं। आयोग का कार्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए संवैधानिक रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और मानीटर करना है तथा राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। तथापि, भुवनेश्वर में आयोग के राज्य कार्यालय को उड़ीसा राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से वर्ष 1998 से आज तक 120 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) उड़ीसा के कोरापुट, रायगाड़ा और मल्कानगिरि जिले के अनुसूचित जनजाति समुदाय से ऐसी कोई शिकायत आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) आयोग ने सूचित किया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय भूमि की बिक्री और खरीद उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पत्ति अंतरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) विनियम, 1956 (1956 का विनियम 2) द्वारा विनियमित है। उड़ीसा राज्य सरकार से इसके बारे में और अधिक ब्यौरा भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

मोरहर-दरधा-पुनपुन सिंचाई परियोजना

4919. मोहम्मद शहाबुद्दीन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से मोरहर–दरधा–पुनपुन और तितैया–थाथर सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) बिहार सरकार से मई, 2000 में पुनपुन–मोरहर–दरधा परियोजना के प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुए हैं। इस परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना पर निर्भर करती है। तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा तिल्लैया–धाधर परियोजना पर विचार किया गया और कुछ टिप्पणियों के अधीन इसे स्वीकार किया गया।

[अनुवाद]

पथरी हटाने की नई तकनीक

4920. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी अस्पतालों में गुर्दा से पथरी हटाने की नई तकनीक शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) भारत के संविधान के अन्तर्गत "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है इसलिए अपनी प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अपने अस्पतालों में उपचार की नई तकनीकें शुरू करना संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेवारी है।

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के संबंध में, सफदरजंग अस्पताल में ई.एस.डब्ल्यू.एल. (लिथो ट्रीप्सी) की नई तकनीक शुरू करने का प्रस्ताव है। यह तकनीक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक नायक अस्पताल में उपलब्ध है।

कृषि और ग्रामीण उद्योग

4921. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर बिहार में कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु सरकार की नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई और व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सरकार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योगों को वित्तीय, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय सहायता के रूप में सहायता उपलब्ध कराती है। केवीआईसी की मार्जिन मनी योजना बिहार सहित पूरे देश में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। 10 लाख रु. से अधिक तथा 25 लाख रु. तक की परियोजना लागत पर मार्जिन मनी, 10 लाख रु. का 25 प्रतिशत जमा परियोजना की शेष लागत पर 10 प्रतिशत की दर से मार्जन मनी दी जाती है। कमजोर वर्गों के लिए, 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत पर 30 प्रतिशत की दर से मार्जन मनी दी जाती है तथा शेष राशि (25 लाख रु. तक) के लिए 10 प्रतिशत की दर से मार्जन मनी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत, लघु नकारात्मक सूची में उल्लिखित उद्योगों को छोड़कर सभी ग्राम उद्योगों को लाभ स्वीकृत किए जाते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा बिहार राज्य में खादी और ग्राम उद्योगों को किया संवितरण निम्न प्रकार है :

(लाख रुपये में)

वर्ष	अनुदान	ऋण
1997–98	752.45	30.31
1998–99	1230.49	60.85
1999–2001	349.84	26.37

तमिलनाडु में कृषि और ग्रामीण उद्योग

4922. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को तमिलनाडु में अपने वर्तमान कृषि और ग्रामीण उद्योगों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु तमिलनाडु सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर तमिलनाडु में कृषि/ग्रामीण उद्योग के विकास हेतु आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने और ऋण योजना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों में इसके लिए आबंटित धनराशि का वर्ष–वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से खादी और ग्रामोद्योग को वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता के रूप में प्रदान करती है।

केवीआईसी की मार्जिन मनी स्कीम तमिलनाडु सहित देशभर में लागू है। उक्त स्कीम के अन्तर्गत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में प्रदान किया जाता है। परियोजना लागत जोकि 10 लाख रु. से ऊपर की है और 25 लाख रु. तक है उसमें 10 लाख रु. तक मार्जिन मनी की दर से 25 प्रतिशत है जमा परियोजना लागत की शेष राशि का 10 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। कमजोर वर्गों के मामले में 10 लाख रु. तक की परियोजना, लागत के संबंध में मार्जिन मनी 30 प्रतिशत की दर से दी जाती है और शेष राशि (25 लाख रु. तक) यह दर 10 प्रतिशत है। यद्यपि, इस स्कीम के अन्तर्गत हित लाभ लघु निषेधात्मक सूची में उल्लिखित को छोड़कर सभी ग्रामोद्योगों के संबंध में अनुमेय है।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान योजना और गैर–योजना शीर्ष के अन्तर्गत केवीआईसी को रिलीज किए गए कुछ फण्ड्स संबंधी ब्यौरा निम्नोक्त है :

(लाख रु. में)

वर्ष	केवीआईसी को रिलीज किए गए फण्ड्स
1995–96	66000
1996–97	61730
1997–98	75894
1998–99	66629
1999–2000	28063

वित्तीय प्रोत्साहन

4923. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पाद शुल्क छूट की सीमा को भी बढ़ाया गया है; और

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र को ये प्रोत्साहन देने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने लघु उद्योगों के लिए व्यापक नीतिगत पैकेज के भाग के रूप में 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों हेतु कुछ वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है। इन प्रोत्साहनों में शामिल हैं, लघु उद्योग उत्पाद शुल्क छूट की सीमा 50 लाख रु. से बढ़ाकर 1 करोड़ रु. करना, खिलौनों के विनिर्माण हेतु पाइल फ्रेबिक पर तथा इलैक्ट्रानिक्स सुरक्षा प्रणाली के विनिर्माण हेतु इलैक्ट्रानिक सुरक्षा प्रणाली के पार्ट्स पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत करना, तथा केलकुलेटर के निर्माण हेतु इलैक्ट्रानिक केलकुलेटर के पार्ट्स हेतु, खिलौनों के निर्माण हेतु इलैक्ट्रानिक खिलौनों के पार्ट्स तथा वीडियो गेम्ज़ के निर्माण हेतु वीडियो गेम्ज़ के पार्ट्स पर मूल सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत तक घटाना।

(घ) ये प्रोत्साहन घरेलू तथा विश्व प्रतियोगितात्मकता में सुधार करके लघु उद्योग क्षेत्रों को सुदृढ़ करेंगे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

4924. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कागज के उत्पादों, तौलियों, फाइल बोर्ड, फाइल कवर का विशिष्ट विवरण सहित ब्यौरा क्या है और जिनका विनिर्माण और विपणन दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन उत्पादों का मद-वार कितना वार्षिक कारोबार हुआ;

(ग) इन उत्पादों का विपणन किस दर पर किया जाता है और ये किस दर पर उपलब्ध हैं; और

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने उत्पादों के विपणन हेतु डीलर नियुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) ऐसी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्वयं की विभागीय विक्रय निर्गम व्यवस्था होने के कारण उत्पादों के विपणन हेतु डीलरों की नियुक्ति की अब तक आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निवेश

4925. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रति वर्ष 31 मार्च को देय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के विशेष जमा खाता (एस.डी.ए.) में निवेश किया था;

(ख) क्या राष्ट्रीकृत बैंक में ब्याज दर 13 प्रतिशत थी लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निवेश की अनुमति दिए जाने के बाद भी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने विशेष जमा खाते में निवेश जारी रखा जिससे प्रतिवर्ष 3.05 करोड़ रुपये का निवल घाटा हुआ; और

(ग) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निवेश न किए जाने के क्या कारण हैं और घाटे के लिए जिम्मेदार निगम के अधिकारियों के मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) 7 अप्रैल, 1995 तक अधिशेष कर्मचारी राज्य बीमा निधियां भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष जमा खाते में निवेश की जा रही थीं। जून 1992 में यह निर्णय लिया गया था कि अधिशेष क.रा.बी. निधियों का राष्ट्रीकृत बैंकों में भी निवेश किया जाए। बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दरें जमा राशि की मात्रा और अवधि के अनुसार समय-समय पर बदलती रहती हैं। तथापि, क.रा.बी. निगम ने 1992 के बाद अपनी अधिशेष निधियों का फिर से राष्ट्रीकृत बैंकों में निवेश करना आरम्भ कर दिया है। मुख्य रूप से क.रा.बी. निधि की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क.रा.बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 27 के उपबंधों के अनुसार और क.रा.बी. निगम की स्थायी समिति के अनुमोदन के अध्ययीन निवेश किया जाता है। अतः इस संबंध में क. रा.बी. निगम को नुकसान होने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बेरोजगारी की समस्या

4926. श्री पी. आर. खूंटे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000-2001 से बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु नई नियुक्तियां करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये नियुक्तियां कब तक कर ली जाएंगी?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय को वर्ष 2000-2001 से बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए नई नियुक्तियां करने संबंधी किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। नौवीं योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। बेरोजगारी तथा अल्परोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा।

बीमाकृत धनराशि के लाभ में वृद्धि

4927. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की बीमाकृत धनराशि के लाभ में वृद्धि की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पालिसी का प्रीमियम भी बढ़ाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) जी, हां। कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत 24.6.2000 से निक्षेप सहबद्ध बीमा लाभ की अधिकतम राशि 35,000/– रु. से बढ़ाकर 60,000/– रु. कर दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षण

4928. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का पूर्णरूपेण क्रियान्वयन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित कई पद रिक्त पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) देश में इस समय विकलांग व्यक्तियों हेतु राज्य–वार कितने विशेष रोजगार केन्द्र और विशेष प्रकोष्ठ चल रहे हैं;

(च) क्या सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षित 3 प्रतिशत रिक्तियों को भरने के लिए विकलांगता की प्रतिशतता कम करने का है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य समुचित प्राधिकारियों का एक बहुक्षेत्रीय सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपेक्षित है। इन सभी से उनसे संबंधित इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में की गई कार्रवाई में राज्य समन्वय समिति तथा राज्य कार्यकारी समिति का गठन, निःशक्त व्यक्तियों के लिए आयुक्त की नियुक्ति, नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण तथा गैर–सरकारी संगठनों के पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति शामिल है।

(ग) और (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति में पीछे से चली आ रही रिक्ति हैं। इसके लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसमें पदों की पहचान, विशेष भर्ती अभियान शुरू करने और जहां तक निःशक्त व्यक्तियों की भर्ती का संबंध है रिक्तियों को भरे जाने पर से प्रतिबंध को उठाना शामिल है।

(ङ) निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों तथा सामान्य रोजगार कार्यालयों में विशेष सैलों, जो कार्य कर रहे हैं तथा महानिदेशालय, रोजगार तथा प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय को किए गए कार्यकलाप के निष्पादन के बारे में सूचित कर रहे हैं, की राज्यवार संख्या विवरण–I तथा II पर है।

(च) और (छ) जी, नहीं।

विवरण-I

जून, 2000 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग आवेदनकर्ताओं के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. हैदराबाद

असम

1. गुवाहाटी

बिहार

1. पटना

गुजरात

1. अहमदाबाद
2. बड़ौदा
3. राजकोट
4. सूरत

हरियाणा

1. चण्डीगढ़

हिमाचल प्रदेश

1. शिमला

कर्नाटक

1. बंगलौर
2. मैसूर
3. हुबली
4. गुलबर्गा

केरल

1. त्रिवेन्द्रम
2. कोजीकोट
3. कोल्लाम
4. एरनाकुलम

मध्य प्रदेश

1. जबलपुर

महाराष्ट्र

1. मुम्बई

मणिपुर

1. इम्फाल

उड़ीसा

1. भुवनेश्वर

राजस्थान

1. जयपुर
2. अजमेर
3. अलवर

तमिलनाडु

1. मद्रास

त्रिपुरा

1. अगरतला

पंजाब

1. लुधियाना

उत्तर प्रदेश

1. कानपुर
2. गोरखपुर
3. अलीगढ़
4. इलाहाबाद
5. आगरा
6. वाराणसी
7. बरेली
8. लखनऊ
9. मथुरा
10. गाजियाबाद

पश्चिम बंगाल

1. कलकत्ता

दिल्ली

1. कर्जन रोड
2. शाहदरा (झिलमिल)

विवरण-II

जून, 2000 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत विशेष सैलों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. विशाखापतनम
2. विजयवाड़ा

बिहार

1. माराफरी (बोकारो थर्मल)

हरियाणा

1. महेन्द्रगढ़
2. सोनीपत

हिमाचल प्रदेश

1. धर्मशाला

कर्नाटक

1. तुमकुर

केरल

1. पलाक्कड
2. नयात्तींकारा
3. नेडूमांगड
4. क्यामकुलम
5. अलूवा
6. एरिंगकुंडा

मध्य प्रदेश

1. बिलासपुर
2. दुर्ग
3. देवास
4. रेवा

महाराष्ट्र

1. नासिक
2. शोलापुर
3. कोल्हापुर

मेघालय

1. शिलांग

नागालैंड

1. कोहिमा

उड़ीसा

1. कटक

पंजाब

1. अमृतसर

राजस्थान

1. कोटा
2. झुंझुनूं
3. सीकर
4. श्री गंगानगर

तमिलनाडु

1. कोयम्बटूर
2. चिंगलपट
3. कुद्दलोर
4. सलेम

5. तिरुनलवेली	**पश्चिम बंगाल**
6. विल्लौर	1. बाराकापोर
7. चिदाबरम (तंजौर)	2. हावड़ा
8. पेवीयार	3. पूर्णिया
9. यूथागेमडलम	4. खड़गपुर

[हिन्दी]

सीमा संबंधी वार्ता

4929. श्री रामदास आठवले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के उप विदेश मंत्री ने भारत–चीन सीमा वार्ताओं में धीमी प्रगति के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चीन को छोड़कर हमारे पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर कोई बैठक/वार्ता हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) संयुक्त वार्ता प्रक्रिया के भाग के रूप में, 9 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में सर क्रीक मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता हुई। वार्ताओं के दौरान सरकार ने इंगित किया कि सरक्रीक क्षेत्र में सीमा का मसला 1914 के संकल्प के तहत सुलझा लिया गया था। 1925 में नक्शे उस समय प्रकाशित हुए जब 1914 के संकल्प के आधार पर सरक्रीक के मध्य में दिखाई गई सीमा रेखा के रेखांकन का कार्य पूरा हुआ। सरकार ने प्रस्ताव रखा कि चूंकि इस सीमा रेखा को भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा तय हुआ मान लिया गया था, अतः पहले से तय तथा रेखांकित की हुई सीमा रेखा को औपचारिक मान लिया जाए। सरकार ने यह प्रस्ताव भी रखा कि सरक्रीक में सीमा निर्धारण को औपचारिक रूप दिए जाने तक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से आरम्भ होकर भूक्षेत्र की ओर बढ़ते हुए समुद्र की ओर भारत–पाकिस्तान समुद्री सीमा के सीमांकन पर विचार किया जा सकता है।

13–14 दिसम्बर, 2000 को नई दिल्ली में भारत–बंगलादेश के विदेश सचिवों के बीच हुई वार्ता में भारत बंगलादेश भूसीमा से संबद्ध 1974 के करार से संबंधित बकाया मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। दोनों पक्ष सीमा संबंधी सभी मसलों के शीघ्र समाधान के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए। इस प्रयोजन से विदेश सचिवों ने सीमांकन कार्य पूरा करने तथा एक–दूसरे के कब्जे में दूसरे पक्ष के एन्क्लेवों तथा क्षेत्रों के आदान–प्रदान के लिए कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया। यह कार्यदल प्रणालीबद्ध तरीके से इन मसलों पर कार्रवाई करेगा तथा विदेश सचिवों को नियमित तौर पर अपनी रिपोर्ट देगा।

दोनों देशों के सर्वेक्षण अधिकारियों ने, जो नियमित बैठकें करते हैं, सीमा के सीमांकन तथा सीमा खम्भों के रख–रखाव से संबंधित मामलों पर भी विचार किया।

भारत सरकार तथा म्यांमा गणराज्य की सरकार के बीच दोनों देशों की भूसीमा के सीमांकन तथा संबंधित मसलों से संबद्ध सीमा करार 10 मार्च, 1967 को सम्पन्न हुआ था। नवम्बर 1999 में दोनों देशों के महासर्वेक्षकों की बैठक में सीमा खम्भों के संयुक्त निरीक्षण, मरम्मत, रख–रखाव एवं उनको कायम रखने संबंधी मसलों पर चर्चा की गई। 15 नवम्बर 2000 को मोरेह (मणिपुर) में संबंधित अधिकारियों की बैठक में 2000–2001 की संयुक्त कार्ययोजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।

सीमा से संबद्ध भारत–नेपाल संयुक्त तकनीकी समिति को भारत–नेपाल सीमा का वैज्ञानिक ढंग से सीमांकन का कार्य सौंपा गया है। पिछले तीन वर्षों में इस समिति की तीन बैठक नवम्बर 1998 में 21वीं बैठक, नवम्बर 1999 में 22वीं बैठक तथा दिसम्बर 2000 में 23वीं बैठक हुई।

[अनुवाद]

सीमा पार से आतंकवाद

4930. श्री जी. एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष को सूचित किया है कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर और देश के अन्य भागों में सीमा पार से आतंकवाद को सहायता और बढ़ावा दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष ने इस मामले में भारत की कितनी सहायता करने की सहमति की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) अगस्त, 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की हैसियत से नामीबिया के विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की और प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री सहित भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की। बातचीत में विदेश मंत्री ने भारत–पाक संबंधों पर भारत की स्थिति तथा जम्मू एवं कश्मीर और भारत के अन्य भागों में पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा और सहायता देने संबंधी कार्यकलापों का एक विस्तृत ब्यौरा दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने विदेश मंत्री द्वारा दिए गए विस्तृत स्पष्टीकरण की सराहना की।

नई वीजा व्यवस्था

4931. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के गृह सचिव, श्री जैक स्ट्रा ने अपनी हाल की दिल्ली यात्रा के दौरान नई वीजा व्यवस्था पर चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। 4–9 सितम्बर 2000 तक नई दिल्ली की ब्रिटिश गृह सचिव श्री जैक स्ट्रा की यात्रा के दौरान, यू.के. की नई वीजा व्यवस्था पर चर्चा हुई। श्री स्ट्रा ने भारतीय पक्ष को सूचित किया कि 4 सितम्बर 2000 से यू.के. द्वारा "इनोवेटर्स–न्यू पायलट स्कीम फार एनटरप्रेन्योर्स" नामक एक नई वीजा व्यवस्था आरम्भ की थी। यह प्रायोगिक योजना, जो 4 सितम्बर, 2000 तक वैध थी, एक नई श्रेणी है जिसका उद्देश्य व्यवसायियों को यू.के. में व्यवसाय लगाने के लिए आकर्षित करना और चुनना है। ब्रिटिश वीजा व्यवस्था में हाल का एक अन्य परिवर्तन पारिवारिक यात्राओं के लिए वीजा देने से इंकार करने वालों के अपील के अधिकार का सूत्रपात और छात्रों के लिए एक कारगर और सरलीकृत प्रक्रिया है।

राज्यों के स्वामित्व वाली निधियों में कमी

4932. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों की वार्षिक योजनाओं हेतु संबंधित राज्यों के स्वामित्व वाली निधियों के अंशदान में क्रमिक गिरावट पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वार्षिक योजनाओं में से प्रत्येक के दौरान राज्यों के स्वामित्व वाली निधियों के अंशदान का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों के स्वामित्व वाली निधियों की गिरावट के क्या कारण हैं और इस रुझान को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी '1997–2000 के दौरान उपलब्धियों के राज्यवार वित्तपोषण पैटर्न' शीर्षक से संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) राजस्व प्राप्तियों की तुलना में गैर–योजना राजस्व व्यय में अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि तथा राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (विशेषकर विद्युत एवं परिवहन) का कम योगदान वे प्रमुख कारक हैं जिनके कारण राज्य स्वामित्व वाली निधियों में गिरावट आई है। राज्यों से यह आग्रह किया गया है कि वे कर एवं गैर कर राजस्वों से अतिरिक्त संसाधन जुटाकर, व्यय प्रबंधन में सुधार करके तथा विद्युत, परिवहन एवं सिंचाई क्षेत्रक सहित सार्वजनिक क्षेत्रक यूनिटों में सुधार लाकर अपनी संसाधन स्थिति सुधारें। इसके अतिरिक्त, वित्तीय दृष्टि से कमजोर राज्यों के लिए समयबद्ध राजकोषीय सुधार, जिन्हें वित्त मंत्रालय एवं योजना आयोग द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है, जारी रखने की अपेक्षा भी की गई है।

विवरण

1997–98 (वास्तविक) से 1999–2000 (एलई) के दौरान उपलब्धियों के राज्यवार वित्तपोषण पैटर्न

क्र.सं.	राज्य	कुल नौवीं योजना अनुमान (रु. करोड़)	1997–98 (वास्तविक) से 1999–2000 (एलई) तक प्राप्तियां–वित्तपोषण के स्रोत (1996–97 की कीमतों पर करोड़ रु.)				1997–98 (वास्तविक) से 1999–2000 (एलई) तक कुल संसाधनों का प्रतिशत				सदृश नौवीं योजना अनुमानों का प्रतिशत			
			कुल केन्द्रीय सहायता	राज्यों के अपने कोष	राज्यों के उधार	कुल योजना संसाधन 1997-2000	कुल केंद्रीय सहायता	राज्यों के अपने कोष	राज्यों के उधार	कुल योजना संसाधन 1997-2000	कुल केंद्रीय सहायता	राज्यों के अपने कोष	राज्यों के उधार	कुल योजना संसाधन 1997-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+9+10)	12	13	14	15
विशेष श्रेणी राज्य														
1.	अरुणाचल प्रदेश	3,569.89	1,348.10	-243.05	134.39	1,239.44	108.77%	-19.61%	10.84%	100.00%	49.04%	-143.51%	51.20%	34.72%
2.	असम	8,983.93	3,633.19	-2,926.61	2,215.56	2,922.15	124.33%	-100.15%	75.82%	100.00%	48.46%	-63.73%	67.66%	32.53%
3.	हिमाचल प्रदेश	5,700.00	1,827.69	-2,538.54	3,267.70	2,556.85	71.48%	-99.28%	127.80%	100.00%	48.87%	-29.74%	83.43%	44.86%
4.	जम्मू व कश्मीर	9,500.00	6,593.65	-6,542.08	1,697.50	1,749.07	376.98%	-374.03%	97.05%	100.00%	92.41%	-1995.01%	63.42%	18.41%
5.	मणिपुर	2,426.69	1,220.64	-874.94	443.33	789.03	154.70%	-110.89%	56.19%	100.00%	55.09%	-353.38%	109.72%	32.51%
6.	मेघालय	2,500.62	888.60	-521.49	363.58	730.69	121.61%	-71.37%	49.76%	100.00%	44.58%	-124.39%	49.16%	29.22%
7.	मिजोरम	1,618.51	875.78	-500.49	271.87	647.17	135.33%	-77.33%	42.01%	100.00%	47.46%	-12.97%	125.77%	39.99%
8.	नागालैंड	2,006.43	916.06	-719.32	343.35	540.10	169.61%	-133.18%	63.57%	100.00%	44.72%	-26.31%	65.11%	26.92%
9.	सिक्किम	1,600.00	701.34	-451.94	230.51	479.91	146.14%	-94.17%	48.03%	100.00%	45.39%	-80.69%	75.59%	29.99%
10.	त्रिपुरा	2,577.39	1,406.43	-788.39	544.30	1,162.34	121.00%	-67.83%	46.83%	100.00%	60.33%	-78.55%	79.14%	45.10%
	कुल (10 विशेष श्रेणी राज्य)	40,483.46	19,411.49	-16,106.84	9,512.09	12,816.73	151.45%	-125.67%	74.22%	100.00%	58.64%	-286.23%	73.11%	31.66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(8+9+10)	12	13	14	15
गैर विशेष श्रेणी राज्य														
11.	आन्ध्र प्रदेश	25,150.00	6,238.96	-7,665.73	13,050.61	11,623.83	53.67%	-65.95%	112.27%	100.00%	48.83%	-2031.89%	108.98%	46.22%
12.	बिहार	16,680.00	4,989.39	-4,676.69	6,587.86	6,900.56	72.30%	-67.77%	95.47%	100.00%	49.07%	-216.32%	82.44%	41.37%
13.	गोवा	1,500.00	237.22	-225.88	601.27	612.60	38.72%	-36.87%	98.15%	100.00%	49.21%	-160.08%	93.65%	40.84%
14.	गुजरात	28,000.00	3,533.07	-1,712.98	9,978.91	15,224.97	23.21%	-11.25%	65.54%	100.00%	41.37%	-22.31%	84.68%	54.37%
15.	हरियाणा	9,310.00	1,348.70	-1,454.71	3,944.65	3,838.64	35.13%	-37.90%	102.76%	100.00%	34.37%	-331.87%	68.92%	41.23%
16.	कर्नाटक	23,400.00	2,847.45	-2,321.24	8,758.05	13,926.73	20.45%	-16.67%	62.89%	100.00%	46.31%	-31.46%	88.71%	59.52%
17.	केरल	16,100.00	1,830.88	-1,111.99	5,746.32	8,689.19	21.07%	-12.80%	66.13%	100.00%	39.01%	-50.43%	62.45%	53.97%
18.	मध्य प्रदेश	20,075.00	4,108.27	-3,089.61	6,917.70	7,936.36	51.77%	-38.93%	87.16%	100.00%	48.95%	-1018.57%	60.97%	39.53%
19.	महाराष्ट्र	36,700.00	4,365.25	-4,540.39	23,987.67	23,812.53	18.33%	-19.07%	100.74%	100.00%	29.86%	-459.29%	115.22%	64.88%
20.	उड़ीसा	15,000.00	3,579.34	-2,975.00	4,937.50	5,541.84	64.59%	-53.68%	89.09%	100.00%	44.62%	-213.20%	62.28%	36.95%
21.	पंजाब	11,500.00	1,580.72	-6,608.60	9,264.85	4,236.98	37.31%	-155.97%	218.67%	100.00%	38.50%	-259.87%	100.38%	36.84%
22.	राजस्थान	22,525.83	3,154.54	-7,753.52	12,272.27	7,673.30	41.11%	-101.05%	159.93%	100.00%	32.31%	-703.88%	106.91%	34.06%
23.	तमिलनाडु	25,000.00	3,596.23	-3,263.57	11,861.14	12,193.80	29.49%	-26.76%	97.27%	100.00%	36.01%	-210.40%	98.38%	48.78%
24.	उत्तर प्रदेश	46,340.00	9,791.73	-14,444.46	17,816.36	13,163.63	74.38%	-109.73%	135.35%	100.00%	45.21%	-29064.23%	72.33%	28.41%
25.	पश्चिम बंगाल	16,900.00	5574.61	-11,938.80	15,807.36	9,443.17	59.03%	-126.43%	167.39%	100.00%	44.97%	-20.83%	109.88%	55.88%
	कुल (15 गैर श्रेणी राज्य)	314,180.83	56,776.36	-63,490.75	151,532.52	144,818.14	39.21%	-43.84%	104.64%	100.00%	41.85%	-672.46%	89.63%	46.09%
	कुल (25 राज्य)	354,664.29	76,187.85	-79,597.59	161,044.62	157,634.87	48.33%	-50.49%	102.16%	100.00%	45.14%	-2086.88%	88.45%	44.45%

एच.आई.वी./एड्स

4933. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
श्री पवन कुमार बंसल :
श्री बी. वी. एन. रेड्डी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के एच.आई.वी. पोजीटीव होने पर एड्स से पीड़ित होने का पता चला;

(ख) क्या भारत में एड्स पीड़ितों की संख्या बढ़ी है;

(ग) यदि हां, तो एच.आई.वी./एड्स के मामलों के बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस महामारी की बढ़ती हुई चुनौती का सामना करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) मध्य 1998 की स्थिति के अनुसार एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों की राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरी तरह एड्स के चपेट में आ चुके रोगियों की सूचित संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	पुरुष	महिलाएं	बच्चे
1998	1066	342	140
1999	2487	574	211
2000 (नवम्बर, 2000 तक)	4514	1524	189

(ख) जी, हां।

(ग) एच.आई.वी./एड्स की घटना में वृद्धि के मुख्य कारण हैं :

- गरीबी और शिक्षा का अभाव जिसके कारण जागरूकता स्तर कम है।
- देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या का बड़े पैमाने पर प्रव्रजन।
- संक्रमित व्यक्तियों के शरीर से वायरस को समाप्त करने के लिए कोई वैक्सीन अथवा उपचार का न होना।

(घ) भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निम्नलिखित मुख्य बातों को शामिल करते हुए व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है :

- लक्षित जनसंख्या का पता लगाकर और पीयर काउंसलिंग प्रदान करके, कंडोम को बढ़ावा देकर, यौन संचारित संक्रमणों का उपचार करके उच्च जोखिम वाले समूहों में एच.आई.वी. के फैलाव को कम करना।
- सामान्य जनसंख्या के लिए सूचना, शिक्षा और संचार तथा जागरूकता अभियान चलाकर, स्वैच्छिक जांच और काउंसलिंग, निरापद रक्ताधान सेवाओं की व्यवस्था करके और व्यावसायिक प्रभाव की रोकथाम करके निवारक उपाय करना।
- अवसरवादी संक्रमणों, एच.आई.वी./एड्स के साथ रह रहे लोगों को घरेलू और समुदाय आधारित परिचर्या प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय, राज्य और नगरीय स्तरों पर प्रभावकारी और तकनीकी, प्रबंधकीय वित्तीय पोषण को सुदृढ़ बनाना।
- सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

विवरण

भारत में 1998 में एच.आई.वी. संक्रमण वाले पुरुष–महिलाओं की अनुमानित संख्या (आंकड़े हजार में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एच.आई.वी. संक्रमित पुरुषों की संख्या	एच.आई.वी. संक्रमित महिलाओं की संख्या	एच.आई.वी. संक्रमित कुल व्यक्ति
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	430.481	316.568	747.049
2.	कर्नाटक	179.134	130.638	309.772
3.	आंध्र प्रदेश	329.220	237.858	567.078
4.	तमिलनाडु	177.883	130.111	307.994
5.	मणिपुर	2.347	1.732	4.079
6.	गोवा	5.406	4.034	9.440

1	2	3	4	5
7.	दिल्ली	13.735	5.677	19.412
8.	हिमाचल प्रदेश	2.247	1.071	3.318
9.	गुजरात	56.507	25.366	81.873
10.	पश्चिम बंगाल	80.698	36.382	117.081
11.	नागालैंड	2.372	0.892	3.264
12.	मिजोरम	1.131	0.513	1.644
13.	पांडिचेरी	2.319	1.112	3.431
14.	अंडमान एवं निकोबार	0.468	0.126	0.594
15.	अरुणाचल प्रदेश	0.805	0.215	1.020
16.	असम	22.666	6.487	29.153
17.	चंडीगढ़	3.394	0.891	4.286
18.	दमन एवं दीव	0.061	0.018	0.079
19.	हरियाणा	26.836	7.451	34.287
20.	केरल	126.583	42.757	169.340
21.	मध्य प्रदेश	106.837	30.976	137.814
22.	मेघालय	0.612	0.169	0.781
23.	उड़ीसा	34.489	10.286	44.775
24.	पंजाब	33.961	9.773	43.734
25.	राजस्थान	40.018	10.452	50.470
26.	सिक्किम	0.110	0.027	0.136
27.	त्रिपुरा	3.244	0.970	4.214
28.	उत्तर प्रदेश	85.419	23.212	108.631
29.	बिहार	88.436	25.575	114.012
30.	जम्मू व कश्मीर	11.255	3.334	14.589
31.	दादरा व नगर हवेली	0.121	0.036	0.157
32.	लक्षद्वीप	0.178	0.052	0.230
	कुल	1868.974	1064.762	2933.736

[हिन्दी]

विदेशी सहायता प्राप्त परमाणु विद्युत संयंत्र

4934. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :
श्री चिंतामन वनगा :
श्री धावरचन्द गेहलोत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने परमाणु विद्युत संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान देश में विदेशी सहायता से कितने परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए और वित्तीय सहायता की शर्तें क्या हैं तथा उक्त अवधि के दौरान और अब तक इस संबंध में कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) इस समय देश की कुल परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस समय, देश में सात परमाणु बिजलीघरों में कुल 2720 मेगावाट क्षमता के साथ चौदह यूनिट काम कर रहे हैं। प्रत्येक यूनिट की क्षमता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

यूनिट	कुल क्षमता	स्थल
1	2	3
1. तारापुर परमाणु बिजलीघर–1 तथा 2 (2×160 मेगावाट)	320 मेगावाट	तारापुर, महाराष्ट्र
2. राजस्थान परमाणु बिजलीघर यूनिट–1 (1×100 मेगावाट)	100 मेगावाट	रावतभाटा, राजस्थान
यूनिट–2 (1×200 मेगावाट)	200 मेगावाट	–वही–
3. राजस्थान परमाणु बिजलीघर–3 तथा 4 (2×220 मेगावाट)	440 मेगावाट	–वही–
4. मद्रास परमाणु बिजलीघर–1 तथा 2 (2×170 मेगावाट)	340 मेगावाट	कलपाक्कम तमिलनाडु

1	2	3
5. नरोरा परमाणु बिजलीघर–1 तथा 2 (2×220 मेगावाट)	440 मेगावाट	नरोरा, उत्तर प्रदेश
6. ककरापार परमाणु बिजलीघर–1 तथा 2 (2×220 मेगावाट)	440 मेगावाट	ककरापार, गुजरात
7. कैगा परमाणु बिजलीघर–1 तथा 2 (2×220 मेगावाट)	440 मेगावाट	कैगा, कर्नाटक
कुल	2720 मेगावाट	

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में विदेशी सहायता से कोई परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) वर्तमान स्थिति के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2720 मेगावाट है।

[हिन्दी]

मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए कल्याण योजना

4935. श्री जयभान सिंह पवैया :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री ए. नरेन्द्र :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के कल्याण हेतु कौन–कौन सी योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) इन बच्चों के विकास हेतु उचित व्यवस्था करने के लिए राज्य–वार/संघ क्षेत्र–वार कितने संस्थान स्थापित किए गए हैं या स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान इस हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है और वर्ष 2000–2001 हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। ये निम्नलिखित हैं :

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना, जिसके अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अन्य बातों के साथ–साथ मानसिक विकलांगताओं सहित विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(2) ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास। इसके अन्तर्गत अभिभावकों की नियुक्ति समुदाय में रहने के लिए मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रबंध करने, उन व्यक्तियों जिनके माता–पिता तथा अभिभावक नहीं हैं, के लिए आवासीय सुविधाएं तथा समर्थन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

(3) राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के पास 18–55 वर्ष आयु वर्ग के मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान है जो सूक्ष्म वित्त पोषण योजना के उपयोग के लिए पात्र हैं तथा जिससे स्व–रोजगार के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(4) सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों को स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से उपयुक्त पठन सामग्री, शैक्षिक किट तथा सहायक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।

(5) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों को उनके घरों में पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 100 से भी अधिक जिलों की पहचान की गई है, और

(6) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद (आन्ध्र प्रदेश) यह संस्थान मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

(7) इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए अनेक लाभ और रियायतें उपलब्ध हैं जिनमें अभिरक्षी के साथ रियायत, मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के माता–पिता के लिए आय कर में छूट, मानसिक विकलांगताओं वाले बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों की पसंद की पद स्थापना आदि शामिल है।

(ख) दिनांक 5.10.99 की स्थिति के अनुसार, मानसिक विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए देश में कार्यरत विशेष स्कूलों की संख्या संलग्न है।

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट में, मानसिक विकलांगताओं सहित विकलांगता क्षेत्र के लिए 204.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष 2000–2001 के दौरान प्रावधान 292.85 करोड़ रुपये है। इसमें विविध योजना के लिए प्रावधान शामिल नहीं है।

विवरण

मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए देश में कार्यरत विशेष स्कूलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	स्कूल
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार	1
2.	आंध्र प्रदेश	134
3.	असम	4
4.	बिहार	21
5.	चण्डीगढ़	4
6.	गोवा	7
7.	गुजरात	39
8.	हरियाणा	18
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	कर्नाटक	85
11.	केरल	126
12.	मध्य प्रदेश	27
13.	महाराष्ट्र	98
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	2
16.	मिजोरम	3
17.	नई दिल्ली	42
18.	उड़ीसा	36
19.	पांडिचेरी	1
20.	पंजाब	2
21.	राजस्थान	19
22.	तमिलनाडु	69
23.	त्रिपुरा	3
24.	उत्तर प्रदेश	24
25.	पश्चिम बंगाल	61
	कुल	832

नोट : माता–पिता एसोसिएशन और समेकित स्कूलों द्वारा संचालित विशेष स्कूल शामिल हैं।

उपग्रहों का प्रक्षेपण

4936. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने तीन उपग्रहों–जी.एस.एल.वी., इन्सैट 3–सी और प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह (टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेन्ट सैटेलाइट) को छोड़ने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या अंतरिक्ष विभाग को वाणिज्यिक आदेश प्राप्त हो रहे हैं और साथ ही यूरोप से 'सर्विस कान्ट्रैक्ट' भी प्राप्त हुआ है और 'स्पेस इमेजिंग डाटा एक्सेस' और 'ऑर्बिट सपोर्ट' हेतु प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण भारत के लिए किस प्रकार सहायक होगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) जी–सैट–1 उपग्रह सन् 2001 के प्रारंभ में प्रमोचन के लिए निर्धारित है, इन्सैट–3सी और प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह (टी ई.एस.) को सन् 2001 के मध्य में प्रमोचन के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। अन्तरिक्ष विभाग ने आई.आर.एस. आंकड़ों के अभिगमन और कक्षीय सहायता हेतु यूरोप से ठेका प्राप्त किया है। आई.आर.एस. आंकड़े न्यूट्रेलिट्ज में जर्मन भू–केन्द्र को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यूटेलसैट उपग्रहों के लिए कक्षीय सहायता इसके प्रमोचन और प्रारम्भिक कक्षीय चरण के दौरान जर्मन स्पेस एजेंसी–डी.एल.आर. को प्रदान की जा रही है।

जी.एस.एल.वी. द्वारा जी–सैट–1 उपग्रह का प्रमोचन नई प्रौद्योगिकियां, परीक्षणात्मक सेवा और अंकीय श्रव्य प्रसारण प्रदान करेगा। इन्सैट–3सी दूरसंचार, वीसैट नेटवर्कों और रेडियो नेटवर्किंग के लिए सी–बैण्ड, विस्तृत सी–बैण्ड और एस–बैण्ड में संचार क्षमताओं की सहायता और इसमें वृद्धि करेगा। टी.ई.एस. उपग्रह की योजना कार्टोसैट जैसे भावी आई.आर.एस. उपग्रहों के लिए समुचित उन्नत प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए बनाई गई है।

राजनयिकों को कांसुल संबंधी जानकारी देने से मना किया जाना

4937. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, 2000 को पाकिस्तान द्वारा बचाए गए भारतीय मालवाहक पोत जन कल्याण के चालक दल के 11 सदस्यों की कुशल–क्षेम का पता लगाने के लिए पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों को कांसुल संबंधी जानकारी देने से मना कर दिया;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति में चालक दल के सदस्यों का क्या हाल है; और

(ग) इन्हें देश वापस लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) 30 जून, 2000 को पाकिस्तान की मछली पकड़ने वाली नौका ने भारतीय मालवाहक पोत 'जन कल्याण' के चालक दल के 11 सदस्यों को बचाया था। हमारे बार–बार के डिमार्श के बाद पाकिस्तान ने चालक दल के इन सदस्यों को काफी देर बाद 12 सितम्बर 2000 को कांसुल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई। तत्पश्चात् इनको 13 सितम्बर, 2000 को भारत प्रत्यावर्तित कर दिया गया।

कृषि आधारित उद्योग

4938. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों, विशेषकर राजस्थान के पिछड़े और सूखा प्रवण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने उद्योग स्थापित किए जाएंगे; और

(घ) अगले तीन वर्षों के दौरान कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मार्जिन मनी स्कीम के अन्तर्गत पिछड़े सूखा ग्रस्त क्षेत्रों सहित देश के किसी भी भाग का ग्रामीण उद्यमी परियोजना रूपरेखा तैयार करने से मुक्त है और वह अपने वहां की किसी भी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा या राज्य के.वी.आई. बोर्ड के कार्यालय में सहायता के लिए जा सकता है। के.वी.आई.सी. अपनी कोई इकाई स्थापित नहीं करती है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त उत्तर को मद्देनजर रखते हुए ब्यौरे का अग्रिम सुनिश्चिय नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन

4939. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1999–2000 में और इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.) ने एड्स नियंत्रण पर कितनी धनराशि व्यय की है;

(ख) इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के कार्य का क्या आकलन किया गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन देश में फैल रहे एड्स को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा 1999–2000 और 2001–2002 में एड्स नियंत्रण पर व्यय की गई धनराशियां इस प्रकार हैं :

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	व्यय
1999–2000	132.04
2000–2001 (30 नवम्बर, 2000 तक)	97.15

(ख) इस अवधि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों के परियोजना निदेशकों के साथ चार बैठकें की गईं। कार्यक्रम के चरण–II को निर्धारित समय–सारणी के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। देश में एच.आई.वी./एड्स के प्रभावकारी नियंत्रण के लिए देश भर में एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं :

* लक्षित जनसंख्या का पता लगा कर और पीयर काउंसलिंग प्रदान करके, कंडोम को बढ़ावा देकर, यौन संचारित संक्रमणों का उपचार करके उच्च जोखिम वाले समूहों में एच.आई.वी. के फैलाव को कम करना।

* सामान्य जनसंख्या के लिए सूचना, शिक्षा और संचार तथा जागरूकता अभियान चलाकर, स्वैच्छिक जांच और काउंसलिंग, निरापद रक्ताधान सेवाओं की व्यवस्था करके और व्यावसायिक प्रभाव की रोकथाम करके निवारक उपाय करना।

* अवसरवादी संक्रमणों, एच.आई.वी./एड्स के साथ रह रहे लोगों को घरेलू और समुदाय आधारित परिचर्या प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

* राष्ट्रीय, राज्य और नगरीय स्तरों पर प्रभावकारी और तकनीकी, प्रबन्धकीय वित्तीय पोषण को सुदृढ़ बनाना।

* सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

स्विटजरलैंड द्वारा वीजा संबंधी शर्तों में ढील दिया जाना

4940. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्विटजरलैंड में अस्थाई रूप से विभिन्न नौकरियों पर लगे भारतीयों के लिए वीजा शर्तों को उदार बनाने हेतु उक्त देश से कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्विटजरलैंड के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) स्विटजरलैंड का वीजा प्राप्त करने में भारतीय व्यापारियों और व्यवसायियों को आ रही कठिनाइयों से संबंधित मसले को, आधिकारिक माध्यमों से स्विटजरलैंड की सरकार के समक्ष उठाया गया है। वीजा के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है। वीजा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।

(ग) भारत और स्विटजरलैंड द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 15–19 फरवरी, 2000 तक स्विटजरलैंड के आर्थिक मंत्री श्री पास्कल काउचेपिन की भारत यात्रा, सितंबर 2000 में विदेश मंत्री की बर्न यात्रा तथा नवंबर 2000 में भारत स्विटजरलैंड संयुक्त आयोग की सातवीं बैठक के दौरान हुई बातचीत से दोनों पक्षों को संबंधों के इस पहलू पर बल देने में सहायता मिली। द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार से संबंधित अनुसमर्थन दस्तावेजों का आदान–प्रदान और फरवरी, 2000 में हुए दोहरे कराधान के परिहार से संबंधित करार में संशोधन लाने वाले प्रोटोकोल के सम्पन्न हो जाने से भारत और स्विटजरलैंड के बीच आर्थिक सहयोग के संवर्द्धन के लिए एक सकारात्मक ढांचा तैयार हुआ है।

नशा निवारण संबंधी समिति

4941. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नशा निवारण कार्यक्रम संबंधी समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सदस्यता, कार्यकाल, कृत्यों, शक्तियों आदि के बारे में ब्यौरा क्या है ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुओं की खुदाई

4942. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों, विशेष रूप से तमिलनाडु से राज्य में कुओं की खुदाई करने के लिए वित्तीय सहायता जारी करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य सरकार के संबंधित संगठनों द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राज्य में कुओं की खुदाई के लिए वित्तीय सहायता जारी करने के वास्ते उन्होंने केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

तथापि, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, वैज्ञानिक आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से अन्वेषणात्मक कुओं की खुदाई करता है। सफल अन्वेषणात्मक कुओं को बेकार घोषित करने के बजाय, राज्यों को नाममात्र की लागत पर सिंचाई, पेय और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के वास्ते सौंप दिया जाता है। सितम्बर, 2000 को केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने राज्यों को 4939 अन्वेषणात्मक कुएं सौंपे/देने का प्रस्ताव किया है।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ नलकूप लगाना भी शामिल है, के लिए राज्य सरकारों को निधियां आबंटित कर रहा है।

वैश्वीकरण का लाभ

4943. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवंबर, 2000 के द ऑब्जर्वर में "एस एस आईज उड टेक एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं?

(ग) क्या सरकार ने लघु उद्योगों द्वारा वैश्वीकरण का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु कोई फार्मूला तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) लघु उद्योग क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के लाभ प्राप्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से किस प्रकार प्रतिस्पर्धा करने का प्रस्ताव है; और

(च) लघु उद्योगों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। यह समाचार लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2000 को नई दिल्ली में सूक्ष्म उद्यमों पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन भाषण पर आधारित है।

(ग) से (ङ) सरकार ने लघु उद्योगों को सुदृढ़ करने तथा घरेलू व विश्व बाजार दोनों में उनकी प्रतियोगितात्मकता बढ़ाने हेतु हाल ही में एक व्यापक नीतिगत पैकेज की घोषणा की है। नीतिगत पैकेज में, वित्तीय प्रोत्साहन, ऋण की सरलता से उपलब्धता, 25 लाख रु. तक संपार्श्विक प्रतिभूति रहित कम्पोजिट ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पूंजी सब्सिडी तथा संशोधित आधारभूत संरचना हेतु सहायता शामिल है।

(च) केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्लान योजनाएं चला रही है। नामतः एकीकृत आधारभूत विकास योजना, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी योजना, आई एस ओ, 9000 प्रमाणन योजना आदि जिसके अन्तर्गत योजनाओं के प्रस्तावित पैरामीटरों के अनुसार लघु उद्योगों के विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

कोचिंग केन्द्र

4944. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थल–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इन परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को वित्तीय सहायता के रूप में दी गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन परीक्षा–पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या किसी राज्य सरकार से ऐसे और केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को कोचिंग के लिए राज्यों, विश्वविद्यालयों तथा गैर–सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण–I, विवरण–II, विवरण–III तथा विवरण–IV के रूप में दिए गए हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) से (च) पिछड़े वर्गों के लिए नए केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसे केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुरोधों का ब्यौरा विवरण–V के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत राज्यों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	28.70	34.56	11.44
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
3	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	0.31	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	0.35	3.12	1.54
8.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	0.25
9.	कर्नाटक	11.17	13.75	1.19
10.	केरल	शून्य	5.21	10.15
11.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	43.12	82.94	66.09
14.	मेघालय	शून्य	शून्य	1.79
15.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
16.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	4.99
17.	पंजाब	2.45	3.39	1.89
18.	राजस्थान	17.76	43.18	शून्य
19.	तमिलनाडु	1.98	शून्य	शून्य
20.	त्रिपुरा	7.16	शून्य	0.67
21.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य
23.	दिल्ली	3.57	2.83	6.79
24.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	0.98	शून्य
	कुल	116.57	189.96	106.79

विवरण-II

वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	नागार्जुन विश्वविद्यालय	शून्य	14.54	2.70
2.	आन्ध्र प्रदेश	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	4.07

1	2	3	4	5	6
3.	आन्ध्र प्रदेश	उसमानिया विश्वविद्यालय	शून्य	शून्य	6.38
4.	आन्ध्र प्रदेश	जे.एन. टैक्नीकल यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	1.55
5.	गुजरात	गुजरात यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	शून्य
6.	कर्नाटक	मैसूर यूनिवर्सिटी	1.15	शून्य	शून्य
7.	कर्नाटक	कर्नाटक यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	शून्य
8.	मध्य प्रदेश	अवध प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी	3.19	13.63	शून्य
9.	मध्य प्रदेश	विक्रम यूनिवर्सिटी	4.68	4.03	7.90
10.	मध्य प्रदेश	देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी	3.14	शून्य	शून्य
11.	महाराष्ट्र	बी.आर. अम्बेडरकर यूनिवर्सिटी	3.40	शून्य	शून्य
12.	महाराष्ट्र	नागपुर यूनिवर्सिटी	शून्य	9.54	शून्य
13.	महाराष्ट्र	पुणे यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	3.56
14.	पंजाब	गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी	9.20	1.81	5.42
15.	पंजाब	पंजाबी यूनिवर्सिटी	10.88	12.32	शून्य
16.	उत्तर प्रदेश	एम.एल. नेहरू इंजी. कालेज	2.27	1.87	4.59
17.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद यूनिवर्सिटी	11.22	4.34	7.75
18.	उत्तर प्रदेश	एच.एन. बहुगुणा यूनिवर्सिटी	3.18	5.43	5.49
19.	उत्तर प्रदेश	बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी	0.74	2.05	3.15
20.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ यूनिवर्सिटी	3.53	4.78	4.89
21.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल यूनिवर्सिटी	शून्य	शून्य	शून्य
22.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी	शून्य	3.23	3.23
23.	सिक्किम	सिक्किम गवर्नमेंट कालेज	शून्य	शून्य	2.06
		कुल	56.58	77.57	62.74

विवरण-III

वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग और सम्बद्ध योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर सरकारी संगठन का नाम	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	राव स्टडीज सर्कल हैदराबाद	शून्य	शून्य	1.69

1	2	3	4	5	6
2.	आन्ध्र प्रदेश	वेनीला सोसाइटी खमाम	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आन्ध्र प्रदेश	नागार्जुन स्टडीज सर्कल	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आन्ध्र प्रदेश	जागृति एजूकेशन सोसाइटी	शून्य	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	एस.एम. दास गुप्ता कालेज	शून्य	शून्य	8.25
6.	दिल्ली	राउज आईएएस स्टडीज सर्कल	1.42	शून्य	शून्य
7.	दिल्ली	सचदेवा न्यू पीटी कालेज	शून्य	शून्य	शून्य
8.	दिल्ली	एसएससी	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दिल्ली	एम्पलाइमेंट टुडे	शून्य	शून्य	शून्य
10.	दिल्ली	दिल्ली एजुकेशन सेंटर	शून्य	3.39	17.52
11.	महाराष्ट्र	टीआईएसएस	शून्य	शून्य	शून्य
12.	महाराष्ट्र	चैतन्य बहु समिति महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	1.02
13.	महाराष्ट्र	नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	6.90
14.	मध्य प्रदेश	रीचा समाज सेवा	शून्य	शून्य	0.93
15.	मध्य प्रदेश	श्री लव शिक्षा प्रा. समिति	शून्य	शून्य	0.93
16.	मध्य प्रदेश	जगनाथ शिक्षा प्रा. समिति	शून्य	शून्य	0.93
17.	मध्य प्रदेश	अशोक कोचिंग सेंटर	शून्य	शून्य	1.66
18.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोचिंग सेंटर भोपाल	शून्य	8.44	शून्य
19.	मध्य प्रदेश	अशोक महिला मंडल भिंड	शून्य	4.81	11.22
20.	मध्य प्रदेश	लाल बहादुर शिक्षा संस्थान	शून्य	शून्य	0.48
21.	मध्य प्रदेश	बी. आर. अम्बेडकर इन्स्टीच्यूट मऊ	शून्य	शून्य	1.87
22.	मध्य प्रदेश	महाकौशल अकाडमी रायपुर	शून्य	शून्य	शून्य
23.	मध्य प्रदेश	ज्ञान विकास समिति भोपाल	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उड़ीसा	एलसी इन्स्टीच्यूट भुवनेश्वर	शून्य	0.88	3.43
25.	उड़ीसा	उड़ीसा स्टडीज सर्कल	शून्य	शून्य	1.25
26.	जम्मू और कश्मीर	इन्स्टीच्यूट आफ एमपीए	शून्य	शून्य	2.39
		कुल	1.42	17.52	60.47

विवरण-IV

वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्था का नाम	1997	1998	1999–2000
1.	असम	प्रशासनिक स्टाफ कालेज जवाहर नगर खानापारा गुवाहाटी	यह योजना वर्ष 1998–99 में शुरू की गई	4.24	शून्य
2.	असम	नार्थ ईस्टर्न रिजनल इन्स्टीच्यूट आफ मैनेजमेंट पारूकुटी भवन, नवीन नगर गुवाहाटी		2.54	शून्य
3.	केरल	इन्स्टीच्यूट आफ मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट विकास भवन, पीओ त्रिवेन्द्रम		3.33	शून्य
4.	मध्य प्रदेश	परीक्षा पूर्व परीक्षण केन्द्र, पुलिस रोड के सामने, मुख्यालय भढ़वाढ़ा रोड भोपाल		1.71	शून्य
5.	मध्य प्रदेश	अशोक महिला मंडल मिहोना जिला भिंड		1.53	शून्य
6.	मध्य प्रदेश	कृष्णा कोचिंग इन्स्टीच्यूट डी–एन जैन डिग्री कालेज के सामने गोल बाजार, जबलपुर		2.13	2.13
7.	मध्य प्रदेश	नेहरू आदर्श सेवा परिषद सी–31, नेहरू नगर भोपाल		1.95	शून्य
8.	उड़ीसा	एल सी इन्स्टीच्यूट आफ सोशिल एंड एप्लाइड साइंसिस, 2, बुद्ध नगर भुवनेश्वर		2.12	0.85
		कुल		19.55	2.98

विवरण-V

1. सरोची व्यावसायिक परीक्षा संस्थान ग्वालियर, मध्य प्रदेश।
2. कृष्णा कोचिंग इन्स्टीच्यूट जबलपुर, मध्य प्रदेश।
3. सोसिल इन्टीग्रेशन एंड रूरल डबलपमेंट सोसायटी, पानागल नालगोंडा, आन्ध्र प्रदेश।
4. विश्व रूप शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, रतलाम, मध्य प्रदेश।
5. सहारा अकाडमी कानपुर, उत्तर प्रदेश।
6. नवोदया शिक्षा एवं संस्कृति प्रसार समिति, अमायन, भिंड, ग्वालियर।
7. आईसीई कैरियर गाइडैंस तिरूवरम, तमिलनाडु।
8. उदयपुर स्टडीज सर्कल, फतेहपुर उदयपुर, राजस्थान।
9. श्री साहू शिक्षण प्रसारक मंडल कोलहापुर, महाराष्ट्र।
10. चाणक्य मंडल, पुणे।
11. स्वामी विवेकानन्द शिक्षण संस्था, लातूर।

नारियल जटा उत्पादों का निर्यात

4945. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न देशों में नारियल जटा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रयास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। कॅयर बोर्ड द्वारा विभिन्न देशों को कॅयर उत्पादों के निर्यातों में वृद्धि करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जोकि निम्नोक्त हैं :

1. निर्यातकों सहित अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना।
2. एफ.ए.ओ. अन्तर्राष्ट्रीय कटाव नियंत्रण संघ इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा भारतीय कॅयर और कॅयर उत्पादों के संवर्द्धन के निमित आयोजित सम्मेलनों में भाग लेना।
3. आई.टी.पी.ओ. द्वारा विदेशों में आयोजित किए जाने वाले केटालॉग शो में भाग लेना।
4. आई.टी.पी.ओ. द्वारा विदेशों में आयोजित किए जाने वाले उत्पाद संवर्द्धन कार्यक्रमों में भाग लेना।
5. कॅयर उत्पादों के ब्रोशर और केटालॉग बनाना और उन्हें ट्रेड को उपलब्ध कराना।
6. गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम।
7. डिजाइन विकास कार्यक्रम।

बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क

4946. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों और केन्द्रों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पता लगाए गए स्थलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार में एक सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) ने निम्नलिखित राज्यों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की है :

राज्य	स्थान
1. आंध्र प्रदेश	हैदराबाद, वाइजैग
2. असम	गुवाहाटी
3. गुजरात	गांधीनगर
4. कर्नाटक	बंगलौर, मणिपाल तथा मैसूर
5. केरल	तिरुवनन्तपुरम
6. महाराष्ट्र	पुणे तथा मुम्बई
7. मध्य प्रदेश	इंदौर
8. उड़ीसा	भुवनेश्वर
9. पंजाब	मोहाली
10. राजस्थान	जयपुर
11. तमिलनाडु	चेन्नई तथा कोयम्बटूर
12. उत्तर प्रदेश	नोएडा

पश्चिम बंगाल और गोवा की सरकारों ने भी अपने-अपने राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना की है। गोवा स्थित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के मामले में, केन्द्र सरकार ने आंशिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) सुविधा का विस्तार सभी राज्यों में करने का प्रस्ताव है जो तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रणों पर आधारित होगा। एसटीपी के लिए स्थल का चयन सामान्यतया सॉफ्टवेयर निर्यात की संभाव्यता, वित्तीय उपायों

के रूप में राज्य सरकार की सहायता, अनुकूल नीतिगत परिवेश, भूमि तथा भवन के प्रावधान और धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ङ) आज की तारीख तक बिहार में कोई बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यात इकाई नहीं है। एसटीपीआई बिहार स्थित सॉफ्टवेयर उद्योग को एसटीपी–भुवनेश्वर गेटवे से दूरसंचार विभाग की पट्टाकृत लाइन के जरिए डेटा संचार सुविधा प्रदान कर सकती है। इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) अपने उद्देश्यों के एक भाग के रूप में बिहार राज्य सरकार को सरकारी प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए कम्प्यूटर आधारित सहायता प्रदान कर रहा है तथा पटना में एनआईसी राज्य केन्द्र और बिहार के 40 जिलों में एनआईसी जिला केन्द्र स्थापित किए हैं।

मृत्यु दण्ड

4947. श्री वसुदेव आचार्य : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितंबर 2000 में सऊदी अरब में रहने वाले एक भारतीय का रियाद के निकट एक स्थान पर सार्वजनिक रूप से सिर धड़ से अलग कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों में देशवार कितने भारतीयों को मृत्यु दंड दिया गया;

(घ) कितने मामलों में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया था; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) श्री ताम्बी राज केशवन मनी मंदिरम, जिसे सऊदी अरब में तस्करी से हेरोइन ले जाने का दोषी पाया गया था, को 19 सितंबर, 2000 को रियाद में फांसी दे दी गयी।

(ग) सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों में 52 भारतीयों को मौत की सजा सुनायी गयी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

1.	ईरान	2
2.	कुवैत	1
3.	कतर	3
4.	सऊदी अरब	36
5.	सिंगापुर	2
6.	उगांड़ा	1
7.	संयुक्त अरब अमीरात	7

(घ) इन देशों में अवस्थित भारतीय मिशनों ने 15 मामलों में हस्तक्षेप किया।

(ङ) दो मामलों में संयुक्त अरब अमीरात प्राधिकारियों ने मौत की सजा माफ कर दी।

काऊंसल की स्थापना

4948. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय संघ ने भारत में काऊंसल की स्थापना करने के लिए कोई सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) द्विपक्षीय हितों के अन्य कौन से मुद्दे निपटान के लिए लंबित हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत और यूरोपीय संघ ने अपने संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए हैं। 28 जून, 2000 को लिस्बन में हुए भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मसलों की समीक्षा की। दोनों पक्ष साझे मूल्यों तथा आकांक्षाओं तथा संवर्धित एवं बहुआयामी सहयोग की विशेषता युक्त 21वीं सदी की नई सामरिक भागीदारी बनाने पर सहमत हुए। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन घोषणा भागीदारी को गुणात्मक रूप से उच्चतर स्तर तक उन्नयित करने का ब्लू प्रिंट है। राजनीतिक, वाणिज्यिक तथा आर्थिक क्षेत्र, जिनमें संयुक्त पहल की जानी है, की कार्ययोजना पर सहमति प्रकट की गई। यह घोषणा आतंकवाद को रोकने तथा उसका सामना करने एवं क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत और यूरोपीय

संघ को सहयोग के प्रति वचनबद्ध बनाती है। भारत और यूरोपीय संघ अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध व्यापक अभिसमय पर मिलकर कार्य करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में भारत यूरोपीय संघ के बीच करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत यूरोपीय संघ का दूसरा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 2001 के उत्तरार्ध में होगा।

मिरगी का इलाज

4949. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 नवम्बर, 2000 के द इंडियन एक्सप्रेस में 'पुअर ड्रग्स लीड टु एपिलेप्सी प्रॉब्लम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मिरगी के बारे में गलतफहमी है और इस संबंध में और अधिक जागरूकता पैदा की जानी है;

(घ) इस बीमारी के संबंध में जनता को जागरूक बनाने हेतु सरकार ने कौन सा जागरूकता अभियान चलाया है; और

(ङ) इस बीमारी हेतु केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में औषधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) मिरगी एक मस्तिष्कीय विकार है जो मस्तिष्क के न्यूट्रोनों से उत्पन्न होने वाले अधिक वैद्युत विसर्जन के कारण होता है।

मिरगी का नियंत्रण सही निदान, मिरगी–रोधी औषधों की पर्याप्त खुराक और रोगियों द्वारा उपचार अनुपालन पर निर्भर करता है। मिरगी इसकी प्रकृति के बारे में गलतफहमियों और मिथकों से जुड़ी हुई है और इसलिए मिरगी से ग्रस्त कुछ लोग चिकित्सीय उपचार, जो केवल वहनीय ही नहीं अपितु मिरगी के नियंत्रण में अत्यधिक प्रभावकारी भी है, नहीं लेते हैं।

भारतीय मिरगी एसोसिएशन, भारतीय तंत्रिका विज्ञान अकादमी और भारतीय तंत्रिका विज्ञानी सोसायटी डाक्टरों, अन्य व्यवसायियों और जनता के बीच मिरगी के बारे में सूचना का प्रचार–प्रसार करती हैं। भारतीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर ने मिरगी से ग्रस्त लोगों का निदान और उपचार करने के लिए जिला चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मिरगी परिचर्या का एक जिला मॉडल विकसित किया है। वे रोगियों और उनके परिवारों को मिरगी से जुड़े कलंक को हटाने के लिए परामर्श प्रदान करने में भी प्रशिक्षत हैं।

जहां तक केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन औषधों की गुणवत्ता का संबंध है, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा सामग्री भंडार संगठन, जो औषधों के प्रत्येक लॉट की बैचवार जांच करता है, से सभी सूचीबद्ध फार्मूलरी औषधें प्राप्त करती हैं और आपूर्तियां सरकारी प्रयोगशाला से संतोषजनक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही की जाती हैं। केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को औषधों की आपूर्ति उपचार करने वाले फिजीशियन की सलाह पर की जाती है।

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से गरीबी का उन्मूलन

4950. श्री पी. आर. खुंटे : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में गरीबी का उन्मूलन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगले कुछेक वर्षों में, विशेषरूप से इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की लगातार बढ़ती संख्या से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग एक सतत प्रक्रिया है। चल रहे कुछ प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- निकनेट नामक एक राष्ट्रव्यापी कम्प्यूटर नेटवर्क की सहायता से विभिन्न अनुप्रयोगों का जिला स्तर तक कंप्यूटरीकरण।
- सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपने बजट का 3 प्रतिशत भाग सूचना प्रौद्योगिकी पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहन देना।
- राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा ई–शासन आरम्भ करने को क्रमशः महत्व देना, जिससे कार्यक्षमता तथा पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी 486 खण्डों में सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

- शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटरों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया है :

  * विद्यालयों में

  * सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कुशलता का विकास किया जा रहा है।

  * क्वालिटी का दर्जा घटाए बिना कुशल जनशक्ति की संख्या में वृद्धि करने के लिए ऑन–लाइन अधिगम शुरू किया जा रहा है।

- "कम लागत की मल्टीमीडिया सूचना–सामग्री सृजन" के जरिए उद्यमशीलता विकास की एक परियोजना शुरू की गई है।

- 30–40 पंचायतों को सूचना केन्द्र उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु में एक प्रायोगिक ग्रामीण सूचना केन्द्र (समाधान केन्द्र) परियोजना शुरू की गई है। यह समुदाय को कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करने के अलावा जन स्वास्थ्य, ग्रामीण स्तर की संसाधन योजना, फसल आयोजना, मृदा संरक्षण तथा उर्वरता प्रबंध और जल संसाधन आयोजना के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

- महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित वारपानगर कोऑपरेटिव कॉम्प्लेक्स में "वायर्ड गांव" एक अनूठी की प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित की गई है।

- पूर्वोत्तर में रोजगार सृजन की योजनाएं।

- कंप्यूटरों में व्यापक स्तर पर भारतीय भाषा इन्टरफेस के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना।

- कंप्यूटरों तथा इंटरनेट की पहुंच में विभिन्न स्तरों पर वृद्धि करना तथा इसे सस्ता भी बनाना।

किए गए इन सभी तथा अन्य उपायों के फलस्वरूप रोजगार का सृजन होगा, कुशलता के दर्जे में वृद्धि होगी, संसाधनों का अनुकूलन होगा, स्थानिक बाधा के बिना सूचना तत्काल एवं सहज रूप से उपलब्ध होगी।

(ग) सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदानकर्त्ता (आईएसपी) नीति कार्यान्वित की है। पहले पांच वर्षों तक कोई लाइसेंस शुल्क देय नहीं है तथा पांच वर्षों के बाद एक रुपए का नाममात्र शुल्क दिया जाना है। इस नीति में नेटवर्कों का अंतर–संपर्क तथा अंतर्राष्ट्रीय गेटवे की स्थापना और वीएसएनएल से अलग इंटरनेट सेवा प्रदानकर्त्ताओं द्वारा विदेशी उपग्रहों से बैंडविड्थ किराए पर लेने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, इंटरनेट की मूल संरचनात्मक सुविधाओं का दर्जा नीचे दिए अनुसार बढ़ाने का भी प्रस्ताव है :

- भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) देश में राष्ट्रीय इंटरनेट बैकबोन की स्थापना कर रहा है।

- इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं को तंतु प्रकाशिक अथवा रेडियो संचार द्वारा मुक्त रूप से अंतिम स्थान तक संपर्क स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

- अधिकृत केबल टीवी के माध्यम से भी इंटरनेट की उपलब्धता की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

शरण मांगने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध

4951. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने शरण मांगने वाले भारतीयों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आम माफी योजनाएं

4952. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई खाड़ी के देशों ने उन लोगों के लिए जो अपनी मातृभूमि वापस लौटना चाहते हैं आम माफी योजनाओं की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत कितने भारतीय भारत वापस आए;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के अंतर्गत वापस आए व्यक्तियों के लिए जनशक्ति निर्यात संवर्धन परिषद और विदेश कामगार कल्याण निधि का सृजन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन लोगों, जो भारत वापस आये हैं, की बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पांच खाड़ी देशों में स्थित हमारे मिशनों ने कुल 68573 आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी किए थे ताकि उन देशों में आम माफी योजना की घोषणा करने पर भारतीय राष्ट्रिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाया जा सके।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्द्धन परिषद तथा विदेश कामगार कल्याण निधि की स्थापना का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है। तथापि, कल्याण निधि को किसी आम माफी योजना के तहत भारत वापिस जाने वाले श्रमिकों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के पास ऐसे श्रमिकों को कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

खादी को बिक्री कर से छूट

4953. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चाधिकार समिति जिसने खादी ग्रामोद्योग आयोग की कार्यप्रणाली की जांच की थी, ने खादी उत्पादों को बिक्री कर से छूट देने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इन उत्पादों को बिक्री कर से छूट देने के लिए निर्देश दिए हैं;

(ग) राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उक्त समिति ने सरकार का ध्यान खादी उत्पादकों की बेरोजगारी और बेकारी की ओर भी दिलाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं कि वे के.वी.आई. उत्पादों को बिक्री कर से छूट प्रदान करें।

(घ) और (ङ) समिति, जिसने अपनी सिफारिशें जुलाई, 1994 में प्रस्तुत कर दी हैं, ने 20 लाख अतिरिक्त रोजगारों का सृजन करने की सिफारिश की है। इनमें से 17.53 लाख रोजगार ग्रामोद्योग सेक्टर के अंतर्गत और शेष 2.47 लाख रोजगार खादी सेक्टर के अन्तर्गत सृजित करने की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता का उपयोग न होना

4954. श्री रामदास आठवले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 सितम्बर, 2000 के हिन्दी दैनिक "जनसत्ता" में 'विदेशी कर्ज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाने पर केन्द्र से जवाब–तलब' शीर्ष के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वचनबद्धता के मुख्य रूप में एक प्रतिशत की दर से बहुत भारी राशि का भुगतान करना पड़ा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) विदेशी सहायता पर वचनबद्धता प्रभारी के भुगतान के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है लेकिन उसकी स्वीकार्यता पर अभी निर्णय किया जाना है।

(ग) अवितरित सहायता पर वचनबद्धता प्रभार 0.75 प्रतिशत तक बढ़ सकता है और प्रत्येक मामले में अलग–अलग हो सकते हैं।

(घ) चूंकि परियोजनाओं को एक लम्बी अवधि में कार्यान्वित किया जाता है इसलिए एक दिए गए समय में संवितरित नहीं की गई निधियों का स्टाक हो जाता है। विभिन्न दान दाताओं को भुगतान किए गए वचनबद्ध प्रभारों के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ङ) सरकार द्वारा सहायता उपयोग में सुधार के लिए किए गए कुछ उपाय वाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान करने, अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को सुधारु बनाने,

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वाह्य सहायता पर मध्यस्थता न होने, आर्थिक कार्य विभाग में एक परियोजना प्रबंधन यूनिट की स्थापना करने, परियोजना प्रबंधन यूनिटों/परियोजना मानीटरिंग प्रकोष्ठों को नौ राज्यों और पांच केन्द्रीय मंत्रालयों में मजबूत करने, प्रवेश पर गुणवत्ता के संबंध में परियोजनाओं की नियमित समीक्षा के पर्याप्त प्रावधान करने को सुनिश्चित कर रहे हैं।

खादी क्षेत्र को बढ़ावा

4955. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खादी ग्रामोद्योग इकाइयों की निवेश सीमा बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं। भारत सरकार ने 27.10.1994 की अधिसूचना द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति शिल्पी/कामगार की नियत पूंजी सीमा को रु. 15,000/– से बढ़ा कर रू. 50,000/– कर दिया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आई.ए.एस./आई.पी.एस. परीक्षाओं में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग

4956. श्री जयभानसिंह पवैया :
डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 और 1998–99 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के लिए परीक्षा से पूर्व कुल कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया;

(ख) इस संबंध में कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से ऐसे सफल उम्मीदवारों की प्रतिशतता कितनी थी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को शरण देना

4957. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अमरीकी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या भारत और अमरीका दोनों ने पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों से अपने आप को अलग रखने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। सार्वभौम आतंकवाद के पैटर्नों पर 1999 के लिए अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की वार्षिक रिपोर्ट, जिसे अप्रैल 2000 में जारी किया गया, में यह कहा गया है कि हरकत उल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान से सरकारी सहायता मिलने की विश्वसनीय रिपोर्ट लगातार मिलती रही हैं– कश्मीरी आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान से लगातार संचालित किया जा रहा है, उनके लिए धन एकत्रित किया जा रहा है और नए सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है। ये संगठन 1999 में भारत के क्षेत्र में कश्मीर और भारत के अन्य भागों में कई आतंकवादी हमले करने के लिए जिम्मेवार थे।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने बार–बार यह कहा है कि पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध सीमा पार आतंकवाद को अपना सहयोग एवं समर्थन देना बंद कर देना चाहिए।

अमरीका ने अनेक अवसरों पर कहा कि उसने पाकिस्तान से अपने क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों को रोकने के उपाय करने के लिए कहा है। मार्च, 2000 में

इस्लामाबाद की यात्रा से पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने यह कहा था कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य पाकिस्तानी शासन के साथ अन्य मामलों पर चर्चा के साथ एक मामला आतंकवादी दलों को रोकना भी है। 12 जुलाई, 2000 को अमरीकी कांग्रेस की हाउस इंटरनेशनल रिलेशन्स कमेटी की सुनवाई में आतंकवाद का सामना करने से संबद्ध अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट के समन्वयक ने कहा था कि पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में आतंकवादियों का रहना और स्वतंत्रतापूर्वक उनका घूमना–फिरना सहन किया है। अनेक कश्मीर अलगाववादी ग्रुप और सांप्रदायिक संगठन जो कि आतंकवाद में लिप्त हैं, पाकिस्तान को अड्डे के रूप में इस्तेमाल करते हैं.... राष्ट्रपति क्लिंटन और अभी हाल ही में अण्डर सेक्रेटरी पिकरिंग दोनों ने आतंकवाद और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कड़ा रुख रखने का संदेश देने के लिए पाकिस्तान की यात्रा की।

भारत और अमरीका ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी दल का संस्थापन किया।

पाकिस्तान में सिख तीर्थयात्रियों को परेशान किया जाना

4958. श्री चलला श्रीनिवासुलु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 2000 में गुरुपर्व की संध्या पर ननकाना साहिब (पाकिस्तान) गये 1500 सिखों के जत्थे ने वापिस आने पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी उग्रवादियों ने जत्थे के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया और पाकिस्तान पुलिस ने इसमें हस्तक्षेप भी नहीं किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया कि ननकाना साहिब में गुरुद्वारों को आई.एस.आई. के संरक्षण में उग्रवादियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि 12 नवम्बर, 2000 को गुरुद्वारा ननकाना साहिब में तथाकथित खालिस्तान आतंकवादी संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने गुरुपर्व समारोहों के अवसर पर ननकाना साहिब की यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों के साथ मारपीट की। झगड़े में 6 तीर्थयात्री घायल हुए जिनमें से एक भारतीय जत्थे का है।

(ग) और (घ) पाकिस्तान तथाकथित आतंकवादियों को प्रोत्साहन देता है और उनके माध्यम से पाकिस्तान में सिख धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे सिख जत्थों के सदस्यों में भारत–विरोधी भाव भरने का प्रयास करता है। वह ऐसे लोगों को धमकाने–डराने की कोशिश भी करता है जो ऐसे दुष्प्रचार को नहीं मानते।

सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 नवम्बर, 2000 को ननकाना साहिब (पाकिस्तान) में हुए मुख्य समारोहों में खालिस्तान कमाण्डो फोर्स (के सी एफ), इण्टरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आई एस वाई एफ), बब्बर खालसा इण्टरनेशनल (बी के आई) जैसे अनेक पाकिस्तान आधारित आतंकवादी ग्रुपों के नेता मौजूद थे। सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति रफीक तरार ने भी कार्यक्रम में भाग लिया था और बताया जाता है कि उन्होंने उनमें से कुछ को 'सरोपा' भेंट किया था।

सरकार को भारत में सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के आधिकारिक समर्थन और ऐसे ग्रुपों को सहायता प्रदान करने की पूरी जानकारी है जो रूढ़िवादी, हिंसा और अलगाववादी विचार–धाराओं के समर्थक हैं। सरकार देश की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखण्डता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के अपने संकल्प के प्रति दृढ़ है।

हैमोफीलिया के लिए बजटीय सहायता

4959. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हैमोफीलिया से पीड़ित रोगियों को बजटीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय हैमोफीलिया के रोगियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु अलग से कोष स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या मंत्रालय ने इस रोग को अशक्त व्यक्तियों की सूची में शामिल करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास अशक्तता ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 में संशोधन करने हेतु एक प्रस्ताव है।

मेडिसिन और होम्योपैथी के क्षेत्र में आदान-प्रदान का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

4960. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी पद्धति के विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान का कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के अध्ययन के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा गया था;

(ग) 1999-2000 में इस तरह के सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन दौरों से प्रतिनिधिमण्डलों को भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रचार, भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों के प्रयोग से संबंधित मेजबान देशों की विनियामक आवश्यकताओं और ऐसे उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं की पसन्द का जायजा लेने में सहायता मिलेगी।

विवरण

क्रमांक	दिनों की संख्या	दौरा किया गया देश	उद्देश्य
1.	26-30 अप्रैल, 1999	रूस	दोनों देशों के बीच भारतीय चिकित्सा पद्धति पर और अधिक सहकारिता और सहयोग का मूल्यांकन करने के लिए योजना और तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करना।
2.	3-7 जून, 1999	रूस	समकालीन चिकित्सा (कन्टेम्पोररी मेडिसिन) में आयुर्वेद की भूमिका और स्थान पर सेमिनार।
3.	30-31 अक्टूबर, 1999	न्यूयार्क	आयुर्वेद पर दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेना और नेशनल इंस्टीच्यूट आफ हैल्थ, वाशिंगटन डी सी के अंतर्गत वैकल्पिक चिकित्सा केन्द्र का दौरा करना। इन दोनों अवसरों से पंजीकृत सहभागियों के बीच आयुर्वेद के प्रसार और नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ हैल्थ में विशेषज्ञों को भारतीय चिकित्सा पद्धति की क्षमताओं और अब तक किए गए अनुसंधान कार्य के बारे में सुग्राही बनाने में सहायता मिलेगी।
4.	14-17 अक्टूबर, 1999	ब्राजील	वैकल्पिक चिकित्साओं और प्राकृतिक उत्पादों के लिए अन्तरराष्ट्रीय मेले में भाग लेना।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां

4961. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन :
श्री पुष्प जैन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियां अर्थात् पेप्सी, कोक, हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड एकक को बंद करने के पश्चात् कामगारों से अलग-अलग शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रबंधन ने राज्य श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई समझौता कार्यवाही में भाग लेने से इंकार कर दिया है; और

(ग) क्या सरकार ने भारत में कार्य कर रही बहुराष्ट्रीय

कम्पनियों द्वारा औद्योगिक कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और समा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-इराक तेल/गैस पाइप लाइन

4962. श्री जी. एस. बसवराज : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इराक ने तेल/गैस ले जाने के लिए गहरे समुद में पाइप लाइन बिछाने की संभाव्यता का अध्ययन करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति

4963. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से औषधियों के मानकीकरण और सुरक्षित उत्पादन पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की औषधियों में संवर्धन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त वित्तपोषण उपलब्ध है; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति शब्द आधुनिक/पश्चिमी चिकित्सा से भिन्न चिकित्सा पद्धतियों के एक विजातीय समूह को द्योतित करता है। इस शब्द में भारत में परम्परागत चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा तथा होमियोपैथी शामिल हैं जो भारत में भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त हैं। इन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने, इनका प्रचार-प्रसार करने तथा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1995 में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की। इस विभाग ने औषधीय पादपों की खेती करने, कृषि तकनीकों को तैयार करने, स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर शिक्षण के उन्नय, औषधों के मानकीकरण, एक्स्ट्राम्यूरल अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए योजनाएं तैयार की हैं। गुणवत्ता वाली आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधों के विनिर्माण को सुनिश्चित करने के लिए इस विभाग ने औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अधीन दिनांक 23.6.2000 को उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियां अधिसूचित की हैं। प्रत्येक पद्धति की औषध के भेषज कोश चरणबद्ध ढंग से प्रकाशित किए जा रहे हैं। राज्य फार्मेसियों और औषध जांच प्रयोगशालाओं को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है और प्राइवेट औषध जांच प्रयोगशालाओं को औषधों की जांच करने हेतु सुविधाओं का विस्तार करने के लिए मान्यता देने का प्रस्ताव है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद इस समय अनियंत्रित मधुमेह के लिए विजयसर में एक बहु-केन्द्रिक परीक्षण कर रही है। इसका हृदवाहिका रोगों, फाइलेरिया, प्रास्ट्रेट कैंसर के लिए विनाइन हायोपरट्राफी के क्षेत्र में राष्ट्रीय टास्क फोर्स बहु-केन्द्रिक अध्ययन शुरू करने का प्रस्ताव है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग पर 1999-2000 के दौरान किया गया वास्तविक व्यय इस प्रकार है :

प्लान	–	4904.19 लाख रु.
नॉन-प्लान	–	4079.06 लाख रु.

अवैध हड़तालें

4964. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे सुझाव मिले हैं कि हड़तालों को तब तक अवैध घोषित किया जाए जब तक उन्हें गुप्त मतदान के माध्यम से कार्य बल का 66 प्रतिशत जनादेश नहीं मिल जाता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) श्री जी. रामानुजम की अध्यक्षता में गठित नए औद्योगिक संबंध कानून से संबंधित द्विपक्षीय समिति ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक हड़ताल से पूर्व हड़ताल मत लिया जाना चाहिए जिसमें प्रतिष्ठान में नियोजित कम से कम 2/3 कर्मकारों द्वारा हड़ताल के पक्ष में वोट दिया जाना चाहिए। कुछ श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने हड़ताल मत का विरोध किया था। अतः केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों के बीच इस मामले के संबंध में मतैक्य नहीं था।

[हिन्दी]

भारत-बंगलादेश सीमा वार्ता

4965. श्री पी. आर. खुंटे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगलादेश के सीमा विवाद के समाधान हेतु हाल ही में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) 13–14 दिसम्बर, 2000 को नई दिल्ली में सम्पन्न भारत–बंगलादेश विदेश सचिव स्तरीय वार्ता में भारत–बंगलादेश भू सीमा करार 1974 से संबंधित बकाया मसलों पर विस्तृत चर्चा की गई। दोनों पक्ष सीमा संबंधी सभी मसलों के शीघ्र समाधान के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए। इस प्रयोजन से सचिवों ने रेखांकन कार्य पूरा करने तथा एक दूसरे के क्षेत्रों में दूसरे पक्ष के एन्क्लेवों तथा क्षेत्रों के आदान–प्रदान के लिए कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया। कार्यदल प्रणालीबद्ध तरीके से इन मसलों को देखेंगे तथा विदेश सचिवों को नियमित तौर पर बताएंगे।

[अनुवाद]

"कैट" द्वारा दिए गए निर्णय का कार्यान्वयन

4966. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय का कार्यान्वयन अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने "कैट" द्वारा दिए गए अधिकांश निर्णय अस्वीकृत कर दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या "कैट" के निर्णय को स्वीकार न करने से इसके अस्तित्व और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के क्या विचार हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ख) जी हां, जब तक कि ऐसे आदेश, किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा संशोधित अथवा अपास्त (रद्द) नहीं कर दिए जाएं।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अमरीका में आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन

4967. श्री रामदास आठवले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय मंत्री और उनके मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने सितम्बर, 2000 में अमरीका में अपने दौरे के दौरान आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था;

(ख) इस शिखर सम्मेलन के दौरान दिए गए सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) 9–10 सितम्बर, 2000 को न्यूयार्क में भारतीय विद्या भवन, न्यूयार्क के सहयोग से आयुर्वेद नयी सहस्राब्दि में स्वास्थ्य परिचर्या में प्रतिमान परिवर्तन पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री तथा विभाग के अन्य अधिकारियों ने इस सेमिनार में भाग लिया।

(ख) इस विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सहित इस सेमिनार की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

– संयुक्त राज्य विकास बोर्ड में आयुर्वेद को प्रतिष्ठित करने का प्रस्ताव।

- यह बोर्ड भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों, कार्यक्रमों तथा अनुसंधान संबंधी सूचना का प्रचार करेगा।

- यह पता लगाना कि आयुर्वेदिक औषधों की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए भारतीय औषधों के विनिर्माताओं को क्या करने की आवश्यकता है।

- शिक्षण के मापदण्ड (मोड्यूल) विकसित करने के लिए शैक्षणिक विशेषज्ञों का समूह गठित करना।

- संयुक्त राज्य अमरीका में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी विभाग शिक्षकों को प्रायोजित करेगा।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों को कुछ बाध्यताओं को पूरा करने के लिए अपनी स्वीकृति भेजने के लिए कहा गया है। उत्तर की प्रतिक्षा है।

[अनुवाद]

ब्रिटिश सैक्रेटरी फॉर होम अफेयर्स की यात्रा

4968. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सैक्रेटरी फॉर होम अफेयर्स श्री जैक स्ट्रॉ ने इस वर्ष अगस्त, सितम्बर में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा उठाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रतिबंधों को हटाने का मुद्दा भी उठाया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) जी, हां। गृह मंत्री के निमंत्रण पर, श्री जैक स्ट्रॉ, ब्रिटिश विदेश सचिव 4-9 सितम्बर, 2000 तक भारत के दौरे पर आए। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने गृह मंत्री के साथ अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई, कोंसली तथा उत्प्रवासन से संबद्ध मसले और प्रत्यर्पण सहित परस्पर हित-चिन्ता के अनेक मसलों पर चर्चा की थी। यह यात्रा ब्रिटिश सरकार के साथ चल रहे संवाद का एक भाग थी।

(ग) जी, नहीं। इस यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की स्थायी सदस्यता का मसला भी उठाया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का कार्यान्वयन

4969. डॉ. जसवंत सिंह यादव : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के कार्यान्वयन हेतु कोई नियम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लाइसेंस हेतु आवेदन करने वालों की संख्या के संबंध में प्रतिबंधों को हटा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) नियम दिनांक 17 अक्तूबर 2000 को राजपत्र में अधिसूचित कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

संस्थाओं और सांसदों से अभ्यावेदन

4970. श्री किरीट सोमैया : क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने लघु उद्योग की इकाइयों को मजबूत करने के लिए संस्थाओं और सांसदों से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं;

(ख) क्या लघु उद्योग की अनेक इकाइयां बंद हो गई हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) लघु उद्योग की क्या समस्याएं हैं और लघु उद्योग की इन इकाइयों की सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बन्द लघु उद्योग इकाइयों पर सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों द्वारा वित्त पोषित रुग्ण लघु उद्योगों पर आंकड़े संकलित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए रुग्ण लघु उद्योगों पर राज्यवार जानकारी विवरण में दी गई है।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही मुख्य समस्याएं कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता, कार्यशील पूंजी की संस्वीकृति में देरी और इसके संवितरण में समय अन्तराल, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, आधारभूत सरंचनागत प्रतिबंध इत्यादि हैं। इन समस्याओं का सामना करने एवं लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों के विकास के लिए एक व्यापक नीतिगत पैकेज की घोषणा की गई है। यह नीतिगत पैकेज क्रेडिट तक सरल पहुंच, 25 लाख तक के कोलेंट्रल रहित सयुंक्त ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और उन्नत आधारभूत सरंचना हेतु पूंजी सहायता द्वारा लघु उद्योगों की प्रतियोगितात्मकता को बढ़ाएगा।

विवरण

रुग्ण लघु उद्योगों पर राज्यवार आंकड़े

मार्च के अन्त में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	अंडमान–निकोबार द्वीप	13	45	25
2.	आन्ध्र प्रदेश	15460	12074	6260
3.	अरुणाचल प्रदेश	26	456	116
4.	असम	10133	15774	10586
5.	बिहार	22702	24935	26293
6.	चंडीगढ़	170	163	187
7.	दादरा एवं नगर हवेली	1	2	24
8.	दमन और दीव	4	5	13
9.	दिल्ली	3943	3580	3789
10.	गोवा	604	670	216
11.	गुजरात	6510	6808	4170
12.	हरियाणा	2574	2149	3180
13.	हिमाचल प्रदेश	2206	735	1103
14.	जम्मू एवं कश्मीर	761	1627	630
15.	कर्नाटक	6937	6680	4342
16.	केरल	8908	8969	10074
17.	लक्षद्वीप	0	0	0
18.	मध्य प्रदेश	12070	8348	6808
19.	महाराष्ट्र	19360	17925	13373
20.	मणिपुर	2707	1919	5237
21.	मेघालय	5531	4076	447
22.	मिजोरम	1199	615	40
23.	नागालैंड	2738	1386	166
24.	उड़ीसा	3408	1889	10134
25.	पांडिचेरी	293	431	770
26.	पंजाब	2466	2376	3551
27.	राजस्थान	14561	15655	12835
28.	सिक्किम	30	33	28
29.	तमिलनाडु	9809	12289	11408

1	2	3	4	5
30.	त्रिपुरा	3171	2011	6914
31.	उत्तर प्रदेश	23286	14294	17320
32.	पश्चिम बंगाल	53451	53617	146182
	कुल	235032	221536	306221

बीड़ी कामगारों को ऋण

4971. श्री ए. पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी उद्योग में हाल ही में कामगारों को ब्याज मुक्त ऋण और राज सहायता मंजूर की गई थी;

(ख) क्या इस योजना को कुल निर्माण लागत की 50 प्रतिशत की दर से या 20,000 रुपये तक, जो भी कम हो, वापस न करने वाली राज सहायता में बदल दिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार बकाया ऋणों को राज सहायता मानकर माफ कर देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार केरल में पेरलासेरी, होसदुर्ग और केरीवेल्लूर जैसे स्थानों पर औषधालय शुरू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ऐसे प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ङ) से (छ) सरकार ने पहले ही पेरलासेरी, होसदुर्ग और कैरीवेलूर में औषधालय स्वीकृत कर दिए हैं। इन्हें शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

बीड़ी कामगारों हेतु अस्पताल

4972. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केरल के कन्नूर में बीड़ी कामगारों हेतु मौजूदा औषधालयों के स्थान पर एक अत्यंत सुसज्जित अस्पताल को शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सी. सी. आर. यू. एम. नई दिल्ली

4973. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडीसिन, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समीक्षा समिति ने क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) इन सुझावों/अनुशंसाओं पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति न परिषद को सुदृढ़ और कारगर बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) कुछ लघु यूनिटों का बड़ी यूनिटों में विलय करके और ऐसी यूनिटों, जिन्होंने अपने अनुसंधान अध्ययन पूरे कर लिए हैं, को बन्द करके अनुसंधान कार्यकलापों का समेकन।

(ii) लखनऊ और हैदराबाद स्थित इसकी यूनिटों का उन्नयन।

(iii) मुख्यालय और क्षेत्र स्तर पर मानीटरिंग अनुवर्ती तंत्र का सुदृढ़ीकरण ।

(iv) स्नातकोत्तर कालेजों और अन्य अनुसंधान संस्थाओं के साथ सहयोग।

(v) जिन औषधों को अनुसंधान अध्ययनों के फलस्वरूप अंतिम रूप दिया गया है उनका पेटेंटीकरण।

शासी निकाय ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और कुछ सिफारिशें पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

4974. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1995–96 के दौरान मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बाघराजी गांव में अस्पताल की इमारत का निर्माण कार्य संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधि से किए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित निर्माण कार्य आबंटित निधियों और स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अस्पताल की इमारत का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) कलेक्टर, जबलपुर ने सूचना दी है कि गांव बाघराजी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश में अस्पताल भवन के निर्माण के लिए 9 लाख रुपए की स्वीकृति मार्च, 1995 में दी गई थी।

(ख) और (ग) उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कार्य को स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर कार्यान्वित कराया गया था परंतु उच्च निविदा प्रतिशत के कारण आबंटित निधियों के अंदर यह पूर्ण नहीं हो सका, जिसके लिए स्वीकृत प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं था।

(घ) कलेक्टर ने सूचना दी है कि आवश्यक अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् शेष कार्य दो माह के अंदर पूरा किया जा सकता है।

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के लापता होने संबंधी जांच

4975. श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के लापता होने के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की जांच करने के लिए नेताजी सुभाषचन्द्र बोस जांच आयोग गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में आयोग ने उनके मंत्रालय से कुछ फाइलें मांगी हैं;

(ग) यदि हां, तो कितनी फाइलें मांगी गई हैं;

(घ) क्या इन फाइलों को उपलब्ध नहीं करवाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन फाइलों को कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आयोग ने विदेश मंत्रालय से 9 फाइलों के लिए पूछा था, जो उपलब्ध करा दी गई हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

लघु उद्योगों का निष्पादन

4976. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने वर्ष वार मानक प्रतिमानों के संदर्भ में पिछले पांच वर्षों के दौरान क्षेत्र–वार तथा राज्य–वार सामान्य रूप से और महाराष्ट्र के मामले में विशेष रूप से लघु उद्योगों के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्यों के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) की गई सिफारिशों, प्राप्त ज्ञापनों तथा उनके कार्यान्वयन के आलोक में लघु उद्योग क्षेत्र के कार्य–निष्पादन में सुधार लाने के लिए हाल ही में की गई/प्रस्तावित प्रमुख नीतिगत पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 2000–2001 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं से निपटने के लिए तैयार की गई कार्य–योजना का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) लघु उद्यमों पर गठित विशेषज्ञ समिति ने, लघु उद्योगों के कार्य निष्पादन की पूरे देश में तथा क्षेत्र वार आधार पर समीक्षा की है। राज्य–वार समीक्षा नहीं की गई है, न ही कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(ग) और (घ) लघु उद्योगों के विकास के लिए 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीतिगत पैकेज की घोषणा की गई है। यह नीतिगत पैकेज ऋण की सरलता से प्राप्ति, 25 लाख रु. तक संपार्श्विकता प्रतिभूति मुक्त संयुक्त ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा संशोधित आधारभूत ढांचे हेतु पूंजी सब्सिडी के माध्यम से लघु उद्योगों की प्रतियोगितात्मक क्षमता बढ़ाएगा।

औद्योगिक विवाद अधिनियम का लागू न होना

4977. श्री वरकला राधाकृष्णन :
श्री सुकदेव पासवान :
श्री मोहम्मद अनवारूल हक :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में यथोलिखित "उद्योग" की परिभाषा में संशोधनों को लागू न किए जाने के संबंध में सरकार की निष्क्रियता पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम को अब तक लागू न किए जाने के कारणों सहित न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार को जानकारी मिली है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एक मामले में औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 2 (ग) के अन्तर्गत यथा संशोधित "उद्योग" की परिभाषा का प्रवर्तन न किए जा के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। उक्त मामले में विवादित विषय यह निर्णीत करना था कि कर्नाटक कृषि उत्पादन विपणन (विनियम) अधिनियम, 1966 के अधीन गठित कृषि उत्पादन विपणन समिति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत एक उद्योग है अथवा नहीं। औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 2 (ग) ("उद्योग" की परिभाषा) के प्रावधानों का प्रवर्तन इस लिए संभव नहीं समझा गया क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के दायरे से जिन संस्थाओं/प्रतिष्ठानों आदि को बाहर किया जाना है, उनके लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है। "उद्योग" की संशोधित परिभाषा तभी प्रवर्तित की जा सकती है जब उद्योगों की छूट प्राप्त श्रेणियों के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था कर दी जाए।

धूम्रपान पर प्रतिबंध

4978. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पूरे देश में सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक केन्द्रीय विधान लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) तम्बाकू के उपभोग को निरुत्साहित करने के लिए एक विधान सरकार के विचाराधीन है और इस स्तर पर इसको पुरःस्थापित करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती। तथापि, माननीय संसद सदस्यों को सम्पूर्णता में इस मुद्दे पर विचार–विमर्श करने का एक अवसर प्राप्त होगा जब विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र में कम निवेश

4979. श्री अरुण कुमार : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा किये गये कम निवेश के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम निवेश के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र बहुत खराब स्थिति में है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) जी हां, योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन कृषि में कुल पूंजी निर्माण (जीसीएफए) में कुल घरेलू सकल पूंजी निर्माण (डीजीसीएफ) के प्रतिशत के रूप में कमी पर चिंता जताई है। जोकि 1980–81 के मूल्यों पर 1979–80 के 19.1 प्रतिशत से 1996–97 में तीव्रता से घटकर 9.4 प्रतिशत रह गयी है। 1993–94 के मूल्यों पर जीसीएफए 1996–97 के 6.3 प्रतिशत से घटकर 1998–99 में 5.5 प्रतिशत रह गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में जीसीएफए 1980–81 के 15.3 प्रतिशत से घटकर 1998–99 में 4.9 प्रतिशत रह गया है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय जलविभाजक विकास परियोजना और अन्य इसी प्रकार की योजनाओं द्वारा आधारभूत संरचना के विकास में निवेश को बढ़ावा देना, कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीति है।

असंगठित श्रमिकों पर दवे समिति

4980. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.ए. दवे समिति ने देश में असंगठित श्रमिकों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बड़ी संख्या में कार्य कर रहे असंगठित श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु कोई विधान लाने का है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में प्रति व्यक्ति आय

4981. श्री अरुण कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विभाजन होने के पश्चात् देश में बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है;

(ख) क्या सरकार के पास बिहार में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) प्रति व्यक्ति आय के अनुमान संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालयों (डीईएस) द्वारा संकलित किए जाते हैं। पहले के बिहार के विभाजन के पश्चात् बिहार के नवगठित राज्य द्वारा राज्य की प्रति व्यक्ति आय संबंधी सूचना भिजवाई जानी अपेक्षित है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा वह अभी तक भी भिजवाई नहीं गई है। तथापि, 1998–99 के दौरान त्वरित अनुमानों (केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा यथा आकलित) के अनुसार बिहार के अविभाजित राज्य की प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति एन एस डी पी) (15.11.2000 की स्थिति के अनुसार) संबंधी सूचना देश में सबसे कम थी।

(ख) और (ग) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक रूप से उत्पादक स्कीमों के कार्यान्वयन और जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी से होगी। बिहार राज्य सरकार स्वयं इन उद्देश्यों को पूरा करने वाली ऐसी स्कीमें शुरू करने के लिए उत्तरदायी है।

न्यूनतम निर्यात मूल्य

4982. श्री सुरेश कुरूप : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कॉयर और कॉयर उत्पादों के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्यात मूल्य को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार ने निर्णय लिया है कि न्यूनतम निर्यात मूल्यों को उचित तरीके से उत्तरोत्तर समाप्त करने के लिए, विशेषकर व्यापार नीतिगत उपायों को विश्व व्यापार संगठन नियमों के अनुरूप बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। तदनुसार, कॉयर बोर्ड ने 11.1.2000 से परिष्करण, बिजलीकरघा उत्पाद एवं जियोटैक्सटाईल से न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालय

4983. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री पुन्नूलाल मोहले :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली के आयुर्वेदिक औषधालय के कार्यकरण में कुछ अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोगियों को अच्छी क्वालटी वाली औषधियों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) इस संबंध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी, नहीं। लाभार्थियों को डाक्टर द्वारा लिखी गई मात्रा पर अच्छी गुणवत्ता की औषधों की आपूर्ति की जाती है।

(घ) से (च) ऊपर (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम

4984. श्री रामजीवन सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम" के यूरोपीय कमीशन के ठेकेदार, मैसर्स ई.पी. ओ.एस. हैल्थ कंसलटेन्ट्स, जर्मनी ने सरकार द्वारा यथा मंजूर शुदा सैक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम डाक्यूमेन्ट (एस.आई.पी.) डाक्यूमेन्ट की मंजूरी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की मंजूरी के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सैक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम डाक्यूमेन्ट (एस.आई.पी.) को दिनांक 12 जुलाई, 1999 को अस्वीकृत करने के ठीक दस दिन बाद मंजूरी प्रदान कर दी गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी नहीं, यूरोपीय आयोग की ओर से तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए मैसर्स ई पी ओ एस हेल्थ कन्सल्टेंट्स (जर्मनी) ने आपशंस (यू.के) तथा विमर्श (भारत) के साथ विशेषज्ञ रखे हैं। प्रारूप सेक्टर निवेश कार्यक्रम दस्तावेज परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में भारत सरकार तथा यूरोपीय आयोग प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधियों वाले एक निकाय, कार्यक्रम प्रबंधन ब्यूरो द्वारा बनाया गया। सेक्टर निवेश कार्यक्रम भारत सरकार तथा यूरोपीय आयोग के बीच 2 सितम्बर, 1997 को हस्ताक्षरित वित्त–पोषणिक अनुबंध के अनुसार तैयार किया गया । अप्रैल तथा जून 1999 के महीनों में राज्यों, दाताओं तथा गैर–सरकारी संगठनों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों की कार्यशालाओं के विचार–विमर्शों ने सेक्टर निवेश कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त निवेश (इनपुट) प्रदान किया। वित्त पोषणिक अनुबंध के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, सेक्टर निवेश कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य राज्य तथा जिला स्तरों पर पहले से ही सहमति प्राप्त सुधारों को प्रचालित करने के लिए परिवार कल्याण सेक्टर में सुधार प्रक्रिया को सुदृढ़ करना तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर प्रजनन

एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किए गए पहचान किए गए वृहत कार्यकलापों में भी सहायता देना है।

(ग) जी, नहीं। सेक्टर निवेश कार्यक्रम दस्तावेज को 16 नवम्बर, 1999 को अन्तिम रूप से मंजूरी दी गई न कि 22.7.1999 को।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जादू टोना और काला जादू

4985. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अनेक भागों, विशेषकर तेलंगाना क्षेत्र में जादू टोना और "काला जादू" करने की घटनाओं के समाचार मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रथाओं को समाप्त करने और ग्रामीणों को जादू टोना करने वालों से बचाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। तथापि आन्ध्र प्रदेश सरकार से अभी सूचना प्राप्त होनी है।

सर्वाइकल कैंसर

4986. श्री जे. एस. बराड़ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने की घटनाओं में चिंताजनक रूप से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में गत तीन वर्षों के दौरन राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) देश में सर्वाइकल कैंसर से संबंधित की जा रही जांचों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) पिछले तीन दशकों के जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रओं के सामायिक प्रवृत्ति विश्लेषण डेटा से बंगलौर और चेन्नई में सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं में कमी का पता चलता है। इस कमी के यथार्थ कारणों का पता नहीं चला है। तथापि सामाजिक आर्थिक स्थिति में वृद्धि और बेहतर यौन स्वस्थवत्त सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं की कमी के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों में महिलाओं के बीच सर्वाइकल कैंसर की आयु विशिष्टि घटना दर प्रति 1,00,000 महिलाओं पर 19.5 से 41.9 के बीच भिन्न-भिन्न है।

(घ) सर्वाइकल कैंसर का निदान इतिवृत्त लेकर नैदानिक जांच, नेमी जैव रसायन, विकृति विज्ञानी और विकिरण चिकित्सा विज्ञानी जांचों द्वारा किया जाता है, जहां विकृति विज्ञान विभाग है वहां बायोप्सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र पेप स्मीयर टेस्ट कर रहे हैं जिसके लिए 1999 में विश्व स्वास्थ्य संगठन निधियों में से किटें सप्लाई की गई हैं।

मणिपुर में एड्स

4987. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्तूबर, 2000 के "द एशियन ऐज" में "एड्स लाइज इन मणिपुर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी हां, इस समाचार में मणिपुर में एच आई वी संक्रमणों की संख्या 4079 बताई गई है। "इंडिया सिनेरियो" अध्याय के अधीन नाको की वेबसाईट में 1998 डेटा का प्रयोग करते हुए वयस्क जनसंख्या के बीच एच आई वी अनुमान की प्रक्रिया संबंधी ब्यौरे उपलब्ध हैं। मणिपुर के सामने सारणी में बताये गये 4079 आंकड़े यौन संचारित रोग के रोगियों और सामान्य जनसंख्या के बीच एच आई वी संक्रमणों की संख्या है। इंजेक्शन द्वारा औषध के प्रयोगकर्ताओं के बीच एच आई वी के लिए आंकड़े सारणी के अंत में दिए गए हैं जिनको संवाददाता ने नजरअंदाज कर दिया। मणिपुर में इंजेक्शन द्वारा औषध के प्रयोगकर्ताओं के बीच एच आई वी संक्रमणों की संख्या 34,500 है। इसलिए मणिपुर में संक्रमणों की कुल संख्या 38,579 है न कि 4079 जैसा कि लेख में बताया गया है। इस आशय का स्पष्टीकरण पहले ही सम्पादक को भेजा जा चुका है और वह समाचार पत्र के दिनांक 5 नवम्बर, 2000 के अंक में छपा था।

रोस्टर प्रणाली

4988. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने आर. के. सब्बरवाल बनाम पंजाब राज्य और जे.सी. मल्लिक बनाम रेल–मंत्रालय के मामले में दिए गए निर्णय में यह कहा है कि 'रिक्ति आधारित रोस्टर' केवल उस समय तक लागू रह सकता है जब तक कि आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के लिए निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार और इसके अन्तर्गत आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त/सम्बद्ध/अधीनस्थ संगठनों में श्रेणी I, II, III और श्रेणी IV कोटियों/ग्रेडों का ब्यौरा क्या है जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच गया है और जिसकी वजह से 'रिक्ति आधारित रोस्टर' के स्थान पर 'पद आधारित रोस्टर' लागू किया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.के. सब्बरवाल के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार, आरक्षण, पदों के संदर्भ में किया जाना अपेक्षित है, न कि रिक्तियों के संदर्भ में। पद–आधारित रोस्टर, यह सुनिश्चित करने की क्रियाविधि है कि उच्चतम नयायालय द्वारा दिए गए। उपर्युक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप, संबंधित आरक्षित श्रेणियों को आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पद सुलभ हों। विद्वान महान्यायवादी ने भी यह मत व्यक्त किया है कि पद–आधारित रोस्टर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप हैं और सरकार रिक्ति–आधारित पुराने रोस्टरों का चलन कायम नहीं रख सकती थी। सभी मंत्रालयों/विभागों इत्यादि द्वारा पद–आधारित रोस्टर रखे जाने अपेक्षित हैं।

चिकित्सा एवम् दंत चिकित्सा महाविद्यालय (गाजियाबाद)

4989. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री एम. ओ. एच. फारूक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संतोष चिकित्सा महाविद्यालय, गाजियाबाद की कथित अनियमितताओं और अनाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद ने गाजियाबाद के संतोष चिकित्सा एवम् दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को आवश्यक मानदण्डों को पूरा किए बिना ही चलाने की अनुमति दे दी थी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या काण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) संतोष मेडिकल कालेज गाजियाबाद को चलाने में आधारभूत ढांचे की कमियों का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका संख्या 1885/2000 दायर की गई है। यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सिफारिशों पर 50 छात्रों की दाखिला क्षमता वाले संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद की स्थापना के लिए 15.1.1996 को एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति दी गई थी। बाद में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की सिफारिशों पर छात्रों के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें बैच के दाखिले के लिए अनुमति का नवीकरण भी किया गया। तथापि 2000–2001 के दौरान छात्रों के छठे बैच के दाखिले के लिए सुविधाओं को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा संतोषप्रद नहीं पाया गया। फलस्वरूप भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने 2000–2001 के दौरान छात्रों के अगले बैच के दाखिले के लिए अनुमति के नवीकरण की सिफारिश नहीं की; और इसलिए 2000–2001 के दौरान छात्रों के दाखिले के लिए अनुमति नहीं दी गई है।

इसी प्रकार भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों पर 40 छात्रों की दाखिला क्षमता वाले संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद की स्थापना के लिए 5.2.1996 को अनुमति दी गई थी। बाद में, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय सरकार की अनुमति का नवीकरण चौथे वर्ष तक किया गया। चौथे वर्ष के लिए अंतिम अनुमति का नवीकरण

8.9.2000 को किया गया था। इस कालेज की बी डी एस डिग्री की मान्यता के लिए भारतीय दंत चिकित्सा की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

4990. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्य के दौरान परिसंपत्तियों की देख–रेख और उनके रख–रखाव के लिए कुछ एजेसियां नियुक्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एजेंसियों के निदेश पद क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से निर्मित परिसंपत्तियों को इनकी स्थायी रूप से देखभाल के लिए कुछ स्थानीय निकायों को सौंपा जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (घ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत, कार्यों को शुरू करने से पूर्व, जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करते हैं कि योजना के अंतर्गत सृजित स्थाई परिसंपत्तियों का रख–रखाव लाभार्थी संगठनों अथवा सरकार, जो इस प्रकार की परिसंपत्तियों के लिए उत्तरदायी हो, के द्वारा किया जाए।

चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को नियमित किया जाना

4991. श्री भीम सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आई.एस.एम. एंड जी. विभाग को दो महीनों के भीतर नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पतालों में सेवारत कुछ यूनानी चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो यूनानी काय चिकित्सकों की तदर्थ सेवाओं को नियमित करने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए निर्देश दिए थे।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है।

ओशो की बहुमूल्य विरासत

4992. श्री कीर्ति झा आजाद :
श्री विनोद खन्ना :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी संगठन अमेरिका में आध्यात्मिक गुरु ओशो की आध्यात्मिक विरासत पर पूर्ण कानूनी अधिकार और उस पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुस्तकों, श्रृव्य और दृश्य टेपों, चिंतन तकनीकों, उनके हस्ताक्षर वाले चित्रों आदि के रूप में उपलब्ध उनकी विशाल विरासत को औचित्यपूर्ण स्थान पुणे में लाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) बौद्धिक सम्पदा अधिकार स्वामित्व प्रकृति के होते हैं तथा इन अधिकारों के अतिलंघन/दुरुपयोग होने पर इन अधिकारों का स्वामी संगत अधिनियमों के अंतर्गत उपलब्ध सिविल अथवा आपराधिक उपचार प्राप्त कर सकता है। इन निजी अधिकारों के संबंध में विधिक विवादों में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम

4993. श्री महबूब जहेदी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे श्रम आयोग ने औद्योगिक विवाद अधिनियम पर अपनी सिफारिशें अभी तक प्रस्तुत नहीं की हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग की सिफारिश के बिना सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन के प्रस्ताव सरकार को समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में विभिन्न संशोधनों संबंधी प्रस्ताव सामाजिक भागीदारों के सुझावों पर आधारित हैं, आर्थिक सुधारों के अनुरूप हैं। यह सतत प्रक्रिया है जो देश के आर्थिक वातावरण तथा घरेलू औद्योगिक परिदृश्य व श्रम बाजार में हो रहे परिवर्तनों पर निर्भर करती है।

विलंबित परियोजनाएं

4994. श्री जय प्रकाश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बीस करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली कुल कितनी परियोजनाएं हैं;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं;

(ग) निर्धारित अवधि के भीतर इन परियोजनाओं को पूरा न किये जाने के परिणामस्वरूप इनकी लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) 1.10.2000 तक 20 करोड़ से अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की 45 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यान्वयनाधीन थीं।

(ख) इन 45 परियोजनाओं में से 23 परियोजनाएं अपने मूल अनुमोदित अनुसूची से पीछे चल रही हैं तथा 16 परियोजनाओं के शुरू होने की कोई तारीख नहीं है।

(ग) इन 23 विलंबित परियोजनाओं की लागत मूल अनुमोदित लागत 8,764.49 करोड़ रुपये से बढ़कर प्रत्याशित लागत 14,589.70 करोड़ रुपये हो गई है अर्थात इसमें 66.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विलंबित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इन परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम उनके सामने आने वाली समस्याओं के आधार पर परियोजना दर परियोजना भिन्न होते हैं। तथापि, सामान्यतया तथा परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए निम्न उपचारी उपाए किए गए हैं :

(1) सरकार द्वारा परियोजनाओं का मासिक तथा साथ ही त्रैमासिक प्रबोधन,

(2) परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन समीक्षा तथा विलम्ब को कम करने के लिए राज्य सरकारों (भूमि अधिग्रहण तथा आधारी संरचना सुविधाओं जैसे जल, विद्युत के प्रावधान, परियोजना कार्यस्थलों पर कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने आदि के लिए)· परामर्शदाताओं तथा अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ अनुवर्तन;

(3) समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक मंत्रालय में शक्ति प्रदत्त समितियों का गठन;

(4) भूमि अधिग्रहण अधिनियम तथा पुनर्वास पैकेजों में सुधार;

(5) अंतरमंत्रालयी प्रकृति की समस्याओं के समाधान के लिए अंतरमंत्रालयी समन्वय;

(6) कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था वाली परियोजनाओं को संशोधित समय-सूची के अनुसार पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराना; तथा

(7) प्रभारी मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा समीक्षा।

विवरण

(1.10.2000 तक) उत्तर प्रदेश में मूल अनुसूची के सन्दर्भ में विलंबित परियोजनाओं की सूची

(इकाई : लागत/व्यय : करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	परियोजना (जिला) (राज्य)	क्षमता	सरकारी अनुमोदन की तिथि मूल (संशो.)	शुरू होने की तिथि		समय वृद्धि			लागत		मूल पर लागत वृद्धि का प्रतिशत (संशो.)	व्यय 3/2000 तक	2000-2001 (स. अनु.)	वार्षिक व्यय तिमाही	संचयी व्यय
				मूल (संशो.)	प्रत्याशित (एलआर ईपी)	मूल पर कुल प्रतिशत	अन्तिम तिमाही	संशोधित पर कुल प्रतिशत	अनुमोदित मूल (संशो.)	प्रत्याशित					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क्षेत्र : नागर विमानन															
एएआई															
1.	वाराणसी		1999/03	2000/03	2000/10	7	0	7	21.54	21.54	0	4.07	12.50	1.88	5.95
	स्टिक आफ एमएसएसआर वाराणसी उत्तर प्रदेश					58		58			0		—		
क्षेत्र : सूचना एवं प्रसारण															
आकाशवाणी															
2.	आर ई पी/संस्था	संख्या	1995/02	1998/03	2002/09	54	0	54	32.20	32.20	0	4.39	0.43	0.13	4.52
	दो टी आर एस टावर्स अलीगढ़ उत्तर प्रदेश	2x250				146		146			0		—		
क्षेत्र : पेट्रोलियम															
आई ओ सी															
3.	मथुरा रिफा.	एमएमटीपीए	1996/05	1999/12	2000/07	7	0	7	1041.00	1068.00	3	903.00	163.98	22.83	925.83
	प्रोसे मथुरा उत्तर प्रदेश	1.2				16		16			3		120.00		(पूर्ण)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क्षेत्र : विद्युत															
एन एच पी सी															
4.	धोली गंगा	एमडब्ल्यू	1991/04	1998/10	2005/03	77	0	77	601.98	1578.31	162	255.31	253.00	71.20	326.51
	एन ई पी–1 पिथौरागढ़	4*70				86		86			162		–		
	उत्तर प्रदेश														
टीएचडीसीएल															
5.	टिहरी बांध	एमडब्ल्यू	1994/03	1999/03	2002/03	36	0	36	2963.66	5690.64	92	2392.07	–	202.41	2594.48
	एच पी पी टिहरी	1000				60		60			92		–		
	उत्तर प्रदेश														
क्षेत्र : स्वास्थ्य एवं एफडब्ल्यू															
एच एवं एफडब्ल्यू															
6.	बायोलोजिकल संस्था.		1992/03	2001/03	2005/03	48	12	48	69.74	269.24	286	72.43	11.32	2.62	75.05
	नयोडा, उत्तर प्रदेश					44		44			286		–		
क्षेत्र : रेलवे															
डाभोल															
7.	चंदनपुर–ग्रुप 3 लाईन	कि.मी.	1994/04	1998/12	2001/06	30	15	30	25.29	23.28	–8	22.47	10.00	8.66	31.13
	उत्तर प्रदेश	17.24				54		54			–8		–		
8.	मुरादनगर–मेरठ, एनआर	कि.मी.	1995/04	1998/09	2000/10	25	0	25	31.00	62.59	102	30.61	15.00	7.00	37.61
	उत्तर प्रदेश	29.50				61		61	39.62		58		–		
9.	गोंडा–राजवल एनईआर	कि.मी.	1996/12	2000/02	2001/03	13	9	13	58.56	60.69	4	26.07	13.69	6.84	32.91
	उत्तर प्रदेश	45.45				34		34			4		–		
10.	गाजियाबाद–मुरादाबाद	कि.मी.	1995/04	1998/06	2000/12	30	2	30	30.00	65.81	119	47.94	18.00	8.00	55.94
	उत्तर प्रदेश	36.97				79		79	43.64		51		18.00		
डब्ल्यूएस एवं पीयू															
11.	डीएलडब्ल्यू–4000 एचपी–1		1998/10	2001/03	2003/03	24	0	24	37.44	37.44	0	5.10	14.09	0.25	5.35
	डीजल लोको, वाराणसी					83		83			0		–		
	उत्तर प्रदेश														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क्षेत्र : भूतल परिवहन आरडी एवं बीआर															
12.	नैनी पुल : एनएच 2 एवं एनएच 27, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश		1995/03	2001/06 2001/06	2003/04	22 29	22	22 29	100.36 300.00	393.00	292 31	8.75	— —	—	8.75
	उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएं														
क्षेत्र : कोयला एनसीएल															
13.	दूधीचूआ ओसी फेज–1, सिद्धि म.प्र./उ.प्र.	एमटीवाई 10.0	1992/08	1998/03 1998/03	2004/03	72 107	0	72 107	868.93 868.93	1271.31	46 46	950.03	153.56 —	2.48	952.51
क्षेत्र : पेट्रोलियम आईओसी															
14.	ब्रांच लाइन, मेरठ मेरठ, उ.प्र./हरि.		1998/04	2000/06	2000/11	5 19	3	5 19	44.00	33.00	–25 –25	14.01	14.00 —	12.70	26.71
क्षेत्र : विद्युत पी ग्रिड															
15.	एलडीसी, एनआर		1995/03	2000/03	2002/01	22 37	0	22 37	479.51	551.56	15 15	177.89	179.46 138.05	42.08	219.97
16.	टिहरी ट्रमि. सिस्टम टिहरी, दिल्ली/उ.प्र.	केवी 800 केसीएम 3000	1994/03 1994/03	1999/03	2001/10	31 52	0	31 52	421.00	548.54	30 30	225.33	154.39 135.36	24.60	249.93
17.	उत्तर–पूर्वी एचवीडीसी लिंक, इला., उ.प्र./बि.	केवी 400 केसीएम 5601x500 एमडब्ल्यू	1998/09	2001/12	2002/10	10 26	0	10 26	671.56	671.56	0 0	97.98	175.30 122.56	69.74	167.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क्षेत्र : रेलवे															
डाभोल															
18.	सोनागढ़, एमजीएस	कि.मी.	1990/04	1994/03	2001/06	87	6	87	165.00	229.75	39	212.00	—	25.88	237.88
	3 लाईन, ईआर, बि., उ.प्र.	105	1992/11			185		185	139.25		65		—		
एनएल															
19.	गुना–ईटावा	कि.मी.	1985/04	1994/03	2003/12	117	0	117	158.77	337.33	112	251.39	25.00	13.06	264.45
	सीआर, म.प्र./उ.प्र.	348.25	1990/04			109		109	248.00		38		—		
एफओआईएस															
20.	फ्रेडओपरेशन सिस्ट.	क्रराईस	1984/03	1995/03	2000/09	66	2	66	520.00	1098.00	111	212.01	20.00	4.16	216.17
	अखिल भारतीय		1989/11			50		50	1098.00		0		—		
आरई															
21.	सीतारामपुर–मुगलसराय	कि.मी.	1992/03	1998/03	2001/07	40	0	40	240.40	363.36	51	314.08	20.30	10.80	324.88
	बि./उ.प्र.	557				56		56			51		—		
22.	अंबाला–मुरादाबाद	कि.मी.	1993/03	1998/03	2003/03	60	0	60	152.21	152.21	0	44.37	—	8.96	53.33
	पं./हरि./उ.प्र.	274			1998/03	100		100			0		—		
क्षेत्र : दूरसंचार															
वीएसएनएल															
23.	नई दिल्ली	सीकेटीएस	1996/11	1998/03	2001/01	34	0	18	30.34	30.34	0	18.90	—	—	18.90
	देहरादून एमडब्ल्यू सिस्ट..	5670		1999/07		213		56			0		—		
	दिल्ली/उ.प्र.														

संकेत :

एएआई	—	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण	एनएल	—	नई लाइनें
एआईआर	—	आल इंडिया रेडियो	आरडी एवं बीआर	—	सड़क एवं पुल
डबल	—	दोहरी लाइनें	आरई	—	रेलवे विद्युतीकरण
एफओआईएस	—	माल भाड़ा प्रचालन एवं सूचना प्रणाली	टीएचडीसी	—	टिहरी जल विद्युत निगम प्राधिकरण
एच एवं एफडब्ल्यू	—	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	वीएसएनएल	—	विदेश संचार निगम लिमिटेड
आईओसी	—	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	डब्ल्यूएस एवं पीयू	—	कार्यशाला एवं उत्पादन इकाई
एनएचपीसी	—	राष्ट्रीय जल विद्युत प्राधिकरण			
एनसीएल	—	उत्तरी कोयला क्षेत्र प्राधिकरण			

बीड़ी कामगारों की संख्या

4995. श्री अबुल हसनत खां : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बीड़ी कामगारों की संख्या का सही–सही पता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनमें से कितने कामगारों को राज्य–वार पहचान–पत्र दिए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : (क) देश में लगभग 44.11 लाख बीड़ी कामगार हैं।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमानित कुल बीड़ी कामगारों की संख्या	जारी किए गए पहचान पत्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	6,25,000	5,18,954
2.	असम	7,725	5,791
3.	बिहार	3,91,500	2,44,847
4.	गुजरात	50,000	48,396
5.	कर्नाटक	3,60,876	2,98,395
6.	केरल	1,36,416	1,12,887
7.	मध्य प्रदेश	7,50,000	6,93,239
8.	महाराष्ट्र	2,56,000	2,02,435
9.	उड़ीसा	1,60,000	1,47,274
10.	राजस्थान	1,00,000	70,930
11.	त्रिपुरा	5,000	4,814
12.	तमिलनाडु	6,21,000	6 04,949
13.	उत्तर प्रदेश	4,50,000	2,39,672
14.	पश्चिम बंगाल	4,97,758	4,97,758
	कुल योग	44,11,275	36,90,341

सीमा पार से आतंकवाद

4996. श्री जी. एस. बसवराज : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा पार से आतंकवाद को रोकने के लिए अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय संघ द्वारा पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य खुले रूप में भारत में जम्मू और कश्मीर तथा अन्य भागों में सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के आधिकारिक समर्थन को स्वीकार करता है और हमारे देश तथा क्षेत्र की सुरक्षा पर इसके दुष्प्रभाव पर उन्होंने अपनी चिंता भी व्यक्त की है। इस चिंता को पाकिस्तान से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में और अनेक सरकारों के आधिकारिक प्रवक्ताओं द्वारा जारी किए गए वक्तव्यों में अभिव्यक्त किया गया है। पाकिस्तान की सरकार से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में स्थित आतंकवादी ग्रुपों की कार्यवाही को रोकने का अनुरोध किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की नीतियों द्वारा सार्वभौम आतंकवाद को प्रदत्त खतरनाक प्रोत्साहन और हिंसात्मक तथा रूढ़िवादी विचारधाराओं को समर्थन दे रहे ग्रुपों को उसके समर्थन की पूरी जानकारी है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान नियंत्रित क्षेत्रों को सार्वभौम आतंकवादी के नए केन्द्रों के रूप में माना जाता है।

एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम

4997. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय चल रहा एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम को वैज्ञानिक मंच पर चुनौती दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस समय चल रहे एड्स कार्यक्रम का विरोध कर रहे वैज्ञानिकों के साथ उपरोक्त कार्यक्रम पर चर्चा की है;

(ग) क्या जांच तरीकों सहित एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम की वैधता पर नागपुर में कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) जी, हां। पोषण सुधार अकादमी, नागपुर में 30–31 जनवरी, 2000 को एक सम्मेलन हुआ था। तथापि, इस सम्मेलन में किसी सिफारिश को अंतिम रूप नहीं दिया गया और किसी औपचारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

कश्मीर घाटी में उग्रवादी गतिविधियां

4998. श्री चिंतामन वनगा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 नवम्बर 2000 के कुछ समाचार पत्रों में "पाक कन्विक्ट्स आफर्ड रोड टू फ्रीडम थ्रू कश्मीर" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, हां। सरकार ने 12 नवम्बर, 2000 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है।

(ख) और (ग) पाकिस्तान की आसूचना एजेंसियां, अन्यों से मिलकर, स्वापकों और शस्त्रों के अवैध व्यापार में शामिल अपराधियों की सेवाएं लेती हैं और इसके साथ–साथ सीमा पार से आतंकवाद और भारत में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए गैरकानूनी क्रियाकलाप कराती हैं।

सरकार देश की सुरक्षा और प्रादेशिक अखण्डता को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति वचनबद्ध है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों के लिए सुखद समाचार

4999. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 जून, 2000 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "लिटिल चियर फार सीजीएचएस बेनीफिस्यरीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपे समाचारों का तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आर.के. पुरम में 'पोलिक्लीनिक' खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में रोगी–डाक्टर–स्टाफ अनुपात पर्याप्त है। कुल मिलाकर दिन–प्रतिदिन की आवश्यकता के लिए सभी दवाएं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों में उपलब्ध रहती हैं। यदि विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई कोई दवा औषधालय में उपलब्ध नहीं होती तो इसे व्यक्तिगत नुस्खे पर प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से प्राप्त किया जाता है। आपात स्थिति में, रोगी को प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से दवा के तत्काल प्रापण के लिए एक प्राधिकार पर्ची दी जाती है जिसके लिए लाभार्थी को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को कुछ मामलों, जिन पर निर्णय लेने के लिए स्पष्टीकरण/सहमति प्राप्त करनी होती है, को छोड़कर सामान्यतया 4 से 8 सप्ताहों में प्रोसेस किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए निर्बन्धनात्मक उपायों अथवा सुविधाओं को वापस लेकर सुविधाओं में कोई कमी नहीं की गई है। इसके बजाए, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अपनी सेवाओं में सुधार तथा संवर्धन करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अपने औषधालयों के माध्यम से लाभार्थियों को अपेक्षित सेवाएं और दवाएं प्रदान कर रही है। केवल उन मामलों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी अस्पतालों के विशेषज्ञों के विचारार्थ भेजा जाता है जिनमें लाभार्थियों को विशेषज्ञ राय/परामर्श/चिकित्सीय प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अंशदान की दरों में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट में निहित संस्तुतियों के अनुसार और वित्त मंत्रालय से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् 1.5.98 से

वृद्धि की गई है। इस योजना के अन्तर्गत लाभ हैसियत अथवा वर्ग का ध्यान किए बगैर इसके सभी लाभार्थियों को बराबर दिए जाते हैं और इस योजना को एलिटिस्ट एप्रोच देने का प्रश्न ही नहीं है।

कर्नाटक और महाराष्ट्र में सी.जी.एच.एस औषधालय

5000. श्री उत्तमराव पाटील :
श्री कोलूर बसवनागौड :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक और महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कितने औषधालय हैं;

(ख) इनमें से कितने बंगलौर, बेल्लारी और हुबली में स्थित हैं;

(ग) क्या इन राज्यों में सी.जी.एच.एस. के और अधिक औषधालयों को खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो स्थान–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत औषधालयों की संख्या 14 है और ये सभी औषधालय केवल बंगलौर में अवस्थित हैं। बेल्लारी और हुबली में कोई केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय नहीं है।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत औषधालयों की संख्या नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार 57 है :

(i)	मुम्बई	34
(ii)	नागपुर	13
(iii)	पुणे	10

(ग) से (ङ) यद्यपि नौवीं पंचवर्षीय योजना के बचे हुए भाग में पुणे, मुम्बई और बंगलौर में और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोले जाने के प्रस्ताव हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (एलोपैथिक) औषधालयों पर नवम्बर, 1999 की एस आई यू रिपोर्ट के कार्यान्वित होने तक इस समय इन स्थानों पर और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोले जाने संभव नहीं होंगे।

परम्परागत पेशों को प्रोत्साहन

5001. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जम्मू एवं कश्मीर राज्य में परम्परागत पेशों जैसे रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, फुलकारी, भेड़ पालन, ऊन उद्योग, पशमीना शालों, कम्बलों, कारपेटों की बुनाई, मत्स्य पालन, मिट्टी के बर्तन बनाना, बांस से बुनाई तथा अन्य ग्रामीण और आर्थिक पेशों को प्रोत्साहित करने और इन पेशों को अर्थक्षम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकार के सहयोग से ऐसे परम्परागत पेशों के संबंध में कोई दीर्घकालीन योजना करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में खादी अथवा औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जम्मू एवं कश्मीर सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। मछली पालन, पशु पालन आदि को छोड़कर लगभग सभी उद्योग योजना में शामिल हैं। योजना के अन्तर्गत 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 25 प्रतिशत की राशि मार्जिन मनी के रूप में दी जाती है और 10 लाख रु. से ऊपर परन्तु 25 लाख रु. तक की परियोजनाओं के लिए मार्जिन मनी की दर 10 लाख रु. का 25 प्रतिशत तथा परियोजना की शेष लागत का 10 प्रतिशत है। कमजोर वर्गों तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मार्जिन मनी 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर पर और शेष राशि (25 लाख रु. तक) के 10 प्रतिशत की दर पर दी जाती है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत लघु नकारात्मक सूची में वर्णित ग्रामीण उद्योगों को छोड़कर सभी ग्रामीण उद्योगों को लाभ स्वीकार किए जाते हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा (ग्रामीण रोजगार सृजन

कार्यक्रम के अन्तर्गत) मार्जिन मनी के रूप में जम्मू एवं कश्मीर राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को 3.30 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है तथा 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार उन्हें पूरी राशि जारी कर दी गई है। बोर्ड ने जारी की गई पूरी राशि को प्रयुक्त कर लिया है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने सहकारी बैंकों, राज्य वित्त निगम, प्राइवेट बैंकों, आदि के माध्यम से मार्जिन मनी योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2000–2001 के लिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम अनुदान के अन्तर्गत बोर्ड को 3.00 करोड़ रु. की राशि भी मंजूर की है।

राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु सहायता

5002. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत मलेरिया, तपेदिक, अंधता, कुष्ठरोग, एड्स, कैंसर और परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने चालू वर्ष के लिए इन कार्यक्रमों हेतु अपना हिस्सा जारी कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1997–98 से 2000 2001 के दौरान प्रमुख स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। कैंसर को छोड़कर विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के रूप में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सहायता मुख्य रूप से क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों और विभिन्न राज्यों में पता लगाए गए मेडिकल कालेजों/संस्थाओं को प्रदान की जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1997–98 से 1999–2000 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार आबंटन और व्यय के वितरण को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997–98		1998–99		1999–2000	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	779.03	617.00	464.91	482.93	322.80	663.50
2. अरुणाचल प्रदेश	258.74	297.50	270.42	186.61	303.27	229.22
3. असम	2207.29	2618.00	2435.18	2170.42	2267.01	2615.73
4. बिहार	588.52	348.98	508.90	403.05	481.35	578.66
5. गोवा	10.26	5.18	21.72	7.72	10.93	4.54
6. गुजरात	684.25	726.17	998.62	611.11	483.01	349.95
7. हरियाणा	418.17	291.08	293.13	250.39	259.03	160.95
8. हिमाचल प्रदेश	112.06	90.84	62.33	51.77	46.11	92.45

1	2	3	4	5	6	7
9. जम्मू व कश्मीर	92.78	78.62	48.55	72.57	52.73	103.40
10. कर्नाटक	542.97	568.62	494.50	264.47	602.66	229.29
11. केरल	86.30	63.60	122.58	102.73	117.72	49.63
12. मध्य प्रदेश	1115.47	1072.77	335.81	454.49	893.40	443.28
13. महाराष्ट्र	913.05	1028.44	680.47	250.26	282.97	181.51
14. मणिपुर	324.52	273.91	435.75	377.34	403.05	219.53
15. मेघालय	239.15	196.96	261.44	231.55	306.70	212.27
16. मिजोरम	195.47	132.00	286.17	172.53	309.56	190.05
17. नागालैंड	193.37	212.62	192.53	183.36	240.83	308.33
18. उड़ीसा	421.84	233.43	392.47	385.14	323.67	436.17
19. पंजाब	356.58	183.26	437.50	290.67	288.96	148.45
20. राजस्थान	1449.38	1799.74	2015.38	1994.15	1145.16	1075.71
21. सिक्किम	0.94	1.77	10.06	8.47	11.65	7.90
22. तमिलनाडु	427.25	204.88	268.29	240.72	392.31	114.19
23. त्रिपुरा	322.71	414.05	413.64	356.97	375.89	379.31
24. उत्तर प्रदेश	881.62	505.73	825.01	1121.92	622.18	527.80
25. पश्चिम बंगाल	465.28	125.71	454.92	330.90	296.26	501.99
26. दिल्ली	49.16	93.93	69.55	37.21	75.40	20.10
27. पांडिचेरी	7.72	48.53	11.08	6.15	10.32	11.28
28. अंडमान व निकोबार	126.19	24.75	99.44	155.58	116.46	111.28
29. चंडीगढ़	23.81	12.37	43.15	44.30	47.25	34.55
30. दादरा व नगर हवेली	76.42	66.04	24.93	24.90	25.94	34.85
31. दमन व दीव	34.15	3.48	15.80	10.08	16.42	12.97
32. लक्षद्वीप	12.55	12.48	4.96	5.24	5.81	5.82
कुल	13447.00	12352.34	12939.20	11305.48	11210.00	10055.84

1	2	3	4	5	6	7
कालाजार	1000.00	970.73	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
अनुमान/अनुसंधान प्रचार	553.00	513.76	700.80	571.10	694.00	541.35
ईएसी	5000.00	414.00	15000.00	3527.39	12000.00	6064.95
एनडीसीपी	—	—	—	—	100.00	—
महायोग	20000.00	14250.83	29700.00	16393.97	25000.00	17662.14

2000–2001 के दौरान अब तक रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार वितरण

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कालाजार सहित एनएएमपी	ईएसी	कुल
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	259.39	90.38	349.17
2. अरुणाचल प्रदेश	185.31	—	185.31
3. असम	1156.53	—	1156.53
4. बिहार	53.81	5.00	57.81
5. गोवा	0.51	—	0.51
6. गुजरात	90.17	997.16	1087.33
7. हरियाणा	—	—	—
8. हिमाचल प्रदेश	55.11	—	55.11
9. जम्मू व कश्मीर	76.65	—	76.65
10. कर्नाटक	141.63	—	141.63
11. केरल	1.25	—	1.25
12. मध्य प्रदेश	199.59	1055.53	1255.12
13. महाराष्ट्र	131.86	963.86	1095.72
14. मणिपुर	131.43	—	131.43
15. मेघालय	226.10	—	226.10
16. मिजोरम	124.45	—	124.45
17. नागालैंड	131.82	—	131.82
18. उड़ीसा	86.68	491.43	578.11
19. पंजाब	49.17	—	49.17
20. राजस्थान	34.46	25.00	59.46
21. सिक्किम	—	—	—
22. तमिलनाडु	58.66	—	58.66
23. त्रिपुरा	225.12	—	225.12
24. उत्तर प्रदेश	213.83	—	213.83
25. पश्चिम बंगाल	370.80	—	370.80
26. दिल्ली	18.54	—	18.54
27. पांडिचेरी	3.79	—	3.79
28. अंडमान व निकोबार	2.14	—	2.14
29. चंडीगढ़	2.23	—	2.23
30. दादरा व नगर हवेली	0.01	—	0.01
31. दमन व दीव	0.50	—	0.50
32. लक्षद्वीप	—	—	—
कुल	4030.54	3628.36	7658.90

पिछले तीन वर्षों तथा 2000–2001 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई राज्यवार सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997–98				1998–99				1999–2000				2000–2001	
		नकद	वस्तुगत	जिला	कुल	नकद	वस्तुगत	जिला	कुल	नकद	वस्तुगत	जिला	कुल	प्रथम अर्द्ध वर्ष रिलीज की गई सहायता	औषधों की लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	आंध्र प्रदेश	207.83	101.00	331.24	640.07	189.10	48.50	102.00	339.60	172.00	68.10	202.11	442.21	80.00	144.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	0.42	27.20	47.42	20.25	0.42	142.84	163.51	20.50	0.00	39.36	59.86	9.00	0.61
3.	असम	21.00	42.00	271.65	334.65	16.50	42.00	224.00	282.50	5.00	41.63	189.30	235.93	2.50	
4.	बिहार	119.93	371.45	335.28	826.66	200.70	511.45	293.00	1005.15	222.05	500.38	622.39	1344.82	115.80	8.29
5.	गोवा	1.45	0.48	7.35	9.28	2.00	0.48	8.00	10.48	0.49	1.01	0.00	1.50	—	0.80
6.	गुजरात	19.00	242.16	177.27	438.43	19.15	127.16	101.00	247.31	19.00	111.23	100.14	230.37	8.00	33.39
7.	हरियाणा	8.00	0.80	14.57	23.37	5.00	0.08	15.00	20.08	1.00	4.89	37.35	43.24	—	7.89
8.	हिमाचल प्रदेश	8.00	6.76	10.00	24.76	10.50	6.76	91.27	108.53	9.97	0.16	44.37	54.50	4.45	3.93
9.	जम्मू व कश्मीर	84.83	12.89	5.00	102.72	46.00	12.89	95.00	153.89	20.00	8.82	34.79	63.61	9.00	
10.	कर्नाटक	96.00	33.15	283.01	412.16	115.50	71.48	169.00	355.98	64.50	15.04	161.94	241.48	31.35	21.65
11.	केरल	77.50	10.00	121.74	209.24	94.40	10.00	137.00	241.40	10.00	16.89	120.41	147.30	—	10.89
12.	मध्य प्रदेश	138.00	318.33	511.77	968.10	138.30	150.00	458.83	747.13	148.00	150.81	495.54	794.54	65.50	348.80
13.	महाराष्ट्र	39.99	74.43	351.16	465.58	34.50	126.56	364.00	525.06	45.00	88.60	267.44	401.04	14.00	147.00
14.	मणिपुर	5.22	3.05	30.00	38.27	12.00	3.05	117.86	132.91	2.00	0.00	93.71	95.71	1.00	
15.	मेघालय	9.00	2.59	10.00	21.59	3.50	2.59	66.22	72.31	1.74	4.16	39.10	45.00	1.00	0.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	मिजोरम	19.00	0.34	42.00	61.34	30.00	0.34	45.43	75.77	30.00	1.62	19.60	51.22	12.00	
17.	नागालैंड	8.00	1.20	120.49	129.69	7.50	1.20	41.00	49.70	8.00	0.00	98.09	106.09	4.00	4.05
18.	उड़ीसा	168.00	250.94	276.65	695.59	153.109	230.94	169.00	553.04	170.00	133.42	277.67	581.09	92.00	170.92
19.	पंजाब	30.00	3.96	7.00	40.96	30.00	3.96	101.00	134.96	34.94	6.87	63.52	105.33	11.50	4.07
20.	राजस्थान	30.00	22.00	5.00	57.00	60.00	22.00	425.51	507.51	61.00	0.00	87.37	148.37	26.00	
21.	सिक्किम	21.00	1.00	27.40	49.40	22.00	1.00	42.00	65.00	22.00	0.00	49.36	71.36	9.40	1.29
22.	तमिलनाडु	117.00	136.56	0.00	253.56	125.00	64.43	160.00	349.43	92.50	122.11	138.68	353.29	50.00	76.45
23.	त्रिपुरा	20.00	1.50	—	21.50	24.00	1.50	50.35	75.85	23.80	0.00	24.18	47.98	10.00	
24.	उत्तर प्रदेश	143.25	250.86	636.70	1030.81	182.00	303.36	426.00	911.36	164.40	290.46	1147.14	1602.00	94.90	255.03
25.	पश्चिम बंगाल	98.00	242.85	299.81	640.66	113.80	207.85	139.00	460.65	109.11	215.31	335.22	659.84	76.40	14.01
26.	अंडमान व निकोबार	6.50		0.00	6.50	6.50		—	6.50	2.00	4.63	0.00	6.63	1.00	
27.	चंडीगढ़	0.50		—	0.50	1.00		5.00	6.00	2.00	5.58	7.21	14.79	0.50	
28.	दादरा व नगर हवेली	0.50		5.96	6.46	1.00		—	1.00	1.00	0.17	0.00	1.17	10.50	1.48
29.	दमन व दीव	4.50		0.00	4.50	9.50		0.00	9.50	0.50	0.00	0.00	0.50	1.00	
30.	दिल्ली	0.50		—	0.50	1.50		51.15	52.65	1.00	2.38	10.00	13.38	1.00	33.25
31.	लक्षद्वीप	2.00		—	2.00	2.00		9.53	11.53	1.00	0.36	0.00	1.36	1.00	
32.	पांडिचेरी	3.50		12.95	16.45	1.85		0.00	1.85	9.50	0.00	0.00	9.50	1.00	
	कुल	1528.00	2130.72	3921.00	7579.72	1678.15	1950.00	4049.99	7678.14	1474.00	1794.63	4705.99	7974.62	743.80	1289.40

जारी निधि और व्यय

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1997–98		1998–99		1999–2000		2000–01
		कुल जारी	कुल व्यय	कुल जारी	कुल व्यय	कुल जारी	कुल व्यय	कुल जारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	199.76	189.62	563.51	533.96	1106.92	381.34	405.61
2.	असम	61.72	47.09	101.48	95.01	356.57	196.15	88.73
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.45	1.45	17.79	1.66	21.69	18.37	50.77
4.	बिहार	289.40	261.26	640.74	369.15	1313.68	610.60	22.62
5.	गोवा	1.80	1.80	3.33	2.07	7.01	2.87	9.98
6.	गुजरात	227.21	92.35	629.92	240.52	758.47	403.99	216.09
7.	हरियाणा	44.86	44.86	64.95	63.69	320.47	124.07	63.92
8.	हिमाचल प्रदेश	50.74	21.36	123.07	66.23	180.93	113.84	99.61
9.	जम्मू व कश्मीर	21.15	21.15	27.91	26.65	114.19	63.12	79.18
10.	कर्नाटक	163.46	110.69	423.08	240.57	708.23	373.56	231.02
11.	केरल	160.39	58.16	456.91	191.17	478.95	247.28	84.06
12.	मध्य प्रदेश	211.17	177.49	284.53	234.91	1057.69	607.56	87.09
13.	महाराष्ट्र	222.03	183.14	572.19	395.65	1641.14	957.37	981.32
14.	मणिपुर	11.79	9.62	34.24	18.20	47.98	30.56	74.14
15.	मेघालय	4.88	4.88	7.17	5.91	26.99	15.45	7.54
16.	मिजोरम	1.97	1.97	12.24	2.31	9.74	5.15	2.89
17.	नागालैंड	1.57	1.57	11.74	1.81	19.41	15.79	17.74
18.	उड़ीसा	73.69	73.69	226.45	215.52	630.13	262.24	189.67
19.	पंजाब	54.41	54.41	97.37	96.11	223.16	64.22	32.42
20.	राजस्थान	148.92	120.96	250.18	183.93	1114.74	484.87	465.45
21.	सिक्किम	1.08	1.08	11.44	1.51	10.89	8.14	25.90
22.	तमिलनाडु	197.45	142.38	476.68	271.90	1029.09	421.77	493.32
23.	त्रिपुरा	7.57	7.57	10.01	8.75	38.69	21.19	11.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	उत्तर प्रदेश	411.98	369.02	792.70	694.56	2437.33	1201.44	116.26
25.	पश्चिम बंगाल	382.85	163.40	713.07	461.73	1483.12	529.16	143.02
26.	अंडमान व निकोबार	14.27	14.27	10.75	0.82	2.81	1.17	0.99
27.	चंडीगढ़	39.67	39.67	12.20	2.27	8.06	3.52	12.95
28.	पांडिचेरी	3.31	3.31	11.75	1.82	6.75	2.61	3.35
29.	दादरा व नगर हवेली	7.70	7.70	0.44	0.44	1.51	0.63	0.70
30.	दमन व दीव	5.51	5.51	0.32	0.32	1.09	0.45	0.56
31.	लक्षद्वीप	2.85	2.85	0.16	0.16	0.55	0.23	2.11
32.	दिल्ली	228.96	65.29	71.16	84.86	381.66	155.78	17.97
	कुल	3255.57	2299.57	4897.06	4514.17	5055.16	7324.49	4038.54

उपर्युक्त सामग्री के अलावा, एनटीपी क्षेत्र के लिए आरएनटीपीसी औषधों और स्पूटम पॉजिटिव औषधों और वायनोकुलर माइक्रोस्कोप की सहायता की भी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति की गई थी।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम निधियों का जारी करना

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी अनुदान			
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	425.00	650.00	1218.67	223.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	25.00	30.00	159.00	19.00
3.	असम	100.00	100.00	322.00	194.00
4.	बिहार	50.00	110.00	55.00	96.00
5.	गोवा	50.00	35.00	98.00	16.50
6.	गुजरात	250.00	230.00	721.00	97.00
7.	हरियाणा	75.00	160.00	270.00	124.50
8.	हिमाचल प्रदेश	225.00	115.00	318.00	108.50
9.	जम्मू व कश्मीर	25.00	25.00	25.00	50.00
10.	कर्नाटक	175.00	335.00	801.67	203.00
11.	केरल	100.00	65.00	200.00	193.00
12.	मध्य प्रदेश	150.00	315.00	352.31	310.00
13.	महाराष्ट्र	950.00	800.00	998.35	302.00
14.	मणिपुर	150.00	245.00	352.38	205.00
15.	मेघालय	25.00	30.00	70.14	17.50
16.	मिजोरम	100.00	100.00	168.00	65.00
17.	नागालैंड	155.00	227.00	380.00	113.50
18.	उड़ीसा	75.00	100.00	200.00	118.50
19.	पंजाब	75.00	150.00	312.39	101.50
20.	राजस्थान	225.00	100.00	150.00	210.00
21.	सिक्किम	50.00	50.00	25.00	23.00
22.	तमिलनाडु	2000.00	800.00	883.09	367.00
23.	त्रिपुरा	50.00	20.00	50.00	40.00
24.	उत्तर प्रदेश	495.00	200.00	851.00	460.00

1	2	3	4	5	6
25.	पश्चिम बंगाल	100.00	350.00	425.00	292.50
26.	दिल्ली	25.00	110.00	283.00	150.00
27.	पांडिचेरी	0.00	40.00	25.00	21.50
28.	अंडमान व निकोबार	31.09	20.00	50.00	42.50
29.	चंडीगढ़	28.00	60.00	115.00	63.00
30.	दादरा व नगर हवेली	16.00		25.00	9.00
31.	दमन व दीव	24.27	15.00	95.00	9.00
32.	लक्षद्वीप	15.42		25.00	8.50
33.	एमडीएसीएस मुम्बई		350.00	670.00	297.00
34.	अहमदाबाद एमसी		5.00	75.00	28.50
35.	चेन्नई एमसी			125.00	39.50
	कुल	6239.73	5942.00	10975.00	4609.00

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां

(रुपये लाख में)

राज्य	1997–98			1998–99			1999–2000		
	नकद अनुदान	जि.दृ.नि.सो. को सहायता अनुदान	कुल अनुदान	नकद अनुदान	जि.दृ.नि.सो. को सहायता अनुदान	कुल अनुदान	नकद अनुदान	जि.दृ.नि.सो. को सहायता अनुदान	कुल अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विश्व बैंक परियोजना राज्य									
आन्ध्र प्रदेश	204.34	257.00	461.34	88.50	445.00	533.50	159.25	275.15	434.40
मध्य प्रदेश	138.40	455.00	593.40	568.67	408.00	976.67	223.50	517.31	740.81
महाराष्ट्र	99.27	313.00	412.27	87.00	362.25	449.25	352.75	312.13	664.88
उड़ीसा	312.20	204.00	516.20	331.08	220.00	551.08	129.25	291.00	420.25
राजस्थान	46.60	243.00	289.60	35.50	289.00	324.50	122.50	191.68	314.18
तमिलनाडु	444.47	219.00	663.47	551.00	315.85	866.85	462.18	547.64	1009.82
उत्तर प्रदेश	138.28	564.00	702.28	207.25	599.50	806.75	318.32	471.00	789.32
उप–योग	1383.56	2255.00	3638.56	1859.00	2639.60	4508.60	1767.75	2605.91	4373.66
अन्य राज्य									
अरुणाचल प्रदेश	4.04	5.00	9.04	4.50	5.00	9.50	6.00	12.00	18.00
असम	4.54	85.50	90.04	49.65	57.50	107.15	24.75	62.00	86.75
बिहार	7.44	167.50	174.94	19.50	184.50	204.00	18.00	147.00	165.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	1.25	11.50	12.75	11.20	13.50	24.70	12.52	30.00	42.52
गोवा	5.25	3.50	8.75	63.00	0.15	63.15	11.50	3.00	14.50
गुजरात	4.01	125.50	129.51	39.99	114.15	154.14	268.52	128.00	396.52
हरियाणा	2.97	54.50	57.47	37.50	63.50	101.00	115.27	55.00	170.27
हिमाचल प्रदेश	2.97	29.50	32.47	34.03	49.50	83.53	55.25	31.00	86.25
जम्मू व कश्मीर	20.66	19.00	39.66	52.50	39.50	92.00	22.75	18.00	40.75
कर्नाटक	11.78	159.00	170.78	62.01	196.00	258.01	175.25	176.95	352.20
केरल	6.84	54.50	61.34	16.07	75.50	91.57	107.24	115.35	222.59
मणिपुर	1.77	8.50	10.27	16.76	9.15	25.91	7.00	0.00	7.00
मेघालय	4.56	17.50	22.06	11.60	15.23	26.83	9.00	15.00	24.00
मिजोरम	1.54	5.00	6.54	16.60	9.15	25.75	9.50	20.00	29.50
नागालैंड	3.85	2.50	6.35	56.95	7.15	64.10	11.00	3.00	14.00
पंजाब	4.15	52.50	56.65	5.10	51.50	56.60	121.61	78.00	199.61
सिक्किम	7.92	0.00	7.92	26.30	12.00	38.30	6.25	12.00	18.25
त्रिपुरा	7.77	12.50	20.27	37.74	13.15	50.89	17.39	18.00	35.39
पश्चिम बंगाल	3.25	54.00	57.25	6.20	135.50	141.70	77.10	127.00	204.10
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4.00	3.00	7.00	3.80	4.00	7.80	10.67	0.00	10.67
चंडीगढ़	4.00	3.00	7.00	3.60	7.00	10.60	10.24	1.00	11.24
दादरा व नगर हवेली	4.00	3.00	7.00	3.70	3.00	6.70	2.50	0.00	2.50
दमन और दीव	4.00	0.00	4.00	3.70	4.00	7.70	9.40	0.00	9.40
लक्षद्वीप	7.04	0.00	7.04	17.70	0.00	17.70	2.72	3.00	5.72
पांडिचेरी	4.00	0.00	4.00	2.30	3.00	5.30	20.82	0.00	20.82
उप–योग	133.60	876.50	1010.10	602.00	1072.63	1674.63	1132.25	1055.30	2187.55
सर्व योग	1517.16	3131.50	4648.66	2471.00	3712.23	6183.23	2900.00	3661.21	6561.21

राष्ट्रीय वृष्टिहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम 2000–2001 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नकद अनुदानों का आबंटन और भुगतान

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आबंटन	दिसम्बर 2000 तक जारी
1	2	3
(क) विश्व बैंक परियोजना राज्य		
आन्ध्र प्रदेश	205.00	171.25
मध्य प्रदेश	192.00	154.00
महाराष्ट्र	383.00	331.00
उड़ीसा	680.00	660.00
राजस्थान	673.00	651.00
तमिलनाडु	195.00	161.25
उत्तर प्रदेश	227.00	191.50
उप–योग (क)	2535.00	2320.00
(ख) गैर परियोजना राज्य		
अरुणाचल प्रदेश	28.50	26.89
असम	107.50	98.14
बिहार	132.50	121.89
दिल्ली	11.50	9.64
गोवा	38.20	35.65
गुजरात	199.00	185.22
हरियाणा	112.00	101.5
हिमाचल प्रदेश	91.00	84.5
जम्मू व कश्मीर	88.50	82.64
कर्नाटक	103.20	79.9
केरल	131.50	114.8
मणिपुर	38.60	34.7
मेघालय	39.10	35.09
मिजोरम	33.60	30.95
नागालैंड	38.60	34.7
पंजाब	74.80	60.6
सिक्किम	21.10	20.09
त्रिपुरा	52.30	46.47
पश्चिम बंगाल	135.00	122.25
अंडमान व निकोबार	3.75	3.75
चंडीगढ़	5.00	5
दादरा व नगर हवेली	3.75	3.75
दमन और दीव	3.75	3.75
लक्षद्वीप	3.75	3.75
पांडिचेरी	8.50	7.09
उप–योग (ख)	1505.00	1352.71
सर्व योग (क+ख)	4040.00	3672.71

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत बकाया सहित सहायता अनुदान (नकद व वस्तुगत)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997–98			1998–99			1999–2000		
		नकद	वस्तुगत	कुल	नकद	वस्तुगत	कुल	नकद	वस्तुगत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	6835.71	2357.25	11225.86	11652.79	2961.41	14814.20	18809.38	3023.31	18822.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	147.73	89.85	237.35	149.09	75.75	219.81	231.20	103.35	304.55
3.	असम	3284.70	1185.81	4450.31	3280.45	1177.35	4437.80	7071.23	1421.03	849281
4.	बिहार	9394.51	2727.31	12821.82	8782.62	4025.25	12617.90	28435.90	4955.80	33304.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	गोवा	163.13	33.70	208.83	154.83	58.94	243.77	243.44	82.60	325.94
6.	गुजरात	9445.00	1877.12	11323.12	10503.25	2108.13	12311.95	14612.57	2800.21	17213.00
7.	हरियाणा	3521.84	722.45	4294.30	2745.01	906.66	2352.67	3388.18	1019.50	4407.75
8.	हिमाचल प्रदेश	1123.72	307.30	1431.02	973.97	.57	2373.54	2009.01	338.33	2407.34
9.	जम्मू व कश्मीर	1873.62	284.18	2137.73	1800.73	455.77	2056.50	1803.84	458.21	2281.25
10.	कर्नाटक	5105.48	1275.84	6481.33	7651.43	2111.95	8782.97	18976.35	2107.10	19065.00
11.	केरल	2951.48	973.70	3955.18	4100.93	1313.51	5502.94	5437.37	1370.24	6534.11
12.	मध्य प्रदेश	8765.52	3227.75	8283.30	8528.08	4587.40	13153.54	11373.95	4958.02	15361.97
13.	महाराष्ट्र	8289.84	2333.04	10677.65	1169.04	3572.20	10645.24	11971.24	3224.83	15096.07
14.	मणिपुर	452.85	132.80	585.85	605.23	108.50	731.00	907.32	147.99	1055.35
15.	मेघालय	500.91	96.19	307.04	305.75	140.78	409.53	598.21	152.50	750.71
16.	मिजोरम	221.30	74.68	228.04	239.93	68.77	307.88	368.47	25.00	444.27
17.	नागालैंड	209.05	89.19	233.24	247.93	90.31	335.27	402.78	97.73	500.51
18.	उड़ीसा	4521.60	1337.48	5159.00	4710.89	1773.73	6454.02	9053.55	1765.53	7819.21
19.	पंजाब	2451.83	1117.79	3589.72	2556.65	1125.51	3884.18	2941.14	1296.95	4188.00
20.	राजस्थान	7299.73	2175.85	9478.89	3442.03	2288.55	11100.84	14307.20	3283.37	17545.57
21.	सिक्किम	218.87	40.00	294.87	387.72	41.08	349.40	416.73	88.33	485.06
22.	तमिलनाडु	10335.82	1924.00	12759.97	9197.30	2582.38	11773.68	21270.00	1833.15	23103.18
23.	त्रिपुरा	411.50	151.28	572.98	1731.01	193.98	1975.58	823.48	177.00	1000.48
24.	उत्तर प्रदेश	13275.48	5737.10	25073.58	42482.85	6773.58	51258.08	23295.83	10359.72	38852.15
25.	पश्चिम बंगाल	5201.83	2505.16	7707.15	11122.85	3172.95	14285.80	9003.48	2344.78	11943.24
	कुल (राज्य)	113223.39	22373.35	142287.01	154852.79	44214.88	198237.78	203344.41	3417.24	252081.15
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र										
1.	पांडिचेरी	138.53	35.49	174.02	137.85	54.55	182.40	148.13	38.19	188.32
2.	दिल्ली	719.82	435.59	1155.41	1012.59	473.35	1435.84	2092.18	888.89	2781.07
बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र										
1.	अंडमान व निकोबार	100.34	22.08	122.40	104.60	18.00	123.60	0.00	0.00	0.00
2.	दादरा और नगर हवेली	34.41	5.55	39.96	93.31	9.98	.29	0.00	0.00	0.00
3.	चंडीगढ़	86.25	1708	113.33	131.33	57.72	189.05	0.00	0.00	0.00
4.	लक्षद्वीप	13.25	5.81	19.16	30.05	5.01	3508	0.00	0.00	0.00
5.	दमन व दीव	32.25	12.15	44.40	43.50	8.55	52.05	0.00	0.00	0.00
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	1134.85	533.83	1663.63	1519.23	628.15	2147.38	2243.32	737.02	2977.38
	महायोग	114353.21	33407.43	147285.68	150072.02	43443.15	201515.17	295904.73	49154.31	

2000–2001 के दौरान जारी किया गया सहायता अनुदान सारांश

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निदेशन व प्रशासन	प्रशिक्षण			ग्रामीण प.क. सेवाएं			शहरी प.क. सेवाएं				सीएसएसएम परियोजना	पीओएल
			एएनएम एचपी का प्रशिक्षण		एमपी डब्ल्यू का प्रशिक्षण	ग्रामीण प.क. केन्द्र	उप केन्द्र	वीएचजी योजना	उपखण्ड स्तर पर पीपी कार्यक्रम	शहरी प.क. केन्द्र	शहरी प.क. सेवाओं का नवीकरण	जिला स्तर पर पीपी		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	457.50	165.00	49.92	93.38	2019.75	2250.00	39.00	273.75	192.00		187.50		76.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	75.68	7.50				63.75		10.50	26.25				1.41
3.	असम	321.68	228.75	18.75		928.50	2255.00	14.25	273.75	32.25		123.75		37.19
4.	बिहार	731.25	260.25	49.92		2823.75	4500.00	11.74	225.00	81.00		210.00		102.27
5.	गोवा	22.50	16.50		9.34	63.00	37.50					26.25		4.22
6.	गुजरात	427.50	135.00	24.98		1207.50	2175.00	3.38	270.00	225.00	77.25	198.75		52.92
7.	हरियाणा	232.50	82.50	12.42	18.68	448.50	735.00	0.31	97.50	30.75	33.75	67.50		23.37
8.	हिमाचल प्रदेश	142.50	54.00	12.42	28.05	371.25	562.50	4.07	110.25	65.25		60.00		21.42
9.	कर्नाटक	525.00	176.25	24.98		1293.75	1931.25	19.39	315.00	177.00		255.75		57.34
10.	केरल	266.25	183.75	24.98	18.68	784.50	1897.50		296.25			146.25		38.83
11.	मध्य प्रदेश	671.25	330.00	49.92	130.73	2211.00	3225.00	34.64	384.00	130.50	232.50	273.75		92.73
12.	महाराष्ट्र	472.50	258.75	49.92	65.40	2058.00	3018.75	42.08	341.25	130.50	813.75	345.00		83.72
13.	मणिपुर	244.50	22.50	18.75	12.00	197.25	138.75	1.91	10.50	11.25		45.00		8.51
14.	मेघालय	70.50	22.50	18.75		147.00	146.25	1.47	10.50	6.75		33.00		7.71
15.	मिजोरम	75.00	11.25		12.00	88.50	56.25	0.60	43.50	6.75		22.50		4.63
16.	नागालैंड	125.25	22.50			44.25	105.00	0.62	10.50			10.50		5.93
17.	उड़ीसा	161.25	136.50	24.98	28.05	1510.50	1912.50	25.96	307.50	21.75	26.25	112.50		58.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	पंजाब	150.00	93.75	12.42	28.05	619.50	525.00	10.81	176.25	46.50	175.50	126.00		30.52
19.	राजस्थान	536.25	301.50	24.98	18.68	1116.00	3375.00	10.49	513.75	99.75	108.00	208.50		58.11
20.	तमिलनाडु	427.50	127.50	37.50	28.05	1849.50	2700.00		431.25	77.25	303.00	235.50		73.29
21.	त्रिपुरा	67.58	30.00			223.50	232.50	2.07	32.25	22.50		17.25		6.69
22.	उत्तर प्रदेश	795.00	258.75	87.08		4368.75	6405.00	101.75	757.50	211.50	506.25	473.25		168.08
23.	पश्चिम बंगाल	311.25	105.00	37.50	46.69	1610.25	3225.00	47.59	272.25	240.75		232.50		62.29
	कुल	7310.19	3030.00	580.17	537.78	25984.50	41482.50	372.13	5163.00	1835.25	2276.25	3411.00		1076.47
24.	जम्मू और कश्मीर	195.00	48.75	12.42		394.50	637.50		28.50	14.25		66.00		23.10
25.	सिक्किम	69.75	22.50			96.00	67.50	0.27	21.00	6.75		10.50		4.22
	कुल (ज. एवं क.+सि.)	264.75	71.25	12.42		490.50	705.00	0.27	49.50	21.00		76.50		27.32
	कुल (सभी राज्य)	7574.94	3101.25	592.59	537.78	26475.00	42187.50	372.40	5212.50	1856.25	2276.25	3487.50		1103.79
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र														
1.	दिल्ली	228.75		18.75		51.00	15.75		37.50	225.00	112.50	84.00		5.15
2.	पांडिचेरी	146.25	15.00			76.50	21.75	0.19				21.00		3.43
बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र														
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह													
2.	चंडीगढ़													
3.	दादरा व नगर हवेली													
4.	लक्षद्वीप													
5.	दमन और दीव													
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	375.00	15.00	18.75		127.50	37.50	0.19	37.50	225.00	112.50	105.00		8.58
	महायोग	7949.94	3116.25	611.34	537.78	26602.50	42225.00	372.59	5250.00	2081.25	2388.75	3592.50		1112.37

2000–2001 के दौरान जारी सहायता अनुदान (सारांश)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्षतिपूर्ति	आईईसी		क्षेत्र	बंध्यीकरण	बकाया	आरसीएच	आरसीएच	संभार	कुल	सप्लाई	सर्व योग
			राज्यों में एमईएम	प्रवर्तक प्रचार	परि-योजनाएं	पलंग		उप-परि-योजना	राष्ट्रीय घटक	तन्त्र सुधार	(नकद अनुदान)	(वस्तुगत)	(नकद + वस्तुगत)
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1.	आंध्र प्रदेश	928.36	77.12			11.14	7953.63				14774.71	839.20	15613.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.18	7.73								194.00	60.29	254.29
3.	असम	131.16				0.38	591.01				4966.42	554.44	5520.86
4.	बिहार	53.24	39.93			3.04	981.00				10072.39	2443.35	12515.74
5.	गोवा	12.90	9.46								201.67	15.34	217.01
6.	गुजरात	432.04	56.46			12.93					5298.71	1170.60	6469.31
7.	हरियाणा	186.46	50.40			2.57	1132.82				3155.03	358.54	3513.57
8.	हिमाचल प्रदेश	18.08	27.76				816.00				2293.55	116.66	2410.21
9.	कर्नाटक	917.00	36.27		3500.00	8.34		883.00	209.00		10329.32	736.94	11066.26
10.	केरल	317.82	58.74			4.32					4037.87	251.61	4289.48
11.	मध्य प्रदेश	281.78				1.86					8049.66	1993.26	10042.92
12.	महाराष्ट्र	913.12	88.13			26.97	1541.00				10348.84	1086.16	11435.00
13.	मणिपुर	13.24	10.31								734.47	29.53	764.00
14.	मेघालय	4.00	17.43			0.14					486.00	14.82	500.82
15.	मिजोरम	4.62	21.03			0.24					346.87	4.66	351.53
16.	नागालैंड	5.16	17.58								347.29	2.78	350.07
17.	उड़ीसा	114.24	53.56								4494.17	753.73	5247.90

1 2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
18. पंजाब	247.54	44.79			0.34					2286.97	250.34	2537.31
19. राजस्थान	298.20	57.30			1.02	4953.43				11680.95	1170.47	12851.43
20. तमिलनाडु	878.88	65.17		1300.00	19.75	5299.73		202.50		14056.37	485.49	14541.86
21. त्रिपुरा	15.84	27.84				784.52				1462.54	24.59	1487.13
22. उत्तर प्रदेश	613.06	85.04			3.28	494.98				15329.27	4474.59	19803.86
23. पश्चिम बंगाल	400.10	73.12			8.88					6673.17	1158.35	7831.52
कुल	6788.02	925.17		4800.00	105.20	24648.12	883.00	411.50		131620.25	17995.74	149615.99
24. जम्मू और कश्मीर	12.02	5.00			0.48					1437.52	89.47	1526.99
25. सिक्किम	5.76	4.67				242.04				550.96	9.56	560.52
कुल (ज. एवं क.+सि.)	17.78	9.67			0.48	242.04				1988.48	99.03	2087.51
कुल (सभी राज्य)	6805.80	934.84		4800.00	105.66	24890.16	883.00	411.50		133608.73	18094.77	151703.50
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र												
1. दिल्ली	75.40	31.24			2.97					888.01	398.03	1286.04
2. पांडिचेरी	55.58	9.83								349.53	10.30	359.83
बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र												
1. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह											16.21	16.21
2. चंडीगढ़											0.06	0.06
3. दादरा व नगर हवेली											0.43	0.43
4. लक्षद्वीप												
5. दमन और दीव											428.09	428.09
कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	130.98	41.07			2.97					1237.54	853.12	2090.66
महायोग	6936.78	875.91		4800.00	108.65	24890.16	883.00	411.50		134845.27	18947.89	153794.16

(राशि लाख रुपये में)

राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	190.00	350.00	313.00	335.00
महाराष्ट्र	—	75.00	175.00	175.00
केरल	225.00	251.55	686.50	35.00
गुजरात	175.00	79.30	175.00	75.00
हरियाणा	105.00	—	—	35.00
हिमाचल प्रदेश	—	—	73.00	35.00
राजस्थान	100.00	300.00	225.00	75.00
आन्ध्र प्रदेश	205.00	282.00	203.50	
जम्मू व कश्मीर	—	150.00	36.00	
पंजाब	—	149.00	51.00	
बिहार	100.00	30.00	75.00	75.00
उत्तर प्रदेश	50.00	82.50	160.50	75.00
मध्य प्रदेश	77.00	6.50	170.00	35.00
उड़ीसा	212.50	82.50	75.00	35.00
तमिलनाडु	82.50	86.00	194.00	75.00
कर्नाटक	77.00	82.60	175.00	230.00
मणिपुर	—	—	—	30.00
असम	47.00	—	3.00	
सिक्किम	—	—	—	30.00
चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	—	—	—	200.00
आईआरसीएच (अ.भा.आ.सं.)	320.00	770.00	470.00	1000.00
दिल्ली	—	—	—	3.50

गैस आधारित उद्योग

5003. श्री उत्तम राव पाटील : क्या लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में कई गैस आधारित उद्योग हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे और उद्योगों को राज्य में स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय गैस प्राधिकरण लि. इस समय महाराष्ट्र में विद्युत और उर्वरक सैक्टर में 14 उद्योगों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है इनमें सम्मिलित हैं, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक–थल और ट्रोम्बे, हैवी वाटर प्लांट, इस्पात उद्योग, विक्रम इस्पात, दीपक फर्टिलाइज़र एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि., इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स लि., महाराष्ट्र गैस क्रेकर कम्पलैक्स, नेगोक्षणों, एम. एस.ई.बी.–उरान, टाटा इलैक्ट्रिक क.–ट्रोम्बे, बी.पी.सी.एल., एच.पी. सी.एल., एच.सी.एल.एच. एण्ड आर. जानसन–महानगर गैस लि. (मुम्बई शहर) और एल.पी.जी.–उसार।

(ग) और (घ) जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है प्रस्तावित गैस आधारित उद्योग हैं डाभोल पावर प्लांट रत्नागिरी, फेज–II (एक्सटैंशन), पावर प्लांट ऑफ इस्पात लि.–रायगढ़, पॉवर प्लांट ऑफ रिलायंस–रायगंढ़, पॉवर प्लांट ऑफ रामा–रायगढ़ और पॉवर प्लांट ऑफ बी.एस.ई.एस.–दहानु।

पुनर्वास केन्द्र

5004. डॉ. वी. सरोजा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक संयुक्त पुनर्वास सेवा केन्द्रों की स्थापना हेतु 100 से अधिक जिलों की पहचान की गई है और उनका चयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों की भूमिका क्या है और राज्य–वार किन–किन जिलों की पहचान की गई है;

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना हेतु जिलों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(घ) इन 100 केन्द्रों के लिए 2000–2001 में कितनी निधियां आबंटित और जारी की गईं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) जिला केन्द्रों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे विकलांग व्यक्तियों के लिए प्राथमिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन, फिटमेन्ट, अनुरक्षण और सहायक उपकरणों की मरम्मत, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अभिसरण के द्वारा नियोजन, अन्य कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ समन्वय और रेपरल, बेहतर बाधामुक्त वातावरण सृजित करने में सहायता शामिल हैं। अभिज्ञात जिलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जिलों के चयन का मानदंड अब तक शामिल नहीं किए विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना तथा निकटवर्ती/समीपस्थ क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना है।

(घ) राष्ट्रीय संस्थानों, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, तथा वर्तमान जिला पुनर्वास केन्द्रों के वर्तमान कार्यकलापों का यह एक विस्तार कार्यक्रम है।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1. अनन्तपुर
2. कृष्णा
3. विशाखापटनम

असम

1. डिब्रुगढ़
2. गुवाहाटी
3. कछार
4. तेजपुर

अरुणाचल प्रदेश

1. ईटानगर
2. दिबंग वैली

बिहार

1. साहिबगंज
2. चम्पारन
3. भागलपुर
4. मुज्जफरपुर
5. गया
6. हजारीबाग
7. रांची
8. दरभंगा
9. सिंहभूम
10. देवगढ़
11. नवादा

गुजरात

1. अहमदाबाद
2. बडौदा
3. सूरत
4. राजकोट
5. जामनगर

गोवा

1. पणजी

हरियाणा

1. भिवानी
2. रोहतक
3. कुरूक्षेत्र

हिमाचल प्रदेश

1. शिमला
2. धर्मशाला

जम्मू व कश्मीर

1. श्रीनगर
2. उधमपुर

कर्नाटक

1. टुमकुर
2. मंगलौर
3. बेलारी
4. बेलगांव
5. गुलबर्गा

केरल

1. कोजीकोड़े
2. तिरूवनन्तपुरम

मिजोरम

1. एजैवल

मेघालय

1. शिलांग

मणिपुर

1. इम्फाल

महाराष्ट्र

1. औरंगाबाद
2. बुल्दाना
3. वर्धा
4. कोल्हापुर
5. लातुर

मध्य प्रदेश

1. ग्वालियर
2. इन्दौर
3. रायगढ़
4. जबलपुर
5. बालाघाट
6. दुर्ग
7. रायपुर
8. झाबुआ
9. रेवा
10. राजगढ़
11. सागर

नागालैंड

1. कोहिमा

उड़ीसा

1. सम्भलपुर
2. मयूरभंज

3. फुलबनी
4. कालाहांडी
5. कोरापुत

पंजाब

1. पटियाला
2. जालन्धर
3. फिरोजपुर

राजस्थान

1. उदयपुर
2. अजमेर
3. जोधपुर
4. बीकानेर
5. झुंझनु

सिक्किम

1. गंगटोक

त्रिपुरा

1. अगरतल्ला

तमिलनाडु

1. चेंगलपटटु
2. वेल्लौरे
3. मदुरै
4. सिलाम
5. तुतिकोरियन
6. विरूधुनगर

उत्तर प्रदेश

1. गोंडा
2. मऊ
3. गोरखपुर
4. लखनऊ
5. पीलीभीत
6. अल्मोड़ा
7. बरेली
8. टिहरी गढ़वाल
9. आगरा
10. मेरठ
11. वाराणसी
12. इलाहाबाद
13. कानपुर
14. फर्रूखाबाद
15. झांसी
16. हरिद्वार
17. बलिया

पश्चिम बंगाल

1. जलपाईगुड़ी
2. साउथ दीनापुर
3. मुर्शिदाबाद

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

1. पोर्टब्लेयर

चंडीगढ़

1. चंडीगढ़

दमन व दीव

1. दीव

लक्षद्वीप

1. कवरती

दादरा और नगर हवेली

1. सिलवासा

पांडिचेरी

1. पांडिचेरी

कुल 107 जिले

[हिन्दी]

अस्पताल

5005. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्याप्त संख्या में अस्पताल नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अस्पताल खोलने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) नए अस्पताल कब तक खोले जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) चूंकि भारत के संविधान के अधीन "स्वास्थ्य" राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उनकी प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अस्पताल खोलना संबंधित राज्यों/संघ क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। तथापि, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 13 नए अस्पतालों की स्थापना करने का कार्य शुरू किया है। इन अस्पतालों में से अधिकतर अस्पतालों को पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से नौवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात 2001–2002 के अन्त तक चालू किए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

विशेष घटक योजना

5006. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1996–97 से 1999–2000 तक के दौरान गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को विशेष घटक योजना (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान) शीर्ष के तहत वर्ष–वार कितना वित्त आबंटित किया गया है;

(ख) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने विशेष घटक योजना का हिस्सा नियत तिथि को दे दिया;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय राज्य सरकारों द्वारा विशेष घटक योजना के लिए मंजूर धनराशि को अन्य प्रयोजनों में उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान द्वारा विशेष संघटक योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राशि का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

(ख) से (ङ) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष संघटक योजना को तैयार करने और कार्यान्वयन करने संबंधी कार्यनीति 1979–80 के दौरान शुरू की गई। इस कार्यनीति के अनुसार राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अपनी योजना निधि का एक हिस्सा संबंधित राज्य/देश में कुल जनसंख्या के प्रति अनुसूचित जाति जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में निर्धारित करना होता है, जिसका उपयोग अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए करना होता है। विशेष संघटक योजना के रूप में निर्धारित निधियों का उपयोग संबंधित राज्य सरकार और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत राज्यों को राज्यों की विशेष संघटक योजना के योगज के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 100 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत उपलब्ध निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन घटकों के आधार पर अंतःआबंटित की जाती हैं जिनमें विशेष संघटक योजना का कार्यान्वयन शामिल है। 24 राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक है, विशेष संघटक योजनाएं तैयार करती रही हैं। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मानीटर किया जा रहा है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अलग बजट शीर्ष खोलने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करने का अनुरोध किया गया है कि विशेष संघटक योजना के अतंर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए किया जाए।

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विशेष संघटक योजना के कार्यान्वयन को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और योजना आयोग द्वारा स्थापित स्थायी त्रिपक्षीय समिति द्वारा मानीटर किया जाता है जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सहयोजित है।

विवरण

वित्त वर्ष 1996–97 से 1999–2000 के दौरान विशेष संघटक योजना के अंतर्गत किया गया आबंटन

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	300.57	339.72	573.48	544.27
2.	गुजरात	101.42	171.52	199.55	260.82
3.	महाराष्ट्र	541.95	600.00	608.00	640.00
4.	राजस्थान	487.12	660.01	688.74	797.41
5.	तमिलनाडु	652.39	752.23	825.53	997.41
6.	उत्तर प्रदेश	1420.00	1484.00	2159.81	2394.00
7.	पश्चिम बंगाल	146.85	300.38	235.30	1414.14

विदेशी सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

5007. श्री जी. जे. जावीया : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहायता से सिंचाई, जल संसाधन, नहरों का अधुनिकीकरण और संरक्षण से संबंधित कितनी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) क्या कई ऐसी परियोजनाएं अभी अधूरी हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं का कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) से (घ) सिंचाई, जल संसाधन, नहर के आधुनिकीकरण और भूजल संरक्षण से संबंधित 21 विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को विश्व बैंक, ई.ई.सी., जे.बी.आई.सी., जापान, के.एफ.डब्ल्यू., जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	दाता अभिकरण	समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख	पूरा होने की निर्धारित तिथि	सहायता की राशि मिलियन में	30.9.2000 तक उपयोग की गई राशि मिलियन में	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	(i) आंध्र प्रदेश–III सिंचाई परियोजना	विश्व बैंक	03.06.1997	31.01.2003	325.00 अमरीकी डालर	87.665 अमरीकी डालर	चल रही है।
		(ii) आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना	विश्व बैंक	03.01.1999	31.3.2004	543.00 अमरीकी डालर (सिंचाई घटक 142 अमरीकी डालर)	133.217 अमरीकी डालर	चल रही है।
		(iii) के. सी. नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	जेबीआईसी, जापान	25.01.1996	26.3.2003	16049.00 येन	2033.735 येन	चल रही है।
		(iv) अपवेल सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड	14.11.1994	14.11.2002	26.847 एन.एल.जी.	10.013 एन.एल.जी	चल रही है।
2.	गुजरात	(v) हाइड्रोप्लस फ्यूजगेट प्रणाली	फ्रांस	10.12.1998	31.12.2001	34.74 एफ.एफ.	28.878 एफ.एफ.	चल रही है।
3.	हरियाणा	(vi) हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	06.04.1994	31.12.2000	258.00 अमरीकी डालर	156.082 अमरीकी डालर	इस परियोजना को एक वर्ष अर्थात 31.12.2001 तक आगे बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।
4.	केरल	(vii) सामुदायिक सिंचाई परियोजना	नीदरलैंड	15.12.1993	30.6.2000	2.328 एनजीएल	2.004 एनजीएल	इस परियोजना को 31.12.2000 तक आगे बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव दाता अभि-करण को भेजा गया है।
		(viii) केरल लघु सिंचाई परियोजना	ई.ई.सी.	21.05.1992	31.12.2000	11.80 ईसीयू	2.770 ईसीयू	चल रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	महाराष्ट्र	(ix) महाराष्ट्र लघु सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू जर्मनी	21.12.1998	31.12.2006	45.00 डी.एम.	0.00 डी.एम.	दाता अभिकरण द्वारा परामर्शदाता अभी नियुक्त किया जाना है।
		(x) लवण भूमि सुधार परियोजना–II	ई.ई.सी.	11.7.1995	31.12.2005	15.5 ईसीयू	0.00 ईसीयू	दाता अभिकरण अर्थात ईईसी द्वारा फेज–II संबंधी कार्य योजना को अभी अनुमोदित किया जाना है।
6.	मध्य प्रदेश	(xi) राजघाट नहर परियोजना	जेबीआईसी जापान	25.02.1997	31.03.2002	13222.00 येन	1879.818 येन	चल रही है।
7.	मणिपुर	(xii) भूजल अन्वेषण परियोजना	फ्रांस	23.11.1998	31.12.2001	4.53 एफ.एफ.	2.571 एफ.एफ.	चल रही है।
8.	उड़ीसा	(xiii) उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	05.01.1996	30.09.2002	290.90 अमरीकी डालर	139.079 अमरीकी डालर	चल रही है।
		(xiv) रेंगाली सिंचाई परियोजना	जेबीआईसी जापान	12.12.1997	05.02.2003	7760.00 येन	1961.059 येन	चल रही है।
		(xv) लिफ्ट सिंचाई परियोजना	केएफडब्ल्यू जर्मनी	19.02.1993	31.12.2000	50.00 डी.एम.	38.01 डी.एम.	चल रही है।
		(xvi) उड़ीसा लघु सिंचाई परियोजना	ईईसी	03.07.1995	31.12.2004	10.70 ईसीयू	0.465 ईसीयू	चल रही है।
9.	पांडिचेरी	(xvii) टैंक सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण	ईईसी	21.02.1998	31.12.2004	6.65 ईसीयू	0.72 ईसीयू	चल रही है।
10.	राजस्थान	(xviii) सिंधमुख और मोहर सिंचाई परियोजना	ईईसी	07.06.1993	31.12.2000	45.00 ईसीयू	32.740 ईसीयू	चल रही है।
11.	तमिलनाडु	(xix) तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	विश्व बैंक	22.09.1995	31.03.2002	282.90 अमरीकी डालर	104.630 अमरीकी डालर	चल रही है।
12.	उत्तर प्रदेश	(xx) बुंदेलखण्ड जल संसाधन प्रबंधन परियोजना	नीदरलैंड	12.06.1996	31.05.2001	3.087 एनएलजी	1.352 एनएलजी	चल रही है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	बहुराज्यीय सहभागीराज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश केरल, कर्नाटक महाराष्ट्र, उड़ीसा मध्य प्रदेश और गुजरात तथा केन्द्रीय अभिकरण	(xxi) जल वैज्ञानिक परियोजना	विश्व बैंक	22.09.1995	31.03.2002	142.00 अमरीकी डालर	49.214 अमरीकी डालर	चल रही है।

भारत-अमरीका संयुक्त कार्य दल की बैठक

5008. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 2000 में भारत–अमरीका संयुक्त कार्य दल की बैठक में किन विषयों पर विचार–विमर्श हुआ;

(ख) उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) केन्द्र सरकार का उस पर क्या रुख है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) प्रधान मंत्री की सितम्बर, 2000 में अमरीका की यात्रा के दौरन, प्रधान मंत्री और अमरीका के राष्ट्रपति भारत और अमरीका के बीच शांति कायम करने तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य कार्यकलापों में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र शांति कायम रखने संबंधी कार्रवाइयों पर एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया जिसकी प्रथम बैठक 1–2 नवम्बर, 2000 को नई दिल्ली में हुई।

(ख) और (ग) इस बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि संयुक्त राष्ट्र की शांति कायम रखने संबंधी मामलों पर संयुक्त कार्यकारी दल को परस्पर समझ–बूझ तथा सहयोग को गहन बनाना होगा और एक दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझना होगा। कार्यकारी दल के कार्यकलाप संयुक्त राष्ट्र के शांति कायम रखने संबंधी कार्यों एवं प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए पहले से चल रहे कार्यों में भी सहयोग देंगे। यह संयुक्त कार्यकारी दल संयुक्त राष्ट्र संबंधी मामलों सहित भारत और अमरीका के बीच आपसी हितचिन्ता के अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में बढ़ते हुए सहयोग का एक प्रतिबिम्ब है।

औद्योगिक विकास केन्द्र

5009. श्री जी. जे. जावीया : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार और विशेष रूप से गुजरात में कितने औद्योगिक विकास केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) इन औद्योगिक विकास केन्द्रों का कार्यकरण किस प्रकार का है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में ऐसे और औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) अब तक सरकार द्वारा स्वीकृत 68 विकास केन्द्रों में से 27 प्रचालन में आ गए हैं चूंकि वहां औद्योगिक प्लाट्स का आबंटन शुरू हो गया है। शेष विकास केन्द्रों का कार्य राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं। गुजरात में वागरा में एक विकास केन्द्र प्रचालन में आ गया है। राज्य–वार विकास केन्द्रों की सूची सलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/विकास केन्द्र/जिले का नाम
1	2
1.	आन्ध्र प्रदेश हिन्दूपुर (अनंतपुर)
2.	गोवा इलेक्ट्रॉनिक सीटि (वर्ना–प्लेट)
3.	गुजरात (वाघरा) (भूच)
4.	हरियाणा (भावल, रिवाड़ी)
5.	हिमाचल प्रदेश कांगड़ा (कांगड़ा)
6.	जम्मू एवं काश्मीर साम्भा (जम्मू)
7.	कर्नाटक धारवाड़ (धारवाड़)
8.	रायचुर (रायचुर)
9.	हसन (हसन)
10	केरल (कन्नूर–खोजीकोड)
11.	मध्य प्रदेश बोरई (दुर्ग)
12.	घिरौण्डी (भिण्ड)
13.	खेड़ा (धर)
14.	सिलतारा (रायपुर)
15.	महाराष्ट्र अकोला (अकोला)
16.	नान्देड़ (नान्देड़)
17.	पंजाब (भटिण्डा)
18.	पठानकोट (गुरदासपुर)
19.	राजस्थान, अब्बू रोड (सिरोही)
20.	खारा (बीकानेर)
21.	धोलपुर (धोलपुर)
22.	जहलावर (जहलावर)
23.	तमिलनाडु इरोड़ (पेरियार)
24.	त्रिपुरा (बोधजंगनगर) (पश्चिम त्रिपुरा)
25.	उत्तर प्रदेश, बिजौली (झांसी)
26.	सठरीया (जौनपुर)
27.	शाहजवां (गौरखपुर)

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के नियम

5010. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार और वित्तीय घोटालों की जांच के नियम क्या हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास लंबित शिकायतों के कारण इसके द्वारा भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण मामलों की जांच नहीं की जा सकी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो, जांच के मामले, दिल्ली विशेष पुलिस–स्थापना–अधिनियम, 1946 के प्रावधानों और केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो के क्राइम मैन्युअल में विहित अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही हाथ में लेता है। इन मामलों की जांच, दंड–प्रक्रिया–संहिता, 1973, भ्रष्टाचार–निवारण–

अधिनियम, 1988 और अन्य सुसंगत कानूनों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।

(ख) जी, नहीं। विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों और अन्य स्रोतों से मिलने वाली शिकायतों की जांच–पड़ताल की जाती है और केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो के क्राइम मैन्युअल में विहित अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। उपर्युक्त ब्यूरो उन्हीं मामलों को जांच के लिए हाथ में लेता है, जो कानूनी प्रावधानों और केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो के क्राइम मैन्युअल में विहित अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, जांच किए जाने योग्य हों। सभी मामलों की जांच तत्परता और परिश्रम से की जाती है और उन्हें तर्कसम्मत निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है।

(ग) सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो की कार्यकुशलता सुधारने के आवश्यक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो की आंतरिक विशेषज्ञता–केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो के अन्तर्गत ही विशेषज्ञता सशक्त करने की दृष्टि से, तकनीकी पदों सहित, 183 पदों के सृजन की मंजूरी भी शामिल है।

[अनुवाद]

एम.बी.बी.एस. डिग्री को मान्यता

5011. श्री एम. ओ. एच. फारूक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली एम.बी.बी.एस. डिग्रियों को मान्यता देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या सरकार इस संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों का पालन कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) एम.बी.बी.एस. डिग्री को मान्यता प्रदान करने से संबंधित सरकार की नीति भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अन्तर्गत दी गई है।

(ख) से (घ) जी, हां। विभिन्न विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों से प्राप्त एम.बी.बी.एस. डिग्री को मान्यता प्रदान करने के अनुरोध केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को अग्रेषित किए जाते हैं जो उस कालेज, जहां से अन्तिम एम.बी.बी.एस. परीक्षा के समय अनुरोध प्राप्त किया गया है, की बुनियादी सुविधाओं के निरीक्षण की व्यवस्था करती है। केन्द्र सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से सिफारिशों के प्राप्त होने पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 11(2) के अन्तर्गत आवश्यक अधिसूचना जारी करती है।

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी

5012. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों द्वारा अपने संबंधित कार्यालयों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में चिकित्सा की अनुमति लेने के बाद भी "बिस्तर न" उपलब्ध होने के आधार पर उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा पुनः सफदरजंग अस्पताल और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लाभार्थियों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निजी अस्पतालों में इलाज के लिए न भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संबंध है, किसी भी रोगी को जिसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा उपचार पाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रेफर किया गया है, सफदरजंग अस्पताल में वापस रेफर नहीं किया जाता है।

कभी–कभी जो रोगी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कैजुअल्टी में आते हैं, उन्हें सफदरजंग अस्पताल में दाखिला प्राप्त करने के लिए तब कहा जाता है जब उनके दाखिले के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल में कोई बिस्तर उपलब्ध नहीं होते हैं। तथापि, आपात काल में, रोगी किसी भी समीपवर्ती अस्पताल में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की अनुमोदित दरों के अनुसार की जाती है।

(ग) ऊपर (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य योजना

5013. श्री के. पी. सिंह देव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विभिन्न सरकारी कर्मचारियों/सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों और नागरिकों सहित विधायकों और सांसदों के लिए व्यापक स्वास्थ्य परिचर्या/स्वास्थ्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना की व्यापक रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या सरकार को योजना में सुधार हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) ऐसी कोई व्यापक योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जड़ी-बूटियों से तैयार औषधियों में अनुसंधान के बारे में दिनांक 6 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : मैं जड़ी बूटियों से तैयार औषधियों में अनुसंधान के संबंध में 6 दिसम्बर, 2000 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2725 के उत्तर के हिन्दी रूपान्तर की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। अनजाने में, इस प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं छपा जिसे कृपया इस प्रकार पढ़ा जाए :

"(ग) लघु और बहुत छोटी यूनिटों तथा वैद्य और हकीमों सहित 9000 विनिर्माण यूनिटें हैं। विनिर्माण प्रक्रिया, कच्ची औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण और अन्तिम रूप से तैयार किए गए उत्पादों में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्हें अब अधिसूचित की गई उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता है। राज्य क्षेत्र के कुछ निगम और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी औषधों के बड़े विनिर्माता इस कार्य को संतोषजनक स्तर पर कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के अधीन इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का अनुमोदन कर दिया गया है।"

उत्तर का अंग्रेजी पाठ पूरा है।

जैसे ही यह ध्यान में आया, उत्तर को शुद्ध/पूरा करने हेतु कदम उठाए गए।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) सेमीकन्डक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेमीकन्डक्टर कम्पलेक्स लिमिटेड, एस.ए.एस. नगर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 2964/2000]

(ख) (एक) सी.एम.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सी.एम.सी. लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 2965/2000]

(2) (एक) सेन्टर फार मेटीरियल्स फार इलैक्ट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फार मेटीरियल्स फार इलैक्ट्रोनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। **देखिए** संख्या एल.टी. 2966/2000]

(3) (एक) नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेन्टर सर्विसिज इनकार–पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेन्टर सर्विसिज इनकार–पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2967/2000]

(4) (एक) डिपार्टमेन्ट ऑफ इलैक्ट्रोनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्सेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डिपार्टमेन्ट ऑफ इलैक्ट्रोनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कम्प्यूटर कोर्सेज सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2968/2000]

(5) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सं ण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2969/2000]

(6) (एक) नेशनल सेन्टर फार सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2970/2000]

(7) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2971/2000]

(8) (एक) सेन्टर फार डेवलपमेंट ऑफ एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग, पूणे के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवान्स्ड कम्प्यूटिंग, पूणे के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2972/2000]

(9) (एक) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2973/2000]

(10) (एक) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एण्ड नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रोनिक्स रिसर्च एण्ड नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2974/2000]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) वाटर एण्ड पावर कन्सलटेन्सी सर्विसिज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वाटर एण्ड पावर कन्सलटेन्सी सर्विसिज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2975/2000]

(2) (एक) नेशनल वाटर डवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डवलपमेंट एजेन्सी, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2976/2000]

(3) नर्मदा कन्ट्रोल अथारिटी, इन्दौर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2977/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल) : महोदय, मैं श्री यशवन्त सिन्हा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

संविधान के अनुच्छेद 281 के अन्तर्गत अतिरिक्त निर्देश–निबंधन के संबंध में ग्यारहवें वित्त आयोग (2000–2005 हेतु) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2978/2000]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, मैं डा. सी. पी. ठाकुर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) जनसंख्या अनुसंधान सेंटर, बंगलौर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान सेंटर, बंगलौर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2979/2000]

(2) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बड़ोदरा के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, बड़ोदरा के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2980/2000]

(3) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2981/2000]

(4) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2982/2000]

(5) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र, चंडीगढ़ के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2983/2000]

(6) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2984/2000]

(7) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2985/2000]

(8) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2986/2000]

(9) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तमिलनाडु के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, तमिलनाडु के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2987/2000]

(10) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2988/2000]

(11) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पटना के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2989/2000]

(12) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2990/2000]

(13) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, हजरतबल के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, हजरतबल के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2991/2000]

(14) (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, शिमला के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2992/2000]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) आर्टिफिशियल लिम्बस् मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्बस् मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2993/2000]

(ख) (एक) नेशनल सफाई कर्मचारीज़ फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सफाई कर्मचारीज़ फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2994/2000]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विज़ूअली हैंडीकेप्ड, देहरादून के वर्ष 1998–1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विज़ुअली हैंडीकेप्ड, देहरादून के वर्ष 1998–1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा–पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2995/2000]

(4) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्ष 1993–94 और 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 1993–94 और 1994–95 के वार्षिक प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा–पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2996/2000]

(6) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजिकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1998–1999 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर दि फिजिकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1998–1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा–पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल.टी. 2997/2000]

(8) चीफ कमिश्नर फॉर परसन्स विद डिसएबिलिटीज के वर्ष 1998–99 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन* के शुद्धि–पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2998/2000]

[अनुवाद]

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2000 जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 809(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2000 जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 810(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2000 जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 812(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2000 जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपजत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 813(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2000 जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 818(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2000 जो 21 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 819(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2000 जो 1 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 702(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2999/2000]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3000/2000]

*चीफ कमिश्नर फॉर परसन्स विद डिसएबिलिटीज का वार्षिक प्रतिवेदन 13.12.2000 को सभा–पटल पर रखा गया।

(ख) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुडा के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुडा का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3001/2000]

(ग) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3002/2000]

(घ) (एक) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एंट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3003/2000]

(ङ) (एक) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3004/2000]

(3) (एक) केन्द्रीय सिविल सेवाएं सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सिविल सेवाएं सांस्कृतिक एवं खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3005/2000]

(4) (एक) टाटा मेमोरियल सेन्टर, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेन्टर, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3006/2000]

(5) (एक) एटोमिक इनर्जी एजूकेशन सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटोमिक इनर्जी एजूकेशन सोसाइटी, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3007/2000]

(6) (एक) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3008/2000]

(7) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3009/2000]

(8) (एक) मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एण्ड मैथमेटिकल फिजिक्स इलाहाबाद के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एण्ड मैथमेटिकल फिजिक्स इलाहाबाद के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3010/2000]

(9) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधी नगर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर प्लाजमा रिसर्च, गांधी नगर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3011/2000]

(10) (एक) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फन्डामेंटल रिसर्च, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3012/2000]

(11) (एक) इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3013/2000]

(12) (एक) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3014/2000]

(13) (एक) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3015/2000]

(14) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, नैनीताल के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, नैनीताल के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3016/2000]

(15) (एक) सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (केन्द्रीय भंडार) के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज कंज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (केन्द्रीय भंडार) के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3017/2000]

(16) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3018/2000]

(17) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3019/2000]

(18) (एक) नेशनल एमएसटी राडार फेसिलिटी, गोदन्की के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एमएसटी राडार फेसिलिटी, गोदन्की के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3020/2000]

(19) (एक) फिजिकल रिसर्च लेबोरेट्री, अहमदाबाद के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिकल रिसर्च लेबोरेट्री, अहमदाबाद के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3021/2000]

(20) (एक) नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी, हैदराबाद के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेन्सिंग एजेन्सी, हैदराबाद के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3022/2000]

(21) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रिन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रिन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 3023/2000]

(22) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्माल इंडस्ट्री एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्माल इंडस्ट्री ट्रेनिंग, हैदराबाद के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 3024/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक के पूर्व सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, और वचनों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी ा)

आठवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 32 बारहवां सत्र, 1988

नौवीं लोक सभा

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3025/2000]

2. विवरण संख्या 36 तीसरा सत्र, 1990

दसवीं लोक सभा

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3026/2000]

3. विवरण संख्या 46 पहला सत्र, 1991

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3027/2000]

4. विवरण संख्या 25 आठवां सत्र, 1993

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3028/2000]

5. विवरण संख्या 30 ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3029/2000]

6. विवरण संख्या 28 तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3030/2000]

7. विवरण संख्या 23 चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3031/2000]

ग्यारहवीं लोक सभा

8. विवरण संख्या 20 दूसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3032/2000]

9. विवरण संख्या 16 तीसरा सत्र, 1996

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3033/2000]

10. विवरण संख्या 16 चौथा सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3034/2000]

11. विवरण संख्या 16 पांचवां सत्र, 1997

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3035/2000]

बारहवीं लोक सभा

12. विवरण संख्या 14 दूसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3036/2000]

13. विवरण संख्या 11 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3037/2000]

14. विवरण संख्या 10 चौथा सत्र 1999

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3038/2000]

तेरहवीं लोक सभा

15. विवरण संख्या 7 दूसरा सत्र, 1999

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3039/2000]

16. विवरण संख्या 6 तीसरा सत्र, 2000

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3040/2000]

17. विवरण संख्या 2 चौथा सत्र, 2000

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3041/2000]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, उदयपुर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3042/2000]

(2) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3043/2000]

(3) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, सागर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, सागर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3044/2000]

(4) (एक) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेन्टर, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3045/2000]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 1998–99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बंगलौर के वर्ष 1998–1999 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3046/2000]

(7) (एक) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पापुलेशन साइंसेस, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पापुलेशन साइंसेस, मुम्बई के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3047/2000]

(8) (एक) पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(दो) पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3048/2000]

(9) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (दसवां संशोधन) नियम 2000 जो 20 नवम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 876(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 3049/2000]

(10) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(क) (एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 1995–96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, मोहन का वर्ष 1995–96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3050/2000]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुअनन्तपुरम के वर्ष 1999–2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुअनन्तपुरम का वर्ष 1999–2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा–परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त मद संख्या (10) के (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा–पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3051/2000]

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1999–2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 3052/2000]

अपराह्न 12.01½ बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक– सभा पटल पर रखा गया

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 19 दिसम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 1 दिसम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक, 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 19 दिसम्बर, 2000 को यथा पारित चिट फंड्स (संशोधन) विधेयक, 2000 को सभा–पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 19 दिसम्बर, 2000 को सभा में प्रस्तुत अपने पांचवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित प्रत्येक सदस्य को दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए :

1.	श्री विकास चौधरी	14.08.2000	से 25.08.2000
2.	श्रीमती निशा चौधरी	20.11.2000	से 22.12.2000
3.	श्रीमती जयश्री बैनर्जी	20.11.2000	से 22.12.2000
4.	प्रो. कैलाशो देवी	20.11.2000	से 22.12.2000
5.	श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल	24.07.2000	से 25.08.2000

क्या सभा इस बात से सहमत है कि समिति की सिफारिश के अनुसार अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाए?

अनेक माननीय सदस्यगण : हां।

अध्यक्ष महोदय : अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचना दी जाएगी।

अपराह्न 12.03 बजे

लोक लेखा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

श्री नारायण दत्त तिवारी (नैनीताल) : महोदय, मैं केन्द्र सरकार विनियोजन लेखा (नागरिक) 1996–97 के मामले में लोक लेखा समिति (तेरहवीं लोक सभा) का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं (i) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और (ii) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड से संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का अध्ययन और प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन के अध्याय I में उल्लिखित सिफारिशों तथा अध्याय V में उल्लिखित सिफारिशों के संदर्भ में दिए गए अंतिम उत्तर के मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति का 'पोटाश/पोटिशिक उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और आयात' संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : सदा की भांति, हम महिलाओं को अंत में ही मौका मिलता है।

महोदय, मैं 'ग्रामीण महिला विकासकारी योजना' विषय पर महिला अधिकारिता संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन (बारहवीं लोक सभा) में उल्लिखित टिप्पणियां/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के मामले में इस समिति का प्रथम प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्कण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू-कश्मीर में सरकार के शांति प्रयास

प्रधानमंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने और सांसदों द्वारा क्रिसमस के त्यौहार पर जाने से पहले मैं जम्मू व कश्मीर की स्थिति तथा नियंत्रण रेखा के पास की स्थिति के बारे में सरकार के मूल्यांकन से आप सभी माननीय सांसदों को अवगत कराना चाहता हूं।

19 नवम्बर को मैंने यह घोषणा की थी कि रमज़ान के पवित्र महीने में हमारे सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मैंने यह भी आशा की थी कि नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ बंद होगी। इस पहल के बाद स्थिति में कुछ उत्साहजनक बदलाव आया है। तथापि, कुछेक दूसरे पहलुओं पर हमारी चिंता अभी भी बनी हुई है।

सरकार को जम्मू व कश्मीर राज्य के नागरिकों, राजनैतिक दलों और अन्य संगठनों की प्रतिक्रिया से काफी उत्साह मिला है। शांति की हमारी पहल का वहां व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। अब उस राज्य में बिलकुल अलग और काफी अधिक आशावादी माहौल दिखाई देने लगा है। राज्य में शांति बहाली में रुचि रखने वाली ताकतों में काफी वृद्धि हुई है।

उस राज्य में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में भी कमी हुई है। हालांकि लश्कर–ए–तौएबा और हरकत–उल–मुजाहिदीन जैसे संगठनों की गतिविधियां अभी भी जारी हैं जिसके कारण

न केवल निर्दोष नागरिकों की जानें गई हैं, बल्कि हमारे सुरक्षाकर्मियों की भी हत्याएं हुई हैं जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है। सरकार इन और अन्य चुनौतियों का सामना करने और उनके अमानवीय और घृणित कृत्यों को रोकने के लिए दृढ़संकल्प है।

आतंकवादियों द्वारा नियंत्रण रेखा को पार करने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों में भी काफी कमी आई है। यह घुसपैठ पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। सरकार इसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।

नियंत्रण रेखा के पास गोलाबारी की घटनाओं में काफी सुधार देखा गया है। शुरूआत में कुछेक घटनाओं को छोड़कर 19 नवंबर को मेरे द्वारा घोषणा किए जाने के बाद नियंत्रण रेखा के आसपास अपेक्षाकृत शांति का माहौल बना है।

इसलिए सरकार ने सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद 'कोई सैनिक कार्रवाई न करने' की अवधि को एक और महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। सन् 2001 के गणतंत्र दिवस के बाद सरकार स्थिति की फिर समीक्षा करेगी।

पाकिस्तान के साथ बातचीत की प्रक्रिया भारत ने शुरू की थी। भारत इस पर कायम रहेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त वातावरण का होना बहुत जरूरी है। शिमला समझौते और लाहौर घोषणा–पत्र पर हमारी निष्ठा कायम है। इस निष्ठा के तहत हमारी सरकार ऐसे कदम उठाएगी जो आवश्यक समझे जाएंगे ताकि भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच संयुक्त बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सके।

मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा बनी रहेगी। हालांकि अत्यधिक उकसाए जाने पर भी हम काफी संयम बरतते रहेंगे लेकिन राष्ट्रीय हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे।

मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम पूर्ण शांति बनाए रखने और जम्मू व कश्मीर के सभी नागरिकों को भारत की खुशहाली और प्रगति में बराबर का हिस्सेदार बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कड़िया मुण्डा द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.08 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए चौधरी चुन्नीलाल के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नाम–निर्देशित करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम–निर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए चौधरी चुन्नीलाल के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नाम–निर्देशित करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम–निर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : 'शून्य काल' की मेरी घोषणा के बगैर ही आपने मामलों को उठाना आरंभ कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : मैंने प्रतिदिन नोटिस

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दिया है। मैंने प्रतिदिन एक नोटिस दिया, अर्थात् परसों, कल और आज...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में 'शून्य काल' के विषयों पर चर्चा होगी। कृपया श्री शरद पवार।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शरद पवार जी को आमन्त्रित किया है।

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति महत्त्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, वे कभी-कभार ही सभा में मुद्दे उठाते हैं। इसीलिए मैंने श्री शरद पवार जी को आमन्त्रित किया है। कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार : महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, नियम 184 के अन्तर्गत मैं नोटिस दे चुका हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, मैं श्री शरद पवार जी को पहले ही आमन्त्रित कर चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, वह नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह 'शून्य काल' के मुद्दे पर बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री शरद पवार : महोदय, जनगणना की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है।....*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मंत्री महोदय, आपने पिछले तीन दिनों से इस नियम पर अपराधपूर्ण चुप्पी साध रखी है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, मैं आपसे अपील कर रहा हूं। कृपया आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, (श्री प्रमोद महाजन) : आपने नियम 184 के अंतर्गत नोटिस दिया है लेकिन क्या आपने माननीय अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त की है? यदि आपको अनुमति नहीं दी गई है तो आप इसे कैसे यहां उठा सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी सूचना पहले ही अस्वीकृत की जा चुकी है। कृपया बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके नोटिस को पहले ही नामंजूर किया जा चुका है और मात्र नोटिस देकर सभा में मामला उठाना कोई सही परंपरा नहीं है।

*(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या यह एक गंभीर विषय नहीं है? एक संवैधानिक प्राधिकारी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं और सरकार चुप बैठी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद पवार, क्या आप नियम 377 के अंतर्गत मामला उठा रहे हैं? या फिर आप 'शून्य काल' के मामले को उठा रहे हैं?

श्री शरद पवार : यह एक 'शून्य काल' का मामला है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : श्री जयपाल रेड्डी, कृपया माननीय अध्यक्ष को आपका नोटिस स्वीकार करने दें, तत्पश्चात हम आपकी बात सुनेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी मामले को स्वीकार किए बगैर आप मामले को कैसे उठा सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते आपको

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह पता होना चाहिए कि आप केवल अध्यक्षपीठ को संबोधित कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, माननीय विधि और न्यायमंत्री इसका उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि यह कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं है। उन्होंने यह कहा है कि यह कार्यवाही वृत्तांत में है ही नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : यह विधि और न्याय मंत्री जी की फाइल में है। वह सब कुछ जानते हैं...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : आपने स्वयं कहा है कि कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी नहीं दिया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नोटिस स्वीकृत किए बिना मंत्री जी कुछ भी नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.14 बजे

जनगणना प्रपत्र में अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में अलग से सूचना एकत्र करने की आवश्यकता के बारे में

श्री शरद पवार (बारामती) : सन् 2000 की जनगणना 9 फरवरी, 2001 से प्रारंभ होनी है और इसका काम 20 फरवरी, 2001 तक पूरा कर लिया जाएगा।

पूर्व की ही भांति, भारत सरकार ने कुछ प्रपत्र छपवाए हैं और प्रपत्रों 'क' एवं 'ख' के माध्यम से सूचना एकत्र कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार इस पर कृपया ध्यान दे। वह गंभीर मामला उठा रहे हैं।

श्री शरद पवार : पूर्व की ही भांति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यह सही निर्णय है। लेकिन, भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340(1) के तहत, मंडल आयोग की रिपोर्ट को आंशिक रूप से ही स्वीकार किया है। उसने पिछड़े वर्गों को सेवाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में तथा कतिपय अन्य क्षेत्रों में कुछ आरक्षण देना स्वीकार किया है। जब तक जनगणना–प्रपत्रों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के बारे में समुचित जानकारी एकत्र नहीं की जाती, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार पिछड़े वर्गों के हितों का संरक्षण करने और कोई उचित निर्णय लेने में समर्थ रहेगी।

हाल ही में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस पर एक निर्णय दिया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकार को, जनगणना–कार्य करते समय, पिछड़े वर्गों के बारे में विस्तृत सूचना एकत्र करने के लिए निदेशित किया है, ताकि पिछड़े वर्गों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिल सके।

अतएव, यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि सरकार प्रपत्रों में बदलाव लाए, ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ, पिछड़े वर्गों के बारे में भी सूचना एकत्रित की जा सके। मैं सरकार से पिछड़ा वर्ग को उचित न्याय प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझापुर) : महोदय, मैंने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आपको भी बुलाएंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सन् 2001 में नौ फरवरी से जो जनगणना होने जा रही है, उसमें इस देश के 52 फीसदी ओबीसी के लोग हैं, जिनके लिए बी. पी. मंडल का रिकमेंडेशन हुआ था। 1978 में बी. पी. मंडल की सिफारिश हुई और 1979 में यह सिफारिश आई। इसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट का वरडिक्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सही ठहराया।...*(व्यवधान)*

महोदय, जो एससी, एसटी का सेंसस हो रहा है, उसमें 1993–94 में जो अलग से आयोग गठित हुआ था उसने कास्टवाइज सेंसस करने का प्रावधान किया था। दुःख की बात है कि सेंसस फार्म में ओबीसी के कास्टवाइज आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्टेटस के बारे में इनफोरमेशन कलेक्ट करने के लिए कोई प्रोविजन, कॉलम, एंट्री फोरमेट में नहीं है। अतः मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि जो रजिस्ट्रार जनरल एंड कमिशनर ऑफ सेंसस हैं, उन्हें निश्चित रूप से अविलम्ब आदेश दें। नौ फरवरी को होने वाला जो सेंसस फार्म है उसमें ओबीसी का भी कालम जोड़ें। अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए दर्शाने वाला जो कॉलम है, उसे इस सेंसस फार्म में जरूर जोड़ें, अन्यथा संविधान की धारा 337 और 338 की अवहेलना होगी।...*(व्यवधान)* इसलिए भारतीय संविधान में इस धारा को ध्यान में रखते हुए इसे सेंसस फार्म में निश्चित रूप से जोड़ा जाए। ...*(व्यवधान)*

महोदय, दस साल के बाद सेंसस होता है, इसलिए अगर

इस बार सेंसस में, फोरमेट में इंट्री नहीं होगा तो न केवल उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगा बल्कि दस साल तक इस देश के 52 फीसदी लोग पीछे रह जाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनसे हम पूर्ण तरह से अपनी पार्टी को जोड़ना चाहते हैं। जब तक पूरी तरह से आंकड़े प्रकट न हों, सामने न आएं तब तक योजनाबद्ध तरीके से ओबीसी और बैकवर्ड क्लासिस के उत्थान के कार्यक्रम का निर्माण कैसे हो पाएगा। इसलिए यह अति आवश्यक और अनिवार्य है कि सेंसस के प्रोविजन में इस मामले को जोड़ा जाए। ओबीसी के पूरे आंकड़े सामने आएं। उनकी क्या आर्थिक स्थिति है। उनकी जनसंख्या अलग-अलग क्षेत्रों में किस मात्रा में है, यह पूरी इनफोरमेशन और सामग्री हमारे सामने आए ताकि योजनाबद्ध तरीके से उनके उत्थान के कार्यक्रम बन पाएं और हम पूरी तरह से इसका समर्थन कर पाएं।

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : महोदय, माननीय शरद पवार जी ने होने वाली जनगणना के संबंध में पिछड़े वर्ग की अलग से गणना के संबंध में जो सवाल उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हू। नौ फरवरी से होने वाली जनगणना के फार्म में यह है ही नहीं कि पिछड़े वर्ग की जनगणना अलग से हो, वह अलग-अलग क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों की संख्या मालूम हो-राज्यवार भी हो और क्षेत्रवार भी हो। यह इसलिए जरूरी है कि जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो रही हैं तो कैसे पता चलेगा कि इनकी कितनी जनसंख्या है। दूसरी तरफ 27 फीसदी में ही तमाम अन्य जातियों को जोड़ने का भी अभियान जारी है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जनगणना होती है उसी तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों की भी जनगणना की जाए। नौ फरवरी का समय निकट आ गया है और सरकार ने अभी तक इसके लिए प्रावधाान नहीं किया है। जब तमाम जातियों को पिछड़े वर्ग में जोड़ा जा रहा है तो 54 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लोगों का भी आरक्षण होना चाहिए। इसलिए जो जनगणना होने जा रही है उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों की कितनी जनसंख्या है और वह कहां-कहां पर कितनी है यह करना उसमें जरूरी है और इसे तत्काल किया जाना चाहिए। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर मंडल आयोग पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को भी यह जानना जरूरी है कि उनकी जनसंख्या उस राज्य में कितनी और कहां पर है। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से और संसदीय कार्य मंत्री जी चाहते हैं कि वे आश्वासन दें कि 9 फरवरी से जनगणना होने जा रही है उसमें यह भी शामिल किया जाए कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जनसंख्या कितनी है। *[अनुवाद]*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, श्री शरद पवार ने जो कुछ कहा, उससे मैं सहमत हूं। जनगणना को यथासंभव व्यापक होना चाहिए। उसमें सूचनाएं तथा आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और इससे नीतियों के प्रतिपादन में सहायता मिलती है। यदि यह जानकारी उपलब्ध न हो, तो इससे जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी। अतः, सिद्धांततः हम इसका समर्थन करते हैं। सूचना को भी यथासंभव व्यापक होना चाहिए। यदि सरकार निर्णय कर ले, तो फिर इस सूचना के एकत्रीकरण के कार्य में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैंने मंडल आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया था और मेरा यह सुविचारित मत है कि यही वह मौका है जब हम, सदन में और राष्ट्र में पिछड़े वर्गों की जनगणना करने की आवश्यकता के बारे में विचार करें। यह एक अपरिहार्य आवश्यकता है। अंतिम बार ऐसा 1931 में किया गया था। पिछले सत्तर वर्षों से पिछड़े वर्गों के संबंध में कोई जनगणना नहीं हुई है। 20वीं शती के अंत में, यही वह अवसर है जब हम यह सूचना एकत्र करें।

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि जब भी जनगणना होती है तो उससे हमें योजना बनाने में मदद मिलती है और उस सर्वे में ओबीसी की जनसंख्या भी पूरी तरह से होनी चाहिए। रिजर्वेशन से भी उसका ताल्लुक है। इसलिए किस राज्य में कितने ओबीसी हैं, यह पता होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस सदन का कोई भी सदस्य इस बात से असहमत नहीं होगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष जी, शिवसेना के नेता और पूर्व सांसद दिवा पटेल के नेतृत्व में एक डैलीगेशन दिल्ली आया था। सभी नेताओं ने उनसे भेंट की है और जो जनगणना 9 फरवरी से होने जा रही है उसमें एस.सी.एस.टी. और जनरल कॉलम छपा है। अध्यक्ष जी, इस समय इस देश में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग ओबीसी के हैं। जो जनगणना होने जा रही है उस फार्म के अंदर एस.सी.एस.टी. के साथ में ओ.बी.सी. और जनरल इस तरह से छपा होने की आवश्यकता है। यह इस सदन की मांग है। इसलिए हम गृह मंत्री जी से यह मांग करते हैं कि 9 फरवरी से 28 फरवरी तक जो जनगणना होने जा रही है उसके फार्म को दुरुस्त करते हुए उसमें एस. सी.एस.टी., ओ.बी.सी. एंड जनरल छापा जाए, यह हमारी मांग है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता, उत्तर पश्चिम) : महोदय, अगली जनगणना सन् 2001 में प्रारंभ होगी। अंतिम आम जनगणना 1991 में हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बात को समझें, हम इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहे।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : जाति–आधारित अंतिम जनगणना 1931 में की गई थी, इसको 70 साल हो गए। अतएव, पूर्ववर्ती वक्ताओं ने जो कुछ कहा, हम भी उससे सहमति रखते हैं। 9 फरवरी, 2001 से होने वाली जनगणना के कार्य हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जानकारी के स्तंभों–जो आमतौर पर होते ही हैं–के साथ–साथ पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक स्तंभ रखा जाए, ताकि हर तरह से–सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से–पिछड़े वर्गों के उत्थान की साफ–साफ जानकारी मिल सके।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु (तेनाली) : तेलुगूदेशम दल की ओर से, मैं श्री शरद पवार और अन्य दलों के नेताओं द्वारा अभिव्यक्त विचारों से सहमति प्रकट करता हूं। पिछड़े वर्गों के संबंध में भी व्यापक जानकारी एकत्र किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले 70 सालों से यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ...*(व्यवधान)* आंध्रप्रदेश में हाल ही में उच्च न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने के लिए पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों से संबंधित सूचना का होना आवश्यक है...*(व्यवधान)* इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, पिछड़े वर्गों के संबंध में भी व्यापक रूप से जानकारी एकत्र किए जाने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)* जनगणना–कार्य में इस मद को भी शामिल किया जाना ही उचित होगा और 2001 से शुरू होने वाले आगामी जनगणना–कार्य के प्रपत्रों में उल्लिखित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी जानकारी के स्तंभों के साथ ही इस मद को भी रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी को सदन में बुलाया जाए और वह यहां आकर स्पष्टीकरण दें।

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो गया है, आप क्या कर रहे हैं, आप हाउस को क्या समझते हैं?

(व्यवधान)

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शरद पवार जी और माननीय मुलायम सिंह जी सहित बहुत से सम्मानित सदस्यों ने जो कहा, मैं अपने को उसी से जोड़ते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स का कानून यहां बन गया है, वैसा ही एक व्यापक कानून ओ.बी.सी. के लिए भी होना चाहिए। जब तक यह कानून नहीं बनेगा, तब तक ठीक ढंग से इसका पालन नहीं हो सकता है। जो सूची और फॉर्म जा रहा है, उसमें ओ.बी.सी. का भी कॉलम होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को इस पर कुछ कहना है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बारे में कुछ कहना है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका अलग नोटिस है।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरुनेलवेली) : महोदय, हम ए.आई.ए.डी.एम. दल के सदस्य, पिछड़े वर्गों की जनगणना करने के इस कदम का समर्थन करते हैं। पचास के दशक की बात है, चंपकम दरियाराजन बनाम तमिलनाडु राज्य...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया ब्योरेवार मत बताइए।

श्री पी. एच. पांडियन : इससे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने हेतु संविधान में पहला संशोधन करने की राह बनी। द्राविड़ पार्टी, विशेषकर स्वर्गीय डा. एम.जी.आर. और डा. पुराची थलैवि के नेतृत्व वाले दल ने, पिछड़े वर्गों के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है। हमें इस बात पर गर्व है। भारत भर में, पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करने में तमिलनाडु की भूमिका अव्वल रही है। इसीलिए हम सरकार से पिछड़े वर्ग की जनगणना करने का अनुरोध करते हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, 1931

में अंग्रेजी राज में जो जनगणना हुई थी, उस समय बैकवर्ड क्लासिज को अलग रखा गया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम आपसे कह रहे हैं कि आप हाउस में शॉऊट मत करिए। यह ठीक नहीं है। आपको हाउस में शाऊट करने का अधिकार नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : आप हमें मान्यता दीजिए। यह इधर–उधर से खड़े हो जाते हैं। हम भी पार्टी हैं, हमें छोड़कर अन्य को बोलने का पहले मौका दे दिया। प्रोफोर्मा में बैकवर्ड का खाना नहीं बनाया। यह मंडल विरोधी का राज है। जनगणना के प्रोफोर्मा में वह इनसे छूट गया। अब यह पकड़े गए हैं कि ये मंडल विरोधी हैं। नौ फरवरी से जनगणना शुरू होने वाली है। श्री शरद पवार और सभी नेताओं ने कहा है, साबित हो गया है मंडल विरोधी का राज है। इसलिए मंडल कमीशन की अनुशंसा के मुताबिक प्रोफोर्मा में बैकवर्ड लोगों का खाना नहीं दिया जा रहा है। जो 1931 में अंग्रेजी राज में हुआ था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर) : महोदय, डी.एम.के. पार्टी की तरफ से, मैं भी पिछड़े वर्गों की जनगणना के विषय में श्री शरद पवार द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सहमति प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मेरा नोटिस है। एस.सी.एस.टी. के साथ ओ.बी.सी. का सैन्सज भी होना चाहिए। दलित और ओ.बी.सी. के साथ हम यूनिटी करना चाहते हैं, इसलिए हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं।

श्री रामदास आठवले : ठीक है, हम भी इनके साथ एसोसिएट करते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : महोदय, मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में, सरकार उन दो लाख भारतीय नागरिकों की गणना करने पर भी विचार करेगी, जो बांग्लादेश की सीमा से घिरे भारतीय अंतःक्षेत्रों में रह रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय से अपेक्षा करते हैं कि वह सदन की भावना के अनुरूप घोषणा करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : हम तो विरोधी हैं, आपने सुनने से पहले ही बोल दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री राम सजीवन (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, हम भी इस पर बोलना चाहते हैं, अपनी बात अलग से कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि इसी पर बोलना चाहते हैं तो आप भी इनके साथ एसोसिएट कीजिए।

श्री राम सजीवन : ठीक है, हम भी एसोसिएट करते हैं और इसका समर्थन करते हैं।

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, मंडल आयोग की सिफारिशें इस सदन ने इकट्ठा होकर एक मत से स्वीकार की थीं। पिछड़ों को आरक्षण देने के विषय में भी सदन के सभी सदस्य सहमत थे और आज जनगणना में पिछड़ों की जनगणना अलग रूप से की जानी चाहिए, इस प्रकार का विषय श्री शरद पवार जी और अन्य सदस्यों ने उठाया है। इसमें भी सदन के सत्तापक्ष में हो या विपक्ष में हो, सभी सदस्यों ने उसमें अपना स्वर मिलाया है और यह कहा जा सकता है कि सदन में लगभग एक मत से यह मांग हुई है कि जनगणना में पिछड़ों की अलग से गणना की जाए। जिसके आधार पर हमें समझ आए कि उनकी स्थिति क्या है, संख्या क्या है।

अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं खुद इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता, न चाहता था। लेकिन कुछ सदस्यों ने इस प्रकार का आरोप बिना मेरी प्रतिक्रिया सुने ही करना शुरू कर दिया कि यह मंडल विरोधी सरकार है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में नहीं लिया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, मुझे कारण का पता नहीं है, लेकिन इस सरकार को छोड़ दीजिए, भारत सरकार का जन्म होने से पहले ही जाति के आधार पर जनगणना 1931 में बंद

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुई थी। यह 2001 में इस सरकार ने बंद करने का फैसला नहीं किया है, यह 1931 में हुआ था। उसके बाद जो–जो सरकारें आईं और खासकर जिस सरकार ने मंडल सिफारिश लागू की, जो सरकार हमारे समर्थन से चल रही थी, उसके बाद भी जो जनगणना हुई, उसमें भी जाति निहाय बिना नहीं गया और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कृपया राजनीति अगर हम न लाएं तो अच्छा है। मैं सरकार की ओर से इतना ही कह सकता हूं कि नौ फरवरी को जनगणना शुरू हो रही है। शायद उसके फॉर्म्स भी बने होंगे, इसका मुझे पता नहीं है कि क्या स्थिति है और इसमें क्या प्रशासनिक समस्याएं आएंगी। 50 वर्षों से जो नीति चली आ रही है, उसमें जाति के आधार पर जनगणना नहीं होती है।...*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने दीजिए। शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज का है, हम जानते हैं और उसके कारण भी जानते हैं। मैं इतना ही आज कह सकता हूं कि आज जाति के आधार पर जनगणना करने की नीति तो नहीं है, लेकिन जब सदन की इतनी बड़ी मांग है तो इस नीति की सरकार फिर से एक बार पुनर्समीक्षा करके देख लेगी कि इसमें क्या संभव है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री अब्दुल रशीद शाहीन।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, बाद में आपको बुलाएंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में नहीं लिया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री अब्दुल रशीद शाहीन से बोलने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : महोदय, मैं यहां जम्मू और कश्मीर राज्य की वित्तीय स्थिति से संबंधित एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने और इससे जुड़े उन परिणामों के बारे में बताने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो राज्य को योजनागत आबंटन प्रदाय में हो रही दुर्भाग्यपूर्ण और असाधारण देरी की वजह से अवश्यमेव उभरकर सामने आएंगे। अब, जबकि मेरे निर्वाचन–क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर के उच्च पर्वतीय भागों में शीत ऋतु आ पहुंची है, यहां हमारा वित्त–वर्ष प्रायः समाप्ति की ओर है। दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र सरकार द्वारा अभी भी योजनागत–आबंटन को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और हमारे क्षेत्र में विकास–कार्य रुक गए हैं।

मैं, आपके माध्यम से, सरकार से आग्रह करना चाहूंगा और प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि योजनागत–आबंटन में आखिर कब तक विलम्ब होता रहेगा? योजनागत–आबंटन को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और उन निधियों को, जिन्हें राज्य के उन उच्च पर्वतीय इलाकों में व्यय किए जाने की संभावना है जहां शीत ऋतु का आरंभ हो चुका है। ऐसी निधियों की एक अव्यपगतनीय पूल में रखा जाना चाहिए, ताकि इस राशि को मार्च के पश्चात् व्यय किया जा सके।

दुर्भाग्यवश हमें बताया गया है कि हम अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हैं। 1996 से, जब से हमारी यह लोकप्रिय सरकार सत्ता में आई, हमने कर–ढांचे को युक्तिसंगत बनाया है और करों तथा गैर–करगत राजस्व के संग्रहण को बढ़ाया है। वह 412.86 करोड़ रु. स 838.47 करोड़ रु. तक बढ़ गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सबको बुलाएंगे।

[अनुवाद]

हाथ खड़े मत कीजिए।

[हिन्दी]

मेरे पास लिस्ट है।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला) : हमने बड़ी अनिच्छापूर्वक राजस्व–दर को एक व्यवहारिक अनुपात में बढ़ाया है और अपने इलाके के लोगों से कतिपय क्षेत्रों में हमने बहुत अधिक राजस्व वसूला है और इससे लोगों को तंगी हुई है, ऐसा हमें दुर्भाग्यवश आर्थिक विकास के पिछड़ जाने की वजह से करना पड़ा और यह परिणाम है उस छाया–युद्ध का, जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है। इस विलंब से राजनीतिक रूप से और विकास के क्षेत्र में भी, कई दुर्भाग्यपूर्ण दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह योजनागत–आबंटन को यथाशीघ्र अंतिम मंजूरी दे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, प्रदूषण के नाम पर दिल्ली की लगभग 45,000 इंडस्ट्रीज को सील किया

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जा रहा है, लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को सील किया जा रहा है जिसके कारण दस लाख से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, यह रोज अखबारों में आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप कितनी बार इस मैटर को हाउस में रेज़ करेंगे?

श्री मदन लाल खुराना : मैं केवल तीन–चार मिनट लूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : आप क्या चाहते हैं? आपकी सरकार ने यह सब कुछ किया है। आपने दोबारा इमरजेन्सी की हालत ला दी है। यह आग जगमोहन की नहीं, शीला दीक्षित की लगाई है।...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, दिल्ली के इंडस्ट्री वालों से इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड करने के लिए दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग ने और विद्युत विभाग ने पैसे लिए हैं और लोग दो–तीन सालों से किस्तों में पैसे जमा करा रहे हैं, कुछ लोगों ने पहली किस्त जमा कर दी है, कुछ लोगों ने दूसरी किस्त जमा कर दी है और दिल्ली की सरकार अब उनको यहां से हटा रही है, उनकी इकाइयों को बन्द कर रही है, उनकी इंडस्ट्रीज को सील कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। कम से कम उन्हें बता तो दें कि उनकी क्या गलती है। जहां उनको भेजा जा रहा है वहां सड़कें नहीं बनी हैं वहां कोई आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, वहां वे कैसे जाएंगे और अपना उद्योग कैसे स्थापित करेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि इंडस्ट्रीज को सील करने का जो काम किया जा रहा है वह तुरन्त बन्द होना चाहिए। दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार इसके लिए जिम्मेदार है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया ध्यान दीजिए कि बहुत से बच्चे दर्शक दीर्घा से सभा की कार्रवाई देख रहे हैं। कृपया समझिए कि बच्चे कार्यवाही देख रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री साहिब सिंह और श्री विजय गोयल दोनों श्री खुराना की कही बात से सहमति प्रकट कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं दिल्ली में मुख्य मंत्री था, उस समय ऐसी स्थिति पैदा हुई थी और 1996 में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में सारी फैक्ट्रियों को बन्द करने का निर्देश दिया था। हमारी सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से प्रार्थना की थी कि हमें समय दिया जाए। हम इनको री–लोकेट करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की इंडस्ट्रीज को री–लोकेट करने की कार्रवाई का सुप्रीमकोर्ट ने भी स्वागत किया था और हमारी सराहना की थी। बाई नेम तारीफ की थी और कहा था कि दिल्ली सरकार इस दिशा में अच्छा काम कर रही है, लेकिन पिछले दो वर्षों में दिल्ली की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अब सुप्रीमकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वे दिल्ली सरकार की नाकामयाबी एवं नालायकी की वजह से दिए हैं। वर्तमान दिल्ली सरकार की नालायकी की वजह से आज उद्योगों की दिल्ली में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि शीला दीक्षित को इस्तीफा दे देना चाहिए। महोदय, इस बारे में मैं चाहता हूं कि यहां से दिल्ली सरकार को डायरेक्शन जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उद्योगों को बन्द करने की जो कार्रवाई चल रही है इसको देखते हुए जब मैंने दिल्ली के एस.डी.एम. से बात करनी चाही, तो उन्होंने साफ कह दिया कि हमें कोई बात नहीं करनी है। जब मैंने डी. एम. से बात करनी चाही, तो उन्होंने भी कह दिया कि हमें बात नहीं करनी है। आज स्थिति यह है कि दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी सांसद से इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। जो सरकार जनता की विरोधी है और लगातार आम जनता को परेशान कर रही है और उद्योगों को बन्द कर आम जनता को सड़क पर लाना चाहती है, उस सरकार को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में इंडस्ट्रीज के बन्द होने से 18 से 20 हजार मजदूर जो उत्तर प्रदेश और बिहार से अपनी रोजी–रोटी कमाने आते हैं, वे बेकार हो जाएंगे और वे सड़कों पर आ जाएंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल बिहारी तिवारी, मैंने आपका नाम बोलने के लिए नहीं पुकारा है। श्री विजय गोयल, श्री खुराना ने अभी, जो कहा है, उससे आप भी सहमति प्रकट कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री उत्तम राव ढिकले, मुझे आपका नोटिस मिल गया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष का और श्री चन्द्रशेखर जी का भी ध्यान एक बिलकुल डिफरेंट पाइंट की ओर दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि उच्चतम न्यायालय ने मान लीजिए कोई निर्देश दिया और उस निर्देश से काफी लोग परेशानी का अनुभव कर रहे हैं, तो क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट को इस सदन की प्रतिक्रिया भेजी जा सकती है और जिन 13,000 लोगों ने दिल्ली सरकार को साहिब सिंह जी जब मुख्य मंत्री थे, तब एप्लाई किया था और जिन्होंने अपने को रजिस्टर्ड कराने के लिए फार्म भरे थे, जो पैसे जमा करवा रहे हैं और जिन्हें दिल्ली सरकार ने री–लोकेट करना था, दिल्ली में चाहे सरकार कांग्रेस की हो या किसी अन्य दल की हो, यहां पार्टी का सवाल नहीं है...*(व्यवधान)* आप हमेशा पालिटिक्स करते हैं।...*(व्यवधान)* मेरा सिर्फ यह कहना है कि उच्चतम न्यायालय की जो इंस्ट्रक्शन्स थी, वह दिल्ली सरकार के लिए थी।...*(व्यवधान)*

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ) : आप सबको वहां भेज दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : जब आप बोलते हो तब मैं बीच में नहीं बोलता। मेरा कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : श्री विजय गोयल, आप श्री जगमोहन से बात करके मुद्दे को सुलझा सकते हैं। आप सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल की बात के अलावा कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय गोयल, कृपया आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित कीजिए। यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मेरा आर्गूमेंट तो सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि शून्यकाल में आपकी रुचि नहीं है, तो मैं सभा की कार्यवाही स्थगित भी कर सकता हूं। यह क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को एक निर्देश दिया कि इनको री–लोकेट किया जाए लेकिन सरकार उनको री–लोकेट नहीं कर पाई। इसलिए उन्होंने कहा कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनको बाधित मत कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : तब केन्द्र सरकार पिक्चर में आई थी। नहीं तो केन्द्र सरकार पिक्चर में नहीं थी। यह मामला पार्टी पोलिटिक्स का नहीं है। इसके अंदर हम सबको मिलकर चलना चाहिए कि किस तरीके से उन इंडस्ट्रीज को जिन्होंने कम से कम फार्म भर रखे थे, पैसा दे रखा था, उन इंडस्ट्रीज को री–लोकेट किया जाए। इसके साथ–साथ उच्चतम न्यायालय से अपील की जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही समस्या को कितनी बार रेज़ करेंगे?

(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : ये इंडस्ट्रीज जो बिना बात के हटाई जा रही हैं।...*(व्यवधान)* क्योंकि इनको रीलोकेशन के लिए दिल्ली सरकार ने जगह दी थी...*(व्यवधान)* उन मजदूरों के बारे में जो मर रहे हैं...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय कम से कम वह आदेश वापिस ले...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मारुति उद्योग के बारे में एक मीटिंग बुला लें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, बागडोगरा हवाई अड्डा को 16 दिसम्बर से अचानक बंद कर दिया गया। विमान चालकों के अनुसार इसका कारण विमान चालन सुविधाओं का वहां उपलब्ध न होना है। लेकिन डी.जी.सी.ए. का कहना है कि वहां विमान चालन सुविधाएं उपलब्ध हैं। 30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बागडोगरा विमानपत्तन के उद्घाटन के पूरे 4 महीने के बाद इंडियन एयरलाइन्स और जेट एयरवेज द्वारा अनिश्चित काल तक अपनी उड़ानें निलंबित रखने से देश के लोगों को गहरा आघात लगा है, खासकर पर्यटनानुकूल मौसम में। तीस्था चाय पर्यटन उत्सव, 24 दिसम्बर से शुरू होना है। विदेशी पर्यटक यहां आए हैं। कोई भी उड़ानों के स्थगन के बारे में नहीं जानता है। हवाई अड्डे का रख–रखाव वायुसेना द्वारा किया जाता है और वायुसेना के लोग विमानपत्तन बंद करने का कारण बताने से इन्कार करते हैं। इससे उत्तरी बंगाल और सिक्किम की अर्थव्यवस्था पर बहुत गंभीर असर पड़ रहा है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करके मुद्दे को हल करे।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : पूर्वी क्षेत्र में बागडोगरा हवाई अड्डा एक बहुत महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसे खोलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : पूर्वोत्तर राज्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। संबंधित मंत्री कहां हैं? हम माननीय मंत्री की बात सुनना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, मैं भी इस मामले में श्री रूपचंद पाल से सहमति व्यक्त करता हूं। वे उत्तरी बंगाल और सिक्किम की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बर्बाद कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सबको बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष जी, असम और पूर्वांचल के प्रान्त हैं, उसमें वैसे भी रोड और रास्तों की सेवा में अपनी कुछ समस्याएं हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से इन लोगों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध करना अतिशय महत्त्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान : जो हवाई सेवा है, वह आपने बंद कर दी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमेशा यही समस्या रहती है। यह क्या है? आप मंत्री को भी उत्तर देने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : केवल आज की बात नहीं है। मैं इस क्षेत्र का अध्ययन करता रहा हूं और पिछले कुछ वर्षों से जितनी हवाई सेवाएं पहले थीं, उससे कम होती जा रही हैं और कम समय में जा रही हैं। एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं, हवाई सेवाएं बंद हो रही हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, मैं उससे सहमत हूं और मैं विशेष रूप से, साधारणतः यहां जो कुछ होता है, वह तो मैं संबंधित मंत्री से कहता हूं लेकिन मैं विशेष रूप से इस विषय को नागरिक उड्डयन मंत्री के पास पहुंचा दूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

बागडोगरा एक अत्यंत विशिष्ट प्रवेश स्थल है। यह एक प्रवेशद्वार के समान है।...*(व्यवधान)*

सोमनाथ चटर्जी : यह मानक उत्तर नहीं होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। प्रत्येक बार मैं आपकी बात को गंभीरता से लेता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतिहारी) : अध्यक्ष महोदय, मेरी राजनीति की बात नहीं है, मेरी बात यह है कि अभी भारत सरकार ने पंजाब के किसानों के लिए काफी सहूलियतें दी हैं, आंध्र के किसानों के लिए भी दी हैं लेकिन बिहार की हालत ऐसी है कि वहां पहले जो धान की उपज होती थी, वह नेपाल और बंगलादेश को भी जाती थी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री उत्तमराव ढिकले, सभा की कार्यवाही को बाधित न करें। मैं आपका भी नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : पिछले दो वर्षों से नेपाल और बंगलादेश में धान की अच्छी उपज होने के कारण बिहार के किसानों को ढाई सौ से तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल तक धान बेचना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और मुख्य रूप से खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय खाद्य निगम ने अभी मात्र तीस केन्द्र वहां खोले हैं और वे बिल्कुल अपर्याप्त हैं और तीस केन्द्रों में से कई ठीक प्रकार काम नहीं

कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि हर जिले में कम से कम एक केन्द्र जरूर हो...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : एक केन्द्र से क्या होगा।

श्री राधा मोहन सिंह : यह मेरी बात है, आपको जो कहना होगा, कहिए। किसी जगह एफ.सी.आई. के बहुत केन्द्र खोले गए हैं और किसी जगह एक भी नहीं है। फिर पंजाब के समान बिहार के मामले में मानकों को शिथिल कर धान से चावल प्राप्त होने का प्रतिशत 67 के स्थान पर 64 किया जाए ताकि एक क्विंटल धान से 67 किलो के बजाय 64 किलो चावल प्राप्त होने की छूट दी जाए। पंजाब में जो मानक तय किया गया है, भारत सरकार बिहार में भी वही मानक तय करे। साथ ही केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि बिहार सरकार जितना भी चावल खाद्य निगम को देना चाहे, खाद्य निगम उसे स्वीकार करे।...*(व्यवधान)* जैसे पंजाब या आंध्र में भारत सरकार 30 प्रतिशत धान की खरीद कर रही है, 70 प्रतिशत राज्य सरकार कर रही है, मैं भारत सरकार से निवदेन करूंगा कि वह बिहार सरकार को निर्देश दे कि वह भी बिहार में इसी प्रकार की खरीदारी करे। बिहार में जो स्पर्ट जिसके विषय में कहा जा रहा है कि उसके माध्यम से, उसे भी निर्देश दिया जाए कि बिहार की सरकार खरीदारी करे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री राधा मोहन सिंह : आंध्र की सरकार खरीदारी कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राधा मोहन जी, अब समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : बिहार की स्थिति से सारी दुनिया अवगत है।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी समाधान दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : वहां सरकार ठीक से तनख्वाह भी नहीं दे पाती।...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय जवाब देते हैं लेकिन बिहार में कुछ नहीं हो पाता।...*(व्यवधान)*

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : अध्यक्ष जी, बिहार के किसानों के संबंध में यहां बहुत चर्चा हुई है। आदरणीय कृषि मंत्री जी और अन्य लोगों के साथ दो–तीन दिन तक हम बैठे हैं। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार से हमको मुख्य मंत्री महोदय का पत्र 27 नवम्बर को मिला था जिन्होंने कहा कि यहां भी फसल को कुछ नुकसान हुआ है इसलिए जिस तरह पंजाब को रिलैक्सेशन दी गई है उस तरह बिहार में भी मिलनी चाहिए। 27 नवम्बर को हमें पत्र मिला था, 30 नवम्बर को हमने अपनी टीम भेज दी, 3 दिसम्बर को वह टीम वापिस आई और उसके आधार पर हमने धान में 6 प्रतिशत रिलैक्सेशन देने का निर्णय कर दिया।

दूसरी बात, हम प्रत्येक प्रदेश के लिए लेवी प्राइस तय करते हैं। उसके आधार पर राज्य सरकार आदेश देती है और उसके आधार पर हम चावल लेते हैं। हमने बिहार के लिए 861 रुपये कॉमन के लिए, 908 रुपये ग्रेड 'ए' के लिए तय किए हुए हैं। इस आधार पर हमको चावल दिलाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। इस आधार पर जितना चावल हमको मिलेगा, हम लेने को तैयार हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मेरी पूरी बात सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* जो रेट तय किया जाता है, वह एन.एस.टी. को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। यह जो रेट तय किया जाता है, यह एन.एस.डी. को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। राज्य सरकार इसका आदेश जारी करती है और आदेश के मुताबिक मिल ओनर लेकर हमको देते हैं।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...*(व्यवधान)* यह जो 861 और 908 रुपये का रेट है, इस रेट में एन.एस.डी. को लगाकर रेट तय किया गया है। इस रेट पर बिहार की सरकार जितना चावल कहे, हम लेवी के रूप में लेने को तैयार हैं। केन्द्र खोलने की बात कही गई है।...*(व्यवधान)* आप भी तो बात सुना करिए। रघुवंश प्रसाद जी, मेरी बात सुनिए तो सही। 30 केन्द्र खोले जा चुके हैं। माननीय सदस्यों ने कहा कि जिस जिले में कोई केन्द्र नहीं है, वहां भी केन्द्र खोले जाएं। ...*(व्यवधान)* इस सरकार ने निर्णय ले लिया कि हर जिले में कम से कम एक केन्द्र अवश्य होगा और उस केन्द्र में जितना चावल आप देंगे, एफ.सी.आई. उसको लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कब तक होगा?... *(व्यवधान)*

श्री शान्ता कुमार : केन्द्र खोले गए हैं, वे अभी लेने को तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : प्रतिशत का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, प्लीज। आप क्या कर रहे हैं। आपको हमने नहीं बुलाया। आपके लिए कोई नियम नहीं है क्या?

श्री शान्ता कुमार : जैसा हमें बताया, छः प्रतिशत रिलैक्सेशन वहां के किसानों की मदद करने के लिए लैबोरेट्री में सैम्पल टैस्ट करने के बाद हमने दे दी।...*(व्यवधान)* उनकी एक और मांग थी कि क्योंकि यह रिलैक्सेशन दी है तो आउट टर्न रेश्यो में भी रिलैक्सेशन चाहिए।...*(व्यवधान)* आउट टर्न रेश्यो में छः प्रतिशत के कारण रिलेक्सेशन 65 प्रतिशत तक आती थी, लेकिन बिहार की विशेष परिस्थितियों को देखकर, क्योंकि वहां बड़ी मिलें नहीं हैं, यह देखकर बनता तो 65 प्रतिशत था...*(व्यवधान)* लेकिन हमने रिलेक्सेशन 64 प्रतिशत करने का निर्णय भी कर दिया है। एक और बात कि वहां पर बिहार की सरकार ने हमें...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। रघुवंश प्रसाद जी, सुना तो करिए। यह बात गलत है कि आप कहते तो रहते हैं, लेकिन सुनते नहीं हैं।...*(व्यवधान)* बिहार की सरकार ने हमें कहा कि हमारी 550 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज हैं, वे सोसायटीज प्रिक्यूर करके हमें देना चाहती हैं। ...*(व्यवधान)* हमने कह दिया कि ये 550 सोसायटीज जितना चावल देना चाहें, हम उसे आज से लेने को तैयार हैं।...*(व्यवधान)* फिर उन्होंने कहा कि केवल चावल नहीं, वे धान भी लेना चाहती हैं। हमने निर्णय ले लिया कि यदि 550 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाय।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शान्ता कुमार : हमें चावल के साथ धान भी देना चाहती हैं तो 70–30 के रेश्यो पर हम धान भी लेने को तैयार हैं। एक और बात इसमें कही गई है...*(व्यवधान)* बिहार सरकार ने एक और मांग की। उन्होंने कहा कि 550 प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज को हम जो इंसीडेंटल चार्जेज देंगे, जो बाकी जगह देते हैं, वह बिहार में ठीक नहीं बैठता...*(व्यवधान)* क्योंकि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटीज का यह सारा धान लेकर चावल बनवाकर एफ.सी.आई. तक पहुंचाने में ज्यादा खर्च आएगा। इस बात को 15 दिन हो गए, लेकिन बिहार सरकार के अधिकारी आए, मैंने कहा कि आप स्कीम लाइए।...*(व्यवधान)* अगर इंसीडेंटल चार्जेज बढ़ाने की बात होगी तो हम उसके आधार पर इंसीडेंटल चार्जेज बढ़ाने को तैयार हैं।...*(व्यवधान)* इसे 15 दिन हो गए, लेकिन हमारे पास स्कीम नहीं आई है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, माननीय रघुवंश जी ने कहा कि उनके समय में 103 केन्द्र खोले गए थे।...*(व्यवधान)* केन्द्र खोले थे, लेकिन 103 जो केन्द्र खोले गए, उनमें केवल 25 हजार टन धन लिया गया, जिसका चावल आज तक नहीं बना।

अपराह्न 1.00 बजे

अब हम नीलाम कर दें, क्योंकि धान से चावल बनाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की थी। हम नीलाम कर रहे हैं। हमें डेढ़ करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। बिहार सरकार को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए हमने 12 लाख टन अनाज का आबंटन किया है। बिहर सरकार ने नौ लाख टन अनाज आज तक नहीं उठाया है। हम बिहार सरकार को 168 करोड़ रुपये का फूडग्रेन बिल्कुल मुफ्त मिड–डे मील के अंतर्गत देना चाहते हैं। बिहार सरकार ने 1,87,000 टन में से केवल 30,000 टन उठाया है। पिछले साल भी 2,80,000 टन में से केवल 12,000 टन उठाया था।

अंतिम बात और कहना चाहता हूं। हम बिहार की मदद करना चाहते हैं। दिसम्बर, 2000 तक दस महीनों के अंदर 3,98,000 टन चीनी बिहार सरकार को आबंटित की गई। उसमें

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से 1,49,000 टन चीनी बिहार ने नहीं उठाई है। बिहार जितना चावल देना चाहे हमारे केन्द्रों को, हम लेने को तैयार हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब श्री उत्तम राव ढिकले बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको पहले प्रोसीजर मालूम होना चाहिए कि हाउस में कैसे बिहेव करना चाहिए।

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक) : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल प्याज के लिए कुल साढ़े चार लाख मीट्रिक टन के निर्यात की अनुमति दी गई थी। जितना निर्यात होना चाहिए, उतना नहीं हुआ। आज भी कामर्स मिनिस्ट्री में नैफेड की एप्लीकेशन पड़ी है, जिसमें कहा गया है कि उसे 25,000 मीट्रिक टन की अनुमति मिलनी चाहिए। उसकी मुद्दत 15 दिसम्बर, 2000 तक थी, जो कि समाप्त हो गई है, लेकिन एप्लीकेशन अभी भी वहीं पड़ी है। नासिक में तीन दिन से मार्केट में प्याज पड़ा है, कोई खरीदने वाला नहीं है। इसलिए किसानों को दाम नहीं मिलता। मेरा निवेदन है कि जो नैफेड की एप्लीकेशन कामर्स मिनिस्ट्री के यहां पड़ी है, उसको तुरंत प्रमीशन दी जाए और सन् 2001 के लिए जो निर्यात कोटा है, वह तय किया जाए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल के दाम गिर गए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको चेयर से प्रमीशन नहीं मिली है, फिर आप कैसे बोल रहे हैं। मैंने आपको नहीं बुलाया है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* आज 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक समाचार छपा है कि "मृत्युशय्या पर पड़े भारतीयों को कोई सहायता नहीं" हाल ही में सऊदी अरब में बड़ी संख्या में केरलवासियों के सर नशीली दवाओं के अवैध व्यापार के अभियोग में कलम किए जा रहे हैं और अधिकांश मामलों में भारतीय दूतावासों को मृत्युदंड के बारे में जानकारी बाद में मिली।

महोदय, मृत्युदंड प्राप्त भारतीयों जिनकी संख्या 25 है, को भारत सरकार से कोई कानूनी सहायता नहीं मिलती क्योंकि रियाद और जेद्दा स्थित दूतावासों को मृत्युदंड के बारे में अंधेरे में रखा जाता है।

विदेश मंत्री श्री जसवंत सिंह की सऊदी अरब की आगामी यात्रा के दृष्टिगत इस मुद्दे का महत्व बढ़ गया है। सात केरलवासियों को पिछले वर्ष मृत्युदंड दिया गया और कई भारतीय नागरिक मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहे हैं। वे नशीली दवाओं और अन्य माफियाओं के शिकार होते हैं, जो युवकों का शोषण करते हैं और उनका जीवन बर्बाद कर देते हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि विदेश स्थित हमारे मिशनों को कम से कम ऐसे लोगों को कानूनी सहायता मुहैया करानी चाहिए और केरल तथा देश के अन्य भागों में इनके रिश्तेदारों को समुचित सूचना दी जाए। दुर्भाग्य से हमारे मिशन इसमें असफल रहे हैं और उन लोगों को कोई कानूनी सहायता नहीं मिल रही है। अधिकारी या हमारे दूतावास के लोग वहां की जेलों में बंद भारतीयों से शायद ही कभी मिलते हैं।

यह बहुत गंभीर मुद्दा है। 25 अन्य केरलवासी जिनमें से कई महिलाएं हैं, अब भी सऊदी जेलों में हैं और उनके रिश्तेदारों को इस बारे में जानकारी नहीं है। अतः मैं सरकार से जरूरी कदम उठाने और उनकी शिकायतों का तुरंत निपटान करने का आग्रह करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार नाम पुकार रहा हूं। श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मूर्ति के निवेदन के अलावा कार्यवाही–वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : महोदय, यह मामला सदस्यों और सभा के महत्व से संबंधित है। कल मैं कुछ अन्य माननीय सदस्यों के साथ भोजनावकाश में शास्त्री भवन गया। मुझे धक्का पहुंचा क्योंकि मुझे लगभग ढाई घंटे तक वहां रोककर रखा गया। सभी दरवाजे बंद थे और किसी भी व्यक्ति को अपराह्न 3.45 बजे तक बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। दरवाजे बंद

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

होने की वजह से मुझे सभा का अधिकांश महत्वपूर्ण समय गंवाना पड़ा। यह बहुत ही गंभीर मामला है।

मुझे मालूम हुआ कि कर्मचारी बाहर आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने बाहर एक मानव–शृंखला बना ली थी। मुझे नहीं मालूम कि कर्मचारी क्यों आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। कर्मचारियों ने कल आतंक मचा रखा था। यदि सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई विवाद है तो इसका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए, क्योंकि तभी वहां शांति कायम होगी। ऐसा कुछ अन्य कार्यालयों में भी हुआ है। लेकिन यहां कोई भी नहीं जानता कि क्या हुआ है।

सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए। कर्मचारियों को मानव–शृंखला बनाने की अनुमति देकर और इस कारण किसी भी व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति नहीं देना सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार इस तरह क्यों बैठी हुई है? इसमें गलती कहां है। हमें इस तरह क्यों रोककर रखा गया? माननीय संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि वहां यह प्रदर्शन क्यों हो रहा था?

मैं चाहता हूं कि वे कुछ कहें। मुझे वस्तुतः ढाई घंटे तक रोककर रखा गया। माननीय मंत्री जी को इस मामले पर कुछ बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 1.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2 बजकर 7 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 19क अनुपूरक कार्य सूची। श्री यशवंत सिन्हा।

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राजवित्तीय प्रबंध में पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त करके और दीर्घ–कालिक बृहत् आर्थिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने, राज्य वित्तीय घाटे को दूर करने और मुद्रा नीति के प्रभावी संचालन में राजवित्तीय बाधाओं को हटाने को सुनिश्चित करने और केन्द्रीय सरकार के उधारों, ऋण और घाटे पर सीमा के माध्यम से राजवित्तीय वहनीयता से संगत प्रज्ञावान ऋण प्रबंध से केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा किसी मध्यम कालिक रूपरेखा में राजवित्तीय नीति के संचालन के लिए केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजवित्तीय प्रबंध में पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त करके और दीर्घ–कालिक बृहत् आर्थिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने, राज्य वित्तीय घाटे को दूर करने और मुद्रा नीति के प्रभावी संचालन में राजवित्तीय बाधाओं को हटाने को सुनिश्चित करने और केन्द्रीय सरकार के उधारों, ऋण और घाटे पर सीमा के माध्यम से राजवित्तीय वहनीयता से संगत प्रज्ञावान ऋण प्रबंध से केन्द्रीय सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में और अधिक पारदर्शिता लाने तथा किसी मध्यम कालिक रूपरेखा में राजवित्तीय नीति के संचालन के लिए केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक* पुरःस्थापित करता हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं समझता हूं कि इसे स्थायी समिति को सौंपा जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, यदि विधेयक स्थायी समिति को सौंपा जाता है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि चूंकि विधेयक का मूल–पाठ बहुत ही अच्छा है इसलिए इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 20.12.2000 में प्रकाशित।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे कमरे में इन मामलों के बारे में बात कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं। आप यहां जो कुछ भी कहते हैं वह हम लोगों के लिए कानून है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं समझता हूं कि नियम, 377 के अधीन मामलों को सभा के पटल पर रखा गया समझा जाए क्योंकि आज हमारे पास बहुत कार्य है।

नियम 377 के अधीन मामले*

(एक) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गुजरात के अहमदनगर में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए प्रतिवर्ष दस हजार मकान आबंटित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : जिला–धिकारी अहमदनगर, मुख्य कार्यवाही अधिकारी जिला परिषद तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा हमने पूरे अहमदनगर जिले के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का सर्वे किया। प्रस्तुत सर्वे के अनुसार पूरे जिले में 1,50,885 (एक लाख पचास हजार आठ सौ पच्चासी) परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं उनमें से 80,000 परिवारों को उनके खुद के मकान हैं और 20,000 परिवार के टूटे–फूटे मकान हैं, जिन्हें रुपये 10–15 हजार की मदद की तो उनके मकान पक्के मकान में परिवर्तित हो जाएंगे। बिना मकान वाले बाकी 50,885 परिवार रहते हैं।

हमारे जिले का वार्षिक लक्ष्य हर साल 2200 इन्दिरा आवास देने का है। और इसी प्रकार अगर मकान देते रहे तो सबको मकान मिलने के लिए 22–23 साल लग जाएंगे। हमारी एक मंशा है कि आने वाले 5 साल में कोई भी गरीबी रेखा के नीचे वाला परिवार मकान से वंचित ना रहे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हर साल अहमदनगर में 10,000 मकान देने का लक्ष्य रखा जाए, ताकि आने वाले 5 साल में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को उनका खुद का मकान मिले और हमारा अहमदनगर जिला एक आदर्श रूप में देश के सामने रखा जाए।

*सभा पटल पर रखे गए।

(दो) गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए जिन लोगों की जमीन अधिग्रहीत की गई है उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यहां पर कई बड़े उद्योग लगे हैं और इन उद्योग के लगने से कई आदिवासी और किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई जिसके कारण यहां के आदिवासी और किसान जमीन अधिग्रहीत किए जाने के बाद पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए उनमें से कई लोगों को अभी तक विस्थापित परिवार की हैसियत से संबंधित उद्योगों में रोजगार नहीं मिला है और मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच में कई उद्योग इसी कारण से लाए गए कि इन पिछड़े इलाकों का विकास हो सके, इन पिछड़े इलाकों का विकास तभी ईमानदारी से हो सकेगा जब यहां के स्थानीय गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे पिछड़े इलाकों में विस्थापित परिवार के लोगों को प्राप्त रोजगार की जांच की जाए और यहां के उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए।

(तीन) राजस्थान के चुरू जिले में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए यमुना जल समझौते के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री रामसिंह कस्वां (चुरू) : मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू (राज.) की जनता यमुना जल समझौते को लागू करने की मांग काफी समय से करती आ रही है। चुरू जिला रेतीले भूभाग वाला क्षेत्र है, यहां के लोग सिंचाई एवं पेयजल हेतु वर्षा व कुओं पर निर्भर रहते हैं। विगत कई वर्षों से यह जिला निरन्तर अनावृष्टि व अकाल की विभीषिका से जूझ रहा है। कुओं का जल स्तर काफी नीचे चला गया है जिससे सिंचाई तथा पेयजल का अभाव हो गया है।

उपरोक्त विषम परिस्थितियों के कारण इस जिले में सिंचाई एवं पेयजल हेतु यमुना जल समझौते को क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक है। उक्त समझौते से राजस्थान के हिस्से में 2350 क्यूसिक पानी आपूर्ति का करार हुआ है जिसमें चुरू जिला का हिस्सा 850 क्यूसेक है। यह पानी हरियाणा के हांसी से शूंपा होते हुए राजगढ़ तहसील, राजस्थान में आएगा।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि चुरू जिले की विशेष परिस्थिति को देखते हुए यमुना जल समझौते को लागू करवा कर इस संबंध में राजस्थान सरकार को आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

(चार) उत्तर बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए मसान बांध परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : मैं सरकार का ध्यान उत्तरी बिहार के मसान डैम परियोजना की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस डैम को 1873 से बनाने का विचार किया जा रहा है और 1982 में इस योजना को स्वीकृति मिली, इसको पांच वर्ष में पूरा किया जाना था। इस योजना के तहत 350 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र में मसान नदी के ऊपर 85 फुट ऊंचे और 5220 वर्ग मिलोमीटर लंबे बांध का निर्माण किया जाना था जिससे उत्तर बिहार के वर्षा के पानी से सिंचाई की जा सके। प्रत्येक वर्ष बरसात के समय उत्तर बिहार में बाढ़ आती है और करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो जाती है। प्रलयकारी बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। मसान नदी पर प्रत्येक वर्ष की बाढ़ से पश्चिम और पूर्व चम्पारण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि उत्तर बिहार को स्थाई रूप से बाढ़ से निजात पाने के लिए मसान डैम निर्माण परियोजना को शीघ्रतिशीघ्र पूरा किया जाए और इस डैम के कार्यों की समीक्षा की जाए कि अठारह साल बीत जाने के बाद इसका निर्माण कार्य क्यों नहीं किया जा सका।

(पांच) पश्चिम रेलवे की इंदौर-दाहोद-गोधरा रेल लाइन पर कार्य शीघ्र आरंभ करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : पश्चिम रेलवे के अंतर्गत सन् 1988-89 से मक्सी-इन्दौर-दाहोद-गोधरा रेलवे लाइन स्वीकृत है, किन्तु बजट प्रावधान के अभाव में इस स्वीकृत रेलवे लाइन का इन्दौर से दाहोद-गोधरा के बीच का काम प्रारम्भ नहीं हो सका है। जनहित, देशहित व रेलवे के हित में उक्त रेल लाईन का काम शीघ्र प्रारम्भ किया जाकर इस कार्य को पूर्ण करना आवश्यक है।

अतः मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय से मांग करता हूं कि इंदौर-दाहोद-गोधरा रेलवे लाईन डालने हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान किया जाकर कार्य प्रारंभ करवाया जाए।

[अनुवाद]

(छः) निजामुद्दीन और तिरुअनंतपुरम के बीच चलने वाली तिरुअनंतपुरम राजधानी एक्सप्रैस को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : इस समय निजामुद्दीन और तिरुवनंतपुरम के बीच सप्ताह में दो बार चलाई जा रही तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रैस की सेवा को शीघ्र बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कोंकण क्षेत्र से होकर सबसे छोटे रूट पर चलकर गोवा और न्यू बॉम्बे (पनवेल) सहित विभिन्न स्थानों से गुजरने वाली यह गाड़ी इस क्षेत्र में रहने वाले या पिकनिक के लिए आने वाले अनेक लोगों के लिए वरदान है। उपर्युक्त रेलगाड़ी का रास्ता विभिन्न व्यावसायिक केन्द्रों से होकर गुजरता है। इस प्रकार यह गाड़ी जनसाधारण, आगंतुकों और व्यापारी वर्ग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस कारण से इस गाड़ी में हमेशा भीड़-भाड़ रहती है। कुछ लोगों को इस गाड़ी में जगह मिल जाती है लेकिन अधिकांश लोग छूट जाते हैं। अक्सर इन लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है या अपना कार्यक्रम बदलना पड़ता है जिसके कारण समय और धन की हानि होती है। कई बार ये लोग शरारती तत्वों और टिकटों की कालाबाजारी करने वाले लोगों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस गाड़ी की सेवा बढ़ा दी जाए।

(सात) नागालैंड में कोहिमा में एक आधुनिक विज्ञान केंद्र और तारामंडल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. ए. सांगतम (नागालैंड) : पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में साक्षरता के संबंध में नागालैंड संभवतः दूसरे स्थान पर है और यहां का शिक्षा स्तर भी ऊंचा है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में यहां के स्कूलों और कॉलेजों का प्रदर्शन भी काफी अच्छा है।

तथापि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष तौर पर सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए विभिन्न अन्वेषणों और सौर-मंडल का अध्ययन और खोज अभी शेष हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि अंतरिक्ष और सौरमंडल के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाए और युवाओं, विशेष तौर पर स्कूली विद्यार्थियों को तेजी से बदलते हुए विश्व की अच्छी जानकारी देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन ऐसा किए जाने के लिए नागालैंड राज्य में एक आधुनिक विज्ञान केंद्र और तारामंडल स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोहिमा में इस प्रकार की परियोजना स्थापित की जाए ताकि इस राज्य के युवा वर्ग को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और वे अंतरिक्ष और सौर-मंडल के विषय से परिचित हो सकें।

(आठ) केरल में तेनी-त्रिवेन्द्रम राजमार्ग बरास्ता कोट्टायम, कोट्टाराकारा को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : देश के दूसरे राज्यों की तुलना में केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग कम क्षेत्रों में है। हाल में

भारत सरकार ने विभिन्न राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदले जाने की घोषणा की थी। लेकिन केरल के मामले में इस संबंध में समुचित ध्यान नहीं दिया गया है।

कोट्टायम से गुजरने वाले हाल ही में घोषित किए गए तेनी से क्लिोन तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को कोट्टाराकारा से त्रिवेन्द्रम तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित तेनी–क्लिोन राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग सं. 1 के अंतर्गत आता है। इस राजमार्ग को एम.सी. रोड के नाम से जाना जाता है। कोट्टायम से कोट्टाराकारा तक का एम.सी. रोड मदुरै से क्लिोन तक के राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 208 में शामिल है।

इसलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि हाल ही में घोषित किए गए तेनी से क्लिोन तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को बदलकर तेनी से त्रिवेन्द्रम बरास्ता कोट्टायम, कोट्टाराकारा कर दिया जाए।

(नौ) केरल में त्रिवेन्द्रम उच्च न्यायालय की न्यायपीठ यथाशीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी. एस. शिवकुमार (तिरुअनन्तपुरम) : केरल सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद 1996 में त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित किए जाने का निर्णय लिया था। एक लम्बे समय से दक्षिण केरल के लोगों की इच्छा और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केरल राज्य के पुनर्गठन से पहले त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायलय था, केरल मंत्रिमंडल ने त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित किए जाने का निर्णय लिया और सांविधिक अपेक्षा के रूप में इस संबंध में एक प्रस्ताव भारत सरकार को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजा गया और एक स्वत:पूर्ण प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया। पूर्ववर्ती विधि मंत्री ने इस विषय में केरल उच्च न्यायालय के विचार जानने के लिए केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि त्रिवेन्द्रम, केरल में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित किए जाने के काम में तेजी लाई जाए।

(दस) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड की दुर्गापुर इकाई का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ने पश्चिम बंगाल राज्य में एल.एन.जी. की उपलब्धता के बारे में एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार ने वावसी ऑयल एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया और अल मनहल इंटरनेशनल कंपनी, यू.ए.ई. के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि उनकी प्रस्तावित गैस लाइन का मार्ग बदलकर गोपालपुर से इलाहाबाद बरास्ता दुर्गापुर कर दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गापुर संयंत्र अत्यधिक उत्पादन लागत के कारण जून, 97 से बंद पड़ा है, क्योंकि इस संयंत्र में फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले नाफ्था का मूल्य बहुत अधिक है। इकाई के प्रबंधन, अधिकारियों, एसोसिएशन और सीटू द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए और 3 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में प्रस्तुत किए गए 399 करोड़ रुपए के पुनर्जीवित किए जाने संबंधी प्रस्ताव में दोहरे फीड विकल्प पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। यह प्रस्ताव अभी सरकार के विचारधीन है और जनवरी, 2004 तक एच.सी. एफ.एल., दुर्गापुर इकाई को एल.एन.जी. सुगमतापूर्वक उपलब्ध होने लगेगी। यह समय कम से कम 7.26 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष यूरिया उत्पादन करने वाले कॉम्प्लेक्स की 'ब्राउन फिल्ड परियोजना' स्थापित किए जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।

मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि एच.एफ.सी.एल. की दुर्गापुर इकाई का तत्काल पुनर्गठन किया जाए ताकि पश्चिम बंगाल राज्य में यूरिया की 10 लाख टन से अधिक मांग को कुछ हद तक पूरा किया जा सके और इस इकाई के कर्मचारी भी लाभान्वित हो सकें।

(ग्यारह) विशाखापत्तनम हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : आंध्र प्रदेश सरकार विशाखापत्तनम में एक अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने के प्रति उत्सुक है। यह राज्य में पर्यटन के विकास और हार्डवेयर सहित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है क्योंकि हार्डवेयर उद्योग की अन्तरराष्ट्रीय सम्पर्क वाले आधुनिक संभार–तंत्र की आवश्यकता होती है।

अत: मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि विशाखापत्तनम हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाए।

(बारह) बिहार के महाराजगंज संसदीय-निर्वाचन क्षेत्र में बनियापुर में एक पावर ग्रिड स्टेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : महोदय, मैं अपने संसदीय

क्षेत्र के मध्य भाग बनियापुर में एक पावर ग्रिड स्टेशन की स्थापना की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। झारखण्ड राज्य के अस्तित्व में आ जाने के पश्चात शेष बिहार मुख्यतः कृषि पर निर्भर रह गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के जिले छपरा एवं सीवान शुरू से ही कृषि पर निर्भर हैं, क्योंकि इन जिलों में औद्योगिक विकास लगभग शून्य है तथा किसानों के लिए सिंचाई आदि प्रयोजनों हेतु विद्युत आपूर्ति ही एकमात्र आशा का स्रोत है। इस संबंध में वर्ष 98 में संसद में प्रथम बार प्रवेश करने के साथ ही मैंने अपने क्षेत्र में दयनीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति के संबंध में बताते हुए बनियापुर में एक पावर ग्रिड स्टेशन की स्थापना हेतु अनुरोध पत्र भेजा था। जून, 1998 में भी नियम 377 के तहत मैंने संसद में इस मामले को उठाया था तथा मंत्री जी ने स्वयं मेरी मौजूदगी में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से वार्ता की एवं विद्युत आपूर्ति की दयनीय स्थिति को देखते हुए बनियापुर में एक ग्रिड स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति के साथ-साथ इस ग्रिड स्टेशन के शिलान्यास की तारीख भी निर्धारित कर दी थी किंतु शिलान्यास की तारीख के दो दिन पूर्व ही लोक सभा भंग होने के कारण इस ग्रिड स्टेशन का शिलान्यास नहीं हो सका।

अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बनियापुर में पावर ग्रिड स्टेशन की स्थापना हेतु पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को निर्देशित किया जाए।

[अनुवाद]

(तेरह) तमिलनाडु के विभिन्न भागों में विदेशी सहायता प्राप्त वृक्षारोपण योजना का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री टी. टी. वी. दिनाकरन (पेरियाकुलम) : तमिलनाडु की विभिन्न पाकेटों में जापान की सहायता से 800 करोड़ रुपये के परिव्यय से वृक्षारोपण के कार्यान्वयन की योजना बनाई गई थी। योजना में वन क्षेत्र से लगे गांवों के बाहर और पहाड़ी रास्तों पर पौधे लगाए जाने थे ताकि वनक्षेत्र का विस्तार किया जा सके। उक्त योजना थेनी, जिले के कमबम, पुदुपाटी और उथुक्कडु क्षेत्रों में चलाई जा रही थी। बेहतर पहचान और समन्वय हेतु क्षेत्र को 3 जोनों में बांटा गया। वन विभाग का दावा है कि योजनानुसार 355 हैक्टेयर क्षेत्र में अब तक एक लाख 30 हजार पौधे लगाए गए हैं। परन्तु, गैर सरकारी संगठनों और जनता के अनुसार हजारों पौधे निजी भूमि या अन्य स्थानों पर लगाए गए हैं।

मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मामले की जांच करे और उन सभी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए जो उक्त योजना के सही प्रकार से कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

(चौदह) कटक में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के जन्म-स्थल जानकीनाथ भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के कटक स्थित जन्म-स्थल को सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाना चाहिए। सौ वर्ष पुराने इस भवन का प्रबंध नेताजी सुभाष सेवा सदन नाम का एक लोक न्याय कर रहा है जो उसी परिसर में ही शिशु परिचर्या और प्रसूति गृह भी चल रहा है। रोजाना नेताजी के जन्म-स्थल पर अनेक लोग उन्हें देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए उनके अद्वितीय बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं।

समाजवाद के युग में, देश के नेताओं के जीवन और उनकी शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार करने का दायित्व शासन ने अपने ऊपर लिया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कटक स्थित नेताजी के जन्म-स्थल जानकी भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं और वहां पर आनंद भवन, इलाहबाद और तीन मूर्ति भवन, नई दिल्ली की तरह ही एक राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार बनाया जाए।

(पन्द्रह) तमिलनाडु में पुडुक्कोट्टई में औद्योगिक परिसर में कृषि तथा कॉयर आधारित लघु उद्योगों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री तिरुनावकरसू (पुडुक्कोट्टई) : पुडुक्कोट्टई तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह एक प्रमुख कृषि और वाणिज्यिक केंद्र है। यहां नारियल के हजारों पेड़ उगाए जाते हैं। पुडुक्कोट्टई में आवश्यक बुनियादी ढांचे सहित एक बड़ा औद्योगिक परिसर है। बिजली और पानी भी उपलब्ध हैं।

पुडुक्कोटई पिछड़ा जिला है और जनता मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। रोजगार की तलाश में यहां से लोग अन्य क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पुडुक्कोट्टई के औद्योगिक परिसर में लघु उद्योग, कृषि और कॉयर उद्योग स्थापित करे। इससे न केवल क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा बल्कि उपलब्ध सुविधाओं का भी भरपूर उपयोग हो सकेगा।

अपराह्न 2.06 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : अध्यक्ष महोदय, कल श्री बसुदेव आचार्य ने विनिवेश पर चर्चा आरम्भ की और बाद में इस पर डा. विजय कुमार मल्होत्रा और श्री कमलनाथ जैसे विद्वान वक्ता बोले थे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है। जब हम राष्ट्रीय संपत्ति को बेचते हैं तो लोगों के मन में आशंका उत्पन्न होती है कि इस धन का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। हमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन करना है कि विनिवेश के माध्यम से जो धन आ रहा है उसका बेहतर उद्देश्य उत्पादकता के लिए बेहतर उपयोग होगा, जब तक हम इस बात को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं तब तक इस बात की पूरी संभावना है कि समस्त राष्ट्र इस सरकार को गलत समझेगा।

वास्तविकता में उदारीकरण के पश्चात् ऐसा करना आवश्यक था। हमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम इनको आवश्यक प्रौद्योगिकी, आवश्यक निवेश और प्रबंधन कौशल नहीं दे पाए। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लंबे समय से इन चीजों की उपेक्षा हुई है। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के समय भी पद की आवश्यकता के अनुरूप पात्र व्यक्तियों का चयन नहीं किया गया। कई उपक्रमों में प्रमुख पदों (प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष) पर नियुक्तियां नहीं की गई थीं। वर्तमान स्थिति की मुझे जानकारी नहीं है। बस, सारा कामकाज सरकारी ढर्रे से चलाया गया। परंतु यदि यह एक वाणिज्यिक गतिविधि है और जब किसी चीज का उत्पादन हो रहा है तो इसका उत्पादन व्यावहारिक होना चाहिए और इसका उचित विपणन होना चाहिए।

अपराह्न 12.11 बजे

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं)

तभी हमारा धन सुरक्षित रह पाएगा। अन्यथा, प्रतिवर्ष ये घाटे में जा रहे हैं। गत वर्षों में सरकार प्रतिवर्ष बजट में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के घाटों को पूरा करने के लिए अनुदान दिया करती थी और उन्होंने इन उपक्रमों को लाभ कमाने वाला बनाने की कभी कोशिश नहीं की। अब स्थिति अलग है।

अब सरकार किसी भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को बजटीय सहायता देने की स्थिति में नहीं है। हमें इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दो क्षेत्रों में वर्गीकृत करना चाहिए--नीतिगत क्षेत्र के उपक्रम और गैर--नीतिगत क्षेत्र के उपक्रम। नीतिगत क्षेत्र के उपक्रमों को सरकार शत-प्रतिशत अपने स्वामित्वाधीन रख सकती है। सरकार का काम है--शासन चलाना, न कि रुग्ण उद्योगों को चलाना। एक स्थिति ऐसी आई थी जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने--मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा; ये तथ्य हैं और हमें तथ्यों को तथ्यों की भांति ही स्वीकारना चाहिए--निजी क्षेत्र तक की रुग्ण इकाइयों का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था, मानो रुग्ण इकाइयों के संचालन के लिए निजी क्षेत्र की अपेक्षा सरकार ज्यादा विशेषज्ञता रखती हो! इस देश की उन्नति कैसे होगी और हम इसे कहां ले जा रहे हैं? जब तक सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाते, तब तक हम जो भी कार्य करें, चाहे वह विनिर्माण का काम हो या व्यापार का, उसमें कुछ लाभ मिलना ही चाहिए; उसमें घाटा नहीं होना चाहिए। यदि घाटा हो रहा हो तो फिर हम उस इकाई को हमेशा के लिए बंद करने के बारे में सोच सकते हैं।...*(व्यवधान)* डा. सेनगुप्ता, आपने भी तो सचिव के बतौर इनमें से कुछेक उपक्रमों का नेतृत्व किया है। मैं समझता हूं कि राजस्व सचिव के रूप में आपने भी कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं। लेकिन, अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इस संदर्भ में हम सबको एक सी विचारधारा रखनी चाहिए। यह देश की समृद्धता का प्रश्न है। जब हम देश की समृद्धता की बात करें तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम इस देश को समृद्ध कैसे बना सकते हैं। केवल तभी विनिवेश की इस प्रक्रिया को भली-भांति समझा जा सकता है। श्री जी. वी. रामकृष्ण की अध्यक्षता वाले विनिवेश आयोग की रिपोर्ट में विनिवेश हेतु कई उपाय करने की अनुशंसा की गई है। इनमें से कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं :--सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विकास के लिए निगमित--क्षेत्र का अधिशासन रखना होगा, पारदर्शिता रखनी होगी और निवेशक से अंतर्संबंधों को मजबूत करना होगा, वाणिज्यिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा आदि--आदि। अलग-अलग मंत्रालयों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली इकाइयों में होने वाले विनिवेश के प्रति आपत्तियां हैं। कुछ मंत्रियों का कहना है कि पहले आप इसे दूसरे मंत्रियों के क्षेत्राधिकार वाले उपक्रमों में कीजिए। तो हर कोई बहुत कर्तव्यपरायण सा बनना चाहता है कि वह विनिवेश के लिए नहीं है--मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूं। विनिवेश कोई अपराध तो नहीं है। हम यह न सोचें कि विनिवेश करके हम कोई अपराध कर रहे हैं। हम इस देश की सहायता कर रहे हैं। धन को व्यर्थ करने की बजाय उसका उपयोग उत्पादक प्रयोजना के लिए किया जा सकता है। क्या आप धन को बेकार कर देना चाहते हैं? तो फिर आप इसे व्यर्थ कर दीजिए, और सारे व्यापार को फिर से शुरू कीजिए। 1976 की बात है चीन ने खुली अर्थव्यवस्था अपनाई थी। हम ऐसा नहीं कर सकते। चीन ने ऐसा किया है क्योंकि वहां एकदलीय शासन था। यहां की बात अलग है। श्री मणिशंकर

[श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

अय्यर जी यहां हैं। जब आप सरकार में थे तो कल के दिन आपने जो किया, आप आज उससे भिन्न बात कर रहे हैं यह एक अलग बात है। लेकिन इन मामलों में कोई एक जैसी सोच तो होनी ही चाहिए।

इससे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। हमारे सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम ऐसे हैं जो लाभ अर्जित कर रहे हैं या लाभार्जन करने की संभावना रखते हैं। हमें भारी–भरकम और न चलने वाली सरकारी क्षेत्रगत इकाइयां रखने की बजाय कृश किन्तु मजबूत सरकारी क्षेत्र रखना चाहिए। आप इसे सुसंगठित बनाइए तो सही और फिर जहां लाभ चाहेंगे वहीं वह मिलेगा। उदाहरणार्थ, इस्पात क्षेत्र को ही लीजिए, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. का विशाखापत्तनम में एक आधुनिक इस्पात कारखाना है। यह आधुनिकतम इस्पात कारखानों में से एक है। आप इसमें विनिवेश करना चाहते हैं लेकिन इससे पहले हम ऐसी कुछ और इकाइयों के बारे में सोच सकते हैं जो घाटे में चल रही हैं। आयोग ने इस कारखाने में सुधार लाने की बात की है। उसने जो कहा है उसी का जिक्र करूंगा। लगभग 1700 करोड़ रुपये लगाकर एक आधुनिक कारखाना बनाना फिर इसकी क्षमता को पुनः 400 मिलियन टन की क्षमता से पुनः वापिस लाना ताकि यह इकाई चलती रह सके। तब कहीं जाकर आप एक साझीदार रखने की बात सोच सकते हैं। एक बार उसमें मजबूती आ जाए तो फिर आपको अच्छा मूल्य मिलने लगेगा।

कल्पना कीजिए कि आप ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा? आप मारुति उद्योग की बात ही ले लीजिए। मैंने कल इस बात का जिक्र करना शुरू किया था लेकिन फिर मैंने इसे बंद कर दिया था। यह भारत की गौरव प्रधान इकाइयों में से थी। लेकिन आज नहीं है। कार क्षेत्र में दूसरी कम्पनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। उस समय भारत सरकार के शेयर का मूल्य मारुति में जो भी रहा हो, माना कि यह 1000 रु. या 2000 रु. था लेकिन आज वह नहीं है। सुजुकी लि. तक ने यह कह दिया कि वह 50 फीसदी शेयर भी नहीं लेना चाहता। एक समय वह था जब वह उसे भारी कीमत पर भी लेने को तैयार था जैसा कि डा. नीतिश सेनगुप्ता ने कहा। लेकिन, उस समय सरकार ने कह दिया था कि : "हम सरकार का शेयर नहीं देना चाहते।" फिर एकाएक सरकार ने अपना इरादा बदला और शेयर देने की पेशकश की।

[अनुवाद]

जब भारत ने उन्हें शेयर देने की पेशकश की तो उन्होंने कहा : "बहुत–बहुत धन्यवाद, हमें ये शेयर नहीं चाहिए। यह सरकार की अकर्मण्यता है, उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिले। अन्यथा, ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। इन विनिवेशों की कोई उचित निगरानी नहीं हो रही है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है। जैसा कि मैंने कल सलाह दी थी या सिफारिश की थी मैंने मांग नहीं की थी कि आपको जो कुछ हुआ है, के संबंध में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए क्योंकि यह लोगों का धन है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे बेचकर खत्म कर दिया जाए। यह बहुत बड़ी चीज है चूंकि विनिवेश से जितना भी धन आप प्राप्त करेंगे, उसको लेकर यहां अनेक लोगों के मन में यह भय अथवा आशंका बनी रहेगी कि सरकार इस धन का उपयोग अपने वित्तीय घाटे को पूरा करने में करना चाहती है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब तक यह साबित न हो जाए हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन माननीय सदस्यों के मन में बैठी आशंका को श्वेत पत्र जारी करके दूर किया जाना चाहिए। अन्यथा, लोग सरकार द्वारा किए जा रहे काम को गलत समझेंगे। विनिवेश से प्राप्त धन को उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सुदृढ़ बनाने के लिए उपयोग में लाना होगा ताकि उनकी स्थिति सुधर सके और इस धन का उपयोग करने से उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना आ सके। ऐसे एककों की इस धन से मदद की जा सकती है। आप इस धन में से कुछ धन का उपयोग उच्च लागत वाली धनराशि के ऋण भार को कम करने के लिए कर सकते हैं। आपने उच्च लागत का ऋण लिया है। जब उच्च लागत का ऋण होगा तो आप इस देश के ऋण को कम कर सकेंगे।

कम से कम लोगों पर भार तो नहीं होगा। यदि आप गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए धन चाहते हैं तो आप आसान ऋण ले सकते हैं।

लोग सरकार को धन देंगे, अन्य राज्य आपको धन देंगे अथवा अन्य देश आपको कम ब्याज दर पर धन देंगे। इस धन को गरीबी उपशमन कार्यक्रमों को चलाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। आपको जो भी धन विनिवेश से मिलता है उसे वेतन भुगतान अथवा किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। कुछ आत्मनिरीक्षण भी होना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री मूर्ति मैं आपका ध्यान भंग नहीं करना चाहता, लेकिन 15 वक्ता हैं और माननीय अध्यक्ष चाहते हैं कि हमें प्रत्येक वक्ता को 15 मिनट तक ही बोलने की अनुमति देनी चाहिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यदि आप चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। कल तो आपने बहुत समय दिया था।

सभापति महोदय : सबसे पहले वक्ता को इतना समय दिया जाना था।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं अध्यक्षपीठ के साथ बहस नहीं करना चाहता।

सभापति महोदय : सबसे पहले वक्ता ने 45 मिनट पर बोलना बंद कर दिया था।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : मैं अध्यक्षपीठ के साथ बहस नहीं करना चाहता। मैं पांच मिनट से अधिक नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : फिर तो आपकी 20 मिनट हो जाएंगी?

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बोर्ड में विशेषज्ञों की नियुक्ति किए जाने के बजाय, इसमें कम से कम एक–तिहाई से भी अधिक सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कोई भी बोर्ड जनता के अथवा निवेशकों के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब, सरकार सिफारिश कर रही है कि छोटे निवेशकों का भी बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यह शुभ संकेत है। इन बोर्डों में बाह्य विशेषज्ञ भी होने चाहिए ताकि इसमें पारदर्शिता लाई जा सके और जो हो रहा है उसका पता लगाया जा सके।

मैं माननीय उद्योग मंत्री और विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री जो यहां उपस्थित है, से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें मंत्रिमंडल में निर्णय लेना चाहिए। वे सरकार के विनिवेश आयोग की रिपोर्ट भागों में ले रहे हैं न कि संपूर्ण रिपोर्ट ले रहे हैं। इसलिए, सच्चाई सामने नहीं आ रही है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि अधिकारी मंत्री जी को उचित जानकारी नहीं दे रहे हैं। अतः आपको विनिवेश आयोग की रिपोर्टों का अध्ययन करना चाहिए। यदि कोई आशंका है तो विनिवेश आयोग के सदस्यों को हमारे पास आने दीजिए, तो वे स्थिति को स्पष्ट करेंगे और केवल तभी आप निर्णय ले सकेंगे।

इन 45 एककों जहां विनिवेश की स्वीकृति दी गई थी, के संबंध में, वर्तमान स्थिति क्या है और उच्च मूल्य प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

अन्य मुद्दा यह है कि सरकारी कम्पनियां आपस में निवेश कर रही हैं। उदाहरण के लिए ओ.एन.जी.सी. भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में निवेश कर रही है, भारतीय गैस प्राधिकरण, लिमिटेड भारतीय तेल निगम में निवेश कर रहा है, आई.ओ.सी. जी.ए.आई.ए.एल. में और अन्य भी इसी तरह निवेश कर रहे हैं। यह क्या है? यह सरकार की किस तरह मदद कर रही हैं? यह केवल एक तरह की लीपापोती है, और यह लीपापोती कार्य यहीं बंद होना चाहिए। सरकार का आशय धन वसूली होता है न कि इसे अन्य सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में फिर से निवेश करना। यदि आप किसी सरकारी क्षेत्र की कम्पनी में धन निवेश करना चाहते हैं तो आपको इस सभा की अनुमति लेनी चाहिए। इसलिए, कृपया इस प्रकार के निवेश को बंद करें। आप जो भी धन की वसूली करते हैं उसको उद्योगों को सुदृढ़ बनाने मे उपयोग में लाया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के सभी एकक बहुत सुदृढ़ हैं। नवरत्नों में से अब एक भी रत्न नहीं है।

अब सारे नवरत्न खत्म हो गए हैं। इस तरह से राष्ट्र की सम्पदा को बर्बाद होते देख मेरा दिल जलता है।

एक समय, माननीय मंत्री अत्यधिक मैत्री भाव रखने वाले पत्रकार थे, उन्हें अब भी अत्यधिक मैत्री भाव वाले मंत्री होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं और यह भी अनुरोध करता हूं कि वह कम से कम आने वाले बजट सत्र में ब्यौरे के साथ सभा में आएं और यह बताएं कि सरकार का विचार अलग–अलग उद्योगों से उच्च मूल्य की वसूली किस तरह करने का है, और कैसे तथा किस तारीख तक सरकार का 10,000 करोड़ रुपए के विनिवेश के लक्ष्य तक पहुंचने का है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपकी पार्टी का टाइम तो छह मिनट है, लेकिन मैं आपको 15 मिनट दे रही हूं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। हम नियम 193 के अधीन विनिवेश पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमारे लायक दोस्तों ने जो चिन्ता व्यक्त की, मैं समझता हूं कि वह चिन्ता बहुत जायज है।

हिन्दुस्तान में जब ये सरकारी उपक्रम बने, तो इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर कहा कि इन उपक्रमों से देश का विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इसका यह एक विनम्र प्रयास था। जो सरकारी उपक्रम इस समय देश में 235 के करीब हैं, उनमें से 106 उद्यम घाटे में हैं और 127 उद्यम मुनाफे में हैं। मेरा मानना है कि 106 उद्यम घाटे में पूंजी की वजह से नहीं, कुप्रबन्ध की वजह से, मिस–मैनेजमेंट की वजह से हैं। हमें किसी भी सरकारी उद्यम के शेयर बेचने से पहले उन संभावनाओं का जरूर पता लगाना चाहिए कि क्या उस उद्यम को ठीक किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि सरकार की कोई दिलचस्पी इस तरफ नहीं है। इस समय दो ही बुनियादी सवाल हैं कि सरकारी उपक्रमों के जो शेयर बेचे जा रहे हैं, उन शेयरों को बेचने की नीति क्या है? वह पारदर्शी है या नहीं, उसकी कोई विश्वसनीयता है या नहीं, उसकी

[श्री रामजीलाल सुमन]

क्रेडिबिलिटी है या नहीं, उसकी क्या शर्तें हैं, यह सदन और देश उन सब चीजों को जानना चाहता है? चाहे आप श्वेत पत्र के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से आप इस देश को विश्वास में लेने का काम करें कि उपक्रमों के जो शेयर आप बेच रहे हैं, उसमें आपकी बुनियादी नीति क्या है? दूसरा बड़ा सवाल यह है कि उपक्रमों के शेयर बेचने से जो कोष बनेगा, जो दौलत आएगी, उस दौलत को खर्च करने की क्या प्राथमिकताएं होंगी, प्रायरटीज क्या होंगी, उस पैसे को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? मेरा मानना है कि भारत सरकार की उस कोष के सिलसिले में कोई नीति नहीं है। वित्त मंत्रालय यह चाहता है कि बजटीय घाटा उससे पूरा हो और जो देशी–विदेशी कर्ज है, उससे उसका ब्याज दिया जाए। उद्योग मंत्रालय चाहता है कि वह पैसा उद्योगों में इन्वैस्ट हो और मैं समझता हूं कि विनिवेश मंत्री यह चाहते होंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र में वह पैसा खर्च किया जाए। मेरा आरोप है कि ये जो सरकारी उपक्रमों के शेयर बेचे जा रहे हैं, शेयर बेचने के बाद हिन्दुस्तान को जो दौलत मिलेगी, वह किस तरह से खर्च की जाएगी, इसके सम्बन्ध में सरकार का नजरिया स्पष्ट नहीं है। दुर्भाग्य है कि न सिर्फ चल संपत्ति बेची जा रही है, बल्कि इस देश में अचल संपत्ति भी बेची जा रही है। मोटे तौर पर कहें तो देश की प्रतिष्ठा एवं गरीमा को बेचा जा रहा है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये उद्योग लगाए गए थे, तब श्रमिकों का ख्याल रखा गया था। पहले इन उद्योगों में 22 लाख श्रमिक काम करते थे, अब इनकी संख्या घटकर 19 लाख हो गई है। अभी हाल ही में हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी का बयान छपा है कि कुछ समय के बाद कर्मचारियों की दस प्रतिशत छंटनी और की जाएगी।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण एक तरह से सरकार का कमिटमेंट होता है। उसमें यह वादा किया गया था कि प्रतिवर्ष एक करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी। आप सरकारी प्रतिष्ठानों में छंटनी करना चाहते हैं, सरकारी उद्योगों के शेयर बेचना चाहते हैं, तो इससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इन उद्यमों के शेयर बेचने के बाद श्रमिक हितों का क्या होगा, उस पर भी निश्चित तौर पर हमें विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत एक निवेदन और करना चाहूंगा। जैसा मैंने पहले कहा हिन्दुस्तान का यह दुर्भाग्य है कि इस देश की अधिकांश नीतियों का इस्तेमाल केवल पांच–दस प्रतिशत लोगों के लिए ही होता है। जो बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे किसानों की समस्या है, बेरोजगारी है, लाचारी है, इन पर ध्यान नहीं दिया जाता। आज ग्रामीण अंचल के लोग परेशान हैं। हम किसान के सवाल पर सदन में रोज चर्चा करते हैं। इसलिए इन बुनियादी समस्याओं पर जब तक हमारी सोच ठीक नहीं होगी, तब तक हम हिन्दुस्तान का कायाकल्प नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि सरकारी उद्यमों के शेयर बेचने के बाद इस सरकार को चाहिए कि देश के ग्रामीण अंचल की सड़कों की जो बुरी हालत है, उसको ठीक किया जाए। अभी सदन में केन्द्रीय सड़क निधि का बिल आया था और हमने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के लिए डीजल पर उपकर लगाया है। उसके माध्यम से हम राष्ट्रीय राजमार्गों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। ये गांव और शहर के रिश्ते हैं। दिल्ली का सवाल सदन में रोज उठता है और हम उस पर चर्चा करते हैं। अगर गांव अपने पैरों पर खड़े होंगे, विकसित होंगे तो शहर भी खुशहाल होंगे। अगर हम गांवों की तरक्की नहीं कर सके तो फिर संतुलन बिगड़ेगा। इसलिए ग्रामीण अंचल की सड़कों की हालत ठीक करने का काम होना चाहिए।

इस देश में प्राथमिक सेवाओं का बुरा हाल है। पहले पचास हजार की आबादी पर एक प्राथमिक अस्पताल बना था। आज वह आबादी एक ब्लाक या प्रखंड की बढ़कर चार गुना हो गई है। 1972 में जो प्राथमिक सेवाओं का वार्षिक बजट था, वह 12,000 रुपए महीना था, जो आज 28 साल के बाद भी उतना ही है, जबकि एक प्राथमिक सेवा केन्द्र पर लगभग तीन लाख रुपया महीना डाक्टरों की तनख्वाह का खर्चा होता है। इसलिए उनकी बुरी हालत है। ग्रामीण अंचल से जो लोग यहां इलाज के लिए आते हैं, चाहे एम्स में जाएं या अन्य कहीं, उनको पांच–छः महीने तक बैड नहीं मिलता। इससे उनको बड़ी परेशानी होती है कि पता नहीं फिर कब नंबर आएगा। दिल्ली में जो बड़े अस्पताल हैं, उनमें केवल अमीर लोग ही इलाज करा सकते हैं, गरीब नहीं। आज ग्रामीण सड़कों की बुरी हालत है, प्राथमिक सेवाओं की बुरी हालत है, शिक्षा का बुरा हाल है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन विद्यालय नहीं हैं, संचार सेवाओं का बुरा हाल है। इस सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकारी उद्यमों के शेयर बेचने के बाद जो कोष आप बनाने वाले हैं, उसमें जब तक बेरोजगारों के लिए, गांव के गरीब लोगों के लिए प्राथमिकता सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। आज हिन्दुस्तान में बेरोजगारों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। उस पर काबू पाने के लिए हमारे पास इन्तजाम नहीं है। रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा हों, इस पर हमारा कोई विचार नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

महोदय, 1990 में डिसइन्वैसटमेंट का काम शुरू हुआ और 44 हजार 300 करोड़ रुपए प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया, लेकिन 18 हजार करोड़ रुपए मात्र प्राप्त किए। 33 उपक्रमों को बेचने का हमारा लक्ष्य था और उससे 10 हजार करोड़ मिलना था,

लेकिन मिले मात्र 500 करोड़ रुपए। समझ में नहीं आता है, इस दिशा में सर ार की गति क्या है और सरकार क्या करना चाहती है। मेरा आ ाप है, सरकार इस सवाल पर दिशा भ्रमित है। मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूं, सरकार डिसइन्वैस्टमेंट के मामले में, सरकारी उपक्रमों के शेयर बेचने के मामले में क्या घपला कर रही है और क्या उसकी नीतियां हैं, सदन यह जानना चाहता है। ऐसा ाता है कि इनकी स्वय की शर्तें हैं या ये किसी के दबाव आकर यह काम कर रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इस बारे में श्वेत–पत्र जारी करे और प्राथमिकता सुनिश्चित करे, तभी जाकर डिसइन्वैस्टमेंट सार्थक होगा वरना देश और सदन को अंधकार में रखने का प्रयास हो रहा है। सरकार का काम सिर्फ हिन्दुस्तान के आम लोगों को परेशान करना और संपन्न लोगों को खुश करना है।

अंत में, सभा ति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए, अपनी बात समाप्त कर हूं।

श्री राजीव ाप खंडी (छपरा) : महोदय, सदन में जब डिसइन्वैस्टमेंट वि पर चर्चा हो रही है, तो मूलतः विश्लेषण करने की आवश्यक है कि भारत के उपक्रमों की अवस्था क्या है। जिस समय रा देश आजाद हुआ, उस समय संविधान के निर्माताओं ने पना की थी कि कुछ ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों को समर्थन दिया ाए, जिससे उनकी उपलब्धता दूर–दूर तक फैल सके। साथ- थ ही मंशा यह भी थी कि ऐसे उपक्रमों में पैसा लगाया जाए, टैक्स पैयर्स का पैसा लगाया जाए, पैसे का उपयोग इस प्रकार से किया जाए, जिससे उसमें मुनाफा हो और उसे देश के कन्सोलिडेटेड फन्ड में या देशवासियों को लौटाया जा सके।

महोदय, डिसइन्वैस्टमे का टोटल विकेन्द्रीकरण लोक उपक्रम से है। जब सदन में इसकी चर्चा हो रही है, तो मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में जो पब्लिक सैक्टर एन्टरप्राइजेज हैं, उसकी सख्या लगभग 236 है। इन 236 उपक्रमों में से 128 प्राइवेट में हैं, लगभग 106 घाटे में चल रहे हैं और 71 बी.आई.एफ.आर को सुपुर्द कर दिए गए हैं। इनकी स्थिति के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, लेकिन इन उपक्रमों में देश की 2 लाख 74 हजार करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की गई है। मेरे विचार से इन आंकड़ों को थोड़ा और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इतनी पूंजी निवेश से सिर्फ 13 हजार करोड़ रुपए की आय होती है। आखिर इस बात का जवाब कौन देगा, राष्ट्र की इतनी सम्पति इन उपक्रमों में लगाने के बाद सिर्फ 13 हजार करोड़ रुपए की आय क्यों है? मैं इस बारे में थोड़ा–सा और विश्लेषण करना चाहूगा। बैंक्स में टाइम–डिपाजिट होता है, यदि हमने फिक्स डिपाजिट में इतना रुपया जमा होता, तो कम से कम हमें 12 प्रतिशत की रिटर्न मिलती र मैं समझता हूं कि हम प्रोफिट में होते। जबकि आज उसका रिटर्न, लोक जमा राशि के मुकाबले यह केवल चार प्रतिशत है। आज मात्र चार प्रतिशत उस पूरे पैसे की लागत का लाभ हमें वापस मिल रहा है। इसलिए लोक उपक्रम के बारे में विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि इसी विश्लेषण के आधार पर हमने जो गलतियां की हैं उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। आज भारत के बड़े क्रम, 14 कम्पनियां स्टाक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। इस प्रकार व 426 बड़ी–बड़ी कम्पनियां मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में हैं। उनकी तुलना 1995 तक हम करें। अगर किसी ने इसमें निवेश किया होता, इसके शेयर्स खरीदे होते तो आज की तारीख में उनकी रिटर्न वैल्यू 2.4 प्रतिशत होती। अगर वही निवेश, जो मैन्युफैक्चरिंग कम्पनियां स्टाक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनमें किया होता तो उसका रिटर्न आज की तारीख में 24 फीसदी मिलता। अगर इन आंकड़ों के विश्लेषण के बाद डिसइन्वैस्टमेंट की चर्चा होती है तो हम इससे कैसे भाग सकते है!

मैं आपका ध्यान इस तरफ आक ित करना चाहूंगा कि आज देश में जितने लोक उपक्रम हैं–उ मात्र पैट्रोलियम कोल, लिग्नाइट कम्पनियों को हम बाहर कर दें तो उनमें बहुत ज्यादा घाटा होता है। आज जितना लोक उपक्रम प्रोफिट में है, उसके बारे में अब मैं थोड़ा विश्लेषण करना चाहूंगा। अगर पैट्रोलियम के साथ पावर, कोल का भी विश्लेषण करें तो उसका प्रोफिट लगभग 65 हजार करोड़ रुपए हो जाता है, लेकिन अगर उसमें से सिर्फ पैट्रोलियम को बाहर करें तो प्रोफिट घटकर लगभग 8000 करोड़ रुपए हो जाता है। अगर कोयले को भी उसके बाहर कर दिया जाए तो आज की तारीख में टोटल घाटा लगभग 42000 करोड़ रुपए का हो जाता है। सिर्फ पैट्रोलियम, कोल, लिग्नाइट और पावर सैक्टर को छोड़कर सारी कम्पनियां घाटे में चल रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। हमारे पास पहले ही बहुत कम समय है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूं।

श्री राजीव रूडी : अब जरूरी है कि हमें प्रति कर्मचारी खर्च की तुलना निजी क्षेत्र के उपक्रमों से करनी होगी। आज भारत में लोक उपक्रमों का खर्च, नेट परसेंटेज ऑन नेट सैल्स का 20 प्रतिशत है और प्राइवेट कम्पनियों का मात्र चार प्रतिशत है। पूरे भारतवर्ष में बड़े–बड़े लोक उपक्रमों के कर्मचारियों, पदाधिकारियों पर हम अपनी सम्पत्ति का 20 प्रतिशत लगा देते हैं और दूसरी तरफ अपनी तुलना निजी क्षेत्र से करते हैं। वे भी अपने कर्मचारियों को वेज लॉस के तहत वेतन देते हैं। मकान और टेलीफोन देते हैं और बाकी सुविधाएं देते हैं, लेकिन उसका उनके ऊपर खर्च चार प्रतिशत है जबकि हमारे लोक उपक्रमों में 20 प्रतिशत खर्च है। इन सब प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? ...*(व्यवधान)* इंटरस्ट कास्ट ऑन द पब्लिक सैक्टर अंडरटैकिंग्स, आज जो इंटरस्ट कास्ट सर्विस इन लोगों का है, जिसमें लोक उपक्रमों का 12 प्रतिशत तक है, यदि उसकी निजी क्षेत्र के उद्योग से तुलना की जाए तो वह पांच प्रतिशत है। इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आज लोक उपक्रमों की स्थिति भारतवर्ष में दयनीय हो चुकी है। भारत के टैक्स पेयर्स का कब तक यह दायित्व रहेगा कि घाटे की कम्पनियों में पैसा लाकर डालते रहें–इसका उत्तर कौन देगा। इन कम्पनियों में कितनी पूंजी लगाई गई।

दो–चार दिन पहले इसी सदन में काफी गंभीर रूप से चर्चा हो रही थी। माननीय रघुवंश बाबू यहां बैठे हैं। उस समय जयपाल रेड्डी जी बोल रहे थे और इस तरफ से भी कई माननीय सदस्य बोल रहे थे, जिन्होंने मारुति उद्योग की चर्चा की। जब इसकी चर्चा हो रही थी तो मैंने उसका डटकर विरोध किया, क्योंकि किसी विषय को उठाने से पहले उसकी विषय–विस्तु को समझना बड़ा आवश्यक है। आज मारुति उद्योग की स्थिति क्या है? हम लोग कर्मचारियों की बात करते हैं लेकिन आज लैफ्ट फ्रंट का एक भी सदस्य यहां उपस्थित नहीं है।

सभापति महोदय : उपस्थित हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : एक–दो सदस्य हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि इनकी रुचि कहां है। ये सिर्फ 11 से 12 बजे तक जब राष्ट्रीय दूरदर्शन पर टैलिकास्ट होता है, उस समय इस मुद्दे को उठाते हैं लेकिन अब कहां हैं?

सभापति महोदय : इस तरह की टिप्पणियां करना उचित नहीं है। आप इस तरह किसी पार्टी पर आक्षेप नहीं लगा सकते।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : उधर कितने बैठे हैं?

श्री राजीव प्रताप रूडी : ये तो हमारे समझदार लोग बैठे हैं। जो लोग विषय को समझते हैं, वे बैठे हैं। उधर संगमा जी भी बैठे हैं। देश के प्रति रुचि रखने वाले तमाम लोग यहां हैं लेकिन जो लोग विषय को मुद्दा बनाते हैं, उनकी अनुपस्थिति मुझे खल रही है क्योंकि हम उनके भी विश्लेषण को समझने का प्रयास करेंगे।

मारुति उद्योग के संबंध में मैं चर्चा कर रहा था। सब लोगों ने मिलकर कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हुआ है, कर्मचारियों को मारा जा रहा है। मैं भी देहात से आता हूं। मेरा गांव बिहार की राजधानी पटना शहर से 70 किलोमीटर दूर है। आज वहां जाने के लिए जो बस है उसका नाम वन डे सर्विस है। 70 किलोमीटर जाने में उसे एक दिन लगता है। इसी देश का हम लोग भी भाग हैं और यहां मारुति उद्योग में क्या हो रहा है। आज जब मारुति का मार्केट शेयर 80 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत चला आया है तो कर्मचारी नीली–नीली शर्ट पहनकर, सुन्दर–सुन्दर कपड़े पहनकर हमें निमंत्रण देने आते हैं कि चलिए, जंतर–मंतर पर हमारे लिए भाषण कीजिए। क्यों भाषण करें उनके लिए? आज मारुति उद्योग में 4700 कर्मचारियों में से 1400 कर्मचारी काम पर हैं। जब 4700 कर्मचारी काम करते थे तो पहले छः माह में प्रोडक्शन 1200 गाड़ियों का था और आज जब 4000 कर्मचारी बाहर हैं तो प्रोडक्शन 1400 गाड़ियों का है। यह विश्लेषण का विषय है। आज सौ प्रतिशत लोगों के पास टेलिफोन है, कुछ के पास एसी भी हैं, गाड़ियां हैं। मैं उनकी सुविधाओं के बारे में नहीं कहना चाहता कि उनको नीचे लाया जाए लेकिन तुलना कीजिए। उनके वेतन की तुलना कीजिए, दूसरे दृष्टिकोण से तुलना कीजिए। मारुति उद्योग का विषय बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके साथ आने वाले दिनों का निर्णय होगा।

फोर्ड मोटर्स का नाम आपने सुना है। उसके प्रति व्यक्ति कर्मचारी का औसत वेतन 10912 रुपये है। ह्युन्डई मोटर्स का प्रति व्यक्ति कर्मचारी वेतन 9728 रुपये है। 40 वर्षों से टैल्को की बस और ट्रक पर हम चलते हैं, उसके प्रति व्यक्ति कर्मचारी का वेतन 12044 रुपये है। देवू मोटर्स का 14008 रुपये है और मारुति उद्योग का आपको अंदाजा भी नहीं होगा। मारुति उद्योग के प्रति व्यक्ति कर्मचारी का वेतन 23017 रुपये है। अब जो वेज रिवीजन की बात की जा रही है, उस वेज रिवीजन में पहले वर्ष वे 30000 रुपया और वर्ष 2004 तक 44000 रुपये का वेतन मांग रहे हैं। उसी के लिए लोक सभा के सदस्यों का उपयोग किया जाता है? इसलिए वे विषय का बिना विश्लेषण किए मात्र कर्मचारियों का मुद्दा उठाते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया माननीय सदस्य को बाधा न पहुंचाएं।

[श्री पूर्णो ए. संगमा]

पर हस्ताक्षर करने, उद्यमों को स्वायतता प्रदान करने और उनका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने पर संकेंद्रित करते हुए एक नवीन नीति विवरण–पत्र जारी किया गया था। अतएव, विनिवेश की नीति सर्वप्रथम कांग्रेस की सरकार द्वारा चलाई गई थी, जब श्री पी. वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे।

वर्ष 1996 में, तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के माध्यम से इस नीति को आगे जारी रखा और उन्होंने ही विनिवेश आयोग की नियुक्ति की थी। वर्तमान सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है जो कि एक प्रमुख दल है। भारतीय जनता पार्टी का क्या मत है? इस प्रकार वर्ष 1991 में कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को संयुक्त मोर्चा की सरकार द्वारा जारी रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेन्नई घोषणा–पत्र में कहा, "विनिवेश कार्यक्रम के विशिष्ट लक्ष्य को पूरा किया जाना चाहिए और हमारे राष्ट्रीय ऋण में तीव्र एवं प्रबल कमी हो ताकि इसके परिणामस्वरूप ऋण और ब्याज भुगतान में हुई बचत को अत्यधिक उपेक्षित सामाजिक क्षेत्र में उत्पादन और विकास में लगाया जा सके।" इसके साथ ही, एक वर्ष बाद, 25 राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने विनिवेश विभाग का गठन किया। विनिवेश विभाग का नेतृत्व श्री अरुण जेटली द्वारा किया गया और अभी इसका नेतृत्व श्री अरुण शौरी कर रहे हैं।

मैं इस मुद्दे पर एक छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं। मेरा प्रधान मन्त्री से आग्रह है कि विनिवेश मंत्री को बार–बार न बदलें। जब आप किसी मंत्रालय में शामिल होते हैं, तो उस मंत्रालय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में तीन से चार माह लगते हैं और यदि आप किसी अन्य मंत्रालय में शामिल होते हैं तो उस मंत्रालय की जानकारी प्राप्त करने में फिर से चार से पांच माह का समय लगता है। और यह समय इतना कीमती होता है और मैं नहीं सोचता कि देश इस समय को खोना बर्दाश्त कर सकता है। अब इन सबके बावजूद, हम अभी तक कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम अभी तक इसकी चर्चा कर रहे हैं।

मुझे कई बिन्दुओं पर बात करनी है। विनिवेश की प्रक्रिया धीमी हो रही है। मेरे विचार से इसका पहला कारण राजनीतिक अस्थिरता है। वर्ष 1989 से 1999 तक के इन दस वर्षों के दौरान जहां हमारे यहां दो चुनाव होने चाहिए थे, हमारे यहां पांच चुनाव हुए, जहां यहां दो सरकारें होनी चाहिए थीं, हमारे यहां आठ सरकारें आईं और आठ प्रधानमंत्री हुए। एक ही दल की सरकार से लेकर अब हम सांझा सरकार तक पहुंच चुके हैं–मैं इस सरकार को सांझा सरकार नहीं कहता–बल्कि एक बहुदलीय सरकार कहूंगा। इतनी खींचतान वाली एक बहुदलीय सरकार उचित रूप से कार्य नहीं कर सकती। मैं नहीं जानता कि यह क्या अच्छा कर सकती है। हमारे यहां स्थिरता होनी चाहिए। मेरे विचार से मैंने स्थिरता और शासन के बारे में इस सभा में कहा है। आज, वाजपेयी की सरकार 25 राजनीतिक दलों के साथ स्थिर होगी। परन्तु शासन कहां है?

इसे आगे बढ़ाने का तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि मेरे विचार से, हम वास्तव में राष्ट्रीय सहमति प्राप्त कर पाने में समर्थ नहीं हो सके हैं तथापि हम सभी राष्ट्रीय सहमति की बात करते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि इस वाद–विवाद से अलग स्तर पर निपटा जाए। आज का वाद–विवाद एक निष्पक्ष वाद–विवाद होना चाहिए क्योंकि इस विशिष्ट मुद्दे पर हमें वास्तव में राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि वर्तमान सरकार राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने में सफल रही है। राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने से पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अंदर मतैक्य बनाना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विनिवेश के बारे में बात करती है और स्वदेशी जागरण मंच सामाजिकता की बात करती है। इस नीति पर भारतीय जनता पार्टी के बीच मतैक्य कहां है? इस नीति पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 25 दलों के बीच मतैक्य कहां है? इस सभा में मतैक्य कहां है? यहां तक कि इस सभा में आर्थिक मुद्दों पर सहमति के लिए चर्चा करने का भी समय नहीं है। हम देख रहे हैं और हम यह अनुभव कर रहे हैं कि संसद कैसे चल रही है। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है। हम वर्तमान और भविष्य के मुद्दों से कहीं ज्यादा प्राचीन मुद्दों के बारे में चिंतित हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री पूर्णो ए. संगमा : मैं और चार या पांच मिनट लूंगा और तब मैं समाप्त करूंगा।

मुद्दे पर आते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि विनिवेश अयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इसने कई सिफारिशें की हैं। ज्यादातर महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत कर दी गई हैं। इन सिफारिशों की क्या स्थिति है? मैंने विनिवेश आयोग की सिफारिशों के सभी तीनों भागों को पढ़ा है। मेरे विचार से उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर 72 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को इस आयोग के पास भेजा गया था। इसके बाद सरकार ने उनमें से आठ को निकाल दिया। इसलिए वे 64 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की जांच कर रहे हैं, 52 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सिफारिशें की गई थीं, इसकी स्थिति क्या है ? सरकार को अभी भी इस आयोग की 30 सिफारिशों पर निर्णय लेना है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में विशेष सिफारिशें की गई थी। 14 आम सिफारिशों में से सरकार को अभी भी 11 पर

निर्णय लेना है। उन्होंने अभी तक उनमें से तीन पर ही निर्णय लिया है। वे सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन पर सरकार द्वारा तत्काल निर्णय लेने की जरूरत है। उदाहरणस्वरूप, पृथक् विनिवेश निधि की स्थापना की बात है। समय की कमी के कारण मैं इन सभी चीजों को नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं स्वयं अध्यक्ष रह चुका हूं अतः मैं पीठासीन अधिकारी की अवज्ञा पसंद नहीं करता हूं। लेकिन मैंने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण चर्चा है और इसलिए मुझे यहीं यहीं रुकना चाहिए। इसलिए, विनिवेश निधि स्थापित की गई। सरकार ने 1968 में ही विनिवेश निधि स्थापित की है, लेकिन निधि के क्षेत्र और उद्देश्य संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

हमने निवेश प्रक्रिया को सरकार की बजटीय प्रक्रिया से हटाने का निर्णय नहीं लिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था जिसे मैं रखना चाहता था लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं करूंगा। सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है? निर्णय यह है कि निर्णय प्रतीक्षित है। प्रबंधन का अंतरण निर्णय प्रतिक्षित है, सरकारी इक्विटी में कटौती–निर्णय प्रतीक्षित है; विनविश पैकेट–निर्णय प्रतीक्षित है; स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, जो कर्मचारियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है–कई वर्षों तक श्रम मंत्री रहने के कारण मैं इस पर बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं अभी नहीं बोल सकता हूं–निर्णय प्रतीक्षित, गिनरानी एवं पर्यवेक्षय शक्ति–निर्णय प्रतीक्षित और क्रियान्वयन मशीनरी की स्थापना–निर्णय प्रतीक्षित है।

मैं चाहूंगा कि जैसा भी चाहें मंत्री जी द्वारा इन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छे सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, सबसे पहले, विनिवेश आयोग की सभी सामान्य और विशेष सिफारिशों के मद्देनजर हमें व्यापक पैकेज बनाने की आवश्यकता है और हमारे पास विनिवेश और कार्यान्वयन की पारदर्शी नीति होनी चाहिए। दूसरी बात, राजनीतिक मतभेदों को दरकिनार कर विनिवेश को सफल बनाने के लिए एक व्यापक सहमति बनानी चाहिए। तीसरी बात, सहमति बनाने का प्रयास वर्तमान सरकार द्वारा ही किया जाना चाहिए। चौथी बात, विनिवेश की प्रक्रिया को राजनीति से दूर ही रखना चाहिए, यह बहुत महत्त्वपूर्ण है, इस मामले को विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए और सरकार को अपने आपको नीति की परिधि तक ही सीमित रखना चाहिए। लेकिन इस पर जब हम व्यक्तिगत मामले के बारे में बात करते हैं, मैं समझता हूं, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, एम.टी.एन.एल., गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया आदि के बारे में कई सवाल उठाए गए हैं। मैं समझता हूं, उन मामलों में जयादा सावधानी की जरूरत है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं पर अभी समयाभाव है।

मैं पुनः वही बात दोराहता हूं। विनिवेश प्रक्रिया वित्तपोषित होनी चाहिए। विनिवेश को बजट से अलग रखना चाहिए। अन्तिम और बहुत महत्त्वपूर्ण बिंदु यह है कि श्रम शक्ति के मुद्दे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कामगारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और आय में कमी होने पर प्रावधान बनाकर उनके भविष्य की रक्षा की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री संगमा, बहुत–बहुत धन्यवाद। मुझे खेद है, क्योंकि समय की कमी के कारण मुझे आपसे अपना भाषण समाप्त करने के लिए कहना पड़ा।

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : सभापति महोदया, आल इंडिया अन्ना डी.एम.के. की तरफ से मैं केन्द्र सरकार की विनिवेश नीति पर अपना दृष्टिकोण रखना चाहूंगा। सभी जानते हैं कि विनिवेश क्या है–सरकार के शेयर का कारपोरेट, औद्योगिक घरानों को विनिवेश, निजीकरण विस्थापन द्वारा भी किया जा सकता है। यहां एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स और 41 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विस्थापन का काम चल रहा है, इन उपक्रमों के निजीकरण हेतु कदम उठाने में केंद्र सरकार को सहायता मिलेगी। दूसरी बात, चूक द्वारा विस्थापन है। चूक द्वारा विस्थापन क्या है? सरकारी क्षेत्र के उपक्रम चाहे जान–बूझकर या प्रमादवश अथवा सरकार के इशारे पर, वे अपने कार्य निष्पादन में जानबूझकर चूक करते हैं, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की नीति को केवल पुलिस को अस्त्र–शस्त्र प्रदान के लिए स्मिथस नीति का अनुसरण करना होगा। इसके अलावा, सभी विभागों का विनिवेश करना होगा। देश की संपदा और राजस्व कारपोरेट की संपदा हो जाएगी। यही काफी नहीं होगा। महात्मा गांधी की मूर्ति संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर है। वह 'स्वदेशी' के हिमायती थे। क्या हम स्वदेशी का अनुसरण कर रहे हैं? किसी भी तरफ से इसका अनुपालन नहीं किया गया। हम लोग स्वदेशी के सिद्धांतों की उपेक्षा कर रहे हैं। हम विदेशी मुद्रा स्वीकार करते हैं, आयात की अनुमति देते हैं। यद्यपि आप कुछ विदेशी मुद्रा अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने आम आदमी को प्रभावित किया है।

भारत में विमानपत्तनों को पट्टे पर देना इसका एक उदाहरण है। दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई के विमानपत्तनों को पट्टे पर देने का हमारी पार्टी ने विरोध किया था और अपने नेता के सुझाव पर उन दलों के सामने आंदोलन शुरू किया था। लेकिन सरकार इन विमानपत्तनों का निजीकरण करने पर आमदा है।

महोदया, 8 मार्च, 2000 को तमिलनाडु विधान सभा में सलेम इस्पात संयंत्र को न बेचने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित हुआ था और मुख्य मंत्री ने भी सभा–पटल पर कहा था कि वे प्रधान

[श्री पी. एच. पांडियन]

मंत्री से बात करेंगे, लेकिन श्री चन्द्रबाबू नायडू की तरह वे प्रधान मन्त्री पर दबाव डालने में समर्थ नहीं हैं।

तमिलनाडु में यह एकमात्र जंगरोधी इस्पात (स्टेनलैस स्टील) का संयंत्र है और हम उस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को बचाने में सक्षम नहीं रहे। कल ए.आई.ए.डी.एम.के. दल के संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री से मिलकर उन्हें इस आशय का ज्ञापन दिया कि इस संयंत्र के शेयर निजी पार्टियों को न बेचे जाएं।

महोदया, सभी जानते हैं कि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पहले बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था। इसे न्यायालय में चुनौती दी गई थी। यह मामला उच्चतम न्यायालय तक गया और उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद की बैठक में यह विधेयक पारित होगा। इसलिए, जब संसद की बैठक हुई, एक विधेयक सदन के समक्ष लाया गया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। 1970 में उच्चतम न्यायालय ने श्री कूपर के मामले में इस फैसले की पुष्टि की। यह कहा गया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जनहित में है। अब निजीकरण में व्यक्तिगत हित हैं।

अभी तक सरकारी क्षेत्र के लगभग 41 उपक्रमों का विनिवेश किया गया है और सरकारी क्षेत्र के इन 41 उपक्रमों के शेयरों का भुगतान 1991–92 से ही प्राप्त होने लगा। यह सरकार सरकारी शेयरों की बिक्री, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण तेजी से कर रही है। लेकिन सरकार की यह तेजी केवल विनिवेश कार्य ही है अन्य कार्यों में नहीं। वह उद्योगपतियों और विदेशी पूंजीपतियों को बहुत जल्दी बातचीत के लिए आमंत्रित कर देती हैं। लेकिन आज तक इस सदन में विनिवेश पर श्वेत पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

महोदया, विनिवेश नीति से हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का विनिवेश करके कुछ विदेशी मुद्रा अवश्य अर्जित कर सकती है लेकिन इन उपक्रमों की संपत्ति सार्वजनिक संपित्त है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि विनिवेश के बारे में समाचार पत्रों में बहुत–सी बातें प्रकाशित हुई हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम विशेष को किसी व्यक्ति विशेष को बेचा जा रहा है। सार्वजनिक संपत्ति को कम मूल्य पर किसी व्यक्ति विशेष को बेचना अपराध है। मंत्री महोदय को यह पता होना चाहिए। ये बातें 'द इंडियन एक्सप्रेस' और अन्य स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। सलेम इस्पात संयंत्र के मामले में भी प्रस्तावित खरीददार का नाम समाचार–पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के फायदे के लिए नहीं बेचा जा रहा है। इन्हें जानबूझकर व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए बेचा जा रहा है। इसलिए, यह सार्वजनिक हित के विरुद्ध निजी हित का मामला है। एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को किसी गैर सरकारी पार्टी को बेचने में सरकार का क्या हित है? यहां वे घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्वास करने हेतु भी नहीं हैं।

पुनर्वास में इस सरकार की कोई रुचि नहीं है। वह सरकारी क्षेत्र के लाभ कमाने वाले उपक्रमों को भी बेच देना चाहती है। वह उन्हें क्यों बेचना चाहती है? अमीर आदमी इत्मीनान से बैठे हैं। वे उनकी संपत्ति बेचेंगे। वे काम नहीं करेंगे। वे बैठकर खाएंगे। सरकार परिवार की तरह नहीं चल सकती। यह एक राष्ट्र है। केंद्र सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नुकसान की भरपाई के तरीके खोजने चाहिए। सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हितों की रक्षा करने के मोर्चे पर असफल रही है।

हम एक क्षेत्रीय दल से संबद्ध हैं। राष्ट्र की संपदा में हमारी दिलचस्पी है। उनकी अलग विनिवेश नीति हो सकती है। सदन के इस ओर के सदस्यों की एक अलग विनिवेश नीति हो सकती है। लेकिन एक क्षेत्रीय दल के होने के नाते हमें राष्ट्र के हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। हम इस राष्ट्र का अंग हैं। यद्यपि हम एक क्षेत्र विशेष तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हैं तथापि हमारा क्षेत्र इस विनिवेश नीति का विरोध करता है। बिहार के लोग भी इसका विरोध कर सकते हैं। उन्हें सार्वजनिक हितों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? वर्तमान सरकार द्वारा जनहित की उपेक्षा की जा रही है। इस संबंध में कोई जांच नहीं की जा रही है कि इन शेयरों को कौन खरीदने जा रहा है। जानबूझकर चूक करने वालों को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के पास शेयर नहीं बेचे जाने चाहिए। विशेषकर बैंकों के प्रबन्धकीय कार्यों में उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ए.आई.ए.डी.एम.के. के सदस्यों ने पहले या अभी, कभी भी केंद्र सरकार की, विनिवेश नीति का समर्थन नहीं किया है, क्योंकि हम सरकारी संपत्ति को सरकार के हाथों में देखना चाहते हैं। निगमित संपत्ति अलग है। सरकारी संपत्ति को निगमित संपत्ति में परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

औद्योगिक घराने पहले से ही इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। आज प्रकाशित हुए समाचार–पत्र में टाटा और हिन्दुजा का उल्लेख है। यदि उन्हें हमारी संपत्ति हड़पने की अनुमति दे दी जाती है तो फिर हमारे यहां होने और बहस करने का क्या उपयोग है? इसीलिए मैंने कहा कि यह सरकार केवल स्मिथस की नीति का पालन कर रही है–केवल गोली, हथियार और गोली–बारूद की नीति है।

उन्हें संपत्ति की रक्षा करनी ही होगी। तभी भारतीय राष्ट्र की रक्षा होगी।

सभापति होदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी. ए पांडियन : महोदया, कृपया एक मिनट। आपके घण्टी बजाने से रा तारतम्य टूट गया। सब मुझे सोचना पड़ेगा।

सभापति ोदय : अब यह अंतिम मिनट है।

श्री पी. ए पांडियन : आपने मुझे असमंजस में डाल दिया है।

सभापति ोदय : वह विचार था।

श्री पी. ए पांडियन : महोदया, मैं पूरी विनम्रता के साथ कहता हू कि ह पास केवल यही सरकार या विनिवेश मंत्रालय है। वे सरकारी त्र के उपक्रमों के मामले देख रहे हैं। विनिवेश मंत्री किसलिए वे बेचने के लिए हैं, वे विक्रेता हैं। सरकार में एक विक्रेता क्यों होना चाहिए? संवैधानिक रूप से वे एक मंत्री हैं परंतु स सौदेबाजी करनी है। वे विनिवेश करने के लिए हैं। वे ला अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बेचने के लि हैं।

जयनगौन्ड में हमारे सभी सांसदों ने विनिवेश यानि ताप विद्युत घर की क्री के विरुद्ध जुलूस निकाला किसको बेचा जा रहा था? सा ननिक क्षेत्र के उपक्रम को किसी व्यक्ति विशेष को दिया जा र था। हम 10 ससद सदस्य उस संपत्ति को बचाने हेतु दौड़ ड़े। मंत्री महोदय आपको जयनगौन्ड्म गए इन 10 सांसदों के चारों को स्वीकार करना पडेगा जो कि उस संपत्ति को बेचने से बचाने गए थे और इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना ह ा। मैं कहूंगा कि हम विनिवेश नीति का पुरजोर तरीके से विरोध रते हैं। एक क्षेत्रीय दल होने के बावजूद भी हम इसका विरो करते हैं।

श्री सुदीप द्योपाध्याय (कलकत्ता, उत्तर पश्चिम) : महोदया, मैं सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश के बारे में नियम 193 के तहत इस पर बोलने के लिए खडा हुआ हू।

अपराह्न 3.30 जे

(श्र ी. एच. पांडियन *पीठासीन हुए)*

महोदय, कारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को कभी समाप्त न होने ा वाद–विवाद माना जा सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से 'विनिवे त्री' नाम का विरोध करता हू। किसी विभाग अथवा मत्रालय नाम विनिवेश मत्रालय के रूप में निर्धारित अथवा परिलक्षित नहीं होना चाहिए। इससे कुठा पैदा होती है। इससे कार्यकर्ताओं के मन में ऐसा विचार आता है कि यह मत्रालय ही हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करने के लिए है। अतः मैं इस मत्रालय के विभाग के नाम को बदलने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, कल ही अनुपूरक मांगों पर चर्चा की गई थी। भारी उद्योग और लोक उद्यम मत्रालय के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधनों में अतराल को पाटने के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में 316.72 करोड रुपए आबंटित किए गए थे जिनमें से केवल 1.70 करोड रुपए योजना परिव्यय के लिए थे। यह इस बात का पर्याप्त संकेत है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर भारत सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से अथवा ठीक ढग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

महोदय, हमारी शुरू से ही यह जानने की इच्छा रही है कि विनिवेश के बारे में सरकार की नीति क्या है। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन में भागीदार होने के बावजूद हमें प्रधान मंत्री के कार्यालय से पत्र मिल रहे हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी कुमारी ममता बनर्जी को पत्र लिख रहे हैं। हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार को इन प्रभावी सरकारी उपक्रमों का अकस्मात विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए, इन्हें सीधे विनिवेश हेतु नहीं भेजा जाना चाहिए। हम इस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा प्रयास व्यर्थ चला गया है।

महोदय, एक ओर तो पेट्रोलियम उत्पादों गेहूं, चावल आदि के मूल्यों में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर विनिवेश अधिकतम स्तर तक बढ़ा है। अधिकतम बेरोजगारी की सभावना पुनः अंधाधुंध बढ़ती जा रही है। हर जगह कुछ न कुछ अनिश्चितता बनी हुई है जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं।

महोदय, सरकार की नीति पारदर्शी होनी चाहिए और कार्यकर्ताओं को कुंठित और निराश नहीं होना चाहिए। ऐसी भयकर बेरोजगारी के युग में इन निर्णयों से बेरोजगारी की समस्या में गलत ढग से अंधाधुध वृद्धि हो जाएगी। जब सरकार केंद्र सरकार की नौकरियों में दस प्रतिशत कटौती का निर्णय लेने जा रही है तो पुनः विनिवेश की इस नीति और सिद्धांतों से बेरोजगारी की और अधिक समस्याए उत्पन्न होंगी जिनके बारे में, हमें विश्वास है कि सरकार को वरीयता से ध्यान देना चाहिए।

देश का कामगार तबका वास्तव में बडी अनिश्चितता के साथ दौर से गुजर रहा है। कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

है। एयर इंडिया पर अनेक अवसरों पर चर्चा हो चुकी है। हमने अपनी ओर से सभा के भीतर बार-बार सकारात्मक प्रस्ताव दिए हैं कि यह केवल भारत में ही है कि दो विमान कंपनियां नामतः एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कार्य कर रही हैं। इन दोनों विमान कंपनियों का विलय क्यों नहीं कर दिया जाता है?

यह बात समझ में नहीं आती। एयर इंडिया को भारी घाटा हो रहा है। इसका संचयी घाटा अनिश्चित सीमाओं तक पहुंच गया है जबकि इंडियन एयरलाइन्स ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। इसका कार्यक्षेत्र हमारे देश के बाहर तक बढ़ा दिया गया है। गैर सरकारी विमान कंपिनयां अच्छा मुनाफा कमाकर चल रही हैं। लेकिन एयर इंडिया, जो महाराजा का महान् प्रतीक है, अब खत्म होने जा रही है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि हम दोनों विमान कंपनियों, इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के विलय की संभावनाओं का पता लगाएं। यह यूनिट अर्थक्षम हो सकती है। यदि इस मामले पर कल्पना, सकारात्मक दूरदर्शिता और प्रबंधकीय दक्षता के साथ विचार किया जाए तो मैं समझता हूं कि इस पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है।

शुरू से ही हम कहते रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद पूर्वी भारत क्षेत्रीय असंतुलन का सर्वाधिक पीड़ित क्षेत्र रहा है। श्री अरूण शौरी, आप इस देश के बड़े पत्रकार हैं। आप इस नाम से अवगत हैं। श्री रंजीत राय हमारे देश के बड़े प्रमुख पत्रकार हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनकी पुस्तक 'एगोनी आव् वेस्ट बंगाल' के बारे में जानता है। विनिवेश के इस युग में पश्चिम बंगाल फिर सर्वाधिक पीड़ित होने जा रहा है। अनेक राज्यों में केंद्र सरकार के बड़े-बड़े सरकारी उपक्रम हैं। यहां तक कि केंद्र सरकार के नवरत्न सरकारी उपक्रमों को भी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य होने के कारण मुझे देश भर में सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों के बारे में जानने का अवसर मिला। जब हमें इस प्रकार के आरोप प्राप्त होते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने उत्पादनों के लिए केंद्र सरकार के क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं और वे क्रयादेश देश से भी और विदेशों से भी सरकारी क्षेत्र की अन्य यूनिटों को भेजे जा रहे हैं तो हम यह समझते हैं कि केंद्र सरकार के सभी विभागों को अपने सरकारी उपक्रमों की देखभाल करने के लिए सकारात्मक अनुदेश दिए जाएं और उनसे उनका समुचित दृष्टिकोण के साथ समुचित मार्गदर्शन करने के लिए कहा जाए बशर्ते कि वे सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की देखभाल करने में पर्याप्त रूप से सक्षम हों। वे अपने विभागों की देखभाल क्यों नहीं कर सकते हैं?

अतः हम यह महसूस करते हैं और हमें विश्वास भी है कि इस पद्धति पर, विशेषकर विनिवेश के विचार और प्रस्ताव, जिस पर कल चर्चा की गई है, पर एक श्वेत पत्र जारी किया जाए। हम इस पर स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि ऐसे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सरकार पुनरुद्धार करने के लिए पहल करने जा रही है, उसके प्रस्ताव क्या हैं और सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों को वह निजी पार्टियों को बेचना चाहती है और सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों का पुनरुद्धार करना चाहती है। अतः जब तक समुचित जानकारी देने वाला श्वेत पत्र जारी नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वाद-विवाद में भाग लेना असंभव है। हम प्रत्येक अवसर पर जब भी संसद का सत्र चल रहा होगा महीने में एक बार वाद-विवाद में भाग लेंगे, हम किसी बात पर चर्चा करेंगे परंतु उसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा।

अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि सरकार को इन चर्चाओं को पर्याप्त महत्व देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि श्री अरुण शौरी जो कल्पनाशील व्यक्ति हैं, दूरदर्शी हैं, इस पर समुचित ध्यान देंगे। इस मुद्दे पर सभी सदस्यों, सभा के इस भाग से, उस भाग से और सभी भागों से इसकी आवाज आ रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसे इतनी लापरवाही से क्यों लिया जाता है। अतः हम विनिवेश की सोच का विरोध करते हैं।

समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। यही वे इकाइयां हैं, यही वे क्षेत्र हैं जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्र-निर्माण की दृष्टि से खड़ा किया था। अब इन्हें एक ही दिन में नष्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार की राय अपने सहयोगियों की राय से नहीं मिलती।

अपने दल की ओर से हम सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के विनिवेश की सोच का पुरजोर विरोध करते हैं और हमारा विश्वास है कि सरकार को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और तदनुसार जवाब देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

[अनुवाद]

लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक शिकायत करना चाहता हूं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी है--और पूरे देश में हम लोगों में यह भावना है कि हमारे खिलाफ भेदभाव होता है और हम सभा के बाहर लड़ रहे हैं। परंतु, हमें सभा में अपना हक, अपना

हिस्सा पाने के हेतु लड़ाई के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, हम यहां 14 सदस्य हैं।

[हिन्दी]

हमें जो मौका दिया जाता है, वह मुनासिब नहीं दिया जाता है।

[अनुवाद]

हमें नियमानुसार अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं यह कड़ी शिकायत करता हूं कि हमें समुचित अवसर मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसका निर्णय कार्यमंत्रणा समिति में होता है। यह अध्यक्षपीठ का विशेषाधिकार है, यहां उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। उसे यहां नहीं उठाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी : यह ठीक है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह सिर्फ चर्चा के लिए है और कुछ नहीं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : सभापति महोदय, मैं डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और डिसइन्वेस्टमेंट 1991 में श्री नरसिंह राव सरकार के समय में शुरू हुआ। इसका मकसद क्या है? क्या सिक यूनिट को बेचा जाएगा या जो यूनिट फायदे में चल रही हैं, उनको बेचा जाएगा और जो पैसा आएगा, उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया जाएगा, क्या इस पर कभी विचार हुआ है? मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार ने बैंकिंग के बारे में कहा था कि 51 परसेंट शेयर रखेंगे और 49 परसेंट शेयर बेचे जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने, जो उस वक्त इधर बैठती थी, पूरी ताकत के साथ उसकी मुखालफत की थी और कहा था कि यह गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वही लोग जब उधर बैठे हैं तो 51 परसेंट शेयर से आगे बढ़कर चले गए। आज वह कह रहे हैं कि हम 33 परसेंट शेयर ही रखेंगे और बाकी सारे का सारा पब्लिक को दे देंगे, बड़े पैसे वालों को दे देंगे। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि कल और आज मैं कौन सा अंतर हो गया? कल और आज में कौन सा ऐसा फर्क हो गया कि जो लोग उधर बैठते हैं, वे एक जुबान बोलते हैं और जो इधर बैठते हैं, वह दूसरी जुबान बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि उधर की बेंचिस के अंदर कौन सी ऐसी करामात है कि जुबान बदलती है। अभी बहुजन समाज पार्टी उधर बैठी नहीं है। जिस दिन बैठेगी, उस दिन तजुर्बा हो जाएगा। लेकिन हमें अंदाजा नहीं कि कुर्सियों के बदलने से जुबान में फर्क आ जाता है। कुर्सियों के बदलने से आर्गूमेंट में फर्क आ जाता है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि पार्लियामेंट की दरों–दीवारों को देखने के लिए आंखें और बोलने के लिए जुबान नहीं दी वरना हमारे कितने बुजुर्ग नेता हैं, कितने एम.पी. हैं जिन पर ये हंसतीं कि कल ये क्या कहते थे और आज क्या कहते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या बजट में जो नुकसान है, उसे पूरा करने के लिए की जा रही है या डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इसलिए की जा रही है कि जो सिक यूनिट्स हैं, उनका पैसा गरीबों के लिए लगाया जाएगा या उनका पैसा कहीं इन्वेस्ट किया जाएगा? यह सरकार की क्या पॉलिसी है, इस बारे में कोई वाजिब बात सरकार कहने के लिए तैयार नहीं है। यूनियन कैबिनेट ने तय किया कि चार रिफाइनरीज को 1800 करोड़ रुपये के अंदर बेच दिया जाए। पेट्रोलियम मंत्री से जब यह पूछा गया कि यह जो 1800 करोड़ रुपया आएगा, उसका आप क्या करेंगे? क्या उससे कैपिटल ऐसेट्स को जनरेट करने का काम करेंगे या डेफीसिट को खत्म करने का काम करेंगे? पेट्रोलियम मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया कि उस 1800 करोड़ रुपये का क्या इस्तेमाल होगा। पहले जागीरदार लोग क्या करते थे? वे कोई काम नहीं करना चाहते थे। वे जमीन बेचते थे और घर का खर्चा चलाते थे। यही सरकार कर रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है। शौरी साहब, डिसइन्वेस्टमेंट सिर्फ हिन्दुस्तान के अंदर ही नहीं हो रहा बल्कि यह दुनिया के बहुत से मुल्कों के अंदर हुआ है। ब्रिटेन के अंदर हुआ है। जब ब्रिटेन में एम. टी.एन.एल और रेलवे नुकसान में चल रहे थे तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तय किया कि डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा और दो साल पहले उन्होंने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी। हमारे दो यूनिट नुकसान में चल रहे हैं, हम उन्हें डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने सारे वर्कर्स को बता दिया कि हम इन दोनों को डिसइन्वेस्ट कर देंगे। वर्कर्स ने मेहनत की और एम.टी.एन.एल. और रेलवेज जो पहले नुकसान में चल रहे थे, वे फायदे में चलने लगे। उनका पूरा पैसा सरकार को मिला। सारे वर्कर्स को ठीक नौकरी मिली। आप ही के डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस देश के अंदर 35.5 करोड़ वर्कर्स काम करते हैं जिनमें एक प्रतिशत लोग इन अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं। शौरी साहब, आप इससे देश को क्या बताना चाहते हैं। आपके हिसाब से एक प्रतिशत पांच लाख वर्कर्स होते हैं। क्या पांच लाख वर्कर्स बेकार हो जाएंगे और इसका कोई मतलब नहीं होगा? यह कैसा आरग्यूमेंट है कि एक प्रतिशत वर्कर बेकार हो जाएंगे तो देश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा है कि सिर्फ पांच लाख वर्कर्स बेकार होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे डिसइन्वेस्टमेंट में।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : पांच लाख परिवार बर्बाद हो जाएंगे।

श्री राशिद अलवी : यह कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि पांच लाख लोगों पर फर्क पड़ेगा।

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : यह किसने कहा है। माफ कीजिए, फिगर्स दी है, यह नहीं कहा कि पांच लाख लोग बर्बाद होंगे। प्रोपोर्शन बताने के लिए कहा है कि पब्लिक सैक्टर की इम्प्लॉयमेंट कितनी है। मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि अभी जो 29 फर्म्स क्लीयर हुई हैं, उनमें एक लाख चालीस हजार वर्कर्स हैं—जबकि सरकारी क्षेत्र में बीस लाख कामगार हैं। मैं सिर्फ फिगर्स दे रहा हूं, उसका मतलब यह नहीं कि एक लाख चालीस हजार लोग चले जाएंगे। शायद उनकी नौकरी को बचाने का एक ही तरीका है कि इन फर्म्स को रिवाइव किया जाए। वह मैं आपको आन्सर में बताऊंगा। फिगर्स देने का यह मतलब नहीं है कि वे बर्बाद हो जाएंगे।

श्री राशिद अलवी : माडर्न फूड को बेचा गया। किस तरह बेचा गया, सारा देश जानता है। दो हजार करोड़ रुपये जिस फर्म में लगे थे, उसे दो सो करोड़ रुपये में बेच दिया। अगर उसकी जमीन बेची जाती तो वह हजारों—करोड़ों रुपये की बिक जाती। उसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। शौरी साहब, जब आपसे सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया—

[अनुवाद]

आतंकवादियों से लड़ रही सरकार को साइकिल बनाने जैसी आर्थिक गतिविधियों तले नहीं दबना चाहिए। इसका मुझे खेद है परंतु यह आपके लिए शर्मनाक है।

[हिन्दी]

आपका बयान है कि जो सरकार टैरोरिस्ट्स से लड़ रही है, उसे इकोनौमिक मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। देश की बदकिस्मती है कि डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या इन सारी अंडरटेकिंग्स को बेचकर उस पैसे से हथियार खरीदकर टैरोरिज्म के खिलाफ लड़ेंगे? इस देश के लोगों का क्या होगा, इस देश के गरीबों का क्या होगा? यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। आपने बैंकिंग के मामले में अगर यह पास कर दिया कि सिर्फ 33 प्रतिशत शेयर्स सरकार के पास रह जाएंगे, पिछले पचास सालों में देखिए कि बड़े पैसे वालों को बैंक के डायरेक्टर्स ने कितना पैसा माफ किया। अगर सारे बैंक आप बड़े पैसे वालों के हाथों में दे देंगे तो जितना कर्जा उन्होंने लिया है, वे सारा कर्जा अपनी कलम की निकली हुई स्याही से खत्म कर देंगे। वह देश का पैसा है। यह एक खतरनाक कदम है जो सरकार उठाने का काम कर रही है।

मुझे कहना है कि पन्ना, मुक्ता फील्ड्स ओ.एन.जी.सी. से रिलायंस को बेचा गया। ऑडिटर जनरल ने कमेंट किया है कि इसके अंदर कुछ गलत किया गया है—क्या मतलब है इन चीजों का? सरकार क्या चाहती है? इस देश के लोगों का पैसा जहां अंडरटेकिंग्स में लगा है, उसे आप आंख बंद करके बेचने का काम कर रहे हैं। ऑडिटर जनरल उसमें ओब्जेक्शन लगा रहे हैं। सारे देश में आप गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। चाहे वह मारुति का मामला हो, चाहे माडर्न फूड का मामला हो, चाहे रिलायंस को बेचने का मामला हो, इन सबके अंदर सरकार ने ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती। आपने जो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बनाया, उसने जो रिकमेंडेशन्स दी थीं, आपको जो रिकमेंडेशन सूट करती थी, वह आपने मानी और जो रिकमेंडेशन सूट नहीं करती थी, उसे आपने नहीं माना। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि इसका इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जो रिकमेंडेशन डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन ने दी है, उसमें खासतौर से उल्लेख है :

[अनुवाद]

> "विनिवेश को बजट प्रक्रिया से अलग नहीं किया जाना चाहिए। विनिवेश से प्राप्त राशि को एक अलग विनिवेश निधि में रखा जाना चाहिए। इस निधि का उपयोग सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन, अतिरिक्त कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने, ग्रामीण गरीबों के लिए मकान, स्कूल, सड़क के रूप में बुनियादी ढांचा बनाने और सरकारी ऋण को चुकाने में किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

जब सरकार से पूछा जाता है कि आप इस पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने आफिशियली कहा है :

[अनुवाद]

> "ये राशियां भारत की संचित निधि में जमा कर दी गई हैं। इस निधि से विभिन्न क्षेत्रों का व्यय पूरा किया जाता है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, आवास, ग्रामीण विकास, परिवहन जैसे विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में व्यय की गई कुल राशि इस अवधि के दौरान विनिवेश से प्राप्त राशि से बहुत अधिक थी।"

[हिन्दी]

आपका इन्वेस्टमेंट 18,638 करोड़ रुपये का है, जो 1991 से 2000 तक हुआ है और आपने 1991 से 2000 तक जो कन्सोलिडेटिड फंड से पैसा दिया है, वह 1,25,317 करोड़ रुपये

हैं। आप देश को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, आप वाजे तौर पर नहीं बताना चाहते कि इस पैसे का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने कहा है कि 1.25 लाख करोड़ रुपये वहां दे रहे हैं और डिसइन्वेस्टमेंट का आपके पास 10 हजार करोड़ रुपये का हो रहा है तो इस डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है। अगर आपके पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है, फिर आप किसलिए डिइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपने जो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री अलवी, 4 बजे हमें रेल विभाग की मांगों पर चर्चा करनी है। उससे पहले सूची में दो और सदस्य हैं। अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री राशिद अलवी : मैं समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

आपका जो टार्गेट था, वह 10 हजार करोड़ का था, जो अभी तक 1500 कुछ करोड़ का आपने पूरा किया है। इस पैसे को आप किस जगह इस्तेमाल करेंगे, जो आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया है। करीब–करीब 77 हजार करोड़ का बजट के अंदर डेफीसिट होने वाला है, एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्जा है, जिसका करीब–करीब 40 परसेंट इंटरेस्ट टोटल रेवेन्यू का आप देते हैं। जब तक सरकार के पास यह पॉलिसी नहीं होगी कि यह डिसइन्वेस्टमेंट करने के बाद कहां से पैसा आएगा, कैसे इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, तब तक आपकी यह पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। मैं सरकार को सजेस्ट करना चाहता हूं कि एम.पीज. की एक कमेटी बननी चाहिए और जो भी कोई इन्वेस्टमेंट हो और इस कमेटी के अंदर सारी पार्टीज के लोग होने चाहिए और यह नहीं हो कि केबिनेट ने पास कर दिया और एक मंत्री के हवाले कर दिया, जिसको चाहें, बेच दिया जाए। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ डिसइन्वेस्टमेंट हो और इस पैसे का ठीक इस्तेमाल हो, गरीब आदमी के लिए इस्तेमाल हो तो आपको चाहिए कि बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के ऑल पार्टीज एम.पीज. की आप कमेटी बनाएं, जो भी आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना है, जो भी अंडरटेकिंग आपको बेचना है, उस कमेटी को कॉन्फीडेंस में लेना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब कृपया, समाप्त कीजिए। अब मैं श्री मणिशंकर अय्यर का नाम पुकार रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, उस कमेटी को इसमें कॉन्फीडेंस में लेना चाहिए। अगर आप ईमानदारी के साथ देश को बनाना चाहते हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ पैसे का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज आपके एलाइज खड़े होकर आपकी मुखालफत कर रहे हैं। कल को सरकार के लिए वोटिंग होगी ये आपका साथ दे देंगे, यह एक अलग चीज है, लेकिन इनके सीने में जो आग लग रही है, वह ईमानदारी के साथ ये आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपके एलाइज आपके खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि देश विद्रोही हममें से कोई नहीं, चाहे उधर बैठे हों, चाहे इधर बैठे हों, इसलिए ईमानदारी के साथ देश को बनाना चाहते हैं। मैं अकेले अरूण शौरी साहब को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। यह तो सरकार की पॉलिसी है। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वक्त के साथ सारी चीजें बदल जाती हैं, चाहे ये लोग जो 45 साल तक इधर बैठते थे, कैसे–कैसे ऐसे–वैसे हो गए, ऐसे–वैसे कैसे–कैसे हो गए। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आज आप सरकार में हैं, लेकिन कल को क्या होगा :

शोहरत की बुलन्दी तो एक पल का तमाशा है,
जिस शाख पर बैठे हो, वह टूट भी सकती है।

इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि सबको कान्फीडेंस में लेकर डिसइन्वेस्टमेंट कीजिए। जो पॉलिसी आज आपने बना रखी है, मैं उसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : सभापति महोदय, पिछली चर्चा और इस चर्चा के बीच विनिवेश के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है और वह है–300 पृष्ठों वाला विशालकाय प्रतिवेदन जिसे इस सरकार के उन कर्मचारियों द्वारा तैयार किया गया है जो लोक उद्धम संबंधी स्थायी समिति (एस.सी.ओ.पी.ई.) में नियुक्त किए गए हैं। दुःख की बात है कि श्री राजीव प्रताप रूडी यहां नहीं हैं। सत्ता पक्ष का वक्ता होने की परंपरा का लाभ उठाकर वे अपना भाषण दिए और चल दिए। किंतु, मैं इस प्रतिवेदन को उनके सामने रखूंगा, पूरी सरकार के सामने रखूंगा, इनकी सहयोगी पार्टियों के सामने रखूंगा और साथ ही यहां बैठे मैं अपने साथियों के बीच भी रखूंगा।

इस सत्र के प्रारंभ में मैंने एक प्रश्न पूछा था जिसकी क्रम संख्या अतारांकित प्रश्नों की सूची में 2066 थी। यहां यह मेरे पास है। मैंने पूछा था कि क्या माननीय विनिवेश मंत्री को इस प्रतिवेदन के बारे में जानकारी है और इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। किन्तु, इस प्रश्न को माननीय लोक उद्यम मंत्री के हवाले कर दिया गया। क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री मनोहर

[श्री मणि शंकर अय्यर]

जोशी से अपील कर सकता हूं कि वे मेरी बात सुनें? मुझे नहीं पता कि क्यों मेरे प्रश्न को लोक उद्यम मंत्री के हवाले कर दिया गया है। लोक उद्यम राज्य मंत्री की ओर से मेरे पास इसका जो लिखित उत्तर आया उसमें सरकार की अपने कर्मचारियों व अपने बुद्धिजीवी लोगों द्वारा कही गई अथवा आग्रह की गई बातों के प्रति विस्मयकारी उदासीनता साफतौर पर झलकती थी। अपने उत्तर में राज्य मंत्री ने केवल उन्हीं बातों को स्थान दिया था जो 'न्यू विजन' शीर्षक के अंतर्गत कार्यकारिणी सारांश अंतिम भाग में कहा गया था और 'मेजर फाइंडिंग्स' शीर्षक के अंतर्गत पिछले भाग को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया था।

मैं इस प्रतिवेदन में दिए गए निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया जानना चाहता था। किन्तु उन्होंने इन निष्कर्षों के समस्त भाग को छोड़कर कुछ उन शब्द समूहों पर अपनी प्रतिक्रिया दी जो 'न्यू विजन' शीर्षक के अंतिम भाग में कहे गए हैं। इसलिए, मैं वह करने के लिए बाध्य हूं जिसे करने में लोक उद्यम मंत्री असफल रहे हैं—मैं सदन को उन महत्वपूर्ण निष्कर्षों से अवगत कराना चाहता हूं जिनका उल्लेख लोक उद्यम संबंधी स्थायी समिति (एससीओपीई) ने अपने प्रतिवेदन में तथा औद्योगिक और आर्थिक अनुसंधान केंद्र ने विस्तृत रूप से तथा गहन अनुसंधान के बाद अपने दस्तावेज में किया है।

उन्होंने इसमें क्या कहा है? मैं महत्वपूर्ण निष्कर्षों को केवल संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि 300 पृष्ठों को सिर्फ पांच मिनट में नहीं समेटा जा सकता। अध्ययन किए गए 236 सरकारी उपक्रमों में कुल निवेश 2,36,000 करोड़ रुपए है। सरकार क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या वर्ष दर वर्ष बदलती रहती है। उन्होंने अपना स्वयं का आधार वर्ष लिया है जिसके अनुसार उस वर्ष इन उपक्रमों की संख्या 236 थी। वह 236 उपक्रमों में 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। जबकि इन सभी सरकारी उपक्रमों में सरकार की कुल इक्विटी केवल 77000 करोड़ रुपए है और सरकार का ऋण 20,000 करोड़ रुपए है। मैं अरूण शौरी और उनके साथियों की ओर से सुनता रहता हूं—यहां तक कि आज श्री राजीव प्रताप रूडी ने भी कहा है कि लगभग 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हां, यह सही है। लेकिन, यह निवेश सरकार की ओर से नहीं किया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा किया गया कुल निवेश इक्विटी के रूप में लगभग 77000 करोड़ रुपए का है और लगभग 20000 करोड़ रुपए का बकाया ऋण है। बस इससे ज्यादा नहीं।

दूसरे शब्दों में, जब आप कुल निवेश की तुलना करते हैं कि सरकार ने इनमें 1,30,000 करोड़ रुपए लगाए हैं जो कि सरकारी क्षेत्र में किए गए निवेश के आधे से भी अधिक हैं, तो यह सारा निवेश सरकार की ओर से नहीं बल्कि स्वयं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपनी आय से या बाजार से उगाए गए धन से किया गया है। यह आपका पैसा नहीं है। यह सरकारी क्षेत्र का पैसा है न कि सरकार का। सरकार ने तो इनमें कुल निवेश का मात्र आधा दिया है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोण्टाई) : क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें और शेयर पूंजी के बीच कोई अंतर है...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर (मयिलादुतुराई) : हां, बिल्कुल।

अपराह्न 4.00 बजे

सभापति महोदय : अभी 4 बजे हैं। अब मैं सभा की राय जानना चाहता हूं कि क्या इस चर्चा को आगे जारी रखा जाए या रेल मंत्री से कहा जाए कि वह अनुदानों की पूरक मांगों को पेश करें? क्या उसके बाद हम लोग चर्चा को पुनः शुरू करें? मैं सभा की राय जानना चाहता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर : हम लोग 5.00 बजे तक जारी रख सकते हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : महोदय, हम लोग अनुदानों की पूरक मांगों (रेल) को शुरू करें।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, अध्यक्ष जी ने हमें बुलाया था, और माननीय अध्यक्ष इस बात से सहमत थे कि हम लोग इस चर्चा को 5 बजे तक जारी रखें। इसलिए 5.00 बजे हम लोग अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) को शुरू करेंगे।

सभापति महोदय : चूंकि नेताओं की बैठक में इस बात पर सहमति जताई गई थी इसलिए मंत्री के उत्तर के बाद 5 बजे हम लोग अनुदान की पूरक मांगों (रेल) को शुरू करेंगे। श्री अय्यर कृपया आप जारी रखें।

श्री मणि शंकर अय्यर : वास्तव में मात्र तीन वर्षों में ही यानी 1996–99 में सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों ने बाजार से 90,000 करोड़ रुपए से भी अधिक जुटाए हैं जो आजादी के बाद के 50 वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्र सरकार के समस्त संचित निवेश के लगभग बराबर है। कोई सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपना धन क्यों लगाना चाहेगा जब तक कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में उनके विचार विनिवेश मंत्री के विचारों से बेहतर नहीं होंगे।

दूसरी बात यह है कि महोदय लगभग 77,000 करोड़ रुपये के अंशदान की सरकारी इक्विटी पर सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय

उपक्रम शुद्ध लाभ कमा रहे हैं और इनमें सरकारी क्षेत्र के वे 106 उपक्रम भी शामिल हैं जो घाटे में चल रहे हैं। हम घाटे में चलने वाले और मुनाफे में चलने वाले सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को एक साथ ले रहे हैं। सरकारी क्षेत्र का शुद्ध लाभ सरकार द्वारा लगाई गई इक्विटी पर 17 से 19 प्रतिशत है यह मेरा आकलन नहीं है यह इस विस्तृत प्रतिवेदन में दिया हुआ है। यह निजी क्षेत्र की इनकी प्रतिपक्षी कंपनियों के औसत लाभ से कहीं अधिक है।

तीसरी बात कि अगर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार की कुल आय संयोजित की जाए अर्थात् आप इसमें लाभांश, ब्याज, कर और शुल्क सभी को जोड़ते हैं और अगर आप इन सभी को एक साथ मिलाते हैं तो पाएंगे कि केवल तीन वर्षों, 1996–99 के दौरान ही सरकार ने पिछले 50 वर्षों में अपने कुल संचित निवेश पर 138 प्रतिशत की बहुत बड़ी आय अर्जित की है। पिछले 50 वर्षों में आपका कुल संचित निवेश लगभग 96,000 से 97,000 करोड़ रुपए तक का रहा है और यदि इन सभी प्राप्तियों को एक साथ जोड़ दें, तो यह 1,28,000 करोड़ रुपए की आय बनती है।

इस संदर्भ में मैं सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि इस सत्र में मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 991 के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने उस बात की पुष्टि की जिसके प्रति हम सभी लंबे समय से आशंकित थे कि हमारे सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर कुल 2,500 करोड़ रुपए का आयकर और कारपोरेट टैक्स बकाया है जबकि निजी क्षेत्र की कंपिनयों पर इसका लगभग दस गुना अधिक कर बकाया है। वित्त मंत्री द्वारा दिए गए और मुझे प्राप्त उत्तर के अनुसार यह राशि 20,000 करोड़ रुपए है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम करों का भुगतान कर रहे हैं जबकि निजी क्षेत्र करों का भुगतान नहीं कर रहा है। इस प्रकार के अंधाधुंध विनिवेश और निजीकरण से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि सरकार के राजस्व में भारी कमी आ जाएगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है।

बाजार उन बातों पर भी ध्यान देता है जिन्हें सरकार पूरी तरह अनदेखा कर देती है। इस रिपोर्ट के अनुसार केवल 22 इकाइयां–श्री रूडी ने इनकी संख्या 24 बताई है, मुझे निश्चित तौर पर ठीक–ठीक संख्या मालूम नहीं है; लेकिन यदि हम यह मान भी लें कि हमारी 236 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से 22 इकाइयां ही स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। पिछले बजट की पूर्व संध्या पर 25 फरवरी, 2000 को मात्र इन 22 कंपनियों की बाजार पूंजी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक थी, अर्थात् सरकार द्वारा पिछले 50 वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में निवेश की गई कुल पूंजी से 150 प्रतिशत अधिक थी।

236 कंपनियों में से केवल 22 कंपनियों की बाजार पूंजी पिछले पचास वर्षों में आपके कुल निवेश से 150 प्रतिशत अधिक है। इसके बावजूद आप सार्वजनिक क्षेत्र को तुच्छ समझते हैं।

चाहे सरकार इस बात को न भी समझे, बाजार समझता है कि अगर आप हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के 236 उपक्रमों की तुलना निजी क्षेत्र के अग्रणी 5,000 उद्यमों से करें–जैसा कि सेंटर फार दी मानीटरिंग ऑफ दी इंडियन इकॉनामी (सी.एम.आई.ई.) ने किया है–तो आप पाएंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कर–पूर्व औसत लाभ दर निजी क्षेत्र से एक–चौथाई प्रतिशत अधिक है। क्या आप फिर भी इन्हें लाभ न कमाने वाली इकाइयां कहेंगे?

महोदय, इकॉनॉमिक वैल्यू एडिड के नाम का एक नया मानदंड है जिस पर मैंने प्रश्न पूछा है और जल्दी ही उसका उत्तर मिलने की आशा है। अभी तक मुझे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इकॉनॉमिक वैल्यू एडिड (ई.वी.ए.) नामक इस मानदंड के आधार पर–जिसे सामान्य तौर पर रिटर्न ऑन नैट वर्थ की ही भांति लेखांकन दरों से बेहतर माना जाता है–सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी 50 उद्यमों और अग्रणी 100 लोक उद्यमों दोनों का ही प्रदर्शन 50 अग्रणी निजी उद्यमों और 100 अग्रणी निजी उद्यमों से बेहतर रहा है। मंत्री महोदय–मंत्री महोदय से मेरा आशय मेरे पुराने मित्र अरूण शौरी से है–स्कोप (एस.सी.ओ.पी.ई.) ने यह निष्कर्ष मार्क्सवादी डेली न्यूज के आधार पर न निकालकर इकॉनॉमिक टाइम्स में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निकाला है। कृपया इस बात को समझें कि 'इकॉनॉमिक टाइम्स' जो निजी क्षेत्र की वकालत करता है, ने एक सर्वे किया था जिसके आधार पर लोक उद्यमों पर स्थायी सम्मेलन ने निष्कर्ष निकाले हैं जिनसे पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के 50 श्रेष्ठ निगमों के ई.वी.ए. का प्रदर्शन निजी क्षेत्र के 50 श्रेष्ठ उद्यमों से बेहतर रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र के श्रेष्ठ 100 निगमों के ई.वी.ए. का प्रदर्शन निजी क्षेत्र के 100 श्रेष्ठ उद्यमों से बेहतर रहा है।

महोदय, मैं पूछता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र पर यह सैद्धान्तिक हमला क्यों? सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कार्यक्षम और अक्षम इकाइयों; अर्थक्षम और गैर अर्थक्षम इकाइयों; आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और अनावश्यक इकाइयों के रूप में श्रेणीबद्ध करने से इनकार क्यों कर रही है? ये श्रेणियां निर्धारित करने में सरकार के सामने कौन–सी बड़ी कठिनाई है? श्रेणियां बनाते समय किन इकाइयों का विनिवेश किया जाए; किनका निजीकरण किया जाए और किन इकाइयों का पुनर्गठन किया जाए? क्या ऐसा इसलिए है कि सरकार के एक लाख करोड़ रुपए से कम निवेश राशि का वास्तविक मूल्य आज उस राशि के तीन गुना

[श्री मणि शंकर अय्यर]

से अधिक है? सरकार ने सौ हजार करोड़ रुपए से कम राशि का निवेश किया है और उन आस्तियों का वास्तविक मूल्य कम से कम तीन सौ करोड़ रुपए है और सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बाजार पूंजी इस राशि का लगभग बारह गुना है।

महोदय, लगभग पांच सौ हजार करोड़ रुपए की आस्तियों, जिनका बाजार मूल्य शायद पच्चीस लाख रुपए है, के संबंध में ऐसी अपारदर्शिता क्यों? सरकार इस मामले में संसद की सलाह लेने से इनकार क्यों कर रही है, इस संबंध में नीति घोषित न करने पर इतना जोर क्यों? मेरे मित्र श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी हैं, ने अभी कहा कि सरकार की कोई विनिवेश नीति नहीं है। सरकार पच्चीस लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति के विषय में उस नीति का खुलासा करने से इन्कार कर रही है जिसके आधार पर वह इससे अपना पल्ला झाड़ रही है। मैं इस संबंध में सरकार की अनिच्छा को समझ नहीं पा रहा हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री अय्यर, आप पंद्रह मिनट का समय ले चुके हैं। अभी आपको और कितना समय चाहिए?

श्री मणिशंकर अय्यर : यदि आप मुझे पंद्रह मिनट का समय और दें तो मैं अपना भाषण समाप्त कर सकूंगा। मैंने जानबूझकर अपना भाषण तैयार रखा था। यदि आपके पास समय नहीं बचा है तो मुझे बता दें, मैं इसे सभा पटल पर रखकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं समझता हूं कि जो मुद्दे मैं उठा रहा हूं, वह तर्कसंगत है और जिस पर हमें उत्तर चाहिए।

सभापति महोदय : क्या आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं शुरू करता हूं। आप जब भी चाहेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा। मैं अपने भाषण का शेष भाग या तो मंत्री महोदय को या फिर सचिवालय को सौंप दूंगा। मैं समझता हूं कि यहां इतनी चहल–पहल हो रही है कि आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं और आपका ध्यान भंग हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी बात सुनें।

सरकार संसद को यह बताने से क्यों कतरा रही है कि अपनी व्यापारिक गतिविधियों को चलाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपेक्षित स्वायत्तता देने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 12 में संशोधन किए जाने या उसमें कोई स्पष्टकीरण–एक पंक्ति का स्पष्टीकरण जोड़े जाने के विषय में उसके विचार क्या हैं। हमने अभी श्री पी. ए. संगमा से सुना कि दिल्ली से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यों में अनुच्छेद 12 में दिए गए संरक्षण की आड़ में किस तरह हस्तक्षेप किया जाता है। सरकार को केवल अनुच्छेद 12 में संशोधन करना है, या इस अनुच्छेद में इस आशय का एक स्पष्टीकरण जोड़ना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उस दृष्टि से राज्य के अंग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए जैसे विनिवेश विभाग को राज्य का अंग समझा जाता है, और इस प्रकार उन्हें आवश्यक व्यापारिक स्वायत्तता मिल जाएगी।

मुझे समझ नहीं आता है कि सत्ता पक्ष में इस प्रकार की चर्चाएं क्यों चलती रहती हैं!

सभापति महोदय : माननीय खेल मंत्री जी, कृपया आप यहां खेल न खेलें।

श्री मणि शंकर अय्यर : श्री जोशी जी से मुझे कई बातें कहनी हैं। उनका ध्यान हमेशा आकृष्ट किया जाता रहा है।

लोक उद्यम राज्य मंत्री जी इसी बारे में बात करते रहे। यह भी क्या मजाक है! मैं वास्तव में इसे मजाक कहता हूं। श्री प्रभात सामन्तराय द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 1127 के उत्तर में, उन्होंने यह बात कही। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अपने डिप्टी की बात को ध्यानपूर्वक सुनें। वह कहते हैं :

> "सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके दैनिक कार्यसंचालन में वाणिज्यिक स्वतंत्रता प्राप्त है।"

क्या मंत्री जी इस बात का विश्वास करते हैं? श्री संगमा जी ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को चलाने के एक दशक के अनुभव के बाद जो हमें बातें बताईं, वे आपने अभी–अभी सुनी हैं। उन्हें वाणिज्यिक स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। इन उद्यमों को यह प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

'स्कोप' अध्ययन के निष्कर्षों को सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति के लिए एक ज्ञापन में परिवर्तित कर दिया गया है। मैं समझता हूं श्री सुदीप बंद्योपाध्याय इसके सदस्य हैं। मेरा यह अनुरोध है कि सरकारी उद्यमों संबंधी समिति जब तक 'स्कोप' ज्ञापन के संबंध में संसद को सूचना नहीं देती, सभी प्रकार का विनिवेश बंद रहना चाहिए।

पिछली चर्चा में मैंने मंत्री जी के समक्ष 13 प्रश्न रखे थे जिनका उत्तर देने से मंत्री जी ने मना कर दिया। अब, 'स्कोप' से भी इसी प्रकार के प्रश्न उठे हैं। उन्होंने पूछा है, "क्या ह ं पास कोई व्यापक विनिवेश नीति है?" उत्तर है, 'नहीं।' उन्होंने

पूछा है, 'क्या सरकार की विनिवेश नीति में सरकारी क्षेत्र की पूर्ण नीति शामिल है?' उत्तर है, 'नहीं।' 'विनिवेश के कौन–कौन से मुख्य लक्ष्य होने चाहिए?' हमारे जैसे प्रश्न उठाते हुए 'स्कोप' पूछता है सरकार उत्तर देने से मना कर देती है। सरकार के लिए विनिवेश अपने आप में ही एक लक्ष्य है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं वरन् सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की विरोधी सैद्धान्तिक पूर्वानुरागों को संतुष्ट करना है। 'स्कोप' ज्ञापन हमारी चिंताओं पर विचार करते हुए पूछता है, "निजीकरण, विनिवेश अथवा पुनर्गठन की विविध कार्यप्रणालियों के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के चयन के क्या मानदंड हैं?' सरकार यह कहकर मानदंड बताने से मना कर देती है कि वह मामला–दर–मामला आधार पर निर्णय करेगी। जैसा कि हमने पूछा, स्कोप पूछता है, 'व्यापारिक बिक्री के लिए, सामरिक बिक्री और विनिवेश के अन्य प्रकारों के लिए स्थापित किए जाने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के बारे में निर्णय लेने के क्या आधार हैं?' एक बार फिर सरकार मानदंड स्पष्ट करने से इंकार करती है। 'स्कोप' पूछता है और हम भी यही पूछते हैं, 'विनिवेश का संस्थागत ढांचा क्या है?' हमें उनसे पारदर्शी न होने का वही हठवादी इंकार मिलता है। हमने पूछा है और यही 'स्कोप' ज्ञापन पूछता है, 'विनिवेश से प्राप्त राशि का उपायेग कहां–कहां होगा?' इसी प्रश्न को श्री राशिद अलवी जी ने यहां पूछा है कि क्या इनका उपयोग विनिवेश कोष में, अथवा संचित निधि में सरकारी क्षेत्र के अर्थक्षम उपक्रम के पुनर्गठन में, मजदूरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा तंत्र का वित्त पोषण करने में, सामाजिक क्षेत्र के लिए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों या बुनियादी ढांचे में किया जाएगा? उनके पास उत्तर नहीं हैं। विनिवेश से प्राप्त आय का उपयोग की प्राथमिकता क्या होगी, इस संबंध में उनके पास कोई उत्तर नहीं है।

सरकार उत्तर देने से इनकार कर देती है। वह हमें चालाकी से यह विश्वास दिलाना चाहती है, जैसा कि अभी–अभी श्री राशिद अलवी जी ने कहा, कि चूंकि वार्षिक विनिवेश से प्राप्त आय किसी भी दूसरे मंत्रालय के वार्षिक आबंटन से कम है, इसीलिए हम यह मान सकते हैं कि सभी आगमों का उचित उपयोग किया जा रहा है। क्या यह इमानदारी से दिया गया उत्तर है।

महोदय, श्वेत पत्र की मांग न केवल विपक्ष के सभी सदस्यों द्वारा की जा रही है बल्कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो सहयोगी दलों, तेलुगूदेशम पार्टी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा भी की जा रही है और यही मांग हमारी है जिसका मुख्य कारण यह है कि सरकार, अथवा कम से कम वित्त मंत्री और विनिवेश मंत्री जी का इस दिशा में बढ़ता हुआ विश्वास कि गैर सरकारी क्षेत्र अच्छी चीज है और सरकारी क्षेत्र कोई अच्छी चीज नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री मनोहर जोशी, कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिए।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी) : मैं तो उनसे बात कर रहा था।

श्री मणि शंकर अय्यर : ठीक है। मैं खुश हूं कि वह यहां मौजूद हैं...*(व्यवधान)* मैंने आपसे विशेष रूप से यहां मौजूद रहने की प्रार्थना की थी।

सभापति महोदय जी, दो माननीय मंत्री कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र अच्छी चीज है और सरकारी क्षेत्र अच्छा नहीं है। माननीय लोक उद्यम मंत्री जी ने दिनांक 1 अप्रैल, 2000 के अपने भाषण में, जिसे इस रिपोर्ट में भी उद्धृत किया गया है, कहा, "मेरी राय में, दक्षता स्वामित्व पर निर्भर नहीं है।" आश्चर्य है। लोक उद्यम मंत्री जी कहते हैं, "दक्षता स्वामित्व पर निर्भर नहीं है।" वह आगे कहते हैं, "जिस प्रकार से निजी क्षेत्र की सफल कंपनियां हैं और कम सफल कंपनियां भी हैं ठीक उसी प्रकार सरकारी क्षेत्र के दक्ष उपक्रम हैं और कम दक्ष उपक्रम भी हैं।"

यह प्रत्यक्ष रूप से सिन्हा–शौरी के दावे के विपरीत है। जो सरकार सरकारी क्षेत्र के दक्ष और दक्षहीन उपक्रमों में भेद न कर सकती हो, लगातार लाभ–अर्जित करने वाली और लगातार घाटे में चलने वाले उद्यमों में भेद न कर सकती हो और जो कभी–कभी घाटे में चलती हो और जो कभी–कभी लाभ अर्जित करती है उनके बीच भेद न कर सकती हो तो वह विनिवेश नीति कैसे बना सकती है?

अतः सभापति महोदय जी, तथ्य यह है और जैसा कि 'स्कोप' ज्ञापन में भी कहा गया है, विनिवेश के लिए समेकित रणनीतियां नहीं हैं और न ही कोई मार्ग–निर्देश है। इस समय जो भी श्री अरूण शौरी जी कह रहे हैं, वही सरकारी नीति है। इसलिए वह अपनी ही सरकार में इतना अधिक भ्रम उत्पन्न कर देते हैं।

महोदय, जैसे ही श्री अरुण शौरी बोलने के लिए तत्पर होते हैं, सभी, चाहे वह नागर विमानन मंत्री जी श्री शरद यादव हों, अथवा पेट्रोलियम मंत्री, श्री राम नाईक अथवा वस्त्र मंत्री श्री काशीराम राणा हों अथवा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री श्री मनोहर जोशी हों, स्पष्टीकरण देना शुरू कर देते हैं।

सरकार यह नहीं जानती और मंत्रीगण भी इस बात से सहमत नहीं हैं कि सरकार की विनिवेश नीति क्या है, और वस्तुतः आज राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन की दो पार्टियों–तेलुगूदेशम पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इस चर्चा में नीति के अभाव की निन्दा की है।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

महोदय, श्री नरेश पुगलिया और अन्य चार सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 953 के उत्तर में, लोक उद्यम राज्य मंत्री जी ने इस बात की पुष्टि की कि उनका मंत्रालय लोक उद्यमों के लिए श्वेत पत्र लाने पर कार्य कर रहा है। मेरा प्रश्न है, हमारे और सारे विपक्ष द्वारा उठाए गए तथा 'स्कोप' द्वारा उठाए गए और उनकी सहयोगी पार्टियों द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर को श्वेत पत्र में शामिल करने में माननीय मंत्री जी श्री अरूण शौरी जी श्री मनोहर जोशी जी का साथ क्यों नहीं देते? नये विभाग की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए विनिवेश संबंधी स्थायी समिति की अपनी मांग को हम पुनः दोहराते हैं। मैं जानता हूं कि विनिवेश मंत्री जी सज्जन हैं। उन्हें मैं आरंभ से जानता हूं--उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर इतना गर्व है कि वह किसी दूसरे की सलाह की आवश्यकता नहीं समझते। हम यहां व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हमें विनिवेश के लिए संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है जिससे संसद परामर्श देने और स्वीकृति प्रदान करने की भूमिका में आ सके।

महोदय, संसदीय स्वीकृति के बगैर सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम में सरकारी धन के एक पैसे का भी विनिवेश नहीं किया गया। हजारों करोड़ रुपये की राष्ट्रीय संपदा से खिलवाड़ करके और इस संबंध में संसद से परामर्श किए बगैर ऐसा करके यह सरकार संसद का उपहास करने की कैसे जुर्रत कर सकती है जबकि इस संपदा के सृजन में इस सरकार का कोई योगदान नहीं रहा है।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढाना) : सभापति महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश पर नियम 193 के अंतर्गत हो रहे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय भारी उद्योग मंत्री भी इस चर्चा में हस्तक्षेप करेंगे।

सभापति महोदय : माननीय विनिवेश मंत्री इस चर्चा का जवाब देंगे।

श्री खारवेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मैंने श्री मणिशंकर अय्यर को जीवन में पहली बार वह कहते हुए सुना है, जो उन्होंने स्कोप रिपार्ट के बारे में कहा है।

सभापति महोदय : यदि आपने इस चर्चा में नहीं बोला है, तो आप कैसे इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठा सकते हैं? आपको चर्चा में भाग लेना चाहिए था।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप कृपया इस पुस्तक को पढ़ें। मैं आपको यह किताब दे सकता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको चर्चा में भाग लेना चाहिए था। कृपया सभा की कार्यवाही में बाधा न डालें।

श्री मणि शंकर अय्यर : इसे आपके कर्मचारियों, 'स्कोप' ने लिखा है।

श्री खारवेल स्वाइं : उन्होंने विनिवेश पर पहले की चर्चा में भी भाग लिया था, लेकिन ये बातें नहीं कहीं...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं, आपको, यह किताब उपहार के रूप में देता हूं...*(व्यवधान)* यदि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य 300 पृष्ठ पढ़ने में सक्षम हैं, तो उन्हें इसे पढ़ना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप किस तरह बिना मेरी अनुमति के बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के खड़े होकर मुद्दा उठा रहे हैं?

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : मैं सरकार की विनिवेश नीति पर अपनी पार्टी शिवसेना के विचार रख रहा हूं।

सर्वप्रथम, मैं विनिवेश नीति का विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मण सेठ (रामलुक) : धन्यवाद।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : मैं आपके धन्यवाद के लिए यह नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह हमारे विचार हैं।

यह कहा जा रहा है कि सरकार का व्यापार से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा प्रश्न है कि यदि ऐसा है, तो क्या अर्थव्यवस्था का संतुलन बनाए रखना और उस पर नियंत्रण रखना सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है? क्या देश का संपूर्ण विकास करना सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है?

विनिवेश नीति के बारे में और सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के बारे में कई सवाल मेरे जहन में है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर एक नजर डालें। आजादी के बाद कृषि और उद्योग में बहुत अधिक निवेश की जरूरत थी। इसीलिए 1969 में निजी क्षेत्र के 14 बैंकों और इसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हमें इस बात से सहमत होना पड़ेगा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के जरिए कुछ प्रगति हुई है। लेकिन आज हम फिर सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं। पिछले 14 वर्षों का हमारा अनुभव है कि कई निजी बैंक या तो बंद हो गए हैं या उनको राष्ट्रीयकृत बैंकों में विलय

हो गया है। हमारा निजी क्षेत्र के बैंकों के बारे में यही अनुभव है।

यदि संपूर्ण विकास के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक खोले गए थे, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है? दूसरी बात, सरकारी क्षेत्र के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। क्या बेरोजगारी की समस्या का हल कर लिया गया है? आज देश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है।

अपराह्न : 4.25 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यहां पुनः प्रश्न उठता है कि क्या देश का पूर्ण विकास हुआ है। उत्तर है नहीं। आज भी हमारा देश अल्पविकसित या अविकसित है।

यह कहा गया है कि विनिवेश के कारण कोई छंटनी नहीं की जाएगी। लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है। इस लुभावने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लेकर कामगारों के मन में आशंका और डर है। वे वी.आर.एस. को इसलिए स्वीकार करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि निजी प्रबंधन उन्हें अक्षमता या अनुशासनहीनता या किसी और कारण का बहाना बनाकर नौकरी से निकाल देगा। कामगारों के मन में यही डर है।

सरकार का कहना है कि कोई छंटनी नहीं की जाएगी। वर्तमान नौकरी में हो सकता है, यह न हो। लेकिन आगामी रोजगार? आज सरकार सरकारी क्षेत्र की मालिक है। इसीलिए प्रत्येक तबके के लोग चाहे वे अनुसूचित जाति के हों या अनुसूचित जनजाति के या किसी पिछड़े वर्ग के, सरकारी क्षेत्र में नौकरी पा रहे हैं। जब निजी प्रबंधन आएगा तो भविष्य में क्या होगा? क्या वे हर वर्ग के लोगों को नौकरी देंगे? यही प्रश्न हम सबके सम्मुख है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : मैं केवल पांच मिनट बोला हूं। मुझे कम से कम 15 मिनट चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समझिए, समय बहुत कम है। मैं आपको 15 मिनट नहीं दे सकता। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : ठीक है, कृपया मुझे 2 मिनट और दीजिए। मेरा सुझाव यह है। सरकार का कहना यह है कि सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा या उनका विनिवेश किया जाएगा। लेकिन सरकारी क्षेत्र का वर्गीकरण जरूरी है। इसे सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। यदि प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उद्योग लाभ में चल रहे हैं तो सरकार को इस प्रकार के उद्योग के विनिवेश की क्या जरूरत है? दूसरी बात, यदि कुछ रुग्ण उद्योगों के पास जरूरत से अधिक भूमि या परिसंपत्ति है, तो सरकार उसके पुनरुद्धार का प्रयास क्यों नहीं करती? तीसरी बात, यदि कोई उद्योग भारी घाटे में चल रहा हो, और कोई विकल्प न हो, तो हम स्थिति समझ सकते हैं, और सरकार उनका विनिवेश कर सकती है। मैं एक महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा। सरकार निजी कंपनियों या छोटी कंपनियों से घाटे में चल रहे उद्योगों की परिसंपत्तियों का 25% मूल्य लेकर उनका प्रबंध उन्हीं को क्यों नहीं सौंप देती? इस मामले में प्रबंध पट्टे पर चलेगा। सरकार को इसका प्रयास करना चाहिए। ये उद्योग सरकार के हाथ में रहेंगे। मालिकाना उत्तरदायित्व भी रहेगा। इस प्रकार सकरार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर पूरा नियंत्रण रहेगा और विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, डिसइन्वेस्टमेंट पर बहस चल रही है और हम देख रहे हैं कि यह सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के काम में जन–विरोधी और मदमस्त हो गई है। सभी सहयोगी दल इसके खिलाफ हैं। हम सब खूंटा गाढ़कर इसके खिलाफ हैं लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे हैं। इसी को मत–विरोधी सरकार कहते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या इतनी जोर से बोलना ठीक है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये बताएं कि डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन को क्यों खत्म होने दिया? डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन को खत्म करके डिसइन्वेस्टमेंट विभाग बनाया और कहा कि खर्च कम करो। क्या देश बेचने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट की दुकान खोली है–यह स्पष्ट करें? सब लोग कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी प्रथम शब्द है लेकिन कहां है पारदर्शिता? डिइन्वेस्टमेंट कमीशन की अनुशंसा को इन्होंने धता बता दिया। कोई नहीं मान रहा है। सब लोग किताब पढ़कर बता रहे हैं। इनके मंत्री शरद जी खिलाफ हैं, ये नहीं बताते। मनोहर जोशी जी, राम नाईक हैं। ये 127 मुनाफे वाली अंडरटेकिंग्स को भी बेचना और खत्म करना चाहते हैं। इसमें हमारा आरोप है कि ये हड़बड़ी में बेच रहे हैं। इन्होंने फिक्स कर दिया कि दस हजार करोड़ रुपये की आमद करेंगे। कौड़ियों के भाव अंडरटेकिंग्स को बेचना चाहते हैं। उसका रुपया आएगा तो उसे कहां ले जाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट ने क्या कहा, श्री अलवी ने पढ़कर

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

बताया। हमको बताने का मौका नहीं है लेकिन हम जबानी कहना चाहते हैं। मारुति के बारे में बहस चल रही है। मंत्री सरकार की तरह नहीं, प्रबंधन के कर्मचारी की तरह करते हैं। कहते हैं कि मालिक से पूछकर बताएंगे। आपके यहां बैठक हुई। वहां हजारों कर्मचारी भूख हड़ताल कर रहे हैं। मामला सीधा है कि गुड अंडरटेकिंग्स को, जो अनलॉफुल है, खत्म करो और जो विक्टेमाइजेशन की कार्यवाही हुई है, उसे खत्म करो, बाकी बातें बाद में होंगी। एक बार नहीं दर्जनों बार सवाल उठाया। सीमेंट कॉर्पोरेशन छः महीने से बंद है। उसमें एक ऑफिसर का नाम भेजा और उस ऑफिसर का नाम भेजा जिसके बारे में सी.वी. सी. और सी.बी.आई. ने लिखा है कि इनको कभी भी सैनसिटिव पोस्ट पर नहीं रखना चाहिए। फिर कहा कि ऐसी गड़बड़ी पाई गई है। इन्होंने एक नाम भेज दिया। जब हल्ला हुआ तो प्रधान मंत्री जी ने फिर वापिस कर दिया। मल्टी नेशनल्स की साजिश है कि अपने आदमियों को उच्च पदों पर बिठा दो ताकि बाद में कौड़ियों के भाव खरीदने में उन्हें सहूलियत हो। इतनी बड़ी साजिश चल रही है। इसलिए सब लोग इस बहस को जान गए हैं कि ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है। माडर्न फूड की देशभर में अफवाह है। श्री शौरी लिखा-पढ़ी का काम करते थे, इनको फंसा दिया। पहले माल बटोरने वाले इस पोस्ट पर रहते थे। हिस्सेदारी में बदली हो गई, अब भले आदमी को उसमें रख दिया। कहां गड़बड़ा जाएंगे, हम नहीं जानते। कहते हैं कि रिसोर्स कलैक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट विभाग खोला गया है। माडर्न फूट में क्या है? क्यों नहीं बताते कि कितने की जमीन थी, अभी उसकी कितनी कीमत है और कितने में बेचा है। अभी हिन्दुस्तान लीवर ने लिया, नेशनल वाले ने क्यों नहीं लिया कि मल्टीनेशनल ने उसे खरीदा। ये हंगरी, रशिया से क्यों नहीं सीखते। शुरू में बेचने से फायदा होता है। लेकिन जब विदेशी मल्टी नेशनल्स उससे लाभ कमाकर अपने देश में ले जाने लगेंगे तब रूस और हंगरी की स्थिति इस देश की भी होने वाली है। इसीलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हंगरी और रूस से सीखो। ये डिसइन्वेस्टमेंट करके प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। इससे प्रारम्भ में कुछ फायदा लगता है, लेकिन बाद में इसका बड़ा दुष्परिणाम होता है, इसका भी ये ख्याल करें। ये कहते हैं कि हम फिस्कल डैफीसिट कम करेंगे या साधेंगे या बजट के घाटे की पूर्ति देश बेचकर करेंगे, यह सारा गलत है और डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन की अनुशंसा के खिलाफ है। इसीलिए जो-जो सवाल उठाए गए हैं, इनका ये जवाब दें, नहीं दें, नहीं तो गर्म अफवाह है कि डिसइन्वेस्टमेंट में आप देश को बेच रहे हैं, ले-देकर यह काम कर रहे हैं, करोड़ों-करोड़ का घोटाला इसमें हो रहा है, यह लोगों की आशंका है। आप जाहिर करिए कि आप साफ-सुथरे ढंग से काम करते हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। हमें लगता है कि इस सरकार की आयु समाप्त हो गई है, इसीलिए यह सरकार मदान्ध हो गई है। ये अपने सहयोगी दल की बात भी नहीं सुन रहे हैं, इतने मदान्ध हो गए हैं। इसीलिए मैं इनको सावधान करना चाहता हूं कि देश बेचने का काम इस ढंग से नहीं किया जाए। हम लोग इसके बहुत खिलाफ हैं और खिलाफत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, आप इतने जोर से मत बोला करिए, आपको पसीना भी आ रहा है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : कितना बोलते हैं, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : मुझे यह अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। कल श्री बसुदेव आचार्य ने विनिवेश पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आरंभ की थी। उन्होंने विस्तार से बताया था कि किस तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर ने यही प्रक्रिया आरंभ की थी, किंतु बात बिल्कुल अलग थी, और उन्होंने यह व्याख्या भी की थी कि 1991 में कांग्रेस द्वारा आरंभ की गई प्रक्रिया और संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा किए गए कार्य के बीच क्या अंतर था।

वर्तमान राजग सरकार विडंबनाओं और असमंजस का पुलिंदा है। इनमें विवेक की कमी है जिससे ये रक्षात्मक होने को बाध्य हैं। जहां तक सुयोग्य पूर्व पत्रकार और माननीय मंत्री श्री शौरी का संबंध है, मुझे चर्चिल की याद आती है जिन्होंने वृहद् ब्रिटिश साम्राज्य के परिसमापन का सूत्रपात किया। माननीय मंत्री जी हमारी राष्ट्रीय संपदा के साथ ऐसा कर रहे हैं। मंत्री जी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि वे हमारी राष्ट्रीय संपदा के परिसमापन का कार्य आरंभ कर रहे हैं। भाजपा के चतुर और प्रखर वक्तागण, वरिष्ठ व्यक्ति श्री मल्होत्रा और भाजपा की युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि श्री रूडी भी असमंजस में थे और इसी कारण उनके लिए दुविधा भी थी। भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार कौन सी विनिवेश नीति का अनुसरण कर रही है? वर्ष 2000-2001 के बजट भाषण में श्री यशवन्त सिन्हा ने कहा :

> "अर्थक्षम बनने की संभावना वाले सरकारी उपक्रमों का पुनर्गठन और पुनरुद्धार किया जा रहा है, उन सरकारी उपक्रमों को बंद किया जा रहा है जिनका पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता और सभी गैर-महत्वपूर्ण सरकारी उपक्रमों में सरकार की इक्विटी को 26 प्रतिशत या आवश्यकतानुसार इससे कम किया जाएगा।"

बजट भाषण में उल्लिखित पहली दो बातों ने तीसरी बात का खंडन कर दिया। उन्होंने यह भी कहा था कि नीति के अंतर्गत वे कामगारों के हितों की रक्षा करेंगे। यहां भी भारी विडंबना है और ये कामगारों के हितों की रक्षा कभी नहीं कर पाएंगे। मारुति का ही उदाहरण ले सकते हैं। ये केवल बातें कर रहे हैं। इन्होंने 'स्वदेशी' के साथ कार्य आरंभ किया था और अब ये हमारे निवेश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच रहे हैं।

असमंजस और विडंबना ही नहीं है बल्कि दंभ भी है। 'स्वदेशी' की तो ये बात करते हैं लेकिन असल में 'विदेशी' की सेवा कर रहे हैं।

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कहना चाहूंगा, 1999–2000 के बजट भाषण में पृष्ठ 17 के अनुच्छेद 41 में उल्लेख है :

> "1999 में मेरा विनिवेश के माध्यम से 10,000 करोड़ रु. जुटाने का प्रस्ताव है। इससे सरकार को सामाजिक और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की आवश्यकताओं हेतु वित्तपोषण करने में मदद मिलेगी। इतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि इससे इन उद्यमों की उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार होगा और घरेलू पूंजी बाजार का भी विकास होगा।"

अपनी सम्पदा और शेयरों को बेचकर उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार एक कल्पना है, यह सच्चाई नहीं हो सकती।

दूसरी बात यह कि एक अन्य बजट भाषण में बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्रों के बारे में इन्होंने क्या कहा? महोदय, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों के बारे में दो उदाहरण देना चाहूंगा। 1999–2000 के बजट भाषण में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ माननीय वित्त मंत्री की यशवन्त सिन्हा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र के बारे में कहा था :

> "केन्द्र सरकार उन ग्राम पंचायतों को धनराशि उपलब्ध कराएगी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना के लिए अपने योगदान सहित आगे आएगी।"

महोदय, अगर ऐसा ही है, तो इसमें केंद्र सरकार क्यों हो? इसलिए सामाजिक क्षेत्र में विनिवेश के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में निवेश कहां है? एक विडंबना है। इनकी कोई नीति नहीं है, दूसरा क्षेत्र शिक्षा का है। वित्त मंत्री जी ने कहा था :

> "इनका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था करने का है जहां से एक किलोमीटर की दूरी तक ऐसा कोई विद्यालय न हो। प्रारंभ में स्थानीय समुदाय परिसर उपलब्ध कराएगा और किसी स्थानीय व्यक्ति का अंशकालिक अध्यापक के रूप में चयन करेगा। शिक्षण सामग्री और अन्य सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी जबकि 'ग्राम पंचायत' विद्यालय चलाने के लिए स्थानीय समुदाय से नकदी और अन्य सामग्री के अंशदान को जुटाएगी।"

इनका इस तरह से इन महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के वित्तपोषण का विचार है। अपनी नीति में इनका कहना है कि ये इन सभी क्षेत्रों के लिए विनिवेश राशि का उपयोग करेंगे। यह एक विडंबना है।

मैं कहना चाहूंगा कि कार्मिक वर्ग की सुरक्षा नहीं रहेगी। उदाहरणस्वरूप, मारुति के कर्मचारियों को लें। वे दो महीने से भी अधिक समय से हड़ताल पर हैं और पिछले पांच दिनों से भूख हड़ताल पर भी हैं। उनके साथ दासों और बंधक मजदूरों जैसा सलूक किया जाता है क्योंकि उनसे यह स्व–सत्यापित प्रमाणपत्र देने के लिए कहा जाता है कि वे अपने काम का हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। यह भारत स्वतंत्र भारत है जिसका संविधान जीने का अधिकार प्रदान करता है। जीने के अधिकार का मतलब जानवरों की तरह रहना नहीं है। वरन हमें सम्मानजनक ढंग से ही जीना चाहिए। यह इस सरकार की नीति है और ये कहते हैं कि ये सभी कामगारों के हितों की रक्षा करेंगे।

इन्होंने बजट भाषण में यह भी कहा है कि ये एक वर्ष में एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। अब, यह तीसरा वर्ष है। इनकी नीति के अनुसार तीन करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थीं। इसके बजाय इन्होंने तीन मंत्रालयों का सृजन किया जिनमें विनिवेश मंत्रालय शामिल है। ये यह भी कह रहे हैं कि कर्मचारियों की संख्या कम करके व्यय में कटौती करेंगे। किंतु इन सरकारी उपक्रमों को बेचा जा रहा है। इन मजदूरों का क्या होगा? क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन्हें काम पर रखेंगी? उनकी नीति 'काम लो और फिर निकाल दो' की होती है। कर्मचारियों और मजदूरों की सुरक्षा कहां है?

महोदय, मैं यह दोहराता हूं कि इस सरकार की कोई नीति नहीं है। इनके मन में बस दुविधा ही दुविधा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर दें। यह नीति क्या है? मैं सरकार से और विशेषकर हमारी राष्ट्रीय संपदा का विक्रय कर रहे योग्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस विनिवेश की समीक्षा करें।

विनिवेश विभाग में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक

सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल चर्चा आरंभ करते समय श्री बसुदेव आचार्य ने याद दिलाया था, यह इस सभा में विनिवेश पर एक वर्ष के दौरान तीसरी चर्चा है। दूसरे सदन में भी इस मामले पर दो बार चर्चा हो चुकी है। इसलिए यह इस विषय पर एक वर्ष में पांचवीं चर्चा है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु आप रक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण विषय से तुलना करें तो कितनी बार हमने रक्षा संबंधी चर्चा की है? मैं यह अवश्य कहूंगा कि पिछले सत्र की तुलना में चर्चा के दौरान सभा में कम उपस्थिति दर्शाती है कि इस विषय पर चर्चा रोजमर्रा का काम हो चुकी है। यहां कही गई कुछ बातें नई हैं पर अगर आप पिछले सत्र की चर्चा पर नजर डालें तो अधिकांश बातें वही हैं।

मैं यह आपके ध्यान में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि अधिकांश माननीय सदस्यों के भाषण में उल्लेख था कि इस पूरी प्रक्रिया में और अधिक संसदीय पर्यवेक्षण और संसदीय भागीदारी होनी चाहिए। इस हेतु मैं श्री कमलनाथ और अन्य वक्ताओं द्वारा कही गई एक बात का उल्लेख करूंगा कि हम विनिवेश संबंधी स्थायी समिति के प्रस्ताव से सहमत न होने की जिद क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आपका निर्णय है। माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया है कि वित्त मंत्रालय के काम की देखरेख करने वाली समिति ही विनिवेश विभाग के काम की भी देखरेख करेगी।

इस विषय पर हमने पिछले और इस समय के दो सत्रों में न केवल पांच बार चर्चा की है बल्कि हमारी गणना है कि विनिवेश के बारे में हमने 304 संसदीय प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। मैं यह जरूर जानना चाहूंगा कि कौन-सी बात रह गई है।

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर, पश्चिम बंगाल) : आपका महत्व इसी में है।

श्री अरूण शौरी : हमने ये उत्तर दिए हैं। हमारे अधिकारी सरकारी उपक्रमों के विनिवेश के बारे में प्रश्नों का अधिक विस्तृत उत्तर देने के लिए स्थायी समिति के समक्ष दो बार उपस्थित हुए हैं। इसलिए पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि संसद इन मामलों की निगरानी कर रही है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इन चर्चाओं में मंत्रियों का विनिवेश किया गया है। जब हमने चर्चा आरंभ की थी तो श्री यशवन्त सिन्हा मंत्री थे, उनका श्री अरुण जेटली के पक्ष में विनिवेश किया गया। दूसरी बार जब हम चर्चा करने लगे तो विनिवेश श्री अरूण शौरी तक आ गया। अब पता नहीं इनका क्या होगा!

श्री अरूण शौरी : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने अभी-अभी एक बात कही कि विनिवेश संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले संसद का परामर्श और पर्यवेक्षण होना चाहिए। मैं मामले की संवेदनशीलता का उल्लेख करूंगा। उदाहरणस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बोली बहुत महत्वपूर्ण है जिससे संभावित बोली लगाने वालों को एक-दूसरे का पता न हो और यह भी पता न हो कि कितने बोली लगाने वाले हैं। अन्यथा कीमतों का निर्धारण हो जाएगा, गठबंधन बनेंगे और देश को उन उद्यमों का सर्वोत्तम मूल्य नहीं मिलेगा जिनके लिए संयुक्त साझीदारों की अपेक्षा है।

इसी कारण एयर इंडिया में मैंने और प्रत्येक अधिकारी ने लगातार किसी भी बोलीदाता के नाम या उनकी संख्या की पुष्टि या इनकार करने से मना किया है।...*(व्यवधान)* आपसे मेरा अनुरोध है कि मुझे बिना व्यवधानों के बोलने की अनुमति दें क्योंकि समय कम है। मैं मॉडर्न फूड्स की बात भी करूंगा। पिछली बार मैंने आंकड़े दिए हैं; मैं इस बारे में फिर से बात करूंगा। अगर बोली आदि मामलों को पहले संसद के समक्ष प्रकट किया जाए तो इसके प्रतिकूल वाणिज्यिक परिणाम होंगे। और जब विधायी कार्यों और कार्यपालिका के कार्यों के बीच स्पष्ट विभेद है तो इस प्रकार की बात युक्तिसंगत नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। यह आक्षेप गलत है कि जो कुछ अरूण शौरी या कोई और कहता है वही चलता है, ऐसा नहीं है। विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति है जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं और आप जिन सबसे इस प्रस्ताव के विरोध की उम्मीद करते हैं, अर्थात् श्री शरद यादव, श्री मनोहर जोशी, श्री राम नाईक-ये सभी इसके सदस्य हैं। इस समिति के जरिए एक भी प्रस्ताव तब तक पारित नहीं हो सकता जब तक कि उसको उस मंत्रालय और मंत्री-जिसके अधीन वह सरकारी क्षेत्र का उपक्रम अवस्थित है-का पूरा-पूरा समर्थन और अनुमोदन प्राप्त न हो। यही मेरा दृढ़ विश्वास रहा है कि यह समर्थन मिलने तक कुछ भी नहीं किया जा सकता।

श्री शरद यादव यहां बैठे हैं। वर्षों से वे मेरे मित्र हैं। आप में से कईयों को तो यह पता भी नहीं होगा कि यह वही व्यक्ति हैं, जिन्हें उस समय जयप्रकाश नारायण ने प्रथम जनप्रत्याशी के रूप में चुना था।

अब, मैं आपको बताता हूं, यद्यपि इन बातों को मुझे बताना नहीं चाहिए, तथापि...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : पन्ना मुक्ता क्षेत्र के विषय में क्या राय है?

श्री अरूण शौरी : वह विनिवेश का विषय नहीं है। उस लाभ में विनिवेश–प्रक्रिया नहीं थी। वह तेल–अन्वेषण का मसला है। आप पूरी तरह भ्रम में हैं। मैं ऐसे उदाहरण नहीं लेना चाहता, जिनसे यह प्रकट हो कि आप इस विषय को समझ नहीं सके हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आप कुछ और बात कर रहे हैं...*(व्यवधान)* 'एयर इंडिया' और 'इंडियन एयरलाइंस' के मामले में, श्री शरद यादव ने न केवल उन सभी बैठकों में भाग लिया था, अपितु जिस तरह का विनिवेश होना चाहिए–उसके लिए सूत्रविशेष भी सुझाए थे। उन्होंने यथार्थतः इस बात पर बल दिया था कि हमें विदेशी विमान सेवाओं की पूंजीधारिता को 26 प्रतिशत पर ही सीमित रखना चाहिए। यही मंत्रिमंडल का निर्णय था।

इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित करते हुए जब विज्ञापन जारी किया जाना था तब श्री शरद यादव ने स्वयं एक–एक शब्द को पढ़ा था और फाइल को अपनी स्वीकृति दी थी लेकिन आपको आशा है कि किसी न किसी तरह इसमें असहमति होगी।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : शरद जी, आपका नाम लिया जा रहा है और आप चुप बैठे हुए हैं।...*(व्यवधान)*

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : आपकी बात इन्होंने खामोशी से सुनी है। आप इनकी बात खामोशी से सुनिए।... *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : आपने कहीं मुंह खोल लिया तो कहीं आपका दिल न खुल जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : उसी तरह, श्री राम नाईक के मामले में और मारुति, श्री मनोहर जोशी के मामले में, प्रत्येक मामले में ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : वहां स्पष्टीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी थी? जब आपने किए गए निर्णय की घोषणा कर दी थी और आपने कहा था कि इसका सिद्धांततः निर्णय कर लिया गया था तो अगले दिन श्री मनोहर जोशी आए और कहा कि इसका सिद्धांततः निर्णय नहीं लिया गया था। और आपको स्वयं को बचाने के लिए मुम्बई भागना ही पड़ा था। मैं नहीं समझता हूं कि इसे उस तरह किया जा सकता है जैसा कि आपका दावा है।

श्री अरूण शौरी : नहीं, ऐसा नहीं है। वहां ऐसा कोई विरोधाभास नहीं था क्योंकि मारुति के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका था। 1992 का करार है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस सरकार द्वारा एक करार किया गया है कि सरकार सुजुकी मोटर्स कंपनी की लिखित सहमति लिए बिना इसकी इक्विटी का कोई हिस्सा बेच नहीं सकती है।

श्री मणि शंकर अय्यर : यह मुद्दा नहीं था। आपने सिद्धांततः निर्णय लेने की बात कही है और उन्होंने सिद्धांततः ऐसा निर्णय नहीं किए जाने की बात नहीं कही है...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैंने आपको टेलीविजन पर सुना था। आपने सिद्धांततः निर्णय लेने की बात कही थी।

श्री अरूण शौरी : मैंने मंत्रिमंडल के निर्णय का एक–एक शब्द दोहराया है। मंत्रिमंडल के निर्णय में यह कहा गया है कि मारुति में विनिवेश हेतु उच्चतम तरीकों की सिफारिश के लिए सुजुकी के साथ खुली चर्चा करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति नियुक्त की जाएगी। यह निर्णय लिया गया था। मैंने प्रेस कांफ्रेंस में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि मैं इससे आगे एक भी शब्द नहीं कहूंगा। और श्री मनोहर जोशी ने अगले रविवार को ठीक ही कहा कि मंत्रिमंडल ने सिर्फ यही निर्णय किया था कि खुली चर्चा की जाएगी क्योंकि सुजुकी के साथ चर्चा किए बिना और उसकी सहमति लिए बिना...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : जब विनिवेश का निर्णय नहीं लिया गया था तो चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्री अरूण शौरी : जिस पर आप आश्चर्य कर रहे हैं, संक्षेप में यह वही है। लेकिन जहां तक दोनों वक्तव्यों का संबंध है, वे पूरी तरह सही हैं...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : आपको मुम्बई क्यों जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, यदि आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें तो आप इस भिड़न्त से बच सकते हैं।

श्री अरूण शौरी : महोदय, मुझे दुःख है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य अथवा किसी अन्य को संबोधित न करें। कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री अरूण शौरी : जैसा कि आपने हाल ही में वित्त संबंधी समिति में निर्णय लिया था, उक्त समिति विनिवेश को देखेगी, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जब उन्हें यह कहते हुए देखा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। उसी प्रयोजनार्थ मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लिखा

[श्री अरूण शौरी]

था। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे आपको पढ़कर सुना दूं। मैंने लिखा था कि मैं बहुत आभारी होऊंगा यदि प्रत्येक विनिवेश. ..*(व्यवधान)* मैंने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री शुंगलू को लिखा था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि प्रत्येक विनिवेश निर्णय की जांच करने और रिपोर्ट करने की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। और मैंने कहा था कि इस प्रयोजन के लिए हम इस विशेष निर्णय से संबंधित सारे कागजात और प्रत्येक दस्तावेज देने के लिए तैयार रहेंगे।

मैंने भी यही लिखा है :

"मैं जानता हूं कि यह आपके लिए भी एक चिंता का विषय रहा है कि संसद को लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उन्हें सार्वजनिक करने में अक्सर किसी विभाग की लेखापरीक्षा पूरी करने के समय से लगभग दो वर्ष का समय लग जाता है। इस विषय के महत्व और मामले के बारे में जनता में व्याप्त चिंता को ध्यान में रखते हुए यदि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं, तो क्या आप भी उन तरीकों पर विचार कर सकते हैं जिससे लेखापरीक्षा पूरी करने की अवधि और विनिवेश संबंधी रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की अवधि को न्यूनतम किया जा सके।"

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इस संबंध में क्या लिखा था इसे पढ़ने में केवल आधा मिनट लूंगा। उन्होंने कहा है कि हमने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इस तरह कहा है :

"केंद्रीय मंत्रालयों की लेखापरीक्षा करने की अपनी सामान्य प्रक्रिया में हम वर्ष में एक बार निरीक्षण करते हैं और मंत्रालय को निरीक्षण रिपोर्ट भेज देते हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकलते हैं और उन्हें संसद को रिपोर्ट करने लायक सही समझते हैं तो उन मामलों को इस कार्यालय द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करते हैं। हमारी निरीक्षण रिपोर्टें हमारी तरफ से केवल मंत्रालय को जारी की जाती है और न कि प्रेस अथवा संसद को।"

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपना ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है क्योंकि मैंने उनसे इन रिपोर्टों को संसद को सीधे भेजने और उन्हें जनता तथा प्रेस को सीधे जारी करने का अनुरोध किया था। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि :

"विनिवेश में पारदर्शिता के लिए आपकी चिंता को ध्यान में रखते हुए आपका मंत्रालय जैसे ही दस्तावेजों के साथ तैयार हो जाएगा हमारा कार्यालय प्रत्येक मामले की लेखापरीक्षा शुरू करने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रत्येक मामले में अलग से एक निरीक्षण रिपोर्ट जारी की जाएगी।"

मैं नहीं जानता कि यहां इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं कि चीजें पारदर्शी नहीं हैं। उदाहरण के लिए अभी–अभी अनके सदस्यों ने इसके बारे में पूछा है। श्री राशिद अलवी और अनेक अन्य माननीय सदस्यों ने इसके बारे में पूछा है कि आय को किस प्रकार प्रयोग में लाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने इस बारे में अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। आपने बजट को अनुमोदित किया है। प्रत्येक चीज उसी के अनुसार की जाएगी।

मेरे अनेक साथियों ने इस मुद्दे को उठाया था कि विनिवेश आयोग ने कहा है कि हमें अलग से विनिवेश कोष स्थापित करना चाहिए। श्री बसुदेव आचार्य ने इसका उल्लेख किया है। उन्होंने अभी–अभी इसके बारे में यह भी कहा है...*(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी : यह विनिवेश आयोग का भी प्रस्ताव था...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : यही बात उन्होंने कही है। उन्होंने इस मामले की सूचना दी है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह था कि निधियां एक ब्लॉक में आनी चाहिए। उस समय से अब तक जो घटित हुआ है वह यही है। अनेक संसद सदस्य और अन्य नेता अनुरोध करते रहे हैं कि आय को किस प्रयोग में लाया जाएगा। उनमें से कुछ ने कहा है कि इसे पेयजल, प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए। दूसरों ने कहा है कि इसे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए। एक तीसरे सेट में कहा है कि ऋण बहुत अधिक है, अतः इसलिए इस आय को ऋण चुकाने के प्रयोग में लाया जाना चाहिए। श्री राशिद अलवी अभी यह कह रहे थे कि एक लाख करोड़ रुपए अकेले ब्याज पर खर्च किए जा रहे हैं, जो कि जो भारत सरकार के राजस्व का आधा है, इसलिए हमें सरकारी ऋण को पहले चुकाना चाहिए। ऐसे सुझाव भी आए हैं–कुमारी ममता बनर्जी यहां बैठी हैं–उनका सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकांश रुग्ण एकक पश्चिम बंगाल और बिहार में हैं, इसलिए इस आय को वास्तव में इन क्षेत्रों में उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ये सभी सुझाव दिए गए हैं...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : आप उसे नहीं कर रहे हैं।

श्री अरूण शौरी : राज्य सभा में परसों श्री मौहम्मद सलीम आई.टी.डी.सी. पर एक प्रश्न पूछ रहे थे। उन्होंने कहा था, "क्या आप सभा को यह आश्वसान देंगे कि निधियां केवल पर्यटन के विकास के लिए प्रयोग में लाई जाएंगी?" इस प्रकार ये सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इस कारण ऐसा महसूस किया गया ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, ग्रेट ईस्टर्न होटल, पश्चिम बंगाल द्वारा एक फ्रांस की कंपनी को सौंप दिया गया है। वे भी ऐसा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : निःसंदेह यही बात थी। कवेल यही नहीं है। निःसंदेह यह कोई नहीं जानता कि उसकी आय कहां जाएगी।

श्री वसुदेव आचार्य : प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में जानता है...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : यदि हम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (इंटक) के नेताओं के बयान पर विश्वास करें जैसा कि श्री मल्होत्रा ने कहा है, तो कोई पारदर्शिता नहीं रही और फ्रेंच कंपनी को मुक्त कर दिया गया...*(व्यवधान)* मैं केवल सभा को यह विश्वास दिला रहा हूं कि आय का उचित ढंग से उपयोग किया जाएगा। ये सभी प्रस्ताव अच्छे प्रस्ताव हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : जैसा कि आपने कहा है यदि यह केंद्रीय नेताओं का प्रस्ताव है तो आपका प्रस्ताव क्या है ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : हम प्रस्ताव रखते हैं और उसका विरोध करते हैं।

श्री अरूण शौरी : इसलिए, अब मैं आपके सुझाव का विरोध करता हूं। इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात् हमने यह प्रस्ताव वित्त मंत्री के समक्ष रखा। इस समय स्थिति यह है कि विकास नीति तथा पुनर्गठन और अन्य सभी व्यय की प्राथमिकताएं संसद द्वारा बजट को अनुमोदित करके और योजना आयोग द्वारा उन निधियों से जो संसद योजना और राज्य की योजनाओं को बजटीय समर्थन के लिए आबंटित करती है, के माध्यम से निर्धारित की जा रही हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इसलिए यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए और आने वाली ऐसी आय भारतीय समेकित निधि में जानी चाहिए। समेकित निधियों को पर्यटन, पश्चिम बंगाल, बिहार के लिए तथा उद्यमों के पुनर्गठन के लिए बांटने के बजाय प्राथमिकताओं का समग्र रूप से आकलन किया जा सकता है।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप अपने उत्तर से स्वयं संतुष्ट नहीं हैं।

श्री अरूण शौरी : मैं संतुष्ट हूं। एक प्रश्न जो श्री वसुदेव आचार्य सहित मेरे बहुत से मित्रों द्वारा पारदर्शिता के संबंध में उठाया गया था वह मूल्यांकन का प्रश्न था। वह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि परिसंपत्तियों का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जैसा श्री पी. एच. पांडियन अभी कह रहे थे कि यह एक अपराध होगा, एक संज्ञेय अपराध क्योंकि बहुत सी राज्य सरकारें तथा नेतागण जारी कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : माडर्न फूड्स के बारे में क्या कहना है?

श्री अरूण शौरी : यदि आप चाहते हैं कि मैं सीधे ही माडर्न फूड्स की बात करूं तो मैं उस पर आता हूं। कम मूल्यांकन का एक संदिग्ध मामला था जिसे मैं हमेशा अपनी मेज पर रखता था और वह मारुति का था। मारुति में सरकार की भागीदारी कम कर दी गई थी। जून 1992 में इक्विटी में सरकार की भागीदारी 60 से घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गई और शेयर सुजुकी मोटर कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए—100 रुपए का अंकित मूल्य का शेयर 269 रुपए में दिया गया। उस समय हिन्दुस्तान मोटर्स, एक ऐसी कंपनी जो 45 वर्षों से एक अपरिवर्तित कार बना रही है, का शेयर 770 रुपए में बिक रहा था। वही मूल्यांकन था। माडर्न फूड्स का प्रश्न बहुत रोचक है। परिसंपत्तियों का मूल्यांकन एक तरह से नहीं किया गया अपितु चार तरह से किया गया। 1996–97 के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वास्तविक कीमत 28 करोड़ रुपए थी। 31 मार्च, 1999 के खातों के अनुसार परिसंपत्तियों का मूल्य था—सकल परिसंपत्तियां 39 करोड़ और शुद्ध परिसंपत्तियां 19 करोड़। भूमि के बाजार मूल्य के संबंध में आप 2000 करोड़ रुपए कहते रहो। मैं नहीं जानता कि यह आंकड़े कहां से आते हैं। सरकारी मूल्यांकन के अनुसार 1996 में उस भूमि का, बेरोकटोक उपयोग सहित, मूल्य 109 करोड़ रुपए था। उपयोग गैर–प्रतिबंधात्मक नहीं होना था। फैक्टरियों को चलते रहना पड़ा। मूल्यांकन हेतु अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों ने 100 प्रतिशत इक्विटी का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया। ध्यान रहे कि अंत में केवल 74 प्रतिशत की बिक्री की गई थी। मूल्यांकन 30 से 70 करोड़ रुपए किया गया था और 74 प्रतिशत शेयर 109 करोड़ में बेचे गए थे। मैंने आपसे कहा था कि मारुति के मामले में 100 रुपए का शेयर 269 रुपए में बेचा गया था। यहां माडर्न फूड्स के मामले में 1000 रुपए का शेयर 11,490 रुपए में बेचा गया था। फिर भी कोई भी आंकड़े नहीं देख रहा है। परंतु आप ठीक

[श्री अरूण शौरी]

कहते हैं। मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसे विभिन्न तरीकों से किया जाना चाहिए क्योंकि कभी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है और कभी यह सबसे अच्छी कीमत प्राप्त करने का तरीका नहीं होता है।

श्री राशिद अलवी : डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने माना है कि माडर्न फूड्स की भूमि का ठीक ढंग से मूल्यांकन नहीं किया गया था।

श्री अरूण शौरी : नहीं श्रीमान। मैंने उनकी बात सुनी है। उन्होंने कहा था कि यदि यह गैर–प्रतीपंधात्मक है तो इसका मूल्य अधिक होगा क्योंकि भूमि का उपयोग परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी गई थी, इस प्रकार इसका मूल्यांकन किया गया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप व्यवधानों का उत्तर क्यों दे रहे हैं?

श्री अरूण शौरी : महोदय, मुझे खेद है। माननीय सदस्यों ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है कि हमें मूल्यांकन करते हुए बहुत सावधान होना चाहिए। इसके बदले में मैं भी एक बात का आग्रह करना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, कृपया अंधाधुंध आंकड़ों के द्वारा संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता को नष्ट न करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : एयर इंडिया की वर्तमान स्थिति क्या है?

श्री अरूण शौरी : मैं अभी उस पर आता हूं। एयर इंडिया के मामले में बहुत काल्पनिक आंकड़े पेश किए गए। स्थायी समिति के प्रतिवेदन में एयर इंडिया के संबंध में आंकड़े दिए गए थे और बताया गया था कि एयर इंडिया का मूल्यांकन कथित रूप से 24,000 करोड़ रुपए था। इसलिए मैंने सदस्यों से संपर्क किया और पूछा कि कथित रूप से 24,000 करोड़ रुपए क्या है। अंत में मुझे बताया गया कि 'दि हिंदुस्तान टाइम्स' में एक लेख था जिसमें उस आंकड़े का उल्लेख किया गया था। ऐसा हुआ था कि मैंने आर्थिक संपादकों का सम्मेलन बुलाया था और इस सम्मेलन में वह सज्जन भी उपस्थित थे जिन्होंने वह लेख लिखा था। वह एक जाने–माने तथा सम्मानित पत्रकार हैं। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा और बदले में मैंने 150 व्यक्तियों की उपस्थिति में उनसे पूछा था कि 24,000 करोड़ रुपए के आंकड़े का आधार क्या था जो कि स्थायी समिति के प्रतिवेदन में भी दिया गया था। उन्होंने कहा : "मैं अपना स्रोत नहीं बताऊंगा।" मैंने स्रोतों के बारे में नहीं पूछा, मैंने पूछा कि आधार क्या था? कोई आधार नहीं है।

श्री मणि शंकर अय्यर : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय द्वारा दिए गए सुझाव पर क्या कहना है?

श्री अरूण शौरी : मूल्यांकन के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि मूल्यांकन पूर्ण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और अंत में इसकी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रति जांच की जाएगी और वे अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : आपके अपने सहयोगी ने एक सुझाव दिया था। आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? आज मूल्यांकन के उद्देश्य से इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया को मिला क्यों नहीं देते।

श्री अरूण शौरी : महोदय, यह विमानन नीति का प्रश्न है कि क्या घरेलू विमान सेवा तथा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को एक होना चाहिए? बहुत से देशों में वे एक हैं और बहुत से देशों में वे एक नहीं हैं। यह एक अलग प्रश्न है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आप उनको एक साथ रखकर कीमत क्यों नहीं लगाते?

श्री अरूण शौरी : उपभोक्ता के लिए प्रतिस्पर्धा होना बेहतर है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का हस्तक्षेप अच्छा नहीं है। मंत्री जी को बाधा न पहुंचाएं।

श्री अरूण शौरी : महोदय, एक श्वेत पत्र की चिरस्थायी मांग है। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय सहित अनेक मित्रों ने कहा है कि विनिवेश पर एक श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए। जब प्रत्येक प्रश्न का स्पष्टीकरण दे दिया गया, उत्तर दे दिया गया, रेखाचित्र प्रस्तुत कर दिया गया तो श्वेत पत्र की आवश्यकता कहां है? ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : यह सच नहीं है। उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण में नौ इकाईयों का विनिवेश किया जा रहा है। दूसरे दृष्टांत में दो इकाईयों के संबंध में प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। तीसरे दृष्टांत में तीन इकाईयों का विनिवेश किया जा रहा है। ऐसा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली में एक अध्यादेश के साथ प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में सरकार के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए पैसा नहीं है और इसलिए उन्होंने निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एशियाई विकास बैंक से 100

करोड़ रुपए का ऋण लिया है। क्या इनमें से किसी का भी विनिवेश श्वेत पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किया गया है? आंध्र प्रदेश में 10 इकाईयों के संबंध में प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। क्या कोई श्वेत पत्र है?...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, उन्होंने इन सरकारों को इस लिए चुना है क्योंकि ये सब कांग्रेस सरकारें हैं। यह सिर्फ राजनीति है। राज्य सरकारें सभी विनिवेश प्रस्तावों को नहीं लाईं। वह सरकारी क्षेत्र के 236 उपक्रमों का विनिवेश करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री अरूण शौरी : महोदय, वे फिर बहिर्गमन कर रहे हैं। वह इसके लिए आधार तैयार कर रहे हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मंत्रीजी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है जिन्हें हमने उठाया है। वह श्वेत पत्र की हमारी मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी ने हमारी मांग अस्वीकार कर दी है। हमारे पास बहिर्गमन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें संसद को गुमराह करने का अधिकार नहीं है।

अपराह्न 5.04 बजे

(इस समय श्री मणिशंकर अय्यर और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए)

श्री राशिद अलवी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी सदन से बहिर्गमन करता हूं।

अपराह्न 5.05 बजे

(इस समय श्री राशिद अलवी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए)

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मंत्री जी ने हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया...*(व्यवधान)* वह टालमटोल कर गए ...*(व्यवधान)* यहां किसी तरह की जवाबदेही नहीं है, इसलिए विरोधस्वरूप हम सभा से बहिर्गमन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अपराह्न 5.10 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की जन–विरोधी, देश–विरोधी नीतियों और निर्णयों के कारण हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 5.11 बजे

(तत्पश्चात् डा. रघुवंश प्रसाद सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : महोदय, यह उनकी सुविचारित दिनचर्या है। पिछली बार भी ठीक ऐसा ही हुआ क्योंकि वे जवाब नहीं पचा सके क्योंकि उनकी अपनी सरकार का व्यवहार अलग प्रकार का था। ठीक इसी मुद्दे पर उन्होंने सभा से बहिर्गमन किया था।

अंतिम रूप से दो आपत्तियां उठाई गईं। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने यह मुद्दा उठाया था, अभी–अभी शिव सेना के हमारे मित्रों ने भी लाभार्जन करने वाली कंपनियों के बारे में यह मुद्दा उठाया। मैं इस संदर्भ में दो बातें कहूंगा। पहली बात यह कि जब कांग्रेस (आई) सरकार ने शेयरों के कुछ प्रतिशत की बिक्री आरंभ की तो कांग्रेस शासन के अंत तक 1990–91 के बीच 41 कंपनियों के शेयर बेचे गए थे। इनमें से 38 कंपनियां लाभ पर चल रही थीं।

जैसा कि अभी–अभी श्री पी. ए. संगमा हमें याद दिला रहे थे कि संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा 72 मामले विनिवेश आयोग को भेजे गए थे, इनमें से 45 कंपनियां लाभ पर चल रही थीं। विनिवेश आयोग ने 58 मामलों पर विनिवेश की सिफारिशें दी थीं। इनमें से 37 कंपनियां लाभ पर चल रही थीं।

इसी तरह से, जैसा कि श्री राजीव प्रताप रूडी कह रहे थे कि कौन सी कंपनी लाभ में चल रही है और कौन सी नहीं, यदि हम पेट्रोलियम सेक्टर, लिग्नाइट और विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी अन्य कंपनियों को छोड़ दें जिनमें कि सरकार का अपने कानूनों के कारण एकाधिकार है, तो अन्य में इक्विटी पर वापसी की दर ऋणात्मक रूप से 4 प्रतिशत है जबकि सरकार 12 प्रतिशत पर उधार ले रही है।

कई मामलों में, आज वहां लाभार्जन हो रहा है लेकिन यह तेजी से घट रहा है, मैं विदेश संचार निगम लिमिटेड के मामलों की बात ही आपको बता दूं। कल तक ही अंतर्राष्ट्रीय कॉलों पर इसका एकाधिकार था। अब आपने सात अन्य कंपनियों के लिए प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। इसकी बाजार संबंधी भागीदारी घट

[श्री अरूण शौरी]

रही है। मारुति उद्योग लिमिटेड के मामले में जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि तीन साल पहले इसकी बाजार भागेदारी 83 प्रतिशत थी। इसने 650 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। लेकिन इस वर्ष के पहले सात महीनों के दौरान इसे 128 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और इसकी बाजार भागीदारी घटकर 55–60 प्रतिशत के बीच रह गई। क्या आप लोगों को इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए।

जब आई.टी.डी.सी. आरंभ किया गया था तो वह सर्वांगनीय था। आज इस वर्ष के पहले सात महीनों में इसकी 31 संपदाओं में होटल प्रभाग की प्रत्येक संपदा को घाटा हुआ है। इसके कई होटलों में मजदूरी और वेतन संबंधी खर्चे कुल आय से अधिक हैं। इसके होटलों की आतिथ्यधारिता दर 38 प्रतिशत है जबकि उसी शहर में अन्य होटलों की दर 70 से 77 प्रतिशत के बीच है। इसलिए, क्या आपको इसे नहीं देखना चाहिए?

मेरी अंतिम बात यह है कि हमें इतिहास से सीखना होगा। हमें इन नारों से उबरना होगा। जैसा कि अभी–अभी श्री संगमा ठीक ही कह रहे थे। हमें देखना होगा कि समय तेजी से गुजरता जा रहा है हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की नियुक्ति की आलोचना करते रहते हैं। डा. विजय कुमार मल्होत्रा ने चीन के बारे में कई अच्छे उदाहरण दिए हैं। मैसर्स मोरगन स्टैनली डीन विटर चीन के परामर्शदाताओं में से एक है। यही अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता मुझे मिलने आए थे। मैंने उनसे पूछा, "चीन में क्या अलग बात है। एक वर्ष में ही वह 45 बिलियन डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने में कैसे सफल रहा और हम 2 बिलियन डालर भी नहीं जुटा सके?" उन्होंने कहा "दो बातें हैं, एक तो चीन का निर्णय और दूसरा दस दिन में ही उसे कार्यान्वित करना।" हम इस पर चर्चा करते रहते हैं और यही पहली भिन्नता है। दूसरी भिन्नता जो उन्होंने बताई वह थी कि चीनवासियों का बाजार ज्ञान। पिछले वर्ष से अभी तक हम दूरसंचार क्षेत्र पर ही वाद–विवाद कर रहे हैं। पिछले वर्ष के दौरान पूरे विश्व में दूरसंचार संबंधी शेयरों का वर्चस्व रहा। चीन ने तत्काल अपनी सबसे बड़ी कंपनी चाइना टेलीकाम कंपनी के शेयरों को बेचने का निर्णय लिया और कुछ ही सप्ताह के अंतर्गत उन्होंने 5 बिलियन डालर एकत्र कर लिये।

इस वर्ष तेल मूल्यों में वृद्धि हुई और जिस पर हम अभी भी डीजल मूल्य वृद्धि और गैर–डीजल मूल्य वृद्धि वाद–विवाद कर रहे हैं तो चीन ने इन मोरगन स्टेनली जैसे लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि आपका काम है कि इस समस्या को अवसर में कैसे बदलना है ! उन्होंने क्या किया? उन्होंने घोषणा की कि "हम चीन में अंतर्राष्ट्रीय ऑयल कंपनियों के लिए पेट्रोलियम, पेट्रोल स्टेशन आदि में खुदरा व्यापार की अनुमति दे रहे हैं। आइए, लेकिन आने से पहले आपको सिनोपेल के आई.पी.ओ. में निवेश करना होगा। यह कंपनी भारतीय तेल निगम के समकक्ष की कंपनी है" इस निगम से उन्होंने 3.5 बिलियन डालर जुटाए। तब जाकर उन्होंने कहा कि अब आप आएं और पेट्रोल स्टेशन खोलना आरंभ करें। हम इस अंतहीन वाद–विवाद पर चलते रहे और हमारे प्रतिद्वंद्वी कैसे अवसर पैदा कर लेते हैं, उससे हम नहीं सीखते हैं।

अभी–अभी एक माननीय सदस्य ने पूछा हम इसे बी.आई.एफ.आर. को क्यों नहीं सौंप देते। हम इन कंपनियों का पुनर्गठन ही क्यों कर रहे हैं? पिछले नौ वर्षों में 34000 करोड़ रुपए की लागत के 23 पुनरुद्धार संबंधी पैकेज सरकार द्वारा लागू किए गए और किसी भी कंपनी का पुनरुद्धार नहीं हो सका। यह जनता के पैसों की बर्बादी है। आप इस 34000 करोड़ की धन राशि की तुलना पेयजल पर खर्च धनराशि से करें जो कि मात्र 2500 करोड़ रुपए की है।

बी.आई.एफ.आर. के मामले में, इसे 2841 कंपनियों के मामले भेजे गए और नौ प्रतिशत से भी कम कंपनियों का पुनरुद्धार हो पाया, इनमें से कई कंपनियों में बदलती बाजार दशाओं के कारण स्वतः ही सुधार आया है। और अन्य सभी को बंद करना पड़ा या वे अभी भी रुग्णावस्था में हैं।

सभा से मेरी पहली प्रार्थना यह है कि "कृपया विश्वास करें कि विनिवेश नीति पर पूर्ण नियंत्रण संसद का है और इसे पूरी तरह अवगत करवाया जाएगा, इसे अवगत करवाया जा रहा है" दूसरी बात यह कि उठाए गए सभी मुद्दे बजट भाषणों और अन्य भाषणों में बार–बार स्पष्ट किए गए हैं। तीसरे जैसा कि श्री संगमा कह रहे थे, कि पिछले दो दशकों के इतिहास से यह व्यवहारिक निकलता है कि इस प्रक्रिया को जारी रहने देना है। प्रत्येक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कामगारों को गैर सरकारी क्षेत्र के किसी भी उद्योग की तुलना में डेढ़ से दो गुनी परिलब्धियां अधिक प्राप्त होती हैं। यदि हम जनता को ऐसी वाक्पटुता जैसी कि हमने यहां देखी, से भ्रमित करते हैं या यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र के कामगारों को उकसाते हैं तो हमें हासिल यही होगा कि इन उद्यमों का मूल्य और कम हो जाएगा और वह उद्देश्य जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं कि भारत सरकार को इन उद्यमों का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त हो, वह नहीं मिल सकेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमें मिलकर उस नीति का कार्यान्वयन करना चाहिए जो कि स्पष्ट, पारदर्शी और उदार है।

अपराह्न 05.18 बजे

रेल अभिसमय समिति के पहले प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

*अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)—2000-2001

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा मद संख्या 22 और 23 पर एक साथ चर्चा करेगी।

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा 22 अगस्त, 2000 को लोक सभा को प्रस्तुत की गई सामान्य राजस्व आदि को रेल उपक्रम द्वारा देय लाभांश दर की समीक्षा के लिए गठित रेल अभिसमय समिति 1999 के प्रथम प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट पैराओं 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123 और 124 में की गई सिफारियों को अनुमोदित करती है।

"कि मांग शीर्ष के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाए गये मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान में होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए आर्डर पेपर के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2000–2001 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि (रुपये में)
1	2	3
16	परिसम्पत्तियां, खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	5,000
	रेलवे निधियां	15,000
	जोड़	20,000

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

महोदय, जब हम अनुपूरक मांगों पर विचार के लिए इस पर चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं सभी माननीय सदस्यों के पूर्ण सहयोग के लिए आभारी हूं। मैं इस सभा में इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि भारतीय रेल, विशेष रूप से खन्ना समिति से प्राप्त सिफारिशों के बाद सुरक्षा की दृष्टि से एक नाजुक दौर से गुजर रही है। रेलवे के लिए यह एक नाजुक दौर है विशेष रूप से तब जब रेल कोच, रेक और सिग्नल प्रणाली आदि पुरानी हो चुकी हैं।

मैं इस प्रतिष्ठित सभा के माध्यम से सभी सदस्यों से अपील करती हूं कि इन सभी विसंगतियों के बावजूद भारतीय रेल राष्ट्र और देश के लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन आज हम यह महसूस करते हैं कि हमें कुछ कठोर और कड़ी कार्रवाई करनी है, यह सुरक्षा का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमने अगले दस वर्षों के लिए सुरक्षा योजना बनाई है। यदि हम सामान्य स्थिति बहाल करना चाहते हैं, विशेष रूप से सुरक्षा के क्षेत्रों में, तो हमें सुरक्षा योजनाओं के लिए पूंजी निवेश करना होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की आभारी हूं। यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि रेलवे उपेक्षित रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से, वे हमें मदद करना चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि रेल अभिसमय समिति, परामर्शदात्री समिति, स्थायी समिति, राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता सलाहकार समिति (एन.आर.यू.सी.सी.) और सभी संसदीय समितियों की सिफारिशों के बाद, निश्चित रूप से, इस बार हमें सुरक्षा नेटवर्क की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि सुरक्षा में कभी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए इस बात का उल्लेख करना चाहती हूं। पिछले बजट में मैंने 21 नई रेल गाड़ियां शुरू करने की घोषणा की थी, उनमें से 20 रेल गाड़ियां चल रही हैं। ये अनुपूरक मांगें सभी विषयों से संबंधित हैं। तकनीकी रूप से, यह सुरक्षा मामलों से जुड़ी हैं। केवल सुरक्षा मामलों को ही हमने अनुपूरक मांगों में शामिल किया है।

चर्चा शुरू करने के पूर्व मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए एक सूचना देना चाहूंगी और उन्हें याद करना चाहिए कि चालू वर्ष के लिए बजट 475 मिलीयन टन में माल ढुलाई का लक्ष्य रखा गया है, मुझे सभा को यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि रेलवे ने नवम्बर, 2000 के अंत तक 306.69 मिलीयन टन माल ढुलाई कर ली है जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.25 मिलीयन टन अधिक है, पिछले वर्ष, माल ढुलाई कार्य पिछले 50 वर्षों के रिकार्ड को पार कर गया। इस वर्ष भी इन 5–6 महीनों में रेलवे ने 16.25 मिलीयन टन अधिक

माल ढुलाई की है। चालू प्रवृत्ति को देखते हुए, मैं आशा करती हूं कि रेल निर्धारित लक्ष्य को पार कर जाएगा और वह उससे भी अधिक ढुलाई करेगा।

वित्तीय संदर्भ में, इस अवधि के दौरान माल ढुलाई से 15,219 करोड़ रुपये का अर्जन किया गया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 14,263 करोड़ रुपये की उपलब्धि की तुलना में 956 करोड़ रुपये अधिक है।

यात्री भाड़े से हुआ अर्जन निर्धारित लक्ष्य से 206 करोड़ रुपये अधिक है। इसका मतलब यह है कि यात्री भाड़े एवं माल भाड़े से इस बार हमें आय के रूप में 1,571 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

मैं माननीय सदस्यों से सुरक्षा नेटवर्क पर ज्यादा जोर देने के लिए निवेदन कर रही हूं। जो भी वे लाभदायक सुझाव देंगे मैं उनको ध्यान से सुनूंगी। मैं माननीय सदस्यों से सुरक्षा नेटवर्क में सुधार के लिए तथा भारतीय रेल में सुधार और इसके पुनर्गठन तथा भारतीय रेल को किस तरह कार्य करना चाहिए, इसके संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव देने हेतु निवेदन करूंगी। मैं पहले उन्हें सुनूंगी फिर उसका उत्तर दूंगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत हुआ प्रस्ताव :

"कि यह सभा 22 अगस्त, 2000 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई सामान्य राजस्व आदि को रेल उपक्रम द्वारा देय लाभांश दर की समीक्षा के लिए गठित रेल अभिसमय समिति, 1999 के प्रथम रिपोर्ट में निहित 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123 और 124 पैरा में की गई सिफारिशों को स्वीकृत करती है।

"कि मांग शीर्षों के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान में होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए आर्डर पेपर के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जायें।"

इस मद के लिए केवल तीन घंटे का समय आबंटित किया गया है, अब श्री के. एच. मुनियप्पा बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, ओलम्पिक पर 'आधे घंटे की चर्चा' होनी है, इसे कब लेने का विचार है? इस पर सायं 5.30 बजे चर्चा की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महादेय : ऐसा रेल संबंधी अनुपूरक मांगों के कारण किया गया है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : कृपया कुछ बोलने के लिए एक मिनट तो दीजिए। मैं एक निवेदन करना चाहती हूं।

[हिन्दी]

अगर उसे कल होना है तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा

[अनुवाद]

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और कई सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, मैं आपसे आधे घंटे से ज्यादा समय दिए जाने का निवेदन करती हूं क्योंकि आम तौर पर इसे 'आधे घंटे की चर्चा' कहा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : अध्यक्ष महोदय, मुझे (रेल) बजट 2000–2001 के संबंध में रेल विभाग के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

भारतीय रेल प्रणाली दुनिया में सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। मानव शरीर में तंत्रिका–तंत्र की भांति युद्ध और शांतिकाल में, गर्मी या सर्दी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 75 प्रतिशत से अधिक आबादी इससे लाभान्वित होती है। रेल विभाग ने राष्ट्र को अपना सहयोग दिया है, इसलिए एक सुरक्षित रेल नेटवर्क को निर्मित व विकसित करना हमारा मुख्य कार्य है।

रेल विभाग का इतिहास 100 वर्षों से भी पुराना है। इसने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के समय में बहुत से उतार–चढ़ाव देखे हैं। उन्हें इस प्रणाली को मजबूत और विकसित बनाना होगा। वर्ष 1991 से 1996 के दौरान 4000 किलोमीटर रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य किया गया। रेल विभाग के लिए यह तीव्र विकास का युग था।

मैं कुछ इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा। जब कोई दुर्घटना घटी श्री लाल बहादुर शास्त्री और अभी हाल में श्री माधवराव सिंधिया–जो कि रेल मंत्री थे–ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और त्यागपत्र दे दिया। आजकल के वर्तमान माननीय मंत्रियों को देखिए। चाहे कोई भी दुर्घटना घटे, निर्दोष लोग पीड़ित हों; लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय मंत्री जी अपनी असफलता को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

1996 के पिछले घटनाक्रम को देखिए। संयुक्त मोर्चा सरकार ने बड़ी संख्या में आधारशिलाएं रखीं। मुझे सूचना मिली कि यदि

हमें इन सभी कार्यों को पूरा करना पड़े तो हमें हजारों–हजार करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी और इसे पूरा करने में 100 से अधिक वर्ष भी लगेंगे। इसका क्या लाभ है?

अपराह्न 5.27 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि संयुक्त मोर्चा सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल कर संसद सदस्यों को संतुष्ट करना चाहती थी कि वह ये सारे कार्य करेगी। बहुत से सर्वेक्षण कराने के आदेश दिए जाने के बावजूद भी 25 प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं किया गया है। यह सब संयुक्त मोर्चा सरकार के समय में हुआ।

वर्तमान सरकार भी रेल विभाग के लिए कुछ अधिक करने में सक्षम नहीं है। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि यह बड़े दुख की बात है। संसद सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए यह सब किया गया था। वे उसे कब पूरा करेंगे? इन कार्यों को पूरा करने हेतु कितने धन की आवश्यकता होगी? वे आधारशिलाएं रख रहे हैं लेकिन उन्हें फलीभूत होने में 100 वर्ष लगेंगे। विभाग से यह रिपोर्ट या जानकारी मिली है।

क्या रेल विभाग का विकास करने और कार्यों को पूरा करने का यही तरीका है? ये सब बातें हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं क्योंकि वर्तमान मंत्रीजी बहुत प्रभावशाली, प्रतिबद्ध और अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से देश भर में रखी गई विभिन्न आधारशिलाओं का भविष्य जानना चाहता हूं। उन्हें इनके बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। यदि इन कार्यों को पूरा करना सम्भव नहीं है तो वे सदन को सूचित करें कि उन्हें पूरा करना सम्भव नहीं है या उनके कार्य की प्रगति की स्थिति बताएं। लोगों को इन सब बातों की जानकारी दें।

आज, रेलें सौ किलोमीटर से अधिक की गति से चल रही हैं। परन्तु, हमारे माननीय मंत्री जी दो सौ किलोमीटर से अधिक की गति से भाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को चाहिए कि वे भी रेल विभाग के विकास हेतु उसी गति से चलें। जापान में रेलों की गति तीन सौ मिलोमीटर प्रति घंटा है जबकि भारत में यह सौ किलोमीटर प्रति घंटा भी नहीं है, हम उस स्थिति तक कब तक पहुंचेंगे? हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र है। दुनिया में यह विशाल और सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है।

इस परियोजना को कैसे पूरा करना है? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि रेल विभाग के विकास हेतु कोई नया फार्मूला तैयार किया जाना चाहिए। तभी यह संभव हो सकेगा।

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड 'के–राइड' के माध्यम से रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। माननीय मंत्री जी ने संयुक्त उद्यम के आधार पर चार परियोजनाएं शुरू की हैं। 'के–राइड' में सभी पक्षों की अंशधारिता इस प्रकार है–कर्नाटक सरकार–26 प्रतिशत; भारत सरकार–26 प्रतिशत; और बाकी 48 प्रतिशत वित्तीय संस्थाओं द्वारा। अतः इसी प्रकार देश में बाकी सब राज्य सरकारों के साथ भी किया जाना चाहिए। जो राज्य इसके लिए आगे आयें उनके विकास के लिए एक अलग कोष उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि कम से कम यह अधिक उपयोगी हो सकता है। अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि सरकार इस संयुक्त उद्यम के लिए प्रतिवर्ष कम से कम एक हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए। मेरे विचार से यह अधिक उपयोगी रहेगा और इसे शीघ्रातिशीघ्र किया जाना चाहिए।

महोदय, इस सम्मानित सदन के समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव रखना चाहूंगा। रेल मंत्रालय को शहरों में अपनी बेकार पड़ी भूमि का, जहां भी व्यवहार्य हो, वाणिज्यिक उपयोग करने की संभावनाओं का दोहन करना चाहिए। हमें उस बेकार भूमि का उपयोग करना है। इसे वाणिज्यिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। रेल पटरियों के दोनों ओर रेल विभाग की सैकड़ों एकड़ भूमि पड़ी है, इसका समुचित उपयोग नहीं होता। रेल विभाग द्वारा इसका पर्यटन केन्द्रों, होटल आदि बनाने और इसका वाणिज्यिक उपयोग, जो भी अधिक उपयोगी हो, किया जा सकता है। रेल विभाग के विकास हेतु कुल आगम का पच्चीस प्रतिशत चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब चीजों के लिए पैसा कहां से आए। मैं क्षेत्रों का उल्लेख नहीं करना चाहता। माननीय मंत्री जी को समझना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए। आप टिकटों की बिक्री, आय और रेलों के चलने की दृष्टि से देश के दक्षिणी भागों की तुलना उत्तरी भागों से कर सकते हैं। मैं इस बात का उल्लेख अपने निजी अनुभव के कारण कर रहा हूं। मैं 1992 में वाराणसी गया था। मैंने देखा कि तीस प्रतिशत से अधिक लोगों ने टिकट नहीं लिया था। तब, रेल विभाग कैसे चलेगा? माननीय मंत्री जी बहुत प्रभावशाली और सख्त हैं। वे इस चीज को अवश्य देखेंगी और इसमें सुधार करेंगी। इस प्रकार रेल विभाग के विकास हेतु पचास प्रतिशत धनराशि आ जाएगी। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको स्वयं का आकलन कर इन पर दृढ़ रहना चाहिए। यह मैं एक व्यवहारिक सुझाव दे रहा हूं। आप इसमें दक्षिण और उत्तर की तुलना कर सकते हैं। इस चीज को सुधारा जाना चाहिए।

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

मैं एक और बात कहना चाहूंगा। आरक्षित सीटों पर भी लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं। वे उन लोगों को भी नहीं बैठने देते जिनके पास आरक्षित सीट हैं। इन चीजों को सख्ती से सुधारा जाना चाहिए और अधिकारियों को इस संबंध में तदानुसार निदेश दिए जाने चाहिए।

महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। तीर्थ स्थलों को आपस में जोड़ना उनमें से एक है। पैलेस ऑन व्हील्स की ही भांति, जो कि उत्तर भारत में सफल रही है, कुछ विशेष रेलें चलाई जानी चाहिएं। रेल यात्री निवास होटलों के निर्माण और इन्हें व्यवस्थित तरीके से चलाने से भारत सरकार धन और विदेशी मुद्रा दोनों अर्जित कर सकेगी।

रेल विभाग में माल ढोने की बहुत अधिक क्षमता है लेकिन जटिल–प्रक्रिया और रेल विभाग के कर्मचारियों के असहयोग पूर्ण रवैये के कारण ट्रकों से माल ढोया जा रहा है, इसलिए इस कार्य हेतु फील्ड स्टाफ को चिन्हित किए जाने की आवश्यकता है और इस आय का एक भाग प्रायोगिक आधार पर निजी अभिकर्ताओं (एजेंटों) को कमीशन के रूप में दिया जाए। रेल विभाग को जल्दी खराब होने वाले माल की ढुलाई की भी कोशिश करनी चाहिए। कृषि उत्पादों का उच्च उत्पादन और परिवहन की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण किसान बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस पद्धति को अपनाने की कोशिश की जा सकती है, यह कोई असम्भव कार्य नहीं है।

कर्नाटक में हम शिमला से आलू खरीद रहे हैं। हमें बीज बोने के लिए एक माह का भी समय नहीं मिलता। कर्नाटक के लोग शिमला से नियमित रूप से आलू खरीद रहे हैं। हम वहां से हजारों–हजार वैगने खरीद रहे हैं। वैगनें दक्षिण तक पहुंचने में डेढ़ मास का समय लेती हैं परन्तु वे समय पर नहीं पहुंचतीं जिससे हम समय रहते बुआई नहीं कर पाते।

हमें नुकसान होता है क्योंकि हम निर्धारित समय पर बीज नहीं बो पाते। धान की खेती के साथ भी यही मामला है। अतः माननीय मंत्री जी को उत्पाद की ओर ध्यान देना चाहिए और इसे अधिक महत्व दें क्योंकि जो भी किसान पैदा करते हैं, उन उत्पादों को निश्चित समय के भीतर निश्चित स्थानों पर पहुंचना चाहिए। तभी उन्हें मुनाफा मिलेगा। अन्यथा आप जानते हैं कि यह खराब होने वाला सामान है और किसानों को अपनी लागत भी वापस नहीं मिलती। महोदया, मैं समझता हूं कि आप किसानों की समस्याएं समझती हैं और इन सभी बातों का ध्यान रखेंगी।

माननीय रेल मंत्री कर्नाटक होकर आई हैं। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की है। उन्होंने संयुक्त उद्यम में चार परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है किन्तु अभी भी 25 से 30 और परियोजनाएं लंबित हैं। मैं उनमें से एक अथवा दो परियोजनाओं का उल्लेख कर सकता हूं। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिसानत्तम–मणिकुप्पम के सर्वेक्षण को माननीय रेल मंत्री द्वारा विचार हेतु नोट कर लिया गया है किन्तु उसके लिए धन की व्यवस्था नहीं कराई गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं–वह यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 के चैन्ने–किलार–बेंगलूर–खण्ड पर आवागमन हेतु तार वाले पुल (312 किमी. के.आर.पुरम के पास) के निर्माण की संशोधित समन्वित लागत 47.42 करोड़ रुपये है। सरकार ने अब तक 22.2 करोड़ रुपये ही मंजूर किए हैं। इस परियोजना को पूरा करने के लिए शेष धनराशि शीघ्र जारी की जाए। अन्यथा इस पर अनावश्यक रूप से अधिक समय लगेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग–4 भारी यातायात वाली सड़क है। राज्य में अन्य सभी सड़कों की तुलना में इस सड़क पर प्रतिदिन अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। प्रति माह दो सौ, तीन सौ दुर्घटनाएं होती हैं। अतः आप समझ सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या है। इस सड़क पर बड़ी संख्या में ट्रक चल रहे हैं यदि इस सड़क को शीघ्र पूरा कर लिया जाए तो यह जनता के लिए और अधिक लाभदायक हो जाएगी।

मेर साथी, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री और संसद सदस्य श्री जालप्पा और मैंने बांगरपेट–येला हांका रेललाइन परियोजना को पूरा करने के लिए दो बार रेल मंत्री से अनुरोध किया था। पचास प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। शेष पचास प्रतिशत कार्य अभी पूरा किया जाना है। उन्होंने पहले ही इस परियोजना पर पचास करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। यदि पचास प्रतिशत कार्य को पूरा नहीं किया जाता है तो ये पचास करोड़ रुपये बेकार चले जाएंगे। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता देने का अनुरोध है। हमने माननीय मुख्य मंत्री से संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में भी इस पर विचार करने का अनुरोध किया था। अतः संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में इस पर विचार किया जाए और पूरा किया जाए। यह तिरूपति, भुवनेश्वर, कलकत्ता और पूर्वोत्तर को जोड़ेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आमों और सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मांगों के संदर्भ में अपने भाषण को सीमित रखें। ये केवल अनुपूरक मांगें हैं।

श्री के.एच. मुनियप्पा : महोदय मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम कर्नाटक में देश में आम के कुल उत्पादन का एक–

तिहाई उत्पादन कर रहे हैं। इसे देश के उत्तरी और पूर्वोत्तर भागों तक पहुंचाना पड़ता है। अतः इस परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करूंगा जो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बारे में है। 1947 में इसकी स्थापना से लेकर रेलवे डिब्बों के निर्माण का कार्य इस कम्पनी अर्थात भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को सौंपा जाता रहा है जो सरकारी क्षेत्र एक उपक्रम है। माननीय रेल मंत्री महोदया का मंत्रित्व काल मे यह कार्य रेल डिब्बा निर्माण कपूरथला और इंटीग्रेटेड डिब्बा निर्माण, चेन्नई को दिया गया है। मैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के भाग्य के बारे में जानना चाहता हूं जहां 5000 श्रमिक परेशान है।

इस प्रयोजनार्थ उनके पास कुशल श्रमिक हैं। यह भारत सरकार के पास शुरू से है। उन कारीगरों का भाग्य क्या है? उन कर्मचारियों के लिए प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं। पहले इसका भी अनुरोध किया गया था। मैं आपसे इस समस्या पर गौर करने का अनुरोध करता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि एक निर्माण में एक हजार अथवा कुछ इतने ही रेल डिब्बों से अधिक रेल डिब्बे नहीं लिए जा सकते। किन्तु जितनी भी आवश्यकता हो, उसे आपको इन यूनिटों में बांटना पड़ेगा। अथवा यह कार्य कठिन है। इस कम्पनी का भविष्य क्या है? प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। यह धनराशि कहां से आएगी? मैं यही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* यह सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या यह रेलवे के पास है?

श्री के. एच. मुनियप्पा : यह भी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है।

कुमारी ममता बनर्जी : लेकिन यह रेलवे के पास नहीं है। यह शहरी विकास मंत्रालय के पास है।

श्री के. एच. मुनियप्पा : महोदया, सरकार ने पहले अनुदेश दिया था और उस उद्देश्य से डिब्बों के निर्माण के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया गया। इस विशेष यूनिट के लिए सम्पूर्ण कुशल श्रम है।

कुमारी ममता बनर्जी : ऐसी अनेक यूनिटें हैं।

श्री के. एच. मुनियप्पा : नहीं, महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस पर विचार करना होगा।

सभापति महोदय : श्री मुनियप्पा, आप किस मांग संख्या के तहत बोल रहे हैं?

श्री के. एच. मुनियप्पा : महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं सरकार से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, आप कृपया इस प्रकार पाबंदी न लगाएं। हमें केवल अनुपूरक मांगों पर ही चर्चा नहीं करनी है बल्कि आर.सी.सी. की रिपोर्ट पर भी चर्चा करनी है।

सभापति महोदय : मैं यह जानता हूं।

श्री के. एच. मुनियप्पा : महोदय, हमें माननीय रेल मंत्री का भी बचाव करना है। हम इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं। हम सरकार से और अधिक धनराशि कम से कम प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये प्रदान करने का अनुरोध करेंगे। राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम से लंबित परियोजनाओं के पूरा किया जाए।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा के बारे में है। आज प्रत्येक दो अथवा तीन माह में एक बार 50 अथवा सौ लोग रेल दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। सुरक्षा उपायों की समुचित देखभाल नहीं की जाती है। महोदया, जैसाकि आपने कहा है, रेलवे में सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।

मैं रख-रखाव और स्वच्छता के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारे मामक बहुत घटिया हैं। हम रेलवे के शौचालयों का उपयोग नहीं कर सकते। हमें आशा है कि माननीय मंत्री महोदया उन्हें उपयोग योग्य बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी। मैं यह एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। सुरक्षा बहुत खराब है। विकास भी बहुत खराब है। इस संबंध में मैं सरकार से इस प्रयोजनार्थ आवश्यक धनराशि देने का अनुरोध करता हूं।

दूसरे, जो भी योजनाएं पिछले दस वर्षों में विकास हेतु बनाई गई हैं, हम उनसे पूर्ण रूप से सहमत हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर न केवल यात्रियों के लिए जोर दिया जाए बल्कि यह कृषक समुदाय के लिए भी है। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका संबंध किसानों से है। इस अवस्था में मैं सरकार से सभी लंबित परियोजनाओं, चाहे वे केरल में हों या कहीं और हों, को शुरू करने के लिए रेलवे को आवश्यक निधियां देने का अनुरोध करता हूं। परियोजनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हैं। हमें राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चिन्ता है।

मेरा सुझाव है कि असंख्य आधारशिलाएं रखने के संबंध में सस्ती लोकप्रियता में जाने के बजाय आप कृपया इस देश के लोगों को बताएं कि वे कौन सी परियोजनाएं है जिनकी आपने आधारशिला रखी है और कौन-कौन सी परियोजनाएं आप शुरू

[श्री के.एच. मुनियप्पा]

करने जा रही हैं। आप इनको सविस्तार बताएं। मैं जानता हूं कि आप एक कठोर और गतिशील व्यक्तित्व हैं और आप अनावश्यक रूप से आधारशिलाएं नहीं रख रही हैं। किन्तु मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इनका विवरण दें और प्राथमिकता के आधार पर परियोजनाएं शुरू करें। तब हम वास्तव में आपका समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यदि आप संक्षेप में बोलेंगे तो लम्बे समय तक नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस चर्चा में 50 से ऊपर माननीय सदस्य भाग लेने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सरकारी पक्ष से कम लोग बोलें और विरोध पक्ष से ज्यादा लोग बोलें तो अच्छा रहेगा।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : माननीय सभापति महोदय, रेल मंत्री जी ने जो अनुदान की अनुपूरक मांगें सदन में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। ममता जी के रेल मंत्री बनने के बाद रेल के क्षेत्र में काफी सुधार होता जा रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि उनके नेतृत्व में रेल महकमा और तेज गति से आगे बढ़ता जाएगा।

अभी मंत्री जी ने उपलब्धियों की जानकारी दी थी, वे निश्चित रूप से सराहनीय हैं। उसमें और वृद्धि करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से भी चिन्ता व्यक्त की है और चिन्ता के साथ-साथ सुरक्षा के उपाय हेतु भी कई कदम उठाए हैं। आप्टीकल फाइबर उपलब्ध कराना, ताकि दूरसंचार की दृष्टि से रेलवे की खामियों में तेज गति से सुधार हो और एक-दूसरे स्टेशनों के बीच में तत्काल कोई घटना घटित होती है या नई-पुरानी बात होती है तो उस जानकारी का एक-दूसरे स्थान पर आदान-प्रदान हो जाए। यात्री सुविधा मद की राशि में भी वृद्धि हुई है और नयी ट्रेनें भी चलाई गई हैं। अत्याधुनिक 4000 अश्वशक्ति के नये इंजन, लोकोमोटिव भी रेल विभाग की ओर से उपलब्ध कराये गए हैं। हुडको के माध्यम से जो रेलवे की भूमि पड़ी हुई है, उसका उपयोग करके आय बढ़ाने के भी प्रयास किए गए हैं।

पिछले बजट के समय में कुछ अच्छे निर्णय भी लिए थे और उन अच्छे निर्णयों में प्रमुख रूप से बिना माल भाड़े में, यात्री भाड़े में वृद्धि किए रेलवे की आय बढ़ाने के प्रयास थे। वाणिज्यिक प्रचार की दृष्टि से माल गाड़ी के डिब्बों पर या यात्री ट्रेन के डिब्बों पर कुछ प्रचार-प्रसार संस्थाओं से बात करके पैसा कमाने का एक अच्छा प्रयास इस मंत्रालय ने किया है। जो समपार हैं, उन पर होर्डिंग्स रेलवे लाइन के किनारे-किनारे लगानी हैं, इस प्रकार की प्रचार सामग्री के माध्यम से आय के स्रोत में वृद्धि करने के अच्छे प्रयास किए हैं। माल की अधिक से अधिक ढुलाई हो सके, इसके लिए रेल मंत्रालय ने जो सुपर फास्ट यात्री ट्रेन चलती है, उसके साथ आगे-पीछे एक्सप्रेस मालगाड़ियां चलाने का भी निर्णय लिया।

महोदय, वैसे ये अनुपूरक मांगें बहुत सीमित हैं, इसमें केवल 30,000 रुपये की स्वीकृति है, परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से जो निर्णय लिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में लगभग 50,600 में अधिक रेलवे समपार हैं, जिनमें से लगभग 16,100 चौकीदार युक्त समपार हैं, किन्तु 34,500 से अधिक ऐसे समपार हैं जहां चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। यह जो अनुदान की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनमें लगभग 185 समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था करने का प्रावधान है, जिसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश की कुछ समस्याओं की तरफ खींचना चाहता हूं। इस दौरान मैं यह भी कहना चाहूंगा कि योजनाएं बहुत सारी बनी हुई हैं, उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता है उतनी रेल मंत्रालय जुटा नहीं पा रहा। मैं जानता हूं कि ममता जी गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली रेल मंत्री हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई भार गरीब वर्ग के लोगों पर डालना नहीं चाहतीं। परन्तु ऐसे कोई न कोई उपाय तो खोजने ही पड़ेंगे, नहीं तो यह रेल-विभाग बहुत मंद गति से प्रगति की ओर बढ़ेगा। भारत में करीब 150 वर्षों से रेल सुविधा उपलब्ध है लेकिन अन्य बहुत से देशों में जहां पर 60-80 या 100 वर्ष पहले रेल-सुविधा मिली है चार सौ, पांच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ियां चलती हैं। रेल-पटरियों को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं लेकिन रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाकर हम आवागमन की सुविधा को बढ़ा सकते हैं।

आज चिंता का विषय यह भी है कि माल की ढुलाई की मात्रा तो बढ़ रही है, आय भी बढ़ रही है लेकिन अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्रतिशत में जितनी वृद्धि होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। ट्रकों से आज माल ढुलाई हो रही है और वहां प्रतिशत बढ़ रहा है लेकिन रेल ढुलाई में नहीं बढ़ रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। माल का लदान, उसका उतारना, टाइम पर छुड़ाना, माल आता है नहीं आता है इत्यादि। इसलिए जागरूकता

के साथ ऐसी खामियों को दूर करके ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि रेलवे को माल ढुलाई ज्यादा मिल सके।

सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री महोदया का ध्यान मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ललितपुर से संगरौली तक नयी रेल लाइन बिछाने के काम का शुभारम्भ किया था। इसलिए हमारी अपेक्षा है कि वह काम तेज गति से होना चाहिए। जो—जो रेल लाइनें हम स्वीकृत करते हैं, उन सब का अपना महत्व होता है लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इस पर बजट प्रावधान भी हुआ है लेकिन बहुत की कम हुआ है। मैं जिन योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूं उन सभी में करीब—करीब यही स्थिति है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगले बजट में पर्याप्त धन की व्यवस्था करके इन योजनाओं को तेज गति से पूरा करें। मध्य प्रदेश में जबलपुर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जोनल ऑफिस की स्वीकृति हुई। बिलासपुर में जोनल ऑफिस तो प्रारम्भ किया जा चुका है लेकिन जबलपुर की स्थिति ठीक नहीं है। उसे ठीक से चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। रतलाम और नीमच के बीच में आमान परिवर्तन का काम लम्बे समय से पूरा नहीं हो पा रहा है। बजट में धन का अभाव रहता है। इस वर्ष के बजट में केवल 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं। माननीय प्रहलाद पटेल जी ने 3 अगस्त, 2000 को इस बारे में एक प्रश्न किया था। उनके जवाब में बहुत सारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। मध्य प्रदेश की उन योजनाओं के बारे में माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि अगले बजट में वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे वे योजनाएं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरी हो सकें।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से मक्सी—इंदौर गोघरा रेल 1989—90 में स्वीकृत हो गयी थी। तब से बजट में प्रावधान होता चला आ रहा है परन्तु उसका एक फैज मक्सी से देवास के बीच का, लक्ष्य की प्राप्ति के अनुसार पूरा होने की उम्मीद नहीं है। वर्तमान में उसमें 10 करोड़ का बजट प्रावधान है, लेकिन काम की गति धीमी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी गति को तेज किया जाए। इसी प्रकार से गुना—इटावा रेल लाइन को सन 2003 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है किन्तु बजट अभाव में काम लक्ष्यानुसार नहीं हो रहा है। रावघाट रेलवे लाइन की स्वीकृति आदि का काम कम्पलीट है। सेल के द्वारा रेलवे में पैसे भी जमा करा दिए गए हैं। उक्त कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए।

रायपुर से बालोदा बाजार सारगढ़ झाड़सकुड़ा तक के लिए सर्वे कार्य स्वीकृत है। प्रथम सर्वे हो चुका है। रामटैक से गोटेगांव प्रथम सर्वे हो चुका है, आगे कार्यवाही करके काम प्रारम्भ करवाया जाए। जबलपुर से पन्ना व्याया दमोह पन्ना रेल लाइन हेतु प्रथम सर्वे हो चुका है। भिण्ड उरई महोबा बारास्ता राढ़ रेल लाइन हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी ने सन् 1998 में घोषणा की थी तथा उसमें बजट प्रावधान भी हुआ है किन्तु काम प्रारम्भ नहीं हुआ। ग्वालियर—श्योपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु सर्वे काम स्वीकृत है परन्तु काम प्रारम्भ नहीं हुआ है। बिलासपुर से मंडला सर्वे काम चल रहा है लेकिन काम अधूरा है। इंदौर—भुदनी सर्वे कार्य की भी यही हालत है। सलामतपुर, रायसेन, बेगमगंज से सागर तक रेल लाइन की भी यही स्थिति है। उज्जैन से रामगढ़ मंडी तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे काम हो चुका है। रिपोर्ट अप्रैल 2000 में रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय के पास पहुंच गई है। वहां आगे कार्रवाही होनी बाकी है। उसे करना चाहिए। सागर, देवडी, करेली, नागपुर के बीच रेल लाइन डालने की भी ऐसी स्थिति है। इन्दौर से उज्जैन रेल लाइन का विद्युतीकरण होना अति आवश्यक है। यह 75—80 किलोमीटर का टुकड़ा है। इसके कारण रेलवे के टाइम टेबल में काफी दिक्कतें आती हैं। मैंने समस्याओं का जो मांग पत्र बनाया है और उस पर मध्य प्रदेश के सभी सांसदों के हस्ताक्षर हैं, अगर आप अनुमति देंगे तो उसे सभा पटल पर रख दूंगा। मेरा वह भाषण पढ़ा हुआ मानकर उसे रिकॉर्ड में लेने की कृपा करें।

सभापति महोदय : मैंने संक्षेप में बोलने के लिए कहा है।

श्री धावरचंद गेहलोत : उज्जैन में दो साल बाद सिंहस्थ का मेला लगने वाला है। उस दृष्टि से उज्जैन के आसपास 100 किलोमीटर एरिया में रेलवे स्टेशन में सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। वहां शौचालय नहीं हैं, शैड नहीं हैं और पीने का पानी नहीं है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। देवास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया वाला रेलवे स्टेशन है। इंदौर की तुलना में वहां बहुत अधिक आय होती है लेकिन वहां केवल एक प्लेटफार्म है। आने—जाने की गाड़ियां एक तरफ के प्लेटफार्म में खड़ी रहती हैं। बीच में मालगाड़ी आ जाती है और उधर पैसेंजर ट्रेन खड़ी रहती है। लोग रेल के नीच से निकलते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। वहां दूसरे नम्बर का प्लेटफार्म बनना चाहिए और उसकी लम्बाई बढ़ानी चाहिए।

मेरे क्षेत्र में किसौनी रेलवे स्टेशन है। वह 43 वर्षों से है। उस स्टेशन को समाप्त करके फ्लैग स्टेशन बना रहे हैं। वहां लाइटें बंद कर दीं। किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया। वह टिकट देता है। कब गाड़ी आएगी और कब जाएगी इसका कुछ पता नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां फिर से पूर्व की भांति पूर्णरूपेण रेलवे स्टेशन बनाया जाए। मालवा का अकोदिया मंडी में स्टॉपेज बहुत जरूरी है। मैं इसकी लंबे समय से मांग कर रहा हूं। मेरी

[श्री थावरचंद गेहलोत]

मांग अधूरी पड़ी है। देवास का स्टेशन बहुत पुराने तरीके का है। वहां लॉकिंग और सिगनल सिस्टम आधुनिक होना चाहिए। मैं उसके आधुनिकीकरण की ओर मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नई रेल गाड़ी इंदौर से ग्वालियर इंटर सिटी चलाई है। उसमें रेलवे ने जो टाइम टेबल फिक्स किया, उसके खिलाफ कुछ लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। मेरे ख्याल में रेलवे की तरफ से अच्छी तरह प्रस्तुतीकरण हुआ होगा। हमारे वकीलों ने अच्छी बहस की होगी लेकिन कोर्ट ने एक आदेश दिया उसके कारण इतना टाइम दे दिया। पता नहीं क्यों दिया? हमें जानकारी मिली है कि बड़े–बड़े बस ओनर्स ने रिट पैटिशन लगाई थी और उन्होंने अच्छे वकील के माध्यम से न्याय को प्रभावित किया। उज्जैन में 45 मिनट का स्टॉपेज है जबकि 5–10 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं है। वहां इंजन रिवर्सेबल स्थिति में नहीं है। जिधर आता है, उधर ही जाएगा। मक्सी में 45 मिनट का स्टॉपेज है। जिधर से गाड़ी आ रही है, उधर ही जाएगी। कोई इंजन चेंज नहीं हो रहा है और वह 45 मिनट खड़ी रहेगी जबकि पांच–पांच मिनट के स्टॉपेज में सब काम हो सकता है। इस तरफ विशेष ध्यान दें। रेलवे को हानि पहुंचाने की योजना बन रही है। वे येन–केन प्रकारेण न्यायालय के माध्यम से रेलवे को प्रभावित करते हैं। यह नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इसका टाइम टेबल ठीक किया जाए।

रेल मंत्री महोदया की कार्य क्षमता बहुत अच्छी है। उनमें सूझबूझ भी है। वह काम भी करना चाहती हैं लेकिन जब हम रेल में यात्रा करते हैं तो बहुत से यात्री कहते हैं कि रेल मंत्री महोदया बहुत अच्छा काम करती हैं। योजनाएं बहुत अच्छी हैं लेकिन बहुत ज्यादा समय पश्चिम बंगाल में दे रही हैं। इसलिए रेलवे का काम जितना सुचारु रूप से चलना चाहिए वह नहीं चल रहा है।

सायं 6.00 बजे

मैं इस बात को मानता हूं कि उन्होंने जो लक्ष्य तय कर रखा है कि पश्चिम बंगाल में अनेक वर्षों से जो कुशासन है, उसे उन्होंने हटाकर दम लेने का संकल्प लिया है, मैं उसकी तो सराहना करता हूं, परन्तु मैं उनसे यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि रेल विभाग भारतवर्ष का महत्वपूर्ण महकमा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई न हो।

सभापति महोदय : आप डिमांड को ध्यान में रखकर बात करें। पश्चिम बंगाल बीच में कहां से आ गया।

श्री थावरचंद गेहलोत : इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा समय रेल मंत्रालय को दें, ताकि रेल मंत्रालय अच्छा काम कर सके और देश का विकास हो सके। धन्यवाद।

कुमारी ममता बनर्जी : सर जो बात ऑनरेबिल मैम्बर ने कही है उस पर मैं कहना चाहती हूं कि मैंने ज्यादा समय रेलवे को दिया है। इतना समय मैंने अपनी पार्टी को नहीं दिया, अपनी स्टेट के लिए भी नहीं दिया। अगर इसमें बी.जे.पी. के किसी मैम्बर को ऐतराज हो तो वह मुझे हटा सकता है। लेकिन यह बात सच है और जो सच है वह आपको बताना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हां, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं ही एक ऐसी मंत्री हूं जिसने विदेशी दौरा नहीं किया है। विदेश जाने की बजाय यदि मैं अपने राज्य में जाती हूं, राज्य के काम करती हूं, तो इसमें बुरा क्या है?

सभापति महोदय : हमें यह जानकारी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत : मंत्री महोदय, मैंने यह कहा कि आप यहां बहुत समय देती हैं। उसके बाद भी यात्री जो सोच रहे थे वह मैंने आपसे निवेदन कर दिया।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : आपने जो कहा वह गलत है।

श्री थावरचंद गेहलोत : यदि इसके बाद भी आप महसूस करती हैं कि मैंने गलत कहा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।...*(व्यवधान)* यदि आपको लग रहा है कि मैंने गलत कहा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : थावरचंद जी, आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री पी. एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक हिस्सा हैं। किसी को उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमें पता है कि वह रेल विभाग को अधिकतम समय दे रही हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, रेल विभाग की अनुपूरक अनुदान मांगें नवम्बर, 2000 में हुई भीषण दुर्घटना के बाद प्रस्तुत की गई हैं। इसीलिए माननीया रेल मंत्री ने बहस शुरू करते हुए भी कहा है कि सुरक्षा प्रमुख कार्यक्षेत्र है।

महोदय, हम भी यह महसूस करते हैं कि सुरक्षा भारतीय रेल का एक प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र होना चाहिए। जब तक सुरक्षा नहीं होगी तब तक हम रेल प्रचालन को कुशल नहीं बना सकते।

लेकिन जो अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत की गई हैं उनसे माननीया मंत्री जी के इस इरादे का आभास नहीं मिलता हालांकि बिना चौकीदार वाले कुछ समपारों पर चौकीदार लगाने के लिए कतिपय आबंटन किए गए हैं। हम भी चाहते हैं कि जिन समपारों पर चौकीदार नहीं हैं उन पर चौकीदार हों। इसे करने में सालों-साल लग जाएंगे क्योंकि अब भी हजारों हजार समपार बिना चौकीदार वाले हैं।

इंटर-लॉकिंग प्रणाली प्रदान करने का भी प्रावधान है। यह भी एक सुरक्षा की चीज है। एक मद 13 किमी. लम्बे हावड़ा-खड़गपुर रेल मार्ग के नवीकरण की है परन्तु सुरक्षा से संबंधित अन्य कोई मद नहीं है।

भारतीय रेल में सुरक्षा बहुत आवश्यक है। इस संबंध में अनेक समितियां गठित की गई थीं, नामतः सीकरी समिति, वांचू समिति, रेल सुधार संबंधी समिति, खन्ना समिति, रेल दुर्घटना समीक्षा संबंधी समिति। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने भी कई बार भारतीय रेल के सुरक्षा संबंधी कार्य निष्पादन की समीक्षा की है। उसने इस पर टिप्पणियां भी की हैं।

महोदय, ऐसा नहीं है कि आज मैं केवल सुरक्षा पहलू पर बोल रहा हूं। मैं इस मुद्दे को काफी समय से उठाता रहा हूं। हम जानते हैं कि किस प्रकार बहुत सी रेल दुर्घटनाओं की जानकारी नहीं मिलती। इनकी सूचना संसद तक को नहीं मिलती।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने टिप्पणी की है कि जोनल रेल विभाग द्वारा रेलवे बोर्ड और रेलवे बोर्ड द्वारा संसद को दुर्घटना के बहुत कम मामलों की जानकारी दी जाती है। वर्ष 1994 से 1997-98 के बीच हुई 14,000 दुर्घटनाओं में से रेलवे बोर्ड को मात्र 3,157 दुर्घटनाओं की सूचना दी गई, जो मात्र 22.55 प्रतिशत हैं। यदि पटरी से गाड़ी उतरने की कोई घटना होती है तो रेलवे बोर्ड को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जाती? मैंने रेलवे बोर्ड से कई बार यह जानना चाहा है। जब भी पटरी से गाड़ी उतरने की घटना होती है या रेल प्रणाली में कोई व्यवधान आता है तो इससे हुए वित्तीय घाटे या क्षति का आकलन नहीं किया जाता और रेल मंत्रालय के पास इसकी जानकारी नहीं होती।

हम जानते हैं कि गाड़ी के पटरी से उतरने वाले कुछ संभावित खंड ऐसे हैं जहां वर्षों से गाड़ी पटरी से उतरने की घटनाएं होती रही हैं। रेल सुरक्षा आयुक्त को सभी गंभीर दुर्घटनाओं की जांच करनी होती है। जब भी दुर्घटनाएं होती हैं तो रेल आयुक्त को तुरन्त जांच करने के लिए कहा जाता है। फिर भी समीक्षाधीन अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई 2,274 गंभीर दुर्घटनाओं में से रेल सुरक्षा आयुक्त ने केवल 126 मामलों की जांच की जो मात्र 5.54 प्रतिशत है।

एक और चिंताजनक स्थिति ट्रैक सर्किट के संबंध में है। फिरोजाबाद में हुई गंभीर दुर्घटना सभी को याद है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी. वी. नरसिंहराव ने वक्तव्य दिया था कि सभी प्रमुख स्टेशनों पर ट्रैक सर्किट लगाए जाएंगे। उत्तर रेलवे के पास धन था परन्तु ट्रैक सर्किट प्रदान कराने के लिए उस धन का उपयोग नहीं किया गया। यदि उस स्टेशन पर ट्रैक सर्किट लगा होता तो दुर्घटना नहीं होती। यह कहा गया था कि सभी स्टेशनों पर ट्रैक सर्किट लगाए जाएंगे लेकिन अब तक यह कार्य नहीं किया गया है। इस पर खन्ना दुर्घटना समीक्षा समिति ने भी टिप्पणी की है।

एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा सुरक्षा श्रेणी के स्टाफ का है। इस अवधि के दौरान सुरक्षा श्रेणी के स्टाफ में औसतन 8.07 प्रतिशत रिक्तियां थीं। चालक श्रेणी के मामले में यह कमी और भी अधिक थी, जो 11.20 प्रतिशत थी। इस श्रेणी में रिक्तियों का भरना जरूरी है। मुझे ज्ञात है कि इस श्रेणी में रेलवे बोर्ड के 6 प्रतिशत स्टाफ घटाने संबंधी स्थायी अनुदेश के कारण बहुत सी रिक्तियां वर्षों से नहीं भरी गई हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से वह (माननीय सदस्य) जो भी कह रहे हैं, वह बिल्कुल ठीक है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं केवल एक मिनट का समय लूंगी। यह सच है कि पहले दुर्घटनाएं रिकार्ड नहीं की जाती थीं।

किन्तु, जब मैंने पदभार ग्रहण किया, तो उसी समय मैंने स्पष्ट किया था कि प्रत्येक घटना के रिकार्ड रखे जाएंगे। यही कारण है कि यह आंकड़ा इतना ऊपर चला गया है। यह इसलिए कि पहले घटनाओं के रिकार्ड रखे नहीं जाते थे। उन्होंने कर्मचारियों के बारे में भी कुछ बातें कही हैं। मैंने सभी जरूरी कर्मचारियों को शामिल करने के निर्देश पहले ही दे रखे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय मंत्री द्वारा उठाया गया यह कदम बहुत ही अच्छा कदम है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात है चालकों के कार्य करने के घंटों के बारे में है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने भी इस पर टिप्पणी

[श्री बसुदेव आचार्य]

की है। 1973 में एक समझौता हुआ था और तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था। यह समझौता ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के साथ हुआ था जिसमें कहा गया था कि लोको चालक दल की ड्यूटी दस घंटे तक सीमित की जानी चाहिए।

लेकिन इसका कई तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। उन लोगों ने भी इस संबंध में टिप्पणी की है। उन्होंने इसकी प्रतिशतता भी बताई है। यह प्रतिशतता क्या है? उन्होंने 29 ऐसे मामले गिनाए जहां चालकों पर दस घंटे से अधिक की अवधि तक काम करने के लिए दबाव डाला गया और जिसके कारण दुर्घटनाएं हुईं।

दुर्घटनाएं परमानेन्ट वे या रोलिंग स्टॉक के कारण यांत्रिकी—खराबी से भी होती हैं। यह चिन्ता की बात है। इनका प्रतिशत 37 है। यांत्रिकी खराबी कैसे होती है? इसका कारण है कि यंत्रों का प्रतिस्थापन समुचित तरीकों से नहीं किया जाता है। हमारी बीस प्रतिशत रेल लाइनें पुरानी हैं और निर्धारित समय—सीमा को पार कर गई हैं। इसके लिए कोई राशि नहीं है। आर.सी.सी. ने ठीक ही कहा है कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड प्रतिस्थापन और नवीकरण के लिए ही बनाया गया था। लेकिन, इस कोष की क्या स्थिति है? उस कोष में केवल 76 करोड़ रुपये की राशि ही छोड़ी गयी है। 76 करोड़ रुपये की राशि से किस प्रकार का प्रतिस्थापन और नवीकरण को सकता है। स्थायी रूप से प्रतिस्थापन की निहायत जरूरत है। रेल डिब्बों को बदलने की जरूरत है।

एक संगठन है जिसका नाम है न्युट्रल—कंट्रोल विंग। मैं नहीं जानता कि यह संगठन रेलवे के अंतर्गत आता है या नहीं। लेकिन यह न्युट्रल कन्ट्रोल विंग के नाम से जाना जाता है। मैं इसके विचार से सहमत नहीं हूं। इसने कहा है कि 64.06 प्रतिशत वैगन और रेल डिब्बे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। यह प्रतिशतता 64 की नहीं होगी। किन्तु वैसे वैगनों और डिब्बों को काफी हद तक बदलने की आवश्यकता है। वैसे हमारा स्थानीय रेलगाड़ियों में यात्रा करने का यह अनुभव है न कि एमइएमयू रेलगाड़ियों में। पारम्परिक रेलगाड़ियों में यात्रा करने से हमारा अनुभव है कि कई उन रेल डिब्बों को बदलने की आवश्यकता है जिन्हें काम में लाया जा रहा है। किन्तु, धनाभाव के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा है। तथापि हमारी उत्पादन इकाईयों की क्षमता पर्याप्त है। आरसीएफ आज जितने रेल डिब्बे बना रही है उनसे अधिक का निर्माण कर सकती है। आइसीएफ आज जितने रेल डिब्बों का निर्माण कर रहीं है उनसे अधिक बना सकती है। भारत अर्थ मूवर्स को भी आर्डर दिए जा सकते हैं। यह रेल के कोच बनाने वाला सबसे प्रमुख उपक्रम है। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें ऑर्डर दिए जा रहे हैं या नहीं। पहले यह 400 से अधिक रेल डिब्बे बनाया करता था। जेसप भी एक प्रमुख संगठन है। लेकिन इसके पास धन की कमी है।

कुछ प्राथमिकताएं भी होनी चाहिए। प्राथमिकता का यह क्षेत्र क्षमता को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। इसके अंतर्गत हमें पुराने डिब्बों, पुराने रोलिंग स्टॉक व घिसे—पिटे परमानेंट वे को प्रतिस्थापित करना होगा। प्राथमिकता का क्षेत्र हमारी सिगनल प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का होगा। जब तक हम अपनी सिगनल प्रणाली को नहीं बदलेंगे तब तक हम रेलवे का समुचित प्रचालन नहीं कर सकते। अधिकांश प्रचालन सिगनल प्रणाली पर निर्भर करता है। हमारे पास कई तरह की सिगनल प्रणाली हैं लेकिन हम आज भी वही घिसे—पिटे टोकन सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। हमने देखा है कि एक व्यक्ति ड्राइवर को टोकन उसके पास जाकर देता है। ड्राइवर को जब तक टोकन मिल नहीं जाता, तब तक वह ट्रेन नहीं चला सकता और ऐसे में ट्रेन किसी एक स्टेशन पर 15—20 मिनट तक रुकी रह जाती है। इससे रेलवे के समुचित प्रचालन में बाधाएं खड़ी होती हैं इसलिए यह जरूरी है।

अपने मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री महोदया ने 142 टन की ब्रेकडाउन क्रेन के आयात में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसका आयात क्यों किया गया? क्रेन की गति क्या है?

जब कैसल में दुर्घटना हुई थी तो क्रेन को आने में कितना समय लगा था? इसने गुवाहाटी से कैसल तक आने में 52 घंटे का समय लिया था। उस क्रेन को दुर्घटना—राहत के लिए लाया गया था। फिर क्यों ऐसा निर्णय लिया गया? किसने ऐसा निर्णय लिया? उसके लिए कौन जिम्मेदार था? हो सकता है कि ऐसा रेलवे बोर्ड ने किया हो? मैंने उस ऑर्डर को देखा था और रेल मंत्री की टिप्पणियां भी पढ़ी थीं। उन्होंने क्या टिप्पणियां की थीं—वे मुझे मालूम हैं। सीबीआई जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करने के बदले कुछ कार्यवाही और सुधारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन, वे अभी तक नहीं किए गए हैं।

इसी प्रकार एक संगठन है जिसका नाम है सेंटर ऑफ रेलवे इनफॉर्मेशन सिस्टम। (रेल सूचना प्रणाली केन्द्र)। उसका उद्देश्य बहुत अच्छा था। जब मैं रेल संबंधी स्थायी समिति का उपाध्यक्ष था, तो मैं उस संगठन में गया था। मुझे नहीं मालूम कि श्री नायडू वहां गये हैं या नहीं। उसका क्या उद्देश्य था?

उस संगठन का उद्देश्य था सम्पूर्ण फ्रेट सिस्टम का कम्प्यूटरीकरण करना। अब क्या हो रहा है? अब उसे आरक्षण का कम्प्यूटरीकरण करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह उसका मूल उद्देश्य नहीं था। यह मामला कल अल्प अवधि सूचना प्रश्न में आएगा। 'द पायोनियर' में छपा है कि रेलवे ने 20 वर्ष पुरानी तकनीक का आयात किया है। यह 20 वर्ष पुरानी तकनीक है। मुझे पता है कि यह कैनेडियन तकनीक है। इसे कनाडा से आयात किया गया था। यह अप्रचलित हो चला है और इसे बदला जाना चाहिए। जिस राशि का उल्लेख किया गया है वह 198 करोड़ रुपये की है। मंत्री महोदया अपने उत्तर में बताएंगी कि यह सही है या नहीं। यह उस संगठन को मजबूत करने के बजाय उसे अपंग बनाना है जो सही नहीं होगा।

पश्चिम बंगाल में हाल ही में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पुलों व रेल लाइनों की मरम्मत के लिए प्रावधान किया गया है। बड़े पैमाने पर रेल सम्पत्ति को नुकसान हुआ है। चार महीने ऐसे ही गुजर चुके हैं। सभी रेल खंडों में रेल सेवाएं बहाल नहीं हुई हैं। इसमें विलम्ब की कोई गुंजाइश नहीं होती। 1992 में मेरे क्षेत्र में बाढ़ के कारण रेल पुल बह गया था। रेलवे ने एक सप्ताह के भीतर इसकी मरम्मत कराई। एक अन्य पुल की मरम्मत एक सप्ताह के अन्दर हो गई तो दूसरे पुल की मरम्मत में छह महीने लगे।

कुछ रेलगाड़ियां बंद कर दी गयी हैं। हमें नहीं मालूम कि किन कारणों से उन्हें बंद कर दिया गया है। क्या अब भी हमारा विश्वास प्रोजेक्ट यूनी–गेज में बरकरार है? जब तत्कालीन रेल मंत्री ने प्रोजेक्ट यूनी–गेज की परिकल्पना प्रस्तुत की थी तो मैंने अपनी आशंका जाहिर की थी कि यह हमारे देश में संभव नहीं है। हमारे यहां मल्टी–गेज सिस्टम होना चाहिए। आप समस्त मीटर गेज को ब्रॉड गेज में नहीं बदल सकते हैं। यह संभव नहीं है। यह अर्थक्षम्य नहीं है। जबकि रेलमार्गों का नवीकरण करते रहने से और रोलिंग स्टॉक को प्रतिस्थापित करते रहने से मीटर गेज अपेक्षाकृत अत्यधिक सक्षम होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में 98 फीसदी लाइनें ब्रोड गेज प्रणाली की हैं। कुछ नैरोगेज रेलें भी हैं। एक मेरे क्षेत्र में थी। उसे भी ब्रोड गेज में बदला जा रहा है। संभव है इसमें चार से पांच वर्ष लग जाएंगे। यह बांकुरा–दामोदर नदी रेल परियोजना के अंतर्गत है।

लेकिन, वहां दो लाइनें हैं। वर्द्धमान और बांकुरा जिलों में एक वर्द्धमान को कटवा से जोड़ती है, तो दूसरी कटवा को अहमदपुर से। अचानक पूर्व–रेलवे ने इस रेल सेवा को बंद कर दिया है। वहां नैरोगेज लाइन थी और लोग इसी नैरो गेज लाइन से यात्रा किया करते थे।

कुमारी ममता बनर्जी : इसे दो महीना पहले बहाल कर दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या कटवा अहमदपुर के बीच की यह रेल–सेवा बहाल कर दी गई है? क्या आप सही कह रही हैं? यदि यह बहाल कर दी गई है, तो अच्छी बात है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आचार्य जी, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन समय की मर्यादा हमारे सामने है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा। हम ज्यादा बोलते हैं लेकिन आज नहीं बोलेंगे, जब बजट होगा तब बोलेंगे। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं। मंत्री जी ने सेफ्टी से शुरू करके सेफ्अी पर ही खत्म किया है, हम भी सेफ्टी से शुरू करके सेफ्टी पर ही खत्म करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उन नैरो गेज लाइनों को भी ब्रोड गेज में बदला जाना चाहिए। मंत्री जी वर्द्धमान–कटवा और कटवा–अहमदपुर रेल लाइन के नैरोगेज से ब्रोड गेज में आमान परिवर्तन की योजना बना सकती हैं। आमान परिवर्तन का लंबित कार्य शुरू किया जा सकता है। रेल बस सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है। मैंने भी दो रेलबसें मंगवाई थीं, जो मैसूर वर्कशॉप में बनाई गई थी। मेरी ओर से बहुत ही बढ़िया डिजाइन दिया गया था। रेल मंत्रालय ने इसे ब्रोड गेज में बदलने का निर्णय लिया। मैं नहीं चाहता था कि वे रेलबसें उन लाइनों पर चलें। रेलवे बोर्ड ने इसे उड़ीसा में स्थानांतरित किया। अतः ब्रोड गेज में आमान परिवर्तन का लंबित कार्य पूरा होने तक रेलबसें लाई जा सकती हैं और इन दो रेल खंडों में इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं।

मैं बहुत सारी मांगें करना नहीं चाहता हूं। एक ही गाड़ी है और वह भी दो–दो घंटे तक खड़ी रहती है। मैंने प्रस्ताव किया था और दक्षिण पश्चिम रेलवे ने उसे स्वीकृत कर लिया था तथा इसे रेलवे बोर्ड के पास भेज दिया था। दो महीने पहले रेलवे बोर्ड ने आद्रा से पुरूलिया तक और पुरूलिया से आद्रा तक एक रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। चार घंटों तक पुरूलिया और आद्रा के बीच कोई रेलगाड़ी नहीं है। यह प्रस्ताव अभी तक दक्षिण पश्चिम रेलवे के पास लंबित पड़ा है। जब रेलवे बोर्ड इसे मंजूरी प्रदान कर चुका है तो समस्या कहां पर है यह मेरी समझ में नहीं आता।

यह अनुपूरक बजट है। हमें बहुत सी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आगामी बजट में अधिक ध्यान सुरक्षा, पुनर्स्थापन तथा रेलवे प्रणाली के नवीकरण और आधुनिकीकरण पर दिया जाना चाहिए अन्यथा भारतीय रेल अधिक नहीं चल पाएंगी।

श्री प्रदीप रावत (पुणे) : महोदय मैं दाद देता हूं कि हमारी रेल मंत्री जी ने इसका आरम्भ रेलवे के सुरक्षा पहलू से संबंधित बातचीत से शुरू किया। मेरा यह विश्वास है कि रेलवे को बहुत लम्बी अवधि के बाद एक ऐसी मंत्री मिली है जो रेल मंत्रालय की समस्याओं और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति वस्तुतः समर्पित और कटिबद्ध है।

जैसा कि हम जानते हैं, 9000 रेलगाड़ियों में 1.30 करोड़ यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। 1972 में भारतीय रेल मार्गों का वर्गीकरण क, ख, ग और घ के रूप में किया गया था और जेनपर ट्रेन की गतिसीमा क्रमशः 160 किमी. 140 किमी. और 100 किमी. निर्धारित की गई थी। तब से पिछले 28 वर्षों में लगभग 10,000 लोग रेल दुर्घटनाओं में मारे गये हैं और इनसे लगभग तीन–गुना ज्यादा अपंग हो गए हैं। लगभग 9000 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। और हमें 1.5 लाख श्रम दिवस गंवाने पड़े यह एक भारी घाटा है। हमें इस समस्या के संबंध में शिकायत है। श्री बसुदेव आचार्य जी ने कतिपय सुरक्षा पहलुओं पर प्रकाश डाला है। इसलिए मैं उनकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं सुरक्षा के एक पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं और वह है रेल प्रचालन गति। इसमें दो समस्याएं हैं।

सायं 6.26 बजे

(श्री श्रीनिवास पाटील पीठासीन हुए)

एक है इस्पात जिसको हम प्रयुक्त करते हैं। हाइड्रोजन का मूल तत्व जो विश्व भर में 3 पी.पी.एम. ज्ञात है लेकिन जो इस्पात हम भारतीय रेल के लिए खरीदते हैं वह 6 पी.पी. एम. होता है। मैं समझता हूं कि हमारी रेल पटरियों में टूट–फूट होने और दरार आने का यही कारण है।

दूसरी बात बचाव कार्यों से संबंधित है। वर्ष 1984–85 में हमने यह सोचकर 140 टन वाली क्रेनें खरीदी थीं कि वे 90 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। लेकिन मैं आपको केवल कुछ उदाहरण दूंगा। गैसल का उदाहरण ही लें जो आसनसोल से 300 किमी. की दूरी पर है वहां पहुचंने में इसने 10 किमी. प्रति घंटे की औसत गति से 28 घंटे लिए, गुवाहाटी से फरीदाबाद, हरियाणा पहुंचने में इसने 46 घंटे लिए जो दिल्ली से 32 किमी. की दूरी पर है। अम्बाला से फतेहगढ़ पहुंचने में इसने पांच घंटे लिए जो मात्र 42 किमी. दूर है और दिल्ली से फिरोजाबाद पहुंचने में इसने 16 घंटे लिए जो 200 किमी. की दूरी पर है। दिल्ली से लखनऊ पहुंचने में सात घंटे और लखनऊ से नौ घंटे लिए। मैंने ये आंकड़े रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पत्र से लिए हैं।

महोदय, पी.आई.एल. के प्रत्युत्तर में वर्ष 1997 में रेल मंत्रालय द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया। मैं उससे एक पहलू पर प्रकाश डालना चाहता हूं। उस हलफनामे में रेलवे बोर्ड और भारत सरकार ने यह बताया कि रेल पटरी की खराब स्थिति के कारण क्रेनों को 90 कि.मी. प्रति घंटे की गति से नहीं चलाया जा सकता। यदि यह बात सही है तो हम रेलगाड़ियों को 160, 140 और 100 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से कैसे चला रहे हैं? मैं समझता हूं कि रेलगाड़ियों की प्रचालन गति को कम करके इसे बराबर करना होगा जो प्रमाणित की जायेगी। क्योंकि रेल अधिनियम की धारा 27 के अनुसार यह अनिवार्य है। इसमें कहा गया है कि इसे मुख्य आयुक्त रेलवे सुरक्षा द्वारा प्रमाणित कराना होगा। मैं फिर कहूंगा कि मैंने ऐसी समर्पित और वचनबद्ध मंत्री कभी नहीं देखी है जिसने रेलवे को ही अपना जीवन मान लिया हो। यदि हमारे यात्रियों का जीवन सुरक्षित नहीं है तो रेलगाड़ियों की प्रचालन गति को कम करना चाहिए। इसलिए यदि क्रेनें 90 कि.मी. प्रति घंटे की गति से नहीं दौड़ सकती हैं तो अन्य चल स्टॉक उच्च गति पर कैसे दौड़ सकते हैं। इसलिए हमें या तो प्रचालन गति को कम करना होगा अथवा इस विशेष पहलू पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए तत्काल कुछ करना होगा।

मैं जानता हूं कि यह एक सीमित वाद–विवाद है। लेकिन मैं एक विशेष विचार को प्रसारित करना चाहता हूं। महोदय, मैं पुणे का प्रतिनिधित्व करता हूं। यदि आप पुणे/मुम्बई खंड को लें। यह 160 कि.मी. का खंड है। इसमें महाराष्ट्र की 3 प्रतिशत भूमि है और महाराष्ट्र की 30 प्रतिशत जनसंख्या है। लेकिन इससे राष्ट्र का 40 प्रतिशत से अधिक राजस्व अर्जित होता है। मैं समझता हूं कि दोनों शहरों को जोड़ने का मामला राष्ट्रीय महत्व का मामला है क्योंकि यह विकास का इंजन है।

अब हमारी सरकार ने मुंबई–पुणे सड़क के कार्य को पूरा कर लिया है जो अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का है। मैं कुमारी ममता बनर्जी से आग्रह करूंगा कि वह करजत–पनवेल लिंक पहलू की जांच करवायें जो मात्र 29 कि.मी. लम्बा है। यदि इसे दोहरी लाइन वाला बना दिया जाए तो हम दो घंटे के भीतर मुंबई पहुंच सकते हैं। यही समय की मांग है क्योंकि यही असली वह पहलू है जो हमें 21वीं शदी में ले जायेगा। इसकी महत्ता भी सर्वविदित है। यदि आप पुणे–मुंबई को जोड़ने के मुद्दे पर तार्किक रूप से दृष्टिपात करें, तो आप पायेंगे कि जहां तक हमारे आर्थिक ढांचे का प्रश्न है, यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

रेलवे की संपत्ति का वाणिज्यिक दोहन जैसे अन्य छोटे–छोटे मुद्दे भी हैं। इस बारे में मंत्री जी के साथ व्यक्तिगततौर पर चर्चा करने का मेरा विचार है। मैं एक बार फिर उन्हें उनके द्वारा

किये जा रहे कार्यों के लिए बधाई दूंगा। मैं आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में कई मुद्दों, विशेषकर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर उचित ध्यान दिया जाएगा।

डॉ. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल) : सभापति महोदय, वर्ष 2000–2001 के लिए रेल मंत्रालय की अनुपूरक अनुदान–मांगों पर चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर प्रदान करने का धन्यवाद।

रेल विभाग, देश की अर्थव्यवस्था की उन्नति और संरक्षण में एक महती भूमिका निभाता है। यह देखना भारत सरकार का दायित्व है कि सभी क्षेत्र, विशेषकर पिछड़े क्षेत्र भी, समान रूप से विकास करें। केवल आर्थिक व्यवहार्यता को ही पिछड़े क्षेत्रों के विकास का पैमाना नहीं माना जाना चाहिए। यह खुशी की बात है कि सुश्री ममता बनर्जी के सक्रिय मंत्रित्व के चलते पूर्वोत्तर के राज्यों, जहां जनजातियों तथा निर्धन वर्ग के लोगों का बाहुल्य है और जो पिछले 52 वर्षों से अत्यधिक उपेक्षित रहे हैं, को प्राथमिकता मिली है। मैं उन्हें इस काम के लिए बधाई देता हूं।

यह सच है और प्रत्येक इसे जानता भी है कि रेल मंत्री सदैव अपने–अपने राज्यों की तरफ ही अधिक ध्यान देते रहे हैं और उन्हें ही प्राथमिकता प्रदान करते रहे हैं। लेकिन सुश्री ममता बनर्जी एक नारी हैं–और जैसे एक नारी अपनी संतानों के बीच भेदभाव नहीं रखती–वैसे ही उन्होंने विभिन्न राज्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा और जो भी उनकी आवश्यकता थी–नई रेल लाइन, बजटीय आबंटन तथा नई रेलगाड़ियां–उन्हें दिया। उनके अंदर की नारी का स्वरूप उनके बजट में भी झलक रहा है।

मैं एक माननीय सदस्य की इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूं कि कुमारी ममता बनर्जी, जो निर्धनों की उन्नति के लिए अनथक प्रयास करती रही हैं और जो उनके लिए सर्वदा उपलब्ध हैं, सदस्यों को समय नहीं दे पातीं। यह हमारे लिए एक कड़वा अनुभव रहा है और यह कार्यवाही वृत्तांत में भी सम्मिलित है कि एक वरिष्ठ मंत्री ने एक तेदेपा सदस्य से, उन्हें साक्षात्कार हेतु समय न देने के कारण, उनसे क्षमा मांगी और इसी कारण मैं कुमारी ममता बनर्जी को बधाई देता हूं, क्योंकि जब भी हम उनसे पूर्वानुमति लेकर या बिना लिए भी उनके पास जाते हैं, वे सदैव हमारा और सबका स्वागत करने और हमारी शिकायतों का समाधान करने के लिए तत्पर रहती हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : अब आप अपनी मांगों पर आ जाइए!

डॉ. मन्दा जगन्नाथ : मुझे मालूम है कि मुझे क्या मांगें रखनी हैं। मुझे भलीभांति पता है। आपको टोकने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया उनके सुझाव पर ध्यान दीजिए।

डॉ. मन्दा जगन्नाथ : सुरक्षा प्रणालियों की बात करता हूं, यह अच्छी बात है कि मंत्री महोदया ने अपनी शुरूआती टिप्पणियों में सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं पर बल दिया है। अनुपूरक मांगों को देखें, उनमें से अधिकतर को बिना चौकीदार वाले फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने और उन पुलों के लिए, जो कई राज्यों में हाल में ही आई बाढ़ में बह गए थे, राशि उपलब्ध कराने अथवा उन्हें फिर से बनवाने के लिए आबंटन दिया गया है। सुरक्षा प्रणाली के अनुरक्षण के लिए, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस बात पर ध्यान देवें कि सवारी–डिब्बे भलीभांति डिजाइन किए गए हों और साथ में रेल पटरियां भी।

माननीय मंत्रीजी ने स्वयं ही कहा है कि चूंकि पटरियां और सवारी–डिब्बे पुराने हैं, इसलिए हमें समस्याएं आ रही हैं। हमें इनकी ओर अधिक ध्यान देना होगा।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए। आपने पहले ही विषय से हटकर बोलते हुए पांच मिनट ले लिए हैं। कृपया विषय पर ही बोलिए।

डॉ. मन्दा जगन्नाथ : मैंने तो चार मिनट भी नहीं लिए!

जहां तक सुरक्षा प्रणाली का संबंध है, रेल–पटरियों का भलीभांति अनुरक्षण किया जाना चाहिए तथा डिब्बों को अच्छी तरह डिजाइन किया जाना चाहिए। यदि आप जापानी रेल–तंत्र को देखें, तो यह पायेंगे कि उनकी रेलगाड़ियां 400 से 500 किलोमीटर की गति से इसीलिए चल पाती हैं क्योंकि उनकी पटरियां और डिब्बे बढ़िया होते हैं। हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा।

बिना चौकीदार वाले फाटकों पर बहुत सी दुर्घटनाएं घट रही हैं। इन फाटकों पर चौकीदार की नियुक्ति की जानी चाहिए।

आंध्र प्रदेश की बात करते हुए मैं, महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि पिछले 52 वर्षों से इस राज्य के साथ पक्षपात किया जा रहा है। यहां केवल 60 किलोमीटर लंबाई की नई लाइनों को ही स्वीकृति दी गई है। यह बहुत ही पक्षपातपूर्ण है। कतिपय परियोजनाओं को मंजूर किया गया था और उन पर विचार भी हुआ था। लेकिन वे लंबे समय तक विलम्बित रहीं। और फिर बजटीय–आबंटन भी बहुत कम था, जिससे इन परियोजनाओं का समय और लागत बढ़ गई। अधिकांश परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं किया गया। तेलंगाना जैसे पिछड़े जिलों में, जहां लगातार सूखा पड़ता है, लोग आजीविका के लिए अन्य राज्यों को जा रहे हैं। यदि इन इलाकों में मंजूर की गई परियोजनाओं को समय पर पूरा

[डॉ. मन्दा जगन्नाथ]

कर लिया जाय, तो इस तरह के प्रव्रजन को रोका जा सकेगा क्योंकि तब रोजगार प्राप्त हो पायेगा। सामाजिक पिछड़ेपन, रोजगार की कमी तथा वित्तीय समस्याओं की वजह से ही ये लोग अपने जिले से बाहर जा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश से संबंधित मांगों पर आते हुए, मैं माननीय मंत्रीजी को यह बताना चाहूंगा कि एक नये रेलमार्ग नालगोंडा–माचेर्ला–रायचूर की परिकल्पना करके पूर्ववर्ती अनुपूरक बजट में इसका प्रस्ताव किया गया था, लेकिन केवल नालगोंडा–माचेर्ला तथा गडवाल–रायचूर को लेकर माचेर्ला–गडवाल मार्ग को छोड़ दिया गया, अतएव, इस खण्ड को आगामी बजट में शामिल करने का आपसे अनुरोध है।

आंध्र प्रदेश में जो और अन्य योजनाएं लंबित हैं, वे हैं–कुप्पम रेलवे–स्टेशन पर एक पदयात्री ऊपरीपुल का निर्माण, कुप्पम रेलवे–स्टेशन पर ही आरक्षण–कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण तथा यात्री–सुविधाओं में सुधार, मल्लानूर रेल–स्टेशन के बिना चौकीदार वाले समपार पर चौकीदार की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा अभिकल्पित 'परिदृश्य–2020' के अनुतः सड़क ऊपरी–पुलों का निर्माण तथा हैदराबाद में बहुनोडीय उपनगरीय समिति–प्रणाली को विकसित करना–जिसके लिये रेल विभाग द्वारा स्वांश के रूप में 30 करोड़ रुपये जारी किए जाना है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इन योजनाओं पर ध्यान देने और आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय मंत्री से तिरूपति से नई दिल्ली के लिए एक नई रेलगाड़ी चलाने की स्वीकृति देने और विजयवाड़ा तथा गोवा के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाने का भी अनुरोध करता हूं। यदि ऐसा किया जाता है तो भद्राचलम से कोवुर का मार्ग सबसे छोटा और सुविधाजनक पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग से मध्यप्रदेश से कोयला तथा लौह–अयस्क काकीनाड़ा लाया जा सकता है। यह बहुत ही कम दूरी वाला मार्ग है। मैं माननीय मंत्री महोदया से बिट्रगुंटा रेलवे–स्टेशन का विकास करने और वहां पर सुविधाओं तथा ई.एम.यू. संबंधी आवश्यकताओं की परिपूर्ति करने के लिए एक रेल–यार्ड निर्मित करने का भी अनुरोध करता हूं। प्रैस ने भी यह समाचार दिया है कि मुदखेड और बोलाराम के बीच आमान–परिवर्तन का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मैं इन परियोजनाओं को पूरा कराने तथा आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं को वरीयता देने का माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.) : सभापति महोदय, मैं आपका अभारी हूं कि आपने रेलवे की अनुदान की अनुपूरक मांगों की चर्चा में बोलने के लिए मुझे अनुमति प्रदान की।

माननीय रेल मंत्री जी ने अब से लगभग नौ माह पूर्व रेलवे बजट इसी सदन में प्रस्तुत किया था, तब से आज तक बार–बार क्यों धन के मांग की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि रेल मंत्री जी आपका जो आंकलन था, वह गलत साबित हुआ। क्या आपके रेल विभाग ने कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके लिए आपको बार–बार धन मांगना पड़ रहा है? यदि आपके विभाग ने ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य किया है, तो उसका उल्लेख स्पष्ट तौर पर आपको सदन के पटल पर करना चाहिए। रेल मंत्री महोदय, आपने एक प्रश्न के उत्तर में अवगत कराया था कि 66 नई परियोजनाओं पर आप रेल आमान परिवर्तन करायेंगी लेकिन परियोजनायें कब तक पूरी होंगी, इस पर अभी तक, आज तक, अनिश्चितता बनी हुई है। इस संदर्भ में भी रेल मंत्री महोदय को निश्चित ही तौर पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विकास की गति यह है कि आज पूरे देश के अंदर 62 हजार किमी. रेल मार्ग बिछाया गया है। इसमें अभी तक मात्र 23.68 प्रतिशत रेल मार्ग पर विद्युतीकरण का कार्य हुआ है। पिछले तीन वर्षों के अंदर जो विद्युतीकरण हुआ है, उसकी गति मात्र 0.78 प्रतिशत है। यदि यही गति रही, तो अगले 100 वर्षों में भी रेल मार्गों का विद्युतीकरण नहीं कर पायेंगी। इस दिशा में हम माननीय रेल मंत्री महोदय से यह जानना चाहेंगे कि कब तक देश के सम्पूर्ण रेल मार्गों का विद्युतीकरण का कार्य पूरा करेंगी? इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करेंगी?

महोदय, रेलवे किस तरह से धन का दुरुपयोग कर रहा है, इसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। रेल मंत्रालय ने 20 साल पुरानी 198 करोड़ रुपये की तकनीक खरीदी है। उस तकनीक का नाम है–फ्रेट आपरेशन इन्फार्मेशन सिस्टम। इस सिस्टम के संचालन की बात तो दूर, अभी तक इसका ट्रायल भी नहीं हुआ है। संसद की स्थायी रेलवे समिति ने भी इस सिस्टम की काफी तीखी आलोचना की है। रेलवे में दुर्घटनाओं की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। 1995 में जहां रेल दुर्घटनाओं की संख्या 450 थी, इस वर्ष अप्रैल से सितम्बर तक 250 रेल दुर्घटनायें हो चुकी हैं और अभी बाकी समय पड़ा हुआ है। इन रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

महोदय, 125 रेल मार्ग ऐसे हैं, जो अलाभकारी हैं। इन अलाभकारी रेल मार्गों को कैसे लाभकारी बनाया जाए, इस दिशा में रेल विभाग द्वारा व्यवस्थित प्रयास नहीं किया जा रहा है। हम रेल मंत्री महोदय से फिर कहना चाहेंगे कि उन अलाभकारी रेल मार्गों को लाभकारी मार्गों में परिवर्तित करने के लिए आपको

नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। रेल विभाग में अपव्यय के संबंध में सी. एंड ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उस रिपोर्ट में संकेत दिए हैं। उन अपव्ययों को राकेने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। यद्यपि, आपने नौकरशाही पर अंकुश रखने का प्रयास किया है। लेकिन ममता जी, नौकरशाही का बेड़ा किस क्रूरतापूर्वक नीचे के लोगों को दबाने और कुचलने का कार्य कर रहा है, इसका एक उदाहरण रखना चाहता हूं। गोरखपुर व दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर जो कुली हैं, जो दिन भर पसीना बहाते हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी भ्रष्ट अधिकारी को सजा नहीं हुई है। इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर कोई कुली गलत तरीके से दस रुपये कमा लेता है, तो उसका बिल्ला जरूर छीन लिया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार के दल-दल में जो डूबे हुए अधिकारी हैं, उनके खिलाफ आज तक शिकंजा नहीं कसा गया है। कम से कम आप जैसी मंत्री महोदय से हमारे जैसे नौजवान लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि बड़े-बड़े भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निश्चित तौर पर आप शिकंजा कसने का काम करेंगी।

महोदय, गैसल रेल दुर्घटना एक बड़ी दुर्घटना थी। उस रेल दुर्घटना के पश्चात् रेल मंत्री जी द्वारा इस्तीफा दिया गया था। उस रेल दुर्घटना के प्रथम-दृष्टया में जो अधिकारी दोषी पाए गए थे, उनको निलम्बित किया गया था। बिना जांच रिपोर्ट प्राप्त हुए, उन्हें कैसे बहाल कर दिया गया है? यह एक गम्भीर बात है। गम्भीर रेल दुर्घटना थी, जिसमें 19 किमी. तक एक ही पटरी पर दो ट्रेने चलती रहीं। इस दौरान कई रेलवे स्टेशन्स पार हो गए, उसके बावजूद भी उस दुर्घटना को गम्भीरतापूर्वक संज्ञान में नहीं लिया गया। इस पर भी आपको दृष्टि डालनी चाहिए। जब मैं इस सदन में पहली दफा आया था, तो रेल मंत्री महोदया आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि गोरखपुर-आनन्दनगर-गोंडा रेल लाइन का आमान परिवर्तन स्वीकृत है। आनन्दनगर-नौतनवा रेल लाइन का भी आमान परिवर्तन स्वीकृत है। यह रेल लाइन बुद्धा सर्किट को जोड़ने का काम करती है। इस रेल लाइन पर यात्री गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी का दर्शन करते हैं। इस रेल लाइन के द्वारा यात्री गौतम बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु के दर्शन करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण रेल लाइन का आमान परिवर्तन करने के लिए आपके द्वारा धन का आबंटन नहीं किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

हम आपसे एक बार फिर विनम्र आग्रह करेंगे कि गोरखपुर, आनन्दपुर, गौंडा रेल लाइन एवं आनन्दपुर-नौतनवा रेल लाइन के आमान परिवर्तन हेतु इस वित्तीय वर्ष में ही धन का प्रावधान करें। आप जब यह अनुपूरक मांगें मांग रही हैं तो हम चाहते हैं कि उसके लिए भी आप टोकन मनी रिलीज़ करने का काम करें। आनन्दनगर से नौतनवा की रेल लाइन के आमान परिवर्तन की भी अत्यंत आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के रास्ते से, भारत से नेपाल जाने वाले और नेपाल से भारत में आने वाले यात्रियों के लिए गोरखपुर, सुनौली मार्ग ही एकमात्र अधिकृत मार्ग है। आप यदि आनन्दनगर, नौतनवा रेल लाइन का आमान परिवर्तन कर देंगी तो जो विदेशी यात्री नेपाल से भारत और भारत से नेपाल उत्तर प्रदेश के रास्ते से होकर आते हैं उन्हें एक अच्छा सुगम रेल मार्ग उपलब्ध हो जाएगा।

मंत्री जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि गोरखपुर, सीवान, छपरा तक और बरौनी तक यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई दिल्ली से मात्र एक ट्रेन वैशाली एक्सप्रैस है। वैशाली एक्सप्रैस ट्रेन में शुक्रवार को नई दिल्ली से और रविवार को गोरखपुर की तरफ से इतना दबाव होता है कि सांसदों सहित सभी लोगों को जितनी दुर्दशा का सामना करना पड़ता है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। गोहाटी जाने वाली राजधानी एक्सप्रैस को यदि सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर होते हुए चला दें और रविवार को गोरखपुर से नई दिल्ली की तरफ चला दे तो गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, सीवान, छपरा के यात्रियों को एक अच्छी रेल सुविधा उपलब्ध होगी। यहां से गोरखपुर की दूरी 735 किमी. है। आप जितने समय में कलकत्ता की यात्रा तय करती हैं, हमें उससे ज्यादा समय यहां से गोरखपुर जाने में लग जाता है।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : आप छपरा की बात कर रहे हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : छपरा नहीं, मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* वह छपरा भी क्रॉस करके जाएगी।... *(व्यवधान)* अगर आप एक दिन के लिए कोई भी राजधानी गाड़ी चला देंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग आपके आभारी होंगे।...*(व्यवधान)* वह छपरा होकर भी जाएगी। हम जब तक छपरा से गोरखपुर आएंगे तब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, इतनी दूर तक वह यात्रा है। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि अगर आप नई दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर और गोरखपुर से छपरा होते हुए एक ट्रेन चला दें तो वह एक सुगम रेल यात्रा होगी।

महोदय, रेलवे की सम्पत्तियों पर किस तरह से अनधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय का नौतनवा रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। उत्तर प्रदेश के एक राज्य मंत्री, जो माफिया हैं, उन्होंने नौतनवा रेलवे स्टेशन की लाखों रुपये की कीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। आप इसे नोट कर लें। बार-बार कहने के बावजूद भी आपके अधिकारी अभी तक उस माफिया मंत्री

[कुंवर अखिलेश सिंह]

से रेलवे की जमीन को मुक्त नहीं करा पाए हैं। रेलवे की उस कीमती जमीन को उस मंत्री के कब्जे से मुक्त कराना चाहिए, अवैध कब्जे को समाप्त करना चाहिए। आज गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे में माफियाओं का इतना वर्चस्व है कि उनके इशारे पर सारे टैंडर लिए जा रहे हैं और उन माफियाओं के इशारे पर अधिकारी नाचने का काम कर रहे हैं। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे में जितने ठेके हो रहे हैं, उन ठेकों की आप जरा समीक्षा कराइए। ये जो तीन–चार माफियाओं का काकस है, ये उन ठेकों पर हावी है। उन माफियाओं के वर्चस्व को भी तोड़ने की आवश्यकता है। उनमें से दो माफिया तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के पद पर विराजमान हैं।

आपने निश्चित तौर पर रेल मंत्री बनने के बाद सराहनीय प्रयास किए हैं, लेकिन आप बंगाल के मोह से उबर नहीं पाई हैं। देश के लोगों को आपसे कुछ विशेष तरह की अपेक्षाएं हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बंगाल के मोह से उबर कर संपूर्ण देश के रेल मंत्री के पद के दायित्व का निर्वहन करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : महोदय रेल मंत्री जी ने जो अनुपूरक अनुदान की मांगें सदन में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। सम्माननीय ममता दीदी एक डायनमिक लीडर हैं। जब हम उनके पास किसी काम के लिए जाते हैं तो वे हमारे साथ अच्छी तरह से बात करती हैं और हमारी जो भी मांगें होती हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करती हैं।

सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जैसे पिछड़े इलाके से सांसद हूं। मराठवाड़ा संतों की भूमि है और यह निजाम से छूटकर महाराष्ट्र में शामिल हुआ है। हमारे यहां निजाम ने रेलवे लाइन डाली थी उसके बाद आज तक एक किमी. भी रेल लाइन नहीं डाली गयी है। अभी तक इन 53 सालों में कुछ नहीं हुआ है। हमने जब रेल कन्वर्सन आंदोलन किया था और उसमें हम जेल भी गये थे, उसके बाद तत्कालीन रेल मंत्री श्री मधु दंडवते जी ने उसको मीटरगेज से ब्रॉडगेज में तब्दील करने का काम किया। माननीय प्रमाणिक साहब भी थे उन्होंने भी किया था। मराठवाड़ा क्षेत्र और वहां के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं माननीय ममता बहन जी से कहूंगा कि हमारे मराठवाड़ा के साथ पूर्व विदर्भ, अमरावती, अकोला आदि जिलों में हम लोगों का आना–जाना रहता है। मराठवाड़ा का विकास रेलवे कन्वर्सन आंदोलन के बाद ज्यादा हुआ है। हमारे माननीय प्रमोद महाजन जी का जो बीड़ जिला है वहां परली को छोड़कर रेल नहीं है। उसके बाद जो धाराशिव–उस्मानाबाद जिला है जहां मां भवानी का मंदिर है वहां भी रेल नहीं है। उसके लिए मराठवाड़ा के लोगों ने आंदोलन भी किया। हाल ही में 25 जून को एक बहुत बड़ा रेल–रोको आंदोलन किया गया था जिसका नेतृत्व हमारे पद्मश्री से सम्मानित माननीय गोविंदभाई सर्राफ जी ने किया था। उसमें चाहे हमारे शिवसेना के सांसद हों या भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, सभी सांसदों ने उसमें भाग लिया था। ममता बहन, आप तो उस समय इलेक्शन में व्यस्त थीं इसलिए माननीय बंगारू लक्ष्मण जी के साथ मीटिंग हुई थी और उसमें आपके सारे ऑफिसर्स भी थे। इतनी बड़ी डिमांड थी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोटेगांव मेरे चुनाव क्षेत्र में है वहां तपोवन एक्सप्रैस केवल दो मिनट के लिए रुकेगी–यही सैक्शन्ड हुआ है। वहां के लिए न डिब्बे बढ़े हैं न रेल लाइन के लिए कोई प्रस्ताव पास हुआ है। हम लोग भी पिछड़े इलाके के हैं। मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि रेलवे ने महाराष्ट्र के अधिकांश भागों को नजरअंदाज किया है। हमारे लोग पं. बंगाल के पिछड़े इलाके जैसे हैं और अभी तक हमारी उपेक्षा होती रही है। आपने हमारे मराठवाड़ा और विदर्भ के सांसदों की जो बैठक ली उसमें एक मांग आप निश्चित रूप से मंजूर करेंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अमरावती से नरखेड के बीच 175 करोड़ की लागत से नई लाइनें बिछाने की परियोजना शुरू की गई। लेकिन मार्च 2000 तक इस परियोजना में सिर्फ 34 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 2000–2001 के बजट में इसके लिए मात्र 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

अहमदनगर–बीड़–परली बैजनाथ में नई रेलवे लाइनें बिछाने हेतु 353 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना शुरू की गयी लेकिन इस परियोजना में अब तक सिर्फ 44 हजार रुपये ही खर्च हुए हैं और सन् 2000–2001 के बजट में इस परियोजना हेतु सिफ 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो किसी भी दृष्टि से परियोजना को पूरा करने की इच्छा का द्योतक नहीं है। मिराज–लातूर 359 किमी. है। इसकी गेज कन्वर्सन–परियोजना की लागत 314 करोड़ रुपये है परन्तु अब तक केवल 93 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और 2000–2001 के बजट में केवल 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

अकोला–पूरना गेज कन्वर्सन परियोजना की लागत 228 करोड़ की है। लेकिन इसमें अब तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। शेगांव–जालना नयी रेल लाइन का सर्वे हो चुका है। अगर हम मनमाड़ से निकलते हैं तो साथ ही मुम्बई से मनमाड़–औरंगाबाद–जालना–शेगांव करके नागपुर जल्दी पहुंच सकते हैं। नहीं तो हमें उल्टा जाना पड़ता है। अभी एक सांसद महोदय भी इस बारे में बोल रहे थे और कई सांसदों ने भी

मांग की है कि शेगांव–जालना का सर्वे हो चुका है लेकिन राशि आबंटित करके मंजूरी देना बाकी है। मुदखेड–अदिलाबाद और मुदखेड–निजामाबाद ब्रॉडगेज कन्वर्सन भी फंड के अभाव में पूरा नहीं हो पा रहा है। निजाम स्टेट महाराष्ट्र में सौभाग्यवश 1960 में सम्मिलित हुआ था लेकिन वहां दुर्भाग्यवश कुछ प्रगति नहीं हुई। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ पूरा न्याय करेंगे। हम यही कहेंगे कि आप इस सरकार में पांच साल रेल मंत्री बने रहिए। इससे पूरे मराठवाड़ा और दूसरे पिछड़े भाग का विकास हो सकता है, यह मुझे उम्मीद है। हमारे बहुत से सांसद और विधायक देवगिरी एक्सप्रेस से जाते हैं लेकिन उसमें केवल एक बोगी है जो नांदेड़ से निकलती है। वह नांदेड़ से मुम्बई तक जाती है। नांदेड़ से मुम्बई जाने के लिए एक ही ट्रेन है और उसमें एक ही सैकिंड ए.सी. का डिब्बा है। उसमें कई विधायक, सांसद और फ्रीडम फाइटर जाते हैं लेकिन पैसेंजर्स को जगह नहीं मिलती है। मराठवाड़ा से मुम्बई को जाने वाली केवल एक गाड़ी है जो 12 डिब्बे की है। उसे 18 डिब्बों का करिए। हमें कहा गया कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में काम चालू है और यह काम हो जाएगा। ऐसा लगता है कि देवगिरी एक्सप्रेस साउथ सैंट्रल रेलवे की है। वह सैंट्रल रेलवे की नहीं है। हम निजाम से महाराष्ट्र में आए हैं। हैदराबाद स्टेट का जो भाग था जिसे मराठवाड़ा कहते हैं वह महाराष्ट्र में सम्मिलित होने के बाद सैंट्रल रेलवे से जोड़ना चाहिए था, ऐसी हमारी हमेशा मांग थी। औरंगाबाद से नांदेड़ तक साउथ सैंट्रल रेलवे में होने के कारण वहां के लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं। सैंट्रल रेलवे कहता है कि यह हमारा एरिया नहीं है। ऐसा करके हमारे साथ अन्याय होता है। साउथ सैंट्रल रेलवे से निकाल कर सैंट्रल रेलवे में पूरा मराठवाड़ा सम्मिलित करें। पुर्ला–मनमाड़ एक्सप्रेस है जो मनमाड़ तक चलती है। वह नांदेड़ तक चलनी चाहिए। जो औरंगाबाद के पैसेंजर्स हैं वे नगरसोल–मनमाड़ तक के पैसेंजर्स को कवर करें ताकि रोज के पैसंजर्स को मदद हो जाए। लातूर, पूर्णवाली, पूर्णया, अकोला, लातूर, रोटेगांव, पूर्णतामा, जालना, खामगांव के लिए रेल मार्ग बनना चाहिए। मराठवाड़ा के कई पुराने सांसद हमेशा इसकी मांग कर रहे हैं लेकिन यह काम हुआ नहीं। कई फ्रीडम फाइटर्स ने इसके लिए आन्दोलन भी किया।

जलगांव से शोलापुर जो बीड़ से होकर जाता है, इस नए मार्ग का जल्दी सर्वेक्षण कराइए। ममता जी बाहर चल गई हैं। मेरा कहना है कि हमारी बहुत बड़ी मांग है। आप इसे मंजूर करिए। रेल राज्य मंत्री बैठे हैं। नांदेड़–मुम्बई जैसी सुपरफास्ट गाड़ी हमारे यहां भी करिये। औरंगाबाद से तिरूपति एक गाड़ी होनी चाहिए। यह हमारी बहुत बड़ी डिमांड है। इससे रेलवे की इनकम बढ़ेगी। औरंगाबाद से बंगलौर और नांदेड़ से अहमदाबाद, शोलापुर, उदगिल, उस्मानाबाद तथा बीड़ के लोगों को इससे फायदा होगा।

मराठवाड़ा रेलवे के पास फंड नहीं है। मैं वहां की जनता की ओर से रेल मंत्री जी और रेल बोर्ड से प्रार्थना करूंगा कि केवल मराठवाड़ा के लोगों के लिए रेलवे बॉंड निकाले जाएं। हम इसका पूरा समर्थन करेंगे। हम पैसा जमा करके देंगे। जब महाराष्ट्र में शिव सेना की सरकार थी तो हमने कृष्णा खोरे के लिए बॉंड निकाले थे। कई योजनाओं के लिए बॉंड्स निकाले। इसमें खूब पैसा आया। इससे कई योजनाएं बनीं। यदि रेलवे के लिए करेंगे तो हमारी बहुत बड़ी डिमांड पूरी होगी।

ममता जी मेरा भाषण सुनते–सुनते चली गयीं। उन्होंने हम से कहा था कि मीटिंग करेंगी। वह जल्दी से जल्दी विदर्भ के सांसदों की मीटिंग करने के बाद जो भी प्रश्न आए, गैलरी में बैठे सभी ऑफिसर्स को बिठा कर महाराष्ट्र के लिए कुछ करें। पिछड़े राज्यों की आय बढ़ाने के लिए कुछ करिए।

सायं 7.00 बजे

आज रेलवे स्टेशनों पर जो एडवरटाइजमैंट्स आते हैं, यदि वे ज्यादा आते हैं तो उनसे ज्यादा पैसा आयेगा। उसी तरह से रेलवे की प्रोपर्टी के ऊपर यदि आज काम्पलैक्स बनायेंगे तो उससे रेलवे को ज्यादा पैसा मिलेगा। इस तरह से यदि ज्यादा से ज्यादा पैसा जनरेट होगा तो बहुत अच्छा होगा। कुमारी ममता बनर्जी से मैं एक बार फिर विनती करूंगा कि मराठवाड़ा विभाग के लिए यदि आप रेलवे बॉण्ड्स निकालें तो हम सारे सांसद और विधायक पूरे बॉण्ड्स सेल करने के लिए तैयार रहेंगे और उसका पूर्ण समर्थन करेंगे तथा उसमें जो पैसा जनरेट होगा उस पैसे से उस क्षेत्र में पिछले पचास सालों से एक किमी. भी नई पटरी नहीं डाली गयी हैं, वहां उनके डालने का बहुत बड़ा काम हो सकेगा। इसी विनती के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अपनी बात संक्षिप्त में रखने का अनुरोध करता हूं क्योंकि 60 और सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं।

श्री तरुण गोगोई (कलिग्गबोर) : रेलवे की अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने हेतु आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

रेलवे की सुरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता देने के लिये मैं

[श्री तरुण गोगोई]

माननीय रेलमंत्री को धन्यवाद देता हूं, यद्यपि भारतीय रेलवे का सुरक्षा रिकार्ड संतोषजनक नहीं है। मुझे आशा है कि उनके नेतृत्व में यात्री सुरक्षा में काफी सुधार होगा क्योंकि अधिकांश रेल यात्री मध्यम और गरीब तबके के हैं।

महोदय, किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में और देश के विभिन्न भागों के लोगों को पास लाकर देश को एकीकृत करने में रेलवे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मैं अपने भाषण को पूर्वोत्तर क्षेत्र तक सीमित रखना चाहूंगा। प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद राज्य आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप लोगों में असंतोष व्याप्त है। इसी कारण क्षेत्र में विद्रोह पनप रहा है। आज स्थिति काफी खराब है। बेरोजगारी बढ़ी है और रेलवे, सड़क और संचार के अन्य साधनों में सुधार के द्वारा ही आर्थिक विकास संभव है।

इसके अलावा विभाजन भी इसके लिए जिम्मेदार था जिसके कारण पूरा क्षेत्र सीमाओं से घिर गया है। पूर्व में सड़क, नदी और रेलवे संचार पूरी तरह बाधित हुआ था। इसलिये जब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज नहीं दिया जाता तब तक यह क्षेत्र पिछड़ा रहेगा।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। उस समय के रेल मंत्री के साथ यह मामला उठाया था। वास्तव में मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कैसे रेलवे के अधिकारियों ने रेल मंत्री को गुमराह किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिकांश रेल लाइनें ब्रिटिश काल में बिछाई गयी थीं। बड़ी लाइन शुरू होने के बाद पहले से विद्यमान लाइनों के विस्तार की बजाय उन्हें वहां से हटा दिया गया।

पहले चपुरमुख से हैबरगांव होते हुए मैराबारी तक मीटर लाइन थी। लेकिन बड़ी लाइन बिछाने के फैसले के कारण चपुरमुख से नवगांव और मैराबारी तक की रेल लाइन को हटाने का फैसला किया गया। नवगांव महत्वपूर्ण शहर है। मैंने यह मामला रेलवे अधिकारियों के साथ उठाया तो उन्होंने आर्थिक रूप से अव्यवहार्य की बात कही। मैंने उनसे पूछा कि यदि यह आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो तो वह असम को ही क्यों नहीं छोड़ देते। मैंने यह मामला तब के रेल मंत्री के सम्मुख उठाया और वे तुरन्त इस बात से सहमत हो गये। महोदय आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज वही लाइन उन्हीं रेल–अधिकारियों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य लगती है।

उसी समय हैबरगांव से मैराबारी तक रेलबस चलाने का फैसला किया गया। फिर उन्होंने सेनचोबा के बारे में फैसला किया। मैंने माननीय मंत्री को सलाह दी कि अगर वे चलाना नहीं चाहते, तो वह इसे पट्टे पर दे दें ताकि लगातार खर्च बढ़ता न जाये। मंत्री जी ने इस बात पर सहमति जताई।

मुझे माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश कलमाड़ी से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था :

> "कृपया हैबरगांव से मैराबारी और सेनचोबा से सिलघाट तक रेलबस सेवा के संबंध में 11.1.1996 के अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। आपको खुशी होगी एक एम.जी. रेलबस शुरू की जा रही है।"

यह बात 1996 की है और आज की तारीख तक रेल मंत्री ने रेलबस शुरू नहीं की है। अभी भी इस पर काम चल रहा है और मुझे नहीं पता कि असम तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा।

दोबारा मैंने माननीय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार के सम्मुख यह मामला उठाया। उन्होंने 1998 में मुझे लिखा जिसमें वर्णित था "हैबरगांव तथा मैराबारी और सेनचोबा तथा सिलघाट के बीच रेलबस सेवा शुरू करने के अपने फैसले के अनुरूप भारतीय रेलवे ने दो चार पहिए वाली रेलबस के निर्माण हेतु क्रयादेश दे दिया है।"

वे कहते हैं कि दूसरी बार उन्होंने दो फोर–व्हीलर रेलबसों को मंगाए जाने का क्रयआदेश दिया है। पहली बार कहा गया कि इन्हें भेजा जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ उन्होंने ऐसा बर्ताव किया है। इन वर्गों में वह पूर्वोत्तर को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात करते रहे। पुनः वे दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं :

> "इन सेवाओं का शुरू किया जाना इन खण्डों में बंद पड़ी पटरियों को पुनः चालू किए जाने से संबंधित कुछ समस्याओं से घिरा हुआ है। राज्य के इस भाग में आतंकवादी गतिविधियों के कारण, इस खण्ड में सर्वेक्षण करना संभव नहीं है..."

यह भाग आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त है। उन अधिकारियों ने आपको गुमराह किया था। आप इसकी जांच कीजिए। यह क्षेत्र आतंकवादियों से मुक्त है। अन्य आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य चालू रहा है। आप देखिए कि अधिकारियों ने आपको कैसे गुमराह किया है। तदन्तर इसे बंद करने का निर्णय लिया गया था। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगस्त 1999 में उन्होंने इसे बंद करने का निर्णय इस आधार पर लिया था

कि यह अलाभकारी पाया गया था। यह पहले भी ज्ञात था कि यह अलाभकारी था। वे कहते हैं कि इसके अलाभकारी होने की वजह से इसे बंद करने का निर्णय लिया था। इसे अलाभकारी बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? आपने कोई कदम नहीं उठाया था। आप रेलगाड़ी का प्रचालन नहीं कर रहे हैं। पुनः आज वे लिख रहे हैं और वे कहते हैं, "पटरी को पुनः चालू करने के साथ–साथ विधि–व्यवस्था का मामला भी जुड़ा हुआ है।" वे क्या कह रहे हैं। दूसरी ओर इसे हटाने से विधि–व्यवस्था की समस्या खड़ी होगी। यह क्षेत्र आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त है। यदि आप चीजों को हटायेंगे, तो स्वभावकि रूप से वहां विधि–व्यवस्था की समस्या होगी। उनका कहना है कि पटरियों को ठीक करने में कानून व्यवस्था का मसला जुड़ा है तो, वे किस प्रकार की सूचना दे रहे हैं? आपको इन अधिकारियों को दंडित करना चाहिए। वे हमें, एक जिम्मेदार सदस्य को गुमराह करने वाला जवाब दे रहे हैं। ममता बनर्जी महोदया, आप असम को जानती हैं। आप अपने संपर्कों के माध्यम से यह पता लगायें कि क्या यह क्षेत्र वास्तव में आतंकवाद प्रभावित है या नहीं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने रेलवे अधिकारियों को अनुदेश दे दिये हैं।

श्री तरुण गोगोई : महोदया, मैं आपका आभारी हूं। तब मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा और तब मैं अन्य समस्याओं की बात करूंगा। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया।

साथ ही, मैं बोगीबील के बारे में उल्लेख करूंगा। यह न केवल असम के पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाला ब्रह्मपुत्र नदी पर बना एक महत्वपूर्ण पुल है बल्कि यह समूचे अरुणाचल प्रदेश को भी जोड़ता है। यही वह है जिसे आपको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

दूसरा रंगिया रेल मंडल में है। इसका उद्घाटन पांच वर्ष पहले हुआ था। इस पर कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। रंगिया से लेकर मोरकाकसेलंग तक पूरे उत्तरी बट पर कोई ब्रॉड गेज लाइन नहीं है। यह मीटर गेज लाइन है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसे ब्राड गेज लाइन में बदला जाना चाहिए। आपने लुम्डींग–सिलचर लाइन के लिए धन संस्वीकृत किया है। मैं चाहता हूं कि प्रगति तीव्रतर होनी चाहिए। और, हम चाहते हैं कि मुम्बई के लिए और रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिए क्योंकि यही वह रेलगाड़ी है जो पूर्वोत्तर को समीप लाती है। अन्यथा, जब तक आप और अधिक रेलगाड़ियां हमें उपलब्ध नहीं कराती हैं तो हम लोगों को मुख्य धारा में कैसे ला पायेंगे? इसलिए, हम मुम्बई, बंगलौर और दक्षिण में अन्य स्थानों के लिए और अधिक रेलगाड़ियां चाहते हैं। रेलगाड़ियां तो हैं परन्तु वे 30–40 घंटे विलम्ब से चलती हैं। इसलिए, ज्यादा से ज्यादा रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिए।

मैं चाहता हूं कि राजधानी रेलगाड़ियों को दैनिक आधार पर चलाया जाना चाहिए। अधिकांश राजधानी रेलगाड़ियों का ठहराव अधिक है। अधिकतर रेलगाड़ियों में मैंने अन्य राजधानी रेलगाड़ियों की तुलना में पाया है कि उनका ठहराव ज्यादा है। इसलिए वे ज्यादा समय लेती हैं। इसलिए आप कम ठहराव के साथ अन्य दिनों में और रेलगाड़ियां चलवाएं। फिर मैं चाहता हूं कि मारोन–डिब्रूगढ़ शाखा लाइन का विस्तार किया जाए। यदि आप मारोन–डिब्रूगढ़ को जोड़ते हैं तो आप दूसरी रेलगाड़ी चला सकते हैं। गुवाहाटी से नौगांव, गोलोघाट, जोरहाट, शिवसागर और डिब्रूगढ़ को जोड़ा जा सकता है। इससे समय की बचत होगी। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदया इस पर ध्यान देंगी। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में मुझे आश्वासन दिया।

सभापति महोदय : वे सभी सदस्य जो अपने लिखित भाषणों को सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, से अनुरोध है कि कृपया वे ऐसा करें ताकि हम समय की बचत कर सकें। जो सदस्य अपने लिखित भाषणों को रखने के इच्छुक हैं वे ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मैं रेलवे पर अनुदान की पूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि सदन में कहा गया और हम सभी जानते हैं कि माननीया ममता जी ने जिस उत्साह और परिश्रम से रेलवे के कार्यकरण को सुधारने का प्रयत्न किया है, उसी के परिणाम हमारे सामने आए हैं।

सभापति जी, चूंकि रेलवे इतना बड़ा संगठन है और इतना इसका विस्तार है कि इस कारण बहुत सारी अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं। मैं यह जानता हूं कि जिन कठिनाइयों से हम गुजर रहे हैं, जो आर्थिक कठिनाइयां हमारे सामने हैं, उनको देखते हुए यह सभी पूरा किया जाना इतनी जल्दी संभव भी नहीं है तथापि जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उनकी सराहना की जानी चाहिए, उनके बारे में निश्चित रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, इन अनुपूरक मांगों पर हम विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से विचार कर रहे हैं। अभी यहां पर सुरक्षा संबंधी बातें कही गईं। आधुनिक संचार उपकरण भी रेलकर्मियों

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

को प्रदान किए गए हैं और इस प्रकार के नए उपकरण मिलने से आपस में, परस्पर चर्चा होने से, जो एक्सीडेंट पहले होते थे, जो दुर्घटनाएं पहले होती थीं, उनमें निश्चित रूप से कमी आई है, लेकिन अभी भी हमें और कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, यह मैं मानता हूं।

सभापति महोदय, उसके कई कारण हो सकते हैं। यह बात सही है कि हमारा यह संगठन बहुत पुराना है। हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन जो पुरानी पटरियां हैं, हम उन पर अगर तेज गति से गाड़ियां चलाएंगे, तो दुर्घटना होनी सवाभाविक है। इसलिए मेरा मंत्री महोदया को सुझाव है कि हम उन्हें बदलने का प्रयत्न करें। जैसे अनुपूरक मांगों में संचार उपकरणों को बदलने की चर्चा की गई है वैसे ही पटरियों का बदलाव भी आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार यात्री डिब्बे या माल डिब्बे भी हैं।

सभापति महोदय, मैं यह भी मानता हूं कि पिछले दिनों यात्रियों की ओर से, आम जनता की ओर से और सांसदों की ओर से निरन्तर इस बात का दबाव बना रहा है कि चल रही ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए, यानी बोगियों की संख्या में विस्तार किया जाए। परिणामस्वरूप जिन रेलों में 17, 18 या 19 बोगियां हुआ करती थीं उनमें अब 22, 24 और 26 बोगियां लगने लगी हैं जबकि प्लेटफॉर्म 17–18 बोगियों के हिसाब से ही बने हुए हैं। यदि रात्रि और ठंड का समय है तथा बच्चों और औरतों को ट्रेन से उतरना है, तो यह निश्चित है कि बढ़ी हुई बोगियां प्लेटफॉर्म से बाहर रुकेंगी और उनमें से उतरते समय पैर आड़ा–तिरछा पड़ेगा और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्लेटफॉर्मों का तेजी से विस्तार करना नितान्त आवश्यक है ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हों।

सभापति महोदय, मैं अपने विषय पर ही बोल रहा हूं। मेरे अपने क्षेत्र में मैंसोदा और भवानी मंडी हैं जहां के रेलवे स्टेशनों का विस्तार किया जाना है। विस्तार किया जाना और स्थानीय नागरिकों को रेल की अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात तो मेरी समझ में आती है, लेकिन जो पुराने छोटे प्लेटफॉर्म हैं जब उनको बढ़ाने की बात आती है, तो उससे लोगों का जो पुराना रास्ता बना हुआ है, उसे रोकने की बात आ जाती है। जब आम जनता को दिक्कत होती है, तो उनका रेलवे के प्लेटफॉर्म के विस्तार का विरोध करना स्वाभाविक है। जब ऐसी स्थिति है और क्षेत्र की 10–15 हजार आबादी को कठिनाई होती है, तो उसका निराकरण करना भी रेलवे का काम है और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी स्थिति में कोई बीच का रास्ता निकालने का काम रेलवे को करना चाहिए ताकि हम रेलवे की सुरक्षा और सुविधा भी आम आदमी को दे सकें और उसकी जो पुरानी सुविधा आवागमन की है, वह भी बरकरार रहे।

सभापति महोदय, पिछली दफा कोटा रेल मंडल की सांसदों की बैठक हुई थी, उसमें भी मैंने उस जगह की जनता की इस कठिनाई को रखा और इन्दौर में महाप्रबन्धक पश्चिम रेलवे के साथ जो बैठक हुई वहां भी मैंने इस बात को रखा कि सुरक्षा की दृष्टि से जहां–जहां प्लेटफॉर्मों के विस्तार की आवश्यकता है, वे किए जाएं और यहां जो जनता की भावना है उसको भी ध्यान में रखते हुए कोई बीच का रास्ता निकाला जाए।

सभापति महोदय, मैं एक बात और इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पश्चिम रेलवे की नीमच–रतलाम मीटरगेज लाइन है जिसके आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। मैंने ममता जी से बार–बार आग्रह किया है कि इस आमान परिवर्तन के कार्य को तेजी और शीघ्रता से पूरा करें ताकि रेलवे की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो और उद्योग पनपें, लेकिन जब तक यह काम पूरा नहीं होता है तब तक मन्दसौर और नीमच स्टेशनों पर एक साथ जब दो गाड़ियों का क्रॉसिंग होता है और एक गाड़ी लाइन नंबर एक पर तथा दूसरी गाड़ी लाइन नं. 3 पर खड़ी होती है, लेकिन बीच में उपरिगामी पुल नहीं है जिसके कारण लोगों में भगदड़ मच जाती है। इसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा दुर्घटना की संभावना है। मैं सुरक्षा की दृष्टि से ही कह रहा हूं क्योंकि हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम उसके लिए पैसे की मांग कर रहे हैं और यहां पर उसे स्वीकृत करने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि एक साथ गाड़ियां खड़ी हैं। अगर उधर से एक गाड़ी आई और एक गाड़ी दूसरी ओर से आई तो लोग उसे क्रॉस कैसे करेंगे? वह उसे पूरा क्रॉस करके जायेंगे या फिर दो तीन मिनट में करेंगे और दो मिनट में गाड़ी चली जाती है। लोग उसमें बैठने से वंचित रह जाते हैं या फिर ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। यहां व्यवस्था ठीक की जाए। मैंने सुलासरा में जयपुर–मुंबई के स्टॉपेज की भी मांग की है।

इसी से संबंधित मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि उपरि पुल की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति की दृष्टि से कार्य किया जाना आवश्यक है। जांबरा, मंदसौर व नीमच में उपरि पुल जरूरी है। हमारी इंदौर में महाप्रबंधक के साथ जो बैठक हुई थी, उसमें इसके अलावा और भी विषय उठाये गये थे। मैं उन सब विषयों को यहां पर उद्धृत नहीं करना चाहता हूं लेकिन सांसद विभिन्न स्तरों पर जो विषय उठाते हैं चाहे मंडल की बैठक हो, सम्भाग की बैठक हो अथवा अन्य बैठक हो, उस बैठक में जो विषय आते हैं, उनकी पूर्ति की दिशा में निश्चित रूप से प्रयत्न किया जाना चाहिए और उन प्रयत्नों के बारे में क्या कार्रवाई की गई है, इस बारे में भी सांसदों को अवगत कराया जाना

चाहिए क्योंकि सांसद अपने क्षेत्र से या सार्वजनिक हित की दृष्टि से विचार-विमर्श करके कोई बात कहते हैं और उस दृष्टि से उन पर कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है।

यात्रा सुविधा की दृष्टि से भी मैंने बातें कही हैं कि यात्रा सुविधा बढ़ानी चाहिए। मंदसौर स्टेशन पर कंप्यूटरीकरण की बात है या नीमच स्टेशन पर कंप्यूटरीकरण की बात है, वह भी हो रही है। उसे जल्दी पूरा किया जाए। लेकिन उसके साथ-साथ मैंने जो दूसरी बात कही है नीमच रतलाम में आमान परिवर्तन की और जिस पर मैं बल देता आया हूं, उस पर मुझे आश्वस्त भी किया गया था। मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है तो निश्चित रूप से वह उसे पूरा करेंगी क्योंकि वह पूरा करना जानती हैं और उसे पूरा करने के लिए संकल्पित भी हैं। इसके साथ-साथ यह आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्र पूरा हो। मैंने यह भी कहा था कि इस अनुपूरक बजट में उसकी व्यवस्था हो। अगर नहीं होती तो आने वाले बजट में उसके लिए भरपूर राशि दी जाये क्योंकि वहां पुलिया बन चुकी हैं और पुरानी लाइनें उखाड़े जाने का प्रयत्न चल रहा है। दोनों तरफ रेल पथ की चौड़ाई कर दी गई है। इसके बाद वहां काम बहुत कम बचा है। यदि वह हो जाता है तो रेलवे का जो करोड़ों रुपया लग चुका है, वह सार्थक होगा और जनता को भी एक सुविधा मिल जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी को धन्यवाद देता हूं कि वह इस बात की पूर्ति की दिशा में कार्रवाई करेंगी।

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कु. .लोर) : अच्छा महोदय, मुझे अपना भाषण सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : उसका स्वागत है क्योंकि हमारे पास समय काफी कम है और कई वक्ता बोलना चाहते हैं।

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2000-2001 के रेलवे के अनुपूरक अनुदान की मांग को रेलवे सुरक्षा के प्रति रेल मंत्री जी की चिंता की प्रशंसा करते हुए, मैं उत्तर रेलवे के एक महत्वपूर्ण मंडल मुरादाबाद-मंडल की उपेक्षा करने पर अपना अफसोस व्यक्त करता हूं। इस मंडल का उल्लेख केवल क्रम संख्या 14 पर चार स्टेशनों को इन्टरलॉक करने के संबंध में दिया गया और कहीं कुछ उल्लेख नहीं है।

सुरक्षा में कई पहलु जुडे हुए हैं। हाल ही में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर एक भयंकर दुर्घटना हुई थी जिसमें एक रेलगाड़ी की टक्कर कुछ ट्रकों के साथ हुई थी जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीया रेल मंत्री जैसा कहती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे रेल सुरक्षा पहलू में काफी रुचि रखती हैं कि मुरादाबाद मंडल के सभी बिना चौकीदार वाले फाटकों पर चौकीदार रखे जाएं।

महोदय, हमारे रेलवे मंडल की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। मुरादाबाद अपने पीतल निर्यातों से अनुमानतः लगभग 2000 करोड़ रुपये की मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष अर्जित करता है। वहां पर एक प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म संख्या पांच यह मुख्य रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर दूर है। मैंने इसे नियम 377 के अधीन मामले के माध्यम से कई बार सभा में उठाया है। वृद्ध, अशक्त लोगों को इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में काफी परेशानी होती है। रात्रि में उक्त प्लेटफॉर्म, जो एक किलोमीटर दूर है, पर आने जाने वाले लोगों के साथ कई छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और उक्त प्लेटफॉर्म पर काफी रेलगाड़ियां आती हैं। मैं उनका आभारी होऊंगा यदि उक्त प्लेटफॉर्म का प्रवेश द्वार खोला जाए जिससे कि लोगों को मुख्य रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर चक्कर से न आना पड़े।

महोदय, चन्दौसी मुरादाबाद जिले की एक महत्वपूर्ण मंडी है। वहां कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में चंदौसी में कंप्यूटर आरक्षण की सुविधा की व्यवस्था करेंगे।

महोदय, जैसा मैंने अभी कहा मुरादाबाद से देश को 2,000 करोड़ रुपये की वार्षिक आय होती है। यह एक महत्वपूर्ण शहर है, व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है। मुंबई से इस शहर का कोई सीधा संपर्क नहीं है। हम मुरादाबाद से दिल्ली और दिल्ली से मुरादाबाद के बीच दैनिक आधार पर एक गाड़ी चलाए जाने की मांग करते रहे हैं। इससे हमारे शहर को बहुत लाभ होगा, निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे देश को बहुत लाभ होगा। मुझे विश्वास है कि इस विषय पर आप समुचित ध्यान देंगे।

***श्री आदि शंकर (कुड्डालोर)** : महोदय, मैं माननीया रेल मंत्री बहन ममता बनर्जी द्वारा रेलवे के लिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपनी पार्टी डी.एम.के. की ओर से अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के साथ-साथ मैं कुछ मुद्दे भी उठना चाहूंगा।

रेलवे के बारे में सबसे चिन्ताजनक बात यह है कि बार-बार

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री आदि शंकर]

होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं में अनेक निर्दोष यात्रियों की मृत्यु होती है और सम्पत्ति की हानि होती है। इसलिए, इस समय गंभीरतापूर्वक अध्ययन करके यह पता लगाने की आवश्यकता है कि विभाग में क्या–क्या खामियां हैं और रेलवे को सुरक्षित किस प्रकार बनाया जा सकता है। निःसंदेह इस संबंध में दीर्घ–कालीन योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। सभी प्रकार के रॉलिंग स्टाक, सिग्नल और संचार प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए धन की आवश्यकता है। पटरियों का नवीकरण अपेक्षित है ऑटोमैटिक वार्निंग सिस्टम की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदया इस विषय पर समुचित ध्यान देंगी।

तमिलनाडु सरकार ने दक्षिण रेलवे में 12 रेलवे ओवर ब्रिजों (आर.ओ.बी.) का प्राथमिकता के आधार पर निर्माण किए जाने की पहचान की है। इस संबंध में दक्षिण रेलवे के संबंधित अधिकारियों, मुख्य सेतु इंजीनियर (चीफ ब्रीज इंजीनियर) को पत्र भेजा जा चुका है। समय के अभाव को देखते हुए मैं उन सभी 12 रेलवे ओवर ब्रिजों के नाम नहीं पढ़ रहा हूं जिनका निर्माण किया जाना है, 3 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. नामतः, विल्लिवक्कम यार्ड के नजदीक रेडहिल्स में आर.यू.बी. का निर्माण किया जाना है और दूसरे आर. ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण चेन्नई बीच और वाशरमैनपेट रेलवे स्टेशन के बीच मानिक्कर चॉल्ट्री रोड पर किया जाना है। तीसरे, कोरट्टूर रेलवे स्टेशन के पास वर्तमान एल.सी. संख्या 4 के स्थान पर आर.यू.बी. का निर्माण किया जाना है। चूंकि ये सभी पुल महानगर के अन्तर्गत आते हैं और लोगों को बेहद असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन योजनाओं को भी आगामी रेल बजट में शामिल करें।

अन्य पुलों का निर्माण कोरूक्कुपेट रेलवे स्टेशन, मदुरै–कन्याकुमारी रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के बीच, तिरूपारंकुंदरम रेलवे स्टेशन के नजदीक, आर.यू.बी. का निर्माण नेहरू बाजार स्ट्रीट के नजदीक अवादी यार्ड में और आर.ओ.बी. का निर्माण तांबरम् और वंडलूर स्टेशनों की बीच किया जाना है।

कल्याण–अहमदाबाद, मारवाड़ से होकर चेन्नई से जोधपुर/अजमेर के बीच नई सहस्राब्दी रेल सेवा और तिरूचि से अजमेर के बीच एक नई रेल चलाए जाने के बारे में भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चेन्नई में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके संपर्क राजस्थान राज्य में जोधपुर/अजमेर, माउंट आंबू, पुष्कर जैसे शहरों में हैं जो तीर्थस्थल भी हैं। माननीया रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि नवजीवन एक्सप्रैस को अजमेर तक बढ़ा दिया जाए ताकि लंबे समय से चली आ रही लोगों की मांग पूरी हो सके।

मैं माननीया मंत्री से अनुरोध करता हूं कि तिरूक्कोयिलर, काल्लाक्कुरिच्ची से होकर विल्लुपुरम् से सेलम तक एक नई रेल लाइन विछाई जाए और दक्षिण रेल के अन्तर्गत कुड्डालोर से पांडिचेरी के बीच भी एक नई रेल लाइन बिछाई जाए।

माननीया मंत्री से मेरा अनुरोध है कि कुड्डालोर में आर. ओ.बी. के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए और पनरूटि और उलुन्दूरपेट में राजमार्ग पर भी आर.ओ.बी. का निर्माण किया जाए। मैं माननीया मंत्री से पुनः अनुरोध करता हूं कि विल्लुपुरम् जंक्शन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र शुरू किया जाए और कुड्डालोर–सेलम, विल्लुपुरम् से तंजोर तक ब्रॉड गेज परिवर्तन के लिए और अधिक धनराशि आबंटित की जाए।

मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र कुड्डालोर में एसेम्बली 6 विधानसभा क्षेत्रों में से रेशिवन्तियम, शंकरपुरम, उलुन्दूरपेट के लोगों को अभी तक रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है, यहां तक कि उन्होंने रेल देखी भी नहीं है। इस प्रस्ताव को लंबे समय तक लंबित रहने से बचाने के लिए तिरूवन्नामलाई, तिरूक्कोयिलर, रेशिवान्तियम्, काल्लाक्कुरिच्ची से होते हुए चेंगलपट्टु तक नई लाइन बिछाई जाए।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति (सेलम) : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अपील करना चाहता था कि मुझे और अधिक समय दें लेकिन गिलोटिन प्रक्रिया इतना तेज है कि किसी को भी एक–दो मिनट से अधिक समय नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय : यदि समय उपलब्ध होता तो मैं आपको और अधिक समय देता। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : महोदय, आप समय बढ़ा सकते हैं।

श्री पी. एच. पांडियन : महोदय, ये मेरी ओर से भी बोल रहे हैं।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : महोदय, 62,000 किलोमीटर के रूट वाले और रोजाना 12,000 रेलें चलाने वाले दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेलवे को तब तक कुशल और प्रभावी ढंग से नहीं चलाया जा सकता है जब तक कि हम इस प्रणाली को एक नए परिप्रेक्ष्य में न देखें। निःसंदेह माननीया मंत्री कुछ नाराज हो गई थीं कुछ समय पहले उन्होंने स्वीकार किया कि वे मंत्रालय पर अधिक ध्यान दे रही हैं। हम चाहते हैं कि वे केवल अधिक ध्यान न देकर पूरा ध्यान दें। मैं माननीया मंत्री की क्षमता पर संदेह व्यक्त नहीं कर रहा हूं। उनकी कार्य प्रणाली अच्छी है लेकिन उसमें अभी भी खामियां हैं।

जहां तक तमिलनाडु राज्य का संबंध है, मंत्रालय की एक हाल की सूचना में दक्षिण रेल के लिए धनराशि में दस प्रतिशत की कटौती की घोषणा की गई है। दक्षिण रेल को इस आशय की एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बहुत सी परियोजनाओं में 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : धन्यवाद महोदया। समाचारपत्रों में इस आशय की एक रिपोर्ट छपी थी और मैंने भी एक तारांकित प्रश्न पूछा था जो शीघ्र ही आएगा। मुझे आशा है कि मुझे माननीया मंत्री से इस मुद्दे पर विस्तृत उत्तर मिलेगा।

महोदय, मंत्रालय ने तमिलनाडु के लिए केवल 173 करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए हैं। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हमारी उपेक्षा और अनदेखी की गई है। मंत्रालय का हजारों–हजार करोड़ रुपए का परिव्यय है परन्तु हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि रेल मंत्री से संबंधित क्षेत्र के लिए अधिक निधियां दी गई हैं। यदि मंत्री जी कर्नाटक के है तो कर्नाटक को अतिरिक्त निधियां दी जाती हैं, यदि मंत्री जी उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त निधियां दे दी जाती हैं। मुझे पता नहीं है कि क्या तमिलनाडु के लिए की गई कमी उसके कारण है परन्तु सच्चाई यह है कि रेल मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के लिए स्वीकृत की गई राशि बहुत कम तथा टुकड़ों में है। इससे चालू परियोजनाओं, आमान परिवर्तन की कतिपय योजनाओं, मेट्रो परियोजनाओं तथा चेन्नई जैसे महानगरों में एम आर टी एस जैसे बृहद् कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक मास्टर प्लान था जिसमें चौतरफा विद्युतीकरण की योजना थी और जिसमें सभी चार महानगरों को विद्युतीकरण से जोड़ा जाना था। परन्तु चेन्नई और मुम्बई में आज तक कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि क्यों? रेलवे की नीति पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत हैं डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण विद्युतीकरण का ही एक मार्ग बचता है।

एक अनुमान के अनुसार रेलवे को केवल 15 मिलियन टन कोयला उपयोग करके लगभग 6,000 मिलियन यूनिट अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता है। यह विद्युत क्षेत्र के कुल उत्पादन का मात्र 1.30 प्रतिशत है। यह भी सच है कि राज्य विद्युत बोर्डों पर रेलवे के लगभग 1,800 करोड़ रुपए बकाया हैं। अब बोर्ड व्यापक रूप से विद्युतीकरण कर सकता है और भुगतान रोक सकता है और जब तक बकाया समाप्त नहीं हो जाता तब तक विद्युत प्राप्त कर सकता है। यह एक सुझाव है जिस पर माननीय मंत्री जी विचार कर सकती हैं।

महोदय, जब मैं कहता हूं कि तमिलनाडु को बहुत कम राशि आबंटित की गयी थी तो मेरे पास माननीय मंत्री जी के समक्ष रखने के लिए निश्चित तथ्य हैं। करूर से सेलम तक की नई रेल लाइन परियोजना हेतु अनुमान 225 करोड़ रुपए का है और इसके लिए इस वर्ष केवल 10 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इतने कम आबंटन से प्रक्रिया धीमी पड़ जायेगी। परियोजना को पूरा होने में लगभग 20 वर्ष लग सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने भी एक प्रेस रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि चालू परियोजनाओं को पूरा होने में और समय लगेगा।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, समस्या मेरे राज्य में भी है। मुझे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में जिसमें पूर्वोत्तर भी शामिल होगा, जिसके लिए हमने केवल 6 करोड़ रुपये रखे हैं, मायनागुड़ी–जोगीथोपा परियोजना के संबंध में पूर्वोत्तर क्षेत्र में समन्वय करना है। पहले वर्ष में अंतिम स्थान सर्वेक्षण के कारण जब तक अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक वे अधिक धन खर्च नहीं कर सकते। इसीलिए यह ऐसा है।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : धन्यवाद महोदया, मेरा आपसे अगले वर्ष 2001–2002 में इस परियोजना के लिए और धन आबंटित करने का अनुरोध है। जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है 2500 किमी. मीटरगेज लाइन है और निधियों के अनुचित आबंटन के कारण बड़ी लाइन में परिवर्तन में कम से कम एक शताब्दी लगेगी। अन्य उदाहरण के रूप में कुड्डालोर–सेलम बरास्ता विरूधाचलम के लिए अनुमान 100 करोड़ रुपये का है और केवल एक करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। जैसा कि आपने बताया है आपके ऊपर और भी दबाव हैं इसलिए मैं आपसे केवल अनुरोध और अपील करता हूं कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना, जो कि बहुत समय से लम्बित पड़ी है, के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है। तिरुचिरापल्ली–नागूर–कराइकल परियोजना के लिए अनुमान 200 करोड़ रुपये का है और आबंटित राशि 3 करोड़ रुपये है। क्विलोन–तिरूनेलवेली–तिरूच्चेंदूर–तेनकासी–विरूधाचलम के लिए आबंटित राशि 3 करोड़ रुपये थी।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : तिरूचिरापल्ली–नागूर के मामले में तंजोर तक कार्य पूरा हो गया है...*(व्यवधान)*

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : विल्लुपुरम–पांडिचेरी की एक और परियोजना है जिसके लिए मात्र एक करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। इसी प्रकार मदुरै–रामेश्वरम के लिए अनुमान 240 करोड़ रुपये का था परन्तु मात्र 5 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई। इसी प्रकार तंजोर–विल्लुपुरम के लिए आबंटित राशि 10 करोड़ थी जबकि इसका अनुमान 233 करोड़ रुपये है। पलानी–चामराजनगर के लिए केवल एक लाख रुपये आबंटित किए गए थे।

[श्री टी. एम. सेल्वागनपति]

यदि ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए इस प्रकार धन उपलब्ध कराया जाता है तो इन्हें पूरा होने में 30 से 40 वर्ष लगेंगे। मेरी आशंका मात्र यह है कि यदि इनमें इस प्रकार से विलम्ब होता है तो लागत कितनी बढ़ जाएगी। रेलवे में लगभग, 27,000 करोड़ रुपये लागत की 191 परियोजनाएं हैं जिनकी निगरानी की जा रही है। इतने धीमे, कछुए की चाल से चलने वाली परियोजनाओं के क्या कारण हैं और इन पर कितनी लागत वृद्धि होगी? अंततोगत्वा, यह राशि दुगुनी अथवा तिगुनी हो जाएगी। इसलिए, क्या रास्ता बचता है? इसके लिए एकमात्र कारण वित्त की कमी बताया जाता है। मंत्री जी, जो कि अपनी सक्रियता के लिए जानी जाती हैं, को इसके लिए कोई रास्ता निकालना होगा। यह एक पुरजोर मांग है, अतः इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यदि यह इसी प्रकार चलता रहता है तो मंत्री जी ने अपने एक साक्षात्कार में स्वयं स्वीकार किया है कि इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु उन्हें 30,000 करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी और इनके पूरा होने में 30--40 वर्ष और लग सकते हैं। ऐसा एक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है। इस परियोजना के लिए अधिकतम 1400 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आबंटित किए जा रहे हैं। क्या रास्ता है? क्या परम्परागत क्षेत्रों में रेलवे के संसाधनों में वृद्धि करने का कोई उपाय है?

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण मांगों का उल्लेख कर रहा हूं। मैडम बनर्जी, जिन मांगों को मैं अब सामने रखने जा रहा हूं उनमें अधिक लागत अथवा और निधियों की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं मंत्रालय इनमें से कुछ वास्तविक मांगों को स्वीकार कर लेगा। यदि ये मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो मैं निश्चय ही आपका त्याग--पत्र अस्वीकार करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी पर आरोप लगाऊंगा।

एक सेलम के लिए अलग रेलवे मण्डल की मांग है। कुछ निहित स्वार्थी तत्व इस मण्डल को बनने से रोक रहे हैं। महोदया, आप स्वयं फाइल मंगा सकती हैं और इसे देख सकती हैं। पहली लोक सभा से ही यह हमारी मांग रही है। अब सेलम को पालक्काड मण्डल में शामिल किया गया है। पालक्काड मण्डल में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मण्डल को बनने नहीं देना चाहते। हम पालक्काड मण्डल को बंद करना नहीं चाहते परन्तु हमें अलग सेलम मण्डल का निर्माण करने की आवश्यकता है। पालक्काड मण्डल भी चलता रहे। शायद, श्री राजगोपाल, उस क्षेत्र से माननीय मंत्री होने के कारण, इसका विरोध नहीं करेंगे। इसके कई कारण हैं। गत वर्ष भी हमने मंत्रालय को लिखा था और माननीय मंत्री ने इस पर विचार करने का वचन दिया था।

श्री एम. मास्टर मथान (नीलगिरी) : कोयम्बटूर के बारे में क्या हुआ?

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : पालक्काड कोयम्बटूर से लगभग 50 किमी. दूर है। इसलिए, आपको कोयम्बटूर के लिए अलग से मंडल की जरूरत नहीं है। हमने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट दे दी थी।

श्री एम. मास्टर मथान : कोयम्बटूर एक केन्द्रीय स्थान है।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : अच्छा, मैं अब भी असहमत हूं। सेलम के लिए अलग से मंण्डल बनने दें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, दो उपरिपुल बहुत जरूरी हैं, एक सेलम--सिवधापुरम और दूसरा ओमलूर में। जब भी हम संसद सदस्य के रूप में वहां जाते हैं तो हम घंटों वहां रुके पड़े रहते हैं। जब जनता मुझसे यह पूछती है कि हमने आपको वोट दिया है आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं तो मैं जनता को इसका उत्तर देने में अपने आपको असमर्थ पाता हूं? मैं हर बार कोई ठोस उत्तर दिए बिना शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता हूं। कृपया मुझे इस बोझ से उबारिये। इस निर्वाचन क्षेत्र में ये दोनों उपरिपुल बहुत जरूरी हैं।

मैंने पहले ही यह मांग की है कि सेलम--कुड्डालौर रेल लाइन पर आमान परिवर्तन का कार्य शुरू किया जाना चाहिए। सेलम--करूर, सेलम--इरोड दो महत्वपूर्ण नगर हैं और वे वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम हैं। वहां बहुउद्देशीय विद्युत इकाई की मांग होती रही है इस पर भी विचार किया जाए। यहां सेलम से बंगलौर तक एक मात्र फास्ट पैसेंजर रेलगाड़ी है। हमारी मांग है कि वे दो की जाएं, एक सेलम से चलाई जाए और दूसरी बंगलौर से चलाई जाए।

इससे मंत्रालय पर ज्यादा लागत आने वाली नहीं है।

महोदय, मेरे मित्रों में से कुछ ने इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध किया था, जो कि तेनकासी में रेल समपार के बारे में है। तेनकासी में हमारा एक जनरल अस्पताल है, लेकिन नगर और अस्पताल के बीच में एक रेल समपार है, इस स्थिति की कोई भी कल्पना कर सकता है जब लोगों को समपार पर घंटों खड़ा रहना पड़ता है और आपातकालीन वार्डों में ले जाए जाने वाले रोगियों की दशा की भी आसानी से कल्पना की जा सकती है। मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करना चाहता हूं।

महोदय, श्री राजगोपाल, माननीय मंत्री जी तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से सबरीमाला मंदिर में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के बारे में जानते हैं। हमने केरल

के माननीय संसद सदस्यों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक की थी, जहां माननीय अध्यक्ष महोदय तंजावूर से सेलम तक एक नई रेलगाड़ी शुरू करने पर सहमत हो गए थे।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : महोदय, मैं अपनी बात एक या दो मिनट में समाप्त करूंगा। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा।

महोदय, यदि डिंडीगुल से सबरीमाला तक एक नई रेलगाड़ी शुरू की जाती है तो इससे केरल और तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भागों को मदद मिलेगी। सेलम या कोयम्बटूर से रेलगाड़ी शुरू होने से सम्पूर्ण राज्य कवर हो जाएगा। माननीय रेल मंत्री कृपया इस सुझाव पर विचार करें।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से कादम्बूर में कन्याकुमारी एक्सप्रेस के ठहराव हेतु अनुरोध करना चाहता हूं। कादम्बूर एक व्यापारिक शहर है जहां काफी संख्या में कताई और कपड़ा मिलें हैं। यदि इस रेलगाड़ी को वहां एक मिनट के लिए भी रोका जा सके जो अच्छा होगा।

महोदय, हमें करूर से चेन्नई बरास्ता तिरूचिरापल्ली तक एक अतिरिक्ति नई रेलगाड़ी की आवश्यकता है। माननीय सदस्य श्री चिन्नास्वामी जो करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे अनेक अवसरों पर माननीय रेल मंत्री से मिले हैं और इस रेलगाड़ी हेतु मांग पर जोर दिया है। यह अर्थक्षम है। लेकिन रेल मंत्रालय में एक नारा लिखा है जो इस प्रकार है: "यह वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम नहीं है"।

सभापति महोदय : आप अपने शेष भाषण को सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री टी. एम. सेल्वागनपति : महोदय, मैं माननीय मंत्री से मनामदुरई और रामेश्वरम रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर विचार करने का अनुरोध करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री से इन मांगों पर विचार करने का पुरजोर अनुरोध करता हूं। क्योंकि इनमें अधिक धनराशि शामिल नहीं है। इसके अलावा श्री पी. एच. पांडियन के एक पत्र के जवाब में माननीय मंत्री ने वायदा किया था कि वे तूतीकोरीन गेट संख्या–एक और ८. के लिए पारपथ के निर्माण हेतु निधियां आबंटित करेंगी। मैं माननीय मंत्री को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन राज्य सरकार को इस प्रयोजनार्थ भूमि आबंटित करनी है। आपको हमारी मुश्किल का पता चल जाएगा। यदि हम भूमि के लिए राज्य सरकार से सम्पर्क करें तो इसका नतीजा क्या होगा? मैं उनसे राज्य सरकार को पत्र लिखने के लिए अनुरोध करता हूं और हमें वास्तव में खुशी होगी यदि इस क्षेत्र में पारपथ अंतिम रूप से बन जाए।

***श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा)** : महोदय, मैं वर्ष 2000–2001 से संबंधित अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) से संबंधित अपने भाषण को सभा पटल पर रखता हूं।

यह जानकर खुशी होती है कि रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने बिना चौकीदार वाले रेलवे समपारों की निगरानी के संबंध में कदम उठाए हैं। बिना चौकीदार वाले इन रेलवे समपारों के कारण ही मुख्यतः दुर्घटनाएं होती हैं, बिना चौकीदार वाले सभी रेलवे समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

हाल ही में कई दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय असफलता रही है। इस स्थिति के प्रति सिग्नल स्टाफ की और अधिक जवाबदेही बनाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

मेरा आग्रह है कि उड़ीसा से संबंधित निम्न मानकों पर समुचित ध्यान दिया जाए :

(1) यद्यपि नौपाड़ा–गुनुपुर रेल लाइन के आमान परिवर्तन के लिए 5.10 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं लेकिन अभी तक वहां किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, इसे शीघ्रतापूर्वक किया जाए।

(2) मैंने पहले भी निवेदन किया था कि बरहामपुर, श्रीकाकुलम, विजयानगर, कलिंग तथा रामपुर के बरास्ते खुरधा रोड़ से नई दिल्ली को कम से कम एक गाड़ी साप्ताहिक रूप से चलवाई जाए, इससे गनजम, गजपति, श्रीकाकुलम जिलों के यात्रियों को नई दिल्ली जाने वाली सीधी गाड़ियों को पकड़ने में सहायता मिलेगी, कृपया इस प्रयोजन के लिए एक गाड़ी स्वीकृत की जाए।

(3) मेरे निर्वाचन क्षेत्र बरहामपुर से ओखा और सूरत को बड़ी संख्या में लोग पुरी–ओखा, पुरी–अहमदाबाद एक्सप्रेस गाड़ियों से जाते हैं, इन गाड़ियों में सामान्य श्रेणी के डिब्बों के न होने के कारण बिना पूर्व कार्यक्रम के जाने वाले श्रमिकों को जगह मिलने में कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इन गाड़ियों में दो सामान्य श्रेणी के डिब्बे जोड़े जाएं।

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अनादि साहू]

(4) खुंद्रा रोड डिविजन में सुकिंदा–वांसपारी रेल लाइन का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है, इसके लिए निधियां स्वीकृत की गई हैं लेकिन कार्य प्रगति काफी धीमी है। इस कार्य को शीघ्रता से किया जाए।

(5) दक्षिण पूर्व रेल में पलासा से भद्रक रेल लाइन के विद्युतीकरण का काम भी बहुत धीमा चल रहा है, इसे शीघ्रतापूर्वक किया जाए।

(6) पूर्व तटीय रेलवे जोन को अभी तक चालू नहीं किया गया है, इसे शीघ्र चालू किया जाए।

(7) दक्षिण पूर्व रेल की हरिदासपुर–पारादीप लाइन का कार्य अभी पूरा किया जाना है, राज्य सरकार ने अपेक्षित भूमि पहले ही इस कार्य हेतु दे दी है, रेल विभाग को अब रेल लाइनों को बिछाने के लिए कदम उठाना चाहिए।

(8) यद्यपि खुंद्रा रोड बोलनगीर रेलवे लाइन के सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसके लिए 10.00 करोड़ रुपये की निधियां भी आबंटित की गई हैं लेकिन इस पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है, कृपया, इसे आरम्भ किया जाए।

*श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से रेल अनुदानों की मांग के समर्थन में अपनी बात रखता हूं और अपने निर्वाचन क्षेत्र कच्छ जिले (गुजरात) से संबंधित कुछ निम्न मुद्दों पर बात करना चाहूंगा :

(1) मैं रेल अनुदानों की मांग का समर्थन करता हूं,

(2) समख्याली से पालनपुर के बीच आमान परिवर्तन के कार्य को जितनी जल्दी हो सके आरम्भ किए जाने और पूरा करने की आवश्यकता है,

(3) बरेली–गांधीधाम एक्सप्रेस की बारम्बारता को सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर चार बार किया जाए,

(4) अहमदाबाद–हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी को कम से कम सप्ताह में दो बार भुज तक चलाया जाए,

(5) इसी प्रकार कोचीन–अहमदाबाद और चेन्नई–अहमदाबाद जैसी लम्बी दूरी की गाड़ियों को भी सप्ताह में कम से कम दो बार भुज तक चलाये जाने की आवश्यकता है,

(6) भुज तालुका में कच्छ जिले के ख्यादा कस्बा को प्रतिरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है इसलिए भुज से ख्यादा तक रेल लाइन के विस्तार के सर्वेक्षण कार्य का आरम्भ किया जाए,

(7) मल्लिया से वांकानेर तक आमान परिवर्तन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि भुज और राजकोट को जोड़ने वाली नई रेलगाड़ी को चलाया जाए,

(8) अहमदाबाद और भुज के बीच इन्टरसिटी गाड़ी चलाई जाए।

श्री वी. वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरी) : माननीय सभापति महोदय, रेल मंत्रालय के अनुदानों की अनुपूरक मांगों के समर्थन के लिए अपनी पार्टी, डी. एम. के. की तरफ से बोलने का दुबारा अवसर देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, मैं सबसे पहले, माननीया रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी को बधाई देना चाहूंगा। लेकिन, मैं बधाई क्यों दे रहा हूं? रेल मंत्रालय से हमें कभी भी कोई आशा नहीं थी फिर भी माननीया मंत्री ने बारहवीं कक्षा तक की छात्राओं को अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा दी है।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों और जिनकी आय 400 रु. से कम है के लिए मासिक टिकट की राशि 15 रुपये रखी गई है। निर्धन लोग इसके लिए माननीया रेल मंत्री महोदया को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके लिए, मैं भी उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

मैं माननीया मंत्री का ध्यान अपने राज्य तमिलनाडु से संबंधित मसलों पर आकर्षित करना चाहता हूं, देश में नई रेल लाइन बिछाने के लिए चालू वर्ष में 790 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान रखा गया है। उनमें से तमिलनाडु को मात्र 44 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। मैं समझता हूं यह राज्य के साथ अन्याय है। यह राशि अपर्याप्त है। यह राशि चालू परियोजनाओं हेतु मांगों के अनुरूप नहीं है। इसलिए, मैं रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि राज्य को और अधिक राशि का आबंटन किया जाए।

सायं 07.42 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन पीठासीन हुए)

दक्षिण रेलवे को रेल फाटक खत्म कर उपरिपुल बनाने के लिए 66 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। यह राशि बहुत कम है। मैं माननीया मंत्री से रेल फाटकों की जगह पर उपरिपुलों

*सभा पटल पर रखा गया।

को बनाने के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने का निवेदन करता हूं। चेन्नई और बंगलौर के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 पर चार रेल फाटक हैं। पचकुप्पम के निकट रेल फाटक के स्थान पर यथाशीघ्र सड़क उपरि पुल बनाने की आवश्यकता है। यह लोकप्रिय मांग काफी समय से लंबित है। इसी तरह, वनीयाम्बी और पयूर के पास के रेल फाटक को हटाकर जितनी जल्दी हो सके उपरि पुल बनाए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीया मंत्री से इन लोकप्रिय मांगों पर ध्यान देने का निवेदन करता हूं।

पिछले वर्ष, जब मैं अनुपूरक मांगों पर बोल रहा था, तब मैंने गोल्डेन रॉक वर्कशाप का उल्लेख किया था। इस कार्यशाला का महत्व जगजाहिर है। यह दक्षिण रेलवे की नामी और प्रतिष्ठित कार्यशाला है। मैं इस कार्यशाला की आवश्यकताओं पर ध्यान देने हेतु माननीया मंत्री से पुनः निवेदन करता हूं।

इन्टीगरल कोच फैक्ट्री भारतीय रेल का गौरव है। यह देश के लिए भारी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रही है। विश्व भर में कोच बनाने की मांग बढ़ी है। मैं माननीया मंत्री से इस फैक्ट्री के आधुनिकीकरण और विस्तार का निवेदन करता हूं ताकि यह कोच निर्माण के विश्वव्यापी मांग को पूरा कर सके और देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके।

अब, मैं दूसरे बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु की बात करता हूं। कई स्थानों पर रेलवे की बंजर और अप्रयुक्त भूमि पड़ी हुई है। मेरे सम्मानित मित्र श्री के. एच. मुनियप्पा ने भी रेलवे की बंजर भूमि वाले मुद्दे को उठाया था। यह सत्य है कि कई लाख एकड़ बंजर भूमि उलपब्ध है। इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। वास्तव में, रेलवे को बंजर भूमि की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सभी जानते हैं कि पंचायत, नगरपालिका और सरकार को विद्यालय, अस्पताल, बाजार, खेल के मैदान आदि के निर्माण के लिए कई एकड़ जमीन की जरूरत है। पंचायत और नगरपालिकाएं उस जमीन को खरीदने की इच्छुक हैं। इसलिए, उक्त जमीनों को उनको बेच दिया जाना चाहिए।

इसलिए, मेरा कहना यह है कि यदि सरकार आगे आए, उक्त बंजर जमीन को पंचायत और नगरपालिका को बेचा जा सकता है और उस जमीन के एवज में रेलवे को प्राप्त धनराशि का उपयोग रेल प्रणाली के सुधार और विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है।

सभापति महोदय, तमिलनाडु में कई प्रमुख लाइनें अभी भी मीटर लाइन हैं। माननीया रेल मंत्री से मेरी जोरदार अपील है कि जितना जल्दी हो सके उन सभी लाइनों को बड़ी लाइन में बदल दिया जाए।

महोदय, अंत में मैं अपने चुनाव क्षेत्र की रेल जरूरतों का उल्लेख करना चाहूंगा। आजादी के पहले से जोलारपेट्टाई और होसुर के बीच रेल लाइन मौजूद थी, लेकिन कुछ कारणों से रेल सेवा बंद कर दी गई है। कई वर्षों से मेरे चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे पूर्ववर्ती रेल सेवा बहाल करने का अनुरोध करते आ रहे हैं। लेकिन अब तक, कुछ नहीं हुआ है।

महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन है जो बुर्गुर, कृष्णागिरी, कावेरीपट्टीनम, पलाक्कोडु, होसुर और ताली से होकर गुजरती है, जो ग्रेनाइट, नारियल, खाद्यान्नों, आम और इमली के व्यापार केन्द्र हैं और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के केन्द्र बिन्दु हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति महोदय, तमिलनाडु से आए मेरे मित्र कह रहे हैं कि 173 करोड़ रुपये इस वर्ष आबंटित किये गये हैं, लेकिन मैं इस गलती को ठीक करना चाहूंगी। वर्ष 1998–99 के दौरान 199 करोड़ रुपये आबंटित किये गये, वर्ष 1999–2000 के दौरान 206.14 करोड़ रुपये और 2000–2001 के दौरान 225.6 करोड़ रुपये आबंटित किए गये।

श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम : महोदया, पूरे तमिलनाडु की तरफ से हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं।

श्री वी. वेत्रिसेलवन : सभापति महोदय, इस क्षेत्र में 50 लाख से भी अधिक मतदाता हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों का यह सपना है कि कृष्णागिरी होते हुए जोलारपोट्टाई और होसुर के बीच नई रेल लाइन बने। इसलिए, मैं माननीया रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि जितना जल्दी हो सके हमारा सपना साकार होना चाहिए।

महोदय, इस संबंध में मैंने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखा था और उन्होंने मुझे आश्वस्त करते हुए जवाब दिया था कि दिसम्बर, 2000 तक इस क्षेत्र के लिए अभियंत्रण–सह–यातायात संबंधी प्राथमिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

मैं माननीया मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस नई बड़ी लाइन परियोजना को शुरू करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाए जिसके लिए मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग सदा आभारी रहेंगे।

मैं तमिलनाडु के लिए कुछ नई लाइन बिछाने का अनुरोध करता हूं। बिछाई जाने वाली रेल लाइनों में तंजावुर से विल्लुपुरम की लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। मैं विल्लुपुरम से सलेम तक नई रेल लाइन बिछाने का भी अनुरोध करता हूं। विल्लुपुरम में

[श्री वी. वेत्रिसेलवन]

कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र की भी आवश्यकता है। कुड्डालोर से पांडिचेरी के बीच एक नई लाइन की आवश्यकता है। 1992 में, तिरूचिरापल्ली से नागौर तक नई बड़ी लाइन की घोषणा की गई थी। सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी लेकिन तिरूचिरापल्ली से तंजावूर तक ही लाइन पूरी की गई है। तंजावूर से नागौर तक की लाइन पूरी नहीं की गई है। अतः मेरा माननीय मंत्री से इस कार्य को पूरा करने तथा और अधिक निधियां आबंटित करने का अनुरोध है।

मैं यात्रियों की सुविधा के लिए यह अनुरोध करना चाहता हूं कि निम्नलिखित रेलगाड़ियों का कृष्णागिरि में स्टॉप होना चाहिए : गाड़ी संख्या 1413—क्विलोन एक्सप्रेस, बंगलौर से कोयम्बटूर, गाड़ी संख्या 1414, क्विलोन एक्सप्रेस, कोयम्बटूर से बंगलौर, गाड़ी संख्या 3232—मैसूर से तंजावूर एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 2677—इंटरसिटी एक्सप्रेस, कोयम्बटूर से बंगलौर, और गाड़ी संख्या 7526—आइसलैंड एक्सप्रेस बंगलौर से कन्याकुमारी। मेरे चुनाव क्षेत्र से होकर आठ रेलगाड़ियां गुजरती हैं लेकिन पालकपाड़े में किसी भी रेलगाड़ी का ठहराव नहीं है।...*(व्यवधान)*

मेरे वरिष्ठ साथी कृपया मुझे क्षमा करें। मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहा हूं।

धर्मपुरी जिले में कृष्णागिरि महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्थलों मे से एक है। कृष्णागिरी दो राज्यों से घिरा है—आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। हजारों लोग भारत के विभिन्न स्थानों से कृष्णागिरि आते हैं और अनेकों लोग कृष्णागिरि से देश के अन्य भागों को जाते हैं। कृष्णागिरि का मुख्य व्यवसाय नारियल, मूंगफली, वस्त्र, आम, खाद्यान्न आदि हैं। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार को कृष्णागिरि में रेल आरक्षण काउन्टर खोलना चाहिए। इससे कृष्णागिरि और इसके आसपास रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।

काफी बड़ी संख्या में लोग तमिलनाडु से सबरीमाला और तंजावूर से सबरीमाला जाते हैं। हमारा माननीया मंत्री से एक विशेष रेलमार्ग शुरू करने का अनुरोध है। इसका उल्लेख मेरे साथी श्री पलानीमनिक्कम बैठक में कर चुके हैं।

मुझे यह अवसर देने और मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

*श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह (कोडरमा) : महोदय, गिरीडीह-कोडरमा के लिए रेल लाइन स्वीकृत हो चुका है लेकिन अभी तक पूरा धनराशि नहीं दिया जा सका है। इसलिए कार्य तेजी से नहीं हो रहा है। अनुरोध है कि धनराशि दें ताकि कार्य तेजी से हो सके।

महोदय, कोडरमा हजारीबाग लाइन नया देने के लिए मरूआटांड होकर जमीन लिया जा रहा है, जिसमें बहुत मकान तोड़ना पड़ेगा जबकि बगल में लारावाद होकर लाइन ले जाने से कम मकान टूटेगा तथा क्षतिपूर्ति भी कम देना पड़ेगा, तिलैया के लोग रेल मंत्री से मिले भी थे। अतः इस पर विचार किया जाय और मरूआटांड होकर जमीन नहीं लिया जाए।

महोदय, नया झारखंड राज्य का मुख्यालय रांची है, जहां रेल की संतोषजनक सुविधा नहीं है। तत्काल कोडरमा स्टेशन पर सियालदाह राजधानी का ठहराव किया जाय, साथ ही पुरुषोत्तम पूर्वा आदि ट्रेन में बर्थ की और संख्या सभी क्लास में कोडरमा स्टेशन पर बढ़ाया जाये।

साथ ही हजारीबाग रोड, जहां हमेशा सुपरफास्ट रेल के ठहराव के लिए प्रदर्शन, धरना दिया जाता है। वहां पर जांधपुर एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस का एवं अन्य सुपरफास्ट का ठहराव दिया जाये तथा धनबाद से दिल्ली के लिए तेज ट्रेन सुपरफास्ट चलाया जाये। जिसका ठहराव हजारीबाग रोड, कोडरमा में भी हो।

धनबाद-कोडरमा के बीच मसकेन्डीह में रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक भी दिया जाये। गिरीडीह से मधुपूर के बीच जो ट्रेन हाल में केवल चार दिन सप्ताह में चलाई जा रही है, उसे पूरा सप्ताह चलाया जाये।

[अनुवाद]

*श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा) : मैं निम्नलिखित मुद्दे चर्चा में शामिल करना चाहूंगा :

(1) बठिंडा शहर में खूरनी फाटक पर उपरिपुल बनाये जाने की आवश्यकता है।

(2) मनसा शहर में अंडर ब्रिज होना चाहिए।

(3) बठिंडा जिले में रमन मंडी में एक उपरिपुल बनाने की आवश्यकता।

(4) गुलाबगढ़ के नजदीक दिल्ली-बठिंडा रेलवे लाइन पर समपार को स्वीकृति दी गई है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि से 10 लाख रुपये दिए जा

*सभा पटल पर रखा गया।

*सभा पटल पर रखा गया।

चुके हैं लेकिन निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

(5) दिल्ली–फिरोजपुर बरास्ता बठिण्डा के बीच शताब्दी रेलगाड़ियां शुरू किये जाने की आवश्यकता।

(6) बठिण्डा और दिल्ली के बीच दो रेलगाड़ियां चल रही हैं। एक बरास्ता जाखल और अन्य बरास्ता अंबाला–पटियाला। बठिण्डा और दिल्ली के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां पांच घंटे लेती हैं और बरास्ता अंबाला चलने वाली रेलगाड़ियां आठ घंटे लेती हैं।

(7) बठिण्डा उत्तर रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। वहां कोई भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं बठिण्डा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की मांग करता हूं।

(8) राजपुरा–बठिण्डा के बीच स्वीकृत दोहरी लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए जाखेल और भटिंडा के बीच दोहरी लाइन का निर्माण अविलंब आरम्भ किया जाना चाहिए।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री सही हैं, लेकिन वे गलत लोगों से घिरी हुई हैं। लेकिन मुझे आशा है कि वे सही रास्ते पर आ जाएंगी और इसलिए, मैं इन मांगों का समर्थन कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री एम. मास्टर मथान : आप यहां वापस आ सकते हैं।

श्री राशिद अलवी : मैं आपके साथ कभी नहीं रहा हूं। मैं आपके साथ कैसे आ सकता हूं?...*(व्यवधान)* । पहले, वे हमारे साथ थीं। मुझे आशा है, वे, हमारे साथ आ जाएंगी।

[हिन्दी]

ममता जी ठीक मंत्री रही हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जितने रेलवे एक्सीडैंट हुए उतने पिछले 45 साल में नहीं हुए। मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि उसमें ममता जी का बहुत कसूर नहीं रहा। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने कहा, देश के प्रधान मंत्री ने कहा कि हम ठीक तरीके से पैसा नहीं दे पाते हैं, हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं रहते। इसके लिए सरकार जिम्मेदार रही है। रेलवे डिपार्टमैंट को जितना फंड देना चाहिए, वह उतना फंड नहीं दे पाती है। रेलवे की सुरक्षा खतरनाक जगह पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसके अन्दर डिले नहीं करेंगे और पैसा देकर उन ट्रैक्स को बदलने का काम करेंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। मलहोत्रा साहब, दिल से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। मलहोत्रा जी, रेलवे की जो हालत है हिन्दुस्तान का आम आदमी रेलवे में चलने से डरता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए? मंत्री को इसके लिए ज्यादा फंड देने चाहिए ताकि वह रेलवे को ठीक तरीके से मैनेज कर सकें। मैं ममता जी से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें। आज शाम को डिसइन्वैस्टमैंट पर बहस हो रही थी। मुझे डर है कि सरकार रेलवे डिपार्टमैंट को बेचने का काम न करे और डिसइन्वैस्टमैंट करने का काम न करे। मैं पहले से वार्निंग देना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय ऐसी जगह रेल लाइन बिछाने का काम करे और ज्यादा ट्रेन चलाने का काम करे जहां से ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हासिल हो सके । आप बंगाल की नेता नहीं हैं, आज देश की नेता हैं। उत्तर प्रदेश दिल्ली से मिला हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश को ज्यादा तवज्जह देंगे तो रेलवे डिपार्टमैंट डेफिसिट में नहीं चलेगा। मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश को आप उतनी तवज्जह नहीं दे पा रहे हैं जितनी तवज्जह देनी चाहिए। वैस्टर्न यू.पी. के लोगों का खास तौर पर दिल्ली आना–जाना रहता है। वे यहां बिजनेस के लिए आते हैं। यदि यहां तवज्जह देंगे तो रेलवे का रेवेन्यू भी बढ़ेगा।

वैस्टर्न यू.पी. में रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सी अनयूज्ड जमीन पड़ी है। उस जमीन का पिछले 50 साल में कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। उसे किसी सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया। यदि आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है। उसे किस तरह इस्तेमाल करना है यह आप बेहतर जानती हैं। वहां मार्किट बनानी है या कमर्शियल इस्तेमाल करना है, यह आप देखें। आपने बहुत जगह यात्रियों के रहने के लिए होटल बनाए। ऐसे होटल बन सकते हैं। इससे रेवेन्यू आएगा। इससे रेल विभाग को फायदा होगा, गरीब आदमी को फायदा होगा। चूंकि सरकार ने बड़े भारी पैमाने पर डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं। मुझे खतरा है कि आने वाले बजट में सरकार कीमतें न बढ़ा दे। यदि इस तरफ तवज्जह देंगे तो किराए भी नहीं बढ़ेंगे और आम आदमी को भी राहत मिलेगी।

रेलवे इलैक्ट्रिफिकेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन पूरे देश में ट्रैक्स पर इलैक्ट्रिफिकेशन का काम कम हो रहा है। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बिठानी चाहिए। ऐसा न हो कि हम इस पर पैसा खर्च करते जाएं, एक दिन पता चले कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इसके लिए एक कमीशन बनाएं। एक्सपर्ट लोगों की कमेटी इस

[श्री राशिद अलवी]

काम में आगे बढ़े और देखे कि इसके लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं?

मैं ज्यादा बात न करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में सिर्फ कहना चाहूंगा। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 24 हजार अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग हैं। ये बहुत कम हैं। ये ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। इसके न होने से भारी तादाद में एक्सीडैंट हो रहे हैं। वैस्टर्न यू.पी. में मुरादाबाद, रामपुर, गजरौला के आसपास ऐसे एक्सीडैंट हो रहे हैं। यदि इस तरफ तवज्जह देंगे तो ये एक्सीडैंट कम होंगे। इन एक्सीडैंट्स में जानवर और इन्सान मारे जाते हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अमरोहा है।

रात्रि 8.00 बजे

तब यह जिला नहीं था, मुरादाबाद के अंदर शामिल था। लेकिन अमरोहा अब डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हो गया है। रेलवे मिनिस्ट्री को शायद इस बात का पता नहीं है कि यह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हो गया है। इसलिए उसके साथ इस तरीके का बर्ताव नहीं हो रहा है जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के साथ किया जाता है। मैं चाहूंगा कि अमरोहा में आप थोड़े फंड्स दें, वहां ब्रिज बनना है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। यदि रेलवे डिपार्टमैंट वह ब्रिज बनायेगा तो वहां के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। पिछली बार के बजट में मैंने यह मुतालबा किया था और आपसे दरख्वास्त की थी, इस बार फिर से इन सप्लीमैंटरी डिमांड्स में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वहां ब्रिज बनना बहुत जरूरी है और यह बहुत जल्दी बनना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जो मेन ट्रेन्स यहां से गुजरती हैं, वे वहां नहीं रुकती हैं। चूंकि अभी तक रेलवे डिपार्टमैंट की इस बात पर बहुत ज्यादा तवज्जह नहीं है कि वह हैडक्वार्टर है, इसलिए वहां ट्रेन्स नहीं रुकती हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चंद ट्रेन्स वहां रुकनी चाहिए। तेज ट्रेन्स में से कुछ ट्रेन्स यहां रुकवाने का आप काम करें। वहां से आने में बहुत मुश्किल होती है। यदि दिल्ली में संसद के सैशन में शिरकत करने के लिए आया जाए तो अमरोहा से नहीं आया जाता, चूंकि वहां ट्रेन्स नहीं रुकती है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अमरोहा और गजरौला इन दो जगहों पर ट्रेन्स रुकनी चाहिए।

सभापति महोदय, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस इलाके में रेलों के अंदर सुरक्षा का इंतजाम ठीक नहीं है। वहां पुलिस न के बराबर होती है। जिसका नतीजा यह होता है कि यहां चोरी-चकारी होती रहती है और खासतौर से जो औरतें सफर करती हैं वे अपने आपको गैरमहफूज महसूस करती हैं। इसलिए वहां पुलिस का ठीक इंतजाम होना चाहिए और ऐसे पुलिस के लोगों का इंतजाम होना चाहिए जो लोग ईमानदार हों। अभी तक वहां यह हो रहा है कि यदि दो पुलिस वाले हैं तो जो लोग सामान ले जाते हैं, उनसे नाजायज तौर पर रिश्वत ली जाती है। इससे ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि जो सामान लोग ले जाते हैं, रेलवे उसकी बुकिंग करे, ताकि आपको रेवेन्यू मिले और आदमी अपना सामान हिफाजत के साथ ले जा पाए। इस तरफ भी आपको तवज्जह देने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ गजरौला एक जगह है जो यहां से सौ किलोमीटर दूर है। वह पूरे उत्तराखंड को जोड़ता है। उत्तराखंड अब एक नई स्टेट बन गया है, वहां गजरौला से चांदपुर-बिजनौर होते हुए पहले दिन में एक ट्रेन चलाने की बात हुई थी, लेकिन वह अभी तक नहीं हो पाया है। मैं चाहूंगा कि वहां एक नई ट्रेन दिल्ली से वाया गजरौला-चांदपुर-बिजनौर होते हुए चलनी चाहिए, ताकि उत्तराखंड के लोगों को भी फायदा हो और वैस्टर्न यू.पी. के लोगों को भी फायदा हो। इस बारे में रेलवे मिनिस्ट्री से बहुत बार रिक्वेस्ट की जा चुकी है, लेकिन पिछले पचास सालों में अब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुमारी ममता बनर्जी की मिनिस्ट्री में यह जरूर होगा, वहां ट्रेन भी चलेगी और ब्रिज भी बनेगा। मुझे इसकी आपसे पूरी उम्मीद है।

अंत में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीटुएंसी में एक छोटा-सा स्टेशन बछरयूं है। वह फुल-फ्लैज्ड स्टेशन था, वहां रेलवे को शायद रेवेन्यू नहीं मिला, इसलिए उसे डीग्रेड करके हाल्ट कर दिया है। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे हाल्ट न करके दोबारा से स्टेशन का दर्जा दिया जाए तो वहां के लोगों को सहूलियत होगी।

कुमारी ममता बनर्जी : आपने स्टेशन का क्या नाम बताया?

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : उसका नाम बछरयूं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ममता जी इस छोटे से काम को जरूर करेंगी। मल्होत्रा साहब भी इस काम को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं कोई बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण न करके इन सप्लीमैंटरी डिमांड्स को सपोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री श्रीनिवास पाटील (कराड)** : महोदय, इस समय जबकि अनुपूरक मांगों पर चर्चा की जा रही है मैं आपके माध्यम से अपना लिखित अनुरोध माननीय रेल मंत्री महोदया को देना चाहूंगा।

*सभा पटल पर रखा गया।

दक्षिण मध्य रेलवे के अंतर्गत कराड़ मेरा मुख्यालय है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का नाम कराड़ (महाराष्ट्र) है। यहां प्रतिदिन लगभग एक हजार लोग रेलों का सेवा लाभ उठाते हैं। सभी मेल/एक्सप्रेस रेलें कराड़ रुकती हैं। कराड़ शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (इंजीनियरिंग कॉलेज) और निजी चिकित्सा महाविद्यालय (मेडीकल कॉलेज) है। यहां बड़ी संख्या में वाणिज्य, भेषज (फार्मेसी), कला, विज्ञान और व्यवसाय प्रबन्धन के महाविद्यालय हैं। छात्रों की संख्या 25000 से अधिक है। देश के अन्य राज्यों से लगभग तीन से पांच हजार छात्र यहां अध्ययन हेतु रह रहे हैं।

फिर भी यहां कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे अनुरोध पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें और निकट भविष्य में इसके लिए जो भी आवश्यक हो करें। यदि मेरा अनुरोध क्रियान्वयन हेतु उन्हें भेजा जाता है तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा।

[हिन्दी]

***श्री माणिकराव होडल्या गावित** : महोदय, मैं अनुदान की अनुपूरक मांग (रेल) वर्ष 2000–2001 के बजट रेल के संबंध में अनुदान की अनुपूरक मांग पर चर्चा हेतु मेरा भाषण लिखित रूप में दे रहा हूं।

भुसावल सूरत रेल लाइन दोहरीकरण के लिए मांग करता हूं। यह रेल लाइन अभी सिंगल लाइन होने से रेल यात्रियों को ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस लाइन पर अभी गुजरात से हावड़ा और साऊथ में यात्री गाड़ियां चलाई जा रही हैं, गुजरात राज्य से साऊथ में जाने के लिए सीधा रूट है। यह सिंगल लाइन को डबल (दोहरीकरण) करने के लिए अभी न हो पाए तो अगले जनरल बजट में धनराशि का आबंटन करने की मांग करता हूं।

भुसावल सूरत रेल लाइन पर चलाई जा रही एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टॉप स्थानीय रेल यात्रियों की सुविधा के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र नंदुरबार (महाराष्ट्र) के अंतर्गत नवापुर रेलवे स्टेशन और दोडाईया रेलवे स्टेशन पर दिया जाने की मांग करता हूं।

भुसावल सूरत रेलवे लाइन पर नंदुरबार यह रेलवे स्टेशन को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग करता हूं और पिछड़े आदिवासी इलाकों का ध्यान भी रखा जाए। धन्यवाद।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : माननीय सभापति महोदय, रेलवे अनुदान की पूरक मांगों पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देश में 1,60,360 किलोमीटर रेल की पटरी बिछी हुई है और वह बहुत पुरानी हो गई है। उसके बारे में अधिकांश विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन पटरियों पर तीव्र गति से रेलें चलाई जाएंगी तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं घटेंगी। इस तरफ माननीय रेल मंत्री महोदया को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वाभाविक है कि यदि पुरानी रेल की पटरियों पर रेलें चलेंगी और सही समय पर पटरी नहीं बदली जाएंगी तो निश्चित रूप से रेलवे की दुर्घटनाएं होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। इस विषय में निश्चित रूप से सोचने की जरूरत है। दुनिया की वृहद् रेलों में गिनी जाने वाली भारतीय रेलें आधुनिक सुरक्षा के इंजाम के अभाव में दुर्घटनाग्रस्त होती चली जा रही हैं। इस साल करीब 500 लोग रेल दुर्घटना के शिकार हुए। गत वर्ष के आंकड़े हैं कि लगभग 700 यात्री इन रेल दुर्घटनाओं में मृत्यु के शिकार हुए। इन दुर्घटनाओं से पूरा देश आशंकित रहता है, इसलिए रेल मंत्री महोदया इस बारे में ध्यान रखें कि दुर्घटनाएं न हों। इनको रोकने के लिए मंत्री जी को नए आधुनिक यंत्रों को लगाना चाहिए।

एक बात के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने राज्य सभा में कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन रेलवे को आप निजीकरण की ओर नहीं जाने देंगी। एन.डी.ए. की सरकार अधिकांश विभागों को निजीकरण की ओर ले जा रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि रेल को आप निश्चित रूप से निजीकरण की ओर नहीं जाने देंगी, ऐसा आप प्रयास करेंगी।

अभी जो स्थिति है, आपने 44 प्रतिशत खाने–पीने की चीजों में पैसा बढ़ाया है और ट्रेन्स में खाने–पीने की जो व्यवस्था की जा रही है, वह संतोषप्रद नहीं है। राजधानी एक्सप्रेस से हम लोग अधिकांश अपने निर्वाचन क्षेत्र जाते हैं। दिल्ली में गोहाटी जो 2424 राजधानी एक्सप्रेस चलती है, उसमें खाने–पीने की सुविधा ठीक नहीं है और मिनिरल वाटर की बोतल में लगता है कि चापाकल से पानी भर दिया है। मंत्री जी को निश्चित रूप से मिनिरल वॉटर की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी जांच–पड़ताल होती है या नहीं। खाने–पीने की जो सुविधा राजधानी एक्सप्रेस के अलावा सामान्य रेलगाड़ियों में होती है, उसकी भी समय–समय पर समीक्षा करनी चाहिए।

आपने लगभग आठ कोचेज तीन नए मॉडल की जर्मनी से मंगाई हैं जिससे अधिक से अधिक सुख–सुविधा यात्रियों को मिले। वे आठ कोचेज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के यार्ड में पड़ी हैं जबकि एक की कीमत आठ करोड़ रुपये है। उनका उपयोग कब होगा पता नहीं। हम चाहेंगे कि पैसे का दुरुपयोग न हो और उनको शीघ्र उपयोग में लाया जाए।

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सुकदेव पासवान]

महोदय, हमारे बिहार में आम लोगों का कहना है कि बिहार राज्य में अन्य विकास योजनाओं के अलावा केंद्र के विचाराधीन विभिन्न रेल परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाए और उनका कार्यान्वयन किया जाए। लोगों में यह बात हो रही है कि जब से आप रेल मंत्री बनी हैं, बिहार की ओर जिस अनुपात में ध्यान देना चाहिए, उस अनुपात में आप ध्यान नहीं दे पा रही हैं। आपसे आग्रह है कि जो भी रेल परियोजनाएं हैं, निश्चित रूप से उन पर ध्यान देकर उनका कार्यान्वयन कराया जाए।

अब मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुछ रेल परियोजनाओं के विषय में कहना चाहूंगा। कटिहार–जोगबनी बड़ी लाइन का मामला काफी अरसे से यूं ही पड़ा हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है, सीसीए में रखा हुआ है और अभी कुछ दिन पूर्व हमने जानकारी ली तो पता चला कि एक्सटर्नल अफेयर्स से उसकी स्वीकृति नहीं हो पाई है, इसलिए वह सीसीए में नहीं जा पाया है। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि कटिहार–जोगबनी लाइन तीन संसदीय क्षेत्रों को जोड़ते हुए भारत–नेपाल सीमा पर जाती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है। हम चाहेंगे कि निकट भविष्य में निश्चित रूप से उसका शिलान्यास करवाकर काम करवाया जाए। कुछ दिन पूर्व रेल राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी हमारे क्षेत्र में गए हुए थे। उन्होंने वहां प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निश्चित रूप से जनवरी में हम और ममता जी आएंगे और कटिहार–जोगबनी फारबिसगंज का शिलान्यास करेंगे।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से आग्रह है कि इस पर निश्चित रूप से ध्यान दें। आपको जानकारी है कि मानसा–सहरसा–फारबिसगंज लाइन का आमान परिवर्तन काफी समय से चला हुआ है, लेकिन वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मानसा–फारबिसगंज फर्स्ट फेज में हुआ, लेकिन मानसा–सहरसा बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। यदि इसी गति से चलता रहा, तो यह काम बहुत वर्षों में पूरा होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि फारबिसगंज–सहरसा मार्ग के आमान परिवर्तन के कार्य को तीव्र गति से चलाने के लिए अधिक पैसा दिया जाए ताकि यह काम अविलम्ब पूरा हो सके।

सभापति महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व मेरे क्षेत्र में रेलवे के सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ है। मेरा आग्रह है कि सुपोल–पीपरा–त्रिवेनीगंज–रानीगंज–शितबाह–गिधवास–अररिया के सर्वेक्षण के काम को करने हेतु स्वीकृति प्रदान करें और इसका काम शुरू कराएं। दूसरे मधेपुरा के शंकरपुर–त्रिवेनीगंज–जदिया–छातापुर–मिरदौल–नरपतगंज–बथनाहा की रेल लाइन बनाने की बहुत पुरानी मांग है। जब ललित बाबू रेल मंत्री थे, उस समय इस लाइन के सर्वेक्षण के आदेश हुए थे, लेकिन वह अभी तक अधर में लटका है। मेरा आग्रह है कि इसको भी आगे बढ़ाने का काम कराएं। अररिया से न्यूजलपाईगुड़ी तक रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का काम कराने का निर्णय पूर्व रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान के समय में, लेकिन उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। मेरा आग्रह है कि इस पर विशेष ध्यान दें और इस लाइन का सर्वेक्षण प्रारंभ कराएं।

सभापति महोदय, अररिया मेरे संसदीय क्षेत्र में जिला हेडक्वार्टर है जहां पर हॉल्ट है, लेकिन स्टेशन नहीं बना है। वहां सिगनल की व्यवस्था नहीं है। वह हमारे जिले का हेडक्वार्टर है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदया से विशेष आग्रह है कि उस हाल्ट को रेलवे स्टेशन में परिवर्तित किया जाए। हमारे यहां के बहुत से मजदूर लोग, यानी बिहार से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए आते हैं जिनके पास वैध रूप से टिकिट होते हैं, लेकिन जी.आर.पी. के जवान और रेलवे के कर्मचारी उनको पकड़कर उनको नाना प्रकार से तंग करते हैं और मजदूरों की जो मजदूरी होती है उसे छीन लेते हैं, उनका सामान लूट लेते हैं और उन्हें धमकाते हैं। इस बारे में मैंने पहले भी कहा था। कई प्रकरण तो मंत्री महोदया ऐसे हुए हैं जिनमें रेलवे के ही लोगों द्वारा मजदूरों को नशा खिलाकर बेहोश करके लूट लिया गया। ऐसी घटनाएं रेलवे के लिए शर्म की बात हैं। हमारे पास ऐसे लुटे हुए अनेक लोग आते हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास टिकिट है फिर भी हमसे पैसे छीन लिए या हमें नशा खिलाकर लूट लिया। मेरा आग्रह है कि ऐसी घटनाओं को तत्परता से रोका जाए। वे लोग अपने घर को छोड़कर मजदूरी करने बाहर जाते हैं और उनका धन लूट लिया जाए या उनका सामान लूट लिया जाए, तो यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए मेरा मंत्री महोदया आपसे विशेष आग्रह है कि इसके लिए ठोस व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

सभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि कटिहार से जोगबनी के लिए जो रेल सेवा चलती है, उससे केवल चार बोगी लगती हैं जबकि उसमें आने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है और लोग उसमें लटककर तथा छत के ऊपर बैठकर आते हैं जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन डिब्बों में बढ़ोतरी नहीं की जाती है। मेरा आग्रह है कि उस गाड़ी में चार की बजाय आठ डिब्बे लगाए जाएं। इस बारे में जब हम डी.आर.एम. से पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि हमारे पास बोगी नहीं हैं, जो पुरानी बोगिया हैं उन्हीं को दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उसके निकट एन.जी.पी. है वहां से लें या कहीं और से बोगियां लें लेकिन कटिहार–जोगबनी रेलगाड़ी में चार की जगह आठ बोगियां करें ताकि यात्रियों को आने–जाने में सुविधा मिल सके।

समापति महोदय, अंत में, मेरा कहना है कि कटिहार से नई दिल्ली के लिए एक भी सीधी ट्रेन नहीं है जिसके कारण रोजाना हजारों यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहां से यात्री लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और देश के विभिन्न भागों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको सीधी ट्रेन नहीं रहने के कारण और अन्य ट्रेनों में जगह कम होने के कारण ट्रेन की छत पर बैठकर आना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कटिहार से नई दिल्ली के लिए एक सीधी रेल चलाई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : सभापति जी, सदन की कार्यवाही देर तक चलेगी इसलिए सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। एम.पीज. और प्रैस के लिए कमरा नम्बर 70 में तथा स्टाफ के लिए कमरा नम्बर 73 में व्यवस्था की गई है। भोजन 8.45 बजे से उपलब्ध रहेगा।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदया, कुमारी ममता बनर्जी को अपने नेतृत्व और मार्गनिर्देशन से रेल विभाग को सही दिशा में ले जाने हेतु अपना धन्यवाद दूंगा। किसी देश के विकास में परिवहन, संचार और ऊर्जा तीन महत्त्वपूर्ण चीजें हैं। रेल विभाग परिवहन का सबसे सस्ता साधन उपलब्ध कराता है। इसलिए, यह समय की मांग है कि हम रेल में यात्रा करते समय स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षा अपने आप विश्वास को जन्म देती है। सरकार को रेलों में यात्रा कर रहे यात्रियों को अधिकतम सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए जिससे कि उनका रेल विभाग में विश्वास बना रहे।

न्यायाधीश खन्ना समिति ने रेल विभाग के विकास हेतु कतिपय सिफारिशें की थीं। मैं जानना चाहूंगा कि इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं। कोई यह नहीं कह रहा है कि आप एक ही बार में सारा निवेश करो। लेकिन निवेश के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मेरे दिमाग में कुछ सुझाव हैं जिन पर मैं विचार-विमर्श करूंगा। माननीय मंत्री महोदया पहले ही कह चुकी हैं कि कार्य प्रगति हुई है परंतु और अधिक किए जाने की आवश्यकता है और उसके लिए उन्हें सभी ओर से पूरा समर्थन चाहिए।

आज, रेल विभाग सड़क परिवहन से प्रतियोगिता का सामना कर रहा है। यह एक गंभीर चुनौती है। रेल विभाग पर सड़क परिवहन की तुलना में कितना यातायात भार है। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में रेलों का प्रभुत्व था परंतु अब यहां सड़कों का प्रभुत्व है। रेल विभाग उतने यातायात का भार वहन करने में सक्षम नहीं है जितने की उससे अपेक्षा की जाती है। 1950-51 में रेल विभाग की माल-ढुलाई में हिस्सेदारी 89 प्रतिशत थी और सड़क परिवहन की 11 प्रतिशत। लेकिन आज रेल विभाग का हिस्सा 40 प्रतिशत रह गया है और सड़क परिवहन का बढ़कर 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसी प्रकार, 1950-51 में रेल विभाग 80 प्रतिशत यात्रियों का भार वहन कर रहा था और सड़क परिवहन 20 प्रतिशत। आज स्थिति इसके विपरीत है। रेल विभाग 20 प्रतिशत यात्रियों का भार वहन कर रहा है और सड़क परिवहन 80 प्रतिशत का।

1986 में राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति के नाम से एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने रेल विभाग और सड़क परिवहन के लिए इन दोनों को मिलाकर कुछ साझा मॉडल इंट्रा-मॉडल तैयार किया था। उसने विभिन्न प्रकार के यातायात के लिए मानदंडों का सुझाव दिया था। बेहतर होता यदि हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी यहां उपस्थित होते और इस चर्चा में भाग लेते। यह कहा गया था कि छोटी दूरी का यातायात-यात्री और माल दोनों-सड़क परिवहन के लिए छोड़ दिया जाए जिससे कि वह विकसित हो और रेल विभाग को छोटी दूरी के यातायात के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम सभी समझते हैं और हम सब इस पर कम से कम वर्ष में दो बार विचार-विमर्श करते हैं कि सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन से छह गुना अधिक ऊर्जा की बचत होती है। सड़कों की तुलना में रेल मार्गों के निर्माण की लागत भी छः गुना कम है। यदि केवल वर्तमान स्थिति के विपरीत माल भार को सड़क परिवहन से रेल परिवहन की ओर पुनः स्थानान्तरित कर दिया जाए यानी 60 प्रतिशत रेलमार्ग से और 40 प्रतिशत सड़क मार्ग से माल ढुलाई हो तो इससे लगभग 6,000 करोड़ रुपये का तो डीजल ही बचेगा।

इस परिवहन को पुनः रेल मार्ग की ओर मोड़ देने से ही इतना डीजल बचाया जा सकता है। इसलिए, एक नई परिवहन नीति संबंधी समिति नियुक्त की जानी चाहिए। मैं इस सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इसका समर्थन करे और देश के मौजूदा सारे परिवहन ढांचे की समीक्षा करे तथा देखे कि रेल विभाग और सड़क परिवहन में क्या हो रहा है। नौवीं योजना के अंत तक यह और बढ़ जाएगा। यात्री यातायात 399.4 बिलियन तक बढ़ने जा रहा है और माल भार परिवहन लगभग 520 मिलियन टन तक बढ़ने जा रहा है। आज अनुपूरक अनुदान मांगों को सामने रखते हुए मंत्री ने यह भी कहा है कि प्रगति हुई है परंतु माल भार और यात्री परिवहन का दबाव बहुत अधिक है और

[श्री भर्तृहरि महताब]

स्थिति बहुत चिंताजनक है। हमें इस संबंध में सोचना चाहिए और इसीलिए हमें एक राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने की आवश्यकता है।

हालांकि ऐसे बहुत–से दृष्टांत हैं, फिर भी मैं आपको केवल एक दृष्टांत देना चाहूंगा कि रेल विभाग का राजस्व कैसे बढ़ाया जाए। मैं कोयले के बारे में बताऊंगा। हम 350 मिलियन टन कोयले का उत्पादन कर रहे हैं और रेल विभाग के हिस्से में 135 मिलियन टन कोयला आता है यानी कि यह प्रतिवर्ष उत्पादित कोयले की आधी मात्रा से भी कम है। यदि हम इसे 100 मिलियन टन कर सकें तो रेल विभाग 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व कमा सकेगा। यह तो केवल कोयले के संबंध में है। लौह अयस्क, उर्वरक, सीमेंट, इस्पात आदि जैसे अन्य सामान भी हैं।

मैं हाल के अध्यादेश की ओर माननीय मंत्री जी और सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह केंद्रीय सड़क निधि के बारे में है। पेट्रोल पर 2 जनवरी, 1998 से और डीजल पर 1 मार्च, 1999 से एक रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उपकर लगाया गया था। अध्यादेश 1 नवंबर, 2000 को जारी किया गया था और यह निर्णय लिया गया कि हाई स्पीट डीजल पर लगाए गए 50 प्रतिशत उपकर का निवेश ग्रामीण सड़कों के विकास में किया जाएगा और पेट्रोल पर लगे पूरे उपकर का आबंटन निम्नवत किया जाएगा, अर्थात् इसके 50 प्रतिशत का 57.5 प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव में निवेश किया जाएगा और केवल 12.5 प्रतिशत का निवेश सड़कों, अंडर या ओवर ब्रिजों के निर्माण और बिना चौकीदार वाले समपारों पर सुरक्षा उपायों पर किया जाएगा। शेष, 30 प्रतिशत राज्य सड़कों के विकास के लिए दिया जाएगा। वर्ष 2000–2001 में लगभग 5800 करोड़ रुपये दिए गए हैं परंतु कुल धन जो संग्रहीत किया गया और जो एक विशाल राशि है–वह सड़कों के विकास में जा रहा है। हम अपनी प्राथमिकता से परे हट रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और विशेषतः रेल विभाग में सुरक्षा उपायों के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मैं मंत्री महोदया का ध्यान कई जवाबों की ओर दिलाना चाहता हूं, जो मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं, अपने राज्य उड़ीसा के विकास की बात भी करूंगा। कई उत्तर आए हैं। पहला उत्तर मार्च में आया, दूसरा जुलाई–अगस्त और तीसरा दिसंबर में मिला। मैं सभा और माननीया मंत्री जी का ध्यान दैतारी–बॉसपानी रेलमार्ग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले तीस वर्ष से उड़ीसा की सभी पार्टियों के नेता इस संबंध में आंदोलन करते रहे हैं।

वर्ष 1970–71 में भी हमारे नेता श्री बीजू पटनायक ने अपने साथियों और समर्थकों के साथ नई दिल्ली में प्रदर्शन किया था और धरना दिया था। वर्ष 1970–71 से इस रेलमार्ग का कार्य लंबित पड़ा है। आज इस परियोजना की लागत 587 करोड़ रुपये है। महोदय, 216 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इस वर्ष इसके लिए 40 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। परंतु, बहुत कम प्रगति हुई है। हम सुखिंडा की खानों से पारादीप को लौह अयस्क का परिवहन करना चाहते हैं। धन खर्च किया जा रहा है। ट्रकों द्वारा लौह अयस्क के परिवहन में राष्ट्रीय धन खर्च हो रहा है। डीजल की खपत के कारण बहुत धन व्यर्थ जा रहा है। डीजल की खपत के कारण बहुत सारी विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है और व्यर्थ जा रही है। यह एक पहलू है। हमें अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करनी चाहिए। हमें रेल विभाग में अधिक निवेश करना चाहिए ताकि ये परियोजनाएं तेजी से पूरी हो सकें।

मैं, माननीया मंत्री का ध्यान हरिदासपुर–पारादीप नए रेलमार्ग की ओर दिलाना चाहता हूं। इस वर्ष एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। सोलह करोड़ पचास लाख रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। माननीया रेल मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में यह कहा गया है कि अंतिम लोकेशन सर्वे पूरा कर लिया गया है; भूमि प्रापण योजना और दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया गया है और ये राज्य सरकार के पास हैं।

रात्रि 08.27 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*)

महोदय, मैं कह रहा था कि 10 किमी भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। यह हरिदासपुर छोर की सीध में है। राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि अदा कर दी गई है। भूमि उपलब्ध होते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। यह एक मामला है। ऐसे ही दूसरे अनेक मामले हैं।

खुर्द–बोलनगीर के संबंध में भी यही समस्या है। राज्य को भूमि उपलब्ध करानी है। लंजीगढ़ परियोजना की भी यही स्थिति है। कारोपुट–रायगड़ा मार्ग को अंतिम रूप दे दिया गया है। मैं मंत्री महोदया का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हरिदासपुर–पारादीप रेलमार्ग के संबंध में यह जवाब 9 मार्च, 2000 को दिया गया था। अंतिम स्थानीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी योजनाओं और दस्तावेजों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इन्हें राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि दे दी गई है। भूमि के मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। यह जवाब दिया गया है।

सभापति महोदय : कृपया, अब समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं अभी समाप्त करूंगा, मैंने अभी तो शुरू किया है। माननीया रेल मंत्री की ओर से यह जवाब मार्च के महीने में आया था। यही जवाब माननीया मंत्री की ओर से सभा के माध्यम से दिसंबर में दिया गया था। नौ महीने गुजर चुके हैं। मैं माननीया मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यह परियोजना लंबित क्यों है? परेशानी क्या है?

अब मैं सभा का ध्यान 4 जुलाई, 2000 को प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। यह बहुत ही गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया, समाप्त कीजिए। या लिखित भाषण माननीया मंत्री जी को दे दीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं 4 जुलाई, 2000 को प्रकाशित समाचार का उद्धरण दे रहा हूं। यह 'द इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित हुई थी।

सभापति महोदय : कृपया, इसे लिखित रूप में माननीय मंत्री को दे दें।

श्री भर्तृहरि महताब : तब यहां खड़े होकर चीजों को समझाने की क्या आवश्यकता है? कृपया, मुझे कुछ और समय दीजिए।

सभापति महोदय : कृपया, दो मिनट में समाप्त कर लीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : कृपया, मुझे पूरा करने दें। श्री येरननायडू ने रेल संबंधी स्थायी समिति के तीन या चार सदस्यों के शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था।

वे भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री से मिले। यह समाचार समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ था। श्री येरननायडू ने कहा कि रेल मंत्री, उड़ीसा में बिना चौकीदार वाले 52 समपारों के निर्माण संबंधी समिति की सिफारिश पर सहमत हो गई हैं। राज्य के 482 में से केवल 150 समपार चौकीदार वाले हैं। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने के लिए 8 या 9 लाख रुपये दिए हैं। केवल दो वर्ष ही बीते हैं। मैंने बार-बार मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है, और मुझे अभी तक उस संबंध में सहमति मिलना बाकी है। यह बहुत ही छोटा-सा मामला है जिसका निपटारा मंत्री महोदया द्वारा किया जा सकता है।

श्री येरननायडू ने इस समाचार-पत्र को बताया कि समिति का पूर्व तटीय रेलवे जोन से संबंधित मामले के बारे में दृढ़ मत है। समिति ने कहा है कि समिति के सदस्य सोमवार को मुख्य मंत्री से मिले थे जहां उन्होंने आवर्ती राज्य सरकारों के असहयोग के कारण भू-अधिग्रहण को अंतिम रूप दिए जाने में हुए विलंब पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। मैं दैतारी-बांसपानी, लन्जीगुड़ा-जूनागढ़ और हरिदासपुर-पारादीप से संबंधित तीन उदाहरणों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। धन केवल राज्य सरकारों के पास पड़ा नहीं रह सकता। केवल वर्तमान सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, पुरानी सरकारें भी धन लिये बैठी रही हैं। वे भूमि प्राप्त नहीं कर रही हैं। यदि वे उक्त को रेलवे को सौंप दें तो निर्माण-कार्य तेजी से पूरा किया जा सकता है।

मैं पूर्व तटीय रेलवे के संबंध में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री येरननायडू ने प्रेस को बताया है और मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में रखना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* जयपुर और हाजीपुर जोनों के लिए अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। इन दोनों जोनों का सृजन पूर्व तटीय रेलवे जोन के गठन के बाद किया गया था। यह श्री येरननायडू का वक्तव्य है। उन्होंने कहा था, मैं उद्धृत कर रहा हूं : ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि पूर्व तटीय रेलवे जोन को अधिसूचित न किया जाए। उन्होंने यह माना और यह कहा—

> "उड़ीसा का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र पूर्वतटीय रेलवे के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।"

...*(व्यवधान)* तालचर-गोपालपुर पत्तन के विकास का सर्वेक्षण अभी किया जाना है। मैं मंत्री जी से इस पर गौर करने का आग्रह करूंगा। हमें उन्हें तत्काल जोड़ना है। कम से कम इस वर्ष से कुछ धन का निवेश सर्वेक्षण के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि तालचर में कोयले की खानें हैं। हम तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों को कोयला भेज रहे हैं। गोपालपुर को भी विकसित किया जा सकता है और तालचर के साथ जोड़ा जा सकता है। धन की कोई समस्या नहीं होगी। हम धन प्राप्त कर सकते हैं।

जैसा कि हमारी राज्य सरकार का सुझाव था और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से सदस्य द्वारा भी सुझाव दिया गया था कि बांड को हमारे अत्यधिक उपेक्षित उड़ीसा राज्य में रेलवे के विकास हेतु धन सृजित करने के लिए भी परिचालित किया जा सकता है।

*अब मैं आपका ध्यान अपने राज्य उड़ीसा की प्रमुख समस्याओं की ओर आकृष्ट करता हूं। पूर्व तटीय रेलवे जोन का सृजन वर्ष 1996 में किया गया था। पिछले 30 वर्षों से उड़ीसा

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री भर्तृहरि महताब]

के नेता लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और यह मांग करते आ रहे हैं कि दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय को गार्डन रीच से भुवनेश्वर स्थानांतरित कर दिया जाए। नब्बे के दशक के पूर्वार्द्ध में, रेलवे की स्थायी समिति में नए जोनों के सृजन पर चर्चा की गई थी और यह समिति का सुविचारित मत था कि कोई जोन तभी बनाया जाना चाहिए जब वह लाभप्रद हो। तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने वर्ष 1996 में पूर्व तटीय रेलवे जोन का उद्घाटन किया था। शुरूआती प्रयासों के पश्चात् अभिरुचि समाप्त हो गई सी प्रतीत होती है और आज अधिकतर जोन मूल जोनल कार्यालयों के विस्तारित कार्यालय मात्र हैं। इन जोनों का सृजन मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। 'अन्य' औपचारिकताओं का अनुपालन भी किया जाना चाहिए। परन्तु मुझे अब बताया गया है कि रेलवे बोर्ड इन नए जोनों को जारी रखने पर विचार कर रहा है। इस अत्यंत संभ्रांति की स्थिति है।

रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने अपेक्षित विचार–विमर्श के बाद अनुमोदन किया है कि संभाव्य नए जोनों को पूरा सरकारी समर्थन दिया जाना चाहिए। पूर्व तटीय जोन एक संभाव्य जोन है। उड़ीसा का विकास बाधित हुआ है क्योंकि पिछले सौ वर्षों के दौरान रेलवे की प्रगति बहुत धीमी रही। पूर्व तटीय रेलवे जोन को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। भुवनेश्वर स्थित जोनल कार्यालय पर्यवेक्षण कर सकता है और यह उड़ीसा से संबंधित रेलवे परियोजनाओं को कलकत्ता की तुलना में ज्यादा प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है। केन्द्रीकृत खरीदें तथा उड़ीसा स्थित रेल कार्यालयों से संबंधित कार्य कलकत्ता में हो रहे हैं। यदि ये उड़ीसा में किए जाते हैं तो इससे उड़ीसा की फर्मों को लाभ पहुंचेगा। इससे निजी क्षेत्र में रोजगार सृजित होगा।

किसी महाप्रबंधक के पास मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों, दोनों में लोगों को अस्थायी और स्थायी रोजगार देने से संबंधित कुछ शक्तियां भी होती हैं। यदि भुवनेश्वर में महाप्रबंधक और महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी को पदस्थापित किया जाता है तो इससे उड़ीसा को मदद मिलेगी।

मैं आपका ध्यान एक दूसरी कठिनाई की ओर आकर्षित करूंगा। पहले जो व्यक्ति खेल–कूद, संस्कृति, स्काउट और गाइड क्षेत्र में अग्रणी होता था उनको जोन के मुख्यालय के कार्यालय में अनुकंपा आधार पर नियुक्त किया जाता था। उड़ीसा की उपेक्षा की जा रही है क्योंकि पूर्व तटीय रेलवे जोन को पूर्णरूपेण कार्यक्षम नहीं बनाया गया है। पूर्व तटीय रेलवे के बावजूद, इसे अधिसूचित किए जाने के बाद बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। आज पूर्व तटीय रेलवे जोन के अधिकारी नियमित महाप्रबंधकों के प्रकार्यात्मक एवं निर्णय लेने की शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं। इसके विपरीत, नए जोन के लिए पूर्ण आबंटन में साल–दर–साल कटौती की जा रही है।

मैं इस वर्ष रेलवे संबंधी स्थायी समिति की उपसमिति द्वारा भुवनेश्वर का दौरा किए जाने के बाद ई.सी.आर. जोन के संबंध में 4 जुलाई को प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इसमें उल्लेख किया गया है कि "समिति ने सोमवार को मुख्य मंत्री से भेंट की और उत्तरवर्ती सरकार के असहयोग के कारण भूमि अर्जन के मामले को अंतिम रूप दिए जाने में हुए विलंब पर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक ओर जहां रेल मंत्रालय भूमि–विवाद का निपटान न होने के कारण चंद्रशेखरपुर में पूर्वी तटीय रेलवे के मुख्यालय के भवन के निर्माण कार्य को आगे नहीं बढ़ा रहा है वहीं दूसरी ओर हरिदासपुर–पारादीप और दैतारी–बांसपानी परियोजनाओं में प्रगति इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा भूमि का अंतिम आबंटन किया जाना अभी शेष है। ई.सी.आर को आबंटित की गई भूमि में से लगभग 39.9 एकड़ भूमि विवादित है जबकि दूसरी परियोजना के लिए 1100 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।"

ऐसी स्थिति में किसे दोषी ठहराया जाए? तथ्यों की जानकारी मिलने के बाद रेल मंत्रालय क्या कर रहा है? मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे इस समस्या पर ध्यान दें और सभी बाधाओं और अड़चनों को दूर करने के लिए कदम उठाएं।

उस समाचार पत्र में उसी दिन यह भी प्रकाशित हुआ है कि "समिति के अध्यक्ष श्री येरननायडू ने बताया कि समिति का दृढ़ विचार है कि राज्य में रेलवे की चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए केंद्र द्वारा पूर्वी तटीय रेलवे (ई.सी.आर.) जोन की गजट अधिसूचना शीघ्र जारी करना समय की मांग है।" यदि रेलवे संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष ने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं तो मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने में क्या बाधा है?

अन्त में, मैं उन समाचार पत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिनके अनुसार उड़ीसा की रेल परियोजनाओं के लिए दी गई राशि को अन्यत्र खर्च किया जा रहा है। मैं इसे सच नहीं मानता हूं, लेकिन रेल मंत्रालय को इस संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहिए। यदि वह खामोश रहता है तो इसका गलत अर्थ लगाया जा सकता है।

तालचेर–पारादीप के बीच दूसरे रेल संपर्क का निर्माण आवश्यक है। दूसरे बिरूपा पुल के लिए निविदाएं खोली जा चुकी हैं। इसे जल्दी से जल्दी अंतिम रूप दे दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, उड़ीसा में रेल लाइनों के विद्युतीकरण में भी बहुत अधिक

समय लग रहा है। बड़ी मुश्किल से आबंटित राशि की 50 प्रतिशत राशि ही खर्च की जा रही है। इसके क्या कारण हैं?

हाल ही में 7–12–2000 को मेरे एक प्रश्न के उत्तर मे यह सूचित किया गया कि कोरापुट–रायगडा लाइन का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। लेकिन दो लंबी सुरंगों में संवातन कार्य चल रहा है और इस कार्य के इस माह तक पूरा हो जाने की आशा है। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि भुवनेश्वर और कोरापुट के बीच में सबरी एक्सप्रेस के नाम से एक नई रेल गाड़ी चलाई जाए।

खुरदा रोड को बोलंगीर से जोड़ने के लंबे समय से लंबित कार्य को शुरू करने के लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। हालांकि इस परियोजना के लिए कोई बहुत बड़ी राशि आबंटित नहीं की गई है लेकिन सभी बड़ी परियोजनाओं की शुरूआत छोटे पैमाने पर ही होती है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। बधाई देने के साथ–साथ मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे आगामी बजट, जिसे वे अगले वर्ष इसी सभा में प्रस्तुत करेंगी, में समुचित धन उपलब्ध कराएं, जिसका मुझे विश्वास है।

दोहरी खुरदा रोड–पुरी लाइन आवश्यक है, इसके लिए इस वर्ष केवल 5 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। इसके लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है। पुरी के लिए रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की कठिनाइयों की जानकारी माननीय मंत्री को है। महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस परियोजना के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराएं।

और अंत में मैं माननीय मंत्री का ध्यान खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में रेलवे की भूमि पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाए जाने के मामले की ओर आकृ करना चाहूंगा। भगवान जगन्नाथ केवल उड़िया लोगों के ही नहीं बल्कि समस्त जगत के आराध्य हैं और 'दीदी' स्वयं उनकी बड़ी भक्त हैं। मेरा अनुरोध है कि इस मंदिर को कानूनी मान्यता दी जाए और भक्तों को पूजा–अर्चना करने की अनुमति दी जाए जैसा कि वे पिछले अनेक वर्षों से करते आ रहे हैं।

अंत में, मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं।

*श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : चूंकि मुझे अनुपूरक रेल बजट पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी गई है, सबसे पहले मैं भारतीय रेल को अपनी अगुवाई में सही दिशा में प्रशस्त करने के लिए ममताजी को बधाई देता हूं। हालांकि रेलवे यातायात के साधन के रूप में अपनी तेज गाड़ियों से देश के अलग–अलग भागों में यात्रियों और वस्तुओं को पहुंचाता है लेकिन उसने चक्रवात और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का संकट उत्पन्न होने पर सदा देश की सहायता की है। यदि उड़ीसा तट पर आए सुपर साइक्लोन के दौरान सहायता सामग्री को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ममताजी की प्रशंसा न की जाए तो यह उनके प्रति अन्याय होगा।

चूंकि यह एक अनुपूरक मांग है, मैं रेलवे की विस्तृत कार्यप्रणाली और उसकी समस्याओं पर चर्चा नहीं करूंगा।

मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र, कालाहांडी जिला देश के सर्वाधिक पिछड़े सूखा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। यहां की एकमात्र रेल परियोजना, नामतः लांगीगढ़ रोड से जूनागढ़ पिछले 9 वर्षों से निर्माणाधीन है और बहुत कम राशि आबंटित किए जाने के कारण अभी तक अधूरी पड़ी है। यह परियोजना के.के. लाइन को जोड़ने के लिए शुरू की गई थी जो बेलादिला की लौह अयस्क खानों की आवश्यकता की पूर्ति करती है और उसे वाल्टेयर या विशाखापट्टनम पत्तन से जोड़ती है। यह लाइन कोरापुर की बाक्साइट खानों को जोड़ती है जो के.बी.के. के तीन संकटग्रस्त जिलों में से एक है। यदि लांगीगढ़ से जूनागढ़ तक की लाइन को पूरा कर दिया जाए और उसे जूनागढ़ से अम्बागुडा तक जोड़ दिया जाए तो वह के.के. लाइन से जुड़ जाएगी और मल्कानगिरी के चूना पत्थर के और कालाहांडी के बॉक्साइट के व्यापक निक्षेपों का भली प्रकार से दोहन हो सकेगा। इसलिए इस सदन में मंत्री महोदया से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वह लांगीगढ़ रोड–जूनागढ़ परियोजना के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएं और के.के. लाइन पर जूनागढ़ से आगे अम्बागुडा तक रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए कुछ राशि आबंटित करें और लांगीगढ़ से अम्बागुडा परियोजना को एक सतत परियोजना बनाएं ताकि अंततः उड़ीसा राज्य के संपूर्ण के.बी.के. क्षेत्र को इस परियोजना में शामिल किया जा सके।

मैं अपने निर्वाचन–क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए—जो इस वर्ष पड़े अभूतपूर्व सूखे के कारण, काम की तलाश में बड़ी संख्या में दूसरे स्थानों की ओर प्रव्रजन कर रहे हैं—विशाखापत्तनम से निजामुद्दीन को जाने वाली 'समता एक्सप्रेस' को दैनिक कर देने का भी अनुरोध करूंगा।

मैं दक्षिण–पूर्व रेल के क्षेत्रान्तर्गत रायगडा में एक वातानुकूलित अनुरक्षण एकक की भी मांग करता हूं।

समाचार पत्रों में इस आशय की विरोधाभासी खबरें पढ़ने को मिली हैं कि सी.ए.ओ. कार्यालय को भुवनेश्वर से स्थानांतरित

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री बिक्रम केशरी देव]

कर दिया जाएगा; यदि यह सही है तो इस कदम पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और इस नए जोन को अधिक क्षमतावह बनाने के लिए तथा चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और अधिक आबंटन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मैं विशाखापत्तनम होकर जाने वाली पुरी--अहमदाबाद एक्सप्रेस को भी रोजाना चालने की मांग करता हूं। टिटिल्गढ़ और केसिंगा के बीच एक रेल--सह--सड़क पुल भी बनाया जाना चाहिए। इन कुछ सुझावों के साथ में ममताजी द्वारा प्रस्तुत रेल मंत्रालय की अनुदान की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री एस. मुरूगेसन (तेनकासी) : महोदय, मैं रेल मंत्रालय की इन अनुदान की अनुपूरक मांगों के माध्यम से, माननीय रेल मंत्री से मेरे संसदीय निर्वाचन--क्षेत्र की रेल मंत्रालय से संबद्ध मांगों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मेरा संसदीय निर्वाचन--क्षेत्र 'तेनकासी' एक बड़े नगर निगम, तिरुनेलवेली और सुविख्यात पर्यटन--स्थल कोर्टालम के मध्य स्थित है। समाज के सभी क्षेत्रों के लोग कई कारणों और व्यस्तताओं से तेनकासी आते रहते हैं। मेरे संसदीय निर्वाचन--क्षेत्र की जनसंख्या का अधिकांश भाग पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों और जनजाति वर्ग के लोगों का है। पहले तेनकासी में एक अस्पताल और तेनकासी और मदुरै के बीच एक बस--स्टैंड भी था। चूंकि यहां एक बड़ा सरकारी अस्पताल और महत्वपूर्ण बस स्टैंड है। अतएव तेनकासी के लोग वहां समुचित उपचार कराने तथा वहां से आस--पास के शहरों को जाने के लिए वाहन के निमित्त आते हैं। इस राजमार्ग पर भारी यातायात की वजह से, इस मार्ग का रेल--संपार अक्सर बंद ही रहता है। जो लोग इन दोनों स्थानों को आते--जाते हैं, वे इस मार्गस्थित रेल--संपार के बार--बार बंद ही रहे आने से परेशानी का सामना करते हैं। मैं इस मामले को माननीय रेल मंत्री को पूर्व में कई बार अभ्यावेदित कर चुका हूं। अधिकारियों का एक दल भी उस स्थान के दौरे पर गया था और मेरे अनुरोध के पक्ष में ही उसने अपना प्रतिवेदन दिया है। तथापि, इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री महोदया इस पर विचार करें और वेनकासी व मदुरै के मध्य राजमार्ग पर एक उपरिपुल के निर्माण हेतु आवश्यक आदेश जारी करें।

द्वितीयतः, मैं विरुदुनगर से कोल्लम तक की तथा तेनकासी से तिरुनेलवेली तक मीटर--लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए जाने विषयक आदेश देने के लिए रेल मंत्री का अत्यंत आभारी हूं। किंतु कम धनराशि आबंटित किए जाने के कारण, यह परियोजना शुरू ही नहीं हो सकी है, अतएव मैं माननीय मंत्री महोदया से तेनकासी के इस आमान--परिवर्तन का कार्य शुरू कराने तथा इस परियोजना को शीघ्र पूरा कराने के लिए अधिक धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करता हूं।

पुलियंगुडी, जो तेनकासी नगर का निकटवर्ती नगरनिगम के स्वत्वाधीन एक बड़ा शहर है, उसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है लेकिन यह अभी तक रेलमार्ग से जुड़ा नहीं है। इस क्षेत्र के लोगों को रेल--सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त, शंकरनकोली और तेनकासी के बीच की वर्तमान रेल--लाइन को पुलियंगुडी के रास्ते मोड़ दिया जाए। पुलियंगुडी के लोगों को रेल--सुविधा देने हेतु मात्र 8 किमी. रेल--पटरी बिछाने की आवश्यकता है। इस पथांतरण पर थोड़ी--सी धनराशि खर्च करके, सरकार लाखों लोगों को रेल--सुविधा उपलब्ध करा पाएगी।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : सभापति महोदय, वर्ष 2000--2001 के लिए रेलवे की अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। हमारी रेल मंत्री एक उग्र मंत्री हैं। अतः अनुदान मांगों का विरोध करने का मेरे पास कोई ठोस तर्क नहीं है। इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं सरकार से अधिक धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करूंगा क्योंकि रेलवे केवल वाणिज्यिक सेवाएं ही नहीं देता बल्कि जनोपयोगी सेवाएं भी मुहैया कराता है। जैसा कि हमें मालूम है रेलवे हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है। 62,809 किलोमीटर तक देश के कोने--कोने तक इसका विशालकाय जाल बिछा हुआ है। इसने 15.8 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है। इसलिए हमें इस क्षेत्र के लिए अधिक धनराशि आबंटित करनी चाहिए ताकि यह हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए और रोजगार उत्पन्न कर सके। अब तक जैसा कि बताया गया है। हमारे 22.3% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया है। जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में आरोप है कि अब तक विद्युतीकरण के परिणामों की समीक्षा नहीं की गई है। मैं माननीय रेल मंत्री से इस मुद्दे पर स्पष्टकीरण देने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, आज हम दूसरे चरण के सुधारों के युग में हैं। निजीकरण के नाम पर हमारी राष्ट्रीय परिसंपत्तियों का अपव्यय किया जा रहा है। इसलिए यह अंदाजा लगाना आसान है कि एक और राष्ट्रीय परिसंपत्ति रेलवे अंधाधुंध सुधारों के इस आक्रमण से बच नहीं पाएगा। निजीकरण बिल्ड, ओन, लीज और ट्रांसफर (बोल्ट), ओन योर वैगन (ओ.वाई.डब्ल्यू.) जैसी योजनाओं के जरिए इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। ये रेलवे में निजीकरण के कुछ उदाहरण हैं। सरकारी और निजी भागीदारी के द्वारा निजी क्षेत्र

*सभा पटल पर रखा गया।

तक टर्मिनल स्थापित करने और नये तथा निर्माणाधीन पत्तनों को रेलवे से जोड़ने जा रहा है। मैं इस संबंध में माननीय रेल मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या कड़े प्रतिरोध के बावजूद वे अब भी निजीकरण के आक्रमण का सामना कर पाएंगी?

महोदय, रेलवे से संबंधित आधार संरचना अत्याधुनिक सिग्नल प्रणाली, रोलिंग स्टाक और सबसे अधिक मजबूत सुरक्षा उपाय को सुदृढ़ करने हेतु इस क्षेत्र में सुधार शुरू किए जाने चाहिए। रेल दुर्घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिनमें अक्सर कई लोगों की मौत हो जाती है। पश्चिम बंगाल के गैसल में भयंकर दुर्घटना घटी। एक जांच आयोग का गठन किया गया लेकिन इसकी रिपोर्ट अभी आनी है। इसके अलावा अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में विफल रहने के जिम्मेदार अधिकारियों को बाद में इस वजह से निर्दोष करार दिया गया कि इससे उनके मनोबल को धक्का लगेगा।

कई समितियों का गठन किया गया, जैसे 1962 में कुंजरू समिति, 1968 में वांचू समिति, 1978 में सिकरी समिति 1996 में वेंकटचलैया समिति और 1998 में खन्ना समिति। रेलवे को कई सिफारिशें मिलीं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सिफारिशें लागू नहीं की जा रही हैं। मैंने अपने जिले मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में नाशीपुर और अजीमगंज के बीच रेल लाइन को पुनः चालू करने हेतु अपने माननीय रेल मंत्री से पहले ही अनुरोध किया है।

आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मुर्शिदाबाद जिला अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह विरासत और संस्कृति वाला जिला है। यदि रेल लाइन पुनः चालू होती है, तो हमारे जिले का पूरा आर्थिक परिदृश्य बदल जाएगा। मेरा जिला पश्चिम बंगाल का गैर औद्योगिक जिला माना जाता है। जिस भूमि पर रेल लाइन का निर्माण प्रस्तावित है, वह रेलवे की है। अतः जहां तक भूमि के अधिग्रहण का संबंध है, यह कोई समस्या नहीं होगी।

मेरा जिला एक सीमावर्ती जिला है जो बांग्लादेश से लगता है। अतः यदि यह रेलवे लाइन बहाल कर दी जाएगी तो वहां सेना की तैनाती में आसानी होगी। गंगा नदी में दो खम्बे पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए मैं रेल मंत्री से इस परियोजना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए पुनः आग्रह करता हूं क्योंकि इससे मेरे जिले की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है।

इसके अलावा लाइन को केवल दो किलोमीटर बढ़ाने से हावड़ा और सियालदाह डिवीजनों का विलय किया जा सकता है।

डिब्बों का रख-रखाव अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि रेल हमारे देश में यातायात का प्रमुख साधन है।

सुरक्षोपायों में भी सुधार किया जाना चाहिए। सुरक्षा निदेशालय एक कार्यकारी अधिकारी के मातहत पहले से ही मौजूद है। परंतु उस निदेशालय के पास वह केंद्रीय शक्तियां नहीं हैं, जो उसके पास होनी चाहिए। यदि ये केंद्रीय शक्तियां इस निदेशालय को प्रत्यायोजित नहीं की जातीं, तो हम किसी को भी किसी त्रुटि या गलती का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते।

जहां तक भारतीय डिब्बों का संबंध है, जब कभी हम रेल से यात्रा करते हैं, तो हमें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा बताया गया है कि सामान्यतः 20% रेल डिब्बे समय पूर्व ही बेकार घोषित कर दिए जाते हैं। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह रेलवे को विश्व के अन्य विकसित देशों की तर्ज पर विकसित करें क्योंकि यह हमारे देश में यातायात का प्रधान साधन है।

मैं पुनः माननीय मंत्री से आग्रह करता कि वह मेरे निवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

[हिन्दी]

*श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा) : महोदय, गुजरात में पश्चिम रेलवे की रेलवे लाइन का 75 प्रतिशत भाग गुजरात में जाता है। यहां का कार्यालय अभी तक मुम्बई में है जिसके कारण गुजरात के रेलवे विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कई वर्षों से गुजरात के सांसद गुजरात में पिश्चम रेलवे का कार्यालय बनाने हेतु मांग कर रहे हैं किंतु उनकी मांग को अभी तक माना नहीं गया है। हमेशा कहा जाता है कि गुजरात में पश्चिम रेलवे का कार्यालय बनाना असंभव है। परंतु इन कारणों में एक कारण यह भी हो सकता है कि पश्चिम रेलवे के अधिकारी मुम्बई को छोड़ना नहीं चाहते और गुजरात में काम नहीं करना चाहते।

गांधीधाम और पालनपुर का गेज परिवर्तन का कार्य कई वर्षों से लंबित पड़ा है। बताया जाता है कि योजना बन गई है और उसका एस्टीमेट भी तैयार हो रहा है। इतने साल में इतना काम होगा तो वास्तव में काम करने और उसको बनाने के कार्य को पूरा करने में कई साल लग जाएंगे।

उत्तर गुजरात के क्षेत्रों में नमक उद्योग कार्यरत है परंतु उनको खुले वैगन दिए जाते हैं। इसके अलावा उन्हें और अन्य कोई सुविधा प्राप्त नहीं है जिसके कारण नमक के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। रेलवे में सुधार करने हेतु कई वर्षों से बात हो रही है तथा राकेश मोहन की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। मेरा कहना

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हरिभाई चौधरी]

है कि रेलवे में क्या कमी है और सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है, इसकी सूचना जनता और जनता के प्रतिनिधियों को दी जाए।

यह बात जरूर है कि सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में रेलवे को काफी हानि हो रही है तथा उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारी मांग है कि रेलवे का दुरुपयोग होने से रोका जाना चाहिए तथा इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं। यह बड़े गर्व की बात है कि माननीय मंत्री महोदय ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ने के बाद रेलवे का किराया नहीं बढ़ाया है। इस बात के लिए गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को खुशी है।

रेलवे में भ्रष्टाचार बहुत व्यापक है। अगर इसकी रोकथाम और भ्रष्ट लोगों को नौकरी पर से तुरंत न हटाया गया तो निस्संदेह रेलवे को जो धन का अभाव हो रहा है, वह काफी कम हो जाएगा। इसी तरह रेलवे में कई चीजें बेकार पड़ी रहती हैं जैसे उनकी कोई जमीन बेकार पड़ी हुई है, तो उस जमीन का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा वहां कई बेकार का सामान पड़ा रहता है जो समय के साथ बहुत ही खराब होता रहता है तथा उसका मूल्य भी कम होता रहता है। मेरा कहना है कि जिस चीज की जरूरत न हो, उसका निपटान तुरंत किया जाए जिससे रेलवे उनसे पैसा कमा सके।

रेलवे में चोरी की घटनाएं भी हो रही हैं। आए दिन यात्रियों के सामान को उठाईगिरे उठा लेते हैं जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। सरकार को चाहिए कि जहां पर प्रतीक्षा सूची तीन सौ से ऊपर हो जाए, वहां अलग से एक कोच लगाया जाए जिससे रेलवे को धन की प्राप्ति हो सके और यात्रियों को भी अपने लक्ष्य की ओर जाने में कोई दिक्कत न हो।

मेरा यह भी कहना है कि देश में आए दिन रेलवे में एक्सीडेंट होना भी काफी गंभीर बात है। भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा करने के उद्देश्य से तथा रेलवे को हानि पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। जब भी कोई दुर्घटना होती है और उसकी जांच होती है लेकिन उस जांच में कमी भी रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही सामने नहीं आती है। इसके अलावा वह जांच होने में इतना समय लग जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि कभी वह दुर्घटना भी हुई थी।

रेलवे को बढ़ाने का बड़ा ही स्कोप है परंतु भ्रष्टाचार के चलते रेलवे को उतना फायदा नहीं होता, जितना होना चाहिए। हम जब भी किसी काम के बारे में कहते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारे पास फंड की कमी है और इसी फंड के चलते कई योजनाएं कछुए की चाल से चल रही हैं।

मेरा यह भी कहना है कि पालनपुर से हरिद्वार के बीच रेल सेवा तो चालू की है लेकिन पालनपुर में उसका कोई स्टॉप नहीं दिया है। इसी तरह अहमदाबाद—दिल्ली राजधानी का पालनपुर में कोई स्टॉप नहीं है। हमारा कहना है कि पालनपुर में इन गाड़ियों का स्टॉप दिया जाए। पालनपुर में वी.आई.पी. कोटा नहीं है। इसलिए गाड़ी नंबर 9708, 9707, 2916 तथा 2915 में दो टिकट वी.आई.पी. कोटे की होनी चाहिए।

पालनपुर रेलवे स्टेशन को 'अ' श्रेणी का बनाया जाए। वहां उर्वरक के लिए कोई रैक पॉइंट नहीं है जिससे किसानों को काफी दिक्कत हो रही है। इसलिए मेरा कहना है कि वहां रैक पॉइंट बनाया जाए।

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, रेलवे सबसे सस्ता साधन आम जनता के लिए, गरीबों के आने—जाने के लिए है। अभी जो पूरक मांगें रेल मंत्री जी ने रखी हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रेलवे अनमैन्ड क्रासिंग के लिए ज्यादा धन का प्रावधान इन अनुपूरक मांगों में किया है, जिससे यात्रियों को सुविधा बढ़ेगी।

मैं अपने संसदीय क्षेत्र सिद्धार्थनगर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, गोंडा, नेपाल सीमा से लगा हुआ है। गोरखपुर से गोंडा एक लूप लाइन मीटरगेज चलती है। बहुत समय पहले गोंडा से मीटरगेज से लोग सीधे मुख्यालय और लखनऊ तक चले जाते थे, लेकिन आठ—दस साल से गोरखपुर से बड़ी लाइन ब्रोडगेज में परिवर्तित हो चुकी है। वहां से आने के लिए लोगों को मीटरगेज से होकर गोंडा या गोरखपुर में ट्रेन बदलनी पड़ती है। गोरखपुर से गोंडा तक सिंगल लाइन होने के कारण ट्रेनों का कंजेस्शन रहता है। इस लाइन को मीटरगेज से ब्रोडगेज में कंवर्जन के लिए मैं 1990—91 से प्रयत्नशील हूं। हर बार रेल मंत्री ज़ी का यही जवाब मिलता रहा कि सर्वे हो गया है। 1997—98 के बजट में भी 250 करोड़ रुपए का प्राक्कलन स्वीकृत है। दसों साल हो गए, लेकिन अभी तक उसे क्लियरेंस नहीं मिल रही है। बड़ी लिखा—पढ़ी के बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष से मिला, तब जाकर दस साल में क्लियरेंस मिला।

महोदय, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इस लाइन को अगर बड़ी लाइन में कंवर्ट कर दिया जाए तो गोरखपुर से गोंडा तक के लिए एक वैकल्पिक लाइन मिल जाएगी और नेपाल से जो लोग बसों से दिल्ली आते हैं वे फिर रेल से आ जाएंगे। कृष्णानगर से दिल्ली, सुनौली से दिल्ली करीब 200 बसें चलती हैं, अगर यह लाइन बड़ी लाइन में बदल जाएगी तो लोग ट्रेन से आ सकेंगे। बुद्ध सर्किट बनारस, सारनाथ, कपिलवस्तु,

शिलाबसती, ये सब बड़ी लाइन पर हो जाएंगे तो बुद्ध सर्किट की ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इसलिए इस लाइन का कंवर्जन होना नितांत आवश्यक है। अभी जैसे अखिलेश सिंह जी ने बताया, इसके आगे गोंडा से बहराइच लाइन का भी सर्वे इस लाइन के साथ हो चुका है। उसके आमान परिवर्तन का 50 करोड़ रुपए का एस्टीमेट स्वीकृत है, उसका भी परिवर्तन होना नितांत आवश्यक है। यह लाइन नितांत आवश्यक है। इससे बुद्ध–परिपथ को जाने वाली ट्रेनें भी चल सकती हैं और नेपाल से जो यात्री बसों से यहां आते हैं उनकी डिमांड को भी यह पूरा करेगी। हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण यह है कि वहां न सीमेंट, न कोयला पहुंच पाता है और इसमें पिलफ्रैज भी बहुत होता है। बस्ती से खाद भी ट्रकों द्वारा ढोयी जाती है। इसलिए इस लाइन को मीटरगेज से ब्रॉडगेज में शीघ्र बदला जाए जिससे हमारे इस क्षेत्र का विकास हो सके। गोरखपुर से हम सभी आते हैं। एक वैशाली ट्रेन है जिसमें जितने सीट पर यात्री होते हैं उतने ही ट्रेन के ऊपर होते हैं। वहां से 20–22 सांसद भी आते हैं लेकिन प्रथम–श्रेणी में आरक्षण नहीं मिलता है। एक बोगी में केवल 18 बर्थ होते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि गोरखपुर के लिए शुक्रवार को दिल्ली से जाने के लिए और इतवार को वहां से आने के लिए राजधानी एक्सप्रेस चला दी जाए जिससे यात्रियों को सहूलियत हो सके और जिन यात्रियों को वैशाली में जगह नहीं मिलती है उनको भी जगह मिल जाए। इसके लिए हम सांसदों ने एक प्रार्थना पत्र भी तैयार किया है।

बस्ती रेलवे स्टेशन पर जहां मैं उतरता हूं उसके मैन–प्लेटफार्म की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वह गाड़ी वहां लगाई जाए। उसके डिब्बे ज्यादा हैं, इसलिए उसको बढ़ाया जाए। वहां पर ओवरहैड–ब्रिज से जाना पड़ता है। बस्ती के स्टेशन पर वेटिंगरूम बंद पड़ा हुआ है और किसी भी वीआईपी यात्री को बैठने के लिए वहां जगह नहीं है। इन सब बातों पर विचार होना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

*श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र झाबुआ–रतलाम से गुजरने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लाइन जो कि मक्सी–दाहोद रेल लाइन के नाम से जानी जाती है, उसको बिछाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा पूर्व में सर्वेक्षण कराया गया था। तत्पश्चात रेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न वित्तीय वर्षों में छोटी–छोटी धनराशियों का आबंटन किया जाता रहा है। इस लाइन के निर्माण से झाबुआ एवं आसपास के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। रेल लाइन के निर्माण से मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात राज्य के आदिवासी जिलों के लोगों को रेल सुविधा प्राप्त होगी एवं इस क्षेत्र में विकास एवं रोजगार के साधन उपलब्ध होने से एक नया युग प्रारंभ होगा। दाहोद, इन्दौर और देवास–मक्सी लाइन पर कार्य चरणबद्ध आधार पर किया जा रहा है लेकिन कार्य को पूरा किए जाने हेतु समुचित धनराशि का पूर्व वर्षों के बजट में प्रावधान नहीं किए जाने से रेल मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा कि एक–दो वर्षों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा संभव नहीं हो पा रहा है। 1999–2000 के बजट में मात्र पांच करोड़ की धनराशि आबंटित किए जाने से सरकार की नीयत पर इस रेल लाइन को शीघ्र ही पूर्ण किए जाने हेतु शक पैदा हो रहा है। दाहोद, इंदौर और देवास–मक्सी लाइन पर कार्य चरणबद्ध आधार पर किए जाने का रेल मंत्रालय द्वारा बार–बार उल्लेख किया गया है लेकिन इस लाइन के बीच का हिस्सा जो कि इंदौर, धार, झाबुआ से होकर गुजरना है, के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस बीच के हिस्से पर मंत्रालय द्वारा रेल लाइन के निर्माण की कार्यवाही कब प्रारंभ की जाएगी। इस रेल लाइन की प्रत्याशित लागत (पिंक बुक 1998–1999 के अनुसार) 297.14 करोड़ थी। इतनी धीमी गति से इस रेल लाइन को पूरा करने से वर्तमान में इसकी अनुमानित लागत 597 करोड़ तक जा पहुंची है जो कि प्रस्तावित लागत से लगभग दोगुनी हो चुकी है। 1999–2000 के अंत तक अनुमानित खर्च मात्र 21.09 करोड़ ही है। बड़े आश्चर्य का विषय है कि वर्ष 2000–2001 के लिए मात्र 10 लाख रुपये का बजट प्रावधान इस रेल लाइन के लिए किया गया है जो कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। इतनी धीमी गति से इस रेल निर्माण कार्य से इसकी लागत कई गुना और बढ़ जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र झाबुआ–रतलाम का मेघनगर रेलवे स्टेशन, मुम्बई–दिल्ली लाइन के बीचोंबीच स्थित है। इस रेलवे स्टेशन पर मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के झाबुआ, बांसवाड़ा, पंचमहल जिलों से यात्री आते हैं एवं अपने गंतव्य स्थान की ओर आगमन/प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार इस स्टेशन पर यात्रियों की काफी भीड़ रहती है। जनजातीय बाहुल्य जिला झाबुआ में मेघनगर ही एकमात्र बड़ा स्टेशन है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफार्म वर्तमान में बना हुआ है, वह यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ओवरहैड शेड काफी छोटा होने के कारण यात्रियों को गर्मी, बरसात एवं ठंड के महीनों में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेघनगर रेलवे स्टेशन पर ओवरहैड

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री कांतिलाल भूरिया]

रोड का विस्तार अत्यंत आवश्यक है एवं पेयजल की गंभीर समस्या को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अतः इसके लिए भी समुचित व्यवस्था रेलवे स्टेशन पर की जानी अत्यंत आवश्यक है।

फैजाबाद से अहमदाबाद--साबरमती एक्सप्रेस थांदला रेलवे स्टेशन से 24.03 बजे एवं डाउन गाड़ी 02.02 बजे प्रस्थान करती है। इसे थांदला रोड रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए रोका जाना आवश्यक है। इस स्टेशन से पर्याप्त मात्रा में यात्री उपलब्ध है।

मेमू गाड़ी बड़ौदा से दाहोद जो कि 10.45 बजे बड़ौदा से प्रस्थान करती है एवं वापसी दाहोद से 16.10 बजे बड़ौदा के लिए प्रस्थान करती है इस गाड़ी को रतलाम तक बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है। मेमू गाड़ी जो कि वर्तमान में दाहोद से उज्जैन तक चलती है यदि इस गाड़ी को उज्जैन से भोपाल तक और बढ़ा दिया जाता है, जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र के यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए आवश्यक है।

गोरखपुर--बांद्रा अवध एक्सप्रेस 18.18 बजे एवं डाउन 08.28 बजे बामनिया रोड रेलवे स्टेशन से गुजरती है इन गाड़ियों को बामनिया रोड पर ठहराव देना आवश्यक है। इस स्टेशन से उपरोक्त गाड़ी के लिए पर्याप्त मात्रा में रेल यात्री उपलब्ध हैं।

इन्दौर से बांद्रा अवन्तिका सुपर फास्ट गाड़ी 20.41 बजे एवं डाउन गाड़ी 04.43 बजे थांदला रोड से गुजरती है इन गाड़ियों को थांदला रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने की आवश्यकता है। इस स्टेशन से बांद्रा तक एवं बीच के स्टेशन तक यात्रा करने वाले पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

इन्दौर जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है एवं जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है। वहां से वर्तमान में बांद्रा के लिए अवन्तिका सुपर फास्ट गाड़ी उपलब्ध है। इन्दौर से बांद्रा तक यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण एवं इस ट्रेन से पर्याप्त शायिकाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है एवं यह पाया गया है कि यह एकमात्र गाड़ी जो कि बांद्रा तक वर्तमान में उपलब्ध है प्रतीक्षा सूची के यात्रियों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। अतः इंदौर से बांद्रा तक यात्रा करने वाले शेष बच जाने वाले यात्रियों के लिए एक और गाड़ी चलाया जाना अति आवश्यक है। इंदौर बांद्रा के बीच में एक और एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाती है तो इंदौर के यात्रियों को सुविधा उपलब्ध अवश्य होगी एवं रेल मंत्रालय को भी अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी।

अमृतसर से मुम्बई फ्रंटियर मेल, मेघनगर रेलवे स्टेशन से 20.30 बजे एवं वापसी में लगभग 05.20 बजे गुजरती है। इसे मेघनगर रेलवे स्टेशन पर रोकना आवश्यक है इस ट्रेन के लिए मेघनगर रेलवे स्टेशन से पर्याप्त मात्रा में यात्री उपलब्ध हैं।

जम्मूतवी से मुम्बई सुपरफास्ट गाड़ी, जो मेघनगर 09.00 बजे एवं वापसी में 17.00 बजे पास होती है इसे मेघनगर रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने की आवश्यकता है इस गाड़ी में यात्रा करने हेतु पर्याप्त मात्रा में यात्री मेघनगर रेलवे स्टेशन से उपलब्ध हैं।

त्रिवेन्द्रम--नई दिल्ली एक्सप्रेस को रतलाम स्टेशन पर ठहराव देना क्योंकि वह स्टेशन नई दिल्ली--मुम्बई रेल मार्ग के बीच का एक प्रमुख स्टेशन है।

[अनुवाद]

प्रो. ए. के. प्रेमाजम (बडागरा) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। अनुदानों (रेलवे) की अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत करते हुए, माननीय मंत्री महोदया कुमारी ममता बनर्जी ने सुरक्षा उपायों पर जोर दिया है। चलिए, कभी नहीं से देर भली। रेल दुर्घटनाओं की वृहद् संख्या से बहुत पहले ही रेल अधिकारियों की आंखें खुल जानी चाहिए थीं। लेकिन मैं समझता हूं कि अमृतसर में बहुत से लोगों की जान लेने वाली रेल दुर्घटना की पृष्ठभूमि में मंत्री महोदया ने सुरक्षा उपायों पर अधिक बल देने के बारे में सोचा है। रेलवे समपारों पर चौकीदारों की नियुक्ति, सिग्नल प्रणाली का उन्नयन तथा भूमिगत पुल और उपरिपुल का निर्माण आदि कुछ ऐसे उपक्रम हैं जिन्हें सुरक्षोपायों के बारे में विचार करते समय ध्यान में रखना होगा।

लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां यह है कि बजटीय आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। जब तक वित्त विभाग रेल विभाग के समक्ष इस समस्या को समान महत्व नहीं देता तथा अधिक बजटीय सहायता नहीं देता तब तक मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदया की ऐसा करने की तीव्र इच्छा के बावजूद, वह कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए आश्वस्त नहीं हो सकता या सक्षम नहीं हो सकता। अतः इस मामले में माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित किया जाना चाहिए।

दूसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि उड़ीसा के माननीय सदस्य ने कुछ देर पहले हाल ही में गठित सड़क निधि के ब्यौरे का उल्लेख किया था। तत्पश्चात्

हमें यह पता चलेगा कि रेल विभाग जो परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण नेटवर्क है तथा जो बुनियादी ढांचे का आधार है, उसे वह महत्व नहीं प्रदान किया गया है जो उसे मिलना चाहिए था। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ यह है कि वरीयता गलत ढंग से तय की जाती है। जहां तक सड़क निधि का संबंध है, रेल विभगा को अधिक वरीयता प्रदान की जानी चाहिए थी।

रेलवे समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने तथा भूमिगत और उपरिपुलों के निर्माण के संबंध में मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा। मंत्री महोदया से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से इस उद्देश्य के लिए धन प्रदान करने के आशय वाले पत्र को प्राप्त होने के बाद मैंने एक अति महत्वपूर्ण स्टेशन तेल्लिचेरी में पैदल पार पुल के निर्माण के लिए मैं 30 लाख रुपये दे चुका हूं। एक ऐसी जगह जहां पर रेलवे लाइन के ऊंचा होने की वजह से लोगों को, महिलाओं और बच्चों को विशेषकर गर्भवती महिलाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन को पार करना पड़ता था। वहां पर एक भूमिगत पुल के निर्माण के लिए मैंने अपने कोष से 18 लाख रुपये दिए। इसके अतिरिक्त मैंने 14 लाख रुपये और दिए थे। लेकिन अब, दक्षिण रेलवे के रेल अधिकारियों और जिलाधीश, जिसे इसे कार्यान्वित करने के लिए नोडल संस्था माना जाता है, के बीच भारी पत्राचार हो रहा है। मैंने स्वयं मंत्री महोदया कुमारी ममता बनर्जी और योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री श्री अरूण शौरी जी को पत्र लिखा है जिसका उत्तर मुझे दो महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ है।

संभवतः कुमारी ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में कुछ अधिक व्यस्त रही होंगी। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। सभी की अपनी–अपनी राजनैतिक जिम्मेदारियां होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति छोटी या बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन कम–से–कम रेल मंत्रालय के अधिकारियों को इस पत्र–व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए था। मुझे कुमारी ममता बनर्जी जी से बहुत शीघ्र उत्तर मिलता था। लेकिन बहुत लंबे समय से कोई उत्तर नहीं मिला है। कोई भी जवाब नहीं आया है। अगर यही स्थिति है तो सुरक्षा उपायों के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? अगर इसी प्रकार से व्यवस्था की जा रही है तो रेलवे को कैसे चलाया जा सकता है? मैं यहां उपस्थित रेलवे बोर्ड के सदस्यों से आशा करता हूं कि वे इस अति महत्वपूर्ण विषय का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं इस उद्देश्य के लिए अपनी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को खर्च करने के लिए तैयार हूं।

दूसरी बात यह है कि चौकीदार रहित रेलवे समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने के लिए माननीय मंत्री महोदया द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि देने के सुझाव वाला हमें एक पत्र प्राप्त हुआ था। यह कहा गया है कि लगभग 10 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। जब मैंने दक्षिण रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखा तो मुझे यह जवाब मिला कि एक भूमिगत पुल बनाने के लिए 27 लाख रुपये की अनुमानित लागत आएगी।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : यह एक अतिमहत्वपूर्ण बात है।

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : मैं यह जानना चाहूंगा कि अनुमानित लागत में यह अंतर क्यों है। माननीय मंत्री महोदया ने 10 लाख रुपये का सुझाव दिया और रेलवे के अधिकारियों ने अनुमानित लागत 27 लाख रुपये बतायी।

इस संबंध में, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। दक्षिण रेलवे के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई मामले समाचार–पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं। मुझे अन्य रेलवे जोनों के संबंध में जानकारी नहीं है। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : आपको यह जवाब किसने दिया?

प्रो. ए. के. प्रेमाजम : मंडल रेल प्रबंधन से यह जवाब मिला।

कुमारी ममता बनर्जी : आप मुझे सिर्फ एक पत्र दे दें।

श्री कोडीकुनील सुरेश : हमें दक्षिण रेलवे के प्रबंधन से कई पत्र मिले हैं।

रात्रि 9.00 बजे

रेलवे हमारे द्वारा दी गई संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का इस प्रकार से ध्यान रखती है। हम शीघ्रातिशीघ्र कार्यों का निष्पादन चाहते हैं। रेलवे अधिकारी टांग अड़ा रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि कितनी जल्दी हम कार्यों को कर सकते हैं।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामलों का उल्लेख करूंगा। चोरोड में उपरिपुल का निर्माण दो दशक पुरानी समस्या है। रेल मंत्रालय में अधिकारियों पर दबाव डालने और उन्हें मनाने के बाद मैंने चोरोड उपरिपुल परियोजना के लिए मंजूरी प्राप्त की। राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। वर्ष 2000–2001 के बजट में रेलवे ने इस उपरिपुल परियोजना के कार्य के लिए 2.5 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। मैं रेलवे अधिकारियों से चाहूंगा कि वे इस पुल के रेलवे के हिस्से को

[श्री कोडीकुनील सुरेश]

जल्दी से जल्दी शुरू करें। राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा क्योंकि निविदा का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसके खुलते ही वे कार्य आरंभ कर देंगे।

महोदय, मुझे बताया गया है कि केरल के परिवहन मंत्री हाल ही में माननीया रेल मंत्री और माननीय रेल राज्य मंत्री दोनों ही से मिले थे। बडागरा स्टेशन में ढेर सी जमीन पड़ी हुई है। जहां तक बडागरा स्टेशन और उससे संबद्ध शेष क्षेत्रों के बीच दैनिक यात्रा का सवाल है, अनुरोध किया गया था कि यदि केरल सरकार को फिर से बस सेवा शुरू करने के लिए रेलवे द्वारा कुछ जमीन पट्टे पर दे दी जाती है तो निश्चय ही बडगरा स्टेशन की स्थिति में सुधार होगा।

महोदय, कोंकण निगम के संबंध में जब तक शोरनूर मंगलोर क्षेत्र में दोहरीकरण का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक इसका कोई उपयोग नहीं होगा। वस्तुतः जब माननीय राज्य मंत्री श्री ओ. राजगोपाल हाल ही में केरल आए थे, तो उन्होंने कहा था कि वर्ष 2003 तक हर हालत में यह काम पूरा कर लिया जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि क्यों इसमें इतना लम्बा समय लगेगा। कुछ विरोधाभासी रिपोर्ट आ रही हैं। मुझे नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत है जो भी हो हम चाहेंगे कि इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए। जहां तक केरल का संबंध है, जब तक इसे नहीं किया जाएगा तब तक कोंकण निगम की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। हमने इसमें धन और शक्ति का योगदान दिया है। हम चाहते हैं कि इसे जल्द–से–जल्द पूरा किया जाए।

महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक पुल का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर वे कैसे लाइनों का दोहरीकरण करा सकते हैं? इसे एक वर्ष पहले शुरू किया गया था और आज तक यह केवल 'फुट लेवल' तक ही बन पाया है। यह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।

फिर शोरनूर, मंगलोर क्षेत्र का विद्युतीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य केरल के साथ केंद्र सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जाता है। जहां तक मालाबार क्षेत्र का सवाल है वहां मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए शोरनूर–मंगलोर क्षेत्र का विद्युतीकरण आगामी बजट में कराया जाना चाहिए।

साथ ही, कॉमरेड ए. के. गोपालन के समय से ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ–साथ शेष मालाबार क्षेत्र की ओर से तेल्लिचेरी से मैसूर तक एक रेल लाइन बनाने की मांग उठती रही है। पर्यटन विकास की गतिविधियों के आलोक में, यह बहुत ही लाभप्रद लाइन होगी और मुझे बताया गया है कि सर्वे का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्रीगण इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखेंगे।

फिर मैं रेलगाड़ियों को बडागरा और कुइलाण्डि रेलवे स्टेशनों पर ठहराने की बात पर आता हूं। समाचार पत्रों में आया है कि माननीय राज्य मंत्री श्री ओ. राजगोपाल ने वचन दिया है कि राजकोट और अहमदाबाद रेलगाड़ियों के लिए बडगरा स्टेशन पर और करेल एक्सप्रेस की कुइलाण्डि स्टेशन पर ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप एक मल्याली होने के नाते हालांकि प्रतिनिधित्व तो आप मध्य प्रदेश का करते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे।

एक बात मैं रेलगाड़ियों में दिए जाने वाले खान–पान की गुणवत्ता के बारे में भी कहना चाहूंगा। आजकल इसकी गुणवत्ता बहुत ही घटिया किस्म की हो गई है।

एक बात और। वह यह है कि केरल जाने वाली रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों में दिए जाने वाले बिस्तर बहुत घटिया किस्म के है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि उन सभी बातों पर जिन्हें मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाया हूं, ध्यान दिया जाएगा। मैं वायदा करता हूं कि मुझे जो पत्र मंडल प्रबंधक से प्राप्त हुआ है उसकी कापी मैं माननीय मंत्री के पास भेज दूंगा।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से मैं यह बात नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार संसद द्वारा बजट को पारित कर दिए जाने के बाद अनुदानों की अनुपूरक मांगों को फिर संसद में क्यों लाएगी। हम लोगों ने तो अनुदानों की अनुपूरक मांगों को अगस्त में ही पारित कर दिया था और अब एक बार फिर हम दूसरे अनुदान मांगों पर बहस कर रहे हैं। कल हम लोगों ने अनुदान मांगों (सामान्य) पर चर्चा की थी और आज हम रेल संबंधी अनुदान मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। क्या इससे इस बात का पता चलता है कि इस विषय के संबंध में व्यापक विचारधारा नहीं है? मेरा तो मानना है कि कभी तो सरकार उदारीकरण और कभी सुधार कार्यक्रम के नाम पर शपथ लेती है और इनमें भरपूर सफलता हासिल करने का दावा करती है। लेकिन अब समय आ गया है कि कम से कम बजट तैयारी की विधि में बदलाव लाया जाय और यह सुनिश्चित किया जाए कि आप वर्ष में केवल एक बार ही मांग लाएं और संसद द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित मांगों के अनुसार व्यवस्था की जाए। जो भी हो, मैं इतना कहना चाहूंगा कि यह बात तो संतोषजनक ही है आज की अनुदान मांगें सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने से विशेषकर बिना चौकीदार वाले समपारों (लेवल

क्रॉसिंगों) पर चौकीदारों की नियुक्ति से संबंधित हैं। मंत्री जी ने हमारा ध्यान समस्या की गंभीरता की ओर आकृष्ट किया है। यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि देश में आज बिना चौकीदार वाले 24,313 समपार (लेवल क्रॉसिंग) हैं। वर्तमान मांगें बिना चौकीदार वाले ऐसे 185 समपारों से संबंधित हैं। मैं समझता हूं कि यदि हम इस मामले में मंथर गति से चले तो बिना चौकीदार वाले उन सभी समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने में शायद वर्ष भर का समय लग जाएगा। इसके साथ ही, मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं विशेषकर इस दिशा में कार्यवाही करने के लिए संबद्ध मंत्री की प्रशंसा करता हूं। फिर भी हम जितना करने की योजना बना रहे हैं उससे कहीं अधिक हमें करना होगा।

हमारी समस्या बिना चौकीदार वाले समपारों और वहां होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर है जिनके कारण भारी जान–माल की क्षति होती है। हालांकि देखा जाए तो चौकीदार वाले वे समपार घनी आबादी वाले नगरों में हैं और वे भी खतरों से मुक्त नहीं हैं। हालांकि ऐसे समपार या 'गेट' या फाटक पता नहीं इसे आप किन–किन नामों से पुकारते हैं—बीते जमाने के हैं और हम सबने देखा है कि जब फाटक या गेट बंद हो जाते हैं तो लोगों के लिए उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लोग रेलवे फाटकों के बंद होने की परवाह न करते हुए इन्हें पार करते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह भी आग्रह करूंगा कि इसे रोकने के लिए बहुत अधिक अनुसंधान या विकास की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस प्रकार के नए फाटक बनाए जाने की आवश्यकता है जिनमें इस बात की कोई गुंजाइश न हो कि लोग बंद फाटक को पार कर सकें।

रेलवे सुधार समिति ने 1982 में सिफारिश की थी कि रेलवे की परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य की 2.6 प्रतिशत राशि का मूल्यह्रास रिजर्व निधि के लिए विनियोग किया जाए, जो कि रेलवे की प्रतिस्थापन और नवीकरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होगा। रेलवे अभिसमय समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि तीन साल पहले शेष राशि 1,434 करोड़ रुपए थी जो इस समय घटकर बहुत कम हो गई है...*(व्यवधान)*। महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि मुझे बोलने दें।

महोदय, आज यह राशि घटकर 76.72 करोड़ रुपए की केवल थोड़ी सी धनराशि रह गई है, जबकि न्यायमूर्ति खन्ना समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस कार्य के लिए हमें 15,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें यह बताएं कि रेलवे की नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। मुझे इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सच है कि हाल में पंजाब में हुई दुर्घटना मूलतः खराब रेल लाइन के कारण हुई थी, जिसे बहुत पहले बदल दिया जाना चाहिए था लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण बदला नहीं गया। लेकिन हम लोगों के जीवन और राष्ट्रीय संपत्ति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि इसके बारे में हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं और इस संबंध में हमारी योजनाएं क्या हैं।

इतना कह चुकने के बाद मैं बहुत संक्षेप में एक–दो मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। यदि मेरी जानकारी गलत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि कुछ दिन पहले माननीय प्रधान मंत्री ने रेलवे में किसी प्रकार के निगमितीकरण का जिक्र किया था। मुझे नहीं मालूम इस संबंध में सरकार की योजनाएं क्या हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस संबंध में सरकार की नीति को उजागर करके इस सभा को विश्वास में लें और यह भी बताएं कि इस संबंध में सरकार के विचार क्या हैं क्योंकि रेलवे ऐसी आवश्यक और महत्वपूर्ण वस्तुओं का वाहक है जिन्हें देश के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

हम उर्वरकों का निर्यात करते हैं जिन्हें संपूर्ण देश में वितरित किया जाना होता है। खाद्यान्नों का उत्पादन उत्तर भारत में होता है और उन्हें देश के सभी भागों में पहुंचाए जाने की आवश्यकता होती है। वहीं से कोयला आता है जिससे ताप संयंत्र चलाए जाते हैं...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मेरे विचार से मैंने बहुत अधिक समय नहीं लिया है। बहरहाल, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। लेकिन मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ ऐसे मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं जिनके लिए मैं यहां काफी देर से इंतजार कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं।

चंडीगढ़ एक आधुनिक शहर है, जैसा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, यह पुनरुज्जीवित आधुनिक भारत का प्रतीक है। यह शहर दो राज्यों की राजधानी और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यालय भी है। लेकिन चंडीगढ़ के लिए समुचित रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। इतने महत्वपूर्ण शहर को देश के सभी हिस्सों से अच्छी प्रकार जुड़ा होना चाहिए। हमें बार–बार यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि चंडीगढ़ से लुधियाना के बीच रेल संपर्क शीघ्र वास्तविकता में बदला जाएगा। लेकिन, शायद इस प्रकार के वादे और आश्वासन केवल छलावा थे...*(व्यवधान)*

[श्री पवन कुमार बंसल]

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट का समय दें और बाकी स्पीच टेबल पर ले करा दें।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मेरा विचार है कि भाषणों को पटल पर रखे जाने की मांग सत्ता पक्ष द्वारा नहीं उठाई जानी चाहिए। हमें यहां सभा में इस प्रकार की परिपाटी शुरू नहीं करनी चाहिए। अनेक अवसरों पर हमने रात–रात भर बैठकर ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है।

मेरा विचार है कि रेलवे आजकल कोई सामाजिक सेवा नहीं है। यह एक आवश्यकता है। आपको सामान लाने–ले जाने और यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है और परिवहन का यह साधन परिवहन के दूसरे साधनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में होना चाहिए। लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में एक और 'हिमालयन क्वीन' शीघ्र चलाए जाने की महती आवश्यकता है। अभी केवल एक गाड़ी है जो सुबह दिल्ली से चलती है, और आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक और गाड़ी चलाई जाए जो सुबह चंडीगढ़ से शुरू होकर यहां दिल्ली पहुंचे। यह कहना कि चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ है काफी नहीं है क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस समाज के एक भिन्न वर्ग, लोगों की एक भिन्न कोटि के लोगों के लिए है। आम आदमी के लिए, जिसके हितों की रक्षा करने का दावा सरकार करती है, लोगों के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली और रास्ते में पड़ने वाले स्थानों तक पहुंचने के लिए केवल एक हिमालयन क्वीन या जनता रेलगाड़ी की व्यवस्था करनी होगी।

चंडीगढ़ को दक्षिण से जोड़ने की भी आवश्यकता है। आप हजरत निजामुद्दीन तक साप्ताहिक रेलगाड़ी चला ही रहे हैं जिसे आगे चंडीगढ़ तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन का उन्नयन किया जा रहा है और मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह सप्लीमेंट्री डिमांड पर डिसकशन हो रहा है। रेल बजट पर रात भर बैठक चलती है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, वहां टर्मिनल सुविधाएं मिलने वाली हैं और वाशिंग लाइन इत्यादि पर वहां कार्य जारी है। अतः यह लोगों की चिर–प्रतीक्षित आवश्यकता है। चंडीगढ़ में दक्षिण, विशेषकर केरल और तमिलनाडु से बड़ी संख्या में लोग और सैन्य कार्मिक यहां रह रहे हैं। वे लोग कभी–कभी अपने घर आना चाहते हैं पर उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अम्बाला से चंडीगढ़ तक कुछ रेलगाड़ियों का विस्तार करने का आग्रह करूंगा जैसा कि पश्चिम एक्सप्रेस के मामले में किया गया है।

फिर, कुछ सवारी डिब्बों को जोड़ा और हटाया जा सकता है और उन्हें दूसरी रेलगाड़ियों में लगाया जा सकता है जिससे कि चंडीगढ़, कालका और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें और इन स्थानों पर आ सकें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : समय इजाजत नहीं देता इसलिए अब आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय पहले रेलवे द्वारा चंडीगढ़ को सुविधाएं न प्रदान करने हेतु बताए गए कारणों में से एक यह था कि चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन में इन सभी सुविधाओं की कमी है। मैंने उल्लेख किया है कि उन्हें उपलब्ध कराया गया है और इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है कि दक्षिण के लिए रेलगाड़ियां नहीं चलाई जानी चाहिए। चंडीगढ़ से हरिद्वार और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी रेलगाड़ी चलाए जाने की मांग बड़े लंबे समय से लंबित है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन ट्रेनों को क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए। आपको उन ट्रेनों को अलग से चंडीगढ़ नहीं लाना है। इसे मात्र अम्बाला से चंडीगढ़ और कालका ही ले जाना है।

मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी से इन पहलुओं पर गौर करने और प्रस्ताव लाने का आग्रह करूंगा। साथ ही, अन्त में मैं उनसे मेरे कुछ प्रश्नों पर ध्यान देने, गौर करने और उनका उत्तर देने का अनुरोध करूंगा। धन्यवाद...*(व्यवधान)*

महोदय, मुझे वहां बैठी हुई माननीय महिला सदस्य से एक बात कहने दें। मेरे मन में उनके लिए पूरा सम्मान है। यदि वो मुझे इसी प्रकार बाधित करती रहेंगी तो वे भी बोल नहीं सकेंगी। यदि उन्हें अवसर मिलता है और मैं उस समय यहां बैठा रहूं

तो अत्यंत सम्मान से कह रहा हूं कि वे बोल नहीं सकेंगी। उन्हें जानना चाहिए कि सत्तापक्ष के सदस्यों को समंजनशील होना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि दूसरों को भी बोलने का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय सभापति जी, रेल मंत्री जी द्वारा रेलवे पर केंद्र सरकार के खर्च के लिए अनुदान की जो पूरक मांगें पेश की गई हैं, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आप जान लीजिए कि अब आप भी नहीं बोल पाएंगी।...*(व्यवधान)* मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं सबकी इज्जत करता हूं लेकिन जब बार-बार यह ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : सभापति जी हमने केवल यह रिक्वैस्ट की थी लेकिन यह इस तरह से हमारी बेइज्जती कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह कह रहे हैं कि मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आप बार-बार डिस्टर्ब कर रहे थे इसलिए अब अगर आप बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री जयश्री बैनर्जी : सभापति जी, हमने केवल यह बोला था कि जरा जल्दी करिए। इसके अलावा हमने क्या बोला है? ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : आप भी बोल नहीं पाएंगे।...*(व्यवधान)* क्या मैं आपके खिलाफ बोल रहा था, जो आप इस तरह से बोल रहे थे।...*(व्यवधान)* आपको क्या हो रहा था जो आप इस तरह से बीच में चिल्ला रहे थे।...*(व्यवधान)*

श्रीमती जयश्री बैनर्जी : हमने सभापति महोदय को बोला था।...*(व्यवधान)* आपको कुछ नहीं बोला था। आप किस तरह से चिल्लाकर बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : सभापति जी, कुमारी ममता बनर्जी जी एक डायनेमिक मिनिस्टर हैं और इनसे बहुत आशाएं हैं।...*(व्यवधान)* हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह जल्द से जल्द बंगाल की मुख्यमंत्री हो जाएं।

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : सभापति जी, मेरा निवेदन है कि जो हमारी लेडी मैम्बर हाउस में बैठी हैं, पहले उनको बुलवा दिया जाए तो सुविधाजनक होगा।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : आप पहले हमें सुनिए। हमारे लीडर को बाद में सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : सभापति जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि आपकी रेल मंत्री भी तो महिला हैं और उनको तो लास्ट तक बैठना पड़ेगा। क्या वह भी चली जाएंगी? उनके साथ बैठने के लिए हम महिलाएं बैठी हैं...*(व्यवधान)* उनका साथ देने के लिए हम महिलाएं बैठी हैं।...*(व्यवधान)* हम उनको छोड़कर नहीं जाएंगी।...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सभापति जी, मुझे खुशी होगी यदि ममता बनर्जी जी जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल की मुखिया बनें और मुखिया बनकर वहां के लोगों को राहत पहुंचाएं। लेकिन मेरा कहना है कि बिहार और पश्चिम बंगाल का बहुत पुराना रिश्ता है। पहले बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों एक ही राज्य थे। एक जगह से हम अलग हुए हैं लेकिन बिहार को मारकर यदि आप बंगाल को बनाने की बात कहें तो इससे बिहार के लोगों को निराशा का सामना करना पड़ेगा। चूंकि पूर्व में श्री राम विलास पासववान जी रेल मंत्री रहे हों या नीतीश कुमार जी, रेलवे की जो योजनाएं बिहार में स्वीकृत हुईं और उस पर जो धनराशि दी जा रही है, वह बहुत मंथर गति से दी जा रही है। विभिन्न स्वीकृत योजनाओं के लिए बहुत ही कम पैसा दिया जा रहा है चाहे वह रेल की नयी लाइन हो, आमान परिवर्तन हो, दोहरीकरण हो, बिजलीकरण हो, रेल पुल हो या ओवरब्रिज बनाने की बात हो। आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अगर इसी रफ्तार से पैसा मिलता रहा तो सौ वर्षों में भी यह योजना पूरी होगी या नहीं, बिहार के लोगों को यह आश्चर्य है। इसलिए हम निवेदनपूर्वक कहना चाहेंगे कि बिहार एक पिछड़ा इलाका है। जब झारखंड राज्य का बंटवारा हो गया तो बिहार और भी अधिक गरीब हो गया। 70 प्रतिशत आबादी हमारे हिस्से में आ गई जबकि आमदनी 30 प्रतिशत रह गई। हमारे यहां 90 लाख हैक्टेयर टोटल जमीन है जिसमें से 68 लाख हैक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित रहती है। अगर ऐसे इलाके में रेल की संभावनाओं से इंकार किया गया, अगर समय सीमा में पैसे की आपूर्ति नहीं की गई तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। हमारे यहां कप्तानगंज-थावे-छपरा की रेल लाइन के बारे में प्रस्ताव बहुत दिनों से रेल मंत्रालय और योजना आयोग के बीच ट्रैवल कर रहा है। आप जानते हैं, आप भी उस इलाके से आते हैं। सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर रेल लाइन स्वीकृत हुई। आज तक वह जिस मंथर गति से चल रही है, हम नहीं जानते कि अपने जीवन में हम रेल से उस इलाके से गुजरेंगे। बिहार की अनेकों योजनाएं लंबित हैं। आप अच्छी

[श्री रघुनाथ झा]

तरह जानते हैं कि गंगा ब्रिज का शिलान्यास तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री देवगौडा ने किया। हमें बताया गया कि पुल का शिलान्यास हुआ, सर्वे का शिलान्यास हुआ, उसके बाद पांच वर्षों में अभी तक उस पुल की फाइनल रूपरेखा तैयार नहीं हुई। हमारे यहां मोकामा में एक ही पुल है—गंगा को इस पार से उस पार बांटने वाला, रेल कम रोड ब्रिज है। दूसरा पटना में रोड ब्रिज है। मुंगेर के लिए रोड ब्रिज और रेल ब्रिज स्वीकृत है। उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि चिरैया टाल में फोर लेन ओवर ब्रिज बनाना स्वीकृत हुआ। उसके लिए भी पैसा नहीं मिल रहा है। हम पढ़कर बताना चाहते हैं। फतुहा—इस्लामपुर, राजगीर—हिसुआ—तिलैया (राजगीर को गया से जोड़ने के लिए), आरा—सासाराम, राजगीर—इस्लामपुर, दनियावां—बिहारशरीफ—शेखुपुरा, खगौल—पुनपुन—दिनयावां (पटना बाईपास), मंदारहिल—रामपुरहाट वाया दुमका, देवघर—सुल्तानगंज, पटना—गंगा रेल पुल, मुंगेर—गंगा पर रेल कम रोड पुल, शगड़िया—कुशेश्वरस्थान, दरौंदा—महाराजगंज, सकरी—हसनपुर—बरौनी, मुजफ्फरपुर—मीनापुर—शिवहर—पिपराढ़ी—बेलवाघाट—ढाका—मोतिहारी, बगहा—छितौनी, सीता—मढ़ी—सोनबरसा—भीठामोड़—जयनगर, हाजीपुर—सुगौली वाया वैशाली, डेहरी से गढ़वा, सासाराम से भभुआ वाया चुनार, सुपौल—त्रिवेणीगंज—जडिया—भरगामा—रानीगंज—अररिया, नई रेल लाइन है और पैसा किसी के लिए पांच लाख रुपये, किसी के लिए दो लाख रुपये और किसी के लिए दस लाख रुपये, इससे कब तक वह काम पूरा होगा। उसी तरह आमान परिवर्तन के लिए जय नगर—दरभंगा सीतामढ़ी होते हुए नरकटियागंज, मिट्टी भराई हो रही है। जय नगर से दरभंगा, चारों तरफ मिट्टी लिंक है। नरकटियागंज, दरभंगा से बड़ी लाइन हो गई। दरभंगा से लेकर नरकटियागंज के बीच उस इलाके के लोगों ने क्या कसूर किया है। उस इलाके के लोग खेती करते हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं। जब हमारे इलाके में परमल पांच रुपये किलो मिलता है उस समय पटना में वह पंद्रह रुपये किलो मिलता है, दिल्ली में पच्चीस रुपये किलो मिलता है। अगर आप बड़ी रेल लाइन बना देंगे तो हमारे लोगों को सीधे दिल्ली की मार्किट तक उसे लाने के लिए सुविधा होगी। वे दूसरे बाजारों में भी जा सकते हैं। गोरखपुर होकर इसको करना चाहिए, लेकिन वह काम नहीं होता है। हम पांच मिनट में खत्म कर देंगे।

सभापति महोदय : एक मिनट में खत्म कर दें।

श्री रघुनाथ झा : इसी तरह से आमान परिवर्तन में जयनगर—दरभंगा—नरकटियागंज, मानसी—सहरसा—फारबिसगंज, कप्तानगंज—थावे—सिवान—छपरा, कटिहार—जोगबनी (साथ में कटिहार—राधिकापुर), मानसी—समस्तीपुर, दरभंगा निर्मली, झंझारपुर—लोकहा लाइनें लेनी चाहिए।

दोहरी लाइन में सोननगर—मुगलसराय (तीसरी लाइन), पटना—परसा बाजार (पटना गया फेज—वन), परसा बाजार, पुनपुन (पटना गया फेज दो), पुनपुन तरेंगना (पटना गया फेज तीन) तरेंगना गया (पटना गया फेज चार), साहिबगंज नया फरक्का मालदा, छपरा हाजीपुर, कर्पूरीग्राम सिहो, किशनगंज दलकोल्हा, किऊल गया, किऊल कजरा, बरौनी कटिहार, किऊल बडहरवा वाया भागलपुर, मुजफ्फरपुर से गोरखपुर, दरभंगा से नरकटियागंज को लिया जाए।

अंत में हम रेलवे ओवरब्रिज के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे। पटना बाईपास पर दीदारगंज में रेल ओवर पुल का निर्माण, फतुहा में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण, महेशखुट और मानसी के बीच चुक्ती के पास रेल ओवर पुल का निर्माण, भागलपुर रेलवे स्टेशन के पूरब रेल ओवर पुल का निर्माण, पटना में चिरैया टांड रेल पुल का पुनर्निर्माण एवं चौड़ाकरण, पटना गया सैक्शन पर मीठापुर में रेल ओवर पुल का निर्माण, हाजीपुर के पास रेल ओवर पुल का निर्माण, मोतिहारी में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर रेल ओवर पुल का निर्माण, वहां इसके लिए दोनों तरफ के पाए खड़े हैं, सिर्फ ऊपर कवर करना है सहरसा पंचगठिया में रेल ओवर पुल का निर्माण, किशनगंज में रेल ओवर पुल का निर्माण, करौटा के पास रेल अंडर पुल का निर्माण करना चाहिए।

मुझे बहुत—सी बातें कहनी थीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम सब छोड़े दे रहे हैं। लेकिन ममता बहन से, माननीय रेल मंत्री जी से हमारा प्रार्थनापूर्वक आग्रह है कि बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं हो, बिहार को न्याय मिले। हम लोग भी वहां से रिप्रेजेण्टेटिव हैं, जहां से ये आते हैं। छपरा से आकर नई राजधानी एक्सप्रेस गोरखपुर होकर चली जाती है। हम चाहते हैं कि एक राजधानी एक्सप्रेस गोरखपुर होकर राजधानी के लिए आए। वह गोहाटी से लेकर दिल्ली तक वाया गोरखपुर छोड़े, इस पर आप विचार करिएगा, यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

***श्री रानेन बर्मन (बालूरघाट)** : अध्यक्ष महोदय, मैं बंगला में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, ये ठीक है।

श्री रानेन बर्मन : महोदय, मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, हम जानते हैं कि किसी भी सभ्यता

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

का विकास रेलवे के विकास पर निर्भर करता है। साकल्यवादी राष्ट्रीय विकास के मद्देनजर, रेलवे हेतु बजटीय आबंटन पर्याप्त से भी काफी कम है। सचमुच यह खेदजनक है। हम जानते हैं कि सरकार और मंत्रालय--दोनों ही रेलवे के समग्र विकास के लिए समुचित धन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, 85 प्रतिशत रेल पटरी ब्रिटिश शासन के दौरान बिछाई गई थी। केवल 15 प्रतिशत रेल पटरी ही स्वतंत्रता के 50 वर्षों के बाद पूरी की गई है। यह बड़ा ही शर्मनाक है कि रेलवे संपर्क एवं यातायात का विकास करने हेतु पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र का विकास रेल संपर्क और यातायात के माध्यम पर निर्भर करता है। यह शर्मनाक है कि स्वतंत्रता के 52 वर्षों के बाद भी भारत के कई क्षेत्रों में रेल लाइनों के माध्यम से रेल संपर्क नहीं है। मैं दक्षिणी दिनाजपुर के बालूरघाट से आया हूं और मेरा क्षेत्र मुख्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य है।

सरकार की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के उन्नयन के लिए कई योजनाएं और परियोजनाएं हैं। परंतु मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर है और कथनी और करनी में यह अंतर हमेशा रहा है।

महोदय, आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि स्वतंत्रता के 52 वर्षों के बाद भी मेरे क्षेत्र में एक मीटर लंबी रेल पटरी तक नहीं है। वहां की जनता काफी लंबे समय से रेल संपर्क के लिए प्रदर्शन करती रही है। वर्ष 1984 में एकलाखी बलूरघाट परियोजना पूरी की गई थी। बिछाई जाने वाली रेल पटरी की लंबाई मात्र 90 किलोमीटर है।

वर्ष 1984 में 90 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। लेकिन रेल मंत्रालय 16 वर्ष बाद भी 90 कि. मी. लंबी रेल लाइन को नहीं बिछा सका है। यह वस्तुतः निंदनीय है।

जब श्री राम विलास पासवान जी रेल मंत्री थे तब 10 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई थी। श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के दौरान 20 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई। अब हमारी माननीय रेल मंत्री ममता बनर्जी ने 50 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। लेकिन 90 कि. मी. लंबी इस लाइन को बिछाने का कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ है। अतः महोदय, मेरा सरकार से यह निवेदन है कि यदि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों का विकास करने के प्रति सचमुच गंभीर हैं तो एकलाखी बालूरघाट की 90 कि. मी. लंबी रेल लाइन को बिछाने की लंबे अर्से की मांग को अगले वर्ष तक अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिए। लंबे समय से लंबित इस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई जानी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान राधिकापुर में हैंगिंग ब्रिज को ठीक करने की तत्काल आवश्यकता की ओर भी दिलाना चाहूंगा ताकि स्थानीय लोग इसका उपयोग कर सकें। इससे इस क्षेत्र के लोगों को सहायता मिलेगी। उत्तरी और दक्षिण दीनाजपुर के लोगों को इन स्थानों पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध न होने की वजह से चेन्नई जैसे दूरस्थ स्थानों तक जाना पड़ता है। लेकिन कई बार वे चिकित्सा के लिए वहां नहीं भी जा पाते क्योंकि उन्हें रेल टिकट ही नहीं मिल पाता। इसलिए मेरी यह मांग है कि रेलवे की ओर से चिकित्सा के लिए यात्रा करने वाले लोगों के लिए कुछ कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि वे सरलता से दूसरे स्थानों पर जा सकें। यदि इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और यह मांग पूरी की जाए, तो दीनाजपुर के दोनों जिलों के लोग लाभान्वित होंगे।

रेल बजट पर चर्चा करते समय हम यात्रियों के लिए सुरक्षा उपायों के महत्व को नहीं भूल सकते। रेल दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। हमारे मंत्री जी हमारे क्षेत्र की एकमात्र रेलगाड़ी गौड़ एक्सप्रेस में दिनांक 12 दिसंबर, 2000 को सियालदाह से मालदा जाते समय हुई खतरनाक डकैती से परिचित हैं। इस रेलगाड़ी में प्रायः ऐसी डकैतियां होती रहती हैं। अतः इन डकैतियों पर काबू पाने के लिए प्रभावी कदम अवश्य ही उठाए जाने चाहिए।

फरक्का एक्सप्रेस में खान-पान यान नहीं है। यदि फरक्का एक्सप्रेस में खान-पान यान जोड़ दिया जाए तो यात्री लाभान्वित होंगे। गौड़ एक्सप्रेस के विलंब से चलने की बात भी मैं अवश्य बताना चाहूंगा। इस क्षेत्र की इस एकमात्र रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले लोगों को इस गाड़ी के देरी से चलने की वजह से बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी अधिकारियों से यह प्रार्थना है कि वे इस मामले की जांच करें और कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि यह रेलगाड़ी विलंब से न चले।

इन मांगों के साथ और पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : सभापति जी, ममता जी ने रेलवे की अनुपूरक मांग के लिए जो अपना प्रस्ताव रखा है

[श्री छत्रपाल सिंह]

और वह भी ऐसे विषय पर जो सुरक्षा से संबंधित है क्योंकि पिछले दिनों की दुर्घटनाओं को देखते हुए मंत्री जी ने सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है और आज रेलवे में सुरक्षा के पहलू पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये दुर्घटनाएं रेलवे में उचित रखरखाव न होने के कारण हो रही हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि पुरानी लाइनों को बदलकर नयी लाइनें बिछायी जाएं जिससे दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

मैं सफाई के मुद्दे पर माननीय मंत्री जी का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे में सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है और विशेष तौर से रेलवे स्टेशनों पर सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। यहां से कानपुर जाएं तो कानपुर स्टेशन पर यदि ट्रेन दो या पांच मिनट भी खड़ी हो जाती है तो वहां इतनी बदबू आती है कि डिब्बे में रुकना मुश्किल हो जाता है। ऐसे कितने ही स्टेशन हैं जहां पर सफाई की व्यवस्था बहुत खराब है।

पीने के पानी की व्यवस्था में भी सुधार किया जाना चाहिए। जिन रेलवे स्टेशन पर साधारण पैसेंजर के लिए पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है, उस टंकी की सफाई साल में दो बार की जानी चाहिए। जो बड़े लोग हैं, वे बिसलरी का पानी पीते हैं। इस देश की यह विडंबना है कि यहां दूध सस्ता है और पानी महंगा है।

दिल्ली और लखनऊ के बीच में केवल एक एक्सप्रेस गाड़ी उपलब्ध है। दिल्ली से जाने में भी वह नौ घंटे लेती है। इस मार्ग का दोहरीकरण शीघ्र किया जाए और इसके साथ-साथ विद्युतीकरण भी किया जाए। एक तरीके से यह वीआईपी ट्रेन कहलाती है। दिल्ली और लखनऊ के बीच में चलने वाली ट्रेन का समय घटाया जा सकता है और कुछ गाड़ियां बरेली के लिए हैं। कभी भी आप जाएं तो चाहे लखनऊ से बैठिए या दिल्ली से बैठिए, रात को दो बजे के आसपास आपको जरूर उतरना पड़ेगा। ऐसी कोई गाड़ी जरूर की जाए जिससे आदमी या तो सुबह पहुंचे या शाम को पहुंचे। आज पचास साल बाद भी उत्तर प्रदेश में बहुत से स्थान बाकी हैं जो सीधे रेलवे सेवाओं से न तो लखनऊ से और न ही दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बुलंदशहर, बिजनौर, नैनीताल, फरुखाबाद, ऐटा ऐसे कितने ही जिला मुख्यालय हैं जो सीधे रेलवे सेवाओं से नहीं हुड़े हुए हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि वह क्षेत्र यहां से केवल 70 कि.मी. दूर है। हम न दिल्ली से सीधा जुड़े हैं और न लखनऊ से जुड़े हैं। अगर दिल्ली से बुलंदशहर जाना होगा तो रेलवे से जाने में 6 घंटे लगते हैं और बस या कार से जाओ तो डेढ़ या दो घंटे लगेंगे। लखनऊ से भी कहीं नहीं जोड़ा गया। पहले संगम एक्सप्रेस में कुछ डिब्बे लगा करते थे, वे काट दिए गए। मेरा सुझाव है कि वहां पैसेंजर ट्रेन चलती थी। वहां मेरठ से डिब्बे लाकर फरुखाबाद में जोड़ दिए जाएं तो बुलंदशहर को लखनऊ से, फरुखाबाद मालदा से जोड़ा जा सकता है। लौटते हुए वही ट्रेन खुर्जा जंक्शन पर उन डिब्बों को छोड़ दे और पैसेंजर ट्रेन में वहीं डिब्बे मेरठ चले जाएं। यह आसानी से डिब्बे लगाए जा सकते हैं। दिल्ली से शटल चलती थी। पहले हापुड़ होते हुए खुर्जा जंक्शन पर जाती थी। बहुत दिन तक यह चली। विभाग ने वह भी बंद कर दी। सुविधा बढ़ाने के स्थान पर सुविधाएं घटाई जा रही हैं। मैं चार बार सांसद रह चुका हूं। मैं देख रहा हूं कि पिछले 20-25 सालों से बुलंदशहर जंक्शन या उसके आसपास के किसी जनपद पर रेलवे विभाग के द्वारा कोई भी विकास का कार्य नहीं किया गया। मैं निवेदन करूंगा कि एक शटल ट्रेन वहां जरूर दी जाए। इस संबंध में पासवान जी के जमाने में मांग की गई थी और मैं पुनः मांग करता हूं कि इस शटल ट्रेन से बुलंदशहर को जोड़ दिया जाएगा तो इससे दूरी घट जाएगी और हम मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएंगे। जब पासवान जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक करोड़ रुपया सर्वेक्षण के लिए दिया था। 42 करोड़ रुपये का आकलन पत्र आ गया है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में ज्यादा नहीं तो 20 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दें, तो यह योजना शुरू हो जाएगी। यह लाइन सिर्फ 16.3 किलोमीटर की है। मुझे आशा है, मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगी।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। दिल्ली की जनता भीड़ से परेशान है और पर्यावरण से परेशान है। जब तक राष्ट्रीय राजधानी को उपनगरों से रेले सुविधा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक न दिल्ली में पर्यावरण की समस्या हल होगी, न सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी। वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली को 100 किलोमीटर की दूरी तक उपनगरों से जोड़ने का काम करें। मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री जी मेरे निवेदनों पर जरूर ध्यान देंगी।

*श्री किशन लाल दिलेर (हाथरस) : महोदय, वर्ष 2000-2001 के रेल बजट की अनुपरक मांगों की चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। दिनांक 11.06.98 के मेरे प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उत्तर दिया था जिसमें कहा गया था कि 1996 में हाथरस जंक्शन पर समपार संख्या 95 के स्थान

*सभा-पटल पर रखा गया।

पर उपरि सड़क पुल की स्वीकृति हो गई है और उसके निर्माण हेतु निविदाएं खोलने का आदेश भी कर दिया है। हम शीघ्र ही उक्त पुल का निर्माण कार्य शुरू कराएंगे तथा इसके लिए हमने इसका बजट भी स्वीकृत कर लिया है। परंतु इसके बाद आप रेल मंत्री के पद पर सुशोभित हुईं। हमने जब इस बारे में आपको पत्र लिखकर याद कराया तो आपने उत्तर दिया कि इस संबंध में 8 करोड़ 50 लाख रुपये स्वीकृत हैं और केंद्र से बजट भी अवमुक्त कर दिया है परंतु राज्य सरकार ने प्रदेश को हिस्सा नहीं दिया है। इस संबंध में हमने राज्य सरकार को लिखा है कि वह हिस्सा दे।

महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर पाकर मैंने राज्य सरकार को लिखा। माननीय लोक निर्माण मंत्री, प्रदेश सरकार को भी पत्र लिखा। उन्होंने उत्तर दिया कि प्रदेश का हिस्सा देकर इस पुल का जल्द निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। कुछ दिन बाद प्रदेश सरकार का हिस्सा भी स्वीकृत हो गया था। जब दोनों जगह से बजट अवमुक्त हो गया तो अब तक उस काम में देर क्यों की जा रही है?

मैं आपके माध्यम से कुमारी ममता बनर्जी, रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि जनता उस पुल के बगैर बहुत परेशान है क्योंकि उन मार्गों से बरेली, मुरादाबाद, कासगंज, सिकन्दाराऊ से आगरा, खुर्जा, बुलन्दशहर, अलीगढ़ से वाहन चलते हैं जो जंक्शन के फाटक पर घंटों खड़े रहते हैं। आप राज्य सरकार को आदेशित करके उक्त पुल का निर्माण शीघ्र से शीघ्र कराएं। जैसा आपका नाम है वैसे ही तेजी से आप काम करें तो हम आपके आभारी रहेंगे।

महोदय, हाथरस सिटी से हाथरस जंक्शन काफी दूर है। हाथरस सिटी में रेलवे स्टेशन भी है तथा वहां व्यापारियों की मशहूर मंडी है। व्यापारियों तथा यात्रियों को बिना रेल सुविधाओं के परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां एक–दो रेल दिल्ली से मथुरा हाथरस होते हुए बरेली जाती हैं। मुरादाबाद भी आती–जाती हैं। जनता की मांग वर्षों से रही है कि एक ई.एम.यू. जो दिल्ली से चलकर रात अलीगढ़ पहुंचकर खड़ी हो जाती है, उसको हाथरस सिटी में खड़ा किया जाए और सुबह हाथरस से चलकर अलीगढ़ होते हुए दिल्ली को जाए तो उस इलाके की जनता को बहुत राहत मिल सकती है।

मान्यवर, बरौनी एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर अलीगढ़ जाती है और अलीगढ़ जंक्शन से टूंडला पर खड़ी हो जाती है। अगर वह गाड़ी अलीगढ़ से चलकर हाथरस खड़ी हो तो जनता को राहत मिलेगी। बरौनी एक्सप्रेस का स्टापेज हाथरस जंक्शन पर करने का आदेश करें जिससे जनता का हित होगा।

*श्रीमती जयवहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : महोदय, रेलवे की अनुदानों की पूरक मांगों का अनुमोदन करते हुए माननीया ममता जी को रेलवे को सुचारु रूप से चलाने, उसमें सुधार, सुरक्षा प्रबंधों पर अतिरिक्त ध्यान देकर जिस तरह से वे अपना कार्य भार संभालती हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं।

रेल दुर्घटनाओं के अन्यान्य कारणों में से एक मुख्य कारण चौकीदार रहित समपार–देश भर में ऐसे 185 समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था करने का अत्यावश्यक निर्णय लेने और उस पर कार्यान्वयन करने पर मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं, इसके परिणामस्वरूप कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा।

मैं एक क्षेत्रीय मांग पर ममता जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मेरे संसदीय क्षेत्र बड़ौदा में पिछले 12 वर्षों से यह मांग चली आ रही है। सियाजी नगरी एक्सप्रेस बड़ौदा से एकमात्र गाड़ी है, जो कामकाजी लोगों के लिए समय पर चलती है और कामकाजी लोगों को बड़ौदा से मुम्बई समय पर पहुंचाती है। इसे गांधीधाम तक एक्सटेंड करने का निर्णय आपके मंत्रालय ने लिया है। यह बड़ौदावासियों के लिए एक आघात पहुंचाने वाला निर्णय साबित हुआ है। सियाजीनगर से वडोदरा के नगरजनों की संवेदना जुड़ी हुई है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना तथा मांग है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सियाजीनगरी, यानी सियाजीनगर बड़ौदा के लोगों को पुनः सौंपी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुदानों की पूरक मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

**श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्रालय के वर्ष 2000–2001 की अनुपूरक मांगों के संबंध में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, रेलवे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीछे बैठने वाले सदस्यों को प्रायः बोलने का अवसर नहीं मिलता। आज आपने मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की है। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

---

*सभा–पटल पर रखा गया।

**मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा]

भारतीय रेलवे का अपना एक सदी पुराना इतिहास है। राजा–महाराजाओं के शासन काल के दौरान भी रेल विभाग को बहुत महत्व प्रदान किया गया था क्योंकि हमारे देश की प्रगति में यह अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन दिनों इसका प्रशासन के कार्य और कार्यकुशलता में काफी गिरावट आई है। यह घाटे में चल रहा है और इससे लोगों को भी अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस कारण अक्षम अधिकारियों का होना और उनमें अपने काम के प्रति रुचि का न होना है। उनकी अनुशासनहीनता भी इसके लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) सरकार को इसमें तत्काल सुधार लाना होगा। धन की कमी भी इसका एक कारण है। अधिकारियों में अनुशासन लाना होगा। उन्हें अपना तानाशाही रवैया छोड़ना होगा और आम आदमी की परेशानी को समझना पड़ेगा। उन्हें रेल प्रणाली का संचालन लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार करना चाहिए।

मैडम ममता जी एक कुशल और समर्थ प्रशासक हैं और उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। उन्हें अधिकारियों और अन्य रेलकर्मियों के भीतर अनुशासन की भावना भरनी होगी।

रेलवे की विस्तृत भूमि पर निजी पार्टियों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस मामले के बारे में संबंधित समिति ने पहले ही अपनी रिपोर्ट दे दी है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसीलिए रेलवे को भारी घाटा हो रहा है। अब कई नयी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। यह कदम राजनीति से प्रेरित है। उदाहरण के लिए कर्नाटक में 26 नयी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। वे 10–15 साल से लंबित पड़ी थीं। हसन–मंगलोर आमान परिवर्तन का कार्य अब भी लंबित पड़ा है। इसी प्रकार, बंगलौर–हसन रेल लाइन भी अधर में लटकी हुई है। मैसूर–स्तयमंगल लाइन का काम भी लंबित पड़ा है। माननीया मंत्री जी को नयी परियोजनाओं का उद्घाटन करने के स्थान पर इन चालू परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए। इन लंबित पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करनी होगी।

कर्नाटक में चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य आरंभ करने के लिए हाल ही में एक संयुक्त उद्यम कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीया मंत्री जी ने बंगलौर आने की कृपा की और इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन मात्र से ही वह कार्य समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। उन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए तथा वे समय पर पूरे किए जाने चाहिए। इन परियोजनाओं का लाभ यथाशीघ्र लोगों तक पहुंचना चाहिए।

रेलवे के कई अस्पतालों में चिकित्सक नहीं हैं। अस्पताल हैं और रोगी इलाज के लिए वहां नियमित रूप से जाते हैं। पर वहां तो चिकित्सक ही नहीं हैं। मैडम ममता जी को चाहिए कि वे अपनी हिम्मत दिखाएं और तत्काल प्रभाव से इन अस्पतालों में चिकित्सक नियुक्त करें। अन्यथा, रेल मंत्रालय से ही लोगों का विश्वास हट जाएगा।

रेल विभाग गत कई दशकों से कर्नाटक की उपेक्षा करता रहा है। केंद्र में कर्नाटक के पांच रेल मंत्री थे। तो भी राज्य में नयी लाइन बिछाने और आमान परिवर्तन के संबंध में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। अब कम से कम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) सरकार को जागना चाहिए और कर्नाटक में लंबित पड़ी रेल परियोजनाओं को पूरा करना चाहिए। कर्नाटक के लोगों ने मैडम ममता बनर्जी जी से बहुत आशाएं बांध रखी हैं। उन्हें इस अवसर पर कुछ करना चाहिए और कर्नाटक के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। मुझे आशा और विश्वास है कि माननीया मंत्री जी कर्नाटक के लोगों को निराश नहीं करेंगी।

महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान (नवादा) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को, उनके प्रयास से जो रेल में उन्नति हो रही है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यह भी कहूंगा कि रेल संबंधी जो परियोजनाएं ली जाती हैं, उनमें किसी किस्म का भेदभाव न हो तो ज्यादा अच्छा है। कौन क्या मांग कर रहा है, यह बड़े–बड़े नेताओं को देखकर नहीं बल्कि गुण–दोष के आधार पर परियोजनाओं को लेना चाहिए, मैं यह उनसे आग्रह करना चाहूंगा।

महोदय, बिहार के संबंध में जैसा झा जी ने कहा है, उन्होंने बड़े व्यापक रूप से बातों को कहा है। हम उन पर ध्यान नहीं देंगे, मगर हम कहते हैं कि दानापुर मंडल में क्यूल–गया रेल खंड आजादी के पहले का है। उसकी बड़ी उपेक्षा हो रही है। हम बार–बार विभिन्न यंत्रों के माध्यम से कहते रहे हैं कि जो क्यूल–गया रेल खंड है, उसी रेल खंड में बिहार का जो आतंकवाद है, नक्सली आंदोलन है, उसका वह गढ़ है। अगर उस रेल खंड पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, वहां एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए, उस... दोहरीकरण किया जाए तो निश्चित तौर से मध्य बिहार के

आतंकवाद, नक्सलवाद पर काबू पाया जा सकता है। इसलिए हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि क्यूल–गया रेल खंड पर विशेष रूप से ध्यान दें।

दूसरी बात यह है कि जमालपुर जो कभी एशिया का सबसे बड़ा रेलवे वर्कशॉप हुआ करता था, जहां 26,000 कर्मचारी काम करते थे, आज वहां केवल 4000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। मंत्री जी, जो लोग उस वर्कशाप पर निर्भर करते थे, उन्हें नौकरी के अवसरों से वंचित न किया जाए। जमालपुर फैक्ट्री की जो आधारभूत संरचना है, उसकी पूरी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वहां कर्मचारी बहाल हो सकते हैं, काम हो सकता है, इसलिए उसे चालू किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि रेलवे के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए काफी योजनाएं चलती रही हैं। अभी हाल ही में रेल ट्रेवल एजेंट के रूप में पूरे बिहार में लगभग 20 और देश में लगभग 734 की संख्या में एजेंटों की नियुक्ति की गई है। आपको आश्चर्य होगा कि उस नियुक्ति में एस.सी. एस.टी. या किसी महिला को आरक्षण नहीं दिया गया है। इस मामले में रेल मंत्री महोदया ध्यान दें और रेल यात्री एजेंट की बहाली में जो कमजोर वर्गों को नहीं रखा गया है, उस पर ध्यान दिया जाए और इन तमाम मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए। जो मैं लिखकर दे रहा हूं उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार में जो लंबित योजनाएं हैं उन पर ध्यान दें। यह ठीक है कि वहां से रेल मंत्री आते रहे हैं लेकिन वे जो नहीं कर सके हैं वह माननीय ममता बहनजी अपने हाथों से करेंगी। मैंने जो बातें रखी हैं उन सभी बातों को न्याय मिलेगा और आपके कार्यकाल में बिहार रेल के पथ पर आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी आशा है। मैं अपने शेष भाषण को सभा पटल पर रखता हूं।

*माननीय अध्यक्ष जी, कुछ मुद्दों को मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

आपके सबल एवं क्रियाशील मार्गदर्शन में आपके मंत्रालय ने उपेक्षित क्षेत्रों में रेल विकास के काफी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आपने पूर्व के मंत्रियों की तरह अव्यवहारिक परियोजनाओं को महत्ता नहीं देकर हम जैसे सांसदों को उत्साह एवं आशा से भर दिया है। मुझे विश्वास है कि आप इस बार नेताओं के कद पर नहीं बल्कि परियोजनाओं के गुण दोष पर अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने संसद के विभिन्न तंत्रों के माध्यम से निम्नलिखित मुद्दों को कई बार उठाया है। मगर मुझ जैसे छोटे कद के नेताओं की पूछ शायद कम होती है। इसीलिए इन प्रमुख मुद्दों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। मैं पुनः आग्रहपूर्वक इन मुद्दों को आपके समक्ष बिन्दुवार एवं क्रमवार प्रस्तुत कर रहा हूं :

1. दानापुर मंडल के किउल गया खंड में अविलंब कलकत्ता, दिल्ली एवं गुवाहाटी के लिए एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए एवं इसका दोहरीकरण भी किया जाए।

2. किउल गया रेल खंड में आप्टिकल फाइबर वाली संचार की लाइन अविलंब चालू की जाए।

3. किउल गया रेल खंड के मध्य में स्थित नवादा स्टेशन को एक मॉडल स्टेशन के रूप में तत्काल घोषित करके आधारभूत सुविधा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

4. एशिय के सबसे बड़े जमालपुर वर्कशॉप के प्रति जो विरोधी रवैया रेल मंत्रालय द्वारा पिछले पांच वर्षों से किया जा रहा है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए एवं पूर्व की भांति यहां की अनमोल आधारभूत संरचना को देखते हुए डीजल वर्कशाप, इलेक्ट्रिक इंजन वर्कशॉप एवं एप्रेन्टिस कोर्स अविलंब शुरू किया जाना चाहिए ताकि वहां कार्य कर चुके 22000 कर्मचारियों के परिवार नौकरी से वंचित होने से बच सकें।

5. समस्तीपुर जो पूर्व रेलवे का एक मंडल कार्यालय है वहां से गुवाहाटी राजधानी को चलवाया जाए ताकि हम जैसे प्रतिनिधि एवं आम लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया हो सके एवं वहां पूर्व मंत्री द्वारा घोषित डीजल वर्कशॉप अविलंब चालू किया जाए एवं साथ ही साथ इसी मंडल के दरभंगा टर्मिनल से एक ट्रेन गुवाहाटी के लिए चलाई जाए।

6. आपके मंत्रालय के नियंत्रण में जो भी लाभकारी योजनाएं चल रही हैं, उन सबमें समाज के कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है, मगर मुझे अत्यंत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि रेल यात्री सेवा एजेंटों के काम में अनुसूचित जाति, जनजाति को किसी ढंग का आरक्षण नहीं दिया गया है। जैसा कि मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 2912, दिनांक 7.12.2000 के जवाब में माननीय राज्य मंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया है। महोदया, यह अत्यंत ही गंभीर मामला है कि जहां 734 एजेंटों की बहाली की गई है, उसमें इन कमजोर वर्गों की भागीदारी नहीं होना संवैधानिक नियमों एवं राजग गठबंधन की प्रतिबद्धताओं का खुल्लम–खुल्ला उल्लंघन है।

*सभा पटल पर रखा गया।

[डा. संजय पासवान]

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अविलंब इस मामले की छानबीन की जाए एवं सुयोग्य अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कमजोर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए एवं मेरे द्वारा उठाए गए उपरोक्त सभी मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए एवं समुचित न्याय सुनिश्चित किया जाए।

रात्रि 9.51 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यात्री सुविधाओं से संबंधित उन मुद्दों पर नहीं बोलूंगा जिनको अन्य सदस्यगण पहले ही उठा चुके हैं। मैं उन समस्याओं को सामने लाना चाहता हूं जिनका सामना केरल में रेल क्षेत्र कर रहा है।

रेल क्षेत्र के विकास के मामले में केरल राज्य अन्य राज्यों से पिछड़ रहा है। हालांकि, केरल में रेल सुविधा का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है परंतु रेल क्षेत्र के तदनुसार विकास के लिए अधिक प्रयास नहीं किए गए हैं। राज्य की आवश्यकता को देखते हुए केरल को रेलवे जोन घोषित किया जाना चाहिए। यह मामला बहुत पहले मंत्रालय के समक्ष लाया गया था। हालांकि रेल मंत्रालय की ओर से हमें आश्वासन दिया गया था कि केरल में एक रेल डिब्बा बनाने वाला कारखाना लगाया जाएगा, परंतु अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया है।

शोरानुर-मंगलौर रेलमार्ग के दोहरीकरण का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है क्योंकि पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीया मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि शोरानुर-मंगलौर रेलमार्ग के दोहरीकरण का कार्य पूरा कराने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित करें।

माननीया मंत्री जी कृपा करके आगामी बजट में एर्नाकुलम-कोट्टयम-कायनकुलम और अलपुजहा-कायनकुलम रेलमार्गों के दोहरीकरण के लिए आवश्यक निधियां आबंटित करें। एर्नाकुलम-तिरुवनन्तपुरम रेलमार्ग के विद्युतीकरण का कार्य भी यथाशीघ्र पूरा होना चाहिए। मैं, माननीया मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अंगमाली-इरुमेली-सबरीमाला रेलमार्ग के निर्माण को अपेक्षित वरीयता दें। कोंकण रेलवे की ही तर्ज पर इस कार्य के लिए एक अलग निगम बनाया जाए। इस मार्ग के कार्य में तेजी तभी लाई जा सकेगी जब यह निगम बन जाएगा।

एक अन्य प्रस्ताव अंगमाली-सबरीमाला रेलमार्ग का विस्तार और इसे पतनमथिट्टा-कोन्नी-पुनालुर के रास्ते चेन्नई-कोल्लम रेलमार्ग से जोड़ने का है।

अगले बजट में चेन्नई-कोल्लम मीटर लाइन के आमान-परिवर्तन के दूसरे चरण का कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की जानी चाहिए। इस पूरे मार्ग के बड़ी लाइन में बदलने से केरल और तमिलनाडु, दोनों राज्यों के पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र लाभान्वित होंगे।

यदि आगामी बजट में आवश्यक निधियां आबंटित कर दी जाएं तो प्रस्तावित चेंगानूर-अडूर-कोट्टरकर-तिरुवनन्तपुरम रेलमार्ग पर भी काम शुरू हो सकता है।

चेंगानूर-अडूर-कोट्टरकर-तिरुवनन्तपुरम रेलमार्ग का सर्वेक्षण कार्य बहुत पहले पूरा किया जा चुका है। मैं, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अडूर में रेलवे आउट एजेंसी शुरू करें। महोदय, अडूर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। वहां पर रेलवे लाइन या रेलवे स्टेशन नहीं है। अतः माननीय मंत्री महोदया से मेरा अनुरोध है कि कम से कम एक रेलवे आउट एजेंसी की अनुमति दें।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि कोल्लम से रामेश्वरम तक यात्री गाड़ी चलाई जाए। रामेश्वरम एक तीर्थ-स्थल है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदया मेरी मांग पर विचार करेंगी।

महोदय, 5 से 10 लाख मलयाली केरल से बाहर रहते हैं। वे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि जैसे प्रदेशों में रहते हैं। इसीलिए हम केरल को सभी राज्यों की राजधानियों से जोड़ने के लिए कह रहे हैं। श्री पवन कुमार बंसल ने चंडीगढ़ से तिरुवनन्तपुरम के लिए गाड़ी चलाए जाने की मांग की है। महोदय, मैं निम्नलिखित दैनिक गाड़ियों की मांग करता हूं-चंडीगढ़-तिरुवनन्तपुरम, जयपुर-तिरुवनन्तपुरम, अहमदाबाद-तिरुवनन्तपुरम और हावड़ा-तिरुवनन्तपुरम। मैं माननीय मंत्री महोदया से चेन्नई-तिरुवनन्तपुरम, तिरुवनन्तपुरम-चेन्नई, बंगलौर-तिरुवनन्तपुरम और तिरुवनन्तपुरम-बंगलौर के बीच दैनिक गाड़ियां चलाने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री चंद्र प्रताप सिंह (सिधी)** : महोदय, मैं रेलवे की अनुपूरक

*सभा पटल पर रखा गया।

मांगों का समर्थन करते हुए अपने क्षेत्र की समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

1. सिवी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मध्य रेल एवं दक्षिण पूर्व रेल का कुछ भाग पड़ता है। ललितपुर–सिंगरौली जो रेल लाइन प्रस्तावित है, यदि इस रेलवे लाइन को मडवास, जोवा स्टेशन से जोड़ दिया जाए तो ललितपुर से सिंगरौली की दूरी लगभग 80 कि.मी. कम हो जाती और उक्त रेलवे लाइन कटनी–सिंगरौली लाइन से भी जुड़ जाएगी।

2. द.पू. रेलवे के अंतर्गत चिरमिरी से बिलासपुर जो यात्री गाड़ी चलती है वह प्रातः बिलासपुर पहुंचकर दिन भर खड़ी रहती है। इस गाड़ी को रायपुर होते हुए दुर्ग तक बढ़ा देने से तीन जिले के यात्रियों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तथा रायपुर राजधानी से सीधी रेल सुविधा प्राप्त हो जाएगी, जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसी यात्री गाड़ी से एक कोच गेवरा स्टेशन तक के लिए आरक्षित कर देने से कोरबा कोयलांचल के लोगों को भी सुविधा प्राप्त हो जाएगी।

3. अनूपपुर से विश्रामपुर रेलवे लाइन में बोरीडांड जंक्शन है। विश्रामपुर के लिए जो रेलवे लाइन है, उसमें बरसात के मौसम में दोनों ओर की जो पहाड़ी हैं, उनमें से अकसर लाइन के बीच में बड़े पत्थर गिरते रहने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसी रेलवे लाइन को चौघड़ा ग्राम के नजदीक से मनेन्द्रगढ़–बोरीडांड लाइन में जोड़ देने से मनेन्द्रगढ़ की दूरी मात्र दो किलोमीटर पड़ेगी और दुर्घटना की जो संभावना बनी रहती है, वह भी नहीं रहेगी। साथ ही विश्रामपुर से मनेन्द्रगढ़ आने वाले यात्रियों को भी काफी राहत मिलेगी।

4. कटनी से बिलासपुर, रायपुर या रायपुर से अनूपपुर होते हुए दिल्ली के लिए एक राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाए। जिससे एक अच्छी रेल सुविधा यात्रियों को मिल सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हू।

*श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली) : महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुमारी ममता जी के नेतृत्व में रेलवे में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने अनेकों नई योजनाओं को लागू करने का संकल्प दोहराया है। माल की ढुलाई में तथा यात्रियों की सुविधा में अधिक प्रगति हुई है। अगले दस वर्षों के लिए रेल की सुरक्षा के लिए बहुआयामी योजनाएं बनाई हैं जिसके लिए वह बधाई की पात्र हैं।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ रेल संबंधी समस्याओं की ओर दिलाते हुए उनके समाधान का अनुरोध करना चाहता हूं। जो कि निम्न प्रकार हैं :

1. मैं अपने संसदीय क्षेत्र में तीन रेलवे हाल्ट मंडावली चन्द्रनगर, नन्दनगरी तथा धर्मपुरी गांधी नगर में बनाने की मांग काफी समय से कर रहा हूं। परंतु मात्र मंडावली चन्द्रनगर ही बनना प्रारंभ हुआ और जिसमें इंजीनियरिंग वर्क 31 अक्टूबर तक पूरा होना था, वह लगभग हो गया है। मेरा अनुरोध है कि वहां नव वर्ष के प्रथम दिन 1 जनवरी, 2001 को गाड़ियां रोकी जाएं।

2. नन्दनगरी तथा धर्मपुरी के रेलवे हाल्ट भी शीघ्र बनाए जाएं। क्योंकि यमुना पार की बढ़ती आबादी के कारण ये बनने बहुत जरूरी हैं। इससे जो यात्री नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली आते–जाते हैं, वे इन रेलवे हाल्टों से आ–जा सकें तथा इससे भीड़भाड़ भी कम हो सकेगी।

3. इन दिनों दिल्ली में मेट्रो रेल बनाने का कार्य चल रहा है, जो वर्ष 1995 से दिल्ली सरकार तथा भारत सरकार के सहयोग से हो रहा है। इसका प्रथम चरण लगभग छः हजार करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2002 में बनकर तैयार होगा और सबसे पहले यह रेल यमुना पार में चलेगी, जिससे यात्री तीसहजारी से शाहदरा आ–जा सकेंगे। इस काम पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि यह निर्धारित समय में तैयार हो सके।

4. मैट्रो रेल का दूसरा चरण तीसहजारी से नांगलोई, बरवाला और विश्वविद्यालय से होलम्बी तक बनाने की योजना है, जिसे नरेला तक बढ़ाया जाए, क्योंकि यह एक अनाज मंडी है, इससे लाखों यात्री लाभान्वित होंगे।

5. इसी प्रकार शाहदरा से आनन्द विहार नेशनल हाइवे–24 निजामुद्दीन पुल होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक एक मैट्रो रेल चलाई जाए।

6. आनन्द विहार रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार उत्तर की ओर है, वहां दक्षिण की तरफ यानी आई.एस.बी.टी. आनन्द विहार की ओर भी गेट बनाया जाए। रिजर्वेशन ऑफिस और बस अड्डे से इसे कनेक्ट किया जाए, जिससे कि यात्रियों को फायदा होगा।

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री लाल बिहारी तिवारी]

7. नरेला तथा आजादपुर रेलवे स्टेशन का भी सुन्दरीकरण किया जाए। आजादपुर रेलवे स्टेशन दिखाई ही नहीं देता है। वहां आने वाली रोड पर झुग्गियां पड़ी हैं। उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित कर मिलने वाली सड़क को बनाया जाए।

8. बाकनेर होलम्बी तथा बवाना रेलवे क्रासिंग के ऊपर ओवरब्रिज बनाया जाए, क्योंकि गाड़ी आने पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।

9. नरेला के स्वतंत्रनगर में एक रेलवे पुल बनाने का काम प्रारंभ हो गया था, परंतु न जाने किन कारणों से रुक गया है। उसे शीघ्र पूरा किया जाए।

10. आजादपुर रेलवे स्टेशन से वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र अशोक विहार, केशवपुरम्, दयाबस्ती से पुरानी दिल्ली तथा नई दिल्ली तक डबल लाइन है, लेकिन इस पर केवल मालगाड़ी आती--जाती हैं। इस पर पैसेंजर गाड़ी भी चलाई जाए।

*श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : महोदय, मैं रेल विभाग की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. की सरकार व माननीय बहन ममता बैनर्जी जी को धन्यवाद दे रहा हूं कि उनके नेतृत्व में रेल विभाग में आमूल परिवर्तन हुए हैं। अधिकांश गाड़ियां समय से चल रही हैं। मेल व एक्सप्रेस गाड़ियों में बोगियों की संख्या में बढ़ोतरी होने से प्रतीक्षा सूची कम हुई है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन माल ढोने के लिए वैगन्स की उपलब्धता काफी बढ़ गई है।

माननीय ममता जी, रेल विभाग के आमूल परिवर्तन के बाद भी 100 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी और सुधार की आवश्यकता है। एक ओर तो आपने नई रेलवे लाइन बिछाने की व्यवस्था अपने बजट में इन अनुपूरक मांगों में की है परंतु दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र कानपुर महानगर के अनवरगंज स्टेशन से छोटी लाइन पर एक पैसेंजर ट्रेन विठूर (ब्रह्मावर्त) को जाती है। रेल विभाग उसे बंद करने के लिए सोच रहा है। विठूर (ब्रह्मावर्त) कानपुर से 25 कि.मी. दूर मां गंगा के तट पर बसा है। विठूर का अपना पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। इसी को देखकर अंग्रेजों की हुकूमत ने कानपुर फरुखाबाद छोटी लाइन पर मन्धना जंक्शन से एक लाइन विठूर के लिए बिछाई थी। विठूर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बाल्यकाल बीता था। देश की आजादी का प्रथम बिगुल बजाने वाली झांसी की रानी का अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ था, उसका संचालन विठूर से होता था। तात्या टोपे व नानाराव पेशवा का निवास स्थान विठूर ही था। ध्रुव ने विठूर में तपस्या की थी। उनका तपस्यास्थल आज भी ध्रुवटोला के नाम से प्रसिद्ध है। विठूर में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहां मां सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गंगास्नान का मेला लगता है जिसमें लगभग दो लाख गंगा प्रेमी भाग लेते हैं। मेरी बहन जी से मांग है कि पौराणिक, धार्मिक व ऐतिहासिक मांग को देखते हुए घाटे के आधार पर विठूर कानपुर की ट्रेन को बंद न किया जाए। मेरा सुझाव है कि इस ट्रेन का समय बदल दिया जाए तो घाटे को मुनाफा में बदला जा सकता है।

कानपुर उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर है। यहां से सीधी ट्रेन दिल्ली, जम्मू, बंगलौर, मुम्बई एवं चेन्नई के लिए नहीं है। आपसे आग्रह है कि कानुपर से जम्मू के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाए जिससे वैष्णोमाता के दर्शन के लिए जाने के वाले यात्रियों की सुविधा हो। नई दिल्ली, बंगलौर, मुम्बई एवं चेन्नई के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाए ताकि व्यापार बढ़ सके और उ.प्र. का विकास हो सके। जब तक नई ट्रेनें नहीं चल पातीं तब तक आपसे आग्रह है कि गोरखपुर कोचीन एक्सप्रेस, गोरखपुर से मुम्बई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस तथा अवध एक्सप्रेस में कानपुर से प्रत्येक में एक बोगी थ्री टायर, एक बोगी साधारण, एक बोगी वातानुकूलित थ्री टायर तथा एक बोगी वातानुकूलित 2 टायर की लगाई जाए। ऊंचाहार एक्सप्रेस जो इलाहाबाद से कानपुर होते हुए अम्बाला तक जाती है, उसे जम्मू तक बढ़ा दिया जाए तथा उसमें चार बोगी (प्रत्येक दर्जे की एक--एक बोगी) बढ़ा दीजिए।

कानपुर देहात नवगठित जनपद है जिसका मुख्यालय माती है। वहां पर कोई रेलवे लाइन नहीं है। वहां का निकटतम स्टेशन रूरा है। रूरा को कानुपर देहात का मुख्य स्टेशन बनाया जाए और उसी रूप में स्टेशन का विकास किया जाए। रूरा से प्रातः कोई गाड़ी नहीं है जो सुबह नौ बजे से दस बजे तक कानपुर पहुंच सके। यहां के नागरिक दर्जनों बार आंदोलन कर चुके हैं। डी.आर.एम. इलाहाबाद ने अभी हाल के आंदोलन में आश्वासन भी दिया गया है। इसलिए पुरी एक्सप्रेस को रूरा में दो मिनट का ठहराव किया जाए। कानपुर महानगर से एक इंटरसिटी प्रातः टूंडला के लिए जाती है। मेरा आपसे आग्रह है कि प्रातः टूंडला से एक इंटरसिटी ट्रेन कानपुर महानगर के लिए चलाई जाए जो 10 बजे तक कानपुर आ जाए।

कानपुर महानगर की आबादी 40 लाख से अधिक है परंतु रेलवे स्टेशन एक है। अतः मेरा सुझाव है कि पनकी को कानपुर

*सभा--पटल पर रखा गया।

का उपनगरीय स्टेशन बनाया जाए तथा उसका विकास किया जाए।

मैं रेल विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ओवरब्रिज की स्वीकृति प्रदान की गई है। कानपुर की बढ़ती आबादी व बढ़ते क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए, कल्याणपुर सी.ओ.डी.जी.टी. क्रासिंग श्यामनगर क्रासिंग पर ओवरब्रिज की आवश्यकता है। इसी प्रकार कानपुर के दक्षिणी भाग को जोड़ने के लिए जो पुल बने हैं, उनको चौड़ा कर तीन नये पुल बनाने की आवश्यकता है।

कानपुर नगर में रेलवे की भूमि खाली पड़ी है जिसे या तो परमिट पर किराये पर दे दी जाए अथवा उसे कानपुर विकास प्राधिकरण को बेच दिया जाए क्योंकि यह जगह शहर के बीच में है और उस पर रेल नहीं चल रही है न ही उम्मीद है। इसी प्रकार चौबेपुर, शिवराजपुर एवं बिल्हौर में काफी जगह खाली है जो जी.टी. रोड के किनारे है। वहां दुकानदारों को परमिट भी दे दिया जाए ताकि सड़क मार्ग में सुविधा हो जाए।

अंत में मैं अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं तथा आशा करता हूं कि उपरोक्त मांगों पर विशेष ध्यान देकर माननीय रेल मंत्री जी अमल करने का कष्ट करेंगी।

*श्री रामनरेश त्रिपाठी (सिवनी) : महोदय, मैं रेल बजट की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। ममता जी ने देश भर में रेलवे के संबंध में काफी कार्य किया है। अनेक नई रेलगाड़ियां चलीं और अनेक रेलों की रफ्तार बढ़ी, प्रशासन को भी काफी चुस्त किया गया। बहुत सारी नई रेलवे लाइनें डालने की योजना भी बनाई जा रही है परंतु मुझे अत्यंत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश हमारी रेल मंत्री की कृपा से अधूरा रह गया। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है तथा सात राज्यों से घिरा प्रदेश होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय यातायात म.प्र. से होकर गुजरता है। यह प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से विशालतम प्रदेश है लेकिन यहां रेल लाइनों का घनत्व अत्यंत कम है। मध्य प्रदेश का महाकौशल क्षेत्र रेल सुविधाओं के मामले में अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के समय की छोटी रेलवे लाइनों से संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है।

नागपुर से नैनपुर छोटी लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने की मांग अनेक वर्षों से की जा रही है। इसके तीन बार सर्वे भी हो चुका है परंतु बजट के अभाव में आमान परिवर्तन का कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। मैं जानता हूं कि रेलवे अपने सीमित साधनों के अंदर ही विकास कार्य कर सकती है परंतु लगातार उपेक्षा के कारण यहां की जनता में आक्रोश है तथा जनता लगभग डेढ़ वर्ष से लगातार आंदोलन कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि नागपुर छिंदवाड़ा नैनपुर लाइन में छिंदवाड़ा से सिवनी छोटी लाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर दिया जाता है तो महाकौशल क्षेत्र का एक और महत्वपूर्ण जिला ब्रॉडगेज से जुड़ जाएगा। रामटेक से गोरेगांव के ब्रॉडगेज का प्रथम सर्वे का कार्य हो चुका है। यह देश का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस ब्रॉडगेज के निर्माण से उत्तर दक्षिण की दूरी लगभग 350 कि.मी. कम होगी तथा अनेक पिछड़े क्षेत्र रेल से जुड़ जावेंगे। कृपया इसके लिए बजट आबंटित करने का कष्ट करें। जबलपुर से दिल्ली सीधे रेल मार्ग की मांग बहुत पुरानी है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इक्कीस रेल लाइनें प्रस्तावित हुई थीं। केंद्र शासन को उसमें जबलपुर जोड़ने वाला सीधा मार्ग है। इससे समय तथा दूरी की काफी बचत होगी। जबलपुर भारत के मध्य में स्थित महत्वपूर्ण नगर है जो देश का सबसे बड़ा शैक्षणिक केंद्र है तथा यहां सुरक्षा संबंधी अनेक कारखाने स्थित हैं।

गोंदिया—जबलपुर लाइन का आमान परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। गोंदिया से बालाघाट बजट में स्वीकृत है। कार्य अत्यंत धीमा है। बालाघाट से जबलपुर लाइन का सर्वे शीघ्र करवाकर कार्य को गति प्रदान करें। इस लाइन का सर्वे 1976 में प्रारंभ हुआ था जो आज तक पूर्ण नहीं हो पाया है। यदि इसी गति से कार्य चला तो इसका आमान परिवर्तन का कार्य अगले सौ वर्षों में भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। कृपया इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

राजकोट एक्सप्रेस जबलपुर से चलाने के लिए जबलपुर के गुजराती बंधुओं की ओर से रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं तथा आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे गोरेगांव में पांच मिनट के लिए जरूर रोका जाए। गोरेगांव मेरे लोक सभा क्षेत्र में आता है। यहां से बारह कि.मी. दूर द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद की तपस्थली परमहंसी आश्रम है जिसे देखने तथा दर्शन करने गुजरात से काफी तीर्थ यात्री आते हैं क्योंकि गुजरात में महाराज जी के शिष्यों की काफी संख्या है। मैं पूर्व में भी इस संबंध में आपको पत्र लिख चुका हूं।

जबलपुर में रेलवे जोन की घोषणा तो कर दी गई है परंतु इसके कार्य क्षेत्र का निर्धारण आज तक नहीं हुआ। यह कार्य सन् 2000 तक पूर्ण होना था। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में ओएसडी विशेष कार्य अधिकारी का पद 6 माह से खाली है।

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रामनरेश त्रिपाठी]

आर.के. घुप्पल जुलाई में कलकत्ता चले गए तब से यह पद रिक्त है।

जबलपुर—इटारसी के मध्य रोड नदी तथा वागरा तवा नदी पर रेलवे का सिंगल पुल है। उसे भी डबल करने की शीघ्र आवश्यकता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र सिवनी (मध्य प्रदेश) में कम्प्यूटरीकृत रिजर्वेशन की व्यवस्था करने की मांग वर्षों से आपके मंत्रालय में लंबित है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से इसे पूर्ण करने का अनुरोध करता हूं कि महाकौशल क्षेत्र जो प्राकृतिक तथा खनिज संपदा के प्रचुर भंडार से भरा हुआ है लेकिन विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसके विकास पर जरूर ध्यान देंगी क्योंकि रेल सुविधाओं को ठीक किए बगैर किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है।

*श्री सुबोध राय (भागलपुर) : महोदय, मैं मांग करता हूं कि बड़े—बड़े रेलवे स्टेशनों, खासकर तीर्थस्थानों से जुड़े स्टेशनों, जहां श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ें होती हैं, सफाई की विशेष व्यवस्था की जाए।

अजमेर स्टेशन परिसर की गंदगी देखकर मुझे लगा कि रेलवे प्रबंधन को इस महत्वपूर्ण स्थान में यात्रियों के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। यही स्थिति बिहार में गया स्टेशन की है।

इस अनुपूरक मांग में भी रेल मंत्री और सरकार का बिहार के प्रति घोर उपेक्षापूर्ण रवैया जाहिर हो गया है। सिर्फ चिरैयाटांड पुल (पटना) का जिक्र है जबकि विभिन्न इलाकों में नई रेल लाइन बिछाने तथा पुलों के निर्माण और मरम्मती तथा स्टेशनों के जीर्णोद्धार का कोई जिक्र नहीं है।

बिहार का पूर्वी हिस्सा पुनः उपेक्षा का शिकार रह गया है। गत बाढ़ की विनाशलीला के बाद अभी तक सियालदाह से मुगलसराय तक चलने वाली आम यात्रियों की सर्वाधिक उपयोगी ट्रेन को साहेबगंज से जमालपुर तक ही चलाया जा रहा है।

मेरी मांग है कि साहेबगंज से किऊल के बीच डीएमयू ट्रेनों को समय पर चलाया जाए तथा गाड़ी की संख्या बढ़ाई जाए। जमालपुर—हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को पूर्व निर्धारित समय पर चलाया जाए ताकि साथियों एवं आम यात्रियों को सुविधा हो। हाल में समय परिवर्तन से लोगों की कठिनाई बढ़ गई है। और मगध एक्स. को समय पर चलाना सुनिश्चित किया जाए तथा पुनः भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को अकबरनगर स्टेशन पर तथा ब्रह्मपुत्र मेल का सुल्तानगंज में ठहराव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही राजधानी एक्सप्रेस को सप्ताह में दो दिन भागलपुर होकर सियालदाह एवं हावड़ा चलाया जाए।

*श्री विजय कुमार खंडेलवाल (बैतूल) : महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बैतूल हरदा में स्थित रेलवे स्टेशनों पर रेलों के ठहराव की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र और इनमें से 6 विधानसभा क्षेत्रों से होकर रेलें जाती हैं। इन क्षेत्रों की अधिकांश जनता आवागमन के लिए रेलवे पर निर्भर है तथा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों की संख्या भी अधिक है। मैंने रेलों के ठहराव के संबंध में रेल मंत्रालय को कई पत्र लिखे हैं, परंतु समस्याओं का कोई सार्थक समाधान नहीं हो पाया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों जिन पर रेलों के ठहराव हेतु रेल मंत्रालय का ध्यान दिलाया गया है उनमें टिमरनी, हरदा एवं खिरकिया रेलवे स्टेशन भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आते हैं, जो इटारसी मुम्बई मार्ग पर स्थित हैं तथा घोडाडोंगरी व मुलताई रेलवे स्टेशन नागपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। जिन रेलों के ठहराव की मांग आपके द्वारा रेलवे मंत्रालय से की जा रही हैं वे इस प्रकार हैं—

नागपुर रेल मंडल—

घोडाडोंगरी रेलवे स्टेशन

1. 2407—2408	महामाया एक्सप्रेस	ह नि बिलासपुर नागपुर ह नि
2. 5011—5012	कोचीन गोरखपुर एक्सप्रेस	
5021—5022	कोचीन बरौनी एक्सप्रेस 5089—5090 सिकंदराबाद गोरखपुर एक्सप्रेस, 5091—5092 बंगलौर गोरखपुर एक्सप्रेस, 7081—7082 त्रिवेन्द्रम इन्दौर एक्सप्रेस	

यह एक ही ट्रेन है जो अलग—अलग दिनों में अलग—अलग नामों से एक ही समय पर चलती है।

8225—8226 महानदी एक्सप्रेस भोपाल बिलासपुर भोपाल।

मुलताई रेलवे स्टेशन

6031—6032 चेन्नई जम्मू, चेन्नई जयंती अंडेमान एक्सप्रेस

6093—6094 लखनऊ चेन्नई—लखनऊ एक्सप्रेस

*सभा पटल पर रखा गया।

*सभा पटल पर रखा गया।

9767—9768 जयपुर चेन्नई जयपुर एक्सप्रेस

7091—7092 सिकंदराबाद वारा सिकंदराबाद एक्सप्रेस

भोपाल रेल मंडल

हरदा रेलवे स्टेशन

5217—5218 कुर्ला मुजफरपुर कुर्ला पवन एक्सप्रेस

5219—5220 लोकमान्य तिलक दरभंगा एक्सप्रेस

1071—1072 लोकमान्य तिलक वाराणसी कामायनी एक्सप्रेस

टिमरनी रेलवे स्टेशन

9045—9046 सूरत वाराणसी राप्ती गंगा एक्सप्रेस

9047—9048 सूरत पटना सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस

1078 जेलम एक्सप्रेस जम्मू से पुणे की ओर जाते समय इस स्टेशन पर रुकती है, परंतु वापसी में नहीं रुकती।

खिरकिया रेलवे स्टेशन

9045—9046 सूरत वाराणसी सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस

9047—9048 सूरत पटना सूरत ताप्ती गंगा एक्सप्रेस

5217—5218 लोकमान्य तिलक मुजफरपुर एक्सप्रेस

अतः मैं चाहता हूं कि रेल मंत्रालय इन रेलों के बाबत विचार करे।

बैतूल रेलवे स्टेशन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इसकी आय 3 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यहां पर कम्प्यूटर से टिकटें दी जा रही हैं पर रिजर्वेशन कम्प्यूट्रीकृत नहीं है। पूर्व में इसे कम्प्यूटर रिजर्वेशन में शामिल किया गया था परन्तु मालूम नहीं किन कारणों से बाद में उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बैतूल रेलवे स्टेशन नागपुर से इटारसी के बीच में सबसे अधिक आय देने वाला स्टेशन है एवं जिला मुख्यालय है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि यहां पर कम्प्यूटर रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

बैतूल, घोडोडोंगरी, आमला, मुलताई व हरदा मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। इन पर एस.टी.डी. की कोई सुविधा नहीं है जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। अतः इन सब स्टेशनों पर एस.टी.डी. बूथ स्थापित किया जाए।

आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है कि मेरे द्वारा दिए गए स्थानों पर ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था की जाए तथा मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए।

इतना कहते हुए मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्री बहादुर सिंह (बयाना)** : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में धौलपुर से सरमथुरा तक नेरोगेज लाइन बिछी हुई है। इसको ब्रॉडगेज में परिवर्तित कर गंगापुर तक बदला जाए क्योंकि इसी लाइन पर बाडी व करौली आते हैं, जो कि यहां की पत्थर मंडी व भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल करौली माता का मंदिर है, जहां पर देश व विदेश से दर्शनार्थी करीब 20 लाख प्रतिवर्ष साल में दो बार एकत्रित होते हैं। वहां पर रेलवे की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें अनेक प्रकार के एग्रोभार वाहन व बसों द्वारा अनेक असुविधाओं व परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि वह स्थान रेल मार्ग द्वारा जोड़ दिया जाए तो विभाग को बहुत बड़ी मात्रा में लाभ होगा तथा यहां से पत्थर व्यवसाय भी विकसित होगा। आम जनता को भी बहुत लाभ पहुंचेगा। इस धार्मिक स्थल पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में मां के भक्तजन रोजाना दर्शन करने आते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्र कार्यवाही कराने की कृपा करें।

बयाना क्षेत्र के व्यापारी बंधु व दैनिक यात्रियों को दिल्ली आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। बयाना क्षेत्र पत्थर व्यापार का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है जिसका सीधा संबंध दिल्ली मंडी से है। यहां पर प्रतिदिन बहुत बड़ी मात्रा में व्यापारी आते—जाते हैं। लेकिन रेलवे यात्रा का सुगम साधन नहीं होने के कारण व्यापारियों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। बयाना क्षेत्र में केला देवी झील के वाडा में प्रसिद्ध मंदिर होने के कारण प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन आते हैं।

1. भारतीय रेलवे द्वारा देहली से शाम 17.30 पर चलकर ई.एम.यू. मथुरा शटल नियमित चलती है जो मथुरा जंक्शन पर 20.30 बजे पहुंचकर रात्रि को खड़ी हो जाती है। अगर इसको भरतपुर जंक्शन होते हुए बयाना जंक्शन तक बढ़ाकर चलवाया जाए जो कि रात्रि को बयाना जंक्शन पर खड़ी रहे। इस समय कोई भी मेल व पैसेंजर ट्रेन बयाना तक नहीं चलती है। इस मार्ग की दूरी 75 कि.मी. के लगभग है।

---

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री बहादुर सिंह]

2. यह ट्रेन (ई.एम.यू.) बयाना से सुबह 4 बजे चलकर मथुरा पहुंचकर पूर्व निर्धारित समय से देहली पहुंच सकती है। इस समय भी बयाना मथुरा ट्रेक पर कोई गाड़ी नहीं होती है।

3. ई.एम.यू. पैसेंजर मेल पश्चिम एक्सप्रेस के भी दबाव को कम करेगी।

4. बयाना व भरतपुर में ई.एम.यू. ट्रेन के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध है।

5. ई.एम.यू. पैसेंजर ट्रेन को अगर बयाना जंक्शन तक बढ़ाया जाता है तो भरतपुर एवं बयाना क्षेत्र की जनता की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा एवं विभाग को भी बहुत बड़ी मात्रा में लाभ होगा।

अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर ई.एम.यू. पैसेंजर ट्रेन को बयाना तक बढ़ाए जाने के आदेश प्रदान करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे विषम समय में मुझे बोलने का अवसर दिया जब हर व्यक्ति अपना भाषण लेकर आ रहा है। मैं सबसे पहले रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह जब से रेल मंत्री बनीं, निश्चित ही चाहे माल भाड़े का सवाल हो, चाहे यात्री सुविधाओं की बात हो, उसमें सुधार हुआ। उसका परिणाम है कि माल भाड़े का जो लक्ष्य रखा गया, उसमें जो वृद्धि हुई वह इसे दर्शाता है। इसलिए आज रेल मंत्री द्वारा जो अनुदानों की पूरक मांगों का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बहुत कुछ करना अभी बाकी है क्योंकि आज भी इस देश की अधिकतर जनता रेल से यात्रा करती है। उसके पीछे कारण चाहे कम किराया रहा हो चाहे सुरक्षा का मामला हो और चाहे पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, हर दृष्टि से रेल सबसे उपयुक्त यातायात का साधन है। जिस संकल्प के साथ माननीय रेल मंत्री जी ने अपना प्रस्ताव रखा है उस सबका समर्थन करते हुए मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से संबंधित हूं जहां आजादी के बाद विकास का कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं गोरखपुर क्षेत्र से चुनकर आया हूं। आपको आश्चर्य होगा कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है।...*(व्यवधान)* वहां पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय होने के बाद 1986 में रेल कोच फैक्ट्री गोरखपुर के लिए स्वीकृत हुई थी।

रात्रि 10.00 बजे

लेकिन राजनीतिक भेदभाव के चलते, राजनीतिक विद्वेष की भावना से उस फैक्टरी को गोरखपुर से दूसरी जगह ले जाया गया। उसके बाद 1996–97 में गोरखपुर जो जोनल मुख्यालय है, उसका एक भाग गोरखपुर से बिहार स्थानांतरित कर दिया गया और विकास के नाम पर गोरखपुर में आज तक कुछ नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्ष 1998–99 में गोरखपुर से नरकटियागंज मार्ग का आमान परिवर्तन हुआ था। आमान परिवर्तन के पहले उस मार्ग पर एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जो उस समय यह सोचकर बंद कर दी गई कि आमान परिवर्तन के बाद वह पुनः चलेगी। हजारों कर्मचारी उसी नगर क्षेत्र, रामकोला और पिपराई नगर क्षेत्र से आते थे। वह ट्रेन सुबह आती थी और शाम को वापस जाती थी। वह पैसेंजर ट्रेन बंद कर दी गई।

कुमारी ममता बनर्जी : यह कब हुआ?

योगी आदित्यनाथ : वह वर्ष 1998–99 में बंद की गई और आमान परिवर्तन के बाद यह कहा गया कि हम इसे फिर से चलाएंगे। लेकिन वह नहीं चलाई गई। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया जनता के व्यापक हित को देखते हुए उस पैसेंजर ट्रेन को चलाने का कष्ट करें। उस ट्रेन से वहां से व्यापारी और रेल कारखाने में काम करने के लिए कर्मचरी आते हैं. उनके हित में इस ट्रेन का वहां से चलाना आवश्यक है।

सभापति महोदय, इसके साथ–साथ गोरखपुर में एक धर्मशाला बाजार में ओरवहैड ब्रिज बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे सूचित किया कि हमने तीन करोड़ रुपये ओवरहैड ब्रिज के लिए स्वीकृत किए हैं और हमने रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। महोदया अगर वह प्रस्ताव आया है तो रेलवे का जो भी हिस्सा बनता हो, यदि आप भी अपनी तरफ से स्वीकृति देकर गोरखपुर चलकर उस ओवरहैड ब्रिज का शिलान्यास अपने कर–कमलों से कर दें तो विकास के नाम पर कुछ कार्य गोरखपुर में भी हो जाएगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मांग यह है, मेरे से पूर्व के साथी ने इस बात को यहां रखा है, गोरखपुर से नई दिल्ली आने के लिए एकमात्र वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन है जो बिहार से आती है। आप जानते हैं कि चूंकि बिहार में टिकट नहीं खरीदना पड़ता है।

सभापति महोदय : यह बात मत कहिए।

योगी आदित्यनाथ : वह ट्रेन ऊपर से नीचे तक फुल होकर आती है और उसका परिणाम यह होता है कि गोरखपुर आते–आते हम लोगों को सीट नहीं मिलती है। मैं आपको पिछले हफ्ते की बात बताता हूं, हम उस ट्रेन में आए। जब हम स्टेशन पर पहुंचे, मेरे साथ जौनपुर के माननीय सांसद स्वामी चिन्मयानन्द भी थे। उस ट्रेन में हम लोगों को सीट नहीं मिली। इस पर वहां काफी विवाद की स्थिति पैदा हुई तो बाद में चैक किया गया तो उसमें ऐसे व्यक्ति यात्रा कर रहे थे जो सांसद के नाम पर रिजर्वेशन कराकर चल रहे थे, लेकिन वे सांसद नहीं थे। कम से कम इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर रोक लगनी चाहिए और सांसद के नाम पर सांसद ही जाएं। उसके लिए टी.टी.ई. या रेलवे के संबंधित अधिकारी सांसद का आई. कार्ड चैक कर लें। सांसद के नाम पर गलत लोग यात्रा करते हैं और जो लोग सांसद होते हैं वे लोग बर्थ से वंचित रह जाते हैं, यही हमारे साथ हुआ है। मैं मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपके बारे में जनता में एक बहुत अच्छा संदेश गया है कि आप जनता की हर बात को सुनती हैं। वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं कि इस ट्रेन में दो–दो महीने तक वेटिंग चलती है। इसलिए एक डुप्लीकेट वैशाली ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय के पास एक प्रस्ताव आया है। गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन चलाना बहुत आवश्यक है। ताकि हम कम से कम इस गुंडागर्दी से बच सकें, जो आज हम झेलते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए एक डुप्लीकेट वैशाली ट्रेन चलाई जाए। इसका प्रस्ताव गोरखपुर में जेड.आर.यू.सी.सी. की बैठक में हुआ था, उसमें यह प्रस्ताव रखा गया था और उसमें यह तय हुआ था कि गोरखपुर–लखनऊ–कानपुर और दिल्ली ये चार इस ट्रेन के स्टॉपेज होंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस ट्रेन को चलाने के लिए आप अपनी मंजूरी दें। इसके साथ ही मैं पुनः आपके द्वारा जो प्रयास रेलवे के क्षेत्र में, सुरक्षा आदि के क्षेत्र में हो रहे हैं, उनके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और अनुदान की इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री के. के. कलिअप्पन (गोबिचेट्टिपालयम)** : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने नेता और ए.आई.ए.डी.एम.के. दल के महासचिव डा. पुराची थलैवी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रतिष्ठित सभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने योग्य बनाया। रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांगों और इसके साथ प्रस्तुत किए गए विनियोग विधेयक, 2000–2001 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ का भी धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान रेलवे स्टेशनों पर यात्री प्लेटफार्मों और मालडिब्बों का रखरखाव करने वाले गुड्स यार्ड की सफाई और स्वच्छता में कुप्रबंधन और अक्षमता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बरसात के दौरान हालात बद से बदतर हो जाते हैं। एरोड जंक्शन और वाणिज्यिक व ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर एरोड स्थित गुड्स यार्ड का रखरखाव सही रूप से नहीं होता है। एरोड संयत विचारों वाले महान नेता तन्ताई ई.वी.आर पेरियार का गृहनगर था। रेलवे स्टेशन और गुड्स यार्ड, दोनों के घटिया रखरखाव के मामले में संबंधित प्राधिकारियों के सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मैं स्वयं वहां गया और वहां जाकर चूहों के प्रकोप को देखा। बहुत अधिक संख्या में चूहों के कारण प्लेटफार्म के आस–पास विशेषतः गुड्स यार्ड के रास्ते में बड़ी संख्या में चूहे के बिल बन गए हैं। इससे स्थितियां अस्वास्थ्यकर हो जाती हैं और मानसून के दौरान बीमारी का घर बन जाती हैं। चूहों द्वारा खोदे गए असंख्य बिलों के कारण रेल पटरी का आधार कमजोर पड़ जाएगा और किसी दिन हमें पता चलेगा कि रेल पटरी के संतोषजनक रखरखाव न होने के कारण रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के फलस्वरूप दुर्घटना हो गई है। चूहों के इस प्रकोप से युद्ध स्तर पर निपटना होगा। यह वायरल बुखार का मूल कारण बन गया है जो बंगलौर तक फैल चुका है। स्थानीय अखबारों और रेल संपर्क द्वारा एरोड से जुड़े बंगलौर से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों में वायरल बुखार फैलने के विस्तृत समाचार प्रकाशित हुए हैं। चूहों के इस प्रकोप के कारण एरोड से सिले–सिलाए वस्त्रों और अनाज के परिवहन को क्षति पहुंची है। आर्थिक नुकसान के बावजूद सार्वजनिक हित, विशेषकर स्वच्छता और स्वास्थ्य के हित में रेलवे को रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्मों और गुड्स यार्डों पर सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करना चाहिए। मैं रेलवे विभाग से आग्रह करता हूं कि वह इस पहलू पर जनता और सामान्यतया लोगों की आर्थिक स्थिति तथा विशेषकर यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से ध्यान दे।

मेरे संसदीय क्षेत्र गोबिचेट्टिपालयम में उट्टूकुली के समीप एक रेलवे पुल के निर्माण की जरूरत है। मैंने इस परियोजना को पूरा करने के लिए माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया था। यह काफी समय से लंबित पड़ा है। इस काम में तेजी लाई जानी है। साल्मी समराज नगर रेल लिंक परियोजना को मंजूरी मिल गई है लेकिन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्य अभी

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के. के. कलिअप्पन]

भी शुरू किया जाना है। मैं माननीय मंत्री से जितना जल्दी हो सके, इसके उद्घाटन के लिए जरूरी कदम उठाने हेतु अनुरोध करता हूं क्योंकि यह मेरे संसदीय क्षेत्र, आस-पास के क्षेत्रों और यहां तक पड़ोसी राज्य के लोगों की जबरदस्त मांग है। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़ी रेलवे से संबंधित मांगों की एक सूची बनाकर मंत्री जी को 6 महीने पहले सौंपी थी। उन पर अभी ध्यान दिया जाना है। माननीय मंत्री का ध्यान इरोड के मानसून की ओर भी दिलाया गया था। सार्वजनिक हित में रेलवे को इसके आगमन पर ध्यान देना चाहिए। वहां अपर्याप्त सुविधाओं के कारण लोगों को हुए नुकसान की ठीक से भरपाई की जानी चाहिए। रेलवे को इस प्रकार की तात्कालिक आवश्यकताओं और सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु कुछ निधि अलग से रखने हेतु आगे आना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री कलिअप्पन अब आपको अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। मैं अगले सदस्य श्रीमती जयश्री बैनर्जी का नाम पुकारता हूं। कृपया बैठ जाइए।

श्री के. के. कलिअप्पन : महोदय, रेलवे को रेलवे स्टेशनों में पर्याप्त स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं, यहां तक कि प्रसूति हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। इसी के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज सप्लीमेंटरी बजट के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। सर्वप्रथम मैं संस्कार धानी की तरफ से मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने अपने यहां एक काम किया है, उसके लिए वह बधाई की पात्र हैं—राजकोट, लेकिन राजकोट का एक काम और रह गया है कि उसको कटनी-दमोह-सागर तक बढ़ा दें। उसमें दो सांसद और शामिल हैं। अगर यह काम कर दिया जाए तो हम तीनों सांसद आपके बहुत आभारी रहेंगे और वहां की जनता भी आपकी बहुत आभारी रहेगी।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि वहां का रेल जोन जो सरीन कमेटी की सिफारिश से बनना था, आज पैसे के अभाव में वह नहीं बन पाया है। उस पर मंत्री जी ध्यान दें। गोदिया-नयन-जबलपुर तक गेज परिवर्तन हेतु राशि बढ़ाई जाए। उसका सर्वे हो गया है, जमीन एक्वायर हो गई है। उस काम के पूर्ण हो जाने से आदिवासी क्षेत्र मंडला को भी लाभ मिलेगा।

इटारसी-जबलपुर-इलाहाबाद खंड का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण किया जाए जिसके अभाव में आवागमन में बहुत तकलीफ होती है। अमरकंटक एक्सप्रेस भोपाल-दुर्ग वाया जबलपुर प्रतिदिन चलाई जाए। महाकौशल एक्सप्रेस जिसकी बहुत मांग है, जबलपुर से दिल्ली तक आती है। 1449-1 0 जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन तीन दिन जम्मू एवं शेष तीन दिन पठानकोट तक चलाई जाए। वहां के लोग और सतना के लोग दिल्ली आकर परेशान होते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर यह काम कर दिया जाए तो लोग आपके प्रति बहुत आभारी रहेंगे। क्षिप्रा एक्सप्रेस 9305 हावड़ा-उज्जैन चार दिन इटारसी वाया जबलपुर होकर चलाई जाए क्योंकि जबलपुर से हावड़ा तक कोई भी ट्रेन बॉम्बे मेल को छोड़कर नहीं है और आपने पहले वायदा भी किया था, शायद इस बार पूरा हो जाए, मैं इस आशा से यह बात कह रही हूं। कोचीन-हैदराबाद एक्सप्रेस 7092 जिसमें बंगलौर तक के लोग जो नार्थ से साउथ जाते हैं, उनकी कोचेज बढ़ाने की मांग है। वहां पर कुछ कठिनाइयां आ रही हैं। 7090 वाराणसी-कोचीन में पैन्ट्री कार नहीं है। इतनी बड़ी ट्रेन जो बनारस से कोचीन तक जाती है, उसमें ए.सी.3 भी नहीं है और बोगी कनेक्शन भी अंदर से नहीं है जिसके कारण बहुत कठिनाई होती है। इसमें पैन्ट्री कार नहीं रहने से सारे लोग भूखे-प्यासे रहते हैं। यह काम भी किया जाए जिससे आम लोगों को, नार्थ से साउथ जाने वाले लोगों को सहायता मिले।

सभापति महोदय, गंगा-कावेरी एक्सप्रेस में 124 सीट का जबलपुर का कोटा इटारसी के साथ जोड़ दिया गया है। मेरा आग्रह है कि उसको वापस जबलपुर शिफ्ट कर दिया जाए जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके।

सभापति महोदय : श्रीमती बनर्जी, यदि आप अनुपूरक मांगों के संबंध में बोलना चाहें, तो बोलें अन्यथा आप अपनी स्पीच सदन के पटल पर ले कर दें।

श्रीमती जयश्री बैनर्जी सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहती हूं। मैं चाहूंगी कि सुपरफास्ट एक्सप्रेस, गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस, महाकौशल और चित्रकूट एक्सप्रेस मदन महल स्टेशन से शुरू की जाएं। इटारसी, जबलपुर और कटनी के लोगों को आए दिन अप-डाउन करना पड़ता है, लेकिन सहूलियत न होने से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए फास्ट पैसेंजर को कटनी तक बढ़ाया जाए। जबलपुर से नागपुर तक एक फास्ट ट्रेन चलाई जाए।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से जबलपुर में इंडियन आयल कार्पोरेशन की बहुत सारी भूमि खाली पड़ी है क्योंकि इंडियन ऑयल कार्पोरेशन की डिपो वहां से भटनी को स्थानांतरित कर

दी गई है जिससे वह तमाम भूमि खाली है। रेलवे उसका उपयोग कर सकती है। इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरा आग्रह है सप्लीमेंट्री डिमांड्स का समर्थन करते हुए मैं अंत में यह निवेदन करना चाहती हूं कि मेरी ये छोटी--छोटी मांगें हैं। रेलवे के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बहुत कमियां हैं। जबलपुर पिछड़ा क्षेत्र है और जबलपुर सेंट्रल एरिया है जहां से सारे बड़े नगरों को जोड़ा जाता है। वहां पर भेड़ाघाट, कान्हा वन जैसे विश्वप्रसिद्ध पर्यटक स्थल अवस्थित हैं। वहां सारी डिफेंस फैक्ट्रियां हैं जिनको रेलवे में सुविधाएं बढ़ाने से बहुत सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश के बारे में इससे पहले भी कुछ मांगें रखी गई हैं। मैं अपनी इन मांगों को भी उनके साथ जोड़ते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि मंत्री महोदया हमारी मांगों को पूरी करने की कृपा करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, जो रेलवे की अनुपूरक मांगें इस सदन में प्रस्तुत की गई हैं उनके बारे में माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा जी ने जिन योजनाओं का नाम लिया है, उनका मैं समर्थन करता हूं और मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं वे सारी योजनाएं पूरी होनी चाहिए। इसलिए मैं उनको दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। उन्होंने जितनी भी नई रेल लाइनें बिछाने की मांग की है या जितनी ब्रॉडगेज करने और सुधार करने की मांग की है, मैं उन सभी का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, एक हिसाब छांटा गया है जिसके अनुसार रेलवे की बजिटरी सपोर्ट 3600 करोड़ रुपये दिया गया और बिहार, यानी हम हिन्दुस्तान की आबादी का दसवां हिस्सा हैं इसलिए हमें 360 करोड़ मिलना चाहिए था, लेकिन मिला 360 का भी लगभग दसवां हिस्सा, यानी मात्र 40 करोड़, यह हिसाब ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, हाजीपुर--वैशाली--सुगौटी रेलवे लाइन बिछाने से बुद्धिस्ट सर्किट पूरा हो जाएगा और बुद्धिस्ट सर्किट से देश को जोड़ने वाली यह लाइन होगी, लेकिन उसको अभी तक नहीं बनाया गया है। भगवान महावीर जी की जन्मभूमि वैशाली है और इस बार 2001 से महावीर भगवान की 126वीं जयन्ती मनाई जाने वाली है और इस हेतु प्रधान मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। मैं माननीय रेल मंत्री कुमारी ममता जी से आग्रह करता हूं कि इस 126वीं महावीर जी की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर महावीर जी की जन्मभूमि वैशाली को रेल से जोड़ दिया जाए और एक नई रेलगाड़ी भगवान महावीर के नाम से चलाई जाए।

सभापति महोदय, हाजीपुर को रेलवे के जोनल ऑफिस का मुख्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब मालूम चल रहा है कि उसमें कुछ दाव--पेंच चल रहे हैं और हेराफेरी करके उसमें कुछ बदलाव किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। यदि ऐसा होगा, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि ऐसा हुआ, तो भीषण संग्राम होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि हाजीपुर को जोनल ऑफिस का मुख्यालय बनाया जाए।

सभापति महोदय, रेलवे कुलियों के कल्याण के बारे में जब हम कोई सवाल सदन में उठाते हैं, तो हमेशा कहा जाता है कि जब रेलवे के बजट अथवा अनुदानों पर बहस होगी, तब यह प्रश्न उठाया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि देशभर में सात--आठ लाख रेलवे कुली हैं जो सभी दबे, पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं और मेहनत का काम करते हैं। बड़े लोगों के सम्मान की रक्षा करते हैं और जो अपने सामान को खुद नहीं उठा पाते हैं अथवा अपना सामान उठाने में संकोच करते हैं, उनकी सहायता के लिए वे पहुंच जाते हैं। मैं इस बार पटना गया था, तो मुझे कुलियों ने बताया कि हमारी मांग संसद में कोई नहीं उठाता है और आग्रह किया कि उनकी मांग मैं संसद में उठाऊं। मैंने उनसे वायदा भी किया कि मैं आपकी मांग को इस बार संसद में जरूर उठाऊंगा। मेरा आग्रह है कि उन्हें चतुर्थ श्रेणी का दर्जा दिया जाए ताकि वे अपना गुजारा कर सकें। हम उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं और ममता जी से आग्रह करते हैं कि उनकी इस न्यायोचित मांग को तत्काल स्वीकार किया जाए। वैसे भी ममता जी तो गरीबनवाज हैं। इसलिए उन्हें गरीब कुलियों की इस मांग को मान लेना चाहिए। मेरा एक आग्रह और है कि कुलियों के रहने के लिए रैस्ट हाउस रूम नहीं हैं, उनका प्रबंध होना चाहिए। उनमें पानी एवं अन्य सभी सहूलियतें प्रदान की जाएं। इसी के साथ पार्सल भेजने का मामला है। उसमें कहीं--कहीं तो यह काम रेलवे के कुली ही करते हैं और कहीं यह काम ठेकेदार करते हैं। यह ठेकेदारी का काम नाजायज है। इसलिए मेरा कहना है कि जो पार्सल भेजने के लिए ठेकेदारी प्रथा है वह गड़बड़ ही है, उसको खत्म करना चाहिए। देश भर के सभी स्टेशनों पर रेलवे कुली को ही यह काम दिया जाना चाहिए क्योंकि यह काम बड़ा उपयोगी है। ये दोनों सवाल रेलवे कुलियों ने हमसे कहे थे। वे दबे--कुचले लोग हैं इसलिए मैं उनकी बात यहां पर उठा रहा हूं। अभी मैं यह बात आहिस्ता कह रहा हूं लेकिन जब रेल बजट आएगा तब हम देखेंगे कि उस पर कितना काम हुआ है। इसके अलावा बिहार वाला मामला, वैशाली को नयी रेल लाइन से जोड़ने वाला मामला और हाजीपुर जोनल वाला मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी तरह रघुनाथ झा ने जो सवाल उठाए हैं, उनके बारे में उन्होंने पढ़कर बता दिया है इसलिए उन सारी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

माननीय ममता जी को बिहार के सारे लोग वोट देते हैं। यदि वे ऐसा नहीं करेंगी तो मैं वहां जाकर बता दूंगा कि वे बिहार के लिए कुछ नहीं कर रही हैं।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी : आप मदद नहीं देते बल्कि हम देते हैं।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हमने जो सवाल उठाए हैं, उनमें आप विशेष रुचि लेकर काम करें।

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : सभापति महोदय, वर्ष 2000–2001 के लिए रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा में बोलने के लिए अवसर देने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। चूंकि मैं अपने प्रिय नेता पुरत्ची पुयाल श्री वैको द्वारा बनाई गई एम.डी.एम.के. का सदस्य हूं, इसलिए कोई शक नहीं कि मैं रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांगों के समर्थन में बोल रहा हूं।

महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के आम आदमी की ओर से रेल मंत्री से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। करीब एक साल पहले, पिछले वर्ष दिसंबर महीने में मैंने पोल्लाची होते हुए कोयम्बटूर–डिंडिगुल रेल लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का अनुरोध किया था। इससे रेलवे को अच्छा राजस्व मिलेगा और तमिलनाडु के दक्षिण भाग के लोगों को राज्य के अन्य भागों हेतु रेल यातायात का बेहतर संपर्क साधन मिल जाएगा।

महोदय, उस क्षेत्र पलानी में एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। वहां टॉपस्लिप वन्यजीव अभ्यारण्य एक बहुत बड़ा पर्यटकों के आकर्षण वाला केंद्र है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कई बड़े बांध हैं, जैसे थिरमूर्ति बांध, अमरावती बांध आदि। वे सभी बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र हैं। इसलिए मैं कोयम्बूटर जिले में पोथानुर से डिंडिगुल तक की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं।

इसके अलावा पलघाट से भी बड़ी लाइन के निर्माण की आवश्यकता है। इस संबंध में करीब 9 महीने पहले एक उत्तर मिला जिसमें यह वर्णित था कि जल्द ही एक परियोजना शुरू की जाएगी, एक सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वेक्षण के बाद पक्ष में ही निर्णय होगा। अतः मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की बहुत दिनों से की जा रही मांग को पूरा करने हेतु कोयम्बटूर डिंडिगुल रेल लाइन को तुरंत मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने वाली परियोजना को शीघ्र शुरू करने हेतु रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं रेलवे की अनुपूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं 11वीं, 12वीं और 13वीं लोक सभा में वाराणसी का प्रतिनिधित्व करता रहा हूं। मेरा जो अनुभव है, उसके हिसाब से माननीय ममता बहन ने जो कार्य रेलवे विभाग में किए हैं, वे प्रशंसनीय हैं। साढ़े चार सौ अप्रेन्टिस जो दो, चार, दस साल से बेकार बैठे हुए थे, इन्होंने ऐसे नौजवानों को काम दिया। मैं इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं और बहुत–बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमने जितने भी पत्र लिखे चाहे भ्रष्टाचार के हों, उन पर तुरंत कार्यवाही की गई और उसकी सूचना भी हमें दी गई। रेलवे से संबंधित जो भी छोटी–मोटी बातें लिखीं, हमें सबका उत्तर मिला और समुचित कार्यवाही हुई। इसके लिए मैं वाराणसी की ओर से इनका धन्यवाद करता हूं। वाराणसी जो धार्मिक स्थल है, व्यापारिक केंद्र है, सारनाथ से जुड़ा हुआ है, ऐसे स्थल से दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। मैंने इस बारे में पांच बार शून्य काल, नियम 377 के अधीन ध्यान आकर्षित किया है। मैं बहन ममता से आग्रह करूंगा कि एक सीधी ट्रेन दिल्ली से रात को वाराणसी के लिए चले और वाराणसी से दिल्ली के लिए यदि दे दें तो काशी की जनता इनकी भूरि–भूरि प्रशंसा करेगी।

[अनुवाद]

श्री सी. पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। रेल मंत्री के रूप में अच्छा काम करने के लिए मैं वाकई कुमारी ममता बनर्जी को बधाई देता हूं। उन्होंने अपने आपको अलग तरह का मंत्री सिद्ध किया है। मैं कोयम्बटूर से निजामुद्दीन तक नई सहस्राब्दि की ट्रेन 'कांगु एक्सप्रेस' शुरू करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। नई सहस्राब्दि की इस ट्रेन में कोई भी डिब्बा नया नहीं है। सभी डिब्बे इतने पुराने हैं कि उनमें ठीक से पाइप कनेक्शन भी नहीं है। डिब्बों में पानी रिसता रहता है। जब बारिश होती है, हमें पता नहीं लगता कि हम बिना छत वाले प्लेटफार्म पर बैठे हैं या डिब्बे के अंदर। इस ट्रेन में कोई रसोई यान नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसे नव सहस्राब्दि की ट्रेन क्यों कहते हैं। यह पुरानी सहस्राब्दि की ट्रेन जैसी दिखती है। कृपया इस पहलू पर ध्यान दें।

जैसा कि मेरे साथी डा. सी. कृष्णन ने कहा है मैं शीघ्रातिशीघ्र कोयम्बटूर से डिंडिगुल तक बड़ी लाइन देने का आपसे अनुरोध

करता हूं। मैं यह बात आपके ध्यान में करना चाहता हूं कि इरगुर से पोट्टानुर, पोट्टानुर से कोयम्बटूर और कोयम्बटूर से इरगुर तक दोहरी लाइन बिछाने का मुद्दा बार-बार रेल मंत्रियों के समक्ष उठाने के बावजूद अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। केवल इस त्रिकोणीय सेक्शन हेतु दोहरी लाइन नहीं दी गई है।

इरगुर में एक कंटेनर टर्मिनल स्थापित किया जा रहा है। इंडियन आयल कार्पोरेशन का एक बड़ा डिपो भी वहां है। लेकिन एक छोटे से खंड के लिए कोई दोहरी लाइन नहीं है। पहले साल के दौरान उन्होंने 1000 रुपये आबंटित किया। दूसरे वर्ष में उन्होंने 1 लाख रुपये आबंटित किया। पिछले वर्ष आबंटन राशि 1 करोड़ थी। लेकिन हमें महाप्रबंधक ने बताया कि दोहरी लाइन का काम 2002 तक पूरा होगा। माननीय मंत्री को इस अनुरोध पर ध्यान देना चाहिए। अगले वर्ष अप्रैल में हम उन्हें यहां रेल मंत्री के रूप में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में वहां की मुख्य मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इससे पहले कि वे यहां जाएं, मैं उनसे अपनी मांग पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

वस्त्र के मामले में कोयम्बटूर एक प्रसिद्ध शहर है। वहां के रेल जंक्शन पर रोशनी का समुचित प्रबंध नहीं है।

वहां आतंकवादी गतिविधियां जोरों पर हैं। वहां की रेलवे कैन्टीन इन्हीं आतंकवादियों द्वारा चलाई जा रही है और उन लोगों के छिपने का यह सुरक्षित स्थान है। मैंने दक्षिण-रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक को कई बार इस बात की सूचनाएं दी हैं। लेकिन वे लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज भी वही आतंकवादी-संगठन इस कैन्टीन को चला रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनके लाइसेंस की मान्य अवधि समाप्त हुई है या नहीं। लेकिन, मेरा उनसे अनुरोध है वे कृपा कर इस मामले की शीघ्र जांच करें।

मैंने कोयम्बटूर जंक्शन पर समाप्त होने वाली रेल गाड़ियों में आपातकालीन कोटा जारी करने का अनुरोध किया था। यहां तक कि यह एक छोटा अनुरोध भी महाप्रबंधक द्वारा पूरा नहीं किया गया है।

मेरा यह भी अनुरोध है कि चामराज नगर सापी-गोबी तिरप्पुर धारापुरम-पलानी के बीच एक नई रेल लाइन बनाने संबंधी मेरे क्षेत्र की लंबित मांग को पूरा करने में तेजी लाई जाए और इस रेल लाइन को बनाने का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए।

मेरे क्षेत्र में दो या तीन सड़क उपरिपुल बनाने की परियोजनाएं भी लंबित पड़ी हुई हैं। इरुगुर विभाजित हो गया है। वहां कोई रेल लाइन न होने के कारण यह एक टापू की तरह दीखता है। कृपया सड़क उपरिपुल बनाने की इन परियोजनाओं को शीघ्र शुरू किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

*श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव) : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्रों में मालेगांव 15 लाख आबादी का शहर है। बाजार पेठ बड़ी है। मनमाड रेल स्टेशन से 35 किलोमीटर का अंतर है। हर रोज मनमाड स्टेशन से लोग यात्रा करते हैं। आगे जाने के लिए समय और धनराशि खर्च होती है। विनती है कि मालेगांव शहर में रेल टिकट ऑफिस खोला जाए। मनमाड, मालेगांव, धुले जरदाना नई रेल लाइन का सर्वे हो गया है। नई रेल लाइन मंजूर करना पुणे नासिक, नई रेल लाइन का सर्वे हुआ है, नई रेल लाइन मंजूर करना।

नासिक शहर में 2003 में कुंभमेली भरने वाली है यातायात बढ़ती है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन सुधार करना। मनमाड में राष्ट्रीय हाई स्कूल है। 105 बरस से चला है। रेलवे ने स्कूल के लिए जमीन दे दी है और स्कूल के लिये भी रेल की जमीन मांगी है। मंत्री महोदया की विनती है स्कूल के लिए रेल की जमीन दें।

कुसमाडी तहसील, यहां रेल क्रासिंग होने के लिए रेल लाइन पर श्री यादव राव देशमुख जी के नेतृत्व में 2000 लोगों ने अनशन किया तब हैदराबाद रेल अधिकारियों ने रेल क्रासिंग के लिए आश्वासन दिया है। यह रेल क्रासिंग जल्दी से जल्दी होना चाहिए।

मुम्बई देवगिरी रेल चलती है। यातायात की बहुत भीड़ होती है सामान्य श्रेणी के दो ही डिब्बे हैं, वहां तीन डिब्बों की व्यवस्था होना चाहिए। न्याय डोंगरा तहसील नांदगांव—यहां नागपुर मुम्बई विदर्भ रेल को स्टाप देना चाहिए। मनमाड शहर 50000 हजार का शहर है और बड़ा स्टेशन है। एक ब्रिज है, बढ़ती आबादी और बढ़ते यातायात के कारण एक और ब्रिज होना चाहिए।

नासिक शहर पौराणिक, धार्मिक और औद्योगिक शहर है। विमान कारखाना है। बड़ी फैक्टरी है। मुम्बई नासिक पंचवटी एक ही रेल नासिक के लिए चलती है। एक नई रेल चालू करना चाहिए।

---

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हरीभाऊ शंकर महाले]

नासिक बड़ा स्टेशन है लेकिन पंजाब मेल व अन्य मेल का यहां एस सी सेकेंड क्लास का रिजर्वेशन नहीं हो तो रिजर्वेशन के लिए मंजूरी देना चाहिए। मनमाड बड़ा स्टेशन है। यहां से, पंजाब मेल, कर्नाटक, गोवा व अन्य रेल चलती हैं लेकिन ए. सी. टू टियर, थ्री टियर, सेकेंड क्लास का आरक्षण नहीं है। यहां आरक्षण के लिए मंजूरी देना चाहिए।

रेल लाइन शुरू हुए करीब-करीब 105 बरस हो गए हैं। पहले यातायात कम था, आबादी कम थी, अभी आबादी और यातायात दोनों बढ़ गए हैं। पुरानी रेलवे क्रासिंग और रेल फाटक, इसमें सुधार करना चाहिए। रेल लाइन शुरू करने के बारे में आर्थिक बाबत ख्याल करना चाहिए लेकिन रेलवे में सुधार हो जाता है, यह भी ख्याल करना चाहिए।

मनमाड में रेल का दादरा बनाने का कारखाना है। यह कारखाना देश में मशहूर है। यह कारखाना की रक्षा करना जरूरी है।

महोदय, मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

*श्री रूपचन्द्र मुर्मू (झाड़ग्राम) : सभापति महोदय, आपने मुझे रेल बजट की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, मैं एक आदिवासी क्षेत्र से आता हूं और झाड़ग्राम से संसद सदस्य हूं। मैं अपने क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की रेल से जुड़ी लंबे समय से लंबित मांगों की ओर माननीया रेल मंत्री और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारी माननीया रेल मंत्री आदिवासी क्षेत्र की न्यायोचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी और इन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगी।

इस क्षेत्र की पहली मांग है एक फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण। झाड़ग्राम की मुख्य सड़क के रेल फाटक के ऊपर से फ्लाई ओवर बनाया जाना है। रेल फाटक को पार करते हुए प्रतिवर्ष 3 या 4 लोगों की मौतें होती हैं। मैंने इस मांग को 10वीं लोक सभा में, कई बैठकों में तथा रेल मंत्री द्वारा बुलाई गई समिति की बैठक में भी उठाया है। इस फ्लाई ओवर ब्रिज का बनाया जाना झाड़ग्राम के लोगों की लंबी अवधि से चली आ रही एक स्थायी मांग रही है। लोगों द्वारा रेल फाटक को सुरक्षित तरीके से पार करने के लिए इस फ्लाई ओवर ब्रिज का होना निहायत जरूरी है। मेरा मानना है कि इस पुल के निर्माण का कार्य ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाना चाहिए क्योंकि रेलवे की नीति के अनुसार राज्य सरकार इसकी निर्माण-लागत में आधा खर्च वहन करने पर सहमत हो गई है और इस संबंध में इसने एक पत्र भी भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि माननीया मंत्री इस महत्वपूर्ण मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगी और इस फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण सुनिश्चित करेंगी।

मेरी मांग टाटा खड़गपुर और खड़गपुर टाटा के लिए स्थानीय रेलगाड़ी चलाने की भी है। यदि यह रेलगाड़ी खड़गपुर से 5 या 5.30 बजे और टाटा से 6.30 या 7 बजे प्रातः छूटती है, तो इससे लगभग 4-5 हजार दैनिक यात्री लाभान्वित होंगे। इससे उन लोगों को कोलकाता में समय से कार्यालय पहुंचने में आसानी होगी और वे लोग समय से घर भी वापस लौट सकेंगे। दैनिक यात्रियों में राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, शिक्षक, छात्रों के साथ-साथ अनेक महिला यात्री भी शामिल हैं। लोगों की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैं आशा करता हूं कि स्थानीय रेलगाड़ियां चलाई जाने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

महोदय, मेरी मांग यह भी है कि झाड़ग्राम में पुरी-नई दिल्ली-नीलांचल एक्सप्रेस का ठहराव होना चाहिए क्योंकि यह गाड़ी झाड़ग्राम से होकर गुजरती है। दिल्ली जाने वालों अनेक यात्रियों को इन रेलगाड़ियों में यात्रा करनी पड़ती है। पर, उन्हें आने और जाने दोनों ही स्थितियों में गाड़ी खड़गपुर में पकड़नी पड़ती है। यदि झाड़ग्राम में रेलगाड़ियां कुछ मिनटों के लिए ठहरती हैं, तो उस क्षेत्र के लोग आसानी से यात्रा कर सकते हैं और गाड़ी पकड़ने में उन्हें कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

मेरी एक मांग यह भी है कि झाड़ग्राम में रह रहे 1000/1500 से भी अधिक रेल कर्मचारियों के लाभ के लिए वहां एक रेलवे हेल्थ यूनिट खोली जाए।

महोदय, झाड़ग्राम पुरुलिया रेल लाइन के सर्वेक्षण का काम भी पूरा हो चुका है ! झाड़ग्राम और पुरुलिया के बीच रेल लाइन बनाने की मांग अवश्य पूरी की जानी चाहिए क्योंकि यह इस क्षेत्र के आदिवासियों की न्यायोचित मांग है। इसलिए इसके लिए शीघ्र धन मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि यहां के लोगों को रेल संपर्क का लाभ मिल सके। मैं अपनी दीदी तुल्य माननीया रेल मंत्री से अपने क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों की न्यायोचित मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और उसे पूरा करनें का अनुरोध करता हूं।

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

महोदय, मैं माननीया रेल मंत्री का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की ओर भी आकृष्ट करता हूं। टाटा–खड़गपुर लाइन में नीमपुर एक हाल्ट स्टेशन है। लेकिन, उस स्टेशन पर टिकट काउंटर नहीं है। उस क्षेत्र के लोग टिकटों की अनुपलब्धता के कारण अक्सर बगैर टिकट यात्रा करने को बाध्य होते हैं। यह एक दंडनीय अपराध है। यदि वहां टिकट काउंटर शीघ्र बनाया जाता है और यह टिकट काउंटर अपना काम शीघ्र शुरू कर देता है, तो इससे रेलवे को अपना राजस्व प्राप्त होगा और लोग सहूलियत से यात्रा कर सकेंगे और इसमें जोखिम भी कम होगा।

माननीया रेल मंत्री से इन्हीं मांगों के साथ तथा आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद करने के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं रेलवे की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

मैं बहन ममता जी का धन्यवाद करता हूं कि जहां उन्होंने एक तरफ बिना किराया बढ़ाए गरीबों का ध्यान रखा है, उसी तरह भाड़े में राहत देकर माल ढुलाई को प्रोत्साहित कर राजस्व की वृद्धि की है। मेरे क्षेत्र के भीतर ओवरब्रिज तैयार हो गया है। ममता जी की चुस्त और दुरुस्त जो प्रशासनिक क्षमता है, उसका यह परिणाम है। मैं प्रार्थना करूंगा कि दो माह बाद उसका उद्घाटन करने के लिए चलें। इसके हाथ ही हमारे उस क्षेत्र के भीतर जो ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग है, आदरणीय अटल जी ने उसका शिलान्यास किया था, उस पर भरपूर राशि देकर उसको पूरा करने की कोशिश करें ताकि बुंदेलखंड का सौभाग्य जगे। वहां की बहुत सी मांगें मेरे लिखित भाषण में हैं। मैं उसको सभापटल पर रखता हूं।

*महोदय, आपका आभारी हूं कि बोलने का अवसर प्रदान किया, साथ ही रेलवे की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। बहिन ममता जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जहां एक तरफ बिना किराया बढ़ाए गरीबों का ध्यान रखा है तथा भाड़े में भी राहत देकर माल ढुलाई को प्रोत्साहित कर राजस्व की वृद्धि की है।

मेरे क्षेत्र में ओवर ब्रिज का कार्य प्रगति पर है। दो माह के भीतर बन जाएगा। आपके द्वारा उसका उद्घाटन होना है। इसी तरह मेरे संसदीय क्षेत्र में जबलपुर–पन्ना वाया दमोह रेलवे का सर्वेक्षण कार्य भी प्रगति पर है।

महोदय, बुंदेलखंड प्रगति का एकमात्र महान कार्य ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग जिसका शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री मा. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, वह आपकी अनुकंपा की बाट जोह रहा है। अतः ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग में भरपूर राशि का प्रावधान कर बुंदेलखंड के विकास में सहयोग करें।

मेरे क्षेत्र में रेल सुविधाओं की अत्यंत कमी है। केवल मालगाड़ियां ही अधिकांश चलती हैं। अतः यात्री सुविधाओं की दृष्टि से निम्नलिखित गाड़ियां चलाई जाएं।

1. राजकोट एक्सप्रेस भोपाल में स्टे करती है वह दो भोपाल से कटनी वाया बीना सागर दमोह के रास्ते चलाई जाए।

2. महामाया सुपर फास्ट एक्सप्रेस आधी जबलपुर से एवं आधी नागपुर से चलती है। इसे पूरी की पूरी जबलपुर दिल्ली चलाई जाए।

3. सम्भलपुर हीराकुंड एक्सप्रेस सप्ताह में तीन बार चलती है। रोजाना चलाई जाए।

4. इंदौर–हावड़ा छिप्रा एक्सप्रेस भी भोपाल बीना कटनी मार्ग से जाती है केवल तीन दिन। अतः छिप्रा एक्सप्रेस को भी रोजाना चलाया जावे तो अति कृपा होगी।

5. ऐसा ज्ञात हुआ है कि अहमदाबाद से हावड़ा एक नई रेलगाड़ी भविष्य में चलाए जाने का प्रस्ताव है। मेरी एवं बुंदेलखंड के समस्त जनता जनार्दन की मांग है कि अहमदाबाद से भोपाल बीना–सागर–दमोह–कटनी से होकर हावड़ा चलाई जाए तो बड़ा उपकार होगा।

महोदय, महामाया एक्सप्रेस का स्टापेज पथरिया में देना अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह बहिन ममता जी ने दमोह स्टेशन पर माल गोदाम (रेल प्लांट) बहाल करके बड़ी कृपा की है। उसे सदा के लिए स्थाई रूप से चालू रखें।

महोदय, दमोह रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नं. 2 का एक्सटेंशन किया जाए तथा बैठने की, पीने के पानी की सुविधा प्रदान की जाए। दमोह स्टेशन पर वी.आई.पी. रूम बनाने की महती आवश्यकता है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र दमोह में आने वाले स्टेशनों, पथरिया, अस्लाना, सगौनी घटेरा को आधुनिक सुविधाएं प्रदान कराई

*सभा पटल पर रखा गया।

[डा. रामकृष्ण कुसमरिया]

जाएं। दमोह एवं पथरिया स्टेशनों पर एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की सुविधाएं प्रदान करने की कृपा करें।

देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ललितपुर से सिंगरौली तक नई रेल लाइन बिछाने के काम का शुभारंभ किया जा चुका है किंतु अभी तक उक्त कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उक्त काम को शीघ्र प्रारंभ कराया जाए।

मध्य प्रदेश के जबलपुर और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे जोनल ऑफिस की स्वीकृति प्रदान की गई है, किंतु जोनल ऑफिस का कार्य प्रारंभ होना है। उक्त कार्य शीघ्र करवाया जाए तथा जबलपुर--गोंदिया छोटी लाइन का आमान परिवर्तन किया जाए।

नीमच से रतलाम (पश्चिम रेलवे) के बीच की मीटर गेज लाइन का आमान परिवर्तन करने के लिए बजट प्रावधान किया गया है किंतु काम नहीं के बराबर किया है पर्याप्त बजट का प्रावधान करके आमान परिवर्तन शीघ्र पूर्ण करवाया जाए।

गुना इटावा रेल लाइन को सन् 2003 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, किंतु बजट अभाव में काम लक्ष्यानुसार नहीं हो रहा है। उक्त कार्य के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान करने व काम को शीघ्र पूरा करने का कष्ट करें।

रावघाट रेलवे लाइन की स्वीकृति आदि का काम कम्पलीट है। सेल के द्वारा रेलवे में पैसे भी जमा करा दिए हैं। उक्त कार्य को शीघ्र चालू करवाया जाए।

रेल विभाग द्वारा निम्नलिखित रेलवे लाइनों के लिए सर्वे कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। किंतु या तो कार्य प्रारंभ नहीं हुए हैं या कार्य धीमे चल रहे हैं या सर्वे कार्य पूर्ण होकर रिपोर्ट रेल मंत्रालय के व रेलवे बोर्ड के पास पहुंच चुकी है। किंतु आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जैसे--

1. रायपुर से बालोदा बाजार सारगढ़ झाड़सकुडा तक के लिए सर्वे कार्य स्वीकृत है। कार्य करवाना आवश्यक है।

2. रामटैक से गोटेगांव प्रथम सर्वे हो चुका है आगे कार्यवाही करके काम प्रारंभ करवाया जाए।

3. जबलपुर से पन्ना वाया दमोह पन्ना रेल लाइन हेतु प्रथम सर्वे हो चुका है। आगे की कार्यवाही आवश्यक है। शीघ्र कार्यवाही की जाए।

4. भिण्ड उरई महोबा बारास्ता राठ रेल लाइन हेतु मा. प्रधानमंत्री जी ने सन् 1998 में घोषणा की थी। उक्त रेलवे लाइन के सर्वे के लिए स्वीकृति भी है। काम को शीघ्र प्रारंभ करवाया जाए।

5. ग्वालियर श्योपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु सर्वे कार्य स्वीकृत है। उक्त कार्य को प्रारंभ करवाया जाए।

6. बिलासपुर से मंडला सर्वे कार्य चल रहा है। उक्त कार्य शीघ्र पूरा करवाकर अगली कार्यवाही की जाए। रेल लाइन की स्वीकृति प्रदान कर कार्य करवाया जाए।

7. इंदौर बुधनी सर्वे कार्य स्वीकृत है, काम को शीघ्र करवाया जाए।

8. सलामतपुर रायसेन, बेगमगंज से सागर तक रेल लाइन हेतु सर्वे कार्य स्वीकृत है, सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर आगे की कार्यवाही की जाए।

9. उज्जैन से रामगंज मंडी तक नई रेल लाइन के लिए सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रतिवेदन रेल मंत्रालय व रेलवे बोर्ड के पास पहुंच गया है। आगे स्वीकृति आदि की कार्यवाही शीघ्र की जाए।

10. इसी प्रकार सागर देवरी करेली नागपुर के बीच नई रेल लाइन डालना अति आवश्यक है। इस हेतु आवश्यक आदेश जारी किए जाएं।

11. नैनपुर से नागपुर के बीच की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने हेतु आवश्यक आदेश प्रदान करें।

12. इंदौर से उज्जैन की रेलवे लाइन का शीघ्र विद्युतीकरण करवाया जाए।

13. ग्वालियर का आरक्षण कोटा समाप्त कर दिया है उसे चालू किया जाए।

14. ग्वालियर से इंदौर वाया गुना रात्रिकालीन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए।

15. बिलासपुर से रायपुर के बीच एक लोकल ट्रेन चलाने की पिछले बजट भाषण के दौरान घोषणा की गई थी किंतु उक्त ट्रेन अभी तक नहीं चलाई गई है। इसे शीघ्र चलाया जाए।

16. भोपाल से बीना के बीच लोकल ट्रेन चलाई जाए।

17. ग्वालियर से भोपाल के बीच इंटरसीटी ट्रेन चलाई जाए।

18. अहमदाबाद हावड़ा ट्रेन को वाया भोपाल, विदिशा, बीना, कटनी से चलाया जाए।

19. कोटा से नागदा रतलाम के बीच एक मेमू ट्रेन चलाई जाए।

आशा है, आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता व हमारी समस्याओं को देखते हुए उपरोक्त समस्याओं और मांगों को शीघ्र पूरा करने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगी।

डा. मदन प्रसाद जयसवाल (बेतिया) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वर्ष 2000–2001 की रेलवे की अनुपूरक मांगों का मैं समर्थन करता हूं। मैं ममता जी को विशेषकर बधाई दूंगा कि अभी पंजाब में जो रेल दुर्घटना हुई, उससे पहले आज तक किसी रेल मंत्री ने बड़े अधिकारी को छुट्टी पर नहीं भेजा। लेकिन इन्होंने सात अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा है। पहले यदि ऐसी दुर्घटना होती थी तो नीचे कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया जाता था, उन पर कार्रवाई होती थी, लेकिन बड़े अधिकारी बच निकलते थे। अबकी बार इन्होंने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की है इसलिए ये बधाई की पात्र हैं।

रेलवे मंत्रालय का एक विभाग इरकान है। पता नहीं उसके कौन एम.डी. हैं, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। 1996–97 के बजट में बगहा–छितौनी पर पुल का कार्य पूरा करने के लिए उन्हें 22 करोड़ रुपये दिए गए थे। इरकान ने इसके लिए टैंडर लिया और उसे मार्च, 2000 में कार्य पूरा करना था। उसकी 14 स्पाइन हैं, लेकिन पिछले तीन वर्षों में एक स्पाइन की ढलाई हुई है। यदि यही रफ्तार रही तो पता नहीं इस कार्य को पूरा होने में कितने बरस लगेंगे। इसलिए इससे जो रेलवे को और उसके विभाग इरकान को नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए इस पदाधिकारी पर जिम्मेदारी डालनी चाहिए और उसकी तनख्वाह से इसकी भरपाई करनी चाहिए, क्योंकि आज सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए इस पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए।

नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन है, वह बड़ी लाइन हो गई है। मैं इसके लिए रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वहां सुबह आठ बजकर दस मिनट पर एक पैसेंजर गाड़ी मुजफ्फरपुर जाती है, फिर शाम को छः बजे जाती है। बीच के दस घंटों में कोई गाड़ी नहीं है। मेरे क्षेत्र के लोग मुझे परेशान करते हैं कि आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं और आप ट्रेन नहीं चला सकते, तो मैं क्या जवाब दूं। मैं 11वीं, 12वीं और 13वीं लोक सभा का सदस्य रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि इन बीच के घंटों में आप जो एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसको पांच स्टेशनों के लिए पैसेंजर कर दें तो इससे मेरे क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिलेगी।

1997–98 में यू.एच.एफ. के लिए 25 करोड़ रुपये, मुजफ्फरपुर से गोरखपुर को जोड़ने के लिए वाया नरकटियागंज दिए गए थे। पता नहीं रेलवे किस धीमी गति से चल रही है, धीमी गति के समाचारों की तरह, आज टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन 1997–98 के बजट से आज तक वहां काम नहीं शुरू हुआ। कोई टावर नहीं बना और न ही कोई सिविल वर्क हुआ है। मुजफ्फरपुर से गोरखपुर की दूरी वाया नरकटियागंज और वाया सीवान बराबर है। आज वहां 22 पेयर एक्सप्रेस गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन वहां एक पेयर भी गाड़ी नहीं चल रही है। अब जो नई लाइन बनी है, उस पर गुड्स ट्रेन चल रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह नहीं चलनी चाहिए, चलनी चाहिए, क्योंकि रेलवे की आमदनी का जरिया है इसलिए उनको भी चलाया जाए, लेकिन इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।

सभी जगहों पर आपने समपार और गुमटियां बनाई हुई हैं। एन.ई. रेलवे का उसमें एक भी जगह का नाम नहीं है। मेरे क्षेत्र में शीतलपुर ढाल पर समपार के अभाव के कारण अभी 17 आदमी ट्राली से मर गए। मैं अपने सांसद विकास निधि कोष से दस लाख रुपये देने को तैयार हूं, लेकिन शीतलपुर ढाल की गुमटी को मान्यता नहीं मिली है इसलिए मेरा अनुरोध है कि उसको मान्यता दिलाई जाए। उसके बाद मैं वहां कार्य के लिए दस लाख रुपये देने को तैयार हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह पहली बार यहां भाषण दे रहे हैं लेकिन समयाभाव के कारण उन्हें दो मिनट तक बोलने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर डूडी (बीकानेर) : माननीय सभापति महोदय, रेलवे की अनुपूरक मांगों पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अनुपूरक मांगों पर काफी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैं बीकानेर लोक सभा संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं। बीकानेर डिवीजन हेडक्वार्टर है और काफी पिछड़ा हुआ जिला है, उस जिले से मैं आता हूं। पहले जब कोयले के इंजन चलते थे तब वहां बीकानेर में कोयले के इंजन का वर्कशॉप था। उसमें सैकड़ों की तादाद में वहां लोग कर्मचारी थे और उस वर्कशॉप के बंद होने से उनका रोजगार

[श्री रामश्वर डूडी]

का साधन खत्म हो गया। मेरी मांग है कि उस कोयले के इंजन के वर्कशॉप को डीजल के इंजन के वर्कशॉप में कन्वर्ट किया जाए। दूसरे बीकानेर जिले में जो व्यापारी लोग हैं, जो चेन्नई और आसाम गोहाटी में रहते हैं, उनके लिए वहां से जाने के लिए कोई भी सीधी ट्रेन नहीं है। मेरा निवेदन है कि बीकानेर गोहाटी के लिए एक ट्रेन चलाई जाए। मैं समझता हूं कि बीकानेर जिले में व्यापारियों के लिए और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक बहुत बड़ा काम होगा। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस पर विशेष गौर फर्माएं। बीकानेर और चेन्नई के लिए एक नयी ट्रेन चलाई जाए।

पिछली बार जोधपुर से अहमदाबाद के लिए नयी ट्रेन चलाई थी। यह जोधपुर से जो ट्रेन चल रही है, उसको बीकानेर से अहमदाबाद तक कर दिया जाए या फिर बीकानेर के लिए चार–पांच डिब्बे जोड़ते हुए जोधपुर में जोड़ दिए जाएं जिससे अहमदाबाद के लिए सीधी रेल सेवा हो सकती है। बीकानेर से इंटर सिटी जयपुर के लिए चलती है। अभी पीछे रेल राज्य मंत्री दिग्विजय सिंह जी हमारे यहां पधारे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इंटर सिटी जो पांच बजे रवाना होती है और 1230 बजे जयपुर पहुंचती है और उसी टाइम पर 5.30 बजे जोधपुर के लिए रवाना होती है, वह इंटर सिटी वहां 1030 बजे पहुंचती है और वे दोनों ट्रेनें आपस में मेढ़ता पर क्रॉस करती हैं। उस समय दिग्विजय सिंह जी ने पंद्रह दिन का आश्वासन दिया था कि वह ट्रेन लेट हो रही है, हम इंटर सिटी को 1030 पर ही पहुंचाएंगे। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ नहीं हो पाया है। मेरे क्षेत्र में रूरल एरियाज ज्यादा हैं।

सभापति महोदय : आपको सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है।

श्री रामेश्वर डूडी : सभापति महोदय, 1500 बस्ती जो हैं, जो गांव हैं, उनमें 15000 की आबादी है और उनमें रेलवे ट्रैक बना हुआ है, लेकिन वहां मानव रहित फाटक नहीं है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में 35–40 मानव रहित फाटक दिए जाएं जिससे वहां के लोगों को काफी राहत पहुंचेगी। मेरी मुख्य मांग बीकानेर रेवाड़ी ब्रॉडगेज लाइन की मांग है जो काफी लंबे समय से स्वीकृत हुई पड़ी है। इसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है। पीछे इसका प्रावधान हुआ था, लेकिन कहीं और लगा दिया गया। बीकानेर–रेवाड़ी गेज परिवर्तन के काम को जल्द से जल्द करवाएं, जिससे वहां के लोगों को राहत मिल सके और उस क्षेत्र में व्यापार बढ़ सके। यह मेरा मंत्री महोदय से विशेष निवेदन है।

सभापति महोदय : आप अपना बाकी भाषण सभा–पटल पर रख सकते हैं।

श्री रामेश्वर डूडी : इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अपना लिखा हुआ भाषण सभा–पटल पर रखता हूं।

*महोदय, जो कि भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में देशनोक माता के चूहों के मंदिर तथा नमकीन के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन माननीया रेल मंत्री जी को शायद यह तक पता नहीं है कि बीकानेर भारत के नक्शे में कहां पर स्थित है जिसका कारण है कि माननीया से बार–बार रेल की निम्न समस्याओं हेतु निवेदन किया गया, जिसका एक ही जवाब दिया जा रहा है, बजट नहीं है, जबकि माननीया मंत्री महोदय अपने क्षेत्र में बजट नहीं होते हुए भी इन क्षेत्र में विकास का कार्य करवा रही हैं तथा हम लोगों के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विकास नहीं करवाकर इस क्षेत्र की जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। बजट का विभाजन पूरे भारत में एकरूपता से होना चाहिए।

मैं अब अपने क्षेत्र की निम्न समस्याओं के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीया रेल मंत्री बीकानेर रेलवे वर्कशॉप को कार्य दिया जाना–बीकानेर रेलवे वर्कशाप को कार्य नहीं दिया जा रहा है, जिससे दिन–प्रतिदिन रेलवे वर्कशॉप बंद होने के कगार पर है। आमान परिवर्तन होने से मीटर गेज का कार्य लगभग बंद सा हो गया है। पूर्व में इस वर्कशॉप के अंदर कोयले के इंजन व डिब्बों के रख–रखाव एवं मरम्मत इत्यादि का संपूर्ण कार्य यहां पर किया जाता था। अब चूंकि कोयले के इंजन बंद हो जाने से सरकार को इन वर्कशॉपों को बंद करना सा पड़ रहा है। इससे बेहतर होगा कि पूर्व प्रशिक्षित व्यक्ति जो वर्षों से अपनी सेवाएं इस रेल विभाग को देते आए हैं उनको डीजल इंजन एवं इस बड़ी रेल लाइन के डिब्बों के रख–रखाव व मरम्मत का कार्य दिया जाए तो रोजगार के साथ–साथ इन पुराने मैकेनिकों की अच्छी व बेहतर सेवाएं सरकार को प्राप्त हो सकती हैं एवं इस अरबों रुपये की बेकार हो रही रेलवे की संपत्ति को बचाया जा सकता है। अतः बीकानेर रेलवे वर्कशाप की बड़ी लाइन के डीजल इंजन, कोचों के रखरखाव, मरम्मत, बड़ी लाइन से संबंधित कार्य किए जाएं।

नई रेलें

बीकानेर-हावड़ा ट्रेन–हावड़ा की ट्रेन जोधपुर से शुरू होती है, के बजाय बीकानेर से शुरू होनी चाहिए। इस ट्रेन में बीकानेर के ही ज्यादा पेसेंजर होते हैं, यहां ट्रेफिक ज्यादा है एवं इसी ट्रेन में गोहाटी–नॉर्थ कोच लगवाए जाएं ताकि यात्री एनी सुपरफास्ट ट्रेन को पकड़ सकें।

---

*सभा पटल पर रखा गया।

बीकानेर-गोहाटी ट्रेन—बीकानेर व बीकानेर के आसपास के बहुत से व्यक्ति पूर्व से व्यापार अथवा नौकरी हेतु गोहाटी—आसाम में स्थायी रूप से निवास करते हैं, जिसके कारण प्रतिदिन यहां के लोगों का गोहाटी—आसाम आना—जाना लगा रहता है। अतः शीघ्र ही यह ट्रेन शुरू करवाएं। वर्तमान में इन पैसेंजरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बीकानेर-चेन्नई ट्रेन—जोधपुर से चेन्नई ट्रेन, जो कि सप्ताह में एक दिन चलती है, को बीकानेर से शुरू करवाया जाए।

बीकानेर से अहमदाबाद ट्रेन—भटिंडा गाड़ी नं. 9 1—बी. एस.एल. व 2—बी.एस.एल. को बीकानेर से मेड़ता रोड तक बढ़ाया जाए—भटिंडा गाड़ी नं. 1 बी.एस.एल शाम को बीकानेर आने के पश्चात् इसी गाड़ी को मेड़ता रोड तक बढ़ाया जाए। मेड़ता रोड—बीकानेर के बीच चलने वाली कोई गाड़ी सुबह बीकानेर नहीं पहुंचती है तथा रोडवेज बस का साधन गांव से करीब 10 कि. मी. दूर है तथा कई गांवों का सड़क से संपर्क भी नहीं है। इस क्षेत्र के विद्यार्थी, दूध के व्यापारी व सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का हमेशा आवगमन रहता है। यह गाड़ी शाम को बीकानेर पहुंचने के बाद रात भर बीकानेर रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी रहती है। अतः इस ट्रेन को बीकानेर से मेड़ता रोड तक बढ़ाने का कष्ट करें।

अनूपगढ़ से नई ट्रेनें—नई रेल अनूपगढ़ से नव विकसित इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मंडिया घड़साना, राववाला, छत्तरगढ़, खाजूवाला, को अनूपगढ़ से जैसलमेर, अनूपगढ़ से बीकानेर, अनूपगढ़ से दिल्ली तक जोड़ा जाए ताकि इससे दस अन्य मंडिया जैसे मोहनगढ़, नाचना, दंतौर, बज्जू इत्यादि भी इस रेल सेवा से जुड़ सकें। पाक सीमा पर होने के कारण इन मंडियों के निवासियों को बगैर रेल के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है साथ ही यह आर्मी क्षेत्र है जिससे आर्मी कर्मचारियों को ज्यादा फायदा होगा। अनूपगढ़ से सूरतगढ़ 90 कि.मी. तक एक रेल बस सेवा शुरू की जाए। बीकानेर से नोखा 65 कि. मी. तक एक रेल बस सेवा शीघ्र शुरू की जाए। बीकानेर से दिल्ली के मध्य एक इंटरसिटी ट्रेन शुरू की जाए। नोखा से जयपुर वाया सीकर ट्रेन शुरू की जाए।

रेलवे क्रासिंग गेट

बीकानेर शहर में आज रेलवे क्रासिंग गेट जो कि बीच शहर में से पांच गेट निकलते हैं प्रतिदिन, 24 घंटे में से लगभग पांच से छः घंटे तक बंद रहते हैं, जिसके कारण आम जनता के साथ—साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा लेने जाने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा, स्कूली बच्चों व कर्मचारी वर्ग को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका निवारण है कि—रेलवे ने इस प्रकार की परेशानी से बचाने हेतु एक बीकानेर हाल्ट, जो कि बीकानेर—दिल्ली मार्ग पर स्थित है, स्टेशन बनाया। लालगढ़ से बीकानेर हाल्ट तक आउटसाइड से एक रेल—मार्ग डालने हेतु बीकानेर के भूतपूर्व डी.आर.एम. मिस्टर भंसाली जी ने प्रस्ताव भी पास करवाया था जो कि अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत बड़ी लाइन का गुड्स रैंक व बीकानेर—हावड़ा, बीकानेर—बांद्रा, इंटरसिटी, जोधपुर—कालका, जोधपुर—जम्मू तवी बाई पास लालगढ़ पहुंचाने का था, जिससे बीकानेर शहर के बीच में पड़ने वाले रेलवे फाटक को कम से कम समय तक बाधित कर सकें।

रायसिंहनगर नव विकसित मंडि के (1) फोजूवाला, (2) मोहन नगर, (3) 12 टी.के. इन पर रेलवे फाटक नहीं हैं जबकि यहां पर छोटे व बड़े वाहनों का आवागमन पटरी पर काफी है, जिससे कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना होने का अत्यधिक खतरा हो गया है। यहां पर रेलवे फाटक लगवाया जाए।

बीकानेर इंटरसिटी ट्रेन—बीकानेर—जयपुर इंटरसिटी बीकानेर से सुबह 5 बजे रवाना होती है व 12.30 बजे जयपुर पहुंचती है जबकि जोधपुर से जोधपुर—जयपुर इंटरसिटी सुबह 5.45 बजे रवाना होकर 10.30 बजे जयपुर पहुंचती है फिर इन दोनों के समय में इतना अंतर क्यों है जबकि ये दोनों ट्रेनें मेड़ता में क्रोस करती हैं क्यों नहीं इन दोनों ट्रेनों को मेड़ता में एक कर दिया जावे जिससे समय व धन दोनों की बचत होगी।

मीटर गेज से ब्रॉडगेज में रेलवे लाइन का परिवर्तन—बीकानेर से रेवाड़ी—बीकानेर से रेवाड़ी ।क की मीटर गेज से ब्रोड गेज रेलवे लाइन के परिवर्तन करने की स्वीकृति करने की जारी की जा चुकी है परंतु बजट उपलब्ध नहीं करवाए जाने के कारण इसकी स्वीकृति आज तक कागजों तक ही सीमित होकर रह गई है। अतः शीघ्र ही इस कार्य हेतु बजट उपलब्ध करवाकर बीकानेर से रेवाड़ी तक वर्तमान मीटर गेज से रेलवे लाइन को ब्रोड गेज रेलवे लाइन में परिवर्तन किया जाए ताकि आम जनता को राहत प्राप्त हो सके साथ ही व्यापारी वर्ग को भी जो सामान लगेज करवाते हैं, को फायदा हो सके। इस आमान परिवर्तन से रेलवे को करोड़ों की आमदनी होगी।

कोलायत-फलोदी ब्रोडगेज लाइन—कोलायत—फलोदी रूट का सर्वे हो गया था डिफेंस ने स्वीकृति भी दे दी व ये बजट भी देने को तैयार हैं परंतु आज तक रेलवे मंत्रालय ने इसकी स्वीकृति जारी नहीं की। रेलवे आरक्षण सुविधा लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी किया जाए—रेलवे आरक्षण सुविधा केवल बीकानेर रेलवे

[श्री रामेश्वर डूडी]

स्टेशन पर ही स्थित है जबकि करोड़ों रुपयों की लागत से बने लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा शुरू नहीं की गई है। लालगढ़ स्टेशन पर भी ऐसी सुविधा दी जा सकती है। बीकानेर के बढ़ते परिवेश को देखते हुए लालगढ़ स्टेशन के इर्दगिर्द बीकानेर एरिया की सबसे बड़ी कालोनियां स्थित हैं परंतु इस लालगढ़ रेलवे स्टेशन का उपयोग केवल मात्र रोड गाइड की तरह किया जा रहा है। अतः यहां पर भी रेलवे आरक्षण सुविधा उपलब्ध करवाई गई।

बीकानेर गुड्स ट्रेफिक–बीकानेर की सभी बड़ी लाइन की गाड़ियां लालगढ़ से रवाना होती हैं किंतु चार्ट प्रेस्टिंग, चार्ट इत्यादि बीकानेर रेलवे स्टेशन पर लगते हैं। यदि इन सभी गाड़ियों को बाईपास से बीकानेर हाल्ट पर ले जाया जाए तो आने वाले समय के लिए बीकानेर हेतु भागीरथी का कार्य रुकेगा।

कैनाल लूप लाइन–स्वरूपसर (रायसिंहनगर) से लेकर श्रीगंगानगर तक ब्रोडगेज कैनाल लूप लाइन बनाई जाए।

रेलवे ओवर व अंडर ब्रिज–बीकानेर शहर में बनवाए जाने वाले अंडर व ओवर ब्रिजों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। बजट नहीं दिए जाने के कारण इनका निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। अतः शीघ्र ही इनका निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए।

रेलवे कालोनी–बीकानेर में लालगढ़ रेलवे स्टेशन से ट्रेनों के आवागमन तथा बीकानेर हाल्ट चालू करवाए जाने से बीकानेर लालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बानी रेलवे कर्मचारियों की दुमंजिली रेलवे कालोनी की उपयोगिता हो पाएगी।

अनूपगढ़ से साऊथ कोन तक प्रतिदिन व्यापारी वर्ग माल भेजते हैं। परंतु माल डिब्बे नहीं होने से व्यापारी व रेलवे दोनों ही काफी परेशानी का सामना करते हैं। अतः माल डिब्बे बढ़ाए जाएं। अनूपगढ़ माल गोदाम में शैड तो बना हुआ है, परंतु अधिकारी व कर्मचारी के बैठने की इसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अतः वहां पर अधिकारी व कर्मचारी के बैठने की व्यवस्था की जाए।

देशनोक में बीकानेर-बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन का स्टॉपेज रखा जाए–देशनोक रेलवे स्टेशन पर हावड़ा–बीकानेर तथा बीकानेर–जयपुर जैसी सुपरफास्ट गाड़ियों का ठहराव है। मगर बीकानेर–बांद्रा एक्सप्रेस गाड़ी होने के बावजूद भी इस गाड़ी का ठहराव नहीं है। देशनोक रेलवे स्टेशन से प्रतिमाह रेलवे को लगभग 2 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। देशनोक में ठहरने वाली बीकानेर–हावड़ा एवं बीकानेर–कालका गाड़ी में आरक्षित बर्थ पूरी तरह भरी हुई जाती है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदय, रेल मंत्री जी ने वर्ष 2000–2001 के बजट के संबंध में जो अनुदान की अनुपूरक मांगें सदन में प्रस्तुत की हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं बिहार के संबंध में माननीय सदस्य श्री रघुनाथ झा, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और श्री संजय जी ने जिन बातों की चर्चा की है, उनका समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मुंगेर में गंगा नदी पर पुल के विषय में मैं कहना चाहता हूं। इस पुल के निर्माण के लिए बजट 1997–98 में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और दो करोड़ रुपया सर्वे के लिए प्रावधान किया गया था, लेकिन दुःख के साथ कहना चाहता हूं, माननीय ममता जी, इन दो करोड़ रुपये के प्रावधान में से 15 प्रतिशत काट लिया गया है।

कुमारी ममता बनर्जी : नहीं, डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट में नहीं हुआ है।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : इस पुल का सर्वे सात वर्षों से चल रहा है और दो करोड़ रुपये का भी काम नहीं हो पाया है। अगर 600 करोड़ रुपये का काम है और जल–भूतल परिवहन को भी अपना हिस्सा देना है, यदि उनका हिस्सा भी इसमें जोड़ा जाए, जो कि लगभग 300 या 600 करोड़ रुपया है यानि यह 1200 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट होगा और सात साल में दो करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हुए हैं, तो यह पुल कितने वर्षों में बनेगा, पता नहीं चलता है। इसलिए हम माननीय ममता जी से निवेदन करना चाहते हैं कि इस काम को बहुत तेजी से बढ़ाया जाए। जहां कहीं भी इसमें अड़चनें हैं, उनको दूर करने का काम करें, जिससे अधिक–से–अधिक दस साल में यह पुल बन जाए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यदि इसी प्रकार की गति रही, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि परियोजना की लागत बढ़ती जाती है। यह बात सिर्फ मुंगेर परियोजना की नहीं है, अन्य परियोजनाओं की भी यही स्थिति है। इसके साथ–साथ जिस हिसाब से लागत बढ़ती है, उसी हिसाब से भ्रष्टाचार भी बढ़ता जाता है और संसद का समय भी उसी में बर्बाद होता है। इसलिए इस राष्ट्र को बचाने के लिए यह जरूरी है कि एक निश्चित अवधि किसी भी योजना के पूरा करने की तैयार करनी चाहिए। जो योजना आयोग तय करता है, उसी अवधि के अंदर उस योजना को हम पूरा कर दें।

सभापति महोदय : ब्रह्मानन्द मंडल जी, आपसे अनुरोध है कि आप संक्षिप्त में अपनी बात कह दीजिए।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : महोदय, मैं संक्षिप्त में ही अपनी बात कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। इसके साथ

कैबिनेट की जो आर्थिक समिति है, उसमें इसको पास करके काम शुरू करवाएं। जमालपुर कारखाना एशिया का सबसे प्रसिद्ध कारखाना था। वहां 22000 मजदूर काम करते थे। वह रिपेयरिंग वर्कशॉप था, जहां स्टीम इंजन की रिपेयरिंग का काम होता था। उसके बाद डीजल इंजन की रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ। वहां प्रतिमाह एक लाख ब्रेक ब्लाक बनते थे, अब वहां मुश्किल से 25,000 भी नहीं बनते हैं। उस वर्कशॉप में पहले एक हजार मजदूर काम करते थे, आज उसमें केवल 300 मजदूर हैं। जमालपुर कारखाने की मैनपावर घटते–घटते आठ–नौ हजार रह गई है। अभी इस साल 900 मजदूरों को वहां से हटाया जा रहा है। 1998–99 के बजट में, जहां बॉक्स वैगन की रिपेयरिंग का काम होता था, पीओएच काम के लिए रेल में बजटीय पावधान किया गया था। वहां 910 वैगन का प्रतिमाह रिपेयरिंग होना था, लेकिन यह साल समाप्त हो रहा है और वहां सौ बॉक्स वैगन की भी रिपेयरिंग नहीं हो रही है, जिसे दो साल के अंदर 900 पर चला जाना था। अगर वह फीगर 900 पर चली जाती तो वहां से मजदूरों को बाहर न भेजा जाता। उसकी मैनपावर लगातार घटती चली जा रही है। वहां जो कारखाना है, वह ज्यों–ज्यों समाप्त होता जा रहा है त्यों–त्यों पूरा जमालपुर शहर वीरान होता जा रहा है। हम ममता जी से निवेदन करेंगे कि बजटीय प्रावधान तो है ही, जो 900 बॉक्स वैगन, पीओएच होने का प्रावधान है उसमें जल्दी से काम कराया जाए।

तीसरी बात यह है कि कजरा से क्यूल तक रेल के दोहरीकरण का काम मात्र 17–18 किलोमीटर बचा हुआ है, जिससे वहां बहुत परेशानी है। चाहे डीएमयू हो, पेसेंजर ट्रेन हो या मेल हो, घंटों तक क्यूल में रुकी रहती है और सिर्फ 40–45 किलोमीटर तक जाने में तीन घंटे का समय लगता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसका दोहरीकरण जल्दी किया जाना चाहिए। साहेबगंज, क्यूल लूप लाईन है, ममता जी जानती हैं कि हावड़ा और सीतारामपुर से लेकर क्यूल होते हुए दानापुर तक विद्युतीकरण का काम करीब–करीब पूरा होने को है या हो गया है। क्यूल तक लूप लाईन से, साहेबगंज से जो ट्रेन आती है उसका भी विद्युतीकरण करने की जरूरत है। जमालपुर कारखाने में विद्युत इंजनों को भी रिपयेरिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप उसके विद्युतीकरण का काम जल्दी से जल्दी कराएं।

महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ ममता जी से पुनः अपील करता हूं कि मुंगेर में गंगा पुल का काम तेजी से बढ़े, इसके लिए वह विशेष ध्यान दें तो यह काम आगे बढ़ सकता है।...*(व्यवधान)* क्लियरेंस कराने का काम तो आपका है, हमारा नहीं है...*(व्यवधान)* आप इसको केबिनेट में ले जाइए।

*श्री गिरधारीलाल भार्गव (जयपुर) : मैं रेलवे की सप्लीमेंटरी डिमांड पर अपने विचार प्रगट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

1. सर्वप्रथम जयपुर में रेल मंत्रालय ने एक नये उत्तर पश्चिमी जोन की स्थापना की स्वीकृति दी है। इसका मुख्यालय जयपुर में प्रस्तावित है। इस जोनेल कार्यालय का उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री देवगौड़ा जी द्वारा जयपुर के गणपति नगर में किया जा चुका है। जोन के मुख्यालय के लिए रेलवे ने जवाहर सर्किल के पास की भूमि आबंटित करने के लिए अनुरोध किया था। इसके लिए राज्य सरकार बहुत सस्ती दर पर जमीन देने के लिए सहमत हो गई है। स्वायत्त शासन विभाग से जमीन की दरों के प्रस्ताव रेलवे को भेज दिए हैं। रेलवे ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजे हुए हैं। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति कर भेजने का अनुरोध है जिससे कि उत्तर पश्चिमी जोन की जयपुर में स्थापना हो सके।

2. उत्तर पश्चिमी जोन की आवासी योजना के लिए जयपुर में 17.44 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की जानी प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है एवं इस बारे में कोई समस्या नहीं है।

3. आगरा बांदीकुई रेलवे लाइन के गेज परिवर्तन का शुभारंभ दिनांक 2.4.99 को हो चुका है, परंतु कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है। उपरोक्त गेज परिवर्तित की दूरी 159 कि.मी. है और कुल लागत 150 करोड़ है। इस गेज परिवर्तन के कार्य पर इस वर्ष केवल मात्र 9 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है जो 'ऊंट के मुंह में जीरे' के समान है। इसका उद्घाटन कई केंद्रीय मंत्रियों द्वारा किया जा चुका है। इसके अभाव में पर्यटकों और यात्रियों को 159 कि.मी. लंबी यात्रा करनी पड़ती है जिसके कारण समय और धन का अपव्यय हो रहा है। रेलवे विभाग को भी लगभग 50 लाख रुपये प्रतिदिन का नुकसान हो रहा है। इस परियोजना को राजस्थान में प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

4. गांधीनगर जयपुर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनगरीय रेलवे स्टेशन है जिसके इर्द–गिर्द बसी 1161 से ज्यादा कालोनियों में लगभग तीन लाख लोग विभिन्न

*सभा पटल पर रखा गया।

[श्री गिरधारीलाल भार्गव]

कालोनियों में निवास करते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर दिल्ली–अहमदाबाद, आश्रम, जम्मू तवी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एवं अजमेर–नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस जैसी रेलों का ठहराव नहीं होने से इन कालोनियों के निवासियों को भारी परेशानी होती है जबकि इस स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा भी उपलब्ध है। इस स्टेशन पर सभी गाड़ियों का ठहराव कर दिए जाने से लोगों को सुविधा के साथ ही जयपुर स्टेशन पर यात्रियों का दबाव भी कम हो सकेगा।

जयपुर से सवाई माधोपुर, कोटा मुम्बई लाइन पर दुर्गापुरा जयपुर स्टेशन का महत्वपूर्ण उपनगरीय रेलवे स्टेशन है। जिस स्टेशन से जयपुर–मुम्बई सुपरफास्ट व अन्य सभी गाड़ियां प्रारंभ होती थीं, आज वहां कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती है। जबकि वहां बहुत अधिक आसपास के क्षेत्र में जनसंख्या है व अच्छा ट्रैफिक है। इसके अतिरिक्त वहां रेल से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अतः दुर्गापुर में जयपुर मुम्बई सुपरफास्ट तथा जयपुर मदास एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की शीघ्र व्यवस्था करने का कष्ट करें।

दुर्गापुरा स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मा. दिग्विजय सिंह जी रेल मंत्री ने उपरोक्त दोनों रेलवे स्टेशनों पर गाड़ी ठहराने की घोषणा की थी इसे शीघ्र पूरा करने का अनुरोध है। आशा है कि अनुकूल आदेश अविलंब जारी करने का कष्ट करेंगी।

इसके अतिरिक्त जगतपुरा रेलवे स्टेशन जो जयपुर का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और काफी जनसंख्या यहां निवास करती है, आने–जाने वाली गाड़ियों के ठहराव की घोषणा की जाए।

विषय : जयपुर लोक सभा क्षेत्र के बस्सी स्टेशन पर गाड़ियों के ठहराव बाबत।

1. यह कि तहसील मुख्यालय बस्सी रेलवे स्टेशन पर छोटी लाइन के समय उ.प्र., दिल्ली, अहमदाबाद व जोधपुर–जैसलमेर के लिए चार–चार गाड़ियों सहित कुल बारह रेलगाड़ियों का ठहराव था। इनमें से छह एक्सप्रेस गाड़ियां थीं।

2. यह कि आमान परिवर्तन के बाद मात्र दो गाड़ियों का ठहराव ही इस स्टेशन पर रखा गया है। इससे इस क्षेत्र के एक बड़े बाजार का दीर्घ समय से उ.प्र. व दिल्ली की मंडियों से संबंध तो समाप्त हो ही गया साथ ही उस क्षेत्र के दिल्ली व अन्यत्र कार्यरत लगभग बीस हजार से ज्यादा श्रमिकों की आवागमन की सुविधा भी समाप्त हो गई है।

3. यह कि स्थिति यहां तक हो गई है कि जयपुर जिले के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लोगों को जयपुर के लिए भी प्रातः आठ बजे बाद, रात्रि साढ़े दस बजे एवं लौटने के लिए सवेरे 4 बजे बाद शाम 7 बजे ही गाड़ी उपलब्ध है। इससे विभिन्न कार्यों से अप–डाउन करने वाले दो हजार से ज्यादा दैनिक यात्रियों को भी इस आवश्यक सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है जबकि बावल व बसवा जैसे छोटे स्टेशनों पर एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव है।

अतः साग्रह अनुरोध है कि बस्सी रेलवे स्टेशन पर कम–से–कम जोधपुर–दिल्ली वाया जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस एवं जोधपुर–वाराणसी एक्सप्रेस का ठहराव कराने के आदेश जारी करावें ताकि इस क्षेत्र के सबसे बड़े बाजार का दिल्ली व उ. प्र. की मंडियों से पुनः जुड़ाव होने के साथ ही हजारों श्रमिकों को आवागमन की सुविधा व दैनिक यात्रियों को जयपुर के लिए दिन के समय गाड़ी की उपलब्धता हो सके।

विषय : दिल्ली अहमदाबाद रेल बड़ी लाइन रेलगाड़ी 9105 तथा 9106 को नरायना विराम दिलवाने के संबंध में।

नरैना नगर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जहां दादूपंथियों का दादू द्वारा स्वामी दादूदयाल जी महाराज की पूज्य भूमि है, जहां वर्ष भर दादूपंथी लोग आते–जाते रहते हैं एवं यहां पर सिख समुदाय द्वारा गुरु गोविन्द सिंह जी की स्मृति में गुरुद्वारा बनाया हुआ है इसमें देशभर से सिख समुदाय के लोग वर्ष भर आते रहते हैं। यह नगर जैन धर्म का भी अतिशय क्षेत्र है। यहां के जैन मंदिर में जैन धर्म की दुर्लभ एवं प्राचीन मूर्तियां जो यहीं पर भूगर्भ से निकलती हैं स्थापित हैं जिनके दर्शनार्थ जैन धर्म के लोग भी देशभर से आते रहते हैं, यहां पर अनुसूचित जाति व जनजाति के आराध्य देवता श्री रामदेव जी महाराज के अनुयायी श्री रणसिंह जी महाराज का प्राचीन मंदिर है जो यात्री बाबा रामदेव के मरुणीचा स्थित मंदिर में जाकर आता है। वह यहां अवश्य आकर जाता है ऐसा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों का मानना है। इसलिए इस समुदाय के लोग यहां वर्षभर आते–जाते रहते हैं।

इसके अलावा यहां कई प्रकार के उद्योग भी चल रहे हैं। यह नगर पुरानी व्यापारिक मंडी भी है, अतः दिल्ली अहमदाबाद के मध्य चलने वाली 9105 तथा 9106 रेलगाड़ी का नरैना रेलवे स्टेशन पर दो मिनट का विराम अति आवश्यक है।

वनस्थली विद्यापीठ शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। जहां पूरे भारतवर्ष की लड़कियां शिक्षा ग्रहण करने आती हैं। उनके अभिभावकों को उनसे संपर्क करने के लिए आना–जाना पड़ता है। अतः वनस्थली स्टेशन पर गाड़ी का ठहराव अत्यंत ही आवश्यक है।

भिवाड़ी को रेलमार्ग से जोड़ा जाना–

भिवाड़ी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक कस्बों में से एक है। यह धारूहेड़ा से पांच किलोमीटर तथा रेवाड़ी से 25 कि.मी. एवं दिल्ली से 75 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। भिवाड़ी में 1 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। इस क्षेत्र में व इसके आसपास पर्याप्त जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र के भावी विकास की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने इसे बड़े कस्बे के रूप में विकसित करने का निश्चय किया है। ज्ञात रहे कि दिल्ली में जो औद्योगिक इकाइयां बंद की जा रही हैं उनको भी राजस्थान सरकार ने इसी स्थान पर बसाने का निश्चय कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। इसके अलावा भिवाड़ी हेतु एक इनलैंड कंटेनर डिपो की स्वीकृति मिल चुकी है तथा भारत सरकार से यहां के लिए एक निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की अनुमति भी प्राप्त होने की संभावना है। वर्तमान में भिवाड़ी रेल मार्ग के मानचित्र में नहीं है परंतु उसके वर्तमान कलेवर एवं भावी विकास की संभावनाओं से स्पष्ट है कि इसे रेल सेवा से जोड़ा जाना अनिवार्य है।

प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज–

1. सीकर–झुंझनूं बाईपास तैयार है और जयपुर गंगानगर छोटी रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण सड़क बाईपास चालू नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस पर रेलवे बोर्ड के द्वारा ब्रिज बनाना प्रस्तावित है।

2. कोटा रोड जयपुर–कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के पास शिवदासपुरा एवं नेवाई के पास एन.एच.आई., एन.एच.एच.आई. व रेलवे बोर्ड द्वारा ओवरब्रिज बनाना प्रस्तावित है। जिससे यातायात सुचारु रूप से चलाया जा सके।

जयपुर से हरिद्वार जाने वाली गाड़ी जयपुर में रात्रि 3.30 बजे पहुंचती है और वह भी सप्ताह में केवल एक बार। आपसे अनुरोध है कि इस गाड़ी के जयपुर पहुंचने के समय में परिवर्तन किया जाए। गाड़ी जयपुर से सायंकाल या रात्रि 10 बजे जयपुर से प्रारंभ होकर प्रातःकाल हरिद्वार पहुंच जाए। परिवर्तन करने का कष्ट करें और गाड़ी सप्ताह में तीन रोज चले। इस गाड़ी के संबंध में मा. दिग्विजय सिंह जी ने आश्वासन दिया था।

इसके साथ ही अंत में अनुरोध है कि जयपुर से गोरखपुर, गोहाटी, त्रिवेन्द्रम और चंडीगढ़ के लिए जयपुर से सीधी रेल सेवा प्रारम्भ करे।

आशा व विश्वास है कि रेलवे मंत्री जी उपरोक्त मांगों को पूरा कर मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता की प्रबल मांगों पर अवश्य ध्यान देंगी।

सभापति महोदय : गिरधारी लाल जी, आप स्पीच ले करना चाहते हैं तो कर दीजिए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, इस समय 10 बजकर 50 मिनट हो रहे हैं और यहां हम लोग रेलवे के अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। रेल के बारे में मैं कहूं तो यह गरीब लोगों की रेल है और इसमें 90 प्रतिशत से भी ज्यादा गरीब लोग सफर करते हैं। इसमें कितने लोग टिकट लेते हैं हमें इसके बारे में भी सोचना है। माननीय ममता जी जब से इस महकमे में आई हैं इसमें सुधार के बारे में सोच रही हैं लेकिन जब तक रेलवे से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा और जो मैनेजमेंट है वह ठीक से अपना काम नहीं करेगा तब तक मंत्री जी कितनी भी घोषणाएं करें, रेल ठीक से नहीं चल सकती हैं।

मेरा निवेदन है कि जो खलासी रेलवे को मजबूत बनाने का काम करते हैं उनको तीन साल बाद स्थाई करने की आवश्यकता है। आज वे 10–15 साल तक अस्थाई तौर पर खलासी ही रहते हैं। उनको परमानेंट करने की आवश्यकता है। मेरा कहना यह है कि "जब तक ममता जी चलाएंगी रेल, तब तक अटल जी का चलेगा खेल, अगर ममता जी बंद करेंगी रेल, सरकार चलाने में अटल जी हो जाएंगे फेल" यह बात भी सही है कि ममता जी के प्रति हमारे हृदय में बहुत आदर भी है और सभापति महोदय "जब तक आप नहीं बजाएंगे बैल, तब तक मेरे भाषण का चलता रहेगा खेल"।...*(व्यवधान)* हमारी मांग है कि खलासी के बारे में गंभीरता से विचार होना चाहिए। उसके साथ–साथ एक मुम्बई से दिल्ली तक बुलैट–ट्रेन चलाने की आवश्यकता है जो हर घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, जिससे हम मुम्बई से 5–6 घंटे में दिल्ली आ सकते हैं। बुलैट–ट्रेन के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है। दुनिया बहुत फास्ट चल रही है इसलिए हमें भी फास्ट चलने की आवश्यकता है। यह ट्रेन ऐसी होनी चाहिए कि लोग उधर से इधर और इधर से उधर जाएं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र पंढरपुर–कुरवाडी में आपने 225 करोड़ रुपये मीटरगेज को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने के लिए दिए थे। वह काम हो चुका है और मार्च के महीने में वहां आपको उसके उद्घाटन के लिए आना है। पंढरपुर–लातूर और पंढरपुर–मेरठ

[श्री रामदास आठवले]

के लिए आपको पांच सौ करोड़ रुपया कम से कम घोषित करने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी हम आपको वहां...*(व्यवधान)* मेरी सूचना ऐसी है कि अयोध्या तक यह रेल है, इसलिए मैं उस पर अब जाना नहीं चाहता हूं। मैं अटल जी से कहने वाला था कि आपने हमसे ज्यादा आडवाणी जी के साथ धोखा किया। उनको हटाने का यही सही वक्त है।...*(व्यवधान)* जो ट्रेन अयोध्या तक है, वहां सरजू नदी पर एक ब्रिज बनाकर उस ट्रेन को आगे ले जाने की आवश्यकता है। यदि वह ट्रेन वहां तक जाएगी तो यह प्राब्लम सॉल्व हो जाएगी। रेलवे में सुधार लाने के लिए ममता जी प्रयत्न करेंगी, ऐसी मुझे आशा है।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी का आभारी हूं कि वह जब से रेल मंत्री बनीं, उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ ध्यान देना प्रारंभ किया। आजादी के 53 सालों में हिमाचल प्रदेश के साथ रेलों के विस्तार की दृष्टि से बहुत उपेक्षा हुई है। जो भी रेलवे ट्रैक बने वे अंग्रेजों के समय में बने। एकमात्र ट्रैक 1973 में प्रारंभ हुआ। वह 25 वर्षों में मात्र 16 किलोमीटर बना है। 80 किलोमीटर ट्रैक अभी और बनाना है। 25 सालों में मात्र 16 किलोमीटर बना है। इसलिए 80 किलोमीटर बनाने में अगली पूरी शताब्दी न लग जाए, मुझे इसका डर है। उस ट्रैक पर ऊना से तलवाड़ा तक रेलवे ट्रैक है। उसके लिए अधिक पैसे का प्रावधान करने की आवश्यकता है। वहां धीमी गति से काम प्रारंभ हुआ है। उसके लिए अधिक पैसे का प्रावधान किया जाए ताकि तेज गति से काम हो सके।

ऊना से हरिद्वार तक एक रेलगाड़ी चलाने के लिए बार-बार मांग हुई। एक-दो सर्वे होने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। बहुत दिनों से यह मांग है। हिमाचल प्रदेश में रेलों का विस्तार पहले से न होने के कारण, वहां आवागमन के साधनों की बहुत थोड़ी सुविधाएं हैं। वहां गाड़ियां न चलाने से हिमाचल प्रदेश के लोग उपेक्षित अनुभव करते हैं। छोटे से एडजस्टमेंट से ऊना से हरिद्वार तक एक रेलगाड़ी प्रारंभ की जा सकती है। इसे करने से हिमाचल प्रदेश की जनता को काफी राहत अनुभव होगी। ऊना से दिल्ली आने के लिए एकमात्र हिमाचल एक्सप्रेस में एक ए.सी. कोच जोड़ने की आवश्यकता है। वहां से हिमाचल के लिए 50 आरक्षित सीटें हैं। उस कोटे को बढ़ा दिया जाए। इससे वहां के लोगों को कुछ न कुछ राहत मिलेगी। इस तरफ रेल मंत्री ध्यान दें। एक सर्वे नंगल के पास बिलासपुर के लिए हुआ। उसके लिए कारपोरेशन बनाकर ब्रॉडगेज ट्रैक बनाने की योजना बनी है। रेल मंत्रालय उस ट्रैक को बनाए। वह बहुत फ्रूटफुल ट्रैक होगा। वहां से 20 लाख टन मीट्रिक टन सीमेंट कैरी होता है। इसके कारण सड़कों पर इतना दबाव है कि हर समय एक हजार ट्रक वहां से गुजरते हैं। वहां इस समय ट्रैक नहीं है। उस ट्रैक को रेलवे प्राथमिकता के आधार पर बनाए। भानुपल्ली से बिलासपुर तक इस ट्रैक के बन जाने से लोगों को यातायात की सुविधा मिलेगी और सीमेंट का कैरिज ठीक ढंग से हो सकेगा। अंत में मैं मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर)* : धन्यवाद महोदय, मैं रेलवे की अनुदान की पूरक मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं माननीया रेल मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे संसदीय क्षेत्र के खुरई स्टेशन पर हीराकुंड एवं कुर्ला एक्सप्रेस का ठहराव किया एवं बीना स्टेशन पर हबीबगंज निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस का ठहराव किया। इसके साथ ही मंडीबामोरा स्टेशन पर रेवांचल एक्सप्रेस का ठहराव किया। सागर में राहतगढ़ रेलवे फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध है कि रेलवे ने अपने हिस्से का कार्य तो लगभग कर लिया है किंतु राज्य सरकार ने रेलवे ओवर ब्रिज के दोनों तरफ जो एप्रोच रोड का कार्य उनके द्वारा किया जाना है अभी तक प्रारंभ नहीं किया है। कृपया राज्य सरकार को शीघ्र कार्य करने हेतु निर्देशित किया जाए।

भोपाल राजकोट ट्रेन को वाया इटारसी होकर अभी तीन दिन चलाया जा रहा है, उसे सप्ताह में तीन दिन जबलपुर कटनी दमोह सागर बीना भोपाल राजकोट चलाया जाए।

महामाया एक्सप्रेस जो कि जबलपुर से निजामुद्दीन चलाई जाती है उसे अभी बीना में लिंक करके चलाया जाता है जबकि इस ट्रेन में कटनी दमोह सागर खुरई में लोगों को गाड़ी में प्रवेश करने नहीं मिलता है। अभी महामाया एक्सप्रेस को जबलपुर से ही पूरी ट्रेन के रूप में चलाया जाना चाहिए। मेरे संसदीय क्षेत्र के करौंदा स्टेशन पर पठानकोट एक्सप्रेस शाहपुर स्टेशन पर उत्कल एक्सप्रेस का एवं मंडी बामोरा स्टेशन पर सदन एक्सप्रेस का ठहराव किया जाना चाहिए। बीना जंक्शन पर एक और प्लेटफार्म का निर्माण कार्य किया जाना अति आवश्यक है। जरूवा खेड़ा, नरयावली एवं शाहपुर के स्टेशनों पर प्लेटफार्मों को ऊंचा किए जाने एवं शेड लगाए जाने का कार्य शीघ्र होना चाहिए।

दमोह सागर बीना के दैनिक यात्रियों की सुविधा हेतु बीना से दमोह एक ई.एम.यू. ट्रेन चलाई जानी चाहिए। शाहपुर स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ओवर ब्रिज का बनाया जाना बहुत जरूरी है। डांगीडर स्टेशन पर पैसेंजर गाड़ियां रुकती हैं किंतु टिकट बुकिंग नहीं होती। अतः टिकट

*सभा पटल पर रखा गया।

बुकिंग प्रारंभ करवाने की आवश्यकता है। सागर से नागपुर वाया देवरी होकर नई रेल लाइन बिछवाने की आवश्यकता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र की सुविधा के लिए मेरे सुझाव निम्नानुसार है :

भोपाल और बिलासपुर के बीच चलने वाली यात्री गाड़ी को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक बढ़ाया जाना चाहिए। बीना एवं कटनी के मध्य चल रही यात्री गाड़ी को जबलपुर तक बढ़ाया जाए ताकि सागर क्षेत्र की जनता को दिन में ट्रेन से जबलपुर तक आने–जाने की सुविधा उपलब्ध हो सके। इंदौर–हावड़ा के बीच चलने वाली छिप्रा एक्सप्रेस निजामुद्दीन–संभलपुर के बीच चलने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाए। बीना इटारसी के मध्य चलने वाली गाड़ी का समय परिवर्तन का इसे इटारसी से प्रातः 5.00 बजे बीना के लिए रवाना किया जाए ताकि दिन में सागर के यात्रियों को बीना जाने की सुविधा हो सके। भोपाल और दुर्ग के मध्य चलने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन वाया सागर होकर चलाया जाए। रायपुर से दिल्ली के लिए बिलासपुर कटनी सागर बीना होकर नई राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाए। अहमदाबाद हावड़ा को चलने वाली प्रस्तावित ट्रेन को अहमदाबाद बड़ौदा भोपाल बीना सागर कटनी सतना हावड़ा होकर चलाई जाए।

*श्री दलपत सिंह परस्ते (शहडोल) : महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र की जनता की ओर से निम्न मांगें प्रस्तुत हैं–

1. चांदिया स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाए और सारनाथ एक्सप्रेस का स्टापेज किया जाए।
2. डमरिया रेलवे स्टेशन में सम्भलपुर एक्सप्रेस का स्टापेज किया जाए तथा कोटा निर्धारित किया जाए।
3. नरौजाबाद रेलवे स्टेशन को ऊंचा किया जाए व पैदल पथ रेलवे लाइन के ऊपर बनाया जाए।
4. यात्री रेलवे स्टेशन को ऊंचा किया जाए व सारनाथ एक्सप्रेस को पाली में स्टापेज किया जाए व कोटा आरक्षण किया जाए।
5. दमोह व विजयस्लोता स्टेशन में शक्तिपुंज एक्सप्रेस का स्टापेज दिया जाए व रेलवे स्टेशन को सुधार किया जाए।
6. ब्यौहारी स्टेशन में सुधार किया जाकर आधुनिकीकरण किया जाए।
7. शहडोल रेलवे स्टेशन में आरक्षण सुविधा कम्प्यूटर द्वारा व्यवस्था किया जाए तथा प्रत्येक सवारी एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए।
8. बुढ़ार स्टेशन में सारनाथ एक्सप्रेस रोका जाए।
9. रायपुर से एक नई रेल सवारी गाड़ी एक्सप्रेस चलाया जाए, जो गोरखपुर तक चलाई जाए।
10. अनूपपुर में ओवर ब्रिज बनाया जाए व कोतमा में भी ओवरब्रिज बनाया जाए।
11. बिजुरी में पैदल पथ एक छोर से रेल पटरी के ऊपर बनाया जाए, जिससे लोगों को आने–जाने में सुविधा हो।
12. जैतहरी रेलवे स्टेशन में उत्कल एक्सप्रेस का स्टापेज दिया जाए जिससे आदिवासियों को सुविधा मुहैया कराया जाए।
13. अनूपपुर से बिलासपुर लाइन में जहां–जहां दोहरी लाइन निर्माण नहीं हो पाया है, दोहरीकरण लाइन का निर्माण कराया जाए।

अतः उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग के आमद के अनुसार बजट राशि में निर्माण हेतु प्रावधान किए जाने की व्यवस्था की जाए व शहडोल संसदीय क्षेत्र को कलकत्ता तथा बाम्बे जैसे महानगरों से जोड़ा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

*डा. एम. वेंकटस्वामी (तिरुपति) : महोदय, माननीय मंत्री महोदया जनसाधारण की हमदर्द के रूप में जानी जाती हैं और यही बात इस वर्ष फरवरी के दौरान प्रस्तुत वर्ष 2000–2001 के रेल बजट में प्रतिबिंबित हुई है। उन्होंने अनेक राज्यों को बहुत कुछ इस बजट के माध्यम से दिया है लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि आंध्र प्रदेश में और विशेषकर रायलसीमा में उनकी उदारता पूरी तरह नहीं पहुंच सकी है। महोदय, रायलसीमा प्रत्येक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और उत्तरोत्तर सरकारों ने इसकी उपेक्षा ही की है। इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पानी न रहने के कारण वहां कोई भी सिंचाई परियोजना नहीं बन पाई है, इस सच्चाई के बावजूद कि वहां संगमरमर, बाइरेट्स, ग्रेनाइटस, चूना पत्थर और अन्य अयस्कों जैसे बहुमूल्य खनिजों एवं धातुओं के विशाल भंडार हैं लेकिन फिर भी वहां

*सभा पटल पर रखा गया।

*सभा पटल पर रखा गया।

[डा. एन. वेंकटस्वामी]

किसी बड़े उद्योग की स्थापना नहीं की गई है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संचार और यातायात का होना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिरुपति से काटपाड़ि तक की रेल लाइन के आमान परिवर्तन पर विचार किया गया था। इस क्षेत्र को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पांडिचेरी जैसे राज्यों से यातायात की दृष्टि से जोड़ने के लिए तिरुपति से काटपाड़ि तक की रेल लाइन के आमान परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। यही नहीं, तिरुपति एक तीर्थ स्थान है और देश के अन्य भागों से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें बालाजी के रूप में जाना जाता है, के दर्शन करने तिरुपति आते हैं। यह एक तीर्थ स्थान ही नहीं बल्कि शिक्षा केंद्र भी है। तिरुपति में तीन विश्वविद्यालय हैं। तिरुपति में प्रतिदिन अनेक विद्यार्थी गांवों से अध्ययन हेतु आते हैं।

इन सभी तथ्यों के मद्देनजर, तिरुपति से काटपाड़ि तक रेल लाइन के आमान परिवर्तन करने के मुद्दे पर 30 वर्ष पूर्व विचार किया गया था। इसके लिए तकनीकी स्वीकृति 1980 में दी गई और इस कार्य को 1992–93 में आरंभ किया गया। इसके लिए वर्षवार बजट प्रावधान इस प्रकार दिखाए गए—वर्ष 1998–99 में 30 करोड़ रुपये, 1999–2000 में 20 करोड़ रुपये, तथा 2000–2001 में मात्र 12 करोड़ रुपये। आमान परिवर्तन का कार्य 1992–93 में मुख्यतः हासपेट से गड़का तथा केस्टल रेक तक के लिए आरंभ किया गया है। नंदयाल से गुन्टाकुल तथा त्रिची से कांचीपुरम तक का कार्य पूरा कर लिया गया है। लेकिन 1992–93 में आरंभ किया गया तिरुपति से काटपाड़ि तक का आमान परिवर्तन का कार्य अभी भी अपनी आरंभिक अवस्था में है। यह काफी दुःखद बात है। तिरुपति से काटपाड़ि तक के आमान परिवर्तन का कार्य कम से कम दिसंबर 2001 के अंत तक पूरा कर लिया जाए। धर्मावरम से पोकला के बीच आमान परिवर्तन से संबंधित दूसरी महत्त्वपूर्ण परियोजना के कार्य को भी शीघ्र ही आरंभ किया जाना है और यथाशीघ्र उसे पूरा किया जाना है। रेल लाइनों के दोहरीकरण की बात पर, एक दशक पुरानी गुंताकल से रेणिगुंटा परियोजना के दोहरीकरण का कार्य पूरा किया जाना है, यदि ऐसा किया जाता है तो चूना पत्थर, वाइंराइट्स, ग्रेनाइट्स जैसे बहुमूल्य खनिजों का आसानी से निर्यात किया जा सकेगा। ये सभी निर्यात से आय अर्जक खनिज है। एराकुंतल में सीमेंट का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इससे उद्योग और रेलवे को भी सहायता मिलेगी, गुंटूर से रेणिगुंटा तक के दोहरीकरण का दूसरे कार्य को भी शीघ्र पूरा किया जाना है, रायलसीमा क्षेत्र के पिछड़ेपन के मद्देनजर कुड्डापाह जिले में अनंतपुर से एराकुंतल तक नई रेल लाइन की अत्यंत आवश्यकता है। अरकोणम् से रेणिगुंटा तथा चेन्नई से गुंटूर तक ई.एम.यू. गाड़ियों को शीघ्र चलाए जाने की आवश्यकता है। नवजीवन एक्सप्रेस को सुलूरपेट्ट रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस स्थान से श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरे देश के वैज्ञानिक विशेषकर उत्तर भारत के वैज्ञानिक एस.एच.ए.आर. सुलूरपेट्ट में कार्यरत है जो कि गुंडूर और चेन्नई के बीच स्थित है। एस.एच.ए.आर. आने के लिए वैज्ञानिकों को या तो गुंडूर में उतरना पड़ता है और 60 किलोमीटर की यात्रा और करनी पड़ती है या चेन्नई में उतरकर 70 किलोमीटर की यात्रा और करनी पड़ती है, अतः नवजीवन एक्सप्रेस को सुलूरपेट्ट रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की आवश्यकता है। तिरुपति में स्थापित सवारी डिब्बा मरम्मत कार्यशाला को 100 सवारी डिब्बों की मरम्मत क्षमता के स्वीकृति स्तर तक सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

*प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं माननीया ममता जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने गतिशील एवं जुझारू व्यक्तित्व एवं निरंतर कर्मठता के आधार पर रेलवे जैसे बड़े विभाग को पुनः राष्ट्रहित में गतिमान करने का सफल प्रयास किया है। सुरक्षा, संरक्षा, समय की पाबंदी आदि की दृष्टि से तथा जन–साधारण की शिकायतें दूर करने में उन्होंने आशातीत सफलता अर्जित की है। लोगों की आशाएं तथा अपेक्षाएं उनसे बहुत हैं पर बजटीय सहायता के अभाव तथा आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण वे चाहते हुए भी कुछ कर पाने में असमर्थता अनुभव करती हैं।

मैं उनके द्वारा प्रस्तुत रेलवे के पूरक बजट की मांगों का पूर्ण समर्थन करता हूं। महोदय, रेलवे राष्ट्र की वे नसें हैं जिनमें राष्ट्रीय एकता का रक्त बहता है।

इस पूरक बजट में समपार फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था तथा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुल का निर्माण तथा अन्य अपरिहार्य महत्वपूर्ण कार्यों को सम्मिलित किया गया है। इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले एक निर्णय लिया गया था कि संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की ब्रॉडगेज, यूनीगेज सिस्टम, स्थापित करने का प्रयास होगा परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि धनाभाव के कारण प्रबल इच्छाशक्ति के होते हुए भी यह कार्य

*सभा पटल पर रखा गया।

अवरुद्ध हो गया है। अतः पुनः इस संबंध में विचार करना आवश्यक है कि संपूर्ण देश में यूनीगेज सिस्टम लागू की जाए ताकि आधा तीतर आधा बटेर वाली स्थिति नहीं रहे।

महोदय, दिल्ली–अहमदाबाद वाया जयपुर–अजमेर ब्रॉडगेज लाइन को डबल लाइन, दुहरीकरण, किया जाए जिससे इस पथ पर चलने वाली रेलगाड़ियों की गति तेज हो, समय भी कम लगे तथा अधिक गाड़ियां चलाई जा सकें। आपने बैंगलूर तथा कलकत्ता (स्यालदाह) से सांप्रदायिक सौहार्द्रता के लिए प्रख्यात अजमेर शरीफ को नई रेलों से जोड़कर महत्वपूर्ण कार्य किया है तदर्थ हार्दिक धन्यवाद। आपने दिल्ली–अहमदाबाद के मध्य वाया जयपुर अजमेर राजधानी एक्सप्रेस, हरिद्वार वाया अजमेर–जयपुर, बरेली गांधी धाम वाया दिल्ली–जयपुर–अजमेर आदि चलाकर लंबी दूरी तक सफर करने वाले यात्रियों को उपयोगी सुविधाएं प्रदान की हैं, प्रार्थना यही है कि इन गाड़ियों के फेरे बढ़ा दिए जाएं। इन गाड़ियों में आरक्षण वाले डिब्बे ज्यादा रहते हैं, आम जनता के लिए साधारण श्रेणी की बोगियां भी इन गाड़ियों में लगाई जाएं।

महोदय, कृपया निम्न समस्याओं की ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा–

अजमेर–पुष्कर रेल मार्ग पर शीघ्र ही कार्य शुरू कर इसे पूर्ण किया जाए। दिल्ली–अहमदाबाद मेल 9901 अप, 9902 डाउन में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित डिब्बा लगाया जाए, पहले मीटरगेज पर चलने वाली मेल में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित डिब्बा था। पूर्व में मीटरगेज के समय दिन को चलने वाली 9903 अप, 9904 डाउन दिल्ली–अहमदाबाद गाड़ी ब्रॉडगेज पर भी चलाई जाए। यह गाड़ी अत्यंत आवश्यक है। पूर्व में चलने वाली दिल्ली–अजमेर, अजमेर–मेहसाना पैसेंजर गाड़ियां शीघ्र ब्रॉडगेज पर चालू की जाएं। जो सभी स्टेशनों पर रुके और आम ग्रामीण जनता इससे लाभान्वित हो सके।

बांदी कुई आगरा फोर्ट ब्रॉडगेज लाइन अभी तक भी पूर्ण नहीं हो पाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। महोदय, इस ब्रॉडगेज को शीघ्र निर्मित करवाकर पूर्व में मीटरगेज की भांति अहमदाबाद–आगराफोर्ट वाया अजमेर जयपुर जो पहले लोकल एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध थी, चलाई जाए ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अजमेर का सीधा संबंध हो सके।

उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन नया बनाया गया था और उसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया था परंतु उसकी अभी तक शुरूआत नहीं हो पाई है। जयपुर में जमीन भी नहीं मिल पाई है। जबकि अजमेर में रेलवे के पास पर्याप्त भूमि भी विद्यमान है और वह सब प्रकार से उपयुक्त है तथा निर्धारित जोन के मध्य में भी होगा। अजमेर के लोको तथा कैरीज कारखानों की कार्य क्षमता और बढ़ाई जाए और वहां ब्रॉडगेज की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यवृद्धि की जाए।

अजमेर–भीलवाड़ा–चित्तौड़–उदयपुर को अविलंब ब्रॉडगेज में बदला जाए। उदयपुर–वीरमगांव–अहमदाबाद को भी ब्रॉडगेज में बदलने हेतु कार्य योजना बनाकर अगले वर्ष सम्मिलित किया जाए। फुलेरा–रींगस–रिवाड़ी मीटरगेज को शीघ्र ही ब्रॉडगेज में बदले जाने की आवश्यकता है। मेड़ता रोड से पुष्कर रेलवे मार्ग से जोड़ने हेतु सर्वे करवाया जाए। अजमेर को कोटा से जोड़ने के लिए वाया केकड़ी–देवती–बूंदी रेलवे मार्ग का सर्वेक्षण किया जाए।

ब्यावर–जवाना–भीम–देवगढ़ को रेलवे से जोड़ने हेतु सर्वे किया जाए। अजमेर में रेलवे यात्री निवास का निर्माण करवाया जाए। ब्यावर, किशनगढ़ स्टेशनों का विकास किया जाए। अजमेर को हैदराबाद से ब्रॉडगेज पर एक गाड़ी चलाना अत्यंत आवश्यक है। अजमेर–मुम्बई साइल होलीडे एक्सप्रेस बहुत फायदे में चल रही है। अतः इसे नियमित तथा स्थायी किया जाए। किशनगढ़ तथा ब्यावर में आश्रम एक्सप्रेस तथा अन्य लंबी दूरी की गाड़ियां रोकी जाएं। ये औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर हैं। दो–दो मिनट का ही स्टापेज दिया जाए।

तिलोनिया जिला अजमेर में पहले कई गाड़ियां रुकती थीं परंतु ब्रॉडगेज के बाद कम गाड़ियां रुकती हैं। अतः वहां साधारण पैसेंजर गाड़ियों को अवश्य रोका जाए। किशनगढ़ में रूपन रोड पर रेलवे स्टेशन के पास उपरीपुल बनना परम आवश्यक है। अजमेर में जौन्सगंज तथा गुलाबबाड़ी में तथा ब्यावर में कृष्णा मील रोड पर रेलवे लाइन पर उपरीपुल बनना अत्यंत आवश्यक है। अजमेर संसदीय क्षेत्र में लामाना, मकरेड़ा, दांता–न्यारा, राजीसी मुहामी आदि रेलवे फाटकों पर 24 घंटे चौकीदारों की व्यवस्था की जाए ताकि रात्रि में ग्रामीणजनों को आने–जाने में असुविधा नहीं हो सके।

अजमेर में रेलवे की खाली पड़ी जमीन का व्यवसायिक उपयोग किया जाए, अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाए। जम्मूतवी–जयपुर को अजमेर तक बढ़ाया जाए। अजमेर को अमृतसर, अजमेर को हरिद्वार तथा अजमेर को चेन्नई रेल मार्ग द्वारा जोड़ा जाए। रेलवे का डी.एस. ऑफिस 100 वर्ष से पुराना है वह राष्ट्रीय हैरीटेज संपत्ति के तुल्य है, इसका मैंटीनेंस तथा ऐतिहासिकता बनाए रखना आवश्यक है। रेलवे कालोनियों में क्वार्टरों की मरम्मत, सड़कों, नालियों का निर्माण आवश्यक है।

लोको एवं कैरीज, खेलने के मैदानों तथा रेलवे वीसीट संस्थाओं की स्थिति में सुधार आवश्यक है। रेलगाड़ियों में सफाई

[प्रो. रासा सिंह रावत]

व्यवस्था तथा रेलवे स्टेशनों पर आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराना आवश्यक है। रेलवे लोक सेवा आयोग अजमेर के वर्तमान कार्य में काफी मुस्तैदी आई है तथा पहले की अनियमितताओं को वर्तमान चेयरमैन ने रोककर नियंत्रित कर दिया है। यही प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए।

अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, विनयनगर के कोटे में वृद्धि की जाए। रेलवे अस्पताल तथा रेलवे विद्यालयों की स्थिति में सुधार करना भी आवश्यक है।

रात्रि 11.00 बजे

कुमारी ममता बनर्जी : सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यगण का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। उन्होंने कांस्टीटुएंसी की बात कही है। स्टेट के बारे में कहा, देश के बारे में कहा, सेफ्टी के बारे में कहा, सिक्युरिटी के बारे में कहा, नई रेलवे लाइनों के बारे में कहा, प्रोजेक्ट के बारे में कहा है और साथ–साथ रेलवे की जो परिस्थिति है, उसके बारे में भी कहा है। सर, इनडिवीजुअली जो प्वाइंट्स स्टेशंस, प्रोजेक्ट्स और लाइनों के बारे में रेज किए गए हैं, उनके बारे में मैं अभी डीटेल में नहीं बताना चाहती हूं, चूंकि इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट और हर कांस्टीटुएंसी में अलग–अलग प्रॉब्लम्बस हैं। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहती लेकिन

[अनुवाद]

मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल करना चाहती हूं।

[हिन्दी]

माननीय मुनियप्पा जी ने इस डिस्कशन को इनीशिएट किया था।

[अनुवाद]

यदि मुझे ठीक ध्यान हो तो आपने स्व. लालबहादुर शास्त्री और माधव राव सिंधिया का जिक्र किया था।

[हिन्दी]

यह सच है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। तब से लेकर अब तक हमारे देश में 33 रेलवे मिनिस्टर हुए हैं और इनमें से केवल 5–6 मिनिस्टर्स को ही चार–पांच साल काम करने का मौका मिला। श्री जगजीवनराम जी को छः वर्ष काम करने का मौका मिला था, जाफर शरीफ जी, श्री लालबहादुर शास्त्री जी और श्री मुनियप्पा जी को भी मौका मिला था। लेकिन और जो सारे मिनिस्टर्स बने थे उनमें किसी को दो वर्ष, किसी को तीन वर्ष का समय मिला। सिंधिया जी को तीन वर्ष और श्री रामविलास पासवान जी को दो वर्ष काम करने का मौका मिला। बाकी जो मिनिस्टर्स बने उनमें किसी का कार्यकाल दस महीने, एक साल या डेढ़ साल में खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में कोई पॉलिसी नहीं बना सकता है।

सभापति महोदय, आज हम लोग सेफ्टी के बारे में क्यों सोच रहे हैं। यह तकलीफ की बात है। क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है। लेकिन क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि हम आज मिनिस्टर हैं, आने वाले बीस वर्षों के लिए हम कुछ कर जाएं, ताकि आगे आने वाले दिनों में लोगों को कुछ सुविधा मिले। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। यदि हम ऐसा सोचते तो इंडियन रेलवे की हालत आज इतनी बुरी नहीं होती। श्री लालबहादुर शास्त्री जी बड़े इंसान थे। उन्होंने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया था। उन्होंने देश के लिए सैक्रीफाइस भी किया था। लेकिन उनके समय में चार वर्ष काम करने के बाद इलाहाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ। वह उनकी कांस्टीटुएंसी थी और उस एक्सीडेंट में करीब तीन सौ आदमियों की डेथ हो गई थी। वे उनकी कांस्टीटुएंसी के आदमी थे। हम लोग एम.पी. हैं। हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, नेशन के बारे में बात करते हैं, पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिव की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए श्री लालबहादुर शास्त्री जी ने तब रेजिगनेशन दे दिया था। बाद में वह प्रधान मंत्री बने थे। मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने रेज किया है, इसलिए मैं कहती हूं। क्या आप मुझे कोई मिनिस्टर दिखा सकते हैं जिसने 40 आदमियों के मारे जाने के बाद रिजाइन किया हो। यदि आप ऐसा कर सकें तो मैं एक सेकेंड के लिए भी यहां नहीं रहना चाहती हूं। मैं रेल नहीं चलाती हूं। रेल चलाने के लिए आपरेशन होता है। रेल ड्राइवर चलाते हैं, गार्ड चलाते हैं, उसमें सिगनलमैन, गैंगमैन होता है। इन सबकी ड्यूटी वहां होती है। उसमें स्टेशन मास्टर भी है, सेफ्टी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आदि भी शामिल होते हैं। श्री सिंधिया जी के टाइम में आपने कहा था, सिंधिया जी का टाइम हैप्पीएस्ट टाइम था, परंतु जब हम आए तो यह क्राइसिस का टाइम था। मिनिस्टर बनने के बाद जब मैं सिंधिया जी से मिली थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ममता जी इस वर्ष यह विभाग मत लो, इस वर्ष आपको बहुत फाइट करनी पड़ेगी। अभी पवन जी ने रेलवे कन्वेंशन कमेटी की रिपोर्ट उठाकर कहा था कि 1400 करोड़ रुपये या कुछ कम हो गया। पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद आपको पता है कि क्या हुआ। उसके बाद से हर स्टेट गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही है। रेलवे में 16 लाख इम्पलाईज हैं। पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के

बाद साढ़े सात हजार करोड़ रुपये से ज्यादा देना पड़ा था। जब हम रेलवे में आए थे, रेलवे के पास एक पैसा भी नहीं था। माइनस में था, लेकिन पिछले पांच महीनों में ऑस्टेरिटी करके हमने 850 करोड़ रुपये बचाए हैं और कोई विभाग ऐसा नहीं कर सका। सिंधिया जी के समय में भी 517 आदमी मेजर रेल एक्सीडेंट्स में मरे थे लेकिन तब भी सिंधिया जी ने कोशिश की थी काम करने की। मंत्री की कोई गलती नहीं है। कभी किसी सदस्य ने सिंधिया जी का रेजिगनेशन भी नहीं मांगा था। मुझसे भी नहीं मांगा था।

[अनुवाद]

मैं दलगत स्थिति से हटकर सभी सदस्यों को धन्यवाद करती हूं। उन्होंने मुझसे नहीं कहा।

[हिन्दी]

क्योंकि मैंने क्या सोचा था। मैं सोचती हूं कि हर रोज देश में 13500 ट्रेन्स कैसे चलती हैं। कोई भी छोटा सा एक्सीडेंट होने से हमें दुःख होता है लेकिन रोड एक्सीडेंट में 75000 लोग हर साल मर जाते हैं। रेलवे में ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट होता है तो (200–300) आदमी मारे जाते हैं। अभी लोग एक्सीडेंट की रिपोर्ट ज्यादा देखते हैं। पहले जोनल रेलवे में जो छोटे–मोटे एक्सीडेंट होते थे, उनकी रिपोर्ट वह रेलवे बोर्ड को नहीं देते थे लेकिन मेरे आने के बाद मैंने सीएजी की रिपोर्ट देखी और कहा कि एक छोटी सी बोगी भी डीरेल हुई है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करनी है। इसलिए एक्सीडेंट की संख्या अब ज्यादा दिखती है। सीएजी रिपोर्ट में 13000–14000 दिया है, उसमें छोटे–छोटे एक्सीडेंट भी दिखाए हैं। आपको देखना चाहिए कि अभी हमारी प्रायॉरिटी क्या है। हमारी प्रायॉरिटी सेफ्टी और सिक्यूरिटी की है। अगर नयी रेल जहां कहीं से मांगते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। देने से मैं खुश हो जाऊंगी, लेकिन दिक्कत यह है कि जो प्रोजेक्ट पड़ा है बहुत दिनों से, वह एक प्रोजेक्ट खत्म करना चाहिए चाहे वह नया प्रोजेक्ट हो, डबलिंग का प्रोजेक्ट हो, इलेक्ट्रिफिकेशन का हो या मूंगेर का गंगा ब्रिज हो। इनमें सब मिलाकर 5000 करोड़ रुपये की जरूरत है। अपने समय पर हमने 11 प्रोजेक्ट क्लियर किए थे। अपने राज्य में एक प्रोजेक्ट दिया था। हमारे खिलाफ बहुत बोला जाता है कि हम अपने राज्य के लिए सब कर रहे हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट बंगाल को दिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश को दो प्रोजेक्ट दिए थे, तमिलनाडु को दो प्रोजेक्ट दिए थे। सुल्तानगढ़, देवगढ़ क्या बिहार के प्रोजेक्ट नहीं हैं? मैंने उनको दिया था। मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि कोई स्टेट डिप्राइव हो।

रात्रि 11.07 बजे

(श्री पी. एच. पांडियन पीठासीन हुए)

रघुवंश जी की मैं इज्जत करती हूं कि वह चिल्लाते तो हैं लेकिन स्टेट के फायदे की बात करते हैं। रघुनाथ झा जी ने जो कहा, मैं उसकी कंद्र करती हूं, लेकिन यह बात सच नहीं है कि हमने बिहार को कुछ दिया नहीं है। बिहार के भी रेल मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी बिहार के लिए दिया। नीतीश कुमार जी के समय से कंपेयर करें तो नीतीश जी के समय में बिहार को 255.242 करोड़ रुपये दिए थे और हमने 255.33 करोड़ रुपये दिए। हमने प्रावधान बढ़ाया है, कम नहीं किया है। यह तो आंकड़े बताएंगे। अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे खिलाफ प्रिविलेज ला सकते हैं, लेकिन मैं आंकड़ों की बात कर रही हूं। हमें उसमें कमी करने का कोई इरादा नहीं है।

मुझे पता है कि कुछ स्टेट्स नैग्लैक्ट हुई हैं लेकिन उन्हें भी हम अगली बार सैटल कर देंगे।

किसी सदस्य ने कहा कि हमने 10 प्रतिशत कट किया है, मैं आपको साफ–साफ बताती हूं कि हमारा एक रेल बोर्ड है। उन लोगों ने प्लान एक्सपेंडीचर एडजस्ट करने के लिए, जो फाइनेन्शियल टर्म्स हैं, 10 प्रतिशत कट जरूर किया है लेकिन मैंने कह दिया है कि किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सेफ्टी मीजर्स के लिए कट नहीं होगा। प्लान एक्सपेंडीचर में जो कट होगा, अगर एडजस्टमेंट की बात है तो ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हम कट नहीं करना चाहते हैं। यह बात सच है और मैं आप लोगों के साथ एकमत हूं कि रेल का काम थोड़ा ढीला–ढाला चलता है। क्यों चलता है इसके कारण भी मैंने बताए थे। पहले फरवरी–मार्च में रेल बजट पास हो जाता था। फिर मई में बजट पास होता है, जून में जोनल रेलवे में जाता है, इसके बाद टेंडर करते हैं। टेंडर में तीन महीने लगते हैं। नवंबर में टेंडर खुलते हैं। उसके बाद काम शुरू करने से कितने दिन मिलते हैं? वर्ष में तीन महीने मिलते हैं। फाइनेंस बजट के लिए दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन इनवॉल्व नहीं है लेकिन रेलवे में कंस्ट्रक्शन है। इसलिए इसका तरीका बदलना बहुत जरूरी है। अगर फरवरी में बजट होना है तो फरवरी में ही पास करना है, तब वर्किंग मन्थ्स आपको मिलेंगे नहीं तो तीन महीने में काम नहीं होता और काम ढीला–ढाला होता है।

सभापति महोदय, बहुत सारे फंड्स डायवर्ट भी होते हैं, मैंने देखा है। जो बातें सच हैं उन्हें कहते और बताने में मुझे कोई दुःख नहीं है। जब दो–तीन महीने ही काम करने को मिलते हैं, तो फंड को इधर से उधर और उधर से इधर तो करना

[कुमारी ममता बनर्जी]

ही पड़ेगा। मैं चाहती हूं कि यह बंद होना चाहिए। जितनी भी परियोजनाएं आप लोगों ने कही हैं कि हमको यह दीजिए, हमको वह दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो पिछले 50–55 सालों में होता रहा है, पहले उसे ठीक कीजिए, रिव्यू कीजिए, पॉलिसी डिसीजन कीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि एक स्टेट में एक या दो प्रोजेक्ट पूरे किए जाएं तो मैं तैयार हूं। एक वर्ष में एक या दो प्रोजेक्ट तो पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपका, राज्य सरकार का, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सबका कोआपरेशन चाहिए।

माननीय सदस्य, पवन बंसल जी यहां बैठे हुए नहीं हैं। बंसल जी को मालूम होना चाहिए कि चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल को हम इलेक्ट्रीफिकेशन ट्रेन के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। हमारे इंजीनियर इतने एफीशिएंट हैं कि जो काम दो वर्ष में होना चाहिए वे नौ महीने में कर सकते हैं। हम लोग और जल्दी करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्लीयरकट पॉलिसी होनी चाहिए। इसमें नैगलीजेंस रेलवे की तरफ से बहुत हुई है।

सभापति महोदय, रेलवे को सबसे ज्यादा प्रायर्टी सेफ्टी को देना चाहिए। मैं इस बात को जानती हूं। इसलिए मैंने (1999–2000 में 686 तथा 2000–01 रेगुलर वजह में 602 अनमैन्ड) क्रासिंग लिए थे। अभी 185 और लिए हैं, लेकिन 22346 रेलवे क्रासिंग बिना आदमी के 50–55 साल से पड़े हुए हैं, यह बात पहले क्यों नहीं सोची गई, यह बात आपको सोचनी चाहिए थी। इसको प्रायर्टी क्यों नहीं दी गई। आज आप नए कोच मांगते हैं, तो उसके लिए पहले से आर्डर क्यों नहीं दिया गया। मेरे आने से पहले तो रेलवे ने कोच और इंजन तक इम्पोर्ट करने शुरू कर दिए थे। मैंने आते ही उन्हें बंद कर दिया। मैं चाहती हूं कि इंजन और कोचेज हमारे ही देश में बनें। मैं चाहती हूं कि हमारे देश की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें काम करने वालों को रोजगार मिले।

सभापति महोदय, मैंने इकनॉमिक औस्टैरिटी शुरू की। पिछले साल 850 करोड़ बचाया था। इस साल 865 करोड़ बचाने का लक्ष्य है। अभी मार्च को आने में तो समय है, लेकिन अभी तक पैसेंजर और फ्रंट अर्निंग में हमने 300 करोड़ रुपये बचाए हैं और वह भी ऐसी कंडीशन में जहां ट्रैक पुराने हैं, कोच पुराने हैं। हमें एक हजार करोड़ रुपये से भी सपोर्ट नहीं मिलता है। हमने डेढ़ हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा हमने किया है और वह भी ऐसी परिस्थिति में जब बृजेज सब पुराने हैं, सिगनल पुराने हैं। मैं पहले ही दिन से चिल्लाती आ रही हूं कि सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कुछ किया जाए।

[अनुवाद]

मैं एक कार्य बल समिति गठित करती हूं ताकि सुरक्षा पक्ष की उपेक्षा न हो।

[हिन्दी]

मैं हर स्टेट में टास्कफोर्स कमेटी धीरे–धीरे चीफ सेक्रेट्री और होम सेक्रेट्री को रखकर बना दी है।

[अनुवाद]

महोदय, कानून और व्यवस्था का मामला है। इस संबंध में हम राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

लेकिन सिक्योरिटी ज्यादा हो, इसके लिए टास्कफोर्स की रिपोर्ट जल्दी मिलने वाली है और उसके बाद हमारी इच्छा है कि हम उसको पार्लियामेंट में लेकर आएंगे और एम.पी. साहेबान के जो सुझाव होंगे उनके अनुसार हम काम करेंगे।

सभापति महोदय, 62,800 किलोमीटर रेलें हैं उनका काम कैसे करेंगे। बार्डर में फेंसिंग करते हैं उसमें भी इतना समय लग जाता है, तो रेलवे को जितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिलती है। रोड को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन फिर भी रेलवे स्टेशन चीपेस्ट है, 12 करोड़ आम जनता प्रतिदिन सफर करती है। 7000 स्टेशन हैं। बहुत वास्ट नैट हैं। वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है, लेकिन रेलवे चीपेस्ट हैं रेलवे एनवायरनमेंटल फ्रेंडली है, रेलवे नहीं चलने से आम जनता की जिंदगी नहीं चलेगी। जब गरीब जनता रेलवे में चलती थी और टी.टी. बिना टिकट उसको पकड़ लेता था, तो मुझे इस स्थिति को देखकर बहुत दुःख होता था। इसलिए मैंने रेल मंत्री बनते ही पहले सीजन टिकट सबसे कम 15 रुपये प्रति माह का कर दिया, जिससे गरीब आदमी भी कह सके कि मेरे पास भी रेलवे का टिकट है। इसलिए मैंने जो दिया है, उसे मैं कंटीन्यू करूंगी। मैं उसे वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूं।

[अनुवाद]

मैं गरीब यात्रियों के लाभ के लिए काम करती रहूंगी।

[हिन्दी]

हमारे किसी दोस्त ने कहा था कि कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हम काम नहीं करते, यह बात ठीक नहीं है। हिन्दुस्तान में आजादी के बाद तीन कमीशन बने—एक कुंजरू कमीशन बना,

दूसरा सीकरी कमीशन बना तथा एक और कमीशन बना। तीन कमीशन बने हुए थे। अभी हमें खन्ना कमेटी की रिपोर्ट मिली है। जहां तक हमें मालूम है, उसमें 150 रिकमेंडेशन्स थीं। उनमें से हमने 103 रिकमेंडेशन्स को एक्सेप्ट कर लिया है, 28 रिकमेंडेशन्स को हमने पार्शियली एक्सेप्ट किया है और बाकी जो 19 रिकमेंडेशन्स हैं, उनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्सीडेंट के बाद रेल सेफ्टी कमेटी उसे रिव्यू करती है जो एक्सीडेंट की रिपोर्ट देती है यानी सी.आर.सी. की हमें जो रिपोर्ट मिली है, उसने भी नौ रिकमेंडेशन्स दी थीं। उन नौ रिकमेंडेशन्स में से हमने आठ रिकमेंडेशन्स को मान लिया है। एक रिकमेंडेशन हमने नहीं मानी। वह रिकमेंडेशन क्यों नहीं मानी? वह रिकमेंडेशन आटोमेटिक फ्लोरोसेंट लाइट के बारे में थी। उसके बारे में भी हमने मीटिंग करके प्रस्ताव किया है और उसे आर.डी.एस.ओ. को भेजा है। उस रिकमेंडेशन को भी हम मान लेंगे।

क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि इंडियन रेलवे में कोई सेफ्टी प्लान नहीं था? मैंने इस बारे में पूछा कि यहां सेफ्टी प्लान क्यों नहीं है? जोनल लेवल पर तो है लेकिन नेशनल लेवल में नहीं था।

[अनुवाद]

बोर्ड में कोई सदस्य (सुरक्षा) नहीं था। यह पहली बार है कि मैंने अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को सुरक्षा का प्रभार दिया है। यह देश के रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ है।

[हिन्दी]

किसी को पता ही नहीं था कि सेफ्टी की भी जरूरत है। इस संबंध में हमने पूरे रेलवे बोर्ड की मीटिंग भी की और कहा है कि नया सेफ्टी प्लान होना चाहिए। आप देखें कि हमने मोबाइल रेडियो, वाकमैन और वाकी—टाकी को पूरी हॉट ट्रेन में दे दिया है। इसके अलावा हम इन्हें स्टेशन में भी चलाने जा रहे हैं। स्टेशन मास्टर के लिए भी हमने इसे आउट ऑफ टर्न कर दिया है। इसके लिए 22 करोड़ रुपये लगेंगे लेकिन वह ठीक है क्योंकि

[अनुवाद]

हमें सुरक्षा पर समझौता नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

किसी फ्रेंड ने अभी ट्रेन के बारे में कहा था। अभी हमारा बजट आ रहा है। उसमें हमारी जो सोच है या आने वाले 10 सालों के लिए हमें जो भी प्लान बनाना है, वह हम बनाकर बाद में आएंगे। हमने इन्नोवटिव आइडिया अभी शुरू किया है। कमर्शियल यूटीलाइजेशन ऑफ लैंड अर्थस्पेस में भी प्रगति हुई है लेकिन इसमें कोई लीगल सेक्शन है, कोई फाइनेंशियल सेक्शन है, इसलिए उसमें थोड़ा वक्त तो लगता ही है। लेकिन इसमें भी हम बहुत आगे बढ़े हैं।

इसके साथ—साथ मैंने रेल टैल कार्पोरेशन के बारे में भी कहा था। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के लिए कहा था। इस संबंध में हमने क्या किया, उसे जानकर आपको खुशी होगी। यदि हम रेल टैल कार्पोरेशन के लिए उसे फाइनेंस के पास भेजेंगे, प्लानिंग कमीशन के पास भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भेजेंगे, आई.टी. में भेजेंगे या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में भेजेंगे तो इसमें एक वर्ष लग जाएगा। इसलिए हमने हर डिपार्टमेंट से एक—एक मेंबर को लेकर एक टॉस्क फोर्स बनाई है। अभी हमारा रेल टैल कार्पोरेशन रजिस्टर्ड हो गया है और वह बिजनेस प्लान देने के लिए तैयार है। इससे रेलवे को यह फायदा होगा कि सिग्नल का माडर्नाइजेशन हो जाएगा तथा कम्युनिकेशन सिस्टम जो अभी तक गांव से नहीं जुड़ा है, वह रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इसे हम एक एरिया के लिए नहीं किया है, इसे हमने 62,800 किलोमीटर के लिए किया है। यह हमने इसलिए किया है क्योंकि पोटेंशियल एरिया को तो सब देखते हैं लेकिन बैकवर्ड एरिया को कोई नहीं देखता, इंटीरियर एरिया को कोई नहीं देखता। यदि यह गांव—गांव में चला जाएगा तो इससे टैलीफोन माडर्न हो जाएगा, सिग्नल सिस्टम मॉडर्न हो जाएगा और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के आने से रेलवे में रेवोल्यूशन आएगा और हमारा दृष्टिकोण भी बिजनेस की लाइन में जाएगा। मेरा कहना है कि रेलवे केवल कमर्शियल आर्गनाइजेशन नहीं है बल्कि उससे हमारा सोशल ऑब्लीगेशन भी होता है। अगर गरीब आदमी ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकता तो उसकी हम मदद करते हैं। अगर नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो उनकी हम मदद करते हैं जैसे उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया तो हमने उनकी मदद की। इसी तरह आंध्र प्रदेश और गुजरात में बाढ़ आई, सूखा आया तो हमने उनकी मदद की। हमारी ओर फलड आया तो हमने उनकी मदद की। जब भी कहीं कुछ होता है तो

[अनुवाद]

रेलवे इस देश का पहला संपर्क सूत्र है और यह हमेशा अपना पूरा सहयोग देती है।

[हिन्दी]

अगर कभी—कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसके लिए हमको भी दुःख है लेकिन इसके साथ—साथ यह बात भी सच

[कुमारी ममता बनर्जी]

है कि डी–रेलमेंट बढ़ता जा रहा है। यह क्यों बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे भी कई कारण हैं।

हमारे एक दोस्त ने कहा था कि भिलाई स्टील प्लांट ने हमें जो स्टील दिया, उसमें कुछ डिफेक्ट था। इसलिए मैंने आने के बाद स्टील मिनिस्टर के साथ मीटिंग करके इस बात का भी फैसला किया। मैंने कहा कि ट्रेन थोड़ी लेट होना अच्छा है लेकिन हम पेसेंजर की जिंदगी खतरे में नहीं डालेंगे। विन्टर सीजन में फॉग के कारण रेलवे ट्रैक छोटा हो जाता है और गर्मी में थोड़ा बड़ा हो जाता है जिससे थोड़ा डिफेक्ट पैदा हो जाता है। इसलिए लाइन फ्रेक्चर इन दो–तीन महीनों में ज्यादा होता है। हमारी इन्स्ट्रक्शन है कि ट्रेन की स्पीड रिस्ट्रिक्ट करें क्योंकि लोगों की जिंदगी बचाना सबसे पहला कर्तव्य है।

मैं सभी सदस्यों की आभारी हूं कि उन्होंने सुझाव दिए हैं। लेकिन रेलवे की ओर से मैं कहना चाहूंगी कि हमें रेलवे की सेफ्टी के बारे में ध्यान देना बहुत जरूरी है। इंडियन रेलवे का अपना नेटवर्क है। ऐसा कितने दिन चलेगा, जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो

[अनुवाद]

मुझे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा अगर

[हिन्दी]

किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसे केयर करने की जरूरत होती है। अगर ओवर एज हो गई तो भी केयर करने की जरूरत होती है। मांगने से हम कोच, ट्रैक कहां से लाएं फिर भी हमने 37 प्रतिशत ट्रैक रिन्युअल के लिए इन्क्रीज किया है, 26 प्रतिशत सिगनलिंग कम्युनिकेशन के लिए इन्क्रीज किया है। लेकिन खन्ना कमेटी की रिकमेंडेशन है कि 15,000 करोड़ रुपये एक समय देना चाहिए, अगर नहीं देंगे तो रेलवे के लिए खतरा है। ब्रिटिश रेलवे प्राइवेट है लेकिन पिछली बार उसमें एक एक्सीडेंट हुआ था। वह प्राइवेट है फिर भी वहां की सरकार ने इंडियन करेंसी के मुताबिक 21,000 करोड़ रुपये की मदद दी थी। हमारा झगड़ा करने की कोई बात नहीं है। नेशनल हाईवे अच्छा हो, स्टेट हाईवे अच्छा हो, गांवों का रास्ता भी अच्छा हो, साथ–साथ रेलवे में जो 1.2 करोड़ लोग सवारी करते हैं वे हमारा दिल हैं। उनकी देखभाल करने के लिए

[अनुवाद]

मैं सभी माननीय सदस्यों में अनुरोध करती हूं कि हमें समर्थन दें।

[हिन्दी]

हम रहें या नहीं, यह बात नहीं है। हम काम करते हैं लेकिन ट्रेन नहीं चलाते। ट्रेन चलाने के लिए भी आज जो मजबूरी है, उसे दूर करने के लिए लॉग टर्म प्लान बनाना जरूरी है। उस प्लान को बनाने के लिए हमने कैम्पेन चलाया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबको बधाई देना चाहती हूं। जिस इनडिवीजुअल प्रश्न का रिप्लाई मैं नहीं दे पाई,

[अनुवाद]

मैं सभी माननीय सदस्यों को अलग से उत्तर भेजूंगी।...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मुनियप्पा, वे लिखित में उत्तर भेजेंगी। कृपया बैठ जाइए।

सभापति महोदय : अब मैं रेल अभिसमय समिति, 1999 के प्रथम प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुमोदन के संबंध में कुमारी ममता बनर्जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेलवे उपक्रमों द्वारा सामान्य राजस्व इत्यादि को भुगतान किए जाने वाले लाभांश की दर की समीक्षा करने हेतु नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1999 के प्रथम प्रतिवेदन, जो 22 अगस्त, 2000 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अंतर्विष्ट पैराग्राफ 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123 और 124 में की गई सिफारिशों को अनुमोदित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं वर्ष 2000–2001 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तंभ 2 में मांग सं. 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु कार्यसूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : वर्ष 2000–2001 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें पारित की जाती हैं।

रात्रि 11.24 बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक*

कुमारी ममता बनर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000–2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000–2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।**

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं** :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000–2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2000–2001 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 11.27 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 21 दिसम्बर, 2000/30 अग्रहायण, 1922(शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड–2, दिनांक 20.12.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
• और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।